Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 05/06

03. Referee Board 07

04. Spokesperson 09/10

(Science / विज्ञान)

05. Rain Water Harvesting - A Need For Present Time 11
(Dr. Neelu Singhai, Dr. Praveen Kumar Singhai)

06. Herbs Commonly Used In Ayurveda Anticancer Treatment (Dr. Sushama Singh Majhi) 14

(Home Science / गृह विज्ञान)

07. Skill Development In Rural Women Through Tie And Dye (Dr. Nidhi Vats) 16

08. पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार के साथ समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 19
(डॉ. शैल बंसल, रेखा जामोद)

09. ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार में वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत का अध्ययन 22
(इंदौर शहर के युवाओं के संदर्भ में) (डॉ. नंदिनी रेखड़े, आहुति दुबे)

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

10. Agriculture Scenario In Madhya Prdesh - The Study Of Government Efforts 24
(Dr. Anoop Kumar Vyas, Urvashi Verma)

11. Training And Development Practice In India (Dr. Vinita Tak) 27

12. Small & Medium Enterprises In India - Challenges And Measures Of Growth 30
(Dr. Anoop Kumar Vyas, Urvashi Verma)

13. Factors Affecting Employees Motivation Level (Ritu Talreja, Dr. Rajeev Kumar Jhalani) 33

14. वस्तु एवं सेवा की अवधारणा एवं सिद्धान्त (डॉ. हर्षा चचाने, डॉ. राजू रैदास) 35

15. शासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी का अध्ययन (मृदुलता सिकरवार) 37

16. रीवा में पर्यटन के नए आयाम (डॉ. ज्ञानेन्द्र पाठक) 39

17. मध्यप्रदेश - विकसित अर्थव्यवस्था की ओर (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी) 41

18. रतलाम जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु जिला सहकारी बैंक का योगदन (मोनिका कूदालिया) .. 43

19. पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों में बचत एवं विनियोग प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन.... 45
(डॉ. एन. एल. गुप्ता, ऊँकार सिंह रावत)

20. मानव संसाधन प्रबंध का विकास, चुनौतियां व समाधान (मृदुलता सिकरवार) 47

(Economics / अर्थशास्त्र)

21. Indian Women In Development - In The Context Of Global Scenario 49
(Dr. Sushma Saini, Dr. Abha Saini)

22. Recruitment Is A Social Activity (Dr. Sunita Wathrey, Astha Rajak) 54

23. Financial Sector Reforms With Reference To The International Standards (Dr. Leena Sharma) 57

24. ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन 59
(धार जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. कुशल जैन कोठारी, मंजुला मण्डलोई)

25. मध्यप्रदेश में कृषि उपज भण्डारण की व्यवस्था (प्रियंका गुप्ता) 61

26. कपास के विकास में लघु मिशन की भूमिका (डॉ. अंजना जैन, जमुना सोलंकी) 64

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

27. Fedralism And Inter-State River Water Disputes In India 66
(Nisar Ahmad Nengroo, Aijaz Ahmad Khan)

28. Role Of Media in Democracy And Good Governance (Ajaz Ahmad Dar, Mohd. Ashraf Nengroo)..... 69

29. Terrorism In The Name Of Jihad (Dr. Mumtaz Begum) 72

30. नगर परिषद् - निर्वाचन एवं विश्लेषण 2018 (बड़वानी जिले के संदर्भ में) (डॉ. मीनाक्षी पँवार) 74

31. सिरोही जिले में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन एवं इनके संवैधानिक प्रावधान (प्रेमलता) 79

32. भारत में भ्रष्टाचार - स्थिति एवं समाधान (डॉ. आशा सिसौदिया) 82

33. पंचायती राज का विकास एवं भूमिका - मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में (एकीकृत ग्रामीण विकास योजना) 85
(डॉ. प्रीति शर्मा)

34. भारत-पाक सम्बन्ध समस्या एवं समाधान (डॉ. गरिमा पारीक) 87

(History / इतिहास)

35. Thiruvattar Adikesava Temple- An Historical Enquiry (Dr. Praveen O.K.) 89

36. A Review Of Migration Commission Report 2018 In Uttarakhand (Anil Singh Bharara) 92

37. Analyzing A New Frame To Understand The Docility And Divulgence Of 'Kerala Model' 94
Two-Way Migrations (K. M. Vishnu Namboodiri)

38. सामाजिक समरसता में भक्ति आंदोलन के संतों का योगदान (डॉ. नीलेश शर्मा) 96

39. भारतीय दर्शन और उसकी उत्पत्ति (डॉ. कुंती साहू) 98

40. मध्यप्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों का उद्‌भव एवं विकास (जितेन्द्र महोबिया)........................ 101

41. प्राचीन मिस्र की सभ्यता की दुनिया को देन (हितेश) 104

42. बुन्देलखण्ड के लोक विश्वासों की वैज्ञानिकता एवं सार्वभौमिकता (सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे) 106

43. अमरकंटक की प्रमुख धर्मशालों का ऐतिहासिक महत्व (डॉ. मो. स्वालकीन खान) 108

(Sociology / समाजशास्त्र)

44. लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं महिला विकास (अक्षय पुरोहित, डॉ. आशुतोष व्यास) 110

45. जनजातीय लोगों के उत्थान में पंचायती राज की भूमिका (प्रो. आई.एस. सस्त्या) 114

46. जनजातीय विकास प्राधिकरण - जनजातीय कल्याण की ओर एक सार्थक कदम 116
(रोशनी सिद्दीकी, नाजिया बानो)

47. वैश्वीकरण के युग में दलित स्त्री चेतना (रेखा) 118

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

48. रामवृक्ष बेनीपुरी के 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त जीवन-मूल्य (संजय कुमार त्रिपाठी, डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी) .. 120

49. समकालीन उपन्यास और मन्नू भण्डारी (संदीप तानाजी कदम) 123
50. आँचलिक उपन्यास की अवधारणा और मैला आँचल (तरूणेन्द्र प्रसाद साकेत) 126
51. समाज और साहित्य (डॉ. गीता तिवारी) 129
52. अनाामिका के उपन्यासों में पारिवारिक मूल्य (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री, आशा शरण) 131
53. साहित्य, मीडिया और बाजार (डॉ. जितेन्द्र सिंह मुण्डा) 133
54. महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं के प्रमुख रेखाचित्रों का अनुशीलन (राखी शर्मा) 135
55. यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवाद एवं नारी जाग्रति (डॉ. पंकज बोहरा) 137
56. शेखर - एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता के सृजनात्मक मूल्यों के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 139
57. भक्तिकाव्य में मानवतावादी चेतना के दर्शन (उमेश कुमार भारद्वाज) 141

(Education / शिक्षा)

58. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा का योगदान (डॉ. राजेन्द्र कुमार गोदारा) 142
59. उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी एवं निराशावादी अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. रेखा सोनी) 144
60. मौलिक अधिकार (आर.टी.ई.) (डॉ. शांति तेजवानी, नीलिमा पहारे) 146

(Others / अन्य)

61. Literature Analysis Of Vulva Cancer During 2000-2009 -A Scientometric Study (Monika Singhai, Dr. J. N. Gautam) 148
62. An Overview Of The Rights Of Persons With Disabilities Act -2016 (Prof. Akshata Amit kumar Gawade) 162
63. Efficacy Of Biofeedback On Reducing Anxiety In Mothers Having Children With Intellectual Disability (Anuradha Kushwah, Dr. Saroj Kothari) 165
64. Cognitive Distortion Of Delinquents And Non-Delinquents (Umeshwari, Prof. Prabhavati Shukla, Vaibhav Saxena) 168
65. Emotional Intelligence-An Effective Tool In Anger Management (Renu Bhadoria) 170
66. वनस्पति के रक्षक -पोषक, मारिषा पुत्र– महाराजा दक्ष प्रजापति (ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में) (डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति) 172
67. विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत शिक्षण की आवश्यकताऐं एवं महत्व (प्रो. शार्मिला टेलर, हिमानी गुप्ता) 174
68. दृढ़ आधारशिला का कला पर प्रभाव (पिन्टू मिश्रा) 176
69. कथक नृत्य में सूर साहित्य की प्रासंगिकता 'सहित्स्य भाव - साहित्यम्' (योगिता मण्डलिक) 179
70. लोक संस्कृति के सृजनात्मक अभिव्यक्ति के दो चित्रकार (कंचन कुंवर राणावत) 181
71. भर्तृहरि का नीतिशतक और उसकी उपादेयता (डॉ. प्रताप सिंह बघेल) 183
72. निमाड़ के सन्त अफजल के सुधारवादी विचार (डॉ. मधुसूदन चौबे) 185
73. सन्त सिंगाजी - एक परिचय (डॉ. मधुसूदन चौबे) 188
74. डिजीटल युग में हिन्दी विमर्श (डॉ. नेहा कल्याणी) 190
75. Green Marketing Initiatives: Ingenuity Towards Sustainable Development (Barkha Agrawal, Neha Sahu) 192

76. Public Distribution System in India (Lt. Dharmendra Kumar, Dr. Lokendra Singh) 197
77. The Impact of Domestic Violence on Children and Families and its Interventions (Dr. Sandhya Jaipal) 199
78. Arranged Marriages in India (Dr. Anjali Jaipal) 203
79. Ngo's and State in Neo Liberal Era (Dr. Archana Singh) 207
80. Indian English Women Short Story Writers : An Overview (Dr.Shiraz Ahmed) 209
81. भारतीय समाज में व्याप्त राष्ट्रीयता का साहित्य (हितेश कुमार) 213
82. वासना (डॉ. हजारी लाल मौर्य) 216
83. अनु. जाति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : एक विश्लेषण (डॉ. नीरजा शर्मा) 218
84. शुक्रनीतिसार में प्रशासनिक व्यवस्था (डॉ. कुलकिरण गढ़वाल) 222
85. Global Biodiversity Conservation: The Critical Role of Hotspots (Dr. Anjul Singh) 227
86. हरनाथ : रीतिकालीन परम्परा के अंतिम आचार्य कवि (डॉ.अनुपमा सक्सेना) 232
87. Significance of the Indian Chemical Industry (Dr. Mamta Tiwari, Dr. Anjul Singh) 234
88. प्राचीन भारत में न्यायिक सक्रियता का विश्लेषण (डॉ. आराधना सक्सैना) 238
89. स्वाधीनता संग्राम में मुरादाबाद मंडल का योगदान (1905ई0 -1919ई0): एक अध्ययन (डॉ. अपर्णा, हरि ओम) 243
90. A Study of Cause Related Marketing Initiatives by Indian Banks (Devendra Prasad Pandey) 247
91. Indian Villages on the Path of Progress Through E-Governance (Dr. Govind Prakash Acharya) 251
92. Smart Cities and Villages in India: A Critical Analysis of Urban and Rural Development (Dr. Syed Saleem Aquil) 255
93. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार (डॉ. उर्मिला चौकसे) 257
94. बिलासपुर जिले में भारत छोडो आंदोलन (डॉ. रीता बाजपेयी) 260
95. रतनपुर में प्रचलित लोक नाट्य गम्मत (डॉ. रामरतन साहू) 263
96. अकबरयुगीन स्थापत्य कला : समन्वय की सुदृढ़ परम्परा (प्रताप कुमार पाण्डेय) 265
97. छत्तीसगढ़ में प्रचलित विवाह पद्धितियाँ (डॉ. रश्मि सोनी) 267
98. The Economics of the Harappan Civilization: A Study of Trade, Agriculture, and Urban Planning in the Indus Valley (Dr. Dilip Pipara) 270

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
19. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD,Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

****

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources- (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi -	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
	(4)	Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
	(5)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
English -	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History -	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography -	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
	(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology -	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
Drawing -	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
	(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science -	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development -	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
	(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management -	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education -	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
	(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
	(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
	(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture -	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education -	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science -	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

****

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)
46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. PG College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. PG College, Dhar (M.P
58.	Prof. Dr. A. K. Pandey	-	Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
61.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71.	Prof. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
72.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
75.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
78.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Rain Water Harvesting - A Need For Present Time

Dr. Neelu Singhai* Dr. Praveen Kumar Singhai**

Abstract - India has witnessed a rapid increase in the urban population during last few decades. All tows & cities are facing the problem of water demand supply gap invariably exerting pressure on water resources & supply management. The sustainable water management requires understanding the value of rain and to make optimum use of rainwater at eh place where it falls. In this scenario RWH can contribute considerably to tackle after crisis. The best option is to harvest the rainwater where we get it and store it appropriately (on surface or into the aquifer) for eventual recover and use at times of need. Rain water harvesting is the intentional collection of rain water from a surface and its subsequent storage in order to supply water during the time of demand. It is essential considering that rainfall which is a source of freshwater occurs in a very short spells & runs off as wastage unless arrangements are made for its storage. Various methods of rain water harvesting have been discussed. The advantages of rain water harvesting have been discussed. Further some case studies have been narrated where rain water harvesting has been successfully implemented and benefits are being received.
Key Words - Rain water harvesting, roof top, ground water reservoirs, bore well, recharge aquifer.

Introduction - In simple language rain water harvesting is the collection of rain water from a surface and its subsequent storage in order to supply water during the time of demand. This storage can be above the surface or below the surface depending upon ground conditions. It is essential for the simple reason that rains are not available throughout the year. Presently focus in on meeting the water requirement for domestic needs. For domestic need rainwater is collected over the roof tops and then water is stored and passed through filter to purify the same. Afterwards this water is stored on the surface or is used for ground aquifer through bore wells.

Roof water harvesting has been practiced in areas such as Himalayan range, Andaman and Lakshadweep islands, parts of Tamil Nadu and Kerala etc. Water conservation through rain water harvesting is quite common in arid regions such as West bank. However its importance is being realized in many parts of India only, recently due to fast depletion and scarcity of the fresh water sources.

Now it is being made mandatory in many cities to include the roof top rain water harvesting structures in the residential buildings design and large number of public buildings are also being provided with such system.

The limited water availability and increasing demand has prompted the need for rain water harvesting as “any resource saved is resource created.” The concepts are simple: conserving the water where it falls, increasing the contact time and area of contact with soil so as to increase the amount of water that enters the aquifers as the ground water reservoirs forms the most economical means of storage as well as the most dispersed form of supply.

Method -

Rain Water Harvesting Through Bore Well - Rain water harvesting technology is used for collecting & storing rainwater from rooftops to recharge aquifer. It is now most promising alternatives for supplying freshwater in the face of increasing water scarcity & escalating demand.

Artificial recharge to ground water is a process by which the ground water reservoir is augmented at a rate exceeding that under natural conditions of replenishment. The collected water is stored and used for recharge. It is one of the most economic ways of rain water harvesting technique. Looking into the benefits several case studies have been held in different parts of the country[1-4].

PROPOSED BASIC COMPONENTS ARE (See The Figure 2) -

- Precipitation
- Collection of water from roof top
- Purification of water through filter
- Recharge of bore well aquifer by back supplying of water.

This Technology Can Be Useful For The -

- Freshwater augmentation
- Reduce storm water discharges, urban floods and over-loading of sewage treatment plants
- It provides good quality of water and when recharged

*Asst. Professor (Chemistry) Govt. MVM, Bhopal (M.P.) INDIA
**Professor (Civil Engg.) LNCT, Bhopal (M.P.) INDIA

to ground water it reduces salinity and also helps in maintaining balance between the fresh-saline water interfaces.

- To arrest decline in ground water levels.
- The cost of recharge to sub-surface reservoir is lower than surface reservoir.
- The acquifer serves as a distribution system also.
- No land is wasted for storage purpose and no population displacement is involved
- Ground water is not directly exposed to evaporation and pollution
- Storing water under ground is environmental friendly.

Pvc Pipes - In areas where the shallow aquifers have dried up and existing bore wells are tapping deeper aquifer roof top rain water harvesting through existing tubewell can be adopted to recharge the deep aquifers. Rain water pipes at the bottom can be inter-connected through pvc pipes of 10 to 15 cm diameter and water is brought to the filtration tank. Also by-pass arrangement is provided to drain off first shower water.

Filtration Pit - It contains boulder at the bottom, gravels in between, charcoal, coarse sand and finally one layer of gravel at the top of sand for purification of water and remove dust dissolved in water. A mesh should be provided at the top of the pit so that any debris or solid material is prevented from entering into bore well. The top layer of gravel and sand should be cleaned periodically and replaced if required to arrest the flow of finer particles to the recharge pit.

By-pass arrangement is provided before the collection chamber to reject the first showers. (See the figure 1)

Inspection Pit - This pit is provided for inspecting the quality of water being purified and for providing space for any kind of chemical treatment for treating water if the need arises. Besides sampling can be done from time to time to check the quality of water. A typical arrangement of these units is indicated in the enclosed diagram.

Learning From Case Studies - "Roof water harvesting at Goa University started from July 2008."

The following points in this regard can be noted:

1. The capacity of the project is 25000 kilo litres.
2. The roof area of about 400 sq metre is presently tapped at this site and roof water harvested and recharged into ground water regime through bore wells during last years is:
   2008: 260000 litres
   2009: 180000 litres
   2010: 934000 litres till 11.11.10

The RWH has contributed considerably in recharge of the local aquifer resulting in Improved yield and sustainable extraction of ground water. The water is now provided on sustainable basis particularly during summer when the public water supply decreased to less than 50 percent of the supply. As a result since 2007-08 the water supply has not been interrupted or dependent on any alternate source of water supply. In terms of water availability the volume of ground water recharged during 2010 can meet about 78 days of campus water supply.

Economic Benefits - Capital cost incurred for RWH system at site 2 involving rooftop harvesting payback of capital cost is projected to be recovered in next 5-6 years, while taking into account the unit cost of public supply water at the delivery end in Goa.

The RWH system at university has resulted substantial increase in the aquifer yields is confirmed from the well yield tests carried out on two bore wells located in close proximity of the recharge structure during May 2009. Within one year of operation of the first recharge structure wells yields have increased by 13 to 15 percent showing the recovery in the ground water levels. The improved yields also mean less electricity usage for pumping ground water and savings in cost.

A water tanker of 10000 liters capacity costs around Rs 800-1000/-. In economic terms the RWH system has resulted estimated Rs 2.8 million per year saving to university that would otherwise be required to arrange water supply from tankers.

"Roof water harvesting and ground water recharging at MES College, Zuarinagar 2008"

The following points in this regard may be noted:

1. Roof of science building is connected to the sump.
2. Sump capacity is 15, 625 litres.
3. Sump is connected to borewell.
4. Ground water gets recharged owing to this.
5. Approximate water harvested (saved) is 10 lacs 72 liters per year. The facility was activated on 5th July 2008.

Conclusion - The modern water management relies heavily on the cost intensive long distance transfer of water to meet the widening demand-supply including over-exploitation of in situ ground water resources. Looking into the benefits of RWH and considering its socio-economic impact, it is felt that RWH should be adopted whenever it is feasible.

References :-

1. Chachadi, A.G. Rainwater harvesting for Aquifer Storage and Recovery - Case Studies in Goa CSE workshop on Energy and Resource Efficiency in Urban Water management, 27-09-2013 at ICG Goa.
2. Khilare C.J., Pawar S. N., Namdas D.D. and Gaikwad V.P., Rooftop Rain Water Harvesting Potential: A Case Study of Dahivadi College Building and Campus in Man Tahsil of Satara Dist. Proceeding of International Conference SWRDM-2012.
3. Dagwal S.P., Mahadeva R. and Patil Y. Rooftop Rainwater Harvesting a case study *IOSR* Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 3 Ver. VII (May- Jun. 2016), PP 73-76.
4. Yadupathi P. & Raje Urs P., Rainwater harvesting a case study in college campus in Mysore, Hydrology Journal 28, (3-4), Sep-Dec 2005.

FIG - 1

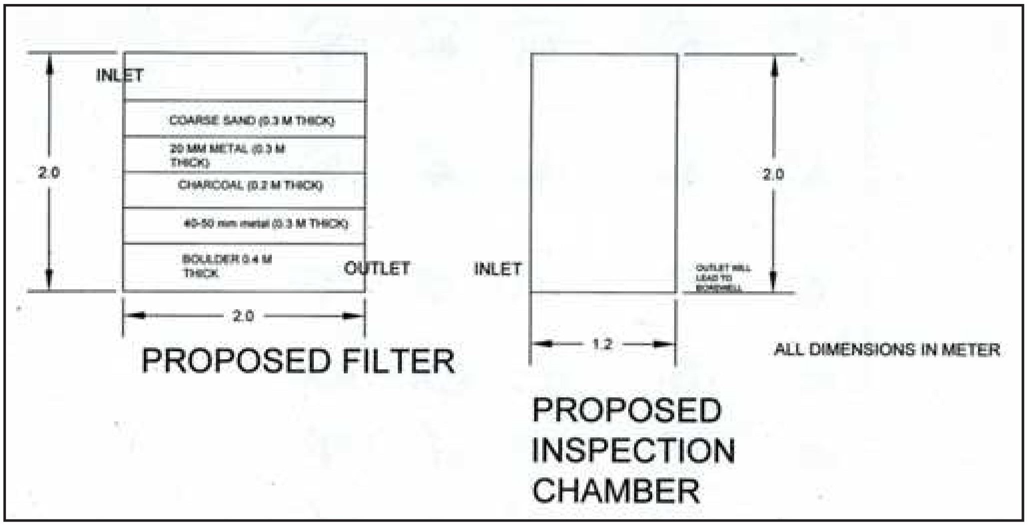
INLET
COARSE SAND (0.3 M THICK)
20 MM METAL (0.3 M THICK)
CHARCOAL (0.2 M THICK)
40-50 mm metal (0.3 M THICK)
BOULDER 0.4 M THICK
OUTLET
2.0
2.0
PROPOSED FILTER
INLET
2.0
1.2
ALL DIMENSIONS IN METER
PROPOSED INSPECTION CHAMBER

FIG - 2

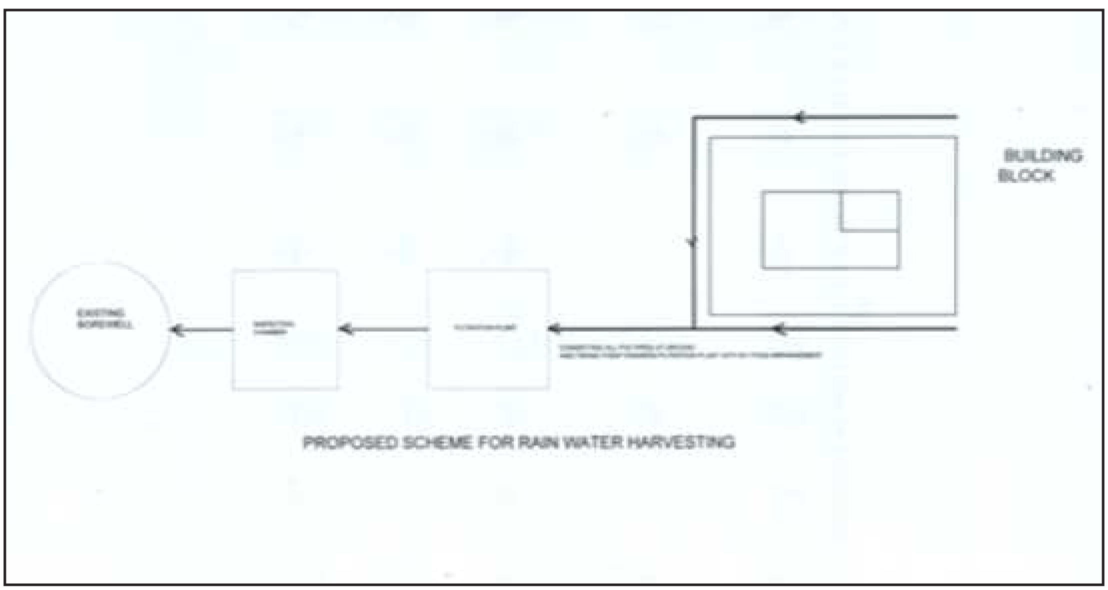
BUILDING BLOCK
PROPOSED SCHEME FOR RAIN WATER HARVESTING

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Herbs Commonly Used In Ayurveda Anticancer Treatment

Dr. Sushama Singh Majhi*

Abstract - Cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the body. Cancerous cells are also called malignant cells. Although cancer can develop in virtually any of the body's tissues, and each type of cancer has its unique features, the basic processes that produce cancer are quite similar in all forms of the disease. Cancer begins when a cell breaks free from the normal restraints on cell division and begins to follow its own agenda for proliferation. All of the cells produced by division of this first, ancestral cell and its progeny also display. A tumor, or mass of cells, formed of these abnormal cells may remain within the tissue in which it originated, or it may begin to invade nearby tissues. An invasive tumor is said to be malignant, and cells shed into the blood or lymph from a malignant tumor are likely to establish new tumors throughout the body. Tumors threaten an individual's life when their growth disrupts the tissues and organs needed for survival. There are over 100 different types of cancer, and each is classified by the type of cell that is initially affected. Most can fit into the following categories according to the National Cancer Institute:
Key Word - Cancer, Cancerous cells, tissues, cell division.

Introduction - Carcinoma- Cancer that begins in the skin or in tissues that line or cover internal organs
Leukemia- Cancer that starts in blood-forming tissue such as the bone marrow and causes large numbers of abnormal blood cells to be produced and enter the blood.
Lymphoma and myeloma-Cancers that begin in the cells of the immune system.
Central nervous system cancers-Cancers that begin in the tissues of the brain and spinal cord.
Men-Prostate, lung, and colorectal.
Women-Breast, colorectal, and lung.
Children-Leukemia, brain tumors, and lymphoma more dangerous, or malignant, tumors form when two things occur:-

- A cancerous cell manages to move throughout the body using the blood or lymph systems, destroying healthy tissue in a process called invasion.
- That cell manages to divide and grow, making new blood vessels to feed itself in a process called angiogenesis. When a tumor successfully spreads to other parts of the body and grows, invading and destroying other healthy tissues, it is said to have metastasized. This process itself is called metastasis, and the result is a serious condition that is very difficult to treat.

Common Signs, Symptoms and Test of Cancer - Cancers can grow almost anywhere in the body but the most common sites are Lungs, colon or rectum, pancreas, prostate, stomach & digestive tract, urinary system, esophagus, lymph glands. Symptoms of cancer may vary but with any one or more of the following symptoms you should seek expert medical advice without delay. Very often the symptoms may be nothing to do with Cancer, but if it is cancer the quicker you are seen by a doctor the better. Cancer symptoms can include-Any lump or swelling in the body. Swelling of one limb.

Discharge or bleeding from the mouth, genitals or anus. Persistent constipation, diarrhea or indigestion that is unusual for you. Difficulty in swallowing or urinating. Sudden and unexplained weight loss. An increase in the size of a mole or wart, or change in color.

Dry cough or soreness in the throat that lasts over three weeks. Like symptoms, the signs of cancer vary based on the type and location of the tumor. Common tests include the following -

1. Biopsy of the tumor
2. Blood tests
3. Bone marrow biopsy
4. Chest x-ray
5. Complete blood count
6. CT scan
7. MRI Scans

Raphanus sativus - Local application of Raphanus sativus powder Paste with the radish ash was considered effective against kaphaja arbuda.
Barleria prionitis - The Barleria prionitisoil prepared with whole plant is indicated for external application during acute stages of cyst in blood vessels.
Prosopis cinerarian - This paste made up of Prosopis cineraria seeds, Raphanus sativa, Moringa oleifera, barley and mustard with sour buttermilk was applied locally for disintegrating cysts.

* Asst. Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Amorphopallus campanulatus - The mature tuber is first burnt and then mixed with butte and jaggery and applied for tumour destruction.

Oxoxylum indicum - The drug Oxoxylum indicum prescrubed in treatment of granthi.

Resells rubra - The plant and leaves are ground with sour buttermilk with salt for preparing a poultice and indicated for arbuda.

Flacourtia romantchi - The paste of Flacourtia romantchi, Cassia fistula, Capparis sepiaria, is recommended for kaphaj a tumors.

Mroinga oleifera - The paste of Moringa oleifera seeds, Solarium anthocarpum, Sindapis dichotoma, Holarrhena antidysenterca and Nerium odorum roots prepared with buttermilk is used for arbudatumours.

Ficus bengalensis - Application of mizture of Ficus bengalensis and Saussurea lappa pacify tumour grouch on bone.

Curuma domestica - The Curcuma domestica powder in combination with Symplocos racemosa , Soymida febrifuge, is mixed with honey and this is used as an external remedy. Catharanthus Roseus- he C.Roseus different parts powder is given orally with Water.

References :-

1. Newman DJ, Cragg GM, Snader KM. The influence of natural products upon drug discovery. Nat Prod Rep. 2000; 17: 215-234. Pub Med DOI: 10.1039/a902202c.
2. Newman DJ, Cragg GM, Snader KM. Natural products as sources of new drugs over the period 1981-2002. J Nat Prod. 2003;66:1022-103 7. PubMed DOI: 10.1021 /np03 00961.
3. Koehn FE, Carter GT. The evolving role of natural products in drug discovery. Nat Rev Drug Discov. 2005;4:206-220. PubMed DOI: 10.1038/nrd1657.
4. Paterson I, Anderson E A. The renaissance of natural products as drug candidates. Science. 2005; 310:451-453. PubMed DOI: 10.1126/science. 1116364.
5. Balunas MJ, Kinghorn AD. Drug discovery from medicinal plants. Life Sci. 2005;78:431-441. PubMed DOI: 10.1016/j.lfs.2005.09.012
6. Jones WP, Chin Y-W, Kinghom AD. The role of pharmacognosy in modern medicine and pharmacy. Curr Drug Targets. 2006; 7:247-264.
7. Drahl C, Cravatt BF, Sorensen EJ. Protein-reactive natural products. Angew Chem Int Ed Engl. 2005;44:5788-5809. PubMed DOI: 10.1002/ anie.200500900
8. Grifo F, Newman D, Fairfield A, Bhattacharya B, Grupenhoff J. The origins of prescription drugs. In: Grifo F, Rosenthal J, eds. Biodiversity and Human Health. Washington, DC: Island Press; 1997:131-163.
9. Butler MS. The role of natural product chemistry in drug discovery. J Nat Prod. 2004; 67:21412153. PubMed DOI: 10. 102 1 /np040106y
10. Thayer A. Bristol-Myers to settle suits. Chem Eng News. 2003; 81:6.
11. Oberlies NH, Kroll DJ. Camptothecin and taxol: historic achievements in natural products research. J Nat Prod. 2004;67:129-135. PubMed DOI: 10. 102 1 /np03 0498t

****

Skill Development In Rural Women Through Tie And Dye

Dr. Nidhi Vats*

Abstract - Tie and dye is one of the textiles decorating technique. This technique is cheaper than other textile techniques. Thus an attempt was made to train rural women in tie and dye technique, so that they develop their skill and earn money for improving their economic status and to be independent at their own level. Training was imparted to 20 rural women of Kurukshetra district on tie and dye techniques. The existing knowledge level of respondents regarding tie and dye technique was judged by pre and post training evaluation. Results highlighted that training was very effective as there was significant gain in the knowledge of the women. Hence, it can be concluded that this training provides opportunities for improving the economic status of the rural women. If they adopt skill based activities they can earn money through new skill and entrepreneurial behavior.

Keywords- Women, Skill, Training, Tie and Dye, Technique, Entrepreneurial Behavior.

Introduction - Skill development is keys to improving ruralproductivity, employability and income makingopportunity. Vengatesan and Santha(2006) found that Training is an important mechanismfor transfer of technology and for improving the humanresources at all levels. Activity-based skilltraining washighly useful. Skill oriented training for womenincreases education level, improves general awareness and increases economic independence for women inthe family. The desire tocreate, the urge to make something beautiful, the needto make something useful are some of the basic traits which stimulates an individual in the direction of development.(Harriet, 1961).Agarwal (2000) described that training of ruralwomen was important so as to increase theirinvolvement in development process, enhance theirskill and make them equal partners in nationaldevelopment. The main objectives of training for ruralwomen should be to provide better skills andenhance their competence. So with skill development the women can be prepared toface new challenges due to technologicaldevelopments.

Objective- The objective of this study is toassess the impact of training programme on theknowledge and skill of rural womenabout tie and dye.

Methodology -

Selection of respondent - For this study a group of 20 rural women (Sunderpur, Umri) of Kurukshetra district was selected.

Tools and procedures of data collection - For collecting data an interview schedulebased on objective of the study was prepared. Theinformation from the respondents was collectedpersonally.

Imparting training - For skill upgradation of rural women one weektraining programme was conducted on tie and dye skillfor selected group of women. During the training tie and dye sample were demonstrate using visual aids like chart, blackboard, and tie and dye product weredeveloped by the rural women.

Knowledge acquisition regarding tie and dye techniques - The existing knowledge level of respondent sregarding tie and dye techniques were judged using pre and post training evaluation. Pre andpost score were obtained and gain in knowledge wascalculated.

Analysis of data and application of statistical tool - The collected data were coded, tabulated andanalyzed using frequency; percentage and paired t-testto draw a meaningful interference.

Research findings and discussion- A significant development was noted in allparameters of training impacted to the respondent's means. The reason was that women educationlevel was good with high assimilative power; they were highlymotivated and eager to learn sothat they could utilize this training skill further for the betterlivelihood.

Effect of skill training - Training Parameters

Table 1 (See in the next page)

It was observed that before imparting the training the women had less knowledge regarding selection of fabric. After training they became well aware about the selection of fabric. 70% of the respondents used cotton fabric for learning while 15% each used silk and blend.

Table 2 (See in the next page)

Table 2 revealed that there was some technical knowledge regarding tying techniques. 80% of the respondents were aware of knotting only. After Skill development 30% used knotting and Folds & Tying technique. While 25% used marbling and 15% used object tying.

***Asst. Professor (Home Science) Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana) INDIA**

Table 3 (See)

After providing information regarding color schemes, the respondents used colors accordingly. 35% used primary color scheme, 40% used contrast color scheme and 25% used monochromatic color scheme in their articles.

Table 4 (See in the next page)

Table shows that there is significant gain in knowledge after skill development training. Training played a vital role in upgrading their knowledge.

Table 5 (See in the next page)

After training of tie and dye 30 per cent respondents would utilize the skill to earn money, 15 per cent wouldset up their entrepreneurial unit, 15 per cent who revealedthat they learnt for their own interest, 20 per cent were willing toimplement their knowledge for household purpose, while 20 percent desired to just upgrade their skills. Thus, it can be concluded that majority of the respondentswere using this skill to earn money to improve their economic status.

Conclusion - It is thus, concluded that training in the tie and dyetechnique was found to be very effective as there wassignificant gain in knowledge on various aspects of tieand dye technique. This training introduced women to their own artistic and creative side like never before, made them self-confident and most importantly, prepared them to earn money. Hence, it can be concluded that skill development training is anopportunity for rural women to upgrade their skills for improving economic status. If they adopt skillbased activities they earn money through their entrepreneurialbehavior.

References :-

1. Agarwal, D. (2000). Capacity building for rural women. *Social Welfare*, 47 (4): 7-9.
2. Harriet, Tidball (1961). *The Weaver's Book*. The Macmillan Company, NEWYORK, U.S.A.
3. Sandhya, M. and Intodiya, S.L. (1999). Women empowerment for suitable agricultural development. *Indian Extn. Edu.*35 (1&2): 114-118.
4. Sharada, O., Shivomurty, M. and Suresha, S.V. (2002). Problems and suggestions of rural women in self help
5. Groups,current research. University of Agricultural sciences(Bangalore). 31 (7-8): 116-119.
6. Sharma, M., Rose, N.M., Singh, S. and Khambra, K. (2011). Skill development in rural women through stencil printing.*Asian J. Home Sci.,* 6 (1): 50-53.
7. Vengatesan, D. and Santha, Govind (2006). A study on theusefulness of activity based skill training as perceived by women SHGs members. *Crop Res. (Hisar)*, 31 (3): 483-484.
8. Yadav, N., Sharma, P. and Singh, S.S. Jeet (2006). Acceptability of moderndurries designing techniques for Income generation. *J. Human Ecol.*, 19 (3): 221-225.
9. Verma, Meenu and Deodiya, Sangita (2015). Skill development in SHG
10. Women through tie and dye. *Asian J. Home Sci.,* 10 (1): 98-101.*Human Ecol.*, 19 (3): 221-22

Table 1

I. Selection of Fabric

Sr. No.	Fabric	Pre Evaluation	Percentage	Post Evaluation	Percentage
A	Cotton	9	45	14	70
B	Silk	1	5	3	15
C	Blend	10	50	3	15

Table 2

II. Techniques of Tying

Sr. No.	Technique	Pre Evaluation	**Percentage**	Post Evaluation	**Percentage**
A	Knotting	16	**80**	6	**30**
B	Folds & Tying	3	**15**	6	**30**
C	Marbling	**-**	-	5	**25**
D	Tying of some object	1	5	3	**15**

Table 3

I. Color Scheme

Sr. No.	Color Scheme	Pre Evaluation	**Percentage**	Post Evaluation	**Percentage**
A	Primary	**-**	**-**	7	**35**
B	Contrast	18	**90**	8	**40**
C	Monochromatic	2	**10**	5	**25**

Table 4

I. Skill Upgradation

Sr. No.	Parameters	Pre Evaluation	Post Evaluation	Gain in knowledge	Paired t-test
A	Basic Knowledge	43.13 ± 24.52	85.28 ± 22.82	42.15 ± 31.62	12.06
B	Layout of Design	37.5 ± 22.94	59.72 ± 35.88	22.28 ± 39.72	11.78
C	Preparation of Dye Bath	46.28 ± 23.62	78.14 ± 11.82	31.86 ± 14.60	11.96
D	Untying	30.90 ± 23.59	59.25 ± 12.72	28.35 ± 12.99	17.98
E	Finishing	42.57 ± 10.54	68.36 ± 13.42	25.79 ± 15.32	18.78

Number of respondents= 20
Values are Mean ± S.D.
Values are significant at 1% level

Table 5

II. Implementation of Gained Knowledge And Skill By Respondents

Sr. No.	Characteristics	Frequency	**Percentage**
1.	To earn money	6	**30**
2.	For entrepreneurship	3	**15**
3.	For own interest	3	**15**
4.	For household purpose	4	**20**
5.	To upgrade skill	4	**20**

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार के साथ समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. शैल बंसल * रेखा जामोद **

शोध सारांश – सार–पूर्व किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन की संक्रमणकालीन अवस्था है, किशोरावस्था बालक के जीवन का वह समय हैं, जिसका जन्म बाल्यावस्था के अन्त में होता हैं। आधुनिक समय में समायोजन संबधी कठिनाईयॉ बढ़ती जा रही हैं, किशोर स्वंय को घर, परिवार, स्कूल, समुदाय, सहपाठियों के साथ में समायोजित नहीं कर पाते हैं। वह नई मांगों को पूरा करने में स्वंय को असमर्थ पता हैं, वर्तमान में किशोरों का जीवन अत्यधिक अस्पष्ट तथा उलझन भरा हैं। आजकल संचार क्रांति के परिणामस्वरूप उसे अपने–आस पास के वातावरण की समस्त जानकारी आसानी से उपलब्ध हैं, उनका ध्यान बटांने के लिए दूरदर्शन, मोबाईल तथा कम्प्यूटर आदि उसे उपलब्ध हैं। इस कारण वह अपने परिवार, समुदाय एवं साथियों से दूर होता जा रहा हैं। अभिभावक रोजगारयुक्त होने के कारण किशोरों को समय नहीं दे पाते हैं तथा संयुक्त परिवार टूट कर एकाकी परिवार बनते जा रहे हैं। इससे किशोरों को अपने दादा–दादी या नाना–नानी व संयुक्त परिवार का मार्गदर्शन, स्नेह एवं सहयोग नहीं मिल पा रहा हैं। उनका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पा रहा तथा उनका समायोजन भी प्रभावित हो रहा हैं। इन्ही कारणों से प्रस्तुत विषय को शोध के लिए चुना गया। इस अध्ययन हेतू इन्दौर के शासकीय स्कूलों से पूर्व किशोरावस्था के 100 किशोर एवं 100 किशोरियों का चयन दैव निर्दशन विधि द्धारा किया गया। तथ्य संकलन के लिए डॉ.डी श्री वास्तव एवं गोविंद तिवारी (1985) द्धारा निर्मित समायोजन परीक्षण का उपयोग किया गया था। सांख्यिकिय विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण की सहायता से किए गए अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि पूर्व किशोरावस्था के किशोरों की अपेक्षा किशोरियों का परिवार में समायोजन अच्छा पाया गया था।

प्रस्तावना – किसी भी व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है किशोरावस्था में प्रत्येक किशोर एवं किशोरियाँ स्वंय को वयस्क समझने की भूल के कारण अपने परिवार के साथ उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं। किशोरावस्था यौवनाराम्भ से परिपक्वता तक वृद्धि एंव विकास का काल है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु इस के इस काल से शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते है।

किशोरों में समुदाय का प्रभाव से उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक व्यवहार के अनुरूप उसकी सामाजिक क्रिया द्धारा ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। किशोर अपने आयु वर्ग के सदस्यों के साथ किस प्रकार का सबंध या सामाजिक व्यवहार रखता हैं। उसका उसके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह सामाजिक क्रिया को सीख लेता है, जिससे परिवार, आस पड़ोस या विद्यालय में समायोजन कर सकता हैं।

किशोरावस्था तीव्र शारीरिक भावनात्मक और व्यवहार संबधी परिवर्तनों का काल है। यह परिवर्तन शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ हार्मोन्स के कारण आते है, जिनके परिणाम स्वरूप कुछ ग्रंथिया एकाएक संक्रिय हो जाती है। ये सब परिवर्तन यौन विकास के साथ सीधे जुड़े हुए है क्योंकि अवधि में गौण यौन लक्षणों के साथ–साथ बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते है किशोर बात–बात में अपनी अलग पहचान का आग्रह करते है। वह एक बच्चे की तरह माता–पिता पर निर्भर रहने की अपेक्षा एक प्रौंढ़ की तरह स्वतंत्र रहना चाहते है। वह अपने माता–पिता से दूरी बनाना शुरू कर देते है और अपने समआयु समूह में ही अधिकतर समय व्यतीत करने लगते है वे विपरीत लिंग की और आकर्षित होते है। यह समय किशोरों के जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

पूर्व किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों से किशोर बालक एवं बालिकाएँ सफलतापूर्वक समायोजन कर पा रहे हैं या नहीं यही जिज्ञासा उक्त खोज का प्रेरक है।

शोध का औचित्य – पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार एवं साथियों के साथ समायोजन सबंधी कठिनाईयॉ अधिक बढ़ती जा रही है किशोर स्वंय को घर परिवार, स्कूल ,समुदाय, हम उम्र साथी समूह के साथ समायोजन करने तथा नई मांगों को पूरा करने में स्वंय को असर्मथ पाता हैं। सामाजिक समायोजन में अपनी उम्र के साथियों का विशेष प्रभाव रहता है। इस अवस्था में किशोर विभिन्न व्यक्तियों के संम्पर्क में आने से उन्हें समायोजन करने में कठिनाईयॉ आती हैं। पूर्व किशोरावस्था में किशोर अपने बाल्यकालीन मित्रों में रूचि लेना कम कर देता हैं। वह वयस्क समुदाय से भी दूरी बनाए रहता है। इस अवस्था के सामाजिक परिर्वतन पर अर्न्तक्रिया का प्रभाव जितना हैं, उतना ही लैंगिक परिपक्वता के कारण होने वाले परिर्वतनों का हैं फलस्वरूप किशोरो में सामाजिक गतिविधियों से संबधित रूचि, लोगो के साथ रहने की इच्छा दूसरों की मदत करना तथा उनके सुख–दुख में सम्मिलित होना, समूह के प्रति निष्ठावान का होना भी उनमें देखा जाता हैं। किशोर द्धारा परिवार में स्वास्थ्य संबध बनाना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य हैं तथा परिवार के साथ–साथ समुदाय एंव साथियों के साथ समायोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद प्रत्येक पूर्व किशोरावस्था के किशोरों का प्रमुख विकासात्मक कार्य हैं।

* सेवानिवृत प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र) भारत
**शोधार्थी (गृह विज्ञान) स्कूल ऑफ सोशल सांइस दे. अ. वि. वि., इन्दौर (म.प्र) भारत

उद्देश्य – पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार के साथ समायोजन के अंक (स्कोर) ज्ञात करना।

उपकल्पना – पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार के साथ समायोजन के अंको (स्कोर) में सार्थक अंतर होगा।

शोध विधि –

निर्दशन का चुनाव – इस शोध कार्य हेतु इन्दौर शहर के पूर्व किशोरावस्था के 100 किशोर एवं 100 किशोरियों का चयन दैव निर्दशन पद्धति के अनुसार किया गया। इसके लिए संपूर्ण शहर को चार भागों में बांटा तथा प्रत्येक भाग में से 13–17 वर्ष की आयु के 25 किशोर एवं 25 किशोरियों का चयन किया। इस प्रकार कुल 100 किशोर एवं 100 किशोरियों से डॉ. डी. एन. श्रीवास्तव एवं डॉ.गोविंद तिवारी द्धारा विकसित समायोजन परीक्षण उपकरण को भरवा कर तथ्य एकत्रित किए गए।

परिणाम, विश्लेषण तथा विवेचन– प्रस्तुत शोध का उद्धेष्य पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोज के अंको में सार्थक अंतर ज्ञात करना था। जिसे ज्ञात करने हेतु प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण टी–परिक्षण की सहायता से किया गया। इसके परिणाम तालिका क्रमांक 1 में दिए गए है।

तालिका क्रमांक 1**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका क्रमाकं 1 से स्पष्ट हैं की पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन के अंको की तुलना की गई हैं – किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन का बहुत अच्छा श्रेणी में समायोजन में किशोरों का मध्यमान 1 एवं किशोरियों का मध्यमान 1.88 है तथा इनका टी मुल्य 0.4 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: स्पष्ट होता हैं कि बहुत अच्छा समायोजन में किशोर एवं किशोरियों का समायोजन स्तर के अंको में सार्थक भिन्नता नहीं हैं।

किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन का अच्छा समायोजन में किशोरों का मध्यमान 1.83 एवं किशोरियों का मध्यमान 2.5 है और टी मुल्य 5.12 है जो की 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। परिवार में अच्छा समायोजन में किशोरों की अपेक्षा किशोरियों का समायोजन स्तर उच्च हैं। किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन के अंको की सामान्य श्रेणी में किशोरों का मध्यमान 2.27 एवं किशोरियों का मध्यमान 4.5 है तथा टी मुल्य 3.84 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक हैं ।परिवार में सामान्य समायोजन में किशोरियों की अपेक्षा किशोरों का सामान्य समायोजन का स्तर निम्न हैं जो यह दर्शाता हैं कि किशोरियों का परिवार में समायोजन किशोरों की अपेक्षा अच्छा हैं।

किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन के अंको का असंतोषजनक समायोजन श्रेणी में किशोरों का मध्यमान 7.33 एवं किशोरियों का मध्यमान 6.66 हैं और टी मुल्य 2.83 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक हैं जिससे ज्ञात होता हैं कि पारिवारिक समायोजन में किशोरों का समायोजन अधिक असंतोषजनक हैं।

किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन का बहुम असंतोषजनक समायोजन श्रेणी में किशोरों का मध्यमान 9.25 एवं किशोरियों का मध्यमान 9.91 हैं और टी मुल्य 1.37 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक हैं। परिवार में असंतोषजनक समायोजन में किशोरियों की अपेक्षा किशोरों का बहुत असंतोषजनक समायोजन का स्तर उच्च है।

उक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोरों की अपेक्षा किशोरियों परिवार में समायोजन अच्छे से कर पा रही है। इसका कारण यह है कि किशोरियों का परिवार में अधिक लगाव रहता है एवं रोक टोक होने के कारण कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप के कारण, मां के संपर्क में रहती हैं। इस कारण किशोरियॉ समायोजन कर लेती हैं।

ग्राफ–1**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

A + = बहुत अच्छा समायोजन

A = अच्छा समायोजन

B = सामान्य समायोजन

C = असंतोषजनक समायोजन

-C = बहुत असंतोषजनक समायोजन

सुझाव –

1. भविष्य में समायोजन के लिए किशोर एवं किशोरियों को स्कूलों में प्रशिक्षण देना चाहिए।
2. किशोर एवं किशोरियों को अपनी योग्यता, क्षमता, रूचि, ज्ञान आदि का उपयोग कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी देना चाहिए।
4. पूर्व किशोरावस्था में अनेक समस्याएँ आती है। उन्हें उम्र के अनुसार सुझाव देते रहना चाहिए जिससे कि वह भावी जीवन के लिए स्वंय को तैयार कर समायोजन करना सिख जाए।
5. किशोर एवं किशोरियों के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण अच्छा होना चाहिए।
6. किशोर एवं किशोरियों के कार्य में अभिभावकों कों बार–बार रोक टोक नहीं करना चाहिए।
9. किशोर एवं किशोरियों कों अपने साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान माता–पिता व शिक्षकों के द्धारा दिया जाना चाहिए।
10. किशोर एवं किशोरियों को परिवार, समुदाय में घुलने मिलने का अवसर दें व विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि उचित पारिवारिक वातावरण में रहने वाले किशोरों का सामाजिक विकास अनुचित वातावरण में रहने वाले किशोरों में सामाजिक विकास की अपेक्षा सुचारू से होता हैं तथा एंकाकी जीवन व्यतीत करने वाले किशोरों का समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा भिन्न होता हैं। पूर्व किशोरावस्था13–17 वर्ष की आयु समूह के किशोर एवं किशोरियों का परिवार के साथ समायोजन में किशोरों की अपेक्षा किशोरियों का समायोजन स्तर उच्च पाया गया ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बर्मन श्रीमती गायत्री एवं जैन शशिप्रभा– किशोरावस्था विवाह एवं परिवार, सन् 2003, प्रकाशक–शिवा प्रकाशन इन्दौर।
2. डॉ. पोथन के.पी.–परिवार एवं समाज सन् 1977, प्रकाशक–कमल प्रकाशन इन्दौर।
3. प्रसाद श्रीमती ज्योति–मानव विकास सन् 1987, प्रकाशक–अरूण प्रकाशन ग्वालियर।
4. डॉ.डी.एन.श्रीवास्तव एण्ड गोविंद तिवारी(1986)– समायोजन परिक्षण।
5. www.homesciencejournal.com.

तालिका क्रमांक 1

पूर्व किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों का परिवार में समायोजन के अंको का टी–मूल्य

क्र.	विवरण	किशोर		किशोरियां		मानक त्रुटि	टी–मूल्य	परिकल्पना	सार्थकता का स्तर
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन				
1.	बहुत अच्छा समायोजन	1	1.00	1.88	0.94	0.19	0.4	असार्थक	
2.	अच्छा समायोजन	1.88	1.35	2.5	1.58	2.56	5.12	सार्थक	0.05
3.	सामान्य समायोजन	2.27	1.78	4.5	2.17	0.76	3.84	सार्थक	0.05
4.	असंतोषजनक समायोजन	7.33	2.66	6.66	2.58	0.94	2.83	सार्थक	0.05
5.	बहुत असंतोषजनक समायोजन	9.95	2.91	9.5	3.08	0.68	1.37	असार्थक	

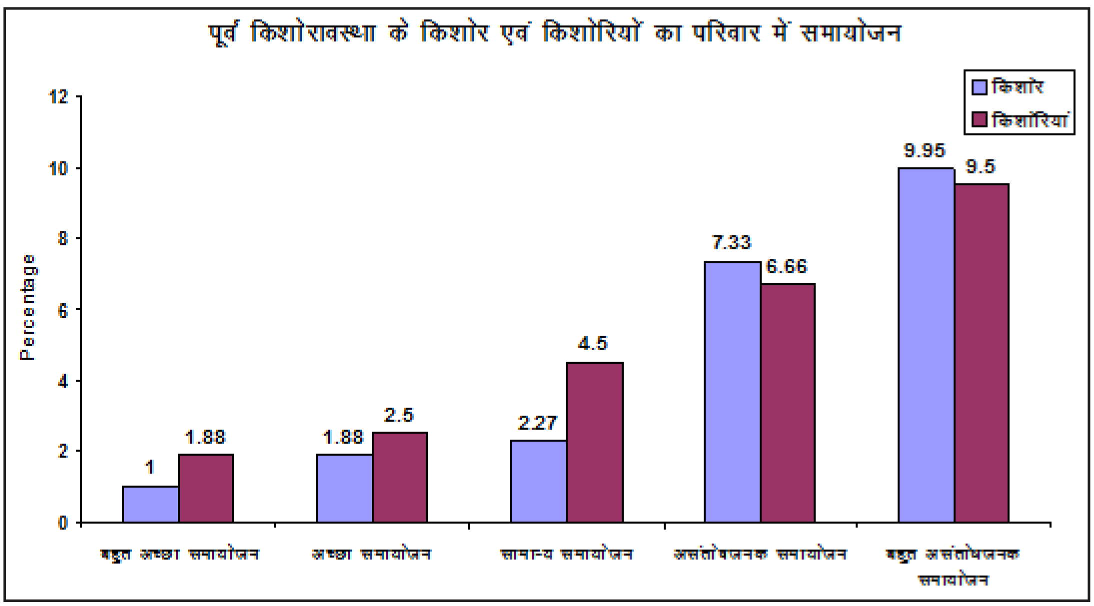

****

ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार में वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत का अध्ययन (इंदौर शहर के युवाओं के संदर्भ में)

डॉ. नंदिनी रेखड़े * आहुति दुबे**

शोध सारांश – अध्ययन से यह स्पष्ट होता है की ऑनलाइन बाजार से खरीददारी करने पर समय की बचत होती है, जबकि स्थानीय खुदरा बाजार में समय व्यर्थ होता है अत: स्थानीय खुदरा बाजार की तुलना में ऑनलाइन बाजार में कम समय लगता है , स्थानीय खुदरा बाजार में जाने आने , ट्रैफिक जैम , स्क्वैर सिग्नल , वाहनों की पार्किंग तथा विक्रेता का अन्य उपभोक्ता के साथ व्यस्त होने के कारण समय अधिक लगता है।

शब्द कुंजी – खुदरा बाजार , ऑनलाइन बाजार , उपभोक्ता।

प्रस्तावना – वस्त्र की खरीददारी को प्रभावित करने वाले कारको में से समय एक मुख्य कारक है , क्योंकि उपभोक्ता द्वारा वस्त्रों को खरीदते समय वर्तमान फैशन शैली, गुणवत्ता , आत्मसंतुष्टि , आर्थिक बजट आदि को ध्यान में रखते हुए खरीददारी की जाती है। जिससे समय की अत्यधिक आवश्यकता होती है और वर्तमान की भागदौड़ वाली तेज रफ्तार दिनचर्या में समय का आभाव होना एक आम बात है , स्थानीय खुदरा बाजार से वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाने हेतु उपभोक्ता को ट्रैफिक जाम, वाहन का खर्च, पार्किंग की असुविधा का सामना करना होता है। ऑनलाइन बाजार ने खुदरा बाजार की पारम्परिक प्रकति के लिए एक नया आयाम प्रस्तुत किया है , इन सब असुविधा के कारण ऑनलाइन बाजार को उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसंद किया गया। जिसमें की विक्रेता इंटरनेट के द्वारा उत्पादों को बाजार में प्रदर्शित करता है और उपभोक्ता घर बैठे ही खरीददारी कर सकता है, ऑनलाइन बाजार उपभोक्ताओं के लिए 24x7 उपलब्ध होता है। ऑनलाइन बाजार पर उपभोक्ता को लुभाने के लिए कई योजनाये प्रस्तुत की जाती है, जो की उपभोक्ता द्वारा पसंद की जा रही है, ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है, क्योकि आज के युवा वर्ग (युवक- युवतिया)द्वारा नई तकनीक को अपनाया गया है, किन्तु उपभोक्ता का एक बहुत बड़ा भाग खुदरा बाजार से खरीदी करना पसंद करते है ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ता को वस्त्र खरीदने के पश्चात् उत्पाद के घर आने तक की प्रतीक्षा करनी होती है, जिसमें 2 से 7 दिन तक का समय लगता है , किन्तु खुदरा बाजार से उपभोक्ता उसी समय उत्पाद खरीद कर उपयोग कर सकता है, दोनों ही बाजार अपने अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान कर रहे है। ऑनलाइन बाजार तथा स्थानीय खुदरा बाजार ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु नए नए प्रकार की योजनायों तथा रणनीतियों का प्रयोग करने लगे है, जिससे ग्राहक को लाभ पहुंचाया जा सके।

ए. साई विश्वगणा अक्टूबर-दिसंबर, 2014,ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा समय की बचत होती है, जो पारंपरिक रूप से बहुत आवश्यक है पारंपरिक शॉपिंग में समय अधिक लगता है और कई बार अधिक समय देने के बाद भी उपभोक्ता उत्पाद खरीद नहीं पता है। ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ता बिना यात्रा किये आवश्यक उत्पाद खरीद सकता है, जिसे उपभोक्ता मन पसंद उत्पाद खरीदने के साथ समय की बचत भी कर सकता है।

हैनसेन और जेन्सेन (2009) के अनुसार खरीददारी को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारको में समय को भी एक मुख्य कारक के रूप में माना गया है उपभोक्ताओं की समय को ले कर अलग अलग धारणा है,कम से कम समय में खरीददारी को पूरा करना ,समय-बचत वाले उपभोक्ताओं को संदर्भित करता है। ऐसे उपभोक्ता कम समय में अपनी इच्छानुसार उत्पाद को खरीदना पसंद करते है , समय बचत जैसी सुविधा के कारण कई उपभोक्ता ऑनलाइन खरीददारी को पसंद करते है।

जियांग और रासेनब्लूम (2005) के अनुसार वे उपभोक्ता जो खरीददारी में अपना समय बचाना चाहते है, वो ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा कम समय में खरीददारी के बेहतर निर्णय ले सकते है, और ऑनलाइन शॉपिंग में अपने समय की बचत कर सकते हैं क्योंकि किसी मॉल की यात्रा करने , ट्रैफिक जाम, या पार्किंग की असुविधा जैसे कारको के कारण समय व्यर्थ होता है। ऑनलाइन शॉपिंग मूल्य से जुडी लागत को बढ़ती है किन्तु वही समय बचत जैसे कारको को नष्ट होने से बचती है।

उद्देश्य – युवक तथा युवतियों दवारा ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार में वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं – युवक तथा युवतियों दवारा ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार में वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत में अंतर होगा।

शोध विधि – इस अध्ययन के लिए ऑनलाइन शॉपिंग तथा स्थानीय खुदरा बाजार को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में समय का चयन अध्ययन के लिए किया गया, तपश्चात शोध उद्देश्य का निर्माण कर परिकल्पना बनाई गई, और शोध के परिणाम के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया

क्षेत्र एवं सीमाएं – अध्ययन क्षेत्र के लिए इंदौर शहर के युवाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन प्रणाली से किया गया है।

अध्ययन का समग्र – प्रस्तुत अध्ययन के लिए इंदौर शहर के 400 इकाइयों का चयन किया गया है, जिसमें की 200 युवक तथा 200

* प्राध्यापक (बाल विकास) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृह विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

युवतियाँ है।

उपकरण एवं तकनीक – शोध पत्र के अध्ययन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण– काई स्क्वायर टेस्ट लगाया गया।

परिणाम – किए गए अध्ययन से प्राप्त परिणाम से सिद्ध होता है। 'युवाओं द्वारा ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार में वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत में अंतर होगा'। अध्ययन के द्वारा पाया गया है की स्थानीय खुदरा बाजार की अपेक्षा ऑनलाइन बाजार से वस्त्र खरीदी में समय की बचत अधिक होती है। यह परिकल्पना सिद्ध होती है,।

तालिक क्र, 1.1(देखे)

तालिक क्र, 1 .1 से स्पष्ट होता है की ऑनलाइन खरीददारी में समय की बचत होती है ,62.25% (249) युवक तथा युवतियों ने ऑनलाइन खरीददारी को स्वीकारा किया है की ऑनलाइन खरीददारी में समय की बचत होती है जबकि 9.5% (38) ने ऑनलाइन खरीददारी में समय की बचत को स्वीकार नहीं किया है, 21.75% (87) युवक युवतियों का मानना है की ऑनलाइन खरीददारी में कभी कभी ही समय की बचत होती है। 6.5% (26) युवक युवतिया ऑनलाइन खरीददारी में समय की बचत को नहीं मानती है।

काई स्क्वार का गणितीय मूल्य 66.691 तथा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, तालिका मूल्य 16.919 है जो की तालिका मूल्य से <0.05 सार्थकता स्तर पर सिद्ध होता है, 'युवक तथा युवतियों दवारा ऑनलाइन खरीददारी तथा स्थानीय खुदरा बाजार मे वस्त्र खरीदी के मध्य समय बचत में अंतर होगा' अत: हमारी परिकल्पना सिद्ध होती हैं।

संदर्भ ग्रं थ सूची :–

1. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज ऑनलाइन शॉपिंग व्यवहार को समझना रेणुका शर्मा, डीआर किरण मेहता, संबद्ध प्रोफेसर, चितकरा बिजनेस स्कूल एमबीए छात्र, चिटकरा बिजनेस स्कूल।
2. सएसएनरू 2230– 9 519 (ऑनलाइन) आईएसएसएनरू 2231– 2463 (प्रिंट) आईजेएमबीएस वॉल्यूम 4, अंक 3, स्प्ल – 1 जुलाई – सितंबर 2014
3. कोठरी, सी .आर .रिसर्च मेथोडोलॉजी, विश्वास प्रकाशन,नई दिल्ली।

तालिक क्र, 1.1ऑनलाइन तथा खुदरा बाजार से वस्त्र खरीदी के समय बचत का अध्ययन

शीर्षक	उत्तर	आवृति	प्रतिशत:	काई स्क्वायर	परिणाम
वस्त्रों की खुदरा बाजार की अपेक्षा ऑनलाइन बाजार पर समय की बचत होती है	हॉ	249	62.25%	66.691	प्राकल्पना सार्थक है
	नहीं	38	9.5%		
	कभी कभी	87	21.75 %		
	कभी नहीं	26	6.5%		
	योग	400	100%		

ऑनलाइन खरीददारी में समय की बचत

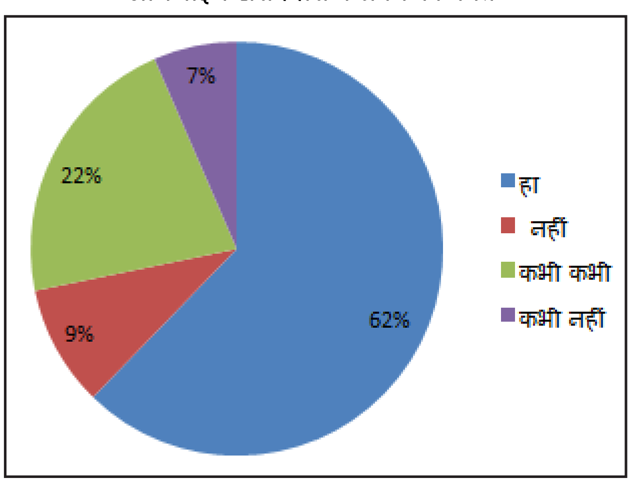

****

Agriculture Scenario In Madhya Prdesh - The Study Of Government Efforts

Dr. Anoop Kumar Vyas* Urvashi Verma**

Abstract - The agriculture sector contributes around 46% to the state's economy. Madhya Pradesh is rich in resources to fascinate investors to do investment in the state. The Government of Madhya Pradesh has taken the pledge to make agriculture profitable. A number of concrete efforts have been made by our Government for agriculture development in the state. Through this paper I have elaborated the efforts of government of Madhya Pradesh towards the growth of agriculture in the state.
Key Words - Agriculture, Madhya Pradesh, Government.

Introduction - Madhya Pradesh is rich in resources to fascinate investors to do investment in the state. In Madhya Pradesh investors have better options in terms of project location, infrastructure, incentives and other facilities. Industry in Madhya Pradesh is largely based on natural resources. The economy of Madhya Pradesh is based in agriculture, forest products, mineral resources and cottage industry sectors. The agriculture sector contributes around 46% to the Madhya Pradesh state economy. More than 80% people of the state depend for their livelihood on agriculture. In Madhya Pradesh various kinds of crops are grown like rice, pulses, wheat, oilseeds, grams, soybean and maize. In India, 20% to the total production of pulses contributes by Madhya Pradesh. This sector has given major boost to the economy in Madhya Pradesh.

Today agriculture is no more a simple means of livelihood anymore, but has become a task full of challenge and risk. A survey by the National Sample Survey Organisation on the indebtedness of farmers shows that of the 64 lacs farmers in Madhya Pradesh 32 lacs are in debt. On an average each farmer in M.P. is under a debt of Rs.14,128. And because of the bank formalities and the inhuman recovery processes his trust in the government's financial institutions has gone down. It is worth noting that even today 40 % of the loans in this 'agricultural state' are taken by farmers from non-governmental sources.

Objectives -

1. To know about the present status of agriculture in Madhya Pradesh.
2. To know about the government efforts towards the development of agriculture.

Research Methodology - The present study is a descriptive in nature which is based on secondary data. In this study I have referred some websites and articles.

Status Of Agriculture Industry In Madhya Pradesh - Over a 10 year period, the economy of Madhya Pradesh (at constant prices) grew at an average rate of 7.10% in 2005-10 and 7.31% in 2010-15. Over 2005-15, the two sectors saw a decline, whereas agriculture witnessed an increase in growth rate.

- Growth rate in manufacturing decreased from 9.5% 2005-10 to 2.9% in 2010-15.
- The services sector growth also decreased from 7.6% to 6.3% during the decade.
- In the meanwhile, agriculture growth increased from 3.6 % in 2005-10 to 13.9% in 2010-15.

Out of GSDP of Madhya Pradesh 42% was contributed by the services sector, 21% by manufacturing and 37% by agriculture. The agriculture sector employed 62% of the state's population followed by the service (33%) and manufacturing (5%) sectors.

Madhya Pradesh has posted a highest growth rate of 13.33% in 2013, in India. The area under agriculture has also increased over the years, and amounts to 223 lakhs hectare approximately, which is showing an increase of about 27 lakhs hectare over past the past five years.

Efforts Of Madhya Pradesh Government - Government has constituted Agriculture Cabinet for taking prompt decisions in the interest of farmers. It takes decisions on issues related to the Agriculture and allied sectors. The total agriculture production in Madhya Pradesh was 142.45 lakhs metric tonnes in year 2002-03, which has been increased to 254.86 lakhs metric tonnes in year 2010-13. Thus, about 80 percent increase in crop production has been achieved. Production and productivity of wheat, paddy, soybean, gram, mustard etc. has specially increased in the Madhya Pradesh. Over 85 lakhs metric tonnes of wheat was procured on support price in 2013 in Madhya Pradesh. The state has joined the category of major wheat producing states in the country as a result of increase in wheat

*Professor & H.O.D. (Commerce) S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
** ResearchScholar,S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

production. Unprecedented increase in total agriculture production of Madhya Pradesh has been possible through a number of efforts put in by Government which are following-

Loans To Farmers - Number of small and marginal farmers is higher in the state. Since these farmers' purchasing power is limited and cost of input is high, their contribution in agriculture development is not upto their full potential. For overcoming this problem, the Government has taken the decision to extend short-term agriculture loans to farmers at zero percent interest rate, which has reduced cost of cultivation. The Government is providing Rs. 100 per quintal bonus to farmers on wheat and paddy in addition to the support price declared by the Union Government so that they get fair price for their produce.

The State Government is making direct transfer of funds to farmers' bank accounts against subsidy and bonus provided to them under various schemes.

Horiculture - Constant increase is also being made in horticulture area. A food processing policy has been formulated in the state to ensure processing of horticulture crops. Horticulture hubs are being established at pioneer places in the state. Cold chains are also being established for safe storage of horticulture crops.

Labourers'role - Labourers' role is very vital in agriculture works. Making constant efforts in this direction, the Government has decided to establish custom hiring centres in each district for providing various agriculture implements on hire to farmers. Subsidy upto Rs. 10 lakhs is being provided with a view to extending this scheme's benefit to farmers as well as young entrepreneurs and agriculture graduates. Remaining amount will be provided to them as bank loan. The State Government has also made arrangements for subsidy on use of various other agriculture implements.

Productuon Of Seeds - Madhya Pradesh has now been established as a pioneer state in production of certified seeds, specially the certified Soyabean seeds, which are being exported from Madhya Pradesh to Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh and Rajasthan. Over five-fold increase in production of certified seeds in the state has been registered in the same decade. Similarly, 2.7 fold increased has also been certified in use of fertilisers.

The Government has launched a scheme for advance storage of fertilisers from 2012 with a view to ensuring timely supply of fertilisers to farmers. Under the scheme, the Government has made provision to reimburse expenditure and loan on advance storage by MARKFED and cooperative societies.

Organic Farming - The Government has implemented a separate organic farming policy in the state. Special attention is being paid to the tribal areas where organic farming has been in practice naturally. The Government has constituted an independent institution for certification of organic products, which has been recognized by the Union Government. For encouraging organic certification, the State Government is providing upto 50 percent subsidy on certification fee to farmers. The State Government is making constant efforts for collecting certified agriculture data to use the information in preparing development schemes. Feeder separation project has been launched to provide uninterrupted power to farmers.

Financial Assisstance - Subsidy is being provided to farmers for taking permanent electricity pump connection. A scheme has also been introduced for farmers to install their own transformers. Facility to clear electricity bill twice a year has been provided to farmers having temporary connections. Besides, free power is being supplied for upto 5 horsepower pumps to SC, ST farmers possessing upto one hectare land. The Government has increased quantum of financial assistance for all farmers on being affected by natural calamities. While increasing relief amount on loss to agriculture and horticulture crops, arrangements for providing relief on loss of betel leaf enclosures and water nut crops have also been made. Besides, decision has also been taken to extend financial assistance on failure of crop flowering and loss to crops due to insects or wild animals.

Narmada-Kshipra Link Project - Narmada is a lifeline of Madhya Pradesh. The Government has resolved to ensure state's development by constructing various dams over Narmada for optimum use of its water. Narmada-Kshipra Link Project has been taken up in the first phase of linking other rivers with Narmada. This will provide adequate drinking and irrigation water in Malwa region. A proposal is being examined to extend this programme to other areas of the state also in future.

State's financial resources will not be adequate in giving concrete shape to highly ambitious schemes like Narmada-Kshipra Link Project. Therefore, the State Government has demanded to Union Government to provide adequate financial resources for accomplishing these works.

Storage Of Agriculture Inputs - The State Government has launched a special campaign for storage of agriculture inputs and infrastructure development. Under Bundelkhand Package, godowns-cum-marketing centres are being established at 67 places. Besides, godowns are being constructed by cooperative societies at 27 places. A decision has been taken to develop godowns-cum-farmers facilitation centres at cooperative societies.

Testing Labs - Quality of agriculture inputs is our special priority. Seed and fertiliser testing labs are being established at each development block of the state for making more effective efforts for quality control.

Micro Irrigation Mission - State Micro Irrigation Mission has been launched to ensure better use of irrigation water in the state. Its objective is to prevent misuse of irrigation water by motivating farmers to adopt modern methods of irrigation like drip, sprinkler and rain gun. A special campaign has been launched in the command areas in the state for summer crops. Its objective is to ensure full utilisation of irrigation water and increase in production.

The Government has succeeded in increasing area

under irrigation from 9 lakhs hectare to 25 lakhs hectare. Special attention has been paid to supply of irrigation water upto tail-end by repairing canals. Lining of canals is also being undertaken on a large scale for preventing misuse of irrigation water. The State Government has sanctioned and constructed over 500 minor irrigation projects during last two years.

Cooperation By Union Government - For making efforts more effective, Government always look forward to the cooperation by the Union Government. Farmers in the state had been getting payment against seed production subsidy under various schemes as a result of which production of certified seeds were increasing constantly which has been decided to discontinue it recently by the Union Government. Local production cost and productivity should be kept in view while determining support price so that farmers can get fair price for their produce. Kodo-kutki is traditional crops of tribal areas. The State Government made effort to the Union Government to fix support price for these crops. The prices of chemical fertilisers have increased in unprecedented manner. The Government has also made effort to check their price hike because the farmers' purchasing power is low which make an adverse effect on agriculture development.

Latest Techniques - Use of latest techniques for increasing production and productivity of various crops has been implemented as a campaign. Encouraging results have been yielded by use of SRI method for increasing paddy production, ridge & furrow method for preventing loss to crops due to uncertainty of rains and line sowing method in hybrid maize crops in tribal areas during last 2 years. Various schemes have been launched for development of crops like Kodo-kutki traditionally grown in tribal areas. The Government is trying to give greater priority to extension of these works in following years.

These are some efforts which are Government of Madhya Pradesh has adapted for growth and development of agriculture sector of state.

Conclusion - The government accepts that growth rates in agriculture need to be taken up to 4 %. To achieve this however, along with increase in support prices we will require some extra efforts to meet the needs of better roads, electricity and irrigation. Instead of providing capital for agriculture we need to provide greater value to human labour and land reform programs should be implemented on a priority basis. The character of our society should be the main basis of our agriculture policy. The way in which the state is implementing the agriculture policy, while keeping the market in focus, may put both livelihood and food security at risk. It requires to be done -

- Under the present circumstances, it becomes necessary to re-establish state support for agriculture, which has been getting depleted.
- The negative effects of indebtedness are becoming a question of life and death for farmers. It is important to wipe out the past loans on a rational basis, and ensure that in future the interest rates for agriculture do not exceed 3 to 4 %.
- Agriculture costs have also gone up with increase in electricity charges, where as crop prices have remained constant. It is obvious that electricity charges will need to be stabilized to convert the losses into profits.
- Without land reforms it is impossible to ensure full use of our resources and speed up progress. The government is handing over fallow land to the private sector. Instead of this policy, land should be distributed amongst the landless and small farmers, who should be provided support for land development.

Madhya Pradesh now expects entrepreneurs with vision and commitment to harness the potential of this sector. There exists necessary political will and commitment and the organisational set up is responsive. Attractive incentives are being provided to the private sector matching with what is being provided by other States. Entrepreneurs can gainfully contribute in growing sector for the attainment of their aspirations and for the prosperity of the state. The government of Madhya Pradesh is proactively working to improve the infrastructure, to boost agriculture in the state because agriculture sector can bring prosperity by generating unemployment and providing livelihood to millions of youth.

References :-

1. Mp agro industries development corporation – brochure
2. Statistics or Madhya Pradesh 2004
3. Budget Speech – year 2004, 2005 and 2006
4. Madhya Pradesh Human Development Report – 2002
5. http://business.mapsofindia.com/india-state/madhya-pradesh-economy.html
6. http://www.mp.gov.in/about-mp-agro
7. Article: Better agriculture scenario created in Madhya Pradesh Bhopal: Saturday, February 02, 2013.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Training And Development Practice In India

Dr. Vinita Tak*

Abstract - In the present ear of globalization. There is an imperative need for employee with extraordinary skill which adds potential to perform letter. Human beings are naturally gifted with the potential to perform better. Human beings are naturally gifted with the potential to learn. It is up to us to leverage this inherent potential and achieve what we are destined to. There has also been repaid transformation in organization structure and work practice. These changes would definitely have a significant impact for training and development of the work place. As training occupies a top spot in the HR agenda for many organizations but the impact on the bottom on line does not fall line with expectations. The answer lies in better structure, Sharp vision on the end goals and a tighter focus on the cardinal rules of the game. This paper describes the need and benefits of training and development and also discusses the training facilities in India.
Key Word - Training and development, Categories of Training in India, Training facilities in India.

Introduction - The term training has been traditionally used to describe the occasion of technical knowledge and skills management development on the other hand refers to the method and activities design to improve the scale of manager or prospective managers while running helps employer to improve the programmers in current jobs development grooms there to handle future responsibilities through the distinction between training and development is often blurried training and development tries to improve skill or add to the existing level of knowledge so that the employee are better equipped to do their present Job or to prepare them for a higher position with increased responsibility and help them to cope with pressures of changing environment.

Training is systematic process of changing the behavior knowledge and attitude to bridge the gap between employee characteristics and Organization Thus training brigs the different between job requirements and employee present specification.

Need and benefit of training and development -

- Every organization wether big or small economics also search old or newly established should provide training to all employees is respective their qualification scale suitability for the job etc does no organization can extend from training employees.
- Training is also necessary when the existing employee is promoted to the higher level in the organization and when there is a new job or occupation is assigned to transfer training is also necessary to take you the old Employees with the advance, disciplines, technology or Technology.
- Every manager find deviation between employee present specification and job requirements and the organizational needs training is needed to fill those gap by developing and moulding the employees skills knowledge, attitude, behavior etc. To the turn of the job requirements the organizational needs.
- Every Organization in order to survive and to be effective shoulder adopt the latest technology i.e. Mechanization, computerization and automation, Adoption latest technological means and method will not be completed until, they are managed by employees processing skill to operate them. Hence organization should train their employee to enrich them in the area of changing technical skills and knowledge from time to time.
- Training in human relation in necessary to deal with human problems (including alienation interpersonal and inter-group conflicts etc) and to maintain cordial human relation.

Training Practices in India - The term training is used here to indicate the process by which the attitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. Training is a vital and necessary activity in an organizations, it play a large part in determining the effectiveness and efficiency of the establishment. Various training facilities in India can be divided into three categories : training of lower level workers training to superisory and Middle level personal and finally training facility to the managerial personnel

1. Workers training - is comparatively a new ideas in India. It come into light after the World War II. Real progressin the direction was made only after independence.

(i) Apprentice training Act 1961. During 1961 was passed the apprentice training Act. More the 500 industrial training institutes were established 300 centers were established for apprenticeship training. Madras had advanced training Institute Calcutta had the central staff training and Research Institute, Bangalore had the foreman Training Institute. The directorate general of employment & training Governmentof India established training centers under craftsmen training scheme. The national Apprenticeship training scheme

*Asst. Professor (Business Administration) Mahalaxmi Girls College, Jodhpur (Raj.) INDIA

was extended to other industrial house also.

(ii) Private sector as a general rule the private sector has not introduced any programme for their new employees aimed at informing and educating them about the company. Its products policies and management department with the help of the supervisory staff. Now many well established private sector concerns are conducting in company program based on their workers needs and jobs requirement.

(iii) Public sector the public sector undertaking use their internal training facility For training their non supervisory employees. In some cases, employees encourage to avail of the external training facilities. sometime they sponsor their candidature and meet the costs also some public sector organizations such as banks, insurance etc have stared well organized training programmes.

2. Supervisor training -

(i) General education an Organization recruits its supervisor either by promotion from the rank or buy direct recruitment. The latter is the most widely followed practice in India. Though promotion from the ranks is more common in western countries. Illiteracy and work Poor education background very much limit the possibility of promotion to supervisory jobs from the ranks in India. The problem of supervisory training has Therefore tobe talked at the root and in order to bridge the gap between the potentiality of a worker for supervisory work and the post itself, the level of general education needs to be raised. Many organizations have successfully undertaken training of Junior and senior hand in mathematics. Element of sciences etc. Through regular classes during working hours.

(ii) Training within Industry Some Supervisory training is imparted Through TWI. Or Training within Industry. T.W.I was formally introduced in India with the help of I.L.O experts. A number of organizations, both in public and private sectors, have had persons trained by T.W.I. Centre Staff, so that they may undertake supervisory training in their respective organizations T.W.I Programmes have had mixed results. The management who have realized the importance of training for supervisore, and have not been led into compacency by the simplicity of T.W.I have obtained highly successful results and the programmes.

(iii) Training Institutes The central training institute for Instructors has and additional course meant for supervisor which covers non-technical subjects such as leadership, foundations for good relations, handling of problems, induction of new entrants, effective communication and soon some institutes particularly small industries service institute, N.I.T.E etc. organize short term training programme for supervisors.

3. Management Training - The management training and development has attracted the greatest attention of both practicing mangers and academic and. In the field. This is due to the fact that management has very much lagged behind the imperative demand of the country. The major gap in the developing countries in managerial rather than technological. While advanced technology may be imported, managerial competence has to be home-grown to suit the ethos, temper and need for our society.

Training Facilities In India - The needs of the industry are being though (i) Pre-recruitment training in management and (ii) Training and development of practicing manager, particularly at senior and middle management levels.

1. Pre- Recruitment Education and Training in management. As compared to the other areas of education the need and importance of management education and training has come to be accepted in a comparatively shorter period. In 1957, Andhra Pradesh organized the two year programme in Master Degree in Business management .It was the first department of management education. Since then the number of such institution offering two-year course has increased to 32. New and more effective methods. Of teaching have been evolved and awareness towards qualitatively better teaching has increased .The institutions imparting management education and training can be divided into two groups, besides privateinstitutes including management training center of large organization both in public and private sectors.

(i) Institutes of national level – These are Indian Institutes of management (IIMs) at Ahmadabad, Calcutta and Bangalore and also other national level institutions for management education and development.

(ii) Universities - The second group consists of universities having department of management running either two year full time M.B.A., degree course and three year part time courses, for the same degree the teaching of management courses is also receiving increased attention at under graduate and post graduate level in commerce faculties

2. Training and Development of practicing managers

(i) Business Organization- Business organization employing managerial personnel to impart such training either through their own management training institutes through organizing lectures, instructors being their own line and staff managers or faculty being taken from outside in some cases. These organizations recruit fresh management trainees. They are put through Training process while working in the organization. Hindustan steel, life insurance corporation, commercial Banks, Fertilizer corporation, and many organizations in public sector, Hindustan lever, Tata and others in Private Sector have their own management training Institutes.

(ii) Management Institutes - There are many management institutes associations and other bodies which organize short-term management development programmes. Prominent among these are administrative staff college. Hyderabad IIMs. All India management Association, and its local chapters, national productivity council and local productivity councils, Indian Institutes of bank management, Indian Institute of personnel management, National Institute for Training in Industrial Engineering (NITIE). These bodies organize management development programme ranging from 2 days to 12 weeks.

Limitation of management Training in India - Judged in the absolute term of managerial needs of the country, their qualities, and the qualities of institutions imparting

managerial training this success story has its own limitations

1. Quantity - In India the combined efforts of all institutions having facilities for management training are not enough to meet the requirements of the country. The present facilities are not enough even to meet the requirement of joint stock companies though there is a considerable scope for improving the efficiency of smaller sector.

2. Quality - There is a serious gap between the qualities required by the industries and the qualities developed by the institutes. The quality again can be measured in tern of facilities available with the management institutes and the type of management graduates being produced.

3. Education Facilities - Except IIMs and a few management departments in the universities, no otherinstitutes have the right type of facilities to educate managerial graduates. There are lack of adequate faculty, financial resources, equipments, and other teaching material research work, liaison with business world, and operational autonomy because of the university administrative structure.

4. Teaching Materials- Management courses being offered in India are generally based on the syallabi of American Universities. The validity and relevance of management concepts developed in foreign environment have not been always tested and adopted to suit Indian environment.

5. High expectations and ambitions- Management graduates are prepared for the jobs mostly in large joint stock companies. Not much attention is being paid to small and cottage industries. Management graduates are having expectation quite high both in terms of financial compensation and social status. The management programmes tend to impart education meant to develop higher level executives who can take important decisions without any practical experience rather than persons who would begin as effective management assistant and grow gradually in management hierarchy.

6. Lack of feeling for people - T. Thomas chairman, Hindustan lever limited, point out that young managers seems to be professional and more task and result-oriented. They seem to need more orientation to people although they have a well-developed sense of special justice somewhere along the line loyalty feeling for people have to be developed in them.

Suggestions :

1. The management should set out its goal towards improving the productivity, efficiency of its workforce with ease and contentment based on the rules of the management. The training and development program should be structured with clarity and lucid interpretations. The components of the training and development program should be listed in the flow chart model and each component should be described with its details and assigning the individual responsibility to the trainers team.
2. The employees should be made clear the purpose of the program and the output expected from them which could be quantified for the betterment and education of their status.
3. The employees undergoing the T & D program should be sensitized for a serious effort to learn. The job for efficient performance and delivering the output with enhanced productivity and efficiency should be set out at the initial stage of the program.
4. At the end of the programme, the assessment and evaluation of the individual employees is essential to gauge the depth of learning and desire to apply at their normal workplace.
5. It is essential that the management philosophy should include, inter alia, the importance of training and development on a continual basis in its vision. It is not possible to achieve the benefit of training and development without a serious attention of the management.
6. The process of evaluation and assessment should continue to confirm the effectiveness of the programme. A feedback from the workforce and the management should be placed in a structured form for further improvement of the design and delivery of the programme. The trainers should design the feedback which could eventually quantify the benefits of the programme and the contribution of the employees who have undergone training.

Conclusion - Considerably in India, In the case of former, however, the facilities have increased manifold in a short period of about 20 years.

This is in term of management graduates being educated in the short-term management development programmes. We are constantly and steadily moving towards professional management old guards are changing their styles - They are changing to adopt to new environment. Since independence managers have developed themselves maximum. As minoo masani has observed “there are very few success stories that can be told since the achievement of India Independence. If one among these exceptions is the record of the farmer, another is the story of the manager.

References :-

1. P.N.Sing “Training for management Development, Indian society for training and development sixth Edition, 1999.
2. Tanuja Aggrwala “Strategic Human Resource management, Oxford university Press 2007.
3. Ravi Mishra, Is Training only meant to entertain” Human capital, Vol. 16 No 9, feb, 2008
4. Turner, ferda, ‘Do you have a performance Improvement or a Training Department” CEO Refersher 2002.
5. Schetlle, Soel “Hewlett- Packard; A strong foundation Training Aug 2002, Vol.39 Issue 8.
6. www.educationinfonindia.com
7. www.labourandemployment.com
8. www.personnelonline.com

Small & Medium Enterprises In India - Challenges And Measures Of Growth

Dr. Anoop Kumar Vyas* Urvashi Verma**

Abstract - SME's are the base of economy of India. Economic development of a country is directly related to the growth SMEs. The expansion of SMEs sector leads to creation of employment opportunities and improvement of living standard of people. SMEs are becoming increasingly knowledgeable of the growing competition at domestic and international market. They especially need information on markets, buyers, suppliers, prices, trade regulations and business procedures in the target market. Though SMEs are essential sources of both employment and industrial development, they are facing several challenges at the present scenario in India. This research paper described the challenges faced by SMEs in India and also the growth measures to promote SMEs.
Key Word - Small and Medium Enterprises, Indian market, International market,

Introduction - Small and Medium Enterprises (SMEs) are regarded as an important part of the economy of India. They are usually defined on the basis of their size of assets, value of operation, turnover, revenues and employment generation. Apart from these quantitative measures, a few qualitative parameters like management and ownership, the area of operations, and the sources of capital are also frequently used to signify it. However as a layman, SMEs can be described as small sized firms operating usually in their local area, targeting a small market and have limited access to capital. Since they have a smaller market share, they also have very little control over the market and price. SME sector of India is taken as the backbone of economy contributing to 45% of the industrial output, 40% of exports, 6% of the Gross Domestic Product (GDP), employing 60 million people, create 1.3 million jobs every year and produce more than 8000 quality products for the Indian as well as international markets. In India, approximately 30 million SMEs, 12 million people expected to join the workforce in every next 3 years and the sector growing at a rate of 8% per year, Indian Government is taking different measures so as to increase their competitiveness in the international market.

Small and Medium Enterprises (SMEs) in India are understood as those enterprises where the investment in plant and machinery or equipments is between Rs. 25 lakhs (US $ 0.04 million) to Rs. 10 crores (US $ 1.6 million) in case of a manufacturing industry and between Rs. 10 lakhs (US $ 0.02 million) to Rs. 5 crores (US $ 0.8 million) in case of a service sector enterprises.

This definition is rendered in section 7 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and was notified in September 2006. The Act accommodates for classification of enterprises based on their size of investment and the nature of the activity which undertaken by that enterprise. As per MSMED Act, enterprises are classified into two categories- 1) manufacturing enterprises and 2) service enterprises. For each of these categories, a definition is given to explain what constitutes a small enterprise or a medium enterprise.

a) **Manufacturing Enterprises** are the enterprises which getting engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry described in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value increasement to the final product having a specific name or character or use. The Manufacturing Enterprises are described in terms of investment in Plant and Machinery.

Manufacturing Enterprises – Investment in Plant & Machinery (See in the last page)

b) **Service Enterprises** are those enterprises which engaged in providing or rendering of services of services and are defined in terms of investment in equipment.

Service Enterprises – Investment in Equipments (See in the last page)

Challenges Facing By SMES in Indian Market As well As Global Market - SMEs are becoming increasingly knowledgeable of the growing competition at domestic and international market. They especially need information on markets, buyers, suppliers, prices, trade regulations and business procedures in the target market. Though SMEs are essential sources of both employment and industrial development, they are facing several challenges at the present scenario in India.

Lack of Finance - Financial resources are the basic requirements for SMEs because Capital investment is es

*Professor & H.O.D. (Commerce) S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

sential for the development of any business. SMEs are not able to raise adequate funds from banks, especially for high risk projects to compete in the market. There are limited numbers of government schemes which provide much financial supports to the SMEs.

Technology Adoption - One of the crucial factors that prompts in the success or failure of enterprise is technology. The machines with older technologies consume more time, resources and human efforts and provides limited production rate. The best use of technology enables enterprise in reducing cost of production, maintain consistency in quality, enhance productivity and finally grow the competitiveness of the enterprise.

Infrastructure - Well maintained infrastructure can play an important role in growth and development of SMEs in India. Primary infrastructure facilities like irregular power and water supply, unplanned urbanization, bad road and railway connectivity etc. are some of the factors which prohibit the growth of SMEs in India.

Lack of Information - The limited development of the Information and Communication Technologies (ICTs) in India is another reason for its technological backwardness. Lack of Knowledge and information about the various schemes announced by the government. Lack of access to information is a major challenge faced by the SMEs in India.

Limited Human Resources Development - SMEs are largely dependent on their staffs. The lack of literacy and professional trainings restrict the development of human resources in Indian SMEs. Proper education and training programs can improve the productivity level of each worker. SMEs must hire right employees, who give their best and support the enterprise through their performances. Limited salary budgets also influences the hiring procedure of SMEs. Improper human resource is a critical challenge for SMEs.

Inadequacy of innovations - Innovations of advance products are very limited in Indian SMEs. They mostly produce products related to those produced by foreign companies. Indian SMEs have lack innovations or creation of new products. They just import product ideas from global market and produce same kinds of products.

Competition in global market - Advanced competition in the international market further affects the profit making of SMEs in India. When it comes to marketing of products or services internationally, any small or medium company is always constrained by its deficiency of budgets, which in turn limits its development. International producers offer better quality product at completely low prices. The restrained access to global market is also a challenge for the SMEs in India.

Despite their high enthusiasm and inherent capabilities to grow, SMEs in India are also facing a number of problems like sub-optimal scale of operation, technological obsolescence, supply chain inefficiencies, increasing domestic and global competition, fund shortages, change in manufacturing strategies and turbulent and uncertain market scenario. To survive with such issues and compete with large and global enterprises, SMEs need to adopt innovative approaches in their operations. SMEs that are innovative, inventive, international in their business outlook, have a strong technological base, competitive spirit and a willingness to restructure themselves can withstand the present challenges and come out successfully.

These are the main challenges which act as obstacles in the growth of Indian Small and Medium Enterprises. If these problems can be decreased, the SMEs can accommodate a great support in the over-all growth of the Indian industrial sector and can boost the economy of India.

Measures Taken For Growth - Ministry of Small Scale Industries is primarily accountable for promotion and development of Indian SMEs, and has evolved various policies, institutional and support measures, extent all over the country, in order to enable SMEs to meet their changing requirements. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has developed various financing schemes. Ministry of Science & Technology (DST, DBT, DSIR) has emerged various measures and programmes for technological support and growth and transfer of technologies for SMEs. Some of the economic ministries like Department of Food Processing, Department of Handicrafts and Ministry of Textiles etc. have also recently announced initiatives for technical assistance in different firms.

Towards this, Government of India has been extremely alert and proactive. The Government's policy initiatives like enactment of the new Micro Small & Medium Enterprises Development Act, 2006, pruning of reserved SSI list, advising FIs to expand their flow of credit to the SME sector, are all initiatives towards boosting entrepreneurship, investment & growth. The schemes comprise of bank credit facilitation, SME Credit Rating, Government stores purchase programme, Export credit Insurance, Infomediary services, Bill discounting schemes, Facilitating marketing support, technology support & other support services. The schemes have been formulated at both national level as well as International level. There are absolute schemes which National Small Industries Corporation carries forward to assist small enterprises with a set of especially tailored schemes designed to put them in a competitive & advantageous position.

Here are various schemes run by the Indian Government to boost the SME's in the country to help them become more innovative, efficient & competitive. The enactment of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 was a landmark initiative taken by the Indian Government to enable the SMEs' competitive strength, address the issues & challenges and collect the benefits of the global market. SMEs policy initiatives at the national level and international level are desired at strengthening the role of SMEs at the base as well as at the higher level.

Some Measures Or Initiatives To Promote Smes -

1. SME development fund,
2. A specialized stock exchange for SMEs,
3. Encouragement for patenting and ISO Certification,
4. SME venture capital fund,
5. National Commission for Small Industries (informal sectors),
6. SME development bill,
7. Credit Rating Agency,
8. Promoting special venture capital companies and risk financing companies for SMEs,
9. Improve the working of credit guarantee and export promotion institutions,
10. Progressively reduce protection measures and simplify implementation policies and control mechanisms,
11. SME Development Centres at SIDBI and IIFT,
12. Considering liberalizing FDI in SMEs and encouraging their linkages with TNCs and large companies,
13. Promoting industrial growth centres/clusters, EOUs, district industry centres, business incubators and business parks,
14. Market assistance and export promotion,
15. National Small Industries Corporation,
16. Small Industries Development Organization,
17. Limited Liability Partnership Bill 2006.

Conclusion - SME's are the base economy of India. Economic development of a country is directly related to the growth industrial sector. The industrial sector expanded to lead to creation of employment opportunities and improvement of living standard of people. They play a major role in a planned investment with its low investment, high potential for diversification of industrial base, employment generation and spread of various industries to rural areas as well as semi –rural areas. The sickness problem in industries is very serious in India as it has adversely affected the industrial sector. In spite small scale enterprises contributes to industrial growth, enhancing poverty alleviation, technological innovation, raising export, entrepreneurship skills and bringing about sustainability, SMEs need to adopt innovative approaches in their operations so that the problems of SMEs can be decreased and the SMEs can accommodate a great support in the over-all growth of the Indian industrial sector and can boost the economy of India.

References :-

1. Overview of SMEs in India, Symposium on SME Finance, February 10, 2002
2. Entrepreneurship Education: The Challenge for SME in Madhya Pradesh ISBN: 978-81-924713-8-9
3. Article: Managing Growth: Challenges Faced by SMEs Of India, May 07, 2015,
4. http://blogs.siliconindia.com/IndiaMART/Challenges-Faced-By-Indian-SMEs-bid-K2kb089J62276492.html
5. http://www.smechamberofindia.com/challenges_to_sme_sector.aspx

Manufacturing Enterprises – Investment in Plant & Machinery

Description	INR	USD($)
Small Enterprises	above Rs. 25 Lakhs & upto Rs. 5 Crores	above $ 62,500 & upto $ 1.25 million
Medium Enterprises	above Rs. 5 Crores & upto Rs. 10 Crores	above $ 1.25 million & upto $ 2.5 million

Service Enterprises – Investment in Equipments

Description	INR	USD($)
Small Enterprises	above Rs. 10 Lakhs & upto Rs. 2 Crores	above $ 25,000 & upto $ 0.5million
Medium Enterprises	above Rs. 2 Crores & upto Rs. 5 Crores	above $ 0.5 million & upto $ 1.5 million

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Factors Affecting Employees Motivation Level

Ritu Talreja* **Dr. Rajeev Kumar Jhalani****

Abstract - The purpose of this paper is to identify the factors that effects employee motivation level. In the present study, research reviewed the literature to know factors affect the employee motivation direct or indirect. Various studies concluded that more the employee satisfied more he is interested in performing job. The study focused on various dimensions for motivating employee which surely lead to organisational growth.
Keywords - Employee, Motivation, Employee performance.

Introduction - According to Webster's New Collegiate Dictionary a motive is "Something a need or desire that causes a person to act." Motivate in turn means " to provide with a motive" & motivation is defined as "the act or process of motivating". Consequently, motivation is the performance or procedure of presenting an intention that origin a person to capture some accomplishment.

Employee motivation is one of the policies of managers to increase effectual job. A motivated employee put their efforts in the direction of organisational goal. Employee performance fundamentally depends on many factors like performance, appraisals, employee satisfaction, job security & study focused on all this factors.

Objective - The main objective of the study is to analyze & determine the factors that increase employee motivation.

Research Methodology - To study the various issues highlighted in this study related to employee motivation, this study reviews more than 10 research articles published in different journals.

Literature Review - Panagiotakopoulos (2013) concluded that factors affecting staff motivation at a period where the financial rewards are kept to the least leads to stimulate employee performance. So management personnel responsibility to motivate their employees to work as per the expectation to enhance the organization's performance. Smith & Rupp(2003) stated that performance is a role of individual motivation, organizational strategy & structure & resistance to change is an empirical role relating motivation in the organization. Aguinis et. al (2013) stared that monetary rewards can be a very powerful determinant of employee motivation & achievement which, in turn, can advance to important returns in terms of firm level performance.

Harvey (2013) indicated that an employee is accepted as part of the social group or team. Most staff has an acute need that their contribution is worthwhile appreciated & acknowledged.

Bartol & Martin (1998) describe motivation as a power that strengthens behaviour gives route to behavior. Also motivation is a progression of moving & supporting goal directed behavior (Choudhary M.S.2007).

It is an internal strength that drives individuals to pull off personal & organizational goals (Reena et al, 2009) According to Barron(1983), it is an accrual of diverse routes which manipulate & express our activities to attain some particular ambitions. Rutherford (1990) reported that motivation formulates an organisation more successful because provoked employes are constantly looking for improved practices to do work. Getting employees to do their best work is one of the big challenges for managers & this can made possible through motivating them.

Factors Affecting Employees Motivation - There are two main ways for motivating employees financial & non financial motivation. Many managers believe that money is everything but in researches it is shown that for most people non financial rewards or recognition serve a better motivator than money.

The most common financial reward is either a cash bonus or salary raise. A cash bonus is extra payment on top of the regular salary to encourage employees to work harder & meet company goals (Hodder education) Another way to motivate is to pay commission. Pay can be based on an addition to a salary.

The society for Human Resource Management 2009 survey says " employees says they will stay with their current organization if they were offered more money." Another form of financial motivation is offering employee to participate in a profit sharing program. It means that employees get a proportion of the profit on top of their regular salary. It is good motivator because the more profit the company makes , the more they will receive as well. Another example called

*Research Scholar, DAVV, Indore (M.P.) INDIA
**Principal, R.P.L. Maheshwari College, Indore (M.P.) INDIA

piece work, which means that the employee gets paid based on the amount of product that is produced. This makes employees to work harder & be the best employee they can be.

Unlike financial motivators, non financial motivators can bring out the creativity of managers. These motivators have long lasting affect on employees. Some examples of non financial motivators are as follows. The first one is health benefits. Wellness programs for healthy working environment may help orgnisation to cut employee health cost & to lower absenteeism & turnover of employee (Carolyn Petersen). Another example is working environment. Good working environment such as work relationships, space, lighting, motivate employee (Gerhart). Compensation including Pay rewards, communication & working conditions are common incentives which motivate employee.

A study by Mahazril et. al (2012) organisation had the duty to appreciate the employee from time to time & offer other form of benefits such as payment, which will help in employee motivation.

As per Yamamoto (2013) if an employee perceives they will be getting rewards for goods work & their jobs is a secured one, the performance will automatically be better. Mahazril et at (2012) concluded that rewards & recognition may motivate them to work. Kingira & Mescib (2010) “Social Opportunities providing at the highest level with working period leads employee to achieve their goals of the organisation”

Conclusion - The Organization must understand that what type of incentive can motivate their employees & they should develop such a structure that fulfil the needs of the employees in a best possible way. Motivation & Satisfaction change as individuals age. Older employees are motivated by flexibility in the work place, good inter personal relationships in the workplace, respect among employees. Manager can apply this information for employee’s well being & better performance. Motivation work as catalyzer for individual employees working for an organisation to enhance there working performance aas to complete task in much better way than they usually do.

References :-

1. Aguini’s H. J00 H & Gott fredson Rk (2013) what monetary rewards can & cannot do Business Horizons 56(2). 241 – 249
2. Choudhary M.S. (2007) Enhancing motivation and work performance of sales people. African journal of Business management. 1(9) 238-243
3. Harvey W.(2013) Victory can be yours in the global war for talent. Human Resources Management International Digest 21(1), 37-40
4. Motivation.’Hodder Education web 17 Jan. 2012
5. Panagiotakapoulos (2013). The impact of employee learning on staff motivation development & learning in organization 27(2) 13-15
6. Smith & Rupp (2003) An examination of emerging strategy & sales performance. Motivation & Organizational Structure. Marketing intelligence & planning. 21(3), 156-167
7. http //web.dep.ufl.edu /hinze / MOTIVATION THEORIES.html

****

वस्तु एवं सेवा की अवधारणा एवं सिद्धान्त

डॉ. हर्षा चचाने * डॉ. राजू रैदास **

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही मानव के आर्थिक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में राजकीय हस्तक्षेप रहा है। आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप होना चाहिये या नहीं, अथवा कितना होना चाहिए? यह प्रश्न प्राचीन काल से विवाद का विषय बना हुआ है। लोक वित्त के क्रमिक इतिहास से ज्ञात होता है कि देश, काल और परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण सरकारी हस्तक्षेप में परिवर्तन आने लगे। भारतीय लोकतंत्र का आधार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। कल्याणकारी एवं जनहितकारी कार्यो को पूरा करने के लिए सरकार को राजस्व की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कि लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार कि कर लगाती है। राजस्व या कर के उद्देश्य तथा महत्व के सम्बन्ध में फ्रान्सीसी अर्थशास्त्री जे.बी.से ने कहा है– 'वित्त की सबसे अच्छी योजना यह है कि खर्च कम करो और सबसे अच्छा कर वह है, जो मात्रा में सबसे कम हो।' आज से 100 साल पहले तक जी.एस.टी. के बारे में कोई नहीं जानता था। सर्वप्रथम सन् 1954 में फ्रांस में जी.एस.टी. लागू किया गया था। वर्तमान में दुनिया के करीब 165 देशों में यह व्यवस्था लागू है। डेनमार्क में इसका सर्वाधिक 25 प्रतिशत है। इसी संदर्भ में भारत ने भी जी.एस.टी. लागू करने का प्रयत्न किया किन्तु इसके समक्ष बहुत सी अड़चनें आई। किन्तु भारत सरकार ने 122वाँ संविधान संशोधित विधेयक के अनुसार 13 अप्रैल 2017 को जी.एस.टी.के संदर्भ में विधेयक को पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए अंतिम रूप प्रदान किया और 1 जुलाई 2017 से जम्मू–काश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जी.एस.टी. लागू हो गया। यह नयी कर व्यवस्था इसके पूर्व लाए गए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं की खामियों को दूर करते हुए अधिकतम जन कल्याणकारी मानी जा रही है। इस कर प्रणाली की बहुत सी प्रस्तावित लाभ एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव भारतीय नागरिकों के मानस पटल पर है। शोध पत्र के शीर्षक जी.एस.टी. की अवधारणा एवं सिद्धांत को हम निम्नानुसार समझ सकते है –

भारत में जी.एस.टी. की अवधारणा – सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू की गई नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 'वस्तु एवं सेवा कर' की मूल अवधारणा है – 'एक देश, एक बाजार, एक कर'। इस अवधारणा को हम इन बिंदुओं के अनुसार अध्ययन कर सकते है –

1. जी.एस.टी. से बहुतायत या दोहरे कराधान की समस्या का समाधान बड़े पैमाने पर हो जाएगा और एक समान राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रशस्त होगा।
2. उपभोक्ता की दृष्टि से इसका बड़ा फायदा यह होगा कि वस्तुओं पर उन्हें अपेक्षाकृत कम कर अदा करना पड़ेगा। जो वर्तमान में लगभग 25 से 30 प्रतिशत होने का अनुमान है।
3. जी.एस.टी. के लागू होने से भारतीय उत्पाद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बन जाएंगे।
4. जी.एस.टी. आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में मददगार साबित होगी।
5. जी.एस.टी. पारदर्शी होने के कारण देश में आसानी से लागू किया जा सकेगा।

भारत में जी.एस.टी.की अवधारणा –

1. वस्तु के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर कर लगाने की मौजूदा अवधारणा के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा।
2. मूल स्थान आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धान्त के बजाय गन्तव्य स्थित उपभोग कराधान के सिद्धान्त के आधार पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा।
3. यह दोहरा जी.एस.टी.होगा जिसके तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार एक साथ सामान आधार पर इसे लगाएगें। केन्द्र द्वारा लगाए जाने वाले जी.एस.टी. को सी.जी.एस.टी. कहा जाएगा और राज्यों (विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेशों सहित) द्वारा लगाए जाने वाले जी.एस.टी. को एस.जी.एस.टी. कहा जायेगा। वही बिना विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए जाने वाले जी.एस.टी. को केन्द्र शासित प्रदेश जी.एस.टी. या यू.टी. जी.एस.टी. कहा जाएगा।
4. वस्तुओं एवे सेवाओं की अन्तर राज्य आपूर्ति (स्टाक हस्तान्तरण सहित) पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई. जी.एस.टी.) लगाया जाएगा। इनका संग्रहण केन्द्र करेगा, ताकि क्रेडिट से जुड़ी श्रृंखला (चैन) में कोई व्यवधान न आ सके।
5. वस्तुओं के आयात को अन्तर राज्य आपूर्ति माना जाएगा और इस पर आई जी.एस.टी. लगेगा।
6. सी.जी.एस.टी.,एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी.और आई. जी. एस. टी. की दरें अंतत: वे होगी जिन पर जी.एस.टी. परिषद के तत्वाधान में केन्द्र एवं राज्यों की सहमति होगी।
7. जी.एस.टी. निम्न लिखित करों का स्थान लेगा जिन्हें वर्तमान में केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है –

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. उत्पाद शुल्क औषधीय एवं पसाधन उत्पाद
3. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद)
4. अतिरिक्त सीमा शुल्क (इसे आमतौर पर सी.वी.डी. के रूप में जाना जाता है।) तथा जिन्हें राज्य द्वारा लगाए एवं वसूले जाते है –
5. राज्य वैट
6. केन्द्रीय बिक्री कर
7. खरीद कर
8. विलासिता कर

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

9. प्रवेश कर (सभी तरह के)
10. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर छोड़कर)
11. विज्ञापनों पर कर।
12. लाटरी या सटटेबाजी एवं जुए पर लगने वाले कर
13. राज्यों के उपकर और अधिभार जो वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।
14. जी.एस.टी.को मानव के उपभोग वाली शराब को छोड़कर समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा।
15. पॉच विशेष पेट्रोलियम उत्पादों कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईधन तथा प्राकृतिक गैस पर जी.एस.टी. उस तारीख से लगाया जायेगा, जिसकी सिफारिश जी.एस.टी. परिषद करेगी।
16. तम्बाखू एवं तम्बाखू उत्पादों पर जी.एस.टी.लगेगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भी लगाती रहेगी।
17. सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. दोनों पर एक सामान न्यूनतम छूट सीमा लागू रहेगी। 20 लाख रूपये के वार्षिक कारोबार वाले कर दाताओं संविधान के अनुच्छेद 279ए में वर्णित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए रूपये तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे कर दाताओं (उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं की विशेष श्रेणी सहित) को एक सहमति (कम्पांउन्डिग) विकल्प (अर्थात क्रेडिक के बगैर एक समान फ्लैट दर से कर अदा करना) दिया जावेगा। न्यूनतम छूट सीमा और सहमति योजना वैकल्पिक होगी।
18. छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची न्यूनतम रखी जायेगी और केन्द्र तथा राज्यों के साथ- साथ जहॉ तक संभव हो सके समस्त राज्यों में इस मामले में एकरूपता रखी जाएगी।
19. निर्यात जीरों रेटेड होगा।
20. कच्चे माल (इनपुट) पर अदा किए गए सी.जी.एस.टी. से संबंधित क्रेडिट का उपयोग केवल तैयार उत्पादक (आउटपुट) पर सी.जी.एस.टी. अदा करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह पर कच्चे माल पर अदा किए गए एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी से संबंधित क्रेडिट का इस्तेमाल तैयार उत्पाद पर एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. अदा करने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आइ.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए अन्तर राज्य आपूर्ति की विशेष स्थितियों को छोड़कर किसी और स्थित में इनुपट टैक्स क्रेड़िट (आई.टी.सी.) की दो धाराओं का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता।
21. समय समय पर केन्द्र और राज्य के बीच खातों का निपटारा किया जाएगा। ताकि आई.जी.एस.टी.के भुगतान के लिए इस्तेमाल किऐ गये एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का मूल्य राज्य द्वारा केन्द्र को अन्तरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह एस.जी.एस.टी के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए आई.जी.एस.टी.का अन्तरण केन्द्र गन्तव्य राज्य को किया जाएगा। इसके अलावा बी.टू.सी. आपूर्तियों पर एकत्रित आई.जी.एस.टी. से एस.जी.एस.टी. हिस्से का भी अन्तरण केन्द्र द्वारा गन्तव्य राज्य को किया जायेगा। कर दाताओं द्वारा दाखिल किए गए रिर्टन में निहित सूचनाओं के आधार पर धनराशि का अन्तीरण किया जाएगा।
22 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का आधार विस्तृत होगा जिसके तहत व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय के आगे बढ़ने के दौरान इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल के इरादे वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों ही की आपूर्ति पर अदा किए गए करों के संदर्भ में इस क्रेडिट को उपलबध कराया जाएगा।
23. विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भिन्न - भिन्न निद्दिष्ट तिथियों तक इलेक्ट्रानिक तरीकों से रिर्टन भरना होगा।
24. कर अदायेगी के लिए कर दाताओं के पास अनेक विकल्प होगें। जिनमें इन्टरनेट बैंकिंग/डेविड/क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांन्सफर (एन.ई.एफ.टी./)रियल टाइम ग्रास सेटलमेंन्ट (आर.जी.एस.टी.) शामिल है।
25. आपूर्ति को प्राप्त करने वाले सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी ऐजन्सियों सहित कतिपय व्यक्तियों पर उन आपूर्ति कर्ताओं को किए गए भुगतान अथवा उनके खाते में डाली गई धन राशि पर एक प्रतिशत की दर से टैक्स कटने का दायित्व होगा। जिनकी आपूर्ति का कुल मूल्य किसी भी अनुबंध के तहत 2.5 लाख रूपये से ज्यादा होगा।
26 कर दाता अपने कर का वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त तिथि से दो वर्षो के भीतर ही कर रिफंड की मांग करनी होगी।
27. इलेक्ट्रानिक कॉमर्स आपरेटरों पर उस दर से स्त्रोतों पर कर संग्रहित करने का दायित्व होगा। जो उनके पोर्टल के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत ज्यादा नहीं होगा।
28. पंजीकृत व्यक्ति देय करों का स्व-आक्लन कर सकेंगे।
29. पंजीकृत व्यक्तिओं का आडिट कराया जायेगा, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन हो सकेगा।
30. मांग किये जाने वाले अवधि की सीमा सामान्य मामलों में वार्षिक रिर्टन दाखिल कराने की देय तिथि अथवा करों की कम अदायगी अथवा भुगतान न किए जाने की स्थिति में मांग किए जाने के लिए त्रुटिपूर्ण रिफंड की तारीख अथवा त्रूटिपूर्ण रिफंड एवं इसके अधिनिर्णय की तिथि से लेकर तीन साल तक होगी।
31. बकाया कर वसूली विभिन्न तरीकों से की जा सकेगी, जिसमें चूक करने वाले कर योग्य व्यक्ति की वस्तुओं, चल एवं अचल सम्पति पर रोक लगाना एवं बेचना भी शामिल है।
32. अधिकारियों के पास निरीक्षण, तलाशी लेने, एवं जप्त करने तथा गिरफ्तार करने के प्रतिबंधात्मक अधिकार होंगे।
33. अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा पारित किए गए आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई के लिए केन्द्र द्वारा जी.एस.टी.अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। राज्य संबंधित एस.जी.एस.टी अधिनियम में न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान को अपनाएगें।
34. प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
35. राज्यों द्वारा अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ताकि कर दाता विभाग से कराधन संबंधी मसलों पर बाध्यकारी स्पष्टता की मांग कर सकें। केन्द्र सी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत इस तरह के प्राधिकरण को अपनायगा।
36. मुनाफाखोरी अनुच्छेद की भी व्यवस्था की गई है ताकि कारोबारी वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों पर देय कर में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को अवश्य ही दें।
37. मैजूदा कर दाता जी.एस.टी. कर व्यवस्था को आसानी से अपना सकें। इसके लिए विस्तृत संक्रमण कालीन प्रावधान किए गए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
2. पत्रिका समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण फरवरी 2018
3. अप्रत्यक्ष कर, अग्रवाल-डॉ0बी0के, रामप्रसाद एण्ड सन्स भोपाल।
4. www.google.com/wikipedia.com

शासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी का अध्ययन

मृदुलता सिकरवार *

शोध सारांश – भारत सरकार स्कूल चलें हम अभियान के जरिए सरकार और अप्रवेषी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने के तमाम प्रयास कर रही है। परंतु शासकीय स्कूलों (विद्यालयों) में शिक्षकों की कमी पर ध्यान नहीं दे पा रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि शासकीय विद्यालयों में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो पाते क्योंकि विद्यालयों में जिम्मेदारी तथा अच्छे शिक्षकों की कमी है अशासकीय विद्यालयों में ऐसी दयनीय स्थिति सी हो गई है और जो बच्चे शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। शासकीय शिक्षण संस्थानों को अतिथि शिक्षकों पर छोड़ दिया गया है। जिन्हें स्कूल के शिक्षकों द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है और सरकार ऐसे शिक्षकों को 2000 से 3000 रूपये तक प्रतिमाह देती है परंतु इनकी नियुक्ति स्वयं स्कूल के शिक्षकों द्वारा की जाती है, जिससे कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जाती भारत की शिक्षा प्रणाली बुरी नहीं है परंतु समस्या यही है कि भारत के शासकीय शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की कमी है। शिक्षण के नए वित्तीय कारणों से अच्छे शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं आते और ना ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सही से की जाती है और शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तावना – शासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी के कारण तथा शिक्षकों की नियुक्ति ना हो पाने के कारण शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी और उधर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना हो पाना जिससे पद रिक्त हो जाते हैं और उसका प्रभाव परीक्षा परिणामों को भी प्रभावित करता है। एक ही शिक्षक कई विषय पढ़ा रहे हैं, जबकि उस विषय के संबंध में अधिक ज्ञान नहीं होता है, तो शिक्षा प्रणाली खराब हो जाती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि एक और तो शिक्षा के प्रति सरकार सुधार के लिए कार्य योजना चला रही है। वहीं शिक्षकों की कमी से शिक्षण का कार्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारत वर्ष के लगभग सभी शासकीय शिक्षण संस्थान शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। यदि हम मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों को देखे तो ज्ञात होता है कि देश भर में 12 लाख से भी अधिक शिक्षा प्राप्त कराने वाले केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का अनुपात छात्रों से बहुत कम है। यहां शिक्षकों के लिए 10285 पद रिक्त है तथा यही दशा देश के सभी राज्यों के शिक्षण संस्थानों की भी है, ऐसा कोई भी संस्थान नहीं जो शिक्षकों की कमी के प्रभाव से वंचित नहीं है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है। अभी पिछले साल की रिपोर्ट से जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, उसके अनुसार देश के सभी शासकीय शिक्षण संस्थानों में एक लाख से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जो सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे से चल रहे हैं। जी. के. चड्डा के रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 44.6 फीसदी प्रोफेसरों के पद और 51 फीसदी लीडरों के पद खाली हैं तथा इसके साथ-साथ 52 फीसदी पद लेक्चरारों के रिक्त हैं। देशभर में 48 से 68 फीसदी शिक्षकों के सहारे पढ़ाई का कार्य चलाया जा रहा है।

आज भारत शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। भारत भर में 14 लाख शिक्षकों की कमी है। ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जो शिक्षकों की कमी से नहीं जूझ रहा सभी राज्यों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण शासकीय संस्थानों की स्थिति दयनीय सी हो गई हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को शासकीय शिक्षण संस्थानों की अपेक्षा अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना चाहते हैं और जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। किसी कारण बस तो उनके बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाता है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है। उससे प्रत्येक अभिभावक मुंह मोड़ता है, चाहे वह गरीब अभिभावक हो या अमीर अभिभावक हो शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की गड़बड़ी शिक्षा की गुणवत्ता से सभी परिचित हैं भारत को आजादी मिले 2017 में 70 वर्ष हो गए हैं किंतु शिक्षकों की स्थिति अभी भी नहीं सुधर पा रही है। इसके अंतर्गत भारत में अनेक सरकार बनी परंतु शिक्षा पर किसी का भी ध्यान नहीं गया न विकास के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों पर अभिभावक अपना ध्यान दे रहा है और इसके लिए उन्हें काफी फीस भी देनी पड़ती है क्योंकि निजी विद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं है और उन विद्यालयों में शिक्षक भी अपने विषय में योग्य होते हैं। निजी विद्यालयों में ऐसा नहीं है कि एक ही शिक्षक सभी विषय को पढ़ाए बल्कि सभी विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक होते हैं, जो अपनी विषय में निपुण रहते हैं, हालांकि इसके विपरीत भी हो सकता है। निजी स्कूलों की स्थिति क्योंकि कई निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से भी दयनीय हैं। जिसमें शिक्षकों और शिक्षा की गुणवत्ता का कोई दावा नहीं रहता।

भारत में सबसे ज्यादा कमी शिक्षकों की आदिवासी इलाकों में पाई जाती है क्योंकि वहां पर कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं होता तथा महिला शिक्षक तो कभी उस इलाके में जाना ही नहीं चाहती। उन्हें वहां पर कोई सुविधा भी प्रदान नहीं की जाती जिससे पढ़ाई का स्तर न्यूनतम हो गया है।

भारत में कई गांव तो ऐसे हैं, जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है और गांव वाले तथा बच्चे सरकार से शिक्षकों की मांग करते हैं परंतु उनकी मांग पर सरकार ध्यान ही नहीं देती इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा में सुधार के सरकार कई दावे करती है परंतु हकीकत इसके विपरित हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की

* शोधार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

कमी की कहानी कुछ और ही बयां करती है। शिक्षकों की कमी के चलते आए दिन देश में शिक्षा के मंदिरों में तालाबंदी की खबरें आना आम बात हो गई है। ऐसे अनेक मामले टीवी न्यूज पेपर पत्रिकाओं में आसानी से पढ़ने को मिल जाते हैं। एक तरफ सरकार शासकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की मांग करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी के कारण आए दिन हो रहे आंदोलनों से सरकार की इच्छा पर पानी फेर दिया है।

ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की कमी किसी एक ही प्राथमिक स्कूल में हैं। इसमें 77 माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा देने वाले कॉलेजों में भी शिक्षकों की कमी सामने आई हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 18 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों में 15 प्रतिशत है।

वहीं देश के हालात ऐसे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी सौ छात्रों पर औसतन एक शिक्षक हैं और कई राज्यों में तो 200 छात्रों पर एक शिक्षक है जबकि शिक्षा के अधिकार कानून में 40 छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक का प्रावधान है, ज्यादातर विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं नाम मात्र की है।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य – प्रत्येक शोधकर्ता अपने शोध के कुछ उद्देश्य निश्चित करता है उसी के आधार पर शोध कार्य करता है।

यदि शोध के कार्य के कोई उद्देश्य नहीं तो शोध कार्य करना कठिन हो जाता है शोध कार्य करने से पहले शोध से संबंधित उद्देश्य का निर्माण कर लेना चाहिए जिससे शोधार्थी अपने शोध की दिशा नहीं भूलता तथा शोध करने में भी आसानी हो जाती है।

शोध के उद्देश्य निर्धारित कर लेने से उचित सूचना को एकत्रित कर लिया जाता है और जो समंक ऐसे हैं। जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि शोध कार्य से पहले ही शोध के उद्देश्य निश्चित कर लिए जाए

शोध का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. शिक्षकों की कमी का अध्ययन करना।
2. बच्चों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति पर सुझाव देना।
3. शिक्षकों की चयन प्रक्रिया सरकार के पूरे नियंत्रण में की जाए।
4. शिक्षकों की नई नियुक्ति पर ध्यान देना।

शोध अध्ययन का क्षेत्र – किसी भी शोध कार्य को करने से पहले उसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए कि शोध का क्षेत्र क्या होगा यदि शोधार्थी अपना क्षेत्र निर्धारण नहीं करेगा तो उसकी शोध का कार्य करना संभव नहीं होगा। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए क्षेत्र निर्धारित होना आवश्यक है। शोध का क्षेत्र किसी एक प्रदेश पर आधारित नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत में शासकीय शिक्षकों की स्थिति का अध्ययन करना है। संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षकों की कमी को जान सके और सरकार का ध्यान इस ओर जाए और शिक्षकों की स्थिति में सुधार हो सके।

शोध अध्ययन का महत्व – 'शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी का संक्षिप्त वर्णन' शोध का महत्व शिक्षकों की ओर सरकार का ध्यान लाने से हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई कर पाना मुश्किल है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षकों की क्या स्थिति है जिससे पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। भारत में शिक्षकों की बहुत कमी हैं तथा बच्चों व शिक्षकों पर ध्यान देना ही होगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलनी होगी जिससे देश का विकास बढ़े।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध प्रविधि में दो प्रकार के समंकों का उपयोग किया गया है।

प्रथम समंक – प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं, जिसका सामग्रियों से सीधा संबंध होता है यानि विषय के समाधान के लिए शोधार्थी ने विभिन्न स्त्रोतों से सामग्री एकत्रित की है विभिन्न अवलोकनों सर्वेक्षणों प्रश्नावलियों अनुसूचियों तथा साक्षात्कार द्वारा एकत्रित किए हैं।

द्वितीय समंक – द्वितीय समंक वे समंक होते हैं, जिनके विषय में पहले से संकलित सामग्री होती है, द्वितीय समंक कहते हैं। इसके अंतर्गत वह सभी सामग्री आती है जो प्रकाशित या प्रकाशित रूप से कहीं ना कहीं उपलब्ध होती है। द्वितीय समंकों के प्रमुख स्त्रोत– पुस्तकालयों, संग्रहालयों, सरकारी वार्षिक प्रतिवेदन सर्वेक्षण पत्र– पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, डायरी इसके साथ–साथ गूगल– पुस्तक या सूचना तंत्र के वेबलिंक भी इस समय बड़े महत्वपूर्ण हैं, शोधार्थी ने इन सभी का सहारा लिया है।

अध्ययन की समस्या – अध्ययन की समस्या है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं होना है। आज शासकीय शिक्षण संस्थानों की दयनीय स्थिति इसी कारण है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों को सही तरह से तथा बच्चों की अपेक्षा शिक्षकों की कम नियुक्ति है तथा उन्हें कई जिम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ता है।

अध्ययन का सुझाव – शोधार्थी द्वारा किए गए शोध का सुझाव निम्न लिखित है –

1. सरकार को शिक्षण संस्थानों की स्थिति तथा इसके साथ–साथ शिक्षकों की स्थिति की जानकारी रखनी चाहिए
2. गांव जो भारत के ग्रामीण इलाकों को शिक्षित कराता हैं, उनमें सुधार करना।
3. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को सम्पूर्ण सुविधाएं देना।
4. प्रत्येक स्तर में महिला शिक्षकों की भर्ती प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के प्रवेश को प्रोत्साहित करना।
5. शासकीय विद्यालयों की स्थिति बदलने की आवश्यकता।
6. शासकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी हैं, तो सहायक शिक्षक की नियुक्ति सही से की जानी चाहिए।
7. प्रत्येक विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्था हो सभी विषयों के शिक्षक अलग–अलग हो।
8. शिक्षकों को शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कार्य नहीं दिया जाए।

शोध अध्ययन का निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध अध्ययन का संक्षेप में निष्कर्ष निकाला जाए तो यही कहा जा सकता है। संपूर्ण अध्याय में शिक्षकों तथा शासकीय शिक्षण संस्थानों की स्थिति तथा सुधार संबंधित वर्णन किया गया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा पढ़ाई की सही से देखभाल करने से है। शासकीय संस्थानों की ऐसी स्थिति का पता लगाना है तथा सरकार द्वारा इनकी स्थिति सुधारी जाए तथा भविष्य बच्चों का सही हो। अत: शासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को सही से नियुक्ति करना जिससे शिक्षकों की कमी को रोका जाए जिससे देश के विकास में सहायता मिले और प्रत्येक गरीब बच्चों के लिए शासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मासिक पत्रिका
2. समाचार पत्र
3. बुक गूगल.कोम.इन पृष्ठ. क्र. 137
4. कुदेसिया डा उमेश चन्द 'शिक्षा प्रशासन' 2008 पृष्ठ,62,63

रीवा में पर्यटन के नए आयाम

डॉ. ज्ञानेन्द्र पाठक *

शोध सारांश – भारत के पर्यटन उद्योग की स्थिति डॉवाडोल है,क्योंकि विदेशी पर्यटकों,विशेषकर महिला पर्यटकों के साथ सामूहिक बलात्कार,लूट,मारपीट तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध दिल्ली,दतिया,बनारस,भोपाल जैसे शहरों में अनेक बार वारदात होने से विदेशी पर्यटक भारत आने से कतरा रहे हैं, वर्ष2015 मे विदेशी पर्यटक आमद काफी कम दर्ज हुई।,वर्ष 2015 मे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 6.9 प्रतिशत 15.24 लाख करोड़ रूपये था, जो 2017 मे बढकर 9.4 प्रतिशत रहा तथा 41.622 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जिसे 2028 तक 9.9 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा हैं। 2016 मे 8.89 मिलियन विदेशी पर्यटक जबकि 2017मे 10मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काम्पिटिटिव रिपोर्ट के अनुसार 136 देशों के पर्यटन उद्योग मे भारत की 40 वी रैंक है, जबकि कीमत प्रतियोगिता मे 10वीं रैंक है।हवाई यातायात मे 29वी रैंक है जबकि प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर के मामले मे 9वी रैंक है। पर्यटन उद्योग से प्राप्ति की दृष्टि से 16वी रैंक है। वर्ल्ड टूरिज्म आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे आधारभूत पर्यटक सुविधा, होटल आवासीय इकाई, ए.टी.म.की सुविधा अपर्याप्त है। पर्यटन के नए आयाम ईको पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यटन से आर्थिक विकास में तेजी आती है पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन उपलब्ध कराने में भारत का 5वां स्थान है, जिसे और ऊपर पहुँचाया जा सकता है। पर्यटन उद्योग राजस्व प्राप्ति,रोजगार सृजन तथा वैश्विक संबंध बढाने का प्रमुख माध्यम है।

इको पर्यटन के अन्तर्गत बीहर, तमसा, महाना नदियों में वाटर स्पोर्ट–वोटिंग एन्जलिंग,रोप वे, यहाँ से लगे पहाडों पर ट्रेकिंग,जंगल केम्प, एवं ध्यान मेडीटेशन काटेज का विकास किया जा सकता है। पुरवा–चचाई–क्योटी–बहुती–जलप्रपात में पर्यटक सुविधाओं का विकास,सोंदर्यीकरण कर यहॉ की जड़ी बूटियों से समृद्ध घाटी से आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। सफेद शेर सफारी के खुलने से रीवा के पर्यटन उद्योग में फिर से जान आ गई है। घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है।विन्ध्य पर्वत और मुकुन्दपुर में जैव–विविधिता, प्राकृतिक सौंन्दर्य, पर्यावरण पर्यटन प्रेमियों के अनुकूल है।

प्रस्तावना – भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी 6.25 प्रतिशत थी, जो इसकी क्षमता के अनुसार काफी कम है ईरान तथा बांग्लादेश में विदेशी पर्यटकों का अन्त: प्रवाह भारत की तुलना में अधिक है। 83 प्रतिशत विकासशील देशों की विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र का पर्यटन उद्योग हैं। पर्यटन से आर्थिक विकास में तेजी आती है। पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन उपलब्ध कराने में भारत का 5वां स्थान है, जिसे और ऊपर पहुँचाया जा सकता है। पर्यटन उद्योग राजस्व प्राप्ति,रोजगार सृजन तथा वैश्विक संबंध बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है।

सफेद शेर सफारी 'मुमुन्दपुर'– रीवा नरेश स्व.मार्तण्ड सिंह जूदेव ने शिकार के दौरान 1951 में सीधी के जंगल से सफेद शेर शावक 'मोहन' को पकड कर गोविंदगढ किले में पाला और उसकी संतति को बढाया। रीवा से सफेद शेर को जवाहर लाल नेहरू अमेरिका तथा अन्य देशों को भेंट स्वरूप रीवा से भेजा गया, इस प्रकार आज पूरी दुनिया में 200 सफेद शेर हैं, जिसमें 100 सफेद शेर भारत में हैं। मोहन 1951 से 1971 तक अपनी मौत तक रीवा में ही रहा तब से 40 साल रीवा सफेद शेर विहीन हो गया। काफी प्रयासों के बाद मई–2016 में सफेद शेर सफारी मुमुन्दपुर के लोकार्पण के साथ अब रीवा में 2 सफेद शेर आ गये हैं। इस सफारी के खुलने से रीवा के पर्यटन उद्योग में फिर से जान आ गई है। घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। मुमुन्दपुर में जैव–विविधिता प्राकृतिक सौंन्दर्य पर्यावरण प्रेमियों के अनुकूल है। विंध्या तथा नकुल 02 सफेद शेर, बंगाल टाईगर, भालू,चीता,हिरण,मगर जैसे जंगली जानवर इस सफारी चिडिया घर को पर्यटक काफी पसंद कर रहें हैं तथा इस पर्यटन स्थल को बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बेहतर बता रहे हैं। 25 हेक्टयर क्षेत्रफल में 50 करोड लागत से यह सफारी निर्माणाधीन है। अभी इसमें पर्यटक सुविधाएँ बढाने और जंगली जानवरों की संख्या बढ़ाकर जंगलो में खुला छोडने की योजना भी है। दुनिया की पहली सफेर शेर सफारी रीवा में एक दिन के भ्रमण पिकनिक हेतु सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पहुचने का किराया 20 रूपये तथा इन्ट्री फीस 20 रूपये हैं। यहीं से कुछ दूर पर गोविंदगढ का किला तालाब मंदिर है, जहाँ मोहन सफेर शेर को शुरूआत में पाला गया था यहाँ तालाब में बोट सुविधा उपलब्ध है। गोंविंदगढ से लगे पहाडों पर ट्रेकिंग ,इको पर्यटन,ध्यान मेडीटेशन, काटेज, हनीमून काटेज एवं ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जा सकता है।रीवा से गोविंदगढ केवल 20 कि0मी0 दूर है।

गुढ – रीवा से गुढ केवल 20 कि0मी0 दूर रीवा–सीधी राज्य मार्ग पर स्थित है।भैरो बाबा की गुढ के गड्डी पहाड में ले टी विशाल, खूबसूरत श्याम प्रतिमा अद्धितीय है,यह 33 फीट लंबी तथा 8 फीट चौडी है।इस स्थल का और सौंदर्यीकरण एवं हरियाली से विकसित कर यहाँ ध्यान केन्द्र मेडिटेशनल कोर्स, यहाँ की दुर्लभ जडी–बूटी से भरपूर विन्ध्य पर्वत ही रमणीय वैली को आयुवेर्दिक चिकित्सा, मेडिकल टूरिज्म,इकोटूरिज्म,साहसिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ किले खण्डहर प्राचीन गोरगी स्थल, गुफा शैल चित्र पुरातात्विक एवं एतिहासिक स्थल हैं। यहाँ हस्त शिल्प,

* अतिथि विद्वान,शासकीय महाविद्यालय, केशवाही, शहडोल (म.प्र.) भारत

पाक एवं अन्य कला के बाजार को बढ़ावा देकर ग्रामीण पर्यटन को समृद्ध किया जा सकता है।

एशिया का सबसे बडा सोलर पावर प्लांट भी गुढ में पर्यटको को आकर्षित कर सकता है। यातायात सड़क सुविधा अच्छी स्थिती में है। जल पान ग्रह, होटल काटेज रेस्ट हाउस का निर्माण शासकीय एवं निजी इंवेस्टर्स से कराया जाए।यहाँ के पहाडों एवं खाली डिग्रेडेटेड लैण्ड को सवॉरने वृक्षारोपण,आम के बाग, सामाजिक वानिकी से री जनरेट कर के ग्रास व प्लांट लगाये तथा शिफ्ट कराया जाएगा।

इको पर्यटन – इको पर्यटन के अन्तर्गत बीहर, तमसा, महाना नदियों में वाटर स्पोर्ट–वोटिंग एन्जलिंग, रोप वे यहाँ से लगे पहाडों पर ट्रेकिंग,जंगल केम्प, एवं ध्यान मेडीटेशन काटेज का विकास किया जा सकता है। पुरवा–चचाई–क्योटी–बहुती–जलप्रपात में पर्यटक सुविधाओं का विकास, सोंदयीकरण कर यहॉ की जडी बूटियों से समृद्ध घाटी से आर्युविद चिकित्सा पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। विन्ध्य पर्वत माला की सुरम्य घाटियों में छोटे–बड़े 8 जल प्रपात हैं। क्योटी भारत का 26 वॉ, सबसे ऊँचा 98 मी0 जलप्रपात है,जो रीवा से 40 कि0मी0 सिरमौर तहसील के लालगॉव में महान नदी पर है।सिरमौर में ही रीवा से 42 कि0मी0पर भारत का 25वॉ सबसे ऊँचा 130 मी0 जलप्रपात है जो बीहर नदी पर है।रीवा का सबसे गहरा बहुती जलप्रपात ओड्डा नदी पर रीवा से 85 कि0मी0 दूर, मउगंज तहसील पर दर्शनीय स्थल है।

ग्रामीण पर्यटन – ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत गॉवों की संस्कृति, लोक कला, स्थानीय शिल्प व हस्त कला,कौशल,उत्सव, मेला, आभूषण, वनौषधी,परम्परागत व्यंजन पाक कला और प्रकृति को पर्यटन के लिए खोजना,सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के उपाय शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र का चयन कर विशिष्ट तत्वों के विकास पर जोर दिया जाता है। पाककला, आतिथ्य सत्कार मे दक्षता ,होटल यातायात प्रबंधन, ऑनलाइन बुकिंग द्वारा पर्यटन के सभी आयामों का विकास निजी इंवेस्टर्स की सहभागिता से कराया जाय तो पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से किया जा सकता है।

व्यंकट भवन पीली कोठी रीवा शहर में स्थित सुरंग को पर्यटकों के लिए खोलना, यहीं पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय पर्यटकों को आकर्षित करता है। रीवा की धरोहरों का सर्वे किया जा रहा है।रीवा की अनूठी पहचान सुपाड़ी के खिलौने, छड़ी, डिब्बी, लैम्प इत्यादि को प्रोत्साहित करना,लकडी के खिलौने,बॉस के हस्त शिल्प के बाजार को विकसित किया जाना चाहिए जिससे व्यक्तित्व व कला का विकास,स्थानीय संसाधनो का उपयोग,विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक हो सके।

बौद्ध धर्म अनुयाइयों का केन्द्र देउर कोठार स्तूप स्थल गढ, रीवा–इलाहाबाद मार्ग है।यहाँ सोहागी पर स्थित पहाड विन्ध्य पर्वत दुर्लभ औषधीय घाटी के निकट होने से,यहाँ से लगे पहाडों तलहटियों पर ट्रेकिंग,जंगल केंम्प,ध्यान मेडीटेशन केन्द्र, काटेज द्वारा, पर्यावरण पर्यटन,साहसिक पर्यटन का विकास किया जा सकता है।हाल ही में बौद्ध टूरिज्म सर्किट पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने 75 करोड रूपये की राशि स्वीकृत कर आवंटित की है।इस सर्किट मे भोपाल के पास सॉची स्तूप, सतना में भरहुत स्तूप भी शामिल हैं।ये स्तूप दो हजार वर्ष पुराने अशोक मौर्य कालीन हैं, जिनका एतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व भी है।

हेरिटेज एवं क्रूज पर्यटन – हेरिटेज पर्यटन के अन्तर्गत एतिहासिक तथा प्राचीन महल, किले, गढी, को मरम्मत करा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर हेरिटेज होटल का स्वरूप प्रदान कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। हेरिटेज रेल से रीवा को जोड़ा जा सकता है।राजस्थान हेरिटेज होटल व हेरिटेज रेल के मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।रीवा से 60 कि0मी0 शहडोल मार्ग पर बाणसागर डैम पर क्रूज पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए।

सूरक्षा एवं स्वच्छता– पर्यटकों की सूरक्षा का इंतजाम, पुलिस एवं वन सुरक्षा कर्मियों तथा निजी सुरक्षा एंजेसी की सहभागिता से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ताकि रीवा की छवि सुरक्षित पर्यटन केन्द्र के रूप में विश्व पटल पर कायम हो सके। लूट–बलात्कार एवं हत्या जैसे कांड सख्ती से रोकने होगे, क्योंकि बढ़ती हुई ये घटनाएॅ पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। विदेशी पर्यटकों की आमद घटने से विदेशी मुद्रा की आवक भी घटती है।

पर्यटन केन्द्रों में स्वच्छता के विशेष प्रयास होना चाहिए जिससे रीवा की छवि विश्व पटल पर निखरेगी। लोगों के रोजगार एवं सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। सडकों के किनारे प्रकाश एवं हरियाली हेतु फूल–फल के छायादार पेड–पौधों के रोपण द्वारा सौंदर्यीकरण होने से पर्यटक अधिक आकर्शित होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव अंजली,विन्ध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग की संभावनाएं।
2. सिंह पुष्पेन्द्र प्रताप,म0प्र0 में पर्यटन उद्योग।
3. सिंह नीतू, रीवा जिले में धार्मिक पर्यटन उद्योग।

पत्रिका –

1. योजना– 2015–17, कुरूक्षेत्र–2015–17, इंडिया टुडे–2015–17, मनोरमा इयर बुक–2015–17
2. समाचार पत्र–पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर,हिंदुस्तान टाइम्स।

अन्य साहित्य–

1. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय भोपाल।
2. म.प्र.पर्यटन विभाग निगम।
3. म.प्र.पर्यावरण विभाग।
4. इंटरनेट– गूगल,यू–ट्यूब,खोज4यू।

****

मध्यप्रदेश - विकसित अर्थव्यवस्था की ओर

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी *

शोध सारांश – मध्यप्रदेश विकास उन्मुख राज्य की ओर बढ़ रहा है। यह विकासशील राज्य से उभर कर विकसित राज्य के रूप में गिना जाने लगा है। कृषि विकास दर की वृद्धि खनिज एवं उद्योग सिंचाई, बिजली, परिवहन एवं पर्यटन उद्योग के रूप में आशातीत सफलता प्राप्त किया है। भौगोलिक प्रतिकूलता, शिक्षा, परिवहन आदि के बावजूद विकास के पथ पर निरनतर बढ़ रहा है तथा मध्यप्रदेश हृदय स्थल नाम को चरित्रार्थ कर रहा है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। यह देश का क्षेत्रफल की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग कि.मी. है। प्राचीनकाल से ही यह विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। मौर्य साम्राज्य तत्पश्चात् गुप्त साम्राज्य तथा ग्यारहवीं शताब्दी में मुसलमान शासकों का साम्राज्य रहा, मध्यप्रदेश में सल्तनत मुगल साम्राज्य सिंधिया साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश सत्ता भी कायम रही।

मध्यप्रदेश में महिला शासक रानी अहिल्या बाई, कमलापति एवं रानी दुर्गावती आदि ने शासन किया।

मध्यप्रदेश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलताएँ हासिल की है। इस राज्य की सफलता अनेक अध्ययनों का विषय बन गई हैं। एक दशक के दौरान इसकी जी.एस.डी.सी. रू. 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है। कृषि उद्योग व खनिज, सिंचाई, बिजली, उद्योग, परिवहन तथा पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

शोध प्राविधि – प्रस्तुत शोध शोध प्राविधि की विधा पर आधारित है, समंकों का संकलन द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त समंकों के आधार पर संकलित किया गया है। शोध में समंकों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण तत्पश्चात् निष्कर्ष तक पहुँचा गया है।

परिकल्पना – प्रस्तुत शोध अनेक परिकल्पनाओं पर आधारित है –

- मध्यप्रदेश बीमारू राज्य से नहीं उभर पाया है।
- मध्यप्रदेश का भौगोलिक पर्यावरण आर्थिक विकास के उपयुक्त नहीं है।
- मध्यप्रदेश की जनसंख्या कुशिक्षित एवं जागरूकता से परे है।
- सरकारी प्रयास अनुकूल प्रभाव डालने में असफल रहे हैं।
- कतिपय कानून एवं व्यवस्था के प्रतिकूल क्रियाएँ आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की हैं।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अनेक उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया है।

- मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना।
- मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में पड़े प्रभावों का अध्ययन करना।
- अर्थव्यवस्था की कमी का अध्ययन करना।
- अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव देना।

विषय विश्लेषण – मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक से आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलता हासिल की है एवं अर्थव्यवस्था के विनियम क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों से लगातार कृषि कर्मण सम्मान से नवाजा है। दालों, तिलहन, सोयाबीन, फलिया, लहसुन, मुशरूम एवं औषधीय व सुगन्धित जड़ी-बूटियों के उत्पादन में राज्य देश में अग्रणी रहा है। बागवानी 5 से 15 लाख हेक्टर तक बढ़ी है। फलों और सब्जियों की पहचान कर ऐसे 600 स्थानों की पचास हजार हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य की 74.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में खेती पर निर्भर है और 49 प्रतिशत जमीन खेती योग है।

उद्योग एवं खनिज – मध्यप्रदेश आधुनिक उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे इलेक्ट्रानिक्स दूरसंचार, मोटर वाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश कर लिया है, ऑप्टिकल फाइवर का उत्पादन दूरसंचार प्रणालियों के लिए किया जा रहा है। पीथमपुर, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल का भारत हेबी इलेक्ट्रिकल्स लि., होशंगाबाद में सिक्युरिटी पेपर मिल, देवास में नोट छापने का प्रेस, नेपानगर में अखबारी कागज मिल, नीमच में अल्कालॉपड़ फैक्ट्री, बीना में ओमन बीना रिफाइनरी आदि औद्योगिक केन्द्र है। खनिज उत्पादन क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थान है राज्य में इक्कीस तरह के खनिज निकाले जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र का कोयला, खनिज, भिलाई का लोहा खनिज, देश में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

सिंचाई – मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकवा 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोटेक्ट को पूरा किया गया है। 5 वर्षो के दौरान 3 बड़ी 5 मझली, 700 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। सिंचाई क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि हुई है।

बिजली – विद्युत क्षेत्र में 12 वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन 4,500 मेगावाट से बढ़कर 17,169 मेगावाट हो गया है। बिजली उत्पादन 5 वर्षों में 64 प्रतिशत बढ़ा है। देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच में तथा 750 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र रीवा जिले के बदवार में स्थापित किया गया है।

उद्योग एवं रोजगार – प्रदेश में एम.एस.एम.ई. नीति के अंतर्गत 50 हजार इकाईयों का पंजीकरण किया गया है। 5 हजार करोड़ रूपये के निवेश से

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला - रीवा (म.प्र.) भारत

स्थापित इन ईकाईयों में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। भविष्य में एक लाख एम.एस.एम.ई. को पंजीकृत करने का लक्ष्य है।

परिवहन – मध्यप्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई 58,423 कि.मी. है। जिसमें 4,709 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 10501 कि.मी. प्रान्तीय राजमार्ग हैं। लगभग 70 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे के क्षेत्र में अनेक प्रमुख रेलमार्ग प्रदेश से गुजरते हैं। भोपाल, बीना, ग्वालियर, इन्दौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन मुख्य जंक्शन है। क्षेत्रीय मण्डल मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में है।

पर्यटन उद्योग – मध्यप्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पचमढ़ी का धूपगढ़ चोटी, भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान तथा मुकुन्दपुर (सतना का) सफेद शेरों का नेशनल सफारी पार्क आकर्षण का केन्द्र है। माहेश्वर, महाकालेश्वर (उज्जैन), ओंकारेश्वर और अमरंकटक धार्मिक महत्व के स्थान हैं।

समस्याएँ – मध्यप्रदेश में यद्यपि पर्याप्त आर्थिक विकास की संभावनाएँ उपस्थित हैं। किन्तु विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी है, जिसके अनेक कारण है। मध्यप्रदेश का अधिकांश भाग घाटी पहाड़ियों खोहों आदि दुर्गम स्थलों से भरा है। जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्यत्र कल्याणकारी योजनाएं पहुँचने में कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। जनता में अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव आर्थिक विकास में बाधा बना हुआ है। सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही विकास को आगे बढ़ाने में रोड़ा है।

सुझाव – मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास के लिए शासन को नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, जिसमें समाज के शिक्षित एवं बुद्धिजीवियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। परिवहन, बिजली, सिंचाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। जनता की समस्याओं को सुनने एवं निराकरण करने में तीव्रता लानी चाहिए तभी शासन जनता के मनोवृत्ति के अनुकूल बन पाएगा और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी।

निष्कर्ष – मध्यप्रदेश में अनेक जटिलताएँ विद्यमान हैं। इन सबके बावजूद पिछले 12 वर्षो से प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ रहा है। क्षेत्रफल की विशालता, भौगोलिक प्रतिकूलता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में पिछड़े होने के बावजूद प्रदेश अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलता प्राप्त किया है। कृषि क्षेत्र में भारत का प्रथम राज्य बन गया है तथा कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जैसे सिक्युरिटी पेपर मिल, नोट छापने का प्रेस मध्यप्रदेश में प्रमुख हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, प्रो. रमेश चन्द्र शर्मा, राजीव प्रकाशन, मेरठ, 2007, पृ. 3,4,75
2. म.प्र. सामान्य ज्ञान, डॉ. राजेश कुमार सिंह, लुसेन्ट्स पब्लिकेशन, 2017, पृ. 379, 379, 380
3. भारत 2017, संदर्भ ग्रन्थ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
4. www.publicationdivision.nic.in, www.mp.gov.in

****

रतलाम जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु जिला सहकारी बैंक का योगदन

मोनिका कूदालिया *

शोध सारांश – जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हडड्ी का महत्व हैं, ऐसा ही महत्व किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंक का हैं। बैंक जनता की बचत को व्यवस्थित रखने का सबसे बड़ा हितेषी हैं। जिला सहकारी बैंक रतलाम कृषकों की स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हैं। सहकारी बैंक द्धारा जिले के कृषकों एवं कृषक मजदूरों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बैंक द्धारा कृषकों को कृषि कार्य में पूँजी से सम्बन्धित आने वाली समस्या से निपटने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारी बैंक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है, ताकि कृषक अपने कार्य में अधिक–से–अधिक लाभ प्राप्त करे एवं उच्च जीवन स्तर एवं अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हो।

प्रस्तावना – विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का एक केन्द्रीय बैंक होता हैं। भारत का केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया हैं, जिसके अंतर्गत भारत मे कार्यरत विभिन्न प्रकार के बैंक कार्य करते हैं। जिला सहकारी बैंक रतलाम द्धारा भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियमों का पालन किया जाता हैं। जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर स्थापित होने वाली वह संस्था है, जिसका कार्य जिले में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन व मध्यकालीन व दीर्घकालीन साख्र सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। रतलाम जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की स्थापना 15–11–1949 में की गई थी। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कम–से–कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना था। अब तक रतलाम जिले में सहकारी बैंक की 22 शाखाएँ खोली जा चुकी हैं एवं सभी शाखाओं का उद्देश्य ग्रामीण कृषकों की सुविधा के लिए कार्य करना है। बैंक द्धारा कृषकों को सिंचाई हेतु तथा पशुपालन तथा कृषकों के अन्य कार्य हेतु ऋण दिया जाता हैं ताकि इन सुविधाओ के माध्यम से कृषक अपने कार्य में आगे बढ़े व अपनी बचत को बढ़ाए।

यह कहा जाए कि देश का भविष्य कृषि पर निर्भर है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि विकास की गति को तेजी से चलाने वाला साधन कृषि है। कृषकों की स्थिति में सुधार हुए सर्वप्रथम कृषि में सुधार होना आवश्यक है। इसके लिए कृषि में उन्नत बीज, अच्छे यंत्र एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य – जिला सहकारी बैंक द्धारा कृषकों को ऋण की प्राप्ति उचित समय पर करवाई जाती है, जिससे कि कृषक ऋण का फायदा उठा सके। प्रस्तुत शोध कार्य में यह जानने का प्रयास किया कि कृषकों द्धारा सहकारी बैंक द्धारा दि गई सुविधाओं का फायदा लिया जा रहा हैं या नहीं। शोध का उद्देश्य कृषकों को बैंक से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि कृषक सहकारी बैंक से ऋण लें व इसे अपने कार्य में उपयोग कर अपनी आय में वृद्धि करे तथा कृषकों को इस बात के लिए जाग्रत करना कि बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग अपने कृषि कार्य में ही करे।

परिकल्पना –

1. जिला सहकारी बैंक द्धारा कृषकों के लिए कई ऋण योजनाए चलाई जा रही हैं। तथा कृषक इससे लाभांवित होकर इन योजनाओं से संतुष्ट हो रहे है।
2. जिला सहकारी बैंक से ऋण लेने के बाद कृषकों कि वार्षिक आय में बढोतरी हुई हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।

अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले को लिया गया है तथा यह शोध कार्य रतलाम जिले तक ही सीमित रखा गया है।

उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में स्वयं द्धारा किए गए साक्षात्कार एवं अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

समंकों का संकलन –

1. **प्राथमिक समंक –** अनुसूची, साक्षात्कार के माध्यम से किया गया।
2. **द्धितीयक संमक –** विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकिय उपक्रमों द्धारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, समाचार पत्र के माध्यम से किया गया।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श सर्वेक्षण प्रणाली एवं उद्देश्य पूर्ण चयन प्रणाली का प्रयोग किया गया।

रतलाम जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु जिला सहकारी बैंक का योगदान ग्रामीण कृषक जो कि हमारे देश की प्रगति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि बिना कृषक के कृषि कार्य सम्पन्न नही किया जा सकता कृषक वह व्यक्ति हैं, जो सबका पेट भरने के लिए ख्रुद पसीने में नहाता हैं। कृषकों के इसी श्रम को लाभ में बदलने के उद्देश्य से सहकारी बैंक रतलाम द्धारा कृषकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिला सहकारी बैंक रतलाम द्धारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएँ सरलता से उपलब्ध की जाती है। जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं किसानों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंक रतलाम अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है।जिला सहकारी बैंक रतलाम द्धारा कृषकों को ऋण इस प्रकार से दिए जाते है।

1. **अल्पअवधि ऋण –** यह ऋण कृषकों को एक वर्ष के लिए दिया जाता हैं, यह ऋण ग्रामीण कृषकों की छोटी – छोटी आवश्यकता के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये ऋण फसल बोने के समय लिया जाता हैं व फसल कटाई के बाद चुका दिया जाता हैं।
2. **मध्यअवधि ऋण –** यह ऋण कृषकों को तीन से पॉच वर्ष की अवधि

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

के लिए दिया जाता हैं। यह ऋण कृषकों को कृषि यंत्र खरीदने एवं यंत्रो की मरम्मत एवं कृषि के अन्य कार्य के लिए दिया जाता हैं।

3. **दीर्घअवधि ऋण –** यह ऋण कृषकों को पाँच वर्ष से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता हैं। इस ऋण की अवधि अधिक होने के साथ इसकी उपयोगिता भी अधिक होती हैं, इसलिए यह ऋण कम लिया जाता हैं। क्योंकि इसकी पूर्ति भी अधिक समय के लिए होती हैं।

जिला सहकारी बैंक रतलाम द्वारा कृषकों की आय को दुगुना करने हेतु एवं कृषकों को आर्थिक सहायता पहुचाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कृषकों को किसान केडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही हैं। साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त जानकरी से यह पाया कि जिला सहकारी बैंक रतलाम से किसान केडिट कार्ड प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही हैं।

जिला सहकारी बैंक रतलाम द्वारा
किसानों को जारी किसान क्रेडिट कार्ड

क्र.	विवरण	राशि	प्रतिशत
1.	2009–10	1,07,938	–
2.	2010–11	1,14,100	5.70%
3.	2011–12	1,15,973	7.44%
4.	2012–13	1,16,938	8.33 %
5.	2013–14	1,25,346	16.12%

स्त्रोत – जिला सहकारी केन्द्रीय बैं क मर्यादित, रतलाम।

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता हैं कि कृषकों द्वारा सहकारी बैंक की किसान क्रडिट कार्ड योजना का लाभ लिया जा रहा हैं। जैसे वर्ष 2010 – 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में 5.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई , वर्ष 2011 – 2012 में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2012 – 2013 में 8.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई वर्ष 2013 – 2014 में 16.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अत: सहकारी बैंक द्वारा जारी किसान क्रडिट कार्ड में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही हैं किसानों द्वारा इस योजना का ज्यादा लाभ लिया जाता हैं।

सहकारी बैंक रतलाम द्वारा कृषकों कि आय को दुगुना करने हेतु एवं कृषकों को आर्थिक सहायता पहुचाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कृषकों को किसान केडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही हैं। साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त जानकारी से यह पाया कि जिला सहकारी बैंक रतलाम से किसान केडिट कार्ड प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही हैं। बैंक द्वारा कृषको को उच्च गुणवत्ता के बीज व खाद समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि इसका लाभ कृषकों को मिले ओर उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्य मे उत्पादों यूरिया, उन्नत बीज के बारे में जानकारी दी जाती है एवं तरल जैव उर्वरकों व कंपोस्ट के महत्व व लाभ के बारे मे बताया गया। ताकि इसके अधिक से अधिक उपयोग करने से भूमि की उर्वरकता के साथ साथ फसल के उत्पादन में बीस से पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को सिंचाई योजना जैसे नलकूप, कुआँ, नहर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि कृषक द्वि–फसलीय कार्यक्रम अपनाए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो।

कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला सहकारी बैंक रतलाम द्वारा अपनी कई शाखाएं निकट गांवों में खोली गई ताकि कृषकों को बैंक से सम्बंधित कार्य के लिए अधिक दूरी पर न जाना पड़े बैंक द्वारा कृषकों को कृषि से संबंधित हर योजनाओं से अवगत करवाया जाता है। जिससे कि कृषक बैंक की योजनाओं का लाभ ले और अपने कार्य में पूंजी, बीज, खाद आदि के कारण आने वाली समस्या को दूर करे।

उपसंहार – जिला सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना व कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर करना है। बैंक द्वारा कृषको को कृषी से सम्बंधित सभी बात की सही जानकारी मिले, सही मार्गदर्शन मिले, खेती लाभ का धंधा बने व किसान के चेहरे पर प्रसन्नता व जीवन में खुशहाली हो इसके लिए जिला सहकारी बैंक व राज्य सरकार निरंतर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। कृषकों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए जिला सहकारी बैंक अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है। एवं ग्रामीण कृषक अपने कृषि में अपार लाभ प्राप्त करे इस हेतु जिला सहकारी सदैव प्रयासरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जिला सहकारी बैंक वार्षिक प्रतिवेदन ।
2. समाचार पत्र कृषि विशेष ।
3. पत्रिका , नईदुनिया ।

****

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों में बचत एवं विनियोग प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. एन. एल. गुप्ता* ऊँकार सिंह रावत**

प्रस्तावना – किसी भी देश को यदि अपना विकास करना है, तो वहॉ की पूँजी निर्माण की दर का उच्च होना अपेक्षित है। जिस हेतु बचत दर व विनियोग दर में निरन्तर वृद्धि होना चाहिए। इसमें वृद्धि करने व उसे बनाए रखने के लिए समाज में ऐच्छिक बचतों का होना अनिवार्य है। जिससे समाज में बचत हेतु बिना अभिप्रेरण का प्रयोग किए स्वस्फूर्त रूप में पूँजी प्राप्त की जा सके। इससे दो लाभ होगें प्रथम देश की जनता का राष्ट्र विकास में सक्रिय योगदान होगा और द्वितीय कम लागत पर अधिकतम पूँजी एकत्र हो सकेगी। ऐच्छिक बचतों के गतिशील होने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में वित व साख संस्थाओं आदि का होना भी आवश्यक है, जिससे सुगमतापूर्वक धन एकत्र हो सके।

बचत एवं निवेश आर्थिक विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इन दोनों के माध्यम से ही पूँजी निर्माण संभव होता है। शासन का कार्य प्रशासन तक सीमित नहीं है, अपितु वह आर्थिक विकास एवं देश के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस संदर्भ में शासन द्वारा बचत हेतु जन-जागरण व अभिप्रेरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है एवं विभिन्न निवेश संस्थाओं को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। किसी देश के नागरिक द्वारा अपनी आय का कोई भाग बचाकर उसे शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के माध्यम से विनियोजित करते है। ऐसी स्थिति में किया गया निवेश व्यक्तिगत निवेश कहलाता है एवं इस प्रक्रिया में कर्ता की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति निवेशक कहलाता है। प्राय: एक नौकरी पैसा व्यक्ति, पैशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर , इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउण्टेंट , सेवानिवृत्त व्यक्तिगत निवेशक की श्रेणी में आते है।

मध्यप्रदेश के जिलो में से एक धार जिला आज से कुछ वर्ष पूर्व उद्योगविहीन जिला था। इस जिले की लगभग 17 प्रतिशत भूमि ही कृषि उपयोगी थी। शेष भूमि या तो बंजर अथवा कृषि उद्देश्य से अलाभप्रद थी जिसका प्रभाव स्थानीय, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक जीवन पर पड़ा है। रोजगार के अवसरो की कमी को दूर करने, स्थानिय लोगों की आर्थिक स्थति सुधारने व देश के जन जीवन को सामान्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास हेतु चयनित किया गया। लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि में 800 उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य से इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा किया गया।

परिकल्पना – पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियो में बचत एवं विनियोग प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए निम्न परिकल्पना मानी गई है–

1. सामान्यता प्रत्येक वर्ग का कर्मचारी बचत करता है और इस बचत को निवेशित भी करता है।
2. वित्तिय संस्थाओं के विकास से बचत एवं विनियोगों को बढ़ावा मिलेगा।
3. पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारी कर-बचत एवं विनियोग योजनाओं के प्रति जागरूक है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। शोध आकड़ो हेतु शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् वेतनभोगी कर्मचारियों से मौखिक साक्षात्कार विधि एवं प्रश्नावली भरवाकर ऑकड़ो का एकत्रिकरण किया गया है। समंको का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया। शोध अध्ययन क्षेत्र के रूप में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र लिए गए है।

उद्देश्य –

1. बचत एवं विनियोग में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के योगदान का विश्लेषण करना।
2. वेतनभोगी कर्मचारियों में बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा कर-बचत करने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों का लाभ उठाया जा रहा है अथवा नहीं।

शोध विश्लेषण – सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाओं में से कितने व्यक्ति अपनी बचत को विनियोग के विभिन्न साधनों में निवेशित करते है, इसकी जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट है –

बचत एवं विनियोग प्रवृत्ति को दर्शाने वाली तालिका –

क्र.	निवेश के साधन	उत्तरदाताओं की संख्या %
1.	बैंक (बचत खाता + स्थायी खाता)	28
2.	जीवन बीमा योजना	22
3.	डॉकघर बचत खाता	2
4.	प्राविडेण्ट फण्ड (भविष्य निधि)	2
5.	शेयर / डिबेन्चर्स	Nil
6.	बीमा योजनाऐं	Nil
7.	ब्याज पर देकर	Nil
8.	सोना – चॉदी	6
9.	पूराने ऋण चुकाने में	8
10.	किसी ऋण देने में	2
11.	घर पर जोड़कर	8
13.	शादी-ब्याह रिति-रिवाज में	6

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, जिला- बड़वानी (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

क्र.	निवेश के साधन	उत्तरदाताओं की संख्या %
14.	अन्य	8
15.	विनियोग नहीं करते	8
	योग	100

स्त्रोत-व्यक्तिगत साक्षात्कार।

उक्त तालिका स्पष्ट करती है कि निवेश के परम्परागत विकल्पों की ओर तो निवेशकों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से बना ही हुआ है किन्तु आधुनिक विकल्पों में जैसे- जीवन बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि तथा बैंक के प्रति भी उत्तरदाताओं का झुकाव है। इन विकल्पों में विनियोग करने पर निवेश की छूट धारा-88 में मिलती है जो निवेश की छूट के साथ-साथ आय भी प्रदान करती है।

निस्कर्ष - प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों में बचत एवं विनियोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस हेतु विविध प्रकार के विनियोग माध्यमों का प्रयोग भी वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से इनकी आय का एक निश्चित प्रतिशत भाग प्रॉविडेण्ट फण्ड में काट लिया जाता है। अत: इस प्रकार ये अनिवार्य बचत व विनियोग दोनों ही है। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों में ऐच्छिक बचत करने की प्रवृत्ति भी पायी गयी है। जिसमें से अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी अपनी बचत को बैंक में विनियोजित करते है। अत: अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि वेतनभोगी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति एवं उनका रहन-सहन साधारण जनता से कुछ अच्छा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बीमा के सिद्धांत - डॉ. आर. के. विश्नोई, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा - 02,2010
2. भारत में अधिकोषण- प्रो. अग्रवाल वी.पी. साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा-03,2010
3. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचनालय मध्यप्रदेश सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

****

मानव संसाधन प्रबंध का विकास, चुनौतियां व समाधान

मृदुलता सिकरवार *

शोध सारांश – भारत एक विकासशील देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र आर्थिक विकास के लिए तथा देश के विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया। नियोजन की सफलता के लिए सरकार द्वारा उद्योग स्थापित किए गए। मानव संसाधन प्रबन्ध, प्रबन्ध की एक विशिष्ट शाखा है, जो मानवीय समस्याओं से सम्बधित है। मानव संसाधन प्रबन्ध एक विकासोन्मुख क्षेत्र है। मानवीय संसाधन की सफलता तभी सम्भव है जब इसके क्रियान्वयन पर निरंतर विचार दिया जाए व प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाए। समस्त प्रबंधकीय कार्य पर नियंत्रण रखते हुए सभी व्यवस्थाओं, पद्धतियों, नीतियों, आचरणों, प्रक्रियाओं आदि का समुचित प्रबन्ध किया जाए। वर्तमान में मानव संसाधन प्रबंध इतना व्यापक और चुनौतियों पूर्ण हो गया है कि संगठन में बहुउद्देश्यीय भूमिकाओं का निर्वाहन करना पड़ रहा है, जहाँ एक ओर मानव संसाधन प्रबंध सेविवर्गीय प्रशासन से जुड़ा है वही दुसरी ओर औद्योगिक सम्बधित तथा श्रम कल्याण कार्यो को भी पूर्ण करता है। मानव संसाधन प्रबंध मानव विकास की एक ओर रोचक कहानी प्रस्तुत करता है कि मनुष्य से महान कोई प्राणी नहीं होता है। उसके निरन्तर प्रयत्न करने से ऐसी कोइ भी चीज नही है जिसे वह प्राप्त न कर सके क्योंकि मनुष्य की क्षमताऐं अनन्त होती है, पहले मनुष्य के कार्य सीमित थे और न इतनी आवश्यकताऐं थी। लेकिन समय बदलने के साथ–साथ परिस्थितियां भी बदल गई और धींरे–धींरे बदलाव आने लगा और 20वी सदी में हुए प्रबंध में बदलाव ने तो मानव संसाधन प्रबंध की दिशा ही बदल दी। अब प्रबंध में मानव संसाधन को उत्पादन का स्तम्भ माना जाता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के साथ –साथ निजी क्षेत्र भी सामाजिक ,आर्थिक एंव राजनैतिक परिवर्तनों के साधन बन गए। वर्तमान में देश के विकास में सार्वजनिक व निजी उद्योग दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब भारत का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था और यह तभी सम्भव था जब मानव संसाधन का विकास हो और यह केवल एक क्षेत्र में नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। इसमे शिक्षा और कृषि औद्योगिक विकास पर सबसे महत्व दिया,जिससे कि देश का ढांचा बदल सके। मानव संसाधन विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि चलाकर उद्देश्य एंव योजनाऐं इस प्रकार तैयार करनी थी कि प्रत्येक व्यक्ति उपक्रम की सफलता के लिए समर्पित होकर रचनात्मक भूमिकाऐं निभाए इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव संसाधन को उपक्रम की सभी गतिविधियों में अधिकतम सहभागी होना चाहिए, जिससे मानव संसाधन को अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

प्रस्तावना – मानव संसाधन का विकास कब प्रारम्भ हुआ इसका कहीं पर भी निश्चित वर्णन नहीं किया गया है। परन्तु जबसे व्यक्तियों ने कार्य करना प्रारम्भ किया होगा, तभी से इसकी आवश्यकता को महसूस किया होगा। अन्य विकसित देशों में मानव संसाधन प्रबंध का प्रारम्भ व्यवसायिक स्तर पर स्वेच्छा से हुआ। वही भारत में भी इसका प्रारम्भ अनेक नीतियों तथा आपसी हस्तक्षेप से हुआ। किसी संगठन में व्यक्तियों का प्रबंध उतना ही पुराना है जितना कि हमारे समाज में संगठनों का अस्तित्व। भारत में मानव संसाधन प्रबंध का विकास अधिक पुराना नही है। भारत में मानव संसाधन प्रबंध का विकास 1920 में हो गया था। उस समय देश के कुछ पूंजिपतियों व उद्योगपतियों ने यह प्रयास किया कि देश में संसाधन के कल्याण कानून में आवश्यक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए क्योंकि उस समय मानव प्रबंध का स्तर केवल लिपिकीय ही था भारत में श्रमिको के असन्तोष के बातावरण को ध्यान में रखते हुए इसका प्रारम्भ हुआ। भारत में 1920 के दशक में कारखना कर्मचारी कल्याण का प्रांरभ हुआ। जिसमें 1931में श्रम राज आयोग में श्रम अधिकारी को नौकरी की खामियों एंव ऋणग्रस्तता ,मानसिक प्रतारण ,भ्रष्टाचार विरोध से कार्मियों की सुरक्षा हेतु नियुक्ति की जिसने श्रम प्रवक्ता के रूप में कार्य एंव कर्मचारियों के बीच प्रबंध के बीच की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। आजादी के बाद 1948 में कारखाना कानून बना, जिसके अनुसार 500 कर्मियों के हिसाब से एक श्रम अधिकारी की नियुक्ति की गई इस कानून ने उनकी योग्यता और कर्तव्यों को भी निश्चित किया। इस प्रकार सन् 1960 तक मानव प्रबंध का स्तर मात्र प्रशासकीय था बदलते परिवेश में समय की गति के साथ मानव प्रबंध हेतु उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण होने लगा था। इसके परिणामस्वरूप दो पेशेवर संस्थान का निर्माण हुआ एक संस्था का नाम सेविवर्गीय प्रबंध का भारतीय संस्थान और दूसरी का श्रम प्रबंध का राष्ट्रीय संस्थान ये दोनों संस्थान जूट व सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे किन्तु 1960 के बाद मानव संसाधन प्रबंध में त्रिकोणीय रूप में विकास हुआ। जैसे– श्रमकल्याण में वृद्धि ,औद्योगिक सम्बध में वृद्धि और सेविवर्गीय प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। मानव संसाधन प्रबंध धींरे–धींरे एक पेशे का रूप लेने लगा और उसका स्तर प्रशासकीय से प्रबंधकीय होने लगा। पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया। 1980के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण के कारण और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में वृद्धि होने के कारण विकसित देशों की बहुत सी कम्पनियों ने अपने मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया। लोगों का कल्याण कार्य की तुलना में विकास पर अधिक ध्यान होने लगा। सन् 1980 के बाद नई तकनीकों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा जैसे मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन प्रबंध को सबसे आगें रखा गया। धींरे –धींरे समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उदारीकरण और इसे विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के बाद भारतीय कम्पनियों में भी मानव संसाधन प्रबंध पर अपना ध्यान

* शोधार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

देना चालू कर दिया और फिर यहां से सेविवर्गीय प्रबंध ने मानव संसाधन प्रबंध का स्थान ले लिया और इस प्रकार से विशेषज्ञों का ध्यान मानव संगठन की ओर जाने लगा और उनका यह विश्वास होने लगा कि मशीनों की अपेक्षा मानव के मस्तिष्क पर अधिक ध्यान दे, जिससे भविष्य का निर्माण मानव संसाधन के द्धारा अच्छा होगा। 1990 में नई तकनीकी एंव पर्यावरण के बदलावों में मानव प्रबंध एक प्रमुख घटक बनकर सामने आया।1960 के दरम्यान मानव घटक के विस्तृत कार्य के कारण मानव संसाधन प्रबंध का जनम हुआ ,जिसे मानव –मूल्यों और दार्शनिक पहुँच में व्यवसायिक अनुशासनक्रम में देखा गया। इस प्रकार से भारत में श्रमकल्याण, औधोगिक, श्रम प्रशासन कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध में विकास हुआ।

शोध के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है

1. मानव संसाधन प्रबंध का अध्ययन करना।
2. मानव संसाधन प्रबंध की चुनौतियों का अध्ययन करना ।
3. मानव संसाधन प्रबंध के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. श्रमिकों की समस्यों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में द्धितीय समंकों का प्रयोग किया गया है। द्धितीय समंक वे समंक होते है, जो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में कहीं न कहीं उपलब्ध होते है तथा जिनके विषय में पहले से ही संकलित सामग्री होती है, द्धितीय समंक कहलाते है।

द्धितीय समंकों के प्रमुख स्त्रोत निम्नलिखित है –

पुस्तकालय, संग्रहालय, सरकारी मासिक पत्रिका, सरकारी वार्षिक प्रतिवेदन, गूगल–पुस्तक आदि।

शोध अध्ययन का क्षेत्र – किसी भी शोध कार्य को करने से पहले उसका क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए यदि ऐसा नहीं कर पाते तो शोध का कार्य कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। प्रस्तुत शोध का क्षेत्र मानव संसाधन के विकास पर आधारित है कि किस प्रकार से मानव संसाधन का विकास हुआ तथा किस प्रकार से विकास में नई –नई चुनैतियां आई और किस प्रकार उनका समाधन किया जा सकता है, पर आधारित है।

मानव संसाधन प्रबंध की चुनौतियां –

मानव संसाधन प्रबंध की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है –

1. विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों से कल्याण, अनुशासन की को अपेक्षा रखते है, जिससे औद्योगिक संबध अच्छे रहे परन्तु वे अधिकारी गण अपनी जिम्मेदारी भूल जाते है, जिससे वे अपना कार्य अच्छे से नही कर पाते।
2. कर्मचारियों व अन्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकारियों से मन अच्छे नही होते इसलिए अपने कार्य के रूकावट के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार मानते है और कार्य में बाधा पड़ जाती है।
3. व्यक्तिगत कार्यो एंव स्वार्थ के कारण नए युवाओं की भावना दब जाती है, जिसके कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उनके मन में असन्तोष आ जाता है।
4. शैक्षिक एंव अनुसंधान संस्थाऐं व्यवसायिक विचारधारा और मूल्यों के विकास में सफल नहीं हो पाई, उनका पठ्यक्रम आधुनिक व्यवस्था में पूर्ण नहीं है।
5. जो अधिकारी या कर्मचारी है, उनमें जिम्मेदारी का अभाव पाया। वे अपना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। जिससे कारण प्रगति में रूकावट आ जाती है।
6. कर्मचारियों में तकनीकी शिक्षा का अभाव होना, जिससे वे कार्य कर नहीं पाते है।
7. महिला कर्मचारी और पुरूष कर्मचारी में समानता का अभाव पाना।
8. कर्मचारियों को सही से उनकी योग्यता के अनुसार वेतन न मिल पाना
9. नेतृत्व विकास के लिए समुचित कार्य नहीं कर पाना।
10. श्रम श्रोतों की सही से जानकारी नहीं रख पाना।
11. विकास हेतु उपयुक्त अवसरों को श्रमिकों हेतु सुलभ न करा पाना।
12. कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखने में तथा प्रोत्साहन देने में कमी ।
13. संगठन में मानव संसाधन का मूल्यांकन न कर पाना।
14. मानव संसाधन के क्षेत्र में अच्छे से शोध न होना तथा निष्कर्षो व नीति निर्माण में उपयोगी न होना।
15. श्रमिकों के सही से प्रशिक्षण न हो पाना।
16. श्रम आंदोलनों का होना।

समाधान – मानव संसाधन प्रबंध से सम्बधित समस्यओं के समाधान निम्नलिखित है

1. उपक्रम के उद्देश्य के अनुरूप नीतियों का निर्धारण करना, संचार प्रणाली को विकसित करना, कार्यप्रणाली विकसित करना।
2. संगठन के सभी स्तर पर पर्यवेक्षण ,नेतृत्व और प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. नीतियों को सही से क्रियान्वित करना।
4. प्रशासन के सभी कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
5. श्रम आंदोलनों पर ध्यान देना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना ।
6. नीतियों के बारे में श्रमिकों को अच्छी तरह से समझाना तथा श्रमिकों व संगठनों से सुझाव लेना और उनके सुझाव को उच्च स्तरीय प्रशासकों तक पहुँचाने में सहयोग करना।
7. कर्मचारियों में अच्छे सम्बधं बनाए रखना तथा कर्मचारियों को विकास हेतु सभी सुविधिए उपलब्ध कराना
8. श्रम श्रोतों की सही से जानकारी रखना तथा जो कार्य है, उसके अनुसार सही व्यक्ति का चुनाव करना
9. कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन वितरण किया जाए तथा महिला कर्मचारी और पुरूष कर्मचारी दोनों को समान अधिकार व वेतन वितरण किया जाए।
10. कर्मचारियों को कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध का यही निष्कर्ष है की किस प्रकार मानव संसाधन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन प्रबंध के बिना तो मनुष्य के जीवन के विकास की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संसाधन प्रबंध के द्धारा ही कर सकता है। जब मानव संसाधन प्रबंध का विकास होगा तभी मनुष्य के जीवन का विकास होगा ।सरकार को मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रसाद एल.एम. मानव संसाधन प्रबंध सुल्तान चन्द एण्ड सन्स नई दिल्ली।
2. शर्मा जी.डी. 'मानव संसाधन प्रबंध' रमेश बुक डिपो ,जयपुर।
3. गुप्ता,डॉ,सी.बी.मानव संसाधन प्रबंध ,पृष्ठ–1.11

Indian Women In Development - In The Context Of Global Scenario

Dr. Sushma Saini* Dr. Abha Saini**

Abstract - Woman in development is the integration of women into the global economies by improving their status and assisting in total development. In the context of India, social and economic scenario has undergone a windfall change, and so has the status of women. Women have come out of the precincts of their home and have made significant contributions towards development in all fields, be it Research and Development, Business, IT, Education etc. you name it and there is bound to be a woman achiever in it. This paper covers the development and challenges of the women.

The transformation of social fabric of the Indian society, in terms of increased educational status of women and varied aspirations for better living, necessitated a change in the life style of Indian women. She has competed with man and successfully stood up with him in every walk of life. Many women have broken the barriers and achieved their dream. The dream of reviving its past glory to become the "Golden Peacock" again. Not only in India but the position of women has improved also in the global scenario. Today the C.E.O. of many international companies is women.

Women's empowerment is a prerequisite for stable development and growth. Achieving women's empowerment requires sound public policies, and a holistic approach. Long term commitment and gender specific perspectives must be integrated at the design stage of policy and programming. Women must have more equitable access to assets and services. Employment opportunities must be improved which increase recognition of women's vast unpaid work. Innovative approaches should be adopted and organization working for women should be supported at the national and global level.

Key Words - Development, Growth, Global, Scenario, Innovative, Empowerment.

Introduction - "Yatra Naryastu Poojyante, Romante Tatra Devta" – Manu

(Women are honoured where, divinity blossoms there)

Above quotation shows the importance of women in ancient India but the conditions of women became very poor in the medieval period. Now in Modern India the deprived woman has come in a long way. The situation has improved with some facts like improving literacy rate, political improvement and having decision making power etc.

The knowledgeable Indian women have to go a long way to achieve equal rights and position because customs are deep rooted in Indian society where the sociological set up has been a male dominated one. Despite all the social hurdles, India is brimming with the success stories of women. They stand tall from the rest of the crowd and are applauded for their achievements in their respective field.

Review of literature - Women empowerment is as a re-distribution of social power and control of resources in favor of Women (Goswami, 2013). So, it is a multidimensional social process that helps people to gain controls their own lives and thus enhancing their position in the power structure of the society (Baruah, 2013).

Empowering women and girls with more choices and more freedoms is crucial to achieving a better future for all. He also added that Women agency and freedom are among the crucial means for enhancing development (Sen, 2012). In the latest commitment endorsed by the World Bank and the United Nations, in addition to several other development goals, Promoting Gender Equality and Empower Women have got the high position. But, gaining control over their own lives is not an easy task as long as we cannot wither away the enormous gender gap in the provision of educational opportunities, and in the labor market, with women considerably disadvantaged which we notice in most developing countries (Thirlwall, 2007).

Gender gaps are widespread in access to and control over resources, in economic opportunities, in power and political voice (World Bank, 2001). Recently, the World Bank has made gender mainstreaming a priority in development assistance which identifies both gender equality and women empowerment as a major development objectives and means to promote growth, reduce poverty and support better governance, as described by Kabeer (2001).

***H.O.D. & Associate Professor (Economics) D.A.V. (PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**
****H.O.D. & Associate Professor (Political Science) J.K.P. (PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Objectives of the Study -

The objectives of present study are -

(1) To know the historical perspective about the development of women.
(2) To analyze the social, economic & political status of women.
(3) To identify the challenges and crime against women.
(4) To know the steps taken by the Indian Government.
(5) To offer useful suggestions.

Research Methodology - The present study is based on secondary data from Books, Journals, Websites and Various Reports (National & International) etc.

Concept of Development - Development is a phenomenon that is taking place in all walks of life. It aims at improving the quality of life of all people regardless of their sex or caste. Social development has to be construed along with the economic development and individual development. Social and economic developments go hand in hand, and this in turn, leads to sustainable development. For the development of society, it is necessary to develop the women folk.

Woman in development is the integration of women into the global economies by improving their status and assisting in total development.

Historical Perspective - The United Nations Development Program (UNDP) established a special Division for Women in Development, promoting concrete action to ensure that women participate in UNDP projects. The United Nations Paper International Development Strategy for the Third United Nations Development Decade, issued in 1980, recognized a number of Women in Development issues. It called for women to play an active role in all sectors and at all levels of the Program of Action adopted by the World Conference of the United Nations Decade for Women, both as agents and beneficiaries. Policies on industrialization, food and agriculture, science and technology and social development should all involve women.

In November 1990 the leaders of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries endorsed recommendations of the second SAARC ministerial meeting of Women in Development held in June 1990, agreeing that the years 1991–2000 should be observed as the "SAARC Decade of the Girl Child". A wide range of recommendations for improving the development of female children were accepted.

In India, the role of woman is known to be that of a homemaker. The status of women has undergone a windfall change from what it was in the Vedic age to till the era of globalization. In the Vedic era, women were not incarcerated to the precincts of the house. They were free to attend fairs, festivals and assemblies. In the post Vedic period, woman started to lose her status in society. During the Moghul rule, the socio economic status of women deteriorated a lot. Purdah system, child marriage and other social evils which were detrimental to the social status of women came into force.

During the British rule in India, legislations were enforced to modify the structure of society. Reforms were initiated for the upliftment of women. In continuation with this, post-independence, at least legally, men and women are considered to be equal. The Indian constitution aimed at attainment of equal status for women in every sphere of life.

Social, Economic & Political Status of Indian Women- The status of woman cannot be visualized with single dimension. So we can see the status of woman in terms of employment, education, health and politics in terms of gender gap index prepared by World Economic Forum in 2016.

Table 1 - (See in the last page)

Table 1 clearly depicts the status of low level of attainment of women in the various fields of their attainment. Keeping aside the Political Empowerment, the other three indices is all above the rank of 100. The rank of India in Political Empowerment is 9 out of 144 countries. The Political Empowerment rank is high due to the 73rd and 74th Constitution Amendments of India providing greater opportunity to women to take part in active politics.

Table 2 - (See in the last page)

The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum in 2016 ranked India 87th out of 144 countries for inequality between men and women in the economy, politics, health, and education. On equal economic opportunities and women's participation in the labour force, India ranked 136th and 135th respectively.

According to index the rank of India is 1st out of 144 countries the enrolment in primary and secondary education. The rank of Sex ratio of birth is 142 out of 144 countries which are very low but the rank of Healthy Life Expectancy is 71 due to improving medical aids in India. In the field of Political Empowerment the rank of Female Head of State (last 50 years) is 2nd out of 144 countries which show the improving political status of Indian woman.

Effects of Globalization on Women in India - The positive effect of globalization is that it has opened up broader communication lines and attracted more companies as well as different organizations into India. This provides opportunities for not only working men, but also women, who are becoming a larger part of the workforce. With new jobs for women, there are opportunities for higher pay, which raises self–confidence and brings about independence. This, in turn, can promote equality between the sexes, something that Indian women have been struggling with their entire lives. Globalization has the power to uproot the traditional treatment towards women to afford them an equal stand in society.

With the changing times and globalization, employability has seen an increasing trend. Owing to the inherent nature of woman which identifies with empathy and benevolence combined with strong determination and sharp business acumen, many firms have had significant success with a woman on the decision making chair.

Women have proved to be good team leaders. Indra Nooyi's climb to the 2nd rank of Fortune's 2016 list of powerful women exemplifies this. The success of brand name firms with women as chief executives has been impressive. The kinds of Kiran Mazumdar Shaw, Naina Lal Kidwai, Sullajja Firodia Motwani, Vidya Chhabria and Indra Nooyi, who dare to change the rules of game, are gradually paving their success path nudging aside the obstacles.

Challenges & Crime against Women - The barriers to women's empowerment are manifested in various ways. Deep-rooted ideologies of gender bias and discrimination like the confinement of women to the private domestic realm, restrictions on their mobility, poor access to health services, nutrition, education and employment, and exclusion from the public and political sphere continue to daunt women across the country. Other parameters that reflect the status and position of women in society are work participation rates, sex ratio in the age group of 0–6 years and gender based violence which remain heavily skewed against women.

According to the 2011 census, women account for 586.47 million in absolute numbers and represent 48.46% of the total population of the country. While there has been an appreciable gain in the overall sex ratio of 7 points from 933 in 2001 to 940 in 2011, the decline in child sex ratio (0–6 years) by 13 points from 927 in 2001 to 914 in 2011 is a matter of grave concern.

There has been an increase in literacy amongst women from 53.67 percent (Census 2001) to 65.46% (Census 2011). The challenge however remains in bridging the gender gap which stands at 16.68%.

Women empowerment is the vital instrument to expand women's ability to have resources and to make strategic life choices. But, Indian societies have received notoriety for being unsafe for women.

Table 3 - (See in the last page)

The crime rate under crimes against women was reported as 53.9 in 2015. Delhi UT has reported the highest crime rate (184.3) compared to 56.3 at all India level during the year 2015, followed by Assam (148.2), Telangana (83.1), Odisha (81.9), Rajasthan (81.5), Haryana (75.7) and West Bengal (73.4).

Uttar Pradesh with 16.8% share of country's female population has reported nearly 10.9% of total crimes committed against women at all India level, by registering 35,527 cases.

According to the Table 3, the cases of crimes against women during the year 2015 have decreased by 3.1% over the year 2014 and increased by 43.2% over the year 2011. The IPC component of crimes against women has accounted for 96.1% of total crimes and the remaining 3.9% were SLL crimes against women.

Steps taken by the Government - Development of women has been a policy objective of the government since independence.

The First Five-Year Plan (1951-56) envisaged a number of welfare measures for women. Establishment of the Central Social Welfare Board, organization of Mahila Mandals and the Community Development Programmes were a few steps in this direction. In the second Five-Year Plan (1956-61), the empowerment of women was closely linked with the overall approach of intensive agricultural development programmes.

The Third and Fourth Five-Year Plans (1961-66 and 1969-74) supported female education as a major welfare measure. The Fifth Five-Year Plan (1974-79) emphasized training of women, who were in need of income and protection. This plan coincided with International Women's Decade and the submission of Report of the Committee on the Status of Women in India. In1976, Women's welfare and Development Bureau was set up under the Ministry of Social Welfare.

The Sixth Five-Year Plan (1980-85) saw a definite shift from welfare to development. It recognized women's lack of access to resources as a critical factor impending their growth. The Seventh Five-Year Plan (1985-90) emphasized the need for gender equality and empowerment. For the first time, emphasis was placed upon qualitative aspects such as inculcation of confidence, generation of awareness with regards to rights and training in skills for better employment.

The Eight Five-Year Plan (1992-97) focused on empowering women, especially at the Gross Roots Level, through Panchayati Raj Institutions. The Ninth Five-Year Plan (1997-2002) adopted a strategy of Women's Component Plan, under which not less than 30 percent of funds/ benefits were earmarked for women related sectors. The Tenth Five-Year Plan (2002-07) aims at empowering women through translating the recently adopted National Policy for Empowerment of Women (2001) into action and ensuring Survival, Protection and Development of women and children through rights based approach.

The key strategies for women's agency in the 12th Plan (2012-17) have been identified as:

(i) Economic Empowerment
(ii) Social and Physical Infrastructure
(iii) Enabling Legislations
(iv) Women's Participation in Governance
(v) Inclusiveness of all categories of vulnerable women
(vi) Engendering National Policies / Programmes
(vii) Mainstreaming gender through Gender Budgeting

At present, the Government of India has many schemes for women operated by different departments and ministries. Some of these are:

(3) National Rural Livelihood Mission (NRLM)
(4) MGNREGS Scheme
(5) National Rural Health Mission
(6) Integrated Childhood Development Scheme
(7) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya And The Right of Children To Free And Compulsory Education Act
(8) Indira Awas Yojana / Rajiv Awas Yojana

(9) National Rural Drinking Water Programme And Total Sanitation Campaign
(10) Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana
(13) Beti Bachao Beti Padhao Scheme
(15) Women Helpline Scheme
(16) UJJAWALA Yojana
(18) Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers
(19) SWADHAR Greh
(20) Support to Training and Employment Programme for Women (STEP)

Suggestions - According to Mahatma Gandhi,

"If you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate an entire family."

Our predominant patriarchal system doesn't provide enough chances for women to have higher education even if they wish. Girls should be motivated to take up higher education. Universal education for all below 14 years should be strictly implemented. Gender sensitive curricular should be framed at all stages of primary education. Women should be allowed to work and should be provided enough safety and support to work. Legislations such as Equal Remuneration Act, Factories Act, Constitutional safeguards such as maternity relief, and other provisions should be strictly followed. Macroeconomic policies would help in this drive. They should be provided with proper wages and work at par with men so that their status can be elevated in society.Political empowerment of women is necessary for their emancipation. In recent years many steps have been taken so as to increase the participation of women in the political system. Apart from these, strict implementation of programs and acts should be there to curb the malpractices prevalent in the society.Strict measures should be taken for the implementation of Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, which prohibits any prenatal diagnostic techniques and sex selective abortions.Dowry prohibition acts & other legislat- ions pertaining to woman emancipation must be implemen ted strictly.

Conclusion - It can be said that today we are in a better position wherein women participation in all field of is increasing at a considerable rate. Efforts are being taken at the economy as brought promise of equality of opportunity in all spheres to the Indian women & laws guaranteed equal rights of participation in political process & equal opportun- ities and rights in education and employment were enacted.

No doubt women have the potential to achieve an equal footing with men. But, it is the social practices and male attitudes that are making an effective and invisible barrier preventing women from rising above a certain point. Empowerment of women could only be achieved if their economic and social status is improved. This could be possible only by adopting definite social and economic policies with a view of total development of women and to make them realize that they have the potential to be strong human beings. Swami Vivekananda had said "That nation which doesn't respect women will never become great now and nor will ever in future" and in pursuit of making India a great nation, let us work and strive hard in empowering women to the maximum.

References:-

1. Collier, Paul (December 1988), Women in Development: Defining the Issues. World Bank.
2. Pattnaik, Avaya Kesari Parichha (1996), "Women in Development". In S. N. Tripathy. Unorganised women labour in India. Discovery Publishing House. ISBN 81-7141-325-0.
3. Prakash, N. (2002), Status of Women in Indian Society-Issues and Challenges in Processes of Empowerment", GASAT Conference, Mauritius, 6-11 July, 2003, page 249-260.
4. Moser, Caroline (2002), Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge. ISBN 0-203-41194-3.
5. Suguna, M. (2011), Education and Women Empowerment in India. ZENITH: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(8), 19-21.
6. Census of India (2011), Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, p.80.
7. Amartya Sen (2012), "Securing the Future We Want: Gender Equality, Economic Development, and Environmental Sustainability" 67th UN General Assembly.
8. World Economic Forum (2016), The Global Gender Gap Report 2016.
9. Government of India, Planning Commission
   i. http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12th plan
10. Ministry of Women & Child Development
   i. http://www.wcd.nic.in/schemes-listing.

Table 1 - Global Gender Gap Index - 2016 (Out of 144 Countries) India

Overall Index	Year 2006		Year 2016	
	Rank	Score	Rank	Score
Global Gender Gap Index	98	0.601	87	0.683
Economic Participation and Opportunity	110	0.397	136	0.408
Educational Attainment	102	0.819	113	0.950
Health and Survival	103	0.962	142	0.942
Political Empowerment	20	0.227	9	0.433
Rank out of	115	-	144	-

(Source: Global Gender Gap Index, 2016 by World Economic Forum, 2016)

Table 2 - Details of Gender Gap Index - 2016 (Out of 144 Countries)

	Sub-Indices	Female	Male	F/M Ratio	Rank
1.	**Economic Participation and Opportunity -**				
	Labour Force Participation	28	82	0.34	135
	Estimated Earned Income (US$)	2103	9045	0.23	137
2.	**Educational Attainment -**				
	Literacy Rate	63	81	0.78	124
	Enrolment in Primary Education	93	92	1.01	1
	Enrolment in Secondary Education	62	61	1.01	1
	Enrolment in Higher Education	23	25	0.94	99
3.	**Health and Survival -**				
	Sex Ratio at Birth	-	-	0.89	142
	Healthy Life Expectancy	59	56	1.05	71
4.	**Political Empowerment -**				
	Women in Parliament	12	88	0.14	112
	Years with Female Head of State (Last 50)	21	29	0.72	2

(Source - Global Gender Gap Index, 2016 by World Economic Forum, 2016)

Table 3 - Crime Head-wise Cases Registered under Crime against Women during 2011-2015 and Percentage Variation in 2015 over 2014

Sr.No.	Crime Head	Year					% varia-tion in 2015 over 2014
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Rape	24,206	24,923	33,707	36,735	34,651	-5.7
2.	Attempt to Commit Rape	-	-	-	4,232	4,434	4.8
3.	Kidnapping &Abduction of Women	35,565	38,262	51,881	57,311	59,277	3.4
4.	Dowry Deaths	8,618	8,233	8,083	8,455	7,634	-9.7
5.	Assault on Women with Intent to Outrage her / their Modesty	42,968	45,351	70,739	82,235	82,422	0.2
6.	Insult to the Modesty of Women	8,570	9,173	12,589	9,735	8,685	-10.8
7.	Cruelty by Husband or His Relatives	99,135	10,6527	11,8866	12,2877	11,3403	-7.7
8.	Importation of Girl from Foreign Country	80	59	31	13	6-53.8	
9.	Abetment ofSuicide of Women	-	-	-	3,734	4,060	8.7
A.	Total IPC Crime against Women	2,19,142	2,32,528	2,95,896	3,25,327	31,4575	-3.3
10.	Commission ofSati Prevention Act	0	0	0	0	00	
11.	IndecentRepresentationof Women (P) Act	453	141	362	47	40	-14.9
12.	The Dowry Prohibition Act	6,619	9,038	10,709	10,050	9,894	-1.5
13.	Protection of Women from DomesticViolence Act	-	-	-	426	461	8.2
14.	Immoral Traffic (Prevention) Act	2,436	2,563	2,579	2,070	2,424	17.1
B.	Total SLL Crime against Women	9,508	11,742	13,650	12,593	12,819	1.8
Total		2,28,650	2,44,270	3,09,546	3,37,922	3,27,394	-3.1

****

Recruitment Is A Social Activity

Dr. Sunita Wathrey* Astha Rajak**

Abstract - The aim of this article is to highlight the transition of recruitment methods from the general traditional one to the modern approach. In this world of rapidly changing businesses, time and cost constraints are the biggest concerns. HR system also needs to work in accordance with these constraints. Recruitment being the major task of HR department also needs to be effective and within the stipulated time period. The hiring manager can overcome these constraints by using the social media effectively for the hiring process. In the current time, social media can be used as the largest and strongest way of communication.

The increasing impact of social networking sites in communication and socializing worldwide brings attention to how they can affect recruitment processes of graduates and postgraduates in organizations. Many employers are now searching for professionals' data to complement their assessment of job candidates and hiring decisions. While this still is not developed as a common practice by (HR) practitioners and recruiters, existing research remains underdeveloped from the perspective of graduates' use of such sites. In this paper, I discussed the importance of social media in recruitment process when used effectively and also highlighted the impact of it on the entire recruitment process. To validate the importance of social medium for the same I use references to the various articles and journals published previously by the other writers.

Many findings from graduates and professionals indicate that social networking sites (such as Facebook, LinkedIn etc) have been used by a large proportion of them and with a variety of purposes. Graduates use these sites to post their cyber personal data to reflect their daily lives, with no little or no regard for the content and its potential effects on employers. This leads us to suggest the importance for graduates to project an adequate perspective of their daily activity to potential employers on social networking sites and for further clarification on how they can become a common reference for both employers and graduates.

Key Words - Social Networking Sites, Recruitment, Social Media, HR, Employers, Candidates, Communication.

Introduction - As Over the past few years, the process of HR recruiting has changed dramatically. While in the older days recruiters once had to meet candidates at career fairs, or college campus or wait for resumes to get dropped off at the office, but now in the current scenario they can now target and communicate with potential candidates on social media without going anywhere. Nowadays recruiters are not limiting themselves only through the job portals rather they started believing in posting the job openings in the social media which includes LinkedIn, Facebook and WhatsApp.

Even though many sites like Facebook, Twitter, and LinkedIn have millions – even billions – of users through which the desired candidate can be easily targeted and even contacted.

They have become the handy resource for recruiters looking for top talent. And if done well, social recruiting can have a big impact not only in terms of hiring but also in terms of reputation. Companies that succeed at social recruiting hire some of the best job seekers and they create modern, tech-savvy brands.

While these companies are well known for launching social media recruiting campaigns and building strong relationships on social platforms, statistics indicate that social recruiting is becoming more and more widespread every year.

Recruiting the best candidates is critical to any company's success today and many exciting tools have been created to help them find and source the key talent. But choosing the most suitable tool to meet an organization's specific needs can become a tricky job for employers.

Social Recruiting is -

- Making new connections through Facebook, LinkedIn etc.
- Engaging which is very important.
- Actively network and engage in target groups.
- Proactive search for right talent.
- Referencing.
- Networking.
- People driven.
- Listening.
- Strategic.
- Collaboration.
- Continuous efforts and building approach.

Mediums of Social Recruitment - Social recruiting uses social media profiles, blogs, and online communities as a talent database to find and search for passive candidate

*H.O.D. & Professor (Economics) Pt. Shambunath Shukla Govt. P.G. College, Shahdol (M.P.) INDIA
**B.E (IT) & MBA (Management Studies) SGSITS, Indore (M.P.) INDIA

data and information. It also uses social media to advertise jobs either through HR vendors or through crowdsourcing where job seekers and others share job openings within their online social networks.

Topping the social recruitment leaderboard is LinkedIn followed by Facebook and Twitter. These mediums provide easy access to the profiles of the potential candidates and well as some of their personal information. Close tracking of the candidates also helps to know the attitude, the personality of the candidate thus enabling the company to hire the ideal person for the job and optimizing recruitment costs. In order to be successful companies should know how to start, which medium to use, making sure that the company pages are updated and establish the company as a relevant source and not just a company posting about job openings.

Literature Review - According to **Jobcast.net**, more than 90% of recruiters have adopted social media marketing strategies to bring new workers on board. When integrated with a variety of high-tech and demographically targeted strategies, recruiters have a better chance of finding and hiring the highly skilled and talented applicants they want. As per the research conducted by **Creotivo** about the most used social networking channels, there are more devices connected to the Internet that there are people on Earth, that 40% of people socialize more online than they do face-to-face, 100.000 tweets are sent, 2 million queries are searched on Google and 684.478 pieces of content are shared on Facebook every minute.

A survey by **financial services recruiter Joslin Rowe** has found that 40 percent of employers now use social networking sites to run searches on job applicants' (Phillips, 2007: 11). This follows a trend in which 'since 2006, there has been a 17% increase in human resource professionals who use social networking sites as recruiting, resume verification and applicant screening tools at least occasionally' (SHRM Survey in Point for Credit Union Research & Advice: 2008:23).

In the UK, another survey of **consultants from 30UK IT staffing firms** found that 58% think site such as Facebook, and MySpace® are more useful for recruitment than printed advertisements; in addition, 49% of consider social networking sites more effective then internet banner advertising in finding staff' (Svvas, 2007: 36).

A June 2010 study by **Jobvite** revealed that 73.3% of surveyed companies turn to social networking sites to recruit and hire new employees. Nearly 60% of companies surveyed for the study also reported having successfully hired a new employee found through social networking websites like LinkedIn and Facebook.

These sites are becoming more popular in the recruitment industry (Helene, 2009:6), and used by a number of recruitment teams of companies to identify and find out additional information about prospective candidates (Kilby, 2007). LinkedIn® is another good example of the application of social networking site in recruitment practices. It is a social network that contains 8 million professionals spread across the world, users include executives from all of the fortune 500 companies, and it is used as the main recruitment tools by a good number of IT companies in both USA and the UK (Langfitt, 2009) (Karl, 2009). In the US, a recent survey Robert Half International highlighted that nearly two-thirds (62percent) of 638 executives interviewed believe professional networking websites such as LinkedIn, will be useful recruitment tools (Robert Half International in HR forces, 2008:9).

There are lots of options to source candidates these days – either through social media, or different job boards, referrals, agencies or with the help of an ATS system every medium has their own pros and cons here I'm discussing the props of social medium over the other medium.

Advantages of Using Social Media in Your Recruitment Advertising Strategy -

1. You can reach those passive candidates - When any company advertises its vacancies purely using job boards, they're limiting your reach to those who are searching for new roles. Social media is a great tool for tapping into that pool of potential candidates who aren't actively seeking a new role but would be open to change if they encounter any right opportunity. This is particularly important when recruiting for niche roles, such as Developers or Engineers, where there's a national skills shortage and candidates are more likely to be snapped up quickly.

2. It's a great way of showcasing your company culture - The company website and careers site are the ideal places to show the company's values, culture, and employment status. However, not all the people are a frequent visitor of the website, so it's good to share these details on their Twitter feed and LinkedIn company page like photos of their team, update their followers with news and communicate their latest vacancies.

When you share this kind of content on your social media accounts, it will reach people who are already following your company. And what better people to come and work for you than existing advocates of your brand.

3. It allows you to target your vacancies - If you're recruiting for a particular job sector, try sharing your vacancies within LinkedIn Groups. There are thousands of professional groups for Engineers, Finance professionals, HR workers…any job sector you can think of.

You can also use other social media tools to target your vacancies, such as Twitter hashtags or asking any employees who currently work in a similar role to share the vacancy to their connections.

4. It's free to use - Okay, so there are features on social media that do cost money. Paid advertising, such as LinkedIn Job Posts and Job Slots come at a price, as will a Recruiter License. However, it costs nothing to share your vacancies on your LinkedIn company page or on Twitter or Facebook.

5. Screen your candidates - Social media isn't just a great tool for advertising your vacancies; it's also a

tool that some employers use to screen candidates.

When you assess a candidate's application, you can review their skills, previous experience, and personal qualities. However, you can't check for alignment with your company culture and values. This is where the social media check comes in.

Social recruiting falls broadly into two categories- Push and Pull.

Push strategy is used for passive job seekers who are highly talented and are currently working for another organization but are of high value according to the company. Since they are passive in nature the company has to make efforts in order to stimulate them to apply for jobs. Techniques like phone sourcing and internet sourcing are used where cold calls or individual means are sent to the prospective recruiting targets so as to create a positive image of the company in their minds.

Pull strategy, on the other hand, is an old fashion method used when candidates are actively seeking job opportunities. Techniques like a job posting and using social media pages are applied where the candidates view a company's profile and the job opening and then based on their perception of the company and job decide whether they want to apply or not.

Thus, it is important for the company recruiting through social media to ensure to have large network and employers who are technology savvy and have the ability to understand the personality and attitude of the people after close monitoring and interactions. Social recruitment offers a new dimension for hiring and is the way forward for companies to attract talented personnel and if planned and implemented properly provides it a competitive edge to the company also called the "Blue Ocean Strategy".

Conclusion - Personal networks have always been crucial to recruiting, and today's technologies have made it even easier than ever to build strong and meaningful connections. Social media tools allow recruiters to focus with laser-like precision on the exact type of candidates and their information that they are seeking. While some employers are just dipping their toe in the water with a LinkedIn ad, others, such as online clothing retailer Zappos, have gone all in on social media recruiting.

As per reports, In May 2014, Zappos announced that it would no longer use traditional job boards or post job notices on the company's website. Instead, the Las Vegas-based company has invited job seekers to become members of its proprietary social network, called Zappos Insiders, where they can learn about the company and talk to current employees. Zappos promises Insiders top consideration for available openings.

Of course, each enterprise needs to find the best way to use social media to meet its own particular recruiting needs. Here is how three companies are doing so.

Here's the breakdown of which social networking sites companies are using for hiring as reported by **eMarketer:**

- **LinkedIn** - used by 80% of companies recruiting through the social Web.
- **Facebook** - used by 55% of companies recruiting through the social Web.
- **Twitter** - used by 45% of companies recruiting through the social Web.

As you might expect, the success rates that companies report from those social network recruiting efforts reflect the demographics of the primary user audiences of each site -

- **LinkedIn** - 90% of companies that recruit through social networks have successfully found candidates on LinkedIn.
- **Facebook** - 27.5% of companies that recruit through social networks have successfully found candidates on Facebook.
- **Twitter** - 14.2% of companies that recruit through social networks have successfully found candidates on Twitter.

Companies are having so much success in finding new employees through social web tools that half of the employers included in **the Jobvite** survey reported plans to increase spending in that area and decrease spending on traditional job boards and employee recruiting firms.

So, why not take advantage of your social media accounts? Just remember to track and report on your success to see which platform is the most effective.

If you don't feel like you have the time to share your vacancies on social media, just talk to your marketing team and work alongside them. Alternatively, many types of recruitment software have an automated social media sharing feature, such as Web recruit's Fusion Plus.

References :-

1. https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 1119&context=gradconf_ hospitality
2. http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/b/The-use-of-social-media-in-the-recruitment-process.pdf
3. https://repository.cardiffmet.ac.uk/bitstream/handle/10369/8525/Bamokarah%2C%20Saud%20Salem.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0914-social-media-recruiting.aspx
5. https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2010/07/15/social-network-recruiting-tool-linkedin-facebook/#4b011d592957
6. http://www.onrec.com/news/features/the-importance-of-social-media-in-recruiting
7. Collins, K.M.T., Onwuegbuzie, A.J., & Jiao, Q.G. (2006). Prevalence of mixed-methods sampling designs in social science research. Evaluation and Research in Education, 19(2), 83-101.
8. Drum, K. (2010, September 8). Using social media to attract & engage passive candidates. Ere.net, Retrieved September 13, 2010, from http://www.ere.net/webinars/using-social-media-to-attract-engage-passivecandidates/
9. http://www.rpoedge.com/advantages-and-disadvantages-of-social-media-recruiting/

Financial Sector Reforms With Reference To The International Standards

Dr. Leena Sharma*

Introduction - With globalization several aspects of the economy have come under international scrutiny, the financial sector is not only one of them but has several important implications. It is difficult to decide what ought to be the extent of financial reforms because of variations in national practices and the objects of the respective governments. The role of financial intermediaries and specially banks is important in this context. One of the indicator and source of financial stability is the level of public confidence put in. Banks play a significant role in financial stabilization because these are the prime intermediaries both for money and capital market. The monitoring is important because "banks often operate payments systems, carry on array of exposures, face liquidity shortages in the short run and are connected with host of institutions domestically and internationally". (Vasudevan 2001) It is difficult to define financial stability because financial institutions emerge without prior notice and no precise limits can be set for financial volatility, which is essential part of financial optimization process. It is not change per se but the magnitude of change that is crucial for analysis. Financial intermediaries especially banks have assets that are mature in the long run but have liabilities of comparatively shorter nature. Recent development in the banking sector has aggravated the problem because even the long term deposits may be encashed in short run. Quantum Optima is one.

Such example where the distinction between short term and long term liquidity is but a proverbial 'fig leaf '. To add fuel to the fire, there is low quality of assets due to herd behavior or adverse selection. The consequential rise is NPA ought not to be a surprise. To make the matter worse, the same problem may extend to other financial institutions. The soundness of the financial market implies soundness is money, debt, capital and foreign exchange markets. The heart of competitiveness and desire for quick profits may lead to herd behavior and adverse selection ultimately leading to instability in the financial markets.

International Norms for Data Base - That there may be mismatch in the expectations in the free market need not be proved. The only valid preposition is how this mismatch can be minimized and regulations or better prudential norms or standards may be set so that the credibility of financial institutions is not eroded. It is in this context that the international standards may be set. The Mexican crisis led IMF to undertake an exercise for standard database. Though the list of standard indicators is very long and as much as 43 indicators have been listed, but even most advanced countries cannot adopt these. However, it has been short-listed to 12 indicators as listed below;

A. Data and policy transparency -
(i) Transparency in Monetary and Financial policies
(ii) Code of Good practices in Fiscal transparency
(iii) SDDS/GDDS

B. Market Practices -
(i) International Accounting Standards
(ii) International Standards in Auditing

C. Market integrity and Regulatory Infrastructure -
(i) Core Principles for Payment System
(ii) Core Principal for effective Banking Supervision
(iii) Objectives and principles of Securities regulation
(iv) Insurance Supervisory principles

D. Economic Justice -
(i) Principles on effective Insolvency systems
(ii) Principles of Corporate Governance
(iii) The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering

The problem with these standards and parameters are that a few of these can not be measured quantitatively. But even if it could be measured, the set of macroeconomic data must be consistent and the interlink ages are to be established. Understanding the process through which such standard transmits their impact on other standards has important implications for the overall financial stability. The commodity price stability is but one of these. One of the important sets of standard consists of transparency in the financial system. But this has been rightly categorized as double-edged weapon. If due to transparency there is panic and herd behavior the system becomes unsustainable. On the other side due to transparency there may be better vigil by monetary authorities and therefore sound fiscal decisions may be made ' As a result the institutions may be forced to concentrate on investment in risk free securities and shrink loan portfolios.' (vasudevan 2001)

Mention may be made of Special Data Dissemination Standards (SDDS) and General data Dissemination

* (Economics) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Standards (GDDS). The former is supposed to be more stringent than the later. The former is required for access to international capital markets.

Then there are standards relating to market practices. These consist of international accounting standard and international auditing standards. It leads to better resources management and better accountability towards shareholders and finance providers in general. It need not be added that the government is also benefited. The growth prospects are widened.

The standards relating to market integrity and regulatory infrastructure would enable markets to access to better quality of information. Also it will prohibit undue interference by regulatory authorities and thus ensure against erratic or whimsical behavior so characteristics of the regulatory authorities especially government. The implicit moral hazard may best be ignored or left it on the wisdom of portfolio choosier. The last block relating to economic justiceis prevalence of the rule of law. The risks would be matter managed along with allocative efficiency and economic growth.

The Implementation in India - As far as India is concerned, it was confirmed by IMF that India has accepted the code. The IMF report on Standards and Codes is a public document. In fact the IMF report gives high rank to India as far as fiscal transparency is concerned. (IndraRajraman 2002). In June 2001 a report was issued by a committee headed by MontekAhluwalia. This was supposed to provide the status of the fiscal code issued by IMF. The four central guidelines related to clarity of roles and responsibilities, public availability of information, open and transparent budget presentation and Assurance of integrity relating to fiscal information.

While the above-referred committee concluded that these informations are available in general and consequently IMF gave high marks to India, The reality is somewhat different

(i) Information relating to division of powers between central and state governments is available and well defined in the constitution of India; but this is rarely followed in practice. There has been a lot of overlapping of activities. The expenditure on rural roads development is one such example. If one looks at the date of sanction by the central government, the date of fund availability and actual implementation by the respective state government, the principle of transparency and its macro economic linkages are at once broken. The procedural issues are not trivial matters. This evident in case of allocation of funds between state and local governments. The respective fiscal commissions sharing the center – state proceeds are changing formula every now and then. The large database collected by the Commission is withheld from public (Indira Rajraman 2001). Similar analysis may be made regarding Public Accounts Committee. Even its high quality reports are seldom discussed unless it has some political connotations such as a real or imaginary scandalous deal. Worst of all no action may be taken because its role is purely advisory.

(ii) The IMF expects that not only the budget should provide detail memo but should also provide the outcomes of last two fiscal years and the forecast for two ensuring budgets. This implies a sort of commitment, consistency and continuity. But there is always a mismatch between the budget estimate and actual implementation. But the more serious matter has rightly been raised by Indira Rajraman" The million tax returns presently submitted do not include those paying taxes on salary through TDS who do not submit a tax return because they are not required to under the one by six scheme. There is probably no other country in the world with a personal income tax whose information is not available on the total number paying the income tax.

(iii) The need for annual budget with comprehensive and consistent macroeconomic framework is desirable in International Standards. Such model should include all-important national and international data. The models may differ. Due to change in tax structure the historical tax rates may not be valid. For example the buoyancy in historical tax rate in the period 1987-88 to 1999-2000 was 1.54 but the official figures may differ. These inconsistencies are to be sorted out. As is the practice in government spending the later half of the year shows almost twice spending of the first half. This practice ought to be avoided to curb wasteful expenditure.

(iv) The IMF guideline requires that the national statistical agency should be provided independent status. In this connection the exercise undertaken by National Statistical Commission should be carefully studied and implemented.

To sum up the IMF guidelines are necessary for fiscal transparency. But we are to go a long way before any satisfactory scenario may develop.

References :-

1. A.Vasudevan, 'International Standards and Code of Financial Stability' Economic and Political Weekly vol. XXXVI No 20, May 19-25 2001.
2. Indira rajraman, 'Fiscal Transparency' Economic and Political Weekly vol. XXXVI No 52, Dec 29 2001.

****

ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (धार जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. कुशल जैन कोठारी * मंजुला मण्डलोई **

शोध सारांश – गांवों के विकास की धुरी सड़के होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर गाँव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है गाँवों में सड़क बनने के पश्चात् वहाँ विकास के सभी संसाधन बढ़े हैं। जिसमें ग्रामीण शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं।

प्रस्तावना – सड़के किसी भी देश की आधारभूत व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि सड़के न हो तो ग्रामीण विकास की बात सोच भी नहीं सकते है। केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है जिसका प्रारंभ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर 2000 को किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। धार जिले के ग्रामीण विकास में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन के उद्देश्य – अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि –

1. ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल जाने के स्थान की स्थिति को जानना।
2. स्कूल तक जाने में परिवहन साधन वाहन के उपयोग की स्थिति को जानना।

अध्ययन की परिकल्पना – शोध अध्ययन में यह परिकल्पना कि गई है कि –

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल जाने के स्थान तथा स्कूल तक पहुंचने में परिवहन साधन वाहनों के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा है।

अध्ययन क्षेत्र एवं विधि – शोध अध्ययन क्षेत्र धार जिले से मैंने उद्देश्यपूर्ण दैव-निर्दशन विधि के माध्यम से जिले के 4 विकासखण्ड – कुक्षी, बाग, निसरपुर, गंधवानी में से पांच-पांच गाँव जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित है, उन गाँव में से 20-20 परिवार के मुखिया व्यक्तियों जैसे – कृषक व्यापारी, मजदूरों को न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड से 100 तथा कुल 400 न्यादर्श का चुनाव किया गया है तथा सांख्यिकी तकनीक में काई वर्ग परीक्षण रकल्पना का प्रयोग किया गया है कि –

H_0 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल जाने के स्थान तथा स्कूल तक पहुँचने के लिए परिवहन साधन वाहनों के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उक्त परिकल्पना के परीक्षण में ***x^2-Test*** का प्रयोग किया गया है –

तालिका क्रमांक 1 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से 76 प्रतिशत न्यादर्श का कहना है कि हमारे बच्चे व भाई-बहन शहर के स्कूल में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते है, जिसमें 2 प्रतिशत पैदल चलकर, 10 प्रतिशत साइकिल से 14 प्रतिशत मोटर साइकिल से 32 प्रतिशत स्कूल बस से 17.5 प्रतिशत आटो रिक्शा से, .5 प्रतिशत अन्य साधन से स्कूल जाते है। जिसमें 1.5 प्रतिशत पैदल चलकर 5.5 प्रतिशत साइकिल से, 2 प्रतिशत मोटर साइकिल से 3 प्रतिशत स्कूल बस से तथा 5 प्रतिशत ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते है। 17 प्रतिशत न्यादर्श के अनुसार, गाँव से बाहर अन्य गाँव में स्कूल जाते है 7 प्रतिशत न्यादर्श का कहना है कि हमारे बच्चे व भाई बहन गाँव के स्कूल में स्कूल जाते है जो कि 1.5 प्रतिशत पैदल चलकर 2 प्रतिशत साइकिल से 2 प्रतिशत स्कूल बस से तथा 1.5 प्रतिशत अन्य साधन से स्कूल जाते है। जो बहुत कम है। जबकि स्कूल तक जाने में साधन वाहन उपयोग करने की दृष्टि से सड़क बनने से सबसे अधिक 37 प्रतिशत न्यादर्श का कहना है कि हमारे बच्चे व भाई बहन स्कूल बस से स्कूल जाते है, 22.5 प्रतिशत न्यादर्श के अनुसार ऑटोरिक्शा से, 17.5 प्रतिशत साइकल से, 16 प्रतिशत न्यादर्श के अनुसार मोटर साइकिल से 5 प्रतिशत न्यादर्श का कहना है कि स्कूल पैदल चलकर तथा 2 प्रतिशत न्यादर्श का कहना है कि हमारे गाँव के बच्चे व भाई बहन अन्य साधन/बस का उपयोग करते है।

काई वर्ग (x^2**-Test**) परीक्षण

Calculate value	df	Table 0.5 Value	Result
35.681	10	18.307	H0 Rejected

अत: स्पष्ट है कि काई वर्ग का परिकलित मान 35.681 है df = 10 का 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई वर्ग का तालिका मान 18.307 है, जो कि सड़क बनने के पश्चात् स्कूल जाने के स्थान की स्थिति तथा स्कूल जाने में साधन वाहन के उपयोग करने की स्थिति में सार्थक अन्तर है। अत: शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

अध्ययन में पाया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए शहर के स्कूल में या गाँव के बाहर अन्य गाँव में स्कूल जाने लगे है। इसका कारण सड़को के विकास होने से ग्रामीण बच्चे भी शहर की अच्छी स्कूल में जाने लगे है और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने लगे है। जिसमें सर्वाधिक स्कूल बस ऑटोरिक्शा तथा साइकल का उपयोग

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

कर स्कूल जाने में समय की बचत होती है साथ ही ग्रामीण बच्चों के शिक्षा स्तर में भी सुधार देखा गया है, जिससे की ग्रामीण विकास में बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्ति में सड़क का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन बढ़ने से कृषक लोग भी अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए शहर के स्कूल व गाँव के बाहर अन्य स्कूल में भेजने लगे है क्योंकि गाँव में प्राथमिक से हाई स्कूल तक की शिक्षा तो प्राप्त कर लेते थे परंतु सड़क के विकास होने से उच्च शिक्षा प्राप्ति के स्तर में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिक्षा के स्कूल जाने व स्कूल तक पहुंचने में साधन वाहन के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक 07
2. वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक 26
3. www.pmgsyonline.nic.in

तालिका क्रमांक 1

शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल जाने के स्थान व स्कूल तक जाने में साधन वाहन के उपयोग की स्थिति पर सड़क का प्रभाव

क्र.	स्कूल जाने के स्थान की स्थिति	स्कूल जाने में साधन वाहन के उपयोग की स्थिति						कुल
		पैदल चलकर	साइकल से	मोटर साइकल	स्कूल बस से	आटोरिक्शा से	अन्य साधन /बस	
1.	गॉव के स्कूल में	6 (1.5%)	8 (2.0%)	- –	8 (2.0%)	- –	6 (1.5%)	28 (7.0%)
2.	गॉव से बाहर अन्य गॉव में	6 (1.5%)	22 (5.5%)	8 (2.0%)	12 (3%)	20 (5.0%)	- -	68 (17.0%)
3.	शहर के स्कूल में	8 (2.0%)	40 (10.0%)	56 (14.0%)	128 (32.0%)	70 (17.5%)	2 (.5%)	304 (76.0%)

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

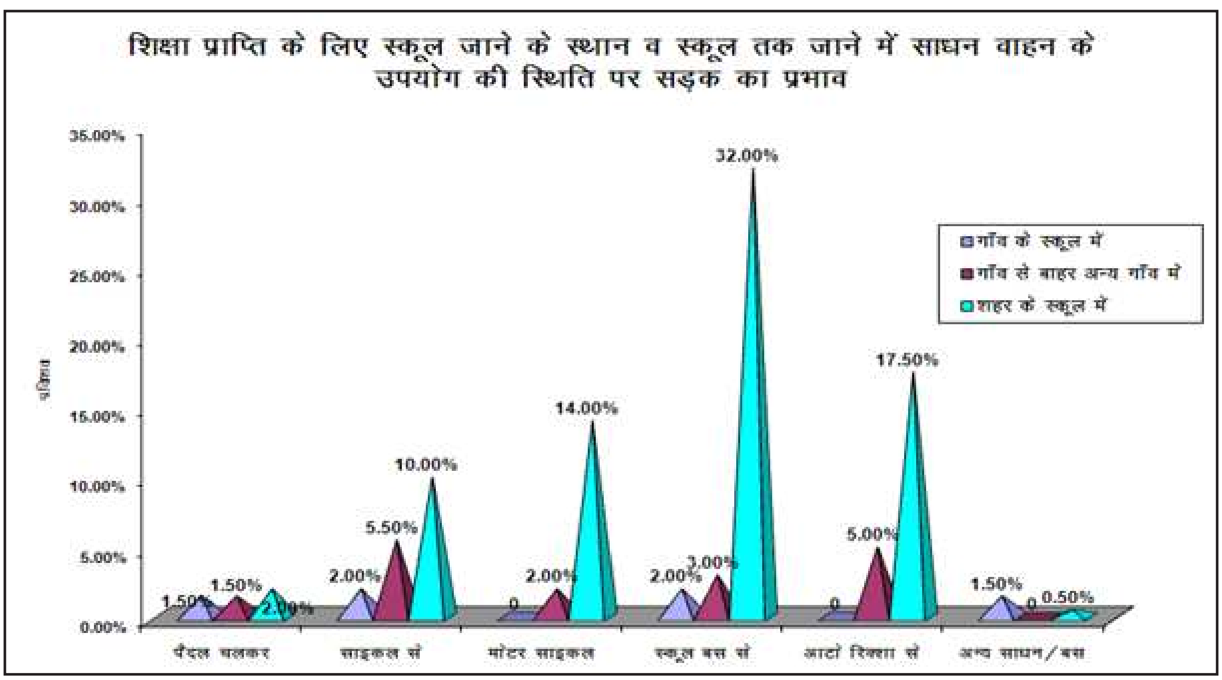

****

मध्यप्रदेश में कृषि उपज भण्डारण की व्यवस्था

प्रियंका गुप्ता *

प्रस्तावना – कृषि उपज को भावी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संग्रहण करके रखना भण्डारण कहलाता है। कृषि उपज सामान्यत: वर्ष में एक बार उत्पादित होती है लेकिन आवश्यकता सम्पूर्ण वर्ष के लिए होती है। इसी दृष्टिकोण से वर्ष भर के उपभोग हेतु विभिन्न स्तर पर कृषि उपज को कृषक व्यापारी एवं उद्योगपति संग्रह करके रखते हैं। कृषक सामान्यत: अपने सम्पूर्ण वर्ष की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकता एवं अगले वर्ष बीज के रूप में प्रयोग हेतु संग्रह करके रखते हैं। व्यापारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से संग्रहित करते हैं। यह विपणन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

प्रदेश में भण्डार गृहों की संख्या – प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार गृह निगम के 26 भण्डार गृह हैं, जिनकी क्षमता 5.37 लाख मेट्रिक टन है। प्रदेश में कुल भण्डारगृह की संख्या 3197 है। शासकीय भण्डार गृह मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ग्रामीण भण्डारण योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में भी भण्डार गृह की स्थापना हुई। वर्तमान में प्रदेश में निगम एवं निजी क्षेत्र से संचालित भण्डार गृह की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

मध्यप्रदेश संचालित भण्डार गृहों की संख्या **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश भण्डार गृह निगम की 230 शाखाओं द्वारा 1503 भण्डार गृह का संचालन किया जाता है। निजी क्षेत्र में 1694 भण्डारगृह संचालित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 3197 भण्डार गृह संचालित हैं। निगम के सर्वाधिक भण्डार गृह नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग में 255 है। जबकि निजी क्षेत्र में सर्वाधिक भण्डार गृह जबलपुर संभाग में 565 है। कुल भण्डार भी जबलपुर संभाग में सबसे अधिक 737 हैं। रीवा संभाग में सबसे कम 238 भंडार गृह स्थापित हैं।

प्रदेश में भण्डार गृहों की क्षमता एवं क्षमता उपयोग – प्रदेश में संचालित भण्डार गृहों की क्षमता एवं क्षमता उपयोग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि, प्रति वर्ष भण्डारण क्षमता में वृद्धि हो रही है, वर्ष 2015-16 में 73.22 लाख मेट्रिक टन क्षमता प्रदेश के भण्डार गृहों में थी। जो वर्ष 2011-12 में 36.53 लाख मेट्रिक टन थी अर्थात विगत पाँच वर्षों में दुगनी से अधिक क्षमता वृद्धि हुई। क्षमता का 100% उपयोग नहीं हो रहा है। वर्ष 2015-16 में सबसे कम मात्र 69.6% क्षमता का उपयोग हुआ, जबकि वर्ष 2012-13 में सबसे अधिक 84.61% क्षमता का उपयोग हुआ था। प्रदेश में भण्डारण क्षमता का 100% उपयोग नही हो रहा है अर्थात भण्डारण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

प्रदेश के भण्डार गृहों में कृषि उपज जमाकर्ताओं का प्रतिशत – प्रदेश के भण्डार गृहों में कृषि उपज कृषकों, सहकारी समितियों, भारतीय खाद्य निगम नागरिक आपूर्ति निगम, शासकीय संस्थाओं, वन विभाग एवं व्यापारियों द्वारा संग्रह कर रखी जाती है। प्रत्येक वर्ग द्वारा भण्डार गृहों में भण्डारण हेतु रखी कृषि उपज का प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है **-(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि निगम के भण्डार गृहों का सबसे अधिक उपयोग नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक 93.236% उपयोग किया। दूसरे क्रम पर सहकारी समितियां भण्डार गृहों का उपयोग करती है। इनके द्वारा सबसे अधिक क्षमता का प्रयोग वर्ष 2014-15 में 8.989% किया गया। व्यापारी निगम के भण्डार गृहों का उपयोग बहुत कम करते हैं। व्यापारियों द्वारा वर्ष 2013-14 में 1.976% क्षमता का प्रयोग किया जो विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। कृषकों के द्वारा भण्डार गृहों का उपयोग नाम मात्र का किया जाता है जो 1% से भी कम है। यह क्षमता वास्तव में देखा जाय तो कृषकों द्वारा उपयोग नही की गई। सर्वे में पता चला कि कृषकों को भण्डार गृह की जानकारी ही नहीं है तथा कृषकों ने भण्डार गृह का उपयोग ही नहीं किया। कृषकों के नाम से व्यापारियों द्वारा उपयोग किया गया अर्थात जिन व्यापारियों के पास कृषि भूमि है, उनके द्वारा स्वयं को कृषक बताकर भण्डार गृह का उपयोग किया।

भण्डारण से सम्बन्धित समस्याए एवं समाधान – प्रदेश में नाबार्ड की ग्रामीण भण्डार योजना के अन्तर्गत अनेक भण्डार गृहों की स्थापना हुई। ग्रामीण भण्डार योजना के अन्तर्गत भण्डार गृहों का निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया। इनका निर्माण नगर के निकट 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा किया गया। वास्तव में देखा जाय तो ये भण्डार ग्रामीण भण्डार नहीं हैं, शहर के निकट ही निर्मित हुवे हैं। व्यापारियों ने सुविधानुसार स्थापना कर ग्रामीण भण्डार हेतु उपलब्ध सुविधाओं एवं अनुदान का लाभ लिया। इन भण्डार गृहों से कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ। भण्डारण हेतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है –

1. कृषकों में भण्डारण के प्रति जागरूकता नहीं है तथा अज्ञानता भी है।
2. भण्डारण से सम्बन्धित जानकारी कृषकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
3. कृषकों के पास कृषि उपज की मात्रा कम होती है, इसलिए छोटी-छाटी मात्रा में भण्डारण में कठिनाई आती है।
4. कृषक ऋण ग्रस्त हैं, इसलिए उन्हें कृषि उपज तत्काल विक्रय करना पड़ती है, जिसके कारण कृषक भण्डारण नहीं कर पाते हैं।

*शोधार्थी, श्री अ.बि.वा.शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

5. भण्डारण हेतु समय पर हम्मालों की उपलब्धता नहीं होती है।
6. कीटनाशक दवाईयों का भण्डारण में उचित उपयोग नहीं होता है जिसके कारण हानि होती है।
7. निजी भण्डारों में कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होते हैं।
8. भण्डार गृहों में अधिकारियों का अनावश्यक हस्तक्षेप होता है।
9. भण्डार गृहों में श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण की सुविधायें उपलब्ध न होना।
10. भण्डार गृहों के मालिकों की मनमानी एवं कृषकों के साथ अनुचित व्यवहार करना।
11. भण्डार गृहों में व्यापारियों द्वारा स्वयं का माल रखना। कृषकों को सुविधा उपलब्ध न कराना।
12. भण्डार गृह का निर्माण शहर के निकट के ग्रामों में होने के कारण दूर दराज के गाँवों के कृषकों को भण्डारण में समस्या होती है। परिवहन लागत भी अधिक आती है।
13. भण्डार गृहों में सभी प्रकार की कृषि उपजों के समुचित संग्रहण की सुविधाओं का अभाव है।

उक्त समस्याओं के निदान हेतु निम्न समाधान प्रस्तुत है -

1. कृषकों हेतु पृथक से भण्डार गृहों की स्थापना की जानी चाहिए।
2. कृषकों को भण्डारण के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया जाना चाहिए।
3. कृषि उपज की सम्पूर्ण सुरक्षा के लिये भण्डार गृह मालिक या संचालक को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होना चाहिए।
4. भण्डार गृहों में श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण की आधुनिक सुविधाए उपलब्ध कराना चाहिए।
5. भण्डार गृहों में कृषि उपज को रखते एवं उठाते समय हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
6. भण्डार मालिकों द्वारा कृषकों एवं व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।
7. कृषि उपज संग्रहण हेतु भण्डारगृहों का दूर-दराज के क्षेत्र में भी निर्माण किया जाना चाहिए।
8. कृषकों को संग्रहित माल पर साख सुविधा उपलब्ध होना चाहिए।
9. संग्रहित कृषि उपज को सुरक्षित रखने एवं कीट-पतंगों, कीड़े-मकोड़े, चूहों आदि से बचाने हेतु पर्याप्त कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध होना चाहिए।
10. भण्डार गृहों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति होना चाहिए।

अत: उक्त सुझावों का पालन किया जाए तो केवल समस्याओं का ही अन्त नहीं होगा अपितु भण्डारण व्यवस्था प्रभावी, उपयोगी एवं लाभ दायक होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि विपणन - डॉ0 एस0पी0 सिंह यूनिर्वसिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली।
2. भारत में कृषि विपणन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - डॉ0 एन0एल0 अग्रवाल राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
3. mpwarehousing.com
4. mpmandiboard.gov.in
5. mpkrishi.org
6. कृषक सर्वे 2016-17

मध्यप्रदेश संचालित भण्डार गृहों की संख्या

क्रमांक	संभाग का नाम	शाखाओं की संख्या	निगम की भण्डार संख्या	निजी भण्डार संख्या	कुल भण्डार संख्या
01	भोपाल	32	245	262	507
02	नर्मदापुरम	16	255	179	434
03	ग्वालियर	33	188	85	273
04	जबलपुर	37	172	565	737
05	इन्दौर	27	145	110	255
06	उज्जैन	31	218	231	449
07	सागर	30	196	108	304
08	रीवा	24	84	154	238
	योग	230	1503	1694	3197

स्रोत-mp ware housing.com.

प्रदेश में भण्डार गृहों की क्षमता एवं क्षमता उपयोग
(वर्ष 2011-2012 से 2015-2016 तक)

क्रमांक	वर्ष	कुल क्षमता (मेट्रिक टन)	प्रयुक्त क्षमता (मेट्रिक टन)	उपयोग प्रतिशत
01	2011-12	36,53,091	29,66,361	81.2
02	2012-13	54,73,845	46,31,555	84.61
03	2013-14	58,58,118	47,61,493	81.28
04	2014-15	71,76,562	54,73,418	76.27
05	2015-16	73,21,945	50,95,923	69.6

स्रोत-mp ware housing.com.

निगम के भण्डार गृहों में विभिन्न उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग क्षमता का प्रतिशत
(वर्ष 2011-2012 से 2015-2016 तक)

क्रं.	उपयोगकर्ता का नाम	वर्ष				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
01	कृषक	.594	0.632	0.822	0.648	0.451
02	सहकारी समितियाँ	4.294	03.211	07.841	8.989	6.683
03	भारतीय खाद्य निगम	.034	.011	0.100	.041	.98
04	नागरिक आपूर्ति निगम	91.646	93.236	88.581	87.342	89.602
05	शासकीय संस्थाएं	1.264	.960	0.592	1.502	2.076
06	लघु वनोपज संघ	.102	.010	.011	.043	0.048
07	व्यापारी	1.965	1.778	1.976	1.406	1.022
08	अन्य	.101	0.162	.077	.029	.020
		100	100	100	100	100

स्रोत-mp ware housing.com.

****

कपास के विकास में लघु मिशन की भूमिका

डॉ. अंजना जैन * जमुना सोलंकी **

प्रस्तावना – वाणिज्यिक फसलों के विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीक विधि के रूप में प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था। पाँच प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए थे। जिनमें से एक तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन था। शेष कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों के लिए रही है।

1980 के दशक तक विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों को निविष्टियों में निवेशों और प्रमुख व लघु सिंचाई आदि जैसे अवस्थापना में निवेश के साथ विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को सब्सिडियाँ प्रदान करके कार्यान्वित किया जाना था। इसलिए 1980 के दशक में अनेक सकारात्मक कारकों का उदय के साथ प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की गई। केन्द्र ने पर्याप्त प्रौद्योगिकीय और फसलों की पैदावार को अधिकतम बनाने के अधिक सुचारू प्रदाय पद्धति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी तैयार की गई। प्रौद्योगिकी मिशन **दृष्टिकोण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है –**

1. नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रभावी सम्प्रेषण करना।
2. एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टिकोण रहे ताकि एक समेकित ढ़ंग से किसानों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना।
3. विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का प्रभावी एकीकरण करना ताकि किसानों की जरूरतों को अलग-थलग देखने की बजाए व्यापक रूप से समझा जा सके।
4. ऐसी फसलें, जिनमें मुख्यत: खेती तक प्रौद्योगिकी के अपर्याप्त/अनुचित सम्प्रेषण के कारण वास्तविक और सम्भाव्य उत्पादकता के बीच पर्याप्त अन्तराल समाप्त करना।

प्रौद्योगिकी मिशनों का उद्देश्य उसे प्रौद्योगिकी समृद्ध बनाना तथा उत्पादन और फसलोत्तर व प्रसंस्करण पर समुचित ध्यान किसानों की लाभप्रदता और आय में वृद्धि करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से हस्तान्तरण करना रहा है। केन्द्र और राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग और इसमें सम्मिलित विभिन्न विभागों के बीच सहयोग प्रदान किया गया है।

उद्देश्य – कपास (वाणिज्यिक) फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिये अपनाये गये लघु मिशन के योगदान का अध्ययन करना।

कपास एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है, जो 6 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली 15000 मिलों, 40 लाख हथकर्घो और 70 लाख विद्युत कर्घो के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, जो कपास की खेती, प्रसंस्करण और कपड़ा व्यापार पर निर्भर है। आर्थिक मोर्चे पर भारत, विश्व में कपास उत्पादन और कपड़ों के लगभग 15 प्रतिशत का योगदान करता है, इसमें कपास का कुल भारतीय निर्यात का 20 प्रतिशत से अधिक का योगदान शामिल है।

अन्य देशों की तुलना में कपास की कम पैदावार और निम्न गुणवत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी 2000 में कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया। प्रौद्योगिकी को 13 राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कार्यान्वित किया गया है।

कपास के लिए चार लघु मिशन तय किया गया है। जिसमें –

प्रथम लघु मिशन एक – जिसमें कपास की गुणवत्ता सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अधिकृत किया गया है।

द्वितीय लघु मिशन दो – जिसमें कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिकृत है।

तृतीय लघु मिशन तीन – जिसमें कपास के विपणन प्रक्रिया भण्डारण, मूल्य निर्धारण तथा प्रसंस्करण इत्यादि के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए राज्य सरकार अधिकृत है।

चतुर्थ लघु मिशन चार – जिसमें जिनिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये कार्य किया जाता है जिसके लिए केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार अधिकृत है।

विश्लेषण – लघु मिशन एक के अन्तर्गत उपलब्धियाँ मुख्यत: जीवविज्ञानीय जनसंख्या और कपास के संबंध में बुनियादी अनुसंधान से संबंधित है, इसलिए उपलब्धियाँ, मात्रात्मक और जीवविज्ञानीय संकेतकों सहित मिश्रित है। उच्च रेशा गुणवत्ता के साथ लगभग 15 डिपलोइड और टेट्राप्लोइड कपास खेतीकर्ताओं को अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार कार्यक्रय द्वारा तीव्र रूप से जारी किए जाने हेतु कपास की खेती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विनिर्धारित किया गया है। जर्मप्लाज्म स्क्रीनिंग में, काटन लीफ कर्ल वायरस और जस्सीड्स-रोधी जेनोटाइप जारी किए गए हैं। सूखा ग्रस्त के लिए कुछ प्रविष्टियों को अतिरिक्त रूप से विनिर्धारित किया गया है।

काटनसीड (बिनौला) तेल के संबंध में सम्भाव्य कल्चरों के मूल्यांकन से 27 प्रतिशत तक बीज तेल सामग्री प्राप्त हुई। सहज रूप से विनिर्धारण योग्य विशेषताओं के आधार पर किस्मों और संकर नस्लों की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए स्थलाकृतिक विकसित और प्रलेखित किए गए हैं। कपास आधारित फसल प्रणालियों के संबंध में मृदा संधारणीयता का मूल्यांकन 9 राज्यों में आयोजित किया गया तथा मृदा उपयुक्तता के लिए

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्षा, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

विकसित डाटाबेस मृदा संसाधन नक्शे पर चित्रित करने के लिए प्रसंस्करित किया गया है।

लघु मिशन दो में वर्तमान में प्रमाणित बीजों के वितरण (37398 क्विन्टल), क्षेत्र प्रदर्शन (60175), विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण (883), कृषक प्रशिक्षण (4978), बीज डीलिन्टिंग प्लान्ट्स (2), स्प्रिकलर्स (12339), और ड्रिप सेट (2514), कीट निगरानी आई पी एम प्रदर्शन (5548) आदि के लिए सहायता प्रदान की गई।

लघु मिशन तीन नए बाजार यार्ड स्थापित करके, विद्यमान बाजार यार्डो में सुधार करके और निष्क्रिय पड़े यार्डो को चुस्त बनाकर विपणन अवस्थापन में सुधार किया गया है। विकास लागत का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सहायता से नए यार्डो के लिए 1.50 करोड़ तक तथा विद्यमान यार्डो के सुधार के लिए 0.09 करोड़ रुपए तक और निष्क्रिय बाजार यार्डो को फिर से चालू करने के लिए 0.25 करोड़ रुपए तक सीमित है। कृषि उत्पाद विपणन समितियों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। कुल 161 बाजार यार्डो को मंजूरी दी गई है जिनमें से 93 बाजार यार्ड पूर्ण हुए हैं।

लघु मिशन चार इस मिशन के अन्तर्गत ओटाई और प्रैसिंग फेक्टरियों के आधुनिकीकरण हेतु लागत के 25 प्रतिशत की दर से पूँजी अनुदान प्रदान की जाती है, जो 20 लाख रूपए प्रति इकाई तक सीमित है। कुल 616 ओटाई और प्रैसिंग फैक्टरियाँ मंजूर की गई है जिनमें से 322 फैक्टरियाँ पूरी हुई है। बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने परामर्शदाताओं की संख्या में वृद्धि की है। कार्यक्रमों को भारतीय कपास निगम के अधीन कर दिया ताकि भारतीय कपास निगम उपलब्ध जनशक्ति और अवस्थापना की सुविधा परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जा सके। एक व्यावसायिक निकाय से उपलब्ध तकनीकी तथा प्रशासनिक पृष्ठभूमि के साथ व्यावसायिक उपलब्ध कराने की कार्यनीति को अन्य लघु मिशन की तुलना में लघु मिशन और लघु मिशन की तुलनात्मक सफलता मिली है।

समस्या -

1. लगभग 65 प्रतिशत कपास क्षेत्र वषापोषित है जो केन्द्रीय तथा दक्षिणी क्षेत्रों में है। कपास की फसल कीटों और बीमारियों के प्रति विशेष रूप से प्रवण है।
2. किसानों द्वारा लिन्टिड बीज के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण घटिया पादप स्टेण्ड होते हैं, जिसके फलस्वरूप पैदावार में नुकसान होता है और रोगों व कीटों का सृजन होता है। कपास कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त बाजार अवस्थापना हुई है।
3. अवस्थापना और आधुनिक ओटाई/प्रैसिंग सुविधाओं के अभाव के कारण कपास में संदूषण का उच्च भार होता है।

समाधान - कपास की उत्पादकता में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित बातों का सुझाव दिया जाता है-

1. अधिक क्षेत्र सिंचित/अर्ध-सिंचित स्थितियों के अन्तर्गत, विशेषज्ञ रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में लाया जाए। प्रौद्योगिकी लघु मिशन के एम एम.II और एम एम.III के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा आनुपातिक हिस्से की व्यवस्था और उनके द्वारा निधियों का समय पर जारी किया जाना चाहिए।
2. कपास गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और अधिक ओटाई व प्रैसिंग फेक्टरियों का तत्काल आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। वाटरशेड व अन्य ऐसी योजनाओं में तालमेल के साथ वर्षाजल का स्थानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
3. राज्यों द्वारा टी एम सी के कार्यान्वियन में, विशेष रूप से संविदा कृषि के रूप में उद्योगों, सहकारिताओं को शामिल करना चाहिए। सभी कपास उत्पादकों को फसल बीमा के अन्तर्गत कवर किया जाना चाहिए।
4. भारतीय कपास निगम, नाफेड आदि को सृद्दढ़ किए जाने की जरूरत है ताकि किसानों द्वारा कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर न बेची जा सके। कपास संदूषण कम करने के लिए किसानों व अन्यों को शिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।
5. बी टी-कपास और साथ ही कीटनाशी/बायो-एजेन्टों आदि सहित नकली बीजों की बिक्री के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जीत पाण्डे 'बाजार सहायक संस्थाओं का निर्माण' हिन्दुस्तान पब्लिशिंग कार्पोरेशन नई दिल्ली।
2. भरत झुनझुनवाला 'भारतीय अर्थव्यवस्था' राजपाल एण्ड पब्लिशिंग नई दिल्ली।
3. सवलिया बिहारी वर्मा 'ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता' विश्व भारती पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009
4. एम एस स्वामीनाथन 'कृषक सेवा एवं कृषि सुरक्षा' कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय किसान आयोग भारत सरकार।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Fedralism And Inter-State River Water Disputes In India

Nisar Ahmad Nengroo* Aijaz Ahmad Khan**

Abstract - Fresh water resources are necessary for the continued existence of mankind. The domestic, agricultural and industrial uses of water are multiplying day by day and the pressure of the ever-increasing population, shortage and unequal distribution of water have surrounded it in an area of continual conflict and debate. This conflict becomes even more highlighted in federal systems like India and the United States of America because in both these countries majority of the rivers are inter-state and the states have considerable power over the water resources, often resulting in inter-state disputes. Considering the significance of inter-state water sharing, it becomes an area of great concern in maintaining the federal spirit and better Union-State and inter-State relations. Constructing competent and equitable mechanisms for sharing inter-state river waters has long been an important legal and constitutional issue in federal countries. We shall look, in detail, in this paper various constitutional and legal provisions, history of inter-state water disputes and case studies of each country and doctrines that have been devised to resolve inter-state water disputes and their short comings and suggest improvement, wherever possible. Our endeavor is to evolve most efficient and fair mechanisms for sharing inter-state river waters.
Key Words – Art. 262, Inter-state, India, River water disputes, federal relations.

Introduction - The Importance of Water - There is no denying that even in current day, water is becoming an important factor in the economic development of the states and since economic development affects the social development also, this factor gains still higher worth. The domestic, agricultural and industrial uses of water are multiplying day by day and this phenomenal increase in demand for water in diverse fields has resulted in its scarcity. The pressure of the ever-increasing population and the threat of scarcity and unequal distribution of water – a finite, pre-eminent natural resource – have surrounded it in an area of continued conflict and debate. This conflict becomes even more highlighted in federal systems like India and the United States of America because in both these countries majority of the rivers are inter-state and the states (units constituting the federation) have substantial power over the water resources, often resulting in inter-state disputes. Considering the importance of inter-state water sharing, it becomes an area of great concern in maintaining the federal spirit and better Union-State and inter-State relations. Constructing efficient and equitable mechanisms for sharing inter-state river waters has long been an important legal and constitutional issue in all federal countries. We shall look, in detail, in this paper various constitutional and legal provisions, history of inter-state water disputes and case studies of India and doctrines that have been devised to resolve inter-state water disputes and their short comings and suggest improvement, wherever possible. Our endeavor is to evolve most efficient and fair mechanisms for sharing inter-state river waters.

II. Inter-State River Water Disputes in India - There are more than twenty major river systems in India. Speaking in terms of Indian federalism, most of the rivers in India are inter-state rivers as they flow through the territories of more than one state within India. The inter-state character of the Indian rivers has given rise to a number of disputes between the federal units at inter-state level.

III. Legislative Mechanisms -

3.1 System under the Indian Constitution of 1950 - Under the Indian Constitution of 1950, States have power to legislate (State list, entry 17), with respect to the following subject -

"17. Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power, subject to the provisions of Entry 56 of List 1."

Union list, entry 56, reads as under:

"56. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys, to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

Article 262 - Article 262 of the Constitution reads as under:

"262. Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys-

1. Parliament may by law provide for the adjudication of

*Research Scholars (Political Science) Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA
**Research Scholars (Political Science) Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA

any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, in any inter-State river or river valley.

2. Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1)"

3.2. Case studies from India - In India several costly disputes have arisen over the sharing of river water. Two cases of compacts in India over the rivers Narmada and Ravi-Beas are briefly described below, the objective being to see to what extent the conflicts have actually been resolved. In each case, tribunals were constituted to resolve the disputes but this proved to be a time-consuming process, often requiring many years to achieve real conflict resolution.

The Narmada River - A second important dispute, also the most publicized of all the water disputes in India, is the Narmada water dispute among the states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. The project has been controversial because of the large population displaced by the reservoir and the failure to adequately compensate this population. The Narmada Water Disputes Tribunal was constituted as early as 1969 but the tribunal issued its findings in December 1979. The tribunal determined the utilizable quantum of waters of the Narmada at the Sardar Sarovar dam site on the basis of 75% dependability and allocated the available water to the three states on the basis of equitable apportionment after protecting the existing demand for irrigation.

The tribunal also addressed the proportionate sharing of water in surplus and deficit years, construction of the Sardar Sarovar dam, sharing of power benefits from the proposed dam and the sharing of capital, operation and maintenance costs of the dam among the states in proportion to the power benefits allocated to each. The resettlement and rehabilitation of the people living in the dam submergence area was addressed, and required payment by Gujarat (the major beneficiary) to Madhya Pradesh and Maharashtra of all costs incurred in acquiring the land to be submerged. The order also established the Narmada Control Authority for the purpose of securing compliance with the tribunal award (NWDT 1979) [1].

Summarizing the Narmada case, the tribunal s judgment was quite complete, covering water and power allocation, resettlement of displaced populations (though with inadequate compensation) and the distribution of project costs on the basis of benefits received. However, failure of the planners and the tribunal to consider alternatives (tributary dams, conjunctive groundwater–surface water use, and conservation in agriculture) led to high costs and inequitable treatment of the affected populations. Revision of the judgment is not allowed until 45 years have passed.

The Ravi-Beas dispute - The dispute between Punjab and Haryana about Ravi-Beas water started with the reorganization of Punjab in November 1966, when Punjab and Haryana were carved out as successor states of erstwhile Punjab. The four perennial rivers, Ravi, Beas, Sutlej and Yamuna flow through both these states, which are heavily dependent on irrigated agriculture in this arid area. An agreement was accepted in 1981 between these states. This agreement however became a source of continued protest by the political opposition. These events led to the constitution of a tribunal to examine the Ravi-Beas issue in 1986. The award has not been notified, and does not have the status yet of a final, binding decision. Meanwhile the state of Haryana took the dispute to the Supreme Court in State of Haryana v State of Punjab [2] also known as the First SYL [3] Canal case. After hearing the case the Supreme Court gave three months time to both the parties to reach an agreement. Then, on 15 January 2002, the Supreme Court ordered Punjab to complete the SYL within six months, failing, which the central government had to finish the task. The Punjab government filed an appeal for review, which was rejected by the Court on 4 June 2004 with directions to the central government to assign this work to the central agency. Accordingly, the central government entrusted the CPWD the task to complete the SYL canal. On 2 July 2004, the Punjab government again filed a special leave petition for review of its June 4, verdict. The Punjab state also contended that this issue was not within the jurisdiction of the Supreme Court, as it was a water dispute in the ambit of article 262 of the constitution. Ultimately, the Punjab was forced to unilaterally abrogate all previous accords by passing an Act "Punjab Termination of Agreement Act-2004" in Punjab Legislative Assembly, on 12 July 2004. On June 4, 2004 [4] the apex Court announced its final verdict on the SYL issue, the highlights of which are as follows:-

1. Since the Punjab Government had failed to complete the canal within the one year deadline imposed by the January 15, 2002 verdict, so the Court directed the Centre to construct the unfinished portion of the SYL canal.
2. The Punjab Government was also ordered to provide adequate security to the officials of the executing agency and to the construction workers engaged by it.
3. The executing agency was directed to prepare a new map of the canal on the basis of a fresh survey by keeping in mind that no damage was caused to the green belt falling in the way.

However, there has been no progress in the matter since then and the Centre has not even started the construction of the unfinished Canal. Thus the future of the Ravi-Beas dispute hangs in uncertainty.

IV. Conclusion - With this background in mind, let us now discuss how efficient the present system is in resolving inter-state river water disputes. Initially the conflict-resolution mechanism provided by Article 262 and the Inter-State Water Disputes Act, 1956 seemed to be working well: The

Krishna, Godavari and Narmada Tribunals Award can be regarded as successful instances of operation of this conflict-resolution machinery. However, this system later ran into trouble[5]. In the Ravi-Beas case, political difficulties in implementing the award led to further reference being made to the Tribunal (as provided for in the Act) in 1987 and in 2008 the matter is still before the Tribunal. Meanwhile, Punjab enacted legislation terminating all water accords; this gave rise to some legal and constitutional issues; on these the Central Government made a Presidential reference under Article 143 to the Supreme Court, to which the Supreme Court has not yet given its opinion.

References :-

1. Bakshi, P.M., “A Background Paper on Article 262 and Inter-State Disputes Relating to Water” (National Commission for the Review Working of the Constitution) available online: http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b3-6.htm
2. AIR 2002 SC 685
3. Sulej-Yamuna Link
4. Second SYL Canal case: State of Haryana v State of Punjab, (2004) 12 SCC 673
5. Iyer, R.R., Water and its Laws in India, Sage Publications India Private Limited, New Delhi (2009) at p. 573

****

Role Of Media in Democracy And Good Governance

Ajaz Ahmad Dar* Mohd. Ashraf Nengroo**

Abstract - The media is considered as the fourth pillar of democracy because of the power they exercise and oversight purpose they exercise. The media's key role in democratic governance has been recognized since the late 17th century, and remains a essential principle of modern day democratic theory and practice. The media has undoubtedly evolved and become more active over the years. It is the media only who reminds politicians about their unfulfilled promises at the time of elections. T.V news channels excessive reporting during election helps people, particularly illiterates, in electing the right person to the power. This reminder compels politicians to be upon their promises in order to remain in power. The Bengal Gazette was the first news paper which was published in year 1780 by James Augustus Hicky in India.

Media plays a crucial role in shaping a healthy democracy. It is the back bone of a democracy. Media makes us alert of various social, political and economical activities happening around the world. It is like a mirror, which shows us the bare truth and harsh realities of life. Democracy cannot be successful without free press. Free press is very as it is the voice of the people. But media shall not fall as a victim to some monetary or any other temptations, and shall keep on honestly serve the people.

Key words - Good governance, democracy, media, corruption.

Introduction - The watchdog function of media is essential in a democratic society where people must know what their governments are doing. The primary democratic function of the media is to act as a check on the state. The media should observe the activities of the state, and fearlessly expose exploitations of official authority[1]. Media plays a crucial role in shaping a healthy democracy. It is the back bone of a democracy. Media makes us alert of various social, political and economical activities happening around the world. It is like a mirror, which shows us the bare truth and harsh realities of life. Democracy cannot be successful without free press. Free press is very as it is the voice of the people. But media shall not fall as a victim to some monetary or any other temptations, and shall keep on honestly serve the people. The media has undoubtedly evolved and become more active over the years. It is the media only who reminds politicians about their unfulfilled promises at the time of elections. T.V news channels excessive reporting during election helps people, particularly illiterates, in electing the right person to the power. This reminder compels politicians to be upon their promises in order to remain in power. The Bengal Gazette was the first news paper which was published in year 1780 by James Augustus Hicky in India. T.V. & radio have made a significant achievement in educating rural illiterate masses in making them aware of all the events in their language coverage of exploitative malpractices of village heads & money lenders has helped in taking stringent actions against them by attracting government attention. The media also exposes loopholes in the democratic system, which ultimately helps government in filling the vacuums of loopholes & making a system more accountable, responsive and citizens-friendly. A democracy without media is like a vehicle without wheels.

In the age of information technology we are bombarded with information. We get the pulse of the world events with just a click of a mouse. The flow of information has increase manifolds the perfect blend of technology & human resources. Journalist has not left a single stone unturned in unearthing uncontrolled corruption in politics & society. We all are well aware of what tehelka did. Thanks to technology that has brought a kind of revolution in journalism.

Constitutional status of media in India - When the constitution of India was being drafted, the question aroused before the framer that weather to have separate provision for press as in American constitution[2], or to include the freedom of press in right to speech and expression as in England. The chairman of drafting committee Dr. B.R. Ambedkar strongly argue that; "the press is just another way of stating an individual or a citizen. The press has no particular rights which are not to be given or which are not to be exercised by the citizens in his individual capacity.

*Research Scholars (Political Science) Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA
**Research Scholars (Political Science) Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA

The editor of press or the director are all citizens and therefore when they choose to write in newspapers they are simply exercising their right of freedom of speech and expression and in my judgment therefore no special mention is necessary of the freedom of press at all"[3] hence the right to press was integrated in freedom of speech and expression i.e., Article(1) (a) of the Indian constitution.

Independent press and control free press is pre requisite of a democracy. The need for a free press is more in a country like India. In the absence of any specific article in the Indian constitution for press or media, it was the judiciary who safeguarded and promoted the independence of press. At times it also restricted the same in the interests of justice.

Good governance - In the words of Kofi Annan: "Good governance is perhaps the single most important factor for eradicating poverty and promoting development." Citizens of the world over look up to the nation-state and its organs for high quality presentation. When good governance is guaranteed, citizens go about their personal business and pursuits with enhanced opportunity. On the other side of the spectrum, bad or indifferent governance not only restricts opportunities of success but it can even collapse into sectarian conflicts and civil wars. In such an atmosphere personal activities as well as social achievements get severely restricted. Good governance helps create an environment in which sustained economic growth becomes possible. Conditions of good governance allow citizens to maximize their income on investment.

Good governance does not occur by chance. It must be demanded by citizens and nourished explicitly and consciously by the nation state. It is, therefore, necessary that the citizens are allowed to participate freely, openly and fully in the political process. The citizens must have the right to struggle for office, form political party and enjoy fundamental rights and civil liberty. Good governance is accordingly associated with accountable political leadership, progressive policy-making and a civil service imbued with a practiced nation. The presence of a strong civil society including a free press and independent judiciary are pre-conditions for good governance.

What is 'good' governance in the Indian context? The central challenge before good governance relates to social development. In his famous 'tryst with destiny' speech on 14 August 1947, Jawaharlal Nehru articulated this challenge as 'the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunities'. Good governance must aim at expansion in social opportunities and removal of poverty. In short, good governance, as I perceive it, means securing justice, empowerment, employment and efficient delivery of services.

Role of Media in Democracy and Good Governance - Media has a big role to play in a democratic set up. A government of the people, for the people is not all that easy to be followed. To have a strong democratic set up, the government and people need to go hand-in-hand. This absolutely requires a bridge, which is the media. The very first responsibility of the media is to reduce the gap between the government and its citizens. In a democracy the government is run by representatives of public, who are elected by the public, for the public and from the public. Such representatives take decisions which may prove to be right or wrong, and as they assume public office and inherit power some may use this position for their own benefit of others by exercising undue authority. Media plays a crucial role in shaping a healthy democracy and ensuring good governs. As an important source of information media has been performance the role of the heart of democratic society and Good governance. According to Norris, the media has three key roles in contributing to democratization and good governance. The very vital function of media is to act as a watchdog over the powerful, promoting responsibility, transparency and public scrutiny. The second important role of media is to function as a civic forum for political debate, facilitating educated electoral choices and actions; and the third function is to act as an agenda-setter for policy makers, strengthening government responsiveness for instance to social problems and to exclusion[4]. In their 'watchdog' role, the media can play an important role to promote transparency, accountability, and public scrutiny of decision-makers, by highlighting policy failures, maladministration by public officials, corruption in the judiciary, and scandals in the corporate sector[5]. Investigative journalism can open the government's secret records to external scrutiny and critical evaluation, and hold authorities answerable for their actions. The Media also exposes maneuverings and abuses of fundamental human rights. It is also castigate elections rigging and offer objective assessments of the process and results of elections and offer recommendations for development. The media also has a critical role to mediate between the state and citizens through the debates and discussions about the major issues of the day and informing people about the stand of their leaders on such issues. If the channels of communication reflect the cultural and social pluralism and diversity of the society, in a fair and balanced way, then only various view and different voices can be heard in public debates.

Democracy requires that people should have the right to know all the activities of the government, particularly the decisions of the government that affects their life, liberty and property. Information is very vital for people to make decisions regarding their involvement in the State and the civil society. Ample information helps the citizens to choose sensibly and take the right course of action favorable to them. Media thus helps people to know what is happening around the world and socialize them with the values of pluralism. By publicizing information the media also make public services more responsive to the people[6]. Media has been playing a crucial role in protection of rights by making people aware of their rights. Media also making people to watchful on political developments in the world and helping to stimulate debate drawing attention to ball social evils

including the institutional failures, corruption, inefficiency and illegal activities.

Conclusion - The participation and understanding of every member of the society is inevitable to the function of parliamentary democracy. It is also very vital to ensure good governance. The free and fair

Media is the single most prerequisites of the good governance. But a large number of existing media cannot take up this responsibility because of the market influence on media industry.

No one is perfect in this world & so is the media. Here I am not degrading the media; rather I would say there is still a lot of scope for improvement by which media can raise up to the aspirations of the people for which it is meant. I cannot think of democracy without active and neutral media. Media is like a watchdog in the democracy that keeps government active form being just an informer it has become an integral part of our daily lives. With the passage of time it has become a more matured & a more responsible entity. The present media revolution has helped in making an informed decision & this has led to beginning of a new era in a democracy. They should be free from any kind of influence from various pressure groups. They should be keep a distance from any kinds of political and commercial control. Above all the media should be equipped with the essential investigative power to bring out the truths to the public and discharge their functions in promoting good governance.

References :-

1. Curran James, Media and Power, London and New York, Rutledge, (2002)
2. In 1794 U S made an amendment in respect of freedom of press and freedom of religion the amendment states as under: congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievance.
3. Constituent assembly debates, vol.VII p 780 (2nd December 1948).
4. Norris P., The Role of the free press in promoting democratization, good governance and human development, New York: UNESCO (2006).
5. George A Donohue, Philip Tichenor et al, 'A Guard Dog Perspective on the role of the media.' Journal of Communication, 45(2), 115-128 (1995).
6. Yadav Lal Babu, Role of media in promoting Good Governance, http://www.jdhr.org/publication/ media-and-development (2001).

****

Terrorism In The Name Of Jihad

Dr. Mumtaz Begum *

Abstract - The 9/11 attacks were committed by Muslim men is one factor behind the popular assumption of a causal link between Islam and terrorism. Global patterns of terrorism show that terrorism is not exclusive to any one faith, ethnic group or ideology. Between 1980 and 2003, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), a group that recruits from the predominantly Hindu Tamil population in Sri Lanka and whose ideology is intertwined with Marxism, was the world's leader in suicide terrorism. Despite this, Islamic groups receive the most attention in Western media. Is Islam a primary factor behind terrorism? Regardless of whether or not such a charge stands up to scrutiny, today there exists an unmistakable global trend of militant piety among people claiming to be representatives of their religions.
Keywords - LTTE, GWOT, Al-Qaeda, Marxim, Paradigm.

Introduction - The words "terrorist" and "terrorism" were first used during the French Revolution in reference to the polices of "The Terror" initiated by the Jacobins.' The Jacobins not only provided an example of how to "terrorize" populations, but also inspired reactions by their opponents who also employed "terrorist" tactics such as assassination and intimidation to resist the Revolutionary agents. During the late nineteenth century, radical political groups used terrorist tactics to sow anarchy in nation-states. Anarchists produced some striking successes, assassinating Russian, French, and American heads of state.Between 1980 and 2003, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), a group that recruits from the predominantly Hindu Tamil population in Sri Lanka and whose ideology is intertwined with Marxism, was the world's leader in suicide terrorism.[1] By the twentieth century, Nationalism replaced Anarchism as the ideological motivator of political terrorism.

On September 11, 2001, the worst terrorist attack ever to take place on American soil unfolded on live television. The carnage unleashed that day stunned Americans. It left Americans grappling with the question, "Why us?" The following day, September 12, 2001, President George W. Bush described the destruction caused in New York, Washington, D.C., and Pennsylvania as an act of war against "all freedom-loving people" and vowed that the United States would use all of its resources to avenge this attack.[2] This marked the beginning of the United States "war on terror" or in official Pentagon lingo, the "Global War on Terror" (GWOT), which is primarily a Pentagon operation. That ill-fated day the United States was not alone in its grief. People all across the world held prayer vigils and stood in solidarity with President Bush's resolve. No one questioned America's declaration of "war" on "terrorism." Yet, can a war really be waged against terrorism?[3] After all "terrorism" was not invented on 9/11, nor is "terrorism" an ideology like communism. Terrorism is a tactic. How does one wage a "war" against a tactic? Regardless of this difficult question, up until the 2003 U.S. invasion of Iraq, the world followed the United States' lead on GWOT. Since then, with the U.S.-led fiasco unfolding in Iraq and the roll-back of basic civil liberties in America, many are questioning not only the tactics, but also the very purpose of the GWOT. Some even question whether the threat of terrorism is as grave as it is made out to be. Mueller, for example, contends that the threat of terrorism has been "overblown."[4]

Overblown or not, no one can fault any government for erring on the side of caution. Nevertheless, being cautious does not imply discarding conventional wisdom, even when fighting an unconventional enemy. Unfortunately, the U.S. government, aided by a pliant media, made a great show out of announcing the arrests of "terror suspects"; later it was discovered that the government was on many occasions admittedly wrong or that the threat was exaggerated.

Whether driven by politics or fear, terrorism remains a hot public issue. Politicians exploit it, the media hypes it, and late night comedians joke about it. Despite public interest, the discourse about terrorism is not one of serious debate. Rather it has degenerated into public posturing about who can "protect" us best and how one's political opponents are "weak" or how their views "give comfort to the enemy."

Why then is terrorism linked to Islam? - The normative teachings of Islam do not condone any kind of violence that targets non-combatants and kills or injures innocent people. It should not surprise anyone that Muslims, like people of other faiths, do not always live up to the normative teachings of their faith. There are times when the actions of Muslims conform, to varying degrees, to the normative teachings of Islam. Nevertheless, there are also times when actions by Muslims are either independent of, or even in violation of, the normative teachings of Islam. Al-Qaeda is one such group whose actions are contrary to the teachings of Islam, yet they are often labeled as "Islamic." This may be due to the fact that the group's ideology emphasizes resistance to perceived Western "imperialism" and the establishment of an "Islamic" state. The references to Islamic history and texts by Osama bin Laden and other al-

*Post Doctoral Fellow (Political Science) Ranchi University, Ranchi (Jharkhand) INDIA

Qaeda leaders suggest that religion is the main force driving al-Qaeda's suicide operations. While al-Qaeda is certainly a Muslim group and they do indeed refer to Islamic texts to justify their actions, they cannot be considered "Islamic" because their actions clearly violate normative Islam. Just as, in the same vein, the Lord's Resistance Army in Uganda cannot be considered Christian despite their claims, that "they are fighting for the establishment of a government based on the biblical Ten Commandments." According to Islamic law, there are at least five reasons why bin Laden's barbaric violence cannot fall under the rubric ofjihad:[5]

1. Individuals and organizations cannot declare a jihad (defensive not holy war), only states can officially declare wars.
2. Even in war, one cannot kill innocent women and children.
3. One cannot wage war against a country in which Muslims can freely practice their religion (i.e., the United States).
4. Prominent Muslim jurists around the world have condemned bin Laden's ideology and tactics. Their condemnation forms a consensus, known in Islamic jurisprudence as ijma, which has authority only next to divine injunctions.
5. The welfare and interest of the Muslim community, known in Islamic jurisprudence as maslaha, is harmed by bin Laden's actions. Thus, such actions are un-Islamic.

The basic principle of fighting in Islam is that retaliation is allowed in self-defense but only with proportional force.[6]Several verses in the Qur'an attest to this.[7] One of the conditions that allow fighting is to rescue "oppressed people. Fighting is also allowed against those "who have broken their solemn pledges." Even when permitting war, the Qur'an emphasizes the wisdom of making peace when the circumstances outlined above cease to exist. The so called "sword verse" is directed against a particular group accused of oath-breaking and aggression and exempts those polytheists who remained faithful to their existing treaty with the Muslims. Verse 9:29 in the Qur'an is often misinterpreted as endorsing a war of aggression." However, if read as a continuation of the previous verse, it becomes clear that the verse is directed to a particular group (the oath-breaking of "polytheists" of Mecca) during a particular time in history (at the time of Prophet Muhammad fourteen centuries ago).

However in reaction to the attack on the domestic front, the Bush Administration argued that 9/11 changed everything and promoted the so-called "paradigm of prevention" in law enforcement.[8] On this theory, the Administration subjected 80,000 Arab and Muslim immigrants to fingerprinting and registration, sought out 8,000 Arab and Muslim men for FBI interviews, and imprisoned over 5,000 foreign nationals in antiterrorism preventive detention initiatives. The Administration's "preventive paradigm," justifies the use of any coercive action, whether it be detention, torture, or bombing, based simply upon speculation that something could happen in the future.[9]These measures have harmed America's image around the world.'[10] A Gallup World Poll indicates that majorities in every predominantly Muslim country surveyed view the United States as ruthless. Furthermore, nearly eighty percent do not believe that United States cares about human rights in other countries."

Conclusion - Following 9/11, terrorism in general and suicide bombings in particular have become subjects of public discussion. No religion or group is linked to suicide bombings as often as Islam or Muslims, despite incontrovertible evidence that shows suicide bombings being perpetrated by many other groups. The tactic of terrorism-and yes it is a tactic, not an ideology-has been deployed by a multitude of groups of different religions, ethnicities, and ideologies, and yet the Islamic faith, unlike any other, is erroneously and incessantly associated with terrorism. The association of a faith practiced by 1.2 billion people worldwide to terrorism creates the perception that the GWOT is a War Against Islam. Such perceptions are not without consequences. They help extremists justify violence, as it becomes easier for them to make the point that the world is against them and, in the absence of any political solution to their grievances, suicide terrorism becomes a strategy of coercion and a means to compel target governments to change policy. Calling terrorism committed by Muslims "Islamic terrorism" or "Islamic fascism" alienates over a billion Muslims worldwide.

References :-

1. Robert A. Pape, Dying To Win: The Strategic Logic Of Suicide Terrorism, Puplisher, Random House, Chicago,(2005), Page -139-154.
2. President George W. Bush, Remarks by the President in Photo Opportunity with the National Security Team (Sept. 21, 2001), http://www.whitehouse.gov/news/ releases/2001/ 09/20010912-4.html.
3. Robert Dreyfuss, Devil's Game: How The United States Helped Unleash Fundamentalist Islam, Publisher, Metropolitan Books, (2005), Page - 13
4. John Mueller, Overblown, New York Free Press,(2005), Page - 196
5. Op-Ed, Two Views: Can the Koran Condone Terror?, New YorkTimes, Oct. 13, 2001
6. KhaledAbou El Fadl, Retaliation, in 4 Encyclopedia Of The Qur'an, page - 436 (Jane Dammen McAuliffe et al. eds., 2004).
7. THE MESSAGE OF THE QUR'AN, supra note 38, at 2:190, 22:60,42:41, 42:39-42.
8. David Cole & Jules Lobel, Less Safe Less Free: Why We're Losing the War on Terror, The New Press, Sept. 24, 2009, Page - 11-12.
9. David Cole, Are We Safer? The New York Review. Mar. 9, 2006,
10. John L. Esposito, It's the Policy, Stupid, HARVARD INT'L REV., May 2, 2007, http://hir.harvard.edu/articles/ print.php?article=1453 (discussing the differences between radical and moderate Islamists).

नगर परिषद् - निर्वाचन एवं विश्लेषण 2018 (बड़वानी जिले के संदर्भ में)

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना - भारत एक लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। जहां केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर आए दिन निर्वाचन होते रहते है। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा नागरिक मताधिकार के माध्यम से सरकार को बदल सकती है, जो अपनी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती। वस्तुत: भारत जैसे देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए चुनाव का सहारा लिया जाता है। किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र की राजनीति उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और संस्कृति के द्धारा प्रभावित होती है। इसी प्रकार बड़वानी जिले की वर्तमान राजनीति इतिहास से प्रभावित हुई है। वर्तमान समय में बड़वानी जिले की राजनीति का अध्ययन, सम्पन्न नगर परिषदों के निर्वाचन जनवरी, 2018 के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

- इस शोध पत्र का उद्देश्य बड़वानी जिले की 5 नगर परिषदों अंजड़, राजपुर, पलसूद, पानसेमल तथा खेतिया के निर्वाचन 2018 की स्थिति का अध्ययन करना।
- जनता का निर्वाचन के प्रति कितना उत्साह तथा राजनीति में सक्रिय योगदान कितने प्रतिशत रहा का अध्ययन करना।

अध्ययन प्रविधि - शोध पत्र को द्धितीय समंकों का आधार लेकर तैयार किया गया तथा चुनाव परिणाम से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

विश्लेषण - जिले में बड़वानी व सेंधवा नगरपालिका सहित अंजड़, राजपुर, पलसूद, पानसेमल व खेतिया नगर परिषदों के निर्वाचन 2018 को लेकर प्रशासन द्धारा कुल 193 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए, वहीं एक लाख 46 हजार 61 मतदाता है।

नगर परिषद आंकड़ों की नजर में -

1. **नगर परिषद् अंजड़ -**
- कुल वार्ड - 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 24
- कुल मतदाता - 18694
- महिला मतदाता - 9340
- पुरूष मतदाता - 9354
- अन्य - 00

2. **नगर परिषद् राजपुर -**
- कुल वार्ड - 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 20
- कुल मतदाता - 15383
- महिला मतदाता - 7550
- पुरूष मतदाता - 7832
- अन्य - 01

3. **नगर परिषद् पलसूद -**
- कुल वार्ड - 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 15
- कुल मतदाता - 7343
- महिला मतदाता - 3652
- पुरूष मतदाता - 3691
- अन्य - 0

4. **नगर परिषद् पानसेमल -**
- कुल वार्ड - 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 15
- कुल मतदाता - 9486
- महिला मतदाता - 4659
- पुरूष मतदाता - 4827
- अन्य - 00

5. **नगर परिषद् खेतिया -**
- कुल वार्ड - 15
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 15
- कुल मतदाता - 11839
- महिला मतदाता - 5995
- पुरूष मतदाता - 5843
- अन्य - 01

जिले की कुल 5 नगर परिषदों में निर्वाचन को लेकर कुल वार्ड 75 तथा 89 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए। इन मतदान केन्द्रों पर 62 हजार 745 कुल मतदाता में से 31 हजार 196 महिला मतदाता व 31 हजार 547 पुरूष मतदाता संख्या रही। इन मतदाताओं में अंजड़ नगर परिषद में 80.20%, राजपुर नगर परिषद में 80.90%, पलसूद नगर परिषद में 83.50%, पानसेमल नगर परिषद में 78.30% तथा खेतिया नगर परिषद् में 76.40% औसत मतदान का प्रतिशत रहा। (तालिका क्र. 1 देंखे)

नगर परिषदों में मतदान का प्रतिशत

तालिका क्र. 01 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

नगर परिषद् अध्यक्ष पद की कुल 5 सीटों में से 3 सीटों पर राजपुर, पलसूद व पानसेमल में भाजपा ने विजय हासिल की और 2 सीटों पर अंजड़

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

व खेतिया में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। **(तालिका क्र. 2 देखे आगे)**

नगर परिषद् अंजड़ के कुल 15 वार्डों में से 14 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 1 वार्ड में निर्दलीय ने कब्जा किया। भाजपा के खाते में इस बार निरंक स्थिति रही **(तालिका क्र. 3 देखे आगे)**। राजपुर के 15 वार्डों में से 10 वार्डों पर भाजपा ने जीत का परचम फहराया, वहीं 5 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत प्राप्त की। **(तालिका क्र. 4 देखे आगे)**

नगर परिषद् पलसूद के 15 वार्डों में से भाजपा ने 9 वार्डों पर बढ़त प्राप्त की व कांग्रेस ने 6 वार्डों पर जीत हासिल की। (तालिका क्र. 5 देखे पीछे)। पानसेमल कें 15 वार्डों में से 12 वार्डों पर भाजपा के पार्षदों का कब्जा रहा तो 2 वार्डों पर निर्दलीय का कब्जा रहा व 1 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की (तालिका क्र. 6 देखे पीछे)। नगर परिषद् खेतिया में 15 वार्डों में पार्षदों की स्थिति में 13 वार्डों पर भाजपा व 2 वार्डों पर कांग्रेस पार्षद की जीत रही। **(तालिका क्र. 7 देखें पीछे)**

निष्कर्ष – बड़वानी जिले की 5 नगर परिषदों के 2018 के निर्वाचन व परिणामों में से कुल 75 वार्डों में पार्षदों की स्थिति में 44 पार्षद पदों पर भाजपा ने कब्जा किया, वहीं कांग्रेस ने 28 पार्षद पद पर बढ़त हासिल की व 3 पार्षद पद निर्दलीय की झोली में चले गये। इस प्रकार जिले में हुए नगर परिषद् चुनावों के परिणामों ने किसी भी पार्टी को एकाधिकार का अवसर नहीं दिया है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों को एक संदेश भी दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरीश कुमार खत्री – भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्व शासन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2011, पृष्ठ।
2. समाचार पत्र – नई दुनिया।
3. इंटरनेट।

तालिका क्र. 01

क्र.	नगर परिषद्	महिला मतदान प्रतिशत	पुरूष मतदान प्रतिशत	औसत मतदान प्रतिशत
01	अंजड़	78.20	82.00	82.20%
02	राजपुर	78.50	83.20	80.90%
03	पलसूद	81.20	85.90	83.50%
04	पानसेमल	78.00	78.80	78.30%
05	खेतिया	73.40	79.50	6.40%

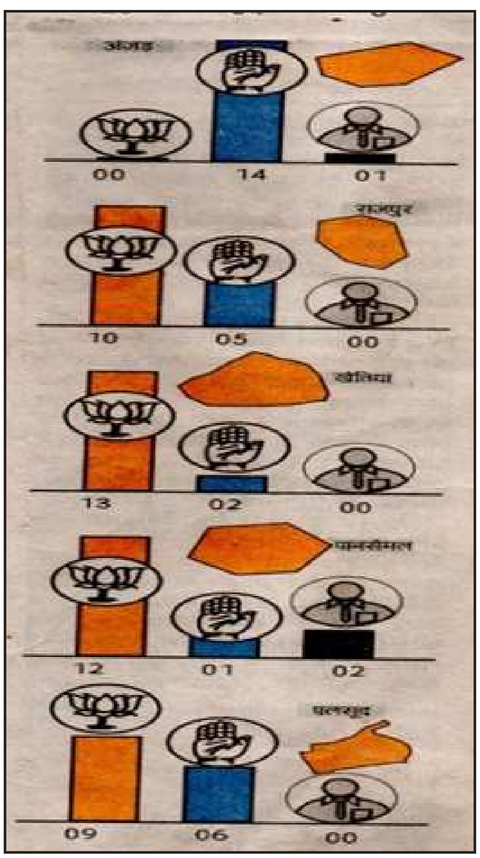

नगर परिषद अध्यक्ष पद – चुनाव परिणाम विवरण

(तालिका क्र. 2)

क्र	नगर परिषद्	पद	आरक्षण की स्थिति	विजित अभ्यर्थी का नाम	विजित अभ्यर्थी का राज. दल	निकटमतम अभ्यर्थी का नाम	निकटतम अभ्यर्थी का राज. दल	मतों का विवरण				
								डाले गये मत संख्या	विजित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	नाटो	निर्वाचन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अंजड़	अध्यक्ष	अनारक्षित महिला	संतोष पाटनी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	आरती बंसल	भाजपा	14996	9487	5102	402	सविरोध
2	राजपुर	अध्यक्ष	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	मुकेश कुशवाह	भाजपा	नानेश	इ.ने. कांग्रेस	12471	4743	4636	144	सविरोध
3	पलसूद	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति मुक्त	रमा	भाजपा	सरदार	इ.ने. कांग्रेस	6137	3228	267	978	सविरोध
4	पानसेमल	अध्यक्ष	अनारक्षित महिला	मीनाक्षी शुक्ला	भाजपा	मंजू बाई	इ.ने. कांग्रेस	7395	4945	1518	62	सविरोध
5	खेतिया	अध्यक्ष	अनुसूचित जाति महिला	चंदनबाई बागुल	इ.ने. कांग्रेस	शोभा निकुम	भाजपा	9244	4615	4408	218	सविरोध

स्त्रोत – इन्टरनेट 2018

नगर परिषद अंजड़ – वार्डवार पार्षद चुनाव व परिणाम

(तालिका क्र. 3)

वार्ड क्र	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	मुकेश मनोहर	कांग्रेस	892	पप्पू	भाजपा	530
2	शरद यादव	निर्दलीय	409	कैलाश	भाजपा	137
3	पुष्पा परमार	कांग्रेस	581	रिजू	भाजपा	426
4	मंजुला पाटीदार	कांग्रेस	724	जमना	भाजपा	281
5	सुशीला राधेश्याम	कांग्रेस	737	गंगाबाई	भाजपा	473
6	सुनीता अमरसिंह	कांग्रेस	544	रेखा	भाजपा	405
7	ग्यारसी बाई	कांग्रेस	433	मंगला	भाजपा	281
8	धनकौर ठाकरे	कांग्रेस	597	रंजना	भाजपा	439
9	गायत्री यादव	कांग्रेस	522	देवकुंवर	भाजपा	323
10	कुलदीप पाटीदार	कांग्रेस	443	प्रवीण	भाजपा	304
11	रणछोड़ जिराती	कांग्रेस	557	फारूख	भाजपा	295
12	महादेव धनगर	कांग्रेस	883	इदरिश	भाजपा	383
13	दुर्गाबाई वर्मा	कांग्रेस	722	रीना	भाजपा	261
14	कार्तिकिय चौहान	कांग्रेस	320	राजेश	भाजपा	311
15	रमेश चौहान	कांग्रेस	550	दिनेश	भाजपा	521

नगर परिषद राजपुर – वार्डवार पार्षद चुनाव व परिणाम
(तालिका क्र. 4)

वार्ड क्र	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	नसीम पीरन	भाजपा	564	नाजनीन	कांग्रेस	432
2	वंदना जमरे	कांग्रेस	552	शीला	भाजपा	497
3	नन्दूबाई	भाजपा	346	सुंदर	कांग्रेस	243
4	खुशी यादव	कांग्रेस	401	मनीषा	भाजपा	337
5	हुकुम राठौर	भाजपा	449	मुकेश	कांग्रेस	300
6	इस्माईल शेख	कांग्रेस	355	फारूख	भाजपा	291
7	मंशाराम वास्कले	कांग्रेस	450	पन्नालाल	भाजपा	425
8	वीनूबाई दिलवारे	भाजपा	514	वंदना	कांग्रेस	369
9	चन्द्रशेखर कुशवाह	भाजपा	411	संतोष	कांग्रेस	317
10	भागवत बाई	भाजपा	664	अर्चना	कांग्रेस	514
11	प्रेमलाल खोटे	कांग्रेस	333	अंतिम	भाजपा	243
12	अभय जैन	भाजपा	439	कमल	कांग्रेस	161
13	लता गुप्ता	भाजपा	372	शक्ति	कांग्रेस	287
14	विशाल पटेल	भाजपा	248	संजय	कांग्रेस	171
15	रेखा अग्रवाल	भाजपा	280	निर्मला	कांग्रेस	260

नगर परिषद पलसूद – वार्डवार पार्षद चुनाव व परिणाम
(तालिका क्र. 5)

वार्ड क्र	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	जयराम बजारिया	भाजपा	158	सायसिंह	निर्दलीय	98
2	सरिता बर्डे	भाजपा	190	अनिता	कांग्रेस	120
3	वनिता सेन	भाजपा	204	जगदीश	कांग्रेस	131
4	सुनील गोले	कांग्रेस	146	रामेश्वर	भाजपा	126
5	सुन्दरबाई नायक	कांग्रेस	153	प्रियंका	भाजपा	128
6	रेखा राठौड़	भाजपा	132	मीनाक्षी	निर्दलीय	93
7	पूनम गोले	कांग्रेस	170	निर्मला	भाजपा	159
8	गायत्री गोले	कांग्रेस	191	प्रमिला	भाजपा	148
9	सिराज खान	कांग्रेस	270	दुर्गा प्रसाद	भाजपा	122
10	गीता राठौड़	भाजपा	237	शुकरन बी	कांग्रेस	193
11	संतोष चितावले	भाजपा	202	संजय	निर्दलीय	135
12	देवेन्द्र सोलंकी	भाजपा	225	राकेश	कांग्रेस	173
13	सुखलाल	कांग्रेस	339	बिहारी	भाजपा	96
14	बेलबाई मोतीराम	भाजपा	155	सावित्री	कांग्रेस	136
15	पिंकी बाई	भाजपा	235	रमा बाई	कांग्रेस	162

नगर परिषद पानसेमल – वार्डवार पार्षद चुनाव व परिणाम
(तालिका क्र. 6)

वार्ड क्र	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्धंदी	निकटतम प्रतिद्धंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	बायली बाई	भाजपा	447	प्रगली	कांग्रेस	183
2	सुमित शर्मा	निर्दलीय	258	संजय	भाजपा	125
3	रेखा चौधरी	कांग्रेस	226	कविता	भाजपा	182
4	मंजू बाई	भाजपा	577	सुनीता	कांग्रेस	69
5	मनोज चौधरी	भाजपा	263	कृष्णकांत	कांग्रेस	189
6	नीरूबाई सुभाष	भाजपा	399	बायसी	कांग्रेस	120
7	आशाबाई बडौले	भाजपा	212	ममता	कांग्रेस	87
8	लव चौहान	भाजपा	227	विकास	निर्दलीय	155
9	बाबुलाल	निर्दलीय	266	मुरलीधर	भाजपा	137
10	अनिताबाई राजपुत	भाजपा	444	कुंदाबाई	कांग्रेस	78
11	अनिता वर्मा	भाजपा	204	वैशाली	कांग्रेस	158
12	इब्राहिम जोया	भाजपा	277	मनोज	कांग्रेस	143
13	सपना कुलकर्णी	भाजपा	324	यशोदा	कांग्रेस	148
14	राजकुमार	भाजपा	411	अमरसिंह	कांग्रेस	98
15	महेश गोले	भाजपा	420	सुनील	कांग्रेस	122

नगर परिषद खेतिया – वार्डवार पार्षद चुनाव व परिणाम
(तालिका क्र. 7)

वार्ड क्र	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राजनीतिक दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्धंदी	निकटतम प्रतिद्धंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	प्रदीप निकुम	भाजपा	420	जयदेव	कांग्रेस	275
2	शोभा येसीकर	भाजपा	386	दिपाली	कांग्रेस	304
3	हीराबाई सोनिस	भाजपा	493	आशाबाई	कांग्रेस	243
4	उमा पटेल	भाजपा	255	छाया	कांग्रेस	241
5	हंसा जैन	भाजपा	357	हंसा श्रीमाली	कांग्रेस	144
6	लता बाई सोनी	भाजपा	296	ज्योति	कांग्रेस	267
7	अलका मनोहर	भाजपा	322	ममता	कांग्रेस	91
8	प्रकाश महाले	भाजपा	416	सुरेश	कांग्रेस	239
9	दुर्गा बाई गणेश	भाजपा	379	विमला बाई	कांग्रेस	168
10	गणेश्स पंवार	भाजपा	389	कृष्णा	कांग्रेस	258
11	जुबेर मंसूरी	भाजपा	363	रवीन्द्र	कांग्रेस	248
12	राकेश चौधरी	कांग्रेस	393	हीरालाल	भाजपा	158
13	अनिल चौधरी	कांग्रेस	304	भूषण	भाजपा	238
14	दीपिका चौधरी	भाजपा	301	शोभाबाई	कांग्रेस	149
15	सुरेश चौहान	भाजपा	329	द्धारकाबाई	कांग्रेस	251

****

सिरोही जिले में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन एवं इनके संवैधानिक प्रावधान

प्रेमलता *

शोध सारांश - स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रयासरत् है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी गैर-सरकारी संगठनों ने भी भारत के सामाजिक शैक्षिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर-सरकारी संगठन भारत की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का हिस्सा है। गैर-सरकारी संगठन सरकार से स्वतन्त्र, न तो सरकार का अंग और ना ही सरकार से स्थापित, अलाभकारी संगठन है। यह समाज में शिशु मृत्यु दर में कमी तथा लैगिंक असमानता को दूर करके महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की जानकारी देने और (HIV एच.आई.वी./ एड्स तथा नशीले पदार्थो से बचाव हेतु जागरूकता के प्रयासो द्वारा कार्यरत् है। सरकार ने इनके लिए कई संवैधानिक प्रावधान और नीति आदि भी बनाये है। अरावली पर्वतमाला के आँचल में सिरोही जिला बसा है। सिरोही जिले में मुख्य रूप से दो जनजातियाँ 'भील व गरासिया' जिनमें भील सबसे पुरानी जनजाति है, पाई जाती है। 'भील' सिरोही जिले के समीप तथा 'गरासिया' जनजाति अरावली पर्वतमाला के सिरोही, उदयपुर और गुजरात के बनास कांठा तथा पंचमहल तक फैली हुई है। प्रस्तुत लेख में गैर-सरकारी संगठन, इनका इतिहास, संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
शब्द कुंजी - गैर-सरकारी संगठन, संवैधानिक प्रावधान, सिरोही जिला, आदिवासी, राष्ट्रीय नीति।

प्रस्तावना - भारत की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गैर-सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो सरकार से स्वतन्त्र, न तो सरकार का अंग और ना ही सरकार से स्थापित है। यह अलाभकारी संगठन है, जिन्हें निजी स्त्रोतों से कम अनुदान प्राप्त होता है। यह स्थानीय समुदाय के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक व शैक्षिक तथा पर्यावरणीय रूप से प्रतिबन्धित समूहों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा मानवाधिकार प्राप्त करने के लक्ष्य सम्बन्धित सेवाए प्रदान करते है। इसे निजी स्वैच्छिक संगठन (पी.वी.आ.) भी कहा जाता है। गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित प्रकार के होते है -

गैर सरकारी संगठन के प्रकार

1. **समुदाय पर आधारित गैर-सरकारी संगठन -** जनता अपने से संगठन बनाती है उद्देश्य - नागरिकों की सहायता करना, अधिकारों के प्रति जागरूकता एव आवश्यक सेवाए प्रदान करना।
2. **शहरी स्तर पर कार्यरत गैर - सरकारी संगठन -** ऐसे विभिन्न प्रकार के संगठन जो खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समुदाय से सम्बन्धि।
3. **राष्ट्रीय गैर - सरकारी संगठन -** ये व्यावसायिक संगठन है, जिनका कार्य स्थानीय गैर - सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों -** इनका कार्य स्थानीय गैर - सरकारी संगठनों के प्रोजेक्ट के क्रियान्वन हेतु अनुदान प्रदान करना।

गैर-सरकारी संगठनों का इतिहास - गैर-सरकारी संगठनों की शुरूआत सन् 1775 ई. से सन् 1918 ई. के मध्य तथा इसका विकास सन् 1960 ई. के अन्त व 1970ई. के प्रारम्भ में आर्थिक अवनति, शीतयुद्धों का अंत, निजीकरण तथा विकास की मांग आदि के कारण हुआ। प्रथम गैर सरकारी संगठन अन्तर्राष्ट्रीय समिति रेडक्रास सन् 1863 ई. तथा सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अधिनियम 71 के अध्याय 10 के प्रावधान के तहत् की गई। इसके अध्याय 1 में सयुक्त राष्ट्र परामर्शदात्री भूमिका के लिए संगठन है, तथा ये ना तो सरकारी और ना ही इसमें किसी सरकार के सदस्य होगें।

1. **भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व गैर-सरकारी संगठन -** भारत में 19 वी शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना जगाने और सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों के अन्तर्गत कई संगठन जैसे फ्रेन्ड इन नीड सोसायटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्य शोधन समाज (1873), आर्य समाज (1875), महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद् (1875) और भारतीय राष्ट्रीय कॉनफ्रेन्स (1887) आदि स्थापित हुए। इसी समय ईसाई धर्म मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप से गरीबी, सड़के बनवाने, अस्पताल व विद्यालय खोलने आदि के प्रयास प्रारम्भ कर दिए। सन् 1905 ई. में सेकूलर वालुन्टरी एक्शन के तहत् सरवेन्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। सन् 1916 ई. में महात्मा गांधी की स्वदेशी गतिविधियों में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर फोकस करते हुए सिविल सोसायटी की शक्तिवर्धन हेतु इन्हें राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में थे। सन् 1860 ई. में गैर-सरकारी संगठनों को वैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए 'सोसायटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट' का अनुमोदन किया, जिसमें अधिकांश राज्यीय सरकार मूल कानून में संशोधन करके नया कानून बना सकती है।

2. **स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गैर-सरकारी संगठन -** स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने सिविल सोसायटी को सामाजिक कल्याण व

*शोधार्थी ,जैन विश्व भारती इंन्स्टीट्यूट, लाडनून, भारत

आर्थिक विकास हेतु पूरक व परिपूरक माना। पंचवर्षीय योजनाओं में कहा गया कि 'किसी भी योजना में सामाजिक, आर्थिक व नव विकास हेतु इन संस्थाओं को सेवाओं का हिसाब किताब (लेखा-जोखा) बांट देना चाहिए और राज्य इन संस्थाओं को अधिकतम सहयोग प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करें'। गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाने हेतु सन् 1953 में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, सन् 1958 में किसान यूनियन तथा कृषि को-आपरेटिव सोसायटी और ग्रामीण विकास एशोसियेशन की स्थापना की गई। सन् 1965-66 और 1966-67 ई. दो क्रमागत कृशिकाल में अर्न्तराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों ने भारत में बाढ़-पीड़ितों की रक्षा हेतु प्रवेश किया।

सन् 1970 से 1980 के दशक में इनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई और गैर सरकारी संगठनों ने सरकार की गतिविधियों के सम्बन्ध में कहा कि गरीबी व न्यूनतम आवश्यकताओं के सरकारी कार्यक्रम कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे पा रहे है। इस पर गैर सरकारी संगठनों ने शिक्षा, आदिवासी विकास, वनों का विकास, पेयजल आदि कई क्षेत्रों हेतु नया प्रतिरूप/मॉडल प्रदान किया।

वर्तमान समय में भारत में 1.5 मिलियन गैर-सरकारी संगठनों जैसे मन्दिर, चर्च, खेल, संघ, चिकित्सा, शिक्षा संस्थान आदि में कार्यरत है। पी.आर.आई.ए. 2002 (Participatory Research in Asia) द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में 20.4% गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे है। ये संगठन सरकार के साथ भागीदारी निभाते हुए कार्यरत है। ये स्वंय सहायता समूह जीवन के गुणात्मक स्तर, नीति-निर्माण तथा उनके क्रियान्वन पर फोकस डालते है।

सिरोही जिले के गैर-सरकारी संगठन – भारत के सन् 2009 में 3.3 मिलियन व्यक्ति गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत है। सन् 24 फरवरी, 2014 में भारत के प्रति 600 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति गैर- सरकारी संगठनों में कार्यरत है। राजस्थान में 1 लाख गैर सरकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी कल्याण व विकास आदि क्षेत्र में कार्यरत है। इनमें 80: रजिस्टर्ड है। सिरोही जिले में सन् अक्टूबर, 2013 में 1389 रजिस्टर्ड गैर-सरकारी संगठन कार्यरत है, जिनमें 385 शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है तथा 20: गैर-सरकारी संगठन गैर पंजीकृत कार्यरत है। सिरोही जिले में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित है –

सिरोही जिले के गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	सिरोही जिले के गैर-सरकारी संगठन
1.	महावीर इन्टरनेशनल, सिरोही, आबूरोड़, शिवगंज
2.	लॉयन्स क्लब, सिरोही
3.	भारत विकास परिषद्, सिरोही
4.	के. पी. संधवी, चैरिटिबल ट्रस्ट, पावापुरी
5.	सेवा भारती, सिरोही
6.	टी. बी. संधवी धार्मिक ट्रस्ट, मालगाँव
7.	जैन रिलिफ सोसायटी, सिरोही
8.	महिला चेतना मंच, सिरोही
9.	सिरोही जिला विकास परिषद्
10.	सिरोही विकास मंच
11.	कल्याण जी परमानन्द जी पेढ़ी, सिरोही
12.	सिरोही सेवा समिति, सिरोही
13.	अरावली सेवा समिति, सिरोही
14.	जन संघ, कालन्द्री
15.	आदर्श शिक्षा समिति, सिरोही
16.	लॉयन्स क्लब, पिण्ड़वाड़ा, आबूरोड़, शिवगंज, रेवदर, माउण्ट आबू
17.	आनन्द शिक्षा समिति, सिरोही
18.	जन सेवा समिति, आबूरोड़
19.	एम. के. इन्टरनेशनल संस्थान, आबूरोड़
20.	जन सेवा संघ, आबूरोड़
21.	गीता आनन्द शैक्षिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, शिवगंज
22.	विवेकानन्द शिक्षण संस्थान, पिण्ड़वाड़ा
23.	जैन युवा संघ, शिवगंज
24.	रोटरी क्लब, माउण्ट आबू
25.	धर्म शैक्षिक, सामाजिक विकास ट्रस्ट, फालवदी
26.	श्री कासूबाई चैरिटिबल ट्रस्ट, सिरोही
27.	एजूकेट गर्ल्स, आबूरोड़
28.	राजस्थान बाल कल्याण समिति, सिरोही
29.	पीपुल्स फॉर एनिमल्स, सिरोही
30.	दूसरा दशक, सिरोही आदि।

गैर-सरकारी संगठनों हेतु संवैधानिक प्रावधान - (अंतिम पृष्ठ पर देखे)

सी.ए.पी.ए.आर.टी. (Council for Advancement of People's action and Rural Technology) का गठन – सन् 1986 ई. में सी.ए.पी.ए.आर.टी. (Council for Advancement of People's action and Rural Technology) का गठन स्वैच्छिक संगठनों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रयासों को उन्नत एवं सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। मई, 2000 में योजना आयोग ने सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के अन्त: सम्बन्धों में कॉन्फ्रेन्सों की श्रृखंला के जरिए हस्तक्षेप किया और सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के मध्य एक नोडल एजेन्सी की भूमिका का निर्वाह किया।

गैर सरकारी संगठनों हेतु राष्ट्रीय नीति – मई, 2007 में केबिनेट मंत्रियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। राष्ट्रीय नीति का निर्माण स्वैच्छिक संगठनों को प्रोन्नत करने, स्वतन्त्र रूप से कार्य करने, सृजनात्मक एवं प्रभावशाली भूमिका के निर्वहन हेतु तथा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास में योगदान हेतु किया गया। जिसके उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों के योग्य वातावरण निर्मित करना, उनकी आवश्यकतानुरूप स्थानीय और विदेशी वित्तिय संसाधन उपलब्ध करना, स्वैच्छिक संगठनों के प्रबन्धन, पारदर्शिता ग्रहण करना, तथा उत्तरदायी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना और उन व्यवस्थाओं की पहचान करना जहाँ सरकार स्वैच्छिक संगठनों के साथ विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी को बाँट कर कार्य कर सके।

गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान के स्त्रोत – गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान प्राप्त करने के मुख्य स्त्रोत-संगठनों के सदस्यों द्वारा, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री द्वारा, राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय अनुदानों द्वारा और प्राइवेट संस्थाओं से प्राप्त होता है। इसमें कुल अनुदान का 80% स्थानीय संस्थाओं, जनता व कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा, 13% सरकार द्वारा और 7% अर्न्तराष्ट्रीय अंशदान प्राप्त होता है। सन् 2009 ई. में स्थानीय स्तर पर 40,000 करोड़ रू. तथा सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रू. का अनुदान दिया गया। जिसमें 18,000 करोड़ रू. विदेशी अनुदान प्लान (XI) के तहत् सामाजिक क्षेत्र सम्बंधी कार्य हेतु दिए गए। इसके अलावा सन् 2009-

10 ई. में ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 10,337 करोड़ रू. प्राप्त किए।

निष्कर्ष – गैर–सरकारी संगठन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली का हिस्सा है। सिरोही जिले के दूर–दराज एवं पिछड़े हुए इलाकों में आदिवासी जनजातियों के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सिरोही जिले के आदिवासियों के कल्याण व विकास की योजनाओं द्वारा उनके जीवन स्तर को सुधारने, न्यूनतम साक्षरता दर, गरीबी, परम्परागत विश्वासों, रीति रिवाजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न उठाना आदि को भी सुधारने के प्रयास किए जा रहे है। गैर–सरकारी संगठन निजी अनुदानों/सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों से समाज के कमजोर व दलित वर्गो, पिछड़ी हुई जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने आदि कार्य करती है। ये गैर–सरकारी संगठन सरकारी प्रावधान, अधिनियम, राष्ट्रीय नीति और विभिन्ना विकासात्मक कार्यक्रमों आदि का लाभ समाज के कमजोर व दलित वर्गो, पिछड़ी हुई जनजातियों को दिलाने हेतु प्रयासरत है। अत: ये गैर–सरकारी संगठन समाज के कमजोर व दलित वर्गो, पिछड़ी हुई जनजातियों के समुचित विकास और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अपना योगदान दे रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http://www.India – Study Channel .Com/ resources/ 118720- NGO – full – form – NGO – History of NGOs – types. aspx cited on 29.08.13
2. http://www.Indian ngos. com/ cited on 22.09.13
3. http://www.eccindia. co/ corecentre/ Date base/ Docs/ Doc files/ ngo – Activity pdf cited on 31.07.13
4. http://www.vaniIndia. org/~ Vani India / content Php ? di = 48 cited on 21.03.13
5. http://www.ngo.regent.org/ country – information – by -region / Asia – and – oceania/ India - asp cited on 01.08.13
6. http://www.- indianexpress .com/ news/ first official -estimate – an – ngo – for every 400 people in – India / 643302 cited on 29.09.13
7. http://www.population commission. nic. in/ ngo. htm cited on 01.08.13
8. http://www.indiakanoon. org/ doc/ 1163757 cited on 01.08.13
9. प्रेमलता, फरवरी, 2018. सिरोही जिले के आदिवासी जनजातियाँ और उनके संवैधानिक प्रावधान TTMA Tracks, International research Journal For Multidisciplinary Studies. Double Referred. ISSN:2394-2908. Volume:5

गैर–सरकारी संगठनों हेतु संवैधानिक प्रावधान

क्र.सं.	अधिनियम	संवैधानिक प्रावधान
1.	अधिनियम 19	सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिनियम 19(1) में दिया गया है। चैरिटिबल संघ सामान्यत: वैधानिक रूप में ट्रस्ट/समाज/सोसायटी/अलाभदेय कम्पनियाँ और राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियाँ, नियम और प्राधिकार द्वारा संयमित होते है।
2.	सोसायटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860	यह संघीय अधिनियम, सभी राज्यों पर सामान्यत: लागू होता है। इसमें कुछ धर्मो के पहले से ही जो नियम बने, उनमें दूसरें भी संशोधन कर सकते है। अन्य राज्यों द्वारा नियमित सोसायटियों के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों द्वारा पूर्ण रूप से नये कानून पास किए है, जो कि राज्य की सीमा के बाहर कार्यरत सोसायटियों पर भी लागू होते है।
3.	इनकम टेक्स	एक्ट 1916यह संघीय अधिनियम, सभी राज्यों पर सामान्यत: लागू तथा भारत में कार्यरत अलाभदेय संगठनों को कर से मुक्त रखने से सम्बन्धित है।
4.	विदेशी अंशदान अधिनियम 1976	समुन्द्र पार से आने वाले अनुदान को इस अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा और इन मामलों को गृह मंत्रालय नियन्त्रित करेगा।

****

भारत में भ्रष्टाचार - स्थिति एवं समाधान

डॉ. आशा सिसौदिया *

प्रस्तावना – भ्रष्टाचार का अर्थ है, भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण लोकप्रशासन में इसका अभिप्राय ऐसे आचरण से है, जिसकी आषा लोक सेवकों से नही की जाती है। यदि लोक प्रशासक अपनी शक्ति, सत्ता एवं स्थिति का प्रयोग जन सामान्य के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करने लगे तो यही भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। भ्रष्टाचार कि परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में इस प्रकार की गयी है– जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक परिश्रमिक से अधिक घूस लेता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरुप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कु–सेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधान मण्डल या लोक सेवक के सन्दर्भ में करता है, तो उसे तीन वर्ष तक में कारावास या दण्ड या अर्थदण्ड या दोनो दिये जा सकेंगे।

किसी न किसी रुप में भ्रष्टाचार मानव में सदैव कायम रहा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 प्रकारो का उल्लेख किया हैं कौटिल्य के शब्दों में जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असम्भव है उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असम्भव है।

भारत में लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की समस्या नई नहीं हैं। पहले यह कुछ विभागों तक सीमित या आज यह प्राय: प्रत्येक विभागों में पाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् यह सोचा गया था कि भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा, किन्तु यह न हुवा। आगे चलकर यह राज्य तथा केन्द्र स्तर के मंत्री, सांसद तथा व्यवस्थापिका के सदस्यों में यह बीमारी फैल गई। भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली लोकसभा भी श्री बाकर अली के शब्दो में भ्रष्टाचार के लहरो से बच नहीं सकीं।

भारत में भ्रष्टाचार के अगणित रुप है, राजनीतिक दलो के लिए भी धन एकत्रित करना पडता हैं। इस प्रकार जो धन या सुविधा प्राप्त होती है। उसके बदले सत्ताधारी दानदाता के किसी कार्य या हित की पूर्ति कर देता है जैसे उसकी फाइल पर शीघ्र निर्णय देना, परमिट, लाइसेंस या ठेका प्रदान करना। या किसी के विरुद्ध की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को समाप्त कर देना आदि। हर प्रकार का भ्रष्टाचार सत्ता का दुरुप्रयोग हैं।

प्रशासन की तरफ से निर्माण क्रय एवं विक्रय तथा अन्य दैनिक कार्यो संबंधी ठेकों में एक निष्चित प्रतिशत संबंधित सरकारी व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है एवं सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा एक स्वीकृत अनुपात में आपस मे बाँट लिया जाता हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यो से 7 से 11 प्रतिशत तक इस प्रकार दिया जाता है कि इसमें एक्सीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर मिस्त्री तक का हिस्सा होता हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे मे वैगन देने, पार्सलो को भेजने विशेषकर शीघ्र नष्ट होने वाले पार्सलों पर रिश्वत सम्बन्धी समान रिवाज प्रचलित है। जब किसी वस्तु का क्रय किया जाता है तब घटिया वस्तु को स्वीकार कराने के लिए कुछ प्रतिशत दिया जाता हैं। अनेक विभागों में किसी स्थान विशेष पर नियुक्ति सरकारी कर्मचारी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। अपनी इच्छा एवं अपने महत्व के स्थान पर नियुक्ति के लिए बहुत से शासकीय कर्मचारियों द्वारा रिश्वत दी जाती हैं। पुलिस सार्वजनिक निर्माण आदि विभागों मे तो पदों की निलामी होती हैं।

मंत्रियों, विधायकों एवं लोकसेवकों के बीच इस भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने के कई प्रयत्न किए गए। 1946 में देहली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की स्थापना कि गई, जो आगे चलकर केन्द्रीय जॉच ब्यूरो (CBI)की एक शाखा बन गईं। 1947 मे भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित किया गया। 1949 मे बख्शी टेकचन्द कमेटी तथा 1953 मे रेलवे पूछताछ समिति ने भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। 1955 में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए गृहमंत्रालय मे प्रशासकीय चौकसी विभाग तथा अन्य मंत्रालयो एवं विभागो में चौकसी इकाइयो की स्थापना की गई। 1962 में श्री के सन्थानम की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की गयी, जिसे सन्थानम समिति कहा जाने लगा। आगे चलकर भ्रष्टाचार से लडने के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना की गई।

लेकिन इसके बावजूद परिणाम यह है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि वे राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारा उम्मीदवार बन जाते तो कतिपय राजनीतिक दल 30–40 करोड रुपये खर्च करने के लिए तैयार थे। जयपुर मे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निर्देशक के द्वारा 1 करोड 5 लाख रुपये की सरकारी राशि का घोटाला हुआ। इसी तरह 1992 में राजस्थान के IAS अधिकारी श्री रविशंकर श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के मामले में निलम्बित किया। 2001 में तहलका डॉट कॉम ने प्रमुख राजनीतिज्ञो एवं सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता का ऐसा टेप जारी किया जिसमें इन लोगों को रक्षा सौदे सम्पन्न कराने के लिए घूस लेने को तैयार दिखाया गया हैं। 12 दिसम्बर 2005 मे ऑपरेशन दुर्योधन के अन्तर्गत संसद में सवाल उठाने के लिए 11 सांसद घूस लेने के लिए तैयार हैं, ऐसी विडियो कैमरे मैं कैद कि हैं बिहार का चारा घोटाला तथा युरिया घोटाला भ्रष्टाचार का उदाहरण हैं। वर्तमान मे भारत कि हालत भ्रष्टाचार के मामलो की यह है कि 12717 करोड मे पी.एन.बी. घोटाले करने वाले नीरव मोदी और मेहूल चौकसे हैं (जिनकी कम्पनी फायर स्टार डायमण्ड, गीतांजली जेम्स गिली इंडिया हैं) इंदौर के जूम डेवलपर्स कम्पनी ने 2650 करोड रुपये

* एसोसियेट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर - मालवा (म.प्र.) भारत

का बैंक लोन घोटाला किया। 3500 करोड कानपूर के पेन निर्माता ने गायब कर दिए। गिरफ्तार किए जाने पर वह यह कहता है कि मुझे 21 बीमारियाँ है इसलिए उसके साथ सोम्य व्यवहार किया जाए । तब से सीबीआई ने तीन और बैंक लूट का पता लगाया अभी हाल में 9000 करोड की घोटाले सुर्खियो में आए है । हमारा एनपीए जिसे हम अपनी बैकिंग व्यवस्था में मौजूद विशाल ब्लैक होल को कहना पसन्द करते हैं। हम उन अर्थव्यवस्थाओं में पॉचवे स्थान पर हैं। जिन्हें अपनी बैंकों की हालत को लेकर गंभीर रुप से चिंतित होना चाहिए। 7.34 लाख वाले हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हमारे सबसे बड़े बैंक हैं। वे 77 फीसदी फॅसे हुवे कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं। बैंड लोन या एनपीए तो उस नकदी के लिए आकर्षक शब्दावली हैं।, जो सिस्टम कि सारी निगरानी में बाद चमत्कारी ढंग से गायब हो गई। सच तो यह है कि सबसे अधिक एनपीए वाले शीर्ष 20 बैंकों में से 18 सार्वजनिक क्षेत्र के है जो सरकार की सीधी निगरानी में है। इस बडे ब्लेक होल के लिए जिम्मेदार लोगों में से ज्यादातर अब भी खुले घूम रहे हैं। उन्हें दुनिया की रतीभर परवाह नहीं हैं।

भारत के 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भारत में भ्रष्टाचार का यह हाल है कि छोटे से छोटा काम से लेकर बडे कार्य के लिए घूस देना ही पडता हैं। प्रधानमंत्री राजीव गॉधी ने कहा था कि देश में विकास के लिए दिए गए पैसे मे से 15-16 प्रतिशत मे विकास के कार्य के लिए पहुॅच पाता हैं बाकि पैसा रास्ते में खा लिया जाता हैं।

विश्वविख्यात संस्था ट्रांसपेरेसी इण्टरनेशनल द्वारा जारी सूची 2001 से लगाकर 2017 का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भ्रष्टाचार का स्तर भारत मे बढ़ता ही जा रहा हैं।

भ्रष्टाचार के कारण-

1. **भ्रष्टाचार अंग्रेंजो की विरासत –** अंग्रेंजो के समय में भारत में भ्रष्टाचार व्यापक रुप में प्रचलित था। उस समय वायसराय अथवा गर्वनर अपने पद से अवकाश लेने से पूर्व राजाओं से विदाई लेने के नाम पर देशी रियासतो का दौरा करते थें तथा उनसे भेंट से स्वीकार करते थे। यह एक भ्रष्टाचार का ही रुप था।
2. **युद्धकालीन प्रभाव –** द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार ने भारी मात्रा में सेना के लिए अन्न तथा अन्य सामग्री खरीदी। उस समय व्यापारियों ने सरकारी ठेके प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देना शुरु किया।
3. **नियंत्रण व्यवस्था –** स्वाधीनता पश्चात् सरकार द्वारा तेज गति से आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना शुरु किया।
4. **प्रशासन का विस्तार –** स्वतंत्रता बाद तत्काल ब्रिटिश और मुस्लिम अधिकारियों एवं योग्यताहीन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई।
5. **नैतिक मूल्यों का पतन –** देश में औद्योगकिरण और शहरीकरण के विकास के कारण सामाजिक, वैयक्तिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। जीवन में भौतिकतावादी दृष्टिकोण पनप गया। जिसके कारण नैतिक मूल्यों मे गिरावट आई। लोग अनैतिक साधनों से धन कमाने लगें।
6. **वेतनमानो में असमानता –** सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी अन्तर हैं। अच्छे वेतन वाले उच्चाधिकारियों मे ऐशो आराम के जीवन से नीचे के कर्मचारी तुलना करने लगते हैं। जिसके परिणाम स्वरुप वे अनुचित साधनों से कमाई करने लग जाते हैं।
7. **लालफीताशाही –** भारत में सरकारी कार्य प्रणाली जटिल और पेचीदगीपूर्ण हैं। नियमों और कानून कायदों का इतना भारी जाल फैला हुआ हैं कि शीघ्रता और आसानी से काम हो ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में अपना काम निकालने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों मे रिश्वत लेते हैं।
8. **औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग –** औद्योगिक और व्यापारी वर्ग में भ्रष्टाचार आम बात हैं। सटोरिए, नवधनाढय, तस्कर आदि लोग भ्रष्टाचार के भिन्न भिन्न तरीकों से धन अर्जित करते हैं।
9. **चुनावी चंदा–** भारत में चुनाव काफी महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए नेताओं और राजनीतिक दलो को काले धन की आवश्यकता होती हैं।

भ्रष्टाचार कि स्थिति बताने वाली गैर सरकारी एजेन्सी ट्रांसपरेशी इण्टरनेशनल के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति इस प्रकार हैं।

(देखे आगे पृष्ठ पर)

भ्रष्टाचार निर्वारण के उपाय-

भ्रष्टाचार निर्वारण के लिए यदि हम निम्न सुझाव पर अमल करें तो भारत में भ्रष्टाचार कम हो सकता हैं।

1. संविधान के अनुच्छेद 311 को संसोधित किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार के मामलो में कानूनी कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक और आसानी से हो सकें। क्योंकि अनुच्छेद 311 में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा हैं।
2. कोई सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् दो वर्ष तक किसी व्यक्तिगत, व्यापारिक व औद्योगिक फर्मो में काम न करें।
3. सभी लोकसेवकों, विधायकों, मंत्रियों को अपनी निजी सम्पत्ति की प्रतिवर्ष घोषणा करना चाहिए।
4. केन्द्रीय शासन में एक सतर्कता आयोग बनाए जाए।
5. विभागों के नियम उपनियमों को सरल बनाया जाये क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते है, इसलिए वे घूस देते हैं।
6. भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सर्वाधिक बदनाम विभाग छॉटकर, जाँच करके दोषियों को दण्डित किया जाएं।
7. तबादला या पदोन्नति रोक देना कोई दण्ड नहीं हैं।
8. भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने कि केवल एक सजा हो कारावास या नौकरी से निकालना।
9. जनता को सभी अनिवार्य वस्तुऍ समय पर उपलब्ध कराई जाए।
10. सभी विभागो मे काम करने की समय सीमा निर्धारित कि जाए।
11. भ्रष्टाचार के विरोध में जबर्दस्त लोकमत उत्पन्न किया जाए ताकि भ्रष्टाचारियों के दुष्कर्मो कर भण्डाफोड किया जाए।
12. चुनाव सुधार किये जाने चाहिए ताकि चुनाव लड़ने में बहुत बडी धनराशि व्यय न करनी पड़ें। जब तक चुनाव धन से लड़े जाऐंगे। तब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा।
13. भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यपालिका के प्रभाव से सर्वथा मुक्त निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा विचार करने और अपराधियों को कडा दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
14. सरकारी कर्मचारीयों को उनके काम के अनुसार पूरा वेतन देने और उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
15. बैंकों के घोटोले रोकने के लिए एक नहीं बहुआयामी सत्यापन सुरक्षा ढॉचा बनाएं जाए।
16. बैंकों के लेन देन पर नियमित नजर रखी जाए। बैंक खातो में लेन देन

का रोज मिलान होना चाहिए।

17. बैंकों में त्रिस्तरीय नियंत्रण हो। पहला व्यक्ति का पासवर्ड और आई डी से, फिर दूसरा व्यक्ति उसका अनुमोदन करें और तीसरा लेन देन करे।

निष्कर्ष – देश में एक के बाद एक घोटालो का पर्दाफाश होता जा रहा हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसे द्वारा घोटाले के बाद अब चेन्नई स्थित कनिष्क गोल्ड के मालिक भूपेश जैन और उसकी पत्नि नीता जैन ने एस बी आई सहित 13 अन्य बैंको से करीब 842.15 करोड रुपये का लोन ब्याज मिलाकर 1000 हजार करोड से जॉच का दौर शुरु हुआ तो ऐसा लगने लगा कि घोटालो के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारियों व लेखापरीक्षकों की भूमिका पर नजर कम हैं। जब तक इनमें डर पैदा नहीं होगा घोटाले रोकना मुष्किल है। इन जिम्मेदारो के लिए भी सख्त सजा का कानून बनाना होगा। हमारी तमाम जॉच एजेंसिया इस समय बैंक घोटाले बाज़ो के पीछे पड़ी है। ऐसा होना भी चाहिए लेकिन सबसे बडा सवाल यह भी है कि आखिर आंतरिक अंकेक्षकों इंटरनल ऑडिटर पर भी इतनी सख्ती क्यों नहीं हो पाती है ?

करोड़ो का घोटाला करने वाले ऐसे कर्जदारो को न तो शीघ्र जेल भेजा जाता हैं। और न ही शीघ्र कारोबार को कुर्क किया जाता हैं। जबकि किसी किसान पर यदि कर्ज हो तो कुछ ही दिनों में कार्यवाही हो जाती हैं। यहॉ सोचने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लेनदेन का ऑडिट तो किया ही होगा। फिर क्यों नहीं ये गड़बड़िया उस वक्त पकड़ में आ पाई। आयकर (अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 271 सी के तहत करवंचना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि करोड़ों आयकरदाताओ में से साल में शायद दो चार को ही जेल भेजा जाता हैं। ऐसे में कोई वित्तिय अपराध करने में क्यों डरेगा। अब तो ज्यादातर देश के अमीर लोग घोटालों से बाहर के देशो में मकान और सम्पति अर्जित कर लेते है । हमारे देश के उद्यमियों मे और विदेशों के उद्यमियों में बडा फर्क है। बैंक से कर्ज तो वे भी लेते हैं लेकिन न लौटाने की स्थिति मे उन्हें कड़ी सजा दी जाती है अमेरिका और चीन में ऐसे आर्थिक अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान हैं।

हमारे देश में वित्तिय अपराध से हजारो लाखो लोग प्रभावित होते हैं। किंतु उसकी सजा नहीं हैं। लेनदार मुकदमा भी दायर करे तो पहले उसे एक निश्चित आय जमा करनी पड़ती हैं। न्याय मिलने में कितने साल लग जाये, कुछ अता पता ही नहीं होता । बैंकों के घोटालों को रोकने के लिए बैंक अधिकारी, आंतरिक ऑडिट एवं आर बी आई के ऑड़िट करने वालो के खिलाफ कड़ा कानून बनें और इन्हें अधिकतम सजा दी जाए। तभी जाकर घोटाले रोके जा सकते है। वस्तुत: जब तक घोटाले बाजों में ड़र पैदा नही होगा। तब तक बैंक घोटाले को रोकना आसान नही होगा। निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि जब तक राष्ट्र का हर नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। तब तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। सरकार द्वारा भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए। जिससे घोटाले संभव ही न हो। क्योंकि एक आदर्श एवं भरोसे मंद व्यवस्था वही होती हैं। जिसमें घपले घोटाले होने ही न दिए जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार लेखक डॉ. श्याम प्रसाद दुबे संस्करण–प्रथम 1994 पृ. 215
2. लोक प्रशासन लेखक डॉ. अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ. श्री राम माहेश्वरी वर्ष 1997पृ. 418, 419, 428
3. भारत मे लोकप्रशासन लेखक डॉ. बी.एल. फडिया, वर्ष 1998 पृ. 564
4. लोकप्रशासन लेखक डॉ. बी.एल. फडिया संस्करण 2009 पृष्ठ 720, 721
5. भारतीय सरकार एवं राजनीति लेखक श्री आर.आन. त्रिवेदी, डॉ. एम.पी. रॉय पृष्ठ 509,510
6. Journal of Public Administration may 1963 पृ. 9
7. इंडिया टुडे 15 मई 1987
8. इंडिया टुडे 31 जुलाई 1990 पृ. 36
9. राजस्थान पत्रिका 21 मई 1992।
10. दैनिक भास्कर 07 मार्च 2018 पृ. 8
11. नई दुनिया 17 मार्च 2018 पृष्ठ 6
12. दैनिक जागरण 17 मार्च 2018 पृष्ठ 4
13. राष्ट्रीय हिन्दी मेल 22 मार्च 2018 पृष्ठ 2
14. पत्रिका 22 मार्च 2018 पृष्ठ 2
15. दैनिक भास्कर 28 मार्च 2018 पृष्ठ 1
16. transparency.org

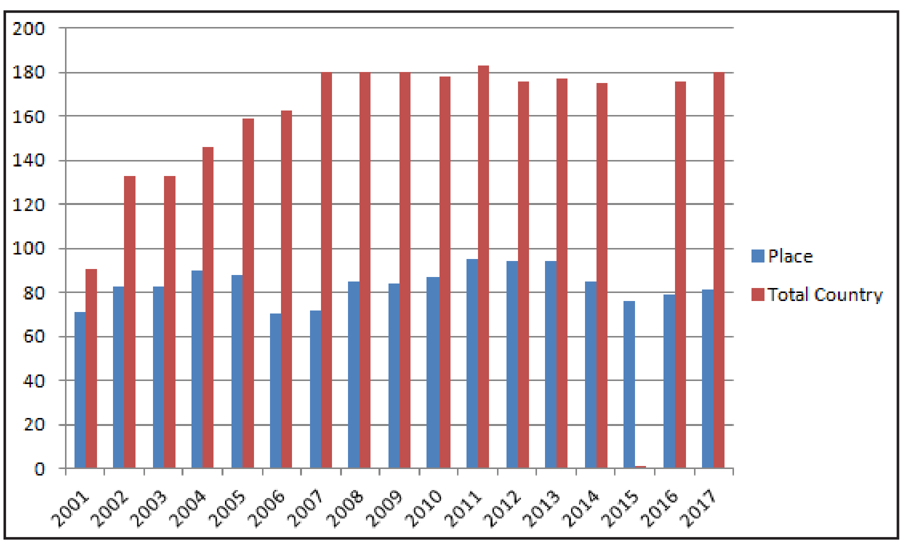

पंचायती राज का विकास एवं भूमिका - मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में (एकीकृत ग्रामीण विकास योजना)

डॉ. प्रीति शर्मा *

प्रस्तावना - कार्यक्रम का उद्देश्य - यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 से राज्य के समस्त 459 विकासखण्डों से प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन करने वाले लक्षित समूह धन्धा, लघु एवं सीमान्त किसान, ग्रामीण शिल्पी, कृषि और गैर-कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग एवं बन्धुआ मजदूरों को विभिन्न उत्पादक योजना हेतु शासन की ओर से अनुदान एवं बैंक ऋण दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सहायता दी जाती है।

गरीबी रेखा का मापदण्ड - ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वे परिवार जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रुपये 11,000 है उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार माना गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे गरीब परिवार को सबसे पहले सहायता दी जाती है। सहायता हेतु चयनित परिवारों में जिसकी वार्षिक आय रुपये 6,000/- तक होती है, उसे पहले सहायता दी जाती है।

लघु कृषक - दो हेक्टेयर या उससे कम जोत वाला कृषक यदि कृषक के पास राज्य अधिकतम भूमि सीमा विधि के अनुसार एक हेक्टेयर या उससे कम प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है, तो उसे भी लघु कृषक समझा जाएगा।

सीमान्त कृषक - एक हेक्टेयर या उससे कम जोत वाला कृषक सीमान्त कृषक है। प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि के मामले में उच्चतम सीमा 0.5 हेक्टेयर होगी।

कृषि श्रमिक - जिस व्यक्ति के पास आवास भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं है और जो अपनी 50 प्रतिशत से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त करता है वह कृषि श्रमिक है।

निश्चित वर्ग के लिए विशेष संरक्षण -

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण - कुल लाभान्वित परिवारों में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार होना चाहिए।
2. महिलाओं के लिए संरक्षण - कुल लाभान्वित परिवारों में न्यूनतम 3 प्रतिशत विकलांग होना चाहिए।
3. बन्धुआ मजदूरों के लिए संरक्षण - विमुक्त बन्धुआ मजदूरों को शासन के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में भी लाभान्वित किया जाना चाहिए।[2]

ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन करने वाले परिवारों को पहचान कर सूची तैयार की जाती है तथा उसका अनुमोदन ग्रामसभा अथवा ग्राम पंचायत के वयस्क सदस्यों की बैठक में कराया जाता है। इस सूची को प्रत्येक वर्ष अध्यतन किए जाने की व्यवस्था है जिससे नये परिवारों को सूची में शामिल किया जा सके तथा उन परिवारों को हटाया जा सके, जिन्होंने गरीबी रेखा पार कर ली है। ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित सूची को ग्रामपंचायत विकासखण्ड कार्यालय तथा जिला अध्यक्ष कार्यालय पर भी लगाई जाती है।

सहायता का नाममात्र परिवारों को सुनिश्चित ढंग से उपलब्ध हो सके। इसके लिए वर्ष के प्रारम्भ में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा वार्षिक कार्य योजना इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहता है कि वर्षभर में कितने लोगों को किस-किस व्यवसाय में लाभान्वित किया जाता है। सहायता राशि में अनुदान एवं ऋण का क्या अंश होगा और बैंक को कौन-सी शाखा ऋण देगी।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.4.67 से एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित सभी हितग्राहियों की उम्र 18 से 60 वर्ष की हो, रुपये 5,000/- के लिए पाँच वर्ष का बीमा गया है। दिनांक 1.4.88 से भारत शासन द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित सभी हितग्राहियों को रुपये 3,000/- के लिए तीन वर्ष के लिए बीमा करो का निर्णय लिया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना यह बीमा योजना दिनांक 13.6.86 से 14 जिलों तथा दिनांक 15.8.88 से प्रदेश के शेष 31 जिलों में लागू की गई है। यह योजना कार्मिक प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ स-1/5/88/49/1/ दिनांक 14/9/88 द्वारा संस्थागत वित्ता से इस विभाग को स्थानान्तरित की गई।[3]

इस योजना के बिन्दु निम्नलिखित हैं -

1. **पात्रता -** खेतिहर मजदूर, लघु कृषक, परम्परागत कारीगर, सेवा व्यवसाय एवं परिवहन आदि कार्यों संलग्न परिवार जिसकी वार्षिक आय 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
2. **बीमे की राशि -** रुपये 3,000/-
3. **किश्तों का भुगतान -** केन्द्र सरकार
4. **हितग्राही की मृत्यु -** मृतक के उत्ताराधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र, दावे, प्रकरण, मृत्यु दशा में की जाने वाली के पश्चात् 180 दिन के भीतर इन्क्वायरी एवं सेटलमेंट कार्यवाही अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि का परीक्षण कर तथा सही उत्तराधिकारी ज्ञात कर दावा स्वीकृत करेगा।

केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के मानीटरिंग एवं रिव्यू का कार्य सामान्य बीमा कम्पनी को सौंपा गया है।

हाथकरघा विहीन बुनकरों को करघा प्रदाय - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न

* (राजनीति विज्ञान) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

योजनाओं/कार्यक्रम के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। बुनकरों की स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त भारत सरकार ने नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त हाथकरघा बुनकरों को तीन वर्ष अर्थात् 1993-94 से 1993 से 96 की अवधि में सहायता पहुँचाने का निर्णय किया है।

हाथ करघा विहीन बुनकरी का चुनाव – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करघा विहीन बुनकरों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें वे बुनकर भी शामिल होंगे जो मास्टर विवसी के वर्करोड़ में हाथकरघा इकाईयों में प्राथमिक हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों एवं हाथकरघा क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संघ/निगमों के वर्करोड़ कार्यरत है।

इस कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हाथ करघा बुनकरों के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम तैयार किया गया है–

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करघाविहीन बुनकरों को एक करघा एवं सहायक उपकरण प्रदान करना।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुसार अनुदान राशि दी जाती है। शेष राशि रियायती दर पर नाबार्ड की रिफायनेंस योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों, व्यावसायिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।[4]

ट्रायसेन योजना के अन्तर्गत हाथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण – ट्रायसेन योजना के अन्तर्गत हाथकरघा बुनकरों को कपड़े की संरचना, डिजाइन एवं रंगाई का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि हाथकरघा बुनकर नियति योग्य वस्त्रों का उत्पादन कर सके।

इन्दिरा आवास योजना के तहत आवासविहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों की सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासविहीन हाथकरघा बुनकरों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता और आवास उपलब्ध कराए जाएँगे।

ग्रामीण शिल्पियों को उन्नत टूल किट्स प्रदाय कार्यक्रम – ग्रामीण शिल्पियों द्वारा परम्परागत औजारों से निर्मित सामान की तुलना में विकसित एवं उन्नत औजारों द्वारा निर्मित सामान की माँग एवं खपत अधिक होने के कारण शिल्पियों की आय में कमी आ रही है। इस कारण ये अपने व्यवसाय के साथ-साथ सहायक व्यवसाय के रूप में अकुशल कृषि मजदूर का कार्य कर रहे हैं या विवश होकर रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अतएव ग्रामीण शिल्पियों की आय में वृद्धि करने तथा रोज़गार की तलाश में गाँव से शहर की ओर उनके पलायन को रोकने की दृष्टि से प्रधानमन्त्री जी ने 15 अगस्त 1991 को ग्रामीण शिल्पियों को उन्नत टूल किट्स करने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने वर्ष 92-93 से यह प्रारम्भ किया है। वर्ष 92-93 में यह कार्य चार जिला जबलपुर, रायसेन, मन्दसौर और बैतूल तथा वर्ष 93-94 में 8 जिलों यथा शाजापुर, खण्डवा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रीवा, सिवनी और छतरपुर में प्रारम्भ किया था। वर्ष 1994-95 में 15 जिलों सतना, शहडोल, सीधी, रायगढ़, खरगोन, धार, झाबुआ, मण्डला, सरगुजा, छिन्दवाड़ा, रतलाम, राजगढ़, गुना, मन्दसौर एवं बस्तर में प्रारम्भ किया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य –

1. आय में वृद्धि करना।
2. उत्पादकता में वृद्धि करना।
3. उत्पादन में वृद्धि करना
4. उत्पाद में गुणात्मक वृद्धि करना
5. उत्पाद में विविधता लाना
6. परम्परागत औजारों में कार्य करने में आगे वाली थकावट एवं ऊबाउपन में छुटकारा दिलाना
7. ग्रामीण शिल्पियों के जीवन में समग्र रूप से सुधार करना

कार्यक्षेत्र – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परम्परागत ग्रामीण शिल्पियों (बुनकर, टेलर्स, निडिल वर्क्स और बड़ी मजदूरों को छोड़कर) को शामिल किया है।

उन्नत टूल किट्स प्रदाय – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण शिल्पियों को रुपये 2,000/- तक के उन्नत टूल किट्स प्रदाय किए जाते हैं। जिसमें 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत राशि हितग्राही को स्वयं वहन करनी पड़ती है।

प्रशिक्षण – ट्रायसेन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पियों को प्रदाय किए उक्त टूल के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण किया जाता है। ग्रामीण शिल्पियों को प्रशिक्षण देने हेतु आयु सीमा को शिथिल किया गया है।

सहायता – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामीण शिल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरिशचन्द्र प्रेती, भारतीय जनजातीय प्र.सं. 1
2. फ्र., म.प्र. की आदिवासी योजना 11, 12, 22, 1975
3. म.प्र. में पिछड़ी जातियों की प्रगति अगस्त 1945 प्र. 20 सूचना विभाग म.प्र. द्वारा एवं जनजाति कल्याण के लिए प्रकाशित
4. रामबिहारी सिंह तोमर, भारतीय समाज एवं संस्कृति, पृ. 64 म.प्र. में पिछड़ी जाति की प्रगति सूचना प्रसारण विभाग के लिए प्रकाशित अगस्त 1954
5. मध्यकालीन योजना 1978 से 83 आदिवासी विकास पर गठित कार्यकारी दल का प्रतिवेदन गृहमंत्रालय भारत सरकार, 1998, पृ. 8, 82, 83
6. हरिशचन्द्र उत्प्रेती भारतीय जनजातियाँ, पृ. 158, 179, 180

****

भारत-पाक सम्बन्ध समस्या एवं समाधान

डॉ. गरिमा पारीक *

प्रस्तावना - भारत दुनिया का सबसे वरिष्ठ लोकतान्त्रिक देश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तान का विश्व में स्थान दूसरा है। आर्थिक दृष्टि से भी भारत एक मजबूत विश्व शक्ति हैं। अभी सत्तर साल पहले ही तो इस राष्ट्र के एक हिस्से को अंग्रेजों की जालिम नीति ने काटकर पाकिस्तान के रूप में अलग देश बनाकर पूर्ण की थी।

14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ हिस्सा पाकिस्तान कहलाता है। जिसमें लोकतन्त्र की छद्म स्थिति से पूरा विश्व परिचित है। आंतकवाद ही जहां का साया बन गया है। चीन व अमेरिका की आर्थिक सहायता से यह देश अभी जिन्दा प्रतीत होता है। पाकिस्तान का आम आदमी शांति, अमन की बात अपने आकाओं को नहीं समझा सकता है।

भारत और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है, एक दिन है, तो दूसरा रात है। फिर भी यह विडम्बना है कि दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी का धर्म होता है, एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदारी निभाना। किन्तु इन दोनों मुल्कों के मध्य यह शायद 'दिवा स्वप्न' ही रहेगा। हम सभी जानते है कि एक हाथ के मात्र कोशिश करने से दोनों हाथ ढ़ंग से नहीं धुलते हैं, स्वच्छता के लिए दोनों हाथों को एक-दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। मात्र भारत के ही मित्रता या शांतिवादी प्रयासों से दोनों की दोस्ती कायम नहीं रह सकती है। दोनों राष्ट्रों को ईमानदारी से मित्रता निभाने के प्रयास करने होगें।

समस्या :-

- भारत और पाकिस्तान की शत्रुता से क्षेत्र में अशान्ति का बोलाबाला है।
- पाकिस्तान की जम्मु-कश्मीर में बढ़ती आंतकवादी गतिविधियां चिन्ता का विषय हैं।
- पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लघंन किया जाता हैं।
- पाकिस्तान में मानवीय दृष्टिकोण का अभाव प्रतीत होता हैं।
- आंतकवादियों की शरण स्थली पाक जमीन बन गई हैं।
- भारत को शांति के बदले युद्ध की बार-बार सौगात भेंट करना पाकिस्तान की फितरत हैं।
- सार्क व एशिया की एकता को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खतरा हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही आज न्युक्लियर शक्तियां है। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों के हित आपस में टकराते है। एशिया में शान्ति की खोज में दोनों का अहम योगदान हो सकता हैं। 1965 हो, 1971 हो या 1999, हमेशा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोपा है। यह बहुत दुखदायी व चिन्तनीय स्थिति है। हर बार पाकिस्तान ने युद्ध प्रारम्भ किया और हर बार हार का मुंह देखा है, फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता है।

कश्मीर के पास एल.ओ.सी. पर बार-बार गोलाबारी करके हमारे, निरिह नागरिकों को मारना, आंतकवादियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करवाकर सेना के कैम्पो, सार्वजनिक स्थलों पर आक्रमण करवाना खून-खराबा करना, यह पाकिस्तान की अब स्वाभाविक प्रवृति बन चुकी है। यदि पाकिस्तान भारत के प्रति यही विदेश नीति अपनाता रहा तो शांति स्थापित करना अथवा दोस्ताना सम्बन्ध रखना भविष्य में असम्भव हो जाएगा।

जब से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला तब से दुनियां के समक्ष पाकिस्तान का सज्जनता का नकाब तितर-बितर हो गया है। उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। गाये-बगाये पूरा विश्व पाकिस्तान को आंतकवादी राष्ट्र मानता है। वास्तव में पाकिस्तान आंतकवादी व दहशत गर्दो की फैक्ट्री बन चुका है। वहां अमेरिका व भारत में मोस्ट वांटेड आंतकवादी तो चुनाव लड़ते है। 'पाक का तात्पर्य होता है पवित्र' अत: पाकिस्तान का अर्थ हुआ पवित्र स्थान पर इस शब्द पर तो हर दिन पाक सेना व सरकार अपने कुकृत्यों से कीचड़ फैककर इसे 'आंतक स्थान' साबित करते हैं। भारत के मासूम नागरिक 'कुलभूषण जाधव' को हिरासत में लेकर जबरन उसे आंतकवादी साबित करने का प्रयास करते हैं, फांसी पर लटकाने की कोशिश करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुंह की खाते है। अपने संस्थापक जिन्ना के जन्मदिन पर दया व मानवाधिकारों का ढोंग दिखाकर जाधव की पत्नी व मां को उससे मिलवाने के नाम पर उन दोनों को जी भर सुनियोजित योजना के आधार पर अपमानित करके आनन्दित होते हैं। समझ नहीं आता भारत और पाकिस्तान मित्र कैसे बने ? पाकिस्तान क्यों नहीं समझता अपनी अदाकारा 'सबा कमर' के ऑसूओं से भरी वाणी के प्रश्न जो चीख-चीखकर पूछते है कि 'दुनिया में पाकिस्तान का नागरिक होना अपमान की बात है ? हर देश के एयरपोर्ट पर हमारी (पाकिस्तानी नागरिकों की) विशेष जांच होती हैं, हमें संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। दूसरे देश में हमें आंतकवादी देश के नागरिक मानकर हमारा अपमान किया जाता है।' क्या यह शब्द पाकिस्तान के हुक्मरान के कानों तक नहीं पहुँचते। इस दिवालिये देश के प्रधानमंत्री आंतकवादी को 'साहब' कहकर उसकी तरफदारी करते है। भारत की दोस्ती की भाषा को बदनियती कहकर सम्बोधित करते हैं। भारत जैसा देश जिसका आदर्श 'अंहिसा परमो धर्म:, वसुधैव कुटुम्बकम' हैं। उस राष्ट्र के साथ भी अगर पाकिस्तान शांति से नहीं रह सकता है, तो विश्व राजनीति के लिए भी यह परम आश्चर्य का विषय हैं।

अगर भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में शांति व सहयोग स्थापित होते है तो दोनों का रक्षा बजट कितना कम हो सकता हैं। दोनों ही राष्ट्र इस धन को युद्ध या हथियारों की जगह अपने-अपने आवाम के लिए खर्च करके गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण से देश को मुक्त करवा सकते हैं।

* प्राचार्य (राजनीति विज्ञान) बाबा श्याम ऋषि संस्कृति पी.जी. कॉलेज, खाटूश्यामजी, सीकर (राज.) भारत

पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों देशों की जनता शांति व विकास चाहती हैं। इस तथ्य को आज नहीं तो कल पाक की सरकार व सेना को समझना होगा अन्यथा खुद के अस्तित्व को वह स्वयं ही विश्व मानचित्र पर से समाप्त कर लेगा।

सुझाव –

- दोनों देशों को वास्तविक समस्या पर खुलकर वार्ता करनी चाहिए।
- सरकारों को दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए।
- अगर पाकिस्तान अपनी आंतकवाद विरोधी गतिविधियों को नहीं रोकता है। तो उसे विश्व स्तर पर अलग–थलग करने की नीति को भारत सरकार को अपनाना होगा।
- बलुच जनता पर पाकिस्तान सेना के अत्याचारों को विश्व व्यवस्था के समक्ष भारत को स्पष्ट करना होगा।
- विश्व जनमत का दबाब भारत सरकार को पाकिस्तान पर आंतकवाद विरोध में डलवाकर, उसकी अमरीकी आर्थिक सहायता बंद करवानी होगी, ताकि आंतकवादियों की झोली खाली हो सकें।
- भारत को दृढ़ संकल्प शक्ति से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।
- हर शर्त पर पाकिस्तान में लोकतन्त्र को मजबूत बनाने का प्रयास सम्पूर्ण विश्व को करना ही होगा।

यदि समय रहते भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध नहीं सुधरे, पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो वह दिन दूर नहीं जब दुनियां के नक्शे से इस नापाक देश का नामों निशान मिट जाएगा। भारत मानवता का हमदर्द व विश्व बन्धुत्व का समर्थक देश हैं, इसलिए हिन्दुस्तान हर हाल में इस क्षेत्र में शांति चाहता हैं। भारत–पाकिस्तान को सम्बन्ध सुधारने की कोशिश ईमानदारी से करनी होगी और पाकिस्तान को भी अपनी सरजमी व अपने अन्त:करण से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. माथुर, मीना – प्रजातन्त्र प्रेस तथा प्रशासन, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, नई दिल्ली 1978
2. शर्मा, श्रीराम – प्रेम बिना जग सूना, युग निर्माण योजना गायत्री तपो भूमि, मथुरा 1998
3. सेन, अमर्त्य – भारत विकास की दिशाएं, राजपाल प्रकाशन, नई दिल्ली 1999
4. पाकिस्तान के बारे में यथार्थ भरी समझ –अक्टुम्बर 2016 विवेकानन्द फाउण्डेशन।
5. बंटवारे के साए में भारत पाक सम्बन्ध (बीबीसी हिन्दी)
6. भारत पाक सम्बन्ध बर्फीले सम्बन्ध – बर्फीले सम्बन्ध और ग्लेशियर की दरारें (समयान्तर)
7. www.bbc.com/hindi/india/2014
8. https:/hi.m.wikipedia.org/w
9. द हिन्दू।
10. राष्ट्रदूत।
11. नव भारत टाईम्स।
12. राजस्थान पत्रिका।
13. दैनिक भास्कर।
14. महका भारत।

****

Thiruvattar Adikesava Temple- An Historical Enquiry

Dr. Praveen O.K.*

Abstract - The word “Adikesava” literally means “the foremost friend” and according to one of the legends Swami Adikesava defeated a demon called Kesi whose wife decided to pray to two rivers: the Ganges and the Thamirabarani. And this prayer created a huge destruction. The demon’s wife surrendered to the Lord in the end but the formation of the three rivers had already ma de a circle which is known under the name of Thiruvattaru.
Key words - Adikesavan, festivel,Thiruvattar, Travancore, Temple, Dravidian, Architecture.

Introduction - The Thiruvattar Sree Adikesava Perumal Koil is a Hindu Temple located in Thiruvattarin kanyakumari district. The place Thiruvattar is originally known as ***Adhi Ananthapuram*** on the ancient city of Ananta. It is one of the most ancient Vaishnavite temples of south India. In 1741. Marthanda Varma Rajah of Venad made offerings to battle of Colachel. Nawab of Arcot gifted a silver plate and a cup to the temple and this is used at the time of *Sheeveli Puja* every day. The temple stands as an ancient monument that creates a sense of devotion among the devotees.

Objectives of the Study

1. To evaluate History of Thiruvattar Adikesava Perumal Temple
2. To sketch Festivals of Adikesava Perumal Temple
3. To analyse Architecture of Adikesava Perumal Temple
4. To evaluate festivals of Thiruvatta Adikesava Perumal Temple

Research Methodology - The methodology adopted in the present study is analytical, descriptive and interpretative reflection. In the preparation of the present study the following sources including both ***primary*** and **secondary** sources.

History of Thiruvattat Sree Adikesava Perumal Temple- The Thiruvattar Adhikesava Perumal temple is situated 6km north-east Marthandam 30km north- west of Nagercoil,in Kanyakumari district,Tamil Nadu a hindu temple.the temple is surrounded on three sides by river Kothai, Parali and Thamirabharani. Paraliyar takes a turn in this place it is called Vattar and when the temple of Adhikesava Perumal was created it came to be known as Thiruvattaru.

This temple is older than Padmanabha Swamy temple at Thiruvananthapuram. Its structure is similar to that of Padmanabha Swamy temple. The style and the architecture of this temple is take as they sample to construct the Padmanabha Swamy temple. The idol of Adhikesava and Sree Padmanabha temple are installed in such a way that they face each other the Lord is lying on his snake couch and has to be viewed through three doors. We could see *Lord Siva* near the *Lord Adikesava Perumal inside the Sannidhi.*

Lord Brahma performed ***Saraswathi Devi*** a yoga without and as a result of Saraswathi,s angry, two *Asuras* by name *Kesan* and *Kesi* emerged out of the *Yagagi* (sacrificial fire). They were troubling the three worlds. The Devas approached Vishnu and requested him to find a solution. Lord ***Mahavishnu*** in the form of Kesava Perumal fought with **Kesan**. Perumal threw *Kesan*, who fell on top of Mahendragiri and Perumal blew His conch. Instantaneously, Adisesha wound himself around Kesan thus disbling the Asura to move and immediately Perumal laid on *Adisesha* thus putting His weight. When the Asura tried to get out of Adisesha,s coils, Adikeasava Perumal made twelve Sivalingams to stand as guard around the Asura and Perumal. These famous Siva temples are ***Thirumalai, Thikkurushi,Thripparappu,Thrunandikara, Ponmana, Pannipakam,Kalkulam, Melamkodu, Thiruvidaicode, Thiruvithancode, Thruppanrikkode and Thirunettalam.*** Even today, the worship to Lord Siva on *Sivarattri* day- The famous Sivalaya ottam is said to be complete only when the devotee after visiting the *twelve siva shrines* ends his trip in the Perumal Temple.

Kesi who saw her brother defeated wanted to avenge and hence she along with her friend, Kothai took the form of rivers and encircile the temple with the intention of submerging the temple. At that time, it is believed that Bhoomi Devi raised the temple. Hence, the temple is situated at a height of 55 feet from the ground level. The image of the Gopuram clearly indicates this. The River joined with Arabian Sea at a place known as Moovaatru Mikham. Even today, Garuda and has dip in the river thus enacting the *Saapa Vimochana incident*.

*Asst. Professor (History) Sree Kerala Varma College,Thrissur (Kerala) INDIA

In 1740 the men of the Nawab of Arcot looted this temple and the Golden idol (Ulsava Vigraham). It was so heavy he kept the idol along with the rubbish in a lumber room. Every day the idol would come on top and in spite of being tied down with ropes, the idol would come to the top. At that time, the Nawab,s wife developed serious illness which could not be cured by any one Perumal appeared in the dream of the temple priest and ordered him to go to Nawab,s palace and inform the Nawab that if the idol was returned, his wife would be cured of illness. The Nawab acted accordingly ad his wife was cured. Nawab gifted a silver plate and a cap to Perumal and this is used at the time of Sheeveli every day. He also provided the fund for conducting annual puja Thiru Alla pooja. When the priest who was bringing back the idol halted in a place for completing his evening rituals, the got struck to the ground. Later under the supervision of the King, Sudhi Kakasam was performed and this is carried out every year during the last day of the Utsavam in the month of Thulam. The idol is taken from Thiruvattaru to River Paralai on the Golden Garuda. Vikunda Ekadesi is celebrated with pomp and glory. Poal payasam (milk kheer), Aval and Appam are delicious Prasadams at this temple. The pujas are done in the same manner as that of the Sree Padmanabha Swamy temple, thiruvananthapuram.

Architecture- The temple architecture is Dravidian style architecture with wooden pillers, doors and roofs. The Lord lying on his snake couch and has to be viewed through three doors. We could see Lord Siva near Lord Adikesava Perumal inside the Sannithi. Deepalakshmi are many resemples other, Oothuva Thandavam, Venugopala, Rathi, Manmatha, Lakshmana and Indrajith are excellently carved. The temple is also renowned for its murals. The temple is noted for its beautiful sculptures in stone and wood. The Ottakkal Mandapam made of single stone 3 fleet thick is a marvel. The inscriptions in Balikkal Mandapam belong to the period of Rajendra Chozhan I (1013-1045 A.D.). it refers the deity as the Thiruvattaru Palikondu Arukindra Perumal Udaya Marthanda Varma Mandapam exquite wood carvings and the highlight is the wedding procession of Lord Ganapathi. The corridor has 222 ***Salabanjikas*** (feminine forms holding a lamp), and are unique. There is also a small shrine for Lord Lakshmi Narasimhas Swamy near the river and opposite to the Adikesava Perumal temple.

Adhikeasa Perumal Temple

Festivals of Adikesava Perumal Temple

Though there are several festivals associated with this temple, the most famous ones are the ones which are called *Perunthamirthu,Kalapa Poojai*. This takes place in the month of Thai is celebrated for about 12 days. The other most famous festival is in the month of Punguni, the festival is widely known as *Punguni festival* and it is celebrated for about 10 days. Apart from all these big celebrations, there are some other smaller ones all through the year which sees a lot of visitors. Saturdays festival in the month of *Puratassi*. The festival of *Thiruvonom* in the month of Avani is worth mentioning. The most attractive of them all is the "*Vaikutha Ekadasi"* festival during which Milk Kheer and

other such types of delicious dishes are made as part of the Prasadam. This festival is known as *Corkkavazhal* and it usually takes place in the month of Markhazi.

Conclusion - Thiruvattar Adikesava Perumal Temple is an excellent specimen of artistry from the Kerala blend, it epitomizes the will power. The Udaya Marthanda hall which is found in front of the temple illustrates the very sophisticated marriage procession of Lord Ganesha, which is vividly described in various Puranas. The speciality of this temple is that the two idols of Adikeshava and Padmanabha faces each other. The Supreme Lord, who is actually Vishnu or Narayana and is one of the trinities of the Hinduism, is seen resting on his snake couch. Even Lord Shiva can be seen present at that place. Adikesava temple is one of the ancient Vishnu temples of south Travancore (Present Kanyakumari district). Every day many people visiting the temple. It is centre of cultural contact between Kerala and Tamil Nadu. The temple stands as an ancient monument in the history of Kanyakumari.

Adikesava Perumal Temple Visitation Time - Since there are plenty of festivals and rituals going on through the year, visiting the temple anytime of the year is a real joy. Adikesava Perumal Temple is opened for visitors every day at 4.30 am. – 12.30 pm. and 5.00 pm. – 8.00 pm.

Adikesava Perumal Temple Dress Code - Below general statement as per high court order *Men should wear a "dhoti or* pyjama *with upper cloth or formal pants and shirts" to temples and women should wear "a sari or a half sari or* churidhar *with* upper *cloth." Children could wear "any fully covered dress."*

Requesting the entire tourist to abide the dress code rules to avoid disappointment.

Adikesava Perumal Temple Phone Number - Contact the temple using this number **04652 241270**

Adikesava Perumal Temple Address -
ArulmiguAdikesavaPerumalTemple,
Tiruvattar,Thiruvattar,
Kalkulam(TK),
Kanniyakumari(dt)–629171,
Tamilnadu.

References :-

1. Inscriptions engraved on Entrance wall, government High School, Thiruvattar, 1897.
2. Inscriptions engraved on entrance wall, old magistrate court Building, Thiruvattor
3. Inscriptions engraved on police station, entrance wall, Thiruvattar
4. Cover file, File No:A 114B1517 C11591, Construction of bridge, state Archives, Trivandrum,1897.
5. Cover file, File No: 16159, appointment of Krishna Swamy Rao as Diwan of Travancore, state Archives, Trivandrum, 1898.
6. Cover file, File No: 7183, Tour of H.H.Maharaja to Thiruvattar and Pachippara,State Archives, Trivandrum.
7. File No: 11232, Post Office Thiruvattar opening , State Archives, Trivandrum.
8. Sreedharamenon, A.2005, *A survey of Kerala History* , Trivandrum, p.378.
9. Nagam Aiya,V.1906, *Travancore State Manual Vol ll*, Trivandrum,p.356.
10. Subramaniam, S.V.1905, *Heritage of Tamils Temple Arts*, Madras,p.102.
11. Sadasivam, S.1949, *Cheranadum sentamilum(Tamil),* Nagerciol,p.149.

****

A Review Of Migration Commission Report 2018 In Uttarakhand

Anil Singh Bharara*

Abstract - This paper will cover the survey, study and migration data in Uttarakhand. It always finds that there are many reasons effect the growth, employment of any state migration is one of them. It always hard to solve the problem of migration. We can also call it "drain of brain." This is first attempt of state government to summarize and study the data.

Key Words - Migration, present status, survey, census.

Introduction - Uttarakhand is a hilly state with an area about 53,483km2 .Uttarakhand accounts for 0.83 percent population of India and having interstate borders with Himanchal Pradesh and Uttar Pradesh .The state is divided into 2 administrative divisions; 13 districts; 102 tehsils; 95 development blocks; 670 nayaya panchayats ; 7950 gram panchayats. There are 16793 census villages of which 15745 are inhabited and 1048 are uninhabited (2001).

Uttarakhand lies on the southern slope of the Himalaya range, and the climate and vegetation vary greatly with elevation, from glaciers at the highest elevations to subtropical forests at the lower elevations. The highest elevations are covered by ice and bare rock. Below them, between 3,000 and 5,000 meters (9,800 and 16,400 ft) are the western Himalayan alpine shrub and meadows. The temperate western Himalayan subalpine conifer forests grow just below the tree line. At 3,000 to 2,600 meters (9,800 to 8,500 ft) elevation they transition to the temperate western Himalayan broadleaf forests, which lie in a belt from 2,600 to 1,500 metres (8,500 to 4,900 ft) elevation. Below 1,500 metres (4,900 ft) elevation lie the Himalayan subtropical pine forests. The Upper Gangetic Plains moist deciduous forests and the drier Terai-Duar savanna and grasslands cover the lowlands along the Uttar Pradesh border in a belt locally known as Bhabar. These lowland forests have mostly been cleared for agriculture, but a few pockets remain

Objectives - Keeping in perspective widespread migration of peoples the migration commission published a report there are many issues, points required to analysis. Here we are taking the approach to study the report and make some conclusion on following issues-

i. To study the district wise summary of causes and extent of out migration from villages.
ii. To study state summery of inhabited villages, available facilities and infrastructure available.
iii. To study main reasons for migration.

A quantitative and qualitative approach towards understanding the causes behind migration in Uttarakhand, an attempt to shortly review the data. It can give us some conclusion to solve the problem of migration.

Here we have data available-

Table 1- District wise main reasons for migration from gram panchayats (See in the last page)

Table 2 - Gram panchayat level main occupation (State average) (See in the last page)

Table 3 -State Wise Main Reasons For Migration From Gram Panchyats (See in the last page)

Here we have some points or conclusions on above data on migration in Uttarakhand.-

i. Most of the economic opportunities tended to concentrate in plain area of the state leading to huge income inequalities across the hill and plain districts of the state. Per capita income in hill districts is almost half of Dehradun and Haridwar.
ii. The process of migration is also accelerated by hardship of life in the hill region; poor roads, lack of facilities etc.
iii. The main reason of migration in Uttarakhand is livelihood 50.16 percent peoples are always leave their houses because of jobs after that 8.83 percent because of hospitality and diseases.
iv. In the data it is concluded that 32.22percent peoples are labour, 43.59 percent are based on agriculture for livelihood.

This report will give us opportunity to do study about the main problems and make strong plans to solve the problems or migration from Uttarakhand. In last 7 years 734villeges uninhabited. It is dangerous situation of Uttarakhnd.

References :-

1. Atkinsion, T Edwin: The Himlayan Gazatter.

*Research Scholar (History) Kumaun University, Nainital (Uttarakhand) INDIA

2. En.wikipedia.com.
3. Census of India (2011), New Delhi
4. Mamgain , RP 'Outmigration among the households in Uttarakhand : Magnitude and characteristics.'
5. Jain, amol: Labour migration and remittances in Uttarakhand.
6. Migration commission report (2018) by Migration Commission.

Table 1 - District wise main reasons for migration from gram panchayats

Districts	Livelihood problems	HospitalIty problems	Educational problems	Infra-Structural problems	Lack of Productivity (Agricultural land)	Family Related problems	Problems By wild animals	Other	Total problems
Uttarkashi	41.77	6.04	17.44	2.29	7.14	2.10	4.04	19.17	100.00
Chamoli	49.30	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	3.09	4.87	100.00
Rudraprayag	52.90	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	5.11	5.72	100.00
Tehri Garhwal	52.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52	100.00
Dehradun	56.13	6.33	12.50	1.20	2.08	1.40	1.65	18.70	100.00
Pauri Garhwal	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	6.27	3.21	100.00
Pithoragarh	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	4.08	11.48	100.00
Bageswar	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65	100.00
Almora	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	10.99	6.02	100.00
Champawat	54.90	6.67	10.24	5.46	6.31	4.30	6.65	5.46	100.00
Nainital	53.70	7.79	10.37	4.96	4.94	2.10	6.38	9.76	100.00
Udham Singh Nagar	65.63	4.27	3.52	0.60	0.38	5.40	2.60	17.60	100.00
Haridwar	76.60	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	0.82	15.85	100.00

Table 2 - Gram Panchayat Level Main Occupation (State Average)

STATE	Labour	Agri.	Horticult.	Dairy	Govt.Serv	Others	Total
Uttarakhand	32.22	43.59	2.11	2.64	10.82	8.63	100.00

Table 3 - State Wise Main Reasons For Migration From Gram Panchyats

State	Livli hood Or Employment Problems	Hospitality	Education	Infra-Structure	Agro Productivity	Family Related	Wild Animals	Others	Total
Uttara-Khand	50.16	8.83	15.21	3.74	5.44	2.52	5.61	8.48	100

****

Analyzing A New Frame To Understand The Docility And Divulgence Of 'Kerala Model' Two-Way Migrations

K. M. Vishnu Namboodiri *

Abstract - The state of affair with regard to higher education in Kerala is disturbing and alarming, while talented young people migrate in large numbers to out-of-state institutions for higher education. Kerala cannot create enough jobs for many young people with secondary or higher education. If the unemployment situation in Kerala does not improve, more young people irrespective of their gender would emigrate. The number of students involved in international migration has increased in the last decade, as has the proportion of migrant women who have grown more than five percent in the last two decades. Internal migration in india according to official estimates have increased fivefold over the last 15 years toward Kerala and Tamil nadu. which is in contrast to a steady decline from these states to other states. From menial unskilled jobs to professionally trained jobs this migration and shift in group is evident. The language issues, racial and ethnic consolidations though not uncommon have lost its way in the wake of new cosmopolitanism referred by the term "habrabian paradigm". Researcher wishes placing his study in this backdrop

Introduction - The term docility refers to easily managed or handled; tractable entity or system and devulgence stands for the act or an instance of making known something previously unknown or concealed. The much debated kerala model is the point of discussion concentrating upon the women and student migration from here over the years.

For Kerala, this means not only the failures or successes of the existing politics, but also the historical conditions that inform it and the social structures that surround it and shape it. Only by looking deeper into the Kerala model and analyzing it in different disciplines, we can find important answers about the causes of successes and failures, their applicability and importance in the global context (Alexandra brown, 2013). Although the number of international mobile students in tertiary education has increased exponentially in recent years, such students have not been debated - in wider conversations about migration. The migrant workers of Kerala contribute to two-third of the state domestic product - directly and indirectly. But demographers and gender experts feel that the new wave of migration that the state is witnessing now could make up for the loss. The new generation of emigrants are highly educated and professionally qualified women who stayed back in Kerala when the men made most of the chances abroad, especially in the gulf countries, after the oil boom. (t k Deasia ,2010) the study is in the direction of locating a sudden change that had occurred in India over the last decade and which has been heavily contributing in the growth and development of the country. It is the case of youth migration from the north eastern states, Bengal and Odisha to the southern most states of Tamil nadu and Kerala. According to the Indian economic survey 2017 the annual average labor migration was close to 9 million between states during 2011-16. The states which were once frequent in news for their issues of poverty, terrorism and social inequality have improved considerably out of this. The researcher place before the world a new Kerala model which replaces the old one where migration from kerala to the arab countries during the oil boom served in the development of the state and the youth. The new model is that of a shared culture and economy which has a great deal of positive response on the country. India (780) has the world's second highest number of languages, after papua new guinea (839). At the time when world all over has been discussing the migration issue and its outcome, the kerala model stands out with provision for a panacea to overcome some serious strains of communalism, regionalism, poverty, terrorism and others threats humanity today faces. Internal migration in india according to official estimates have increased fivefold over the last 15 years toward kerala and tamilnadu , which is in contrast to a steady decline from these states to other states. From menial unskilled jobs to professionally trained jobs this migration and shift in group is evident. The language issues, racial and ethnic consolidations though not uncommon have lost its way in the wake of new cosmopolitanism referred by the term "habrabian paradigm". Some important centers or regions of concentrations of these groups in kerala are perumbavoor, kozhikkode, kannur and changanacherry. Some regions have even changed the name of the places for example region payippad near changanacherry is now referred as bhaippad (bhai in hindi and other indian dialects standing

*Asst. Professor & H.O.D. (History) Mar Thoma College, Tiruvalla (Kerala) INDIA

for the word brother, contextually meaning a non malyali/ bengali/habrab.

Materials and methods - The new model is indeed lustrous in terms of the complexity and pattern of structural coexistence it makes leaving the notion, that it is not an epistemological or corporeal issue. I found the topic extra ontological and specifically the new discourse from kerala. The study cuts over the boundaries of history, economics, sociology and anthropology. Marxian, dalit and gender perspectives and tools are also employed with a negotiated, validated mechanism of analysis. The researcher conceives a developmental aspect of contemporary indian society and, culture, which has been relatively seen, a new phenomenon but has a serious effect on the academia and public at large of asia. The study highlights through socio political and cultural terms a method for heritage and cultural conservation. The researcher concentrates on the polemics of culture and heritage as generated and the manifested changes that are asserted by the academia on the same. Often the base alterations and circumscribed contraventions of the so called soft power is chosen by scholars for study but the theoretical models used are often partisan or attested by historical methodology running in the lines of data collection heuristic, hermeneutics and theoretical placing. The model required is an action research beginning with transit walk and culminating in interdisciplinary discussion which the researcher has conducted not diluting the seriousness of the theme. The study attests that cultural determinants a whole set of knowledges that have been disqualified as in adequate to their task of in sufficiently elaborated: naïve knowledges, located low down on the hierarchy, beneath the required levels of cognition or scientific.

Results and discussion - The two centrally aware postcolonial theories are identity and representation in this regard. Hybridity, ethnicity and cultural sites are the main problems problematized. The summary analysis and knowledge generation without evaluating the conventional set in the borders enriches the entire business and the cause itself makes the study of the subject in a new worthy genre. It is about making the invisible visible and thus addressing a layer of material that until then had an ephemeral status for the story and was considered voluntarily in terms of cultural, aesthetic and developmental value. The study therefore requires an in-depth understanding and study of the ability to contribute brilliantly to academic society and to the mass in general.

References :-

1. P K Michael Tharakan Population Projection and Policy Implication for Education: A Discussion with Reference to Kerala
2. Irudaya Rajan Impact of Migration On Kerala's Economy and Society
3. S k Pillai Return migration and in migration in Kerala
4. New reports from, the Hindu, Deccan chronicle and New Indian express

****

सामाजिक समरसता में भक्ति आंदोलन के संतों का योगदान

डॉ. नीलेश शर्मा *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन द्वारा समाज में समरसता लाने के लिए संतों द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। मध्यकाल में हिन्दू धर्म में जाती धर्म में जाति-पॉति उठाकर हिन्दू धर्म को तोड़ इस्लामीकरण करना चाहता था। इस्लाम के प्रहार को रोकने हिन्दू संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया। उन्होंने जाति भेद-भाव से ऊपर उठाकर भक्ति पर जोर दिया। कबीर, रामानन्द, रामानुज, रैदास, चैतन्द-महाप्रभू तथा गुरूनानक जैसे संतों ने धार्मिक कर्मकाण्ड़ व जाति भेद-भाव का घोर विरोध किया तथा एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दिए गए उपदेश व प्रवचन से जाति बन्धन की जटिलता में भावना जागृत हुई क्योंकि प्रभू के समुख सब समान है।

प्रस्तावना – मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत थे। जिनके विचार कई प्रकार से समान थे। उनका किसी विशेष सम्प्रदाय से लगाव न था। उनका उद्देश्य कोई अलग धार्मिक पंच चलाने का नहीं था। किसी धर्म विशेष के बंधन से भी परे थे। उनका किसी धर्म पुस्तक में अंध विश्वास न था। उन्होंने किसी रीति-रिवाजों को न अपनाया। वे केवल एक ईश्वर को मानते थे परंतु एक ही ईश्वर को राम, कृष्ण, शिव, आदि कई नामों से पुकारते थे। उनका मत था कि प्रभु-भक्ति अथवा प्रभु-प्रेम से ही मोक्ष मिल सकता है। भक्ति का अर्थ है एकाग्रचित और निस्वार्थ होकर ईश्वर की पूजा करना । वे भक्ति को जाति-पांति के बंधन से मुक्त मानते थे।

मध्यकाल में भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार तलवार के बल पर हुआ। हिन्दू समाज में भी कई प्रकार के दोष थे। उच्च जाति और निम्न जाति का भेद था। निम्न जाति धार्मिक स्वतंत्रता न थी। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इस्लाम ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया और हिन्दुओं के निम्न वर्ग के लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया। ऐसी अवस्था में हिन्दू संतों ने अपने धर्म को इस्लाम के प्रहार से बचाने के लिए एक नया आंदोलन चलाया और वह था भक्ति आंदोलन । उन्होंने हिन्दुओं के बुरे रिति-रिवाजों को दूर करने का प्रयास किया। यह ठीक नहीं कि भक्ति आंदोलन भारत में इस्लाम के आने के कारण हुआ। इस आंदोलन का स्त्रोंत शंकराचार्य की कृतियों में भी मिलता है।

यह बात स्मरणीय है, कि इस्लाम में तमिलनाडू में प्रचलित थी। तमिलनाडू में अलबरों और नचनारॉ के भक्ति से भने भजन मंदिरों में पूजा के अंग थे। कम्बन ने तमिल में रामायण लिखी। बारहवीं शताब्दी के अंत से पहले वासव ने हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने वैष्णव सम्प्रदाय चलाएं जिसमें सामाजिक सामनता और शिष्य के प्रति भक्ति का आदेश था।

बिना जाति उप-जाति का विचार किए हुए लोगों की प्रचलित भाषा में उपदेश देने की परिवाटी बौद्ध धर्म के नये स्वरूप सहाजिया सम्प्रदाय में मध्यकालीन भक्तिवाद के दार्शनिक और सामजिक अंशों की झलक मिलती है। भक्ति आंदोलन के संतों कि महता कर्म-काण्डों, विधि-विद्यानों तथा साम्प्रदायिक मतों के विरोध से अधिक सामाजिक समानता व समरस्ता बनाने में थी। इस कार्य के लिए भक्ति आंदोलन के अनेक संतों ने अपना योगदान दिया।

सामाजिक समरसता में भक्ति आंदोलन के संतों का योगदान –

1. **रामानन्द –** रामानन्द जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में थे। जिन्होंने सामाजिक समरसता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रेम और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित एक नया वैष्णव सम्प्रदाय चलाया था। उन्होंने जाति-भेद की उपेक्षा की थी। यद्यपि वे स्वंय ब्राहम्ण थे फिर भी यदि निम्न जाति के लोग वैष्ण हो तो उनके साथ भोजन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उनके शिष्यों में नीच जाति के लोग भी थे। उनमें कुछ चमार, जुलाहे, नाई और बेतिहर भी थे। रामानन्द की भक्ति आंदोलन में क्या देन थी, उसके संबंध राधाकमल मुकर्जी ने कहा है कि रामानन्द ने दक्षिण भारत से तमिल संतों का भक्ति भाव लिया परंतु उसने उन धर्म कट्टपंथियों का यह सिद्धांत ठुकरा दिया कि शुद्रों को धर्म कि शिक्षा नही दी जा सकती और उनके साथ धार्मिक समता, और भ्रातृभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

2. **कबीर –** कबीर रामानन्द के महान शिष्यों में से थे। वे एक ब्राहम्ण विधवा से पैदा हुए थे। नाम से वे मुसलमान थे किन्तु इनके विचार वास्तव में हिन्दू के थे। नाभाजी के भक्तमाल में कबीर का उल्लेख इस प्रकार किया गया। 'कबीर ने जाति भेद की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, साथ ही हिन्दू दर्शन के छ: सिद्धांतों को भी उचित नहीं ठहराया था। कबीर ने तर्क और फटकार दोनों का सहारा लेकर ऊँचा-नीच की जाति-पॉति की बुराई को दूर करने का बड़ा प्रयास किया था। वे परम साहसी, अक्खड़, समाज सुधारक संत थे। उनके संबंध में एक लेखक का कथन कितना उपयुक्त है कि 'भक्ति - भाव के आंदोलन द्वारा भगवान के सामने समभाव का आदेश तो रामानन्द ने दिया था पर जाति-विभाग और ऊॅचा-नीच के एकीकरण का साहस कबीर के पूर्व किसी ने नहीं किया था। कबीर स्वाधीन विचारों के व्यक्ति थे। कबीर के सिवा काशी के हिन्दू क्षेत्र में कौन साहस कर सकता था कि यह पूछे, 'जो तुम ब्राहम्ण ब्राहानि जाये आन राह तुम काहे ने आये'। उन्होंने तर्क देकर स्पष्ट किया कि सभी एक ही रक्त के बने हुए है ब्राहाम्ण भी और शुद्र भी। 'एक रक्त से बने हुए है को ब्राह्मण को शुद्र'।

3. **गुरूनानक –** कबीर की भॉति नानक ने भी जाति-पॉति का कहा

* अतिथि विद्वान (इतिहास) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

विरोघ किया। उन्होंने कहा 'याद रखो कि कार्य ही जाति को निश्चित करने है। मनुष्य अपने स्वयं को कार्यो से श्रेष्ठा और पतित बनाता है।........जाति भेद की चिन्ता न करों। याद रखो कि ईश्वर का प्रकाश सघ व्यक्तियों में है और उसके यहॉ जाति भेद नहीं। 'इस प्रकार धार्मिक व्यक्तियों व उनके आंदोलनों का प्रभाव यह हुआ कि जाति-पॉति के भेदभाव का दृष्टिकोण बुरा माना जाने लगा। गुरूनानक जी के प्रयासों व उपदेशों से विभिन्न जातियॉ आपस में मिल जुलकर रहने लगी। धार्मिक आंदोलनों ने सभी जातियों के लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग खोल दिया।

4. रैदास – कबीर के समकालीन, काशी के निवासी और जाति के चमार, इस संत की निष्ठा निर्गुण ईश्वर में थी। रैदास जाति-पॉति के कट्टर विरोधी थे, ब्राहस आडम्बर को व्यर्थ समझते थे और मन की शुद्धता पर जोर देते थे। उनका कहना था 'सब हरि में है और सब में हरि हैं। रामानन्द के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने वाले रैदास वास्तव में प्रेम और वैराग्य की मूर्ति थे। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धांत था और ब्राह्मण तक श्रद्धा से उनके आगे सिर झुकाते थे।

5. रामानुज – भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक रामानुज थे। उन्होने वैष्णव नाम के अंतर्गत एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और ईश्वर की अनन्य भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। उन्होंने कहॉ कि भगवान के आगे आत्मा-समर्पण कर एक शुद्र भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है।वास्तव में उस युग में सामाजिक समानता की दिशा में रामानुज का उपदेश बहुत की महत्वपूर्ण था। उनके सम्प्रदाय ने लाखों शुद्रों और अद्यतों को अपने मार्ग में लिया प्रारंभ में शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मायावाद का खण्ड़न करके भक्ति तथा प्रेम भावना पर विशेष बल दिया।

6. चैतन्य – इनका जन्म ब्राह्मण वंश में बंगाल में हुआ। इन्होंने देश का भ्रमण किया और 25 वर्ष की आयु में ही वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। वे शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। उन्होंने जातिय बंधन और अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। उन्हों ने कृष्ण की प्रेम भक्ति और रस कीर्तन का उपदेश दिया। वह जाति-प्रथा के विरूद्ध थे और मानव जाति के सर्वव्यापी भ्रातृभाव में विश्वास रखते थे। उनका दृढ़ विचार यह था कि भगवान कृष्ण का रम जाति पॉति के बंधनों से अपरिचित है। हरिदास जो जाति से निकल गया था, चैतन्य का ही एक शिष्य था। जब चैतन्य ने उसे सीने से लगाया तो उसने यह इच्छा प्रकट की वह उसे स्पर्श न करें। इस पर चैतन्य ने कहा 'तुमने अपने को मुझे अर्पित कर दिया है, अब तुम्हारा शरीर प्रत्येक प्रकार से मेरा है।

7. नामदेव – नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। वे जाति का दर्जी थे। नामदेव ने प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया । उसने लोगों को जाति प्रथा और रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त किया। उनका विश्वास था कि मुक्ति भक्ति अथवा ईश्वर प्रेम से मिल सकती है।

8. दादूदयाल – दादूदयाल अहमदाबाद के जुलाह थे वे जाति से चमार थे। अपने उपदेशों में उन्होंने प्रेम, एकता, भ्रातृभाव तथा समानता पर जोर दिया। उनका कहना था। कि उसकों हिन्दू और तुर्क मे, और अल्लाह और राम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वे अवतारवाद, धर्म के बाहरी आडम्बरों और कब्रों की पूजा का विरोधी था। दादूदयाल में धर्म की कट्टता और साम्प्रदायिकता नहीं थी। उन्होंने एक पंच चलाया और उनके अनुयायी् दादूपंथी कहलाते है।

भक्ति आंदोलन के प्रभाव से सिखों और मराठों का उत्थान हुआ।

पंजाब में गुरू नानक और उनके नौ शिष्यों और महाराष्ट्र में तुकराम आदि ने प्राणियों की समानता पर जोर दिया । उन्होंने लोगों को जाति-पॉति के संकीर्ण विचारों को छोड़कर ऊपर उठने का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का प्रभाव था कि पंजाब में गुरू गोविन्द और महाराष्ट्र में शिवाजी जैसे वीर पैदा हुए।

निष्कर्ष – भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक एकता और समानता पर जोर दिया और इस प्रकार भारतीय समाज में एक प्रकार की क्राांति पैदा की भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ कम हुई। प्राय: सभी धर्म -सुधारकों ने जाति पॉति की निन्दा की इसके फलस्वरूप हिन्दू धर्म में जाति-पॉति के बंधन शिथिल हुए और स्थान मिला। दलित वर्ग के लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागी और उनके चरित्र का विकास हुआ और वे मुसलमान न बने।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा जयराम 'श्री गुरू ग्रंथ दर्शन', साहित्य भवन, इलाहाबाद 1960 पृ - 177
2. प्रसाद, जठादिशवर 'भक्ति सिद्धांत एक वीनीयोगात्मक व्याख्या', नई कहानी प्रकाशन, इलाहाबाद, 1994 पृ-381
3. प्रेमा, शंकर, 'भक्ति काव्य की भूमिका', राधा कृष्णा प्रकाशन, दिल्ली, 1977, पृ-112
4. तिवारी, रामचंद्र 'कबीर और संत साहित्य' , विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2001 पृ- 188
5. पाण्ड़े सुसमिता, 'बर्थ ऑफ भक्ति इन इंडियन रीलीजन एण्ड आर्ट', बुक्स एण्ड़ बुक्स पब्लिकेशन, दिल्ली, 1982 पृ- 68 -72
6. प्रसाद, ईश्वरी 'मध्यकालीन भारत का इतिहास' , इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,1952, पृ- 221
7. भट्टाचार्य, बी, 'भक्ति द रीलीजन ऑफ लव', यू बी एस पाब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003, पृ-88
8. भट्टाचार्य, एन एन,. 'भारत में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन', मुनशीराम मनोहरलाल प्रकाशन, दिल्ली, 1989, पृ-42 - 46
9. चतुर्वेदी पी आर, 'दादूदयाल ग्रंथावली, 'नागर्नी प्राचानी सभा, 'वाराणसी, 1966, पृ- 25,26
10. वीयोगी, हरी, 'संत वाणी', सस्ता साहित्य मंड़ल, दिल्ली, 1938, पृ- 132-166, 178
11. थ्तवारी, प्रशांत , 'कबीर ग्रंथावली', हिन्दी परिषद, इलाहाबाद, 1961, पृ-62
12. अहमद,लाइक, ' मध्यकालीन भारतीय संस्कृति', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2006, पृ- 202-210

****

भारतीय दर्शन और उसकी उत्पत्ति

डॉ. कुंती साहू *

शोध सारांश –भारतीय संस्कृति में धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वास्तव में यदि देखा जाय तो यह भारतीय संस्कृति का प्राण है। धर्म के साथ ही साथ दर्शन का भी अविर्भाव भारतीय संस्कृति में हुआ है। जहाँ धर्म मनुष्य की धार्मिक भावना और क्रियाकलाप से जुड़ा है। वही दर्शन मनुष्य की मुक्ति (मोक्ष) से जुड़ा है। धर्म और दर्शन दोनों मिलकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। दर्शन मनुष्य को कभी भी मोक्ष के रास्ते से भटकने नहीं देता है। धर्म ही दर्शन की जननी हैं। यू तो भारतीय संस्कृति में कई दर्शन हैं परंतु षड्दर्शन सर्व प्रमुख एवं सर्वमान्य है और ये मोक्ष प्राप्ति के परम साधन है। साथ ही ये ज्ञान की उन्नति भी करते हैं। अत: हम कह सकते हैं कि षड्दर्शन मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और मोझ प्राप्ति के साधन है।

प्रस्तावना – भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है। जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। तत्वदर्शन या दर्शन का अर्थ हैं, तत्व का साक्षात्कार मानव के दु:खों की निवृत्ति के लिए और या तत्व साक्षात्कार कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ हदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते है, जब एक सत्य का दर्शन होता है। मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता जिनको सभ्यक दृष्टि नहीं हैं, वे ही संसार के महामोह और जाल में फंस जाते है। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की है। भारतीय दार्शनिकों के बारे में टी एस इलियट ने कहा था 'भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मताओं को देखते हुए युरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चो जैसे लगते हैं।'

भारतीय दर्शन की उत्पत्ति – भारतीय दर्शन किन परिस्थियों में अस्तित्व में आया कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना स्पष्ट है कि उपनिषद् काल में दर्शन एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा था। तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति सूदूर काल से हैं। जिसे हम ' वैदिक युग' के नाम से पुकारते है। ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही है। भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृति लक्ष्य के दर्शन के हमें होते हैं। प्रथम प्रवृति प्रतिभा या प्रज्ञामुलक है तथा द्वितीय प्रवृत्ति तर्कमूलक हैं। प्रज्ञा के बल से ही पहली प्रवृति तत्वों के विवेचन मे कृतकार्य होती है और दूसरी प्रवृति तर्क के सहारे तत्वों के समीक्षण में समर्थ होती हैं। अंग्रेंजी शब्दों में पहली की हम 'इन्टयूशनिस्टिक' कह सकते हैं और दूसरी को 'रैशनलिस्टिक' लक्ष्य भी आरंभ से ही दो प्रकार के थे धन उपार्जन तथा ब्रहम का साक्षात्का। प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक प्रवृत्तियों के परस्पर समिलन से आत्मा के औपनिदिष्ठ तत्व ज्ञान का स्फूट अविर्भाव हुआ उपनिषदों के ज्ञान का पर्यवासन आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक वेदान्त में हुआ।

दर्शन का अर्थ –'दर्शन' शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'दृसिर प्रेक्षणे' धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। अत्येव दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, जिसके द्वारा देखा जाए 'या' जिसमें देखा जाए होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है इसलिए पाणिनी ने धात्वर्थ में 'प्रेक्षण' शब्द का प्रयोग किया प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें अन्त:श्यचक्षुओं द्वारा देखना या मनन सोपपत्तिक निष्कर्ष निकालना ही दर्शन का अभिधेय हैं। इस प्रकार के प्रकृष्ट ईक्षण के साधन और फल दोनों का नाम दर्शन है। जहॉ पर इन सिद्धान्तों का संकलन हो उन ग्रंथों का नाम भी दर्शन ही होगा।

भारतीय दर्शन के स्त्रोत – भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। 'वेद' भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्त्रोत हैं। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्त्रोत मानते हैं। ये 'आस्तिक दर्शन' कहलाते हैं। प्रसिद्ध षड्दर्शन इन्हीं के अर्न्तगत है जो दर्शन सम्प्रदाय अपने को वैदिक परंपरा से स्वतंत्र मानते हैं वे भी कुछ सीमा तक वैदिक विचारधराओं से प्रभावित हैं।

हिन्दू दर्शन परंपरा – हिन्दू धर्म दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्रचीन है। षड्दर्शन को 'आस्तिक दर्शन' कहा जाता है वे वेद वेद की सत्ता को मानते है। हिन्दू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शनों के अलावा अनीश्वरवादी और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं भी विद्यमान रहीं हैं।

षड्दर्शन –

1. सांख्य दर्शन	2. योग दर्शन	3. न्याय दर्शन
4. वैशेषिक दर्शन	5. मीमांसा दर्शन	6. वेदान्त दर्शन

सांख्य दर्शन – सांख्य दर्शन का प्रवर्त्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ 'सांख्यकारिका' है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। सांख्य भारत के प्राचीनतम दार्शनिक सम्प्रदायों में से है। गोविन्द चन्द्र पाण्डे के अनुसार इसकी उत्पत्ति अवैदिक श्रमण विचारधारा से हुई थी।

'सांख्य' के दो अर्थ हैं– संख्या तथा सम्यक ज्ञान। गीता और महाभारत में इस शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में ही मिलता है। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शन से तात्पर्य सम्यक ज्ञान दर्शन से है। यह पूर्णतया: बौद्धिक एवं सैद्धान्तिक सम्प्रदाय है चूॅकि इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है। अत: इसे संख्या का दर्शन भी कहा जा सकता हैं।

*अतिथि व्याख्याता (इतिहास) शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुंठपुर, कोरइया (छ.ग.) भारत

योग दर्शन – योग दर्शन सांख्य के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। जो वस्तुत: सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका प्रर्वतक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। जिनका ग्रन्थ 'योगसूत्र' इस दर्शन का मूल है। योग का शाब्दिक अर्थ है, मिलन अर्थात् आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। गीता में समत्व को योग कहा गया है। (समत्वं योग उच्यते) जिसे प्राप्त हुआ दु:ख सुख, हानि लाभ, जय पराजय, आदि सभी में समभाव रखता है। पतंजलि ने शरीर इन्द्रिय तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए किये गयें आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया है। इस दर्शन में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ– साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। सांख्य के विवेक ज्ञान को भी मानता है। इसी कारण कभी–कभी योग को 'ईश्वर सांख्यकी संज्ञा दी जाती हैं। योग दर्शन कैवल्य प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग का निर्देश करता है।

1. **चित्त तथा उसकी वृत्तियाँ –** योग सूत्र में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा गया है। चित्त से तात्पर्य बुद्धि, अहंकार तथा मन से है। चित्त की पॉच वृत्तियॉ कही गयी है– प्रमाण (सत्य ज्ञान), विपर्यय (मिथ्या ज्ञान), विकल्प (कल्पना), निद्रा तथा स्मृति। चित्त की पाचॅ अवस्थाए मानी गयी हैं– क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त एकाग्र तथा निरूद्ध।

2. **अष्टांग योग –** योग शरीर, मन तथा इन्द्रियों को नियंत्रण में रखने का उपदेश देता है। इन्द्रिय जनित राग एवं आसक्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। इस पर विजय पाने के लिए यहॉ आठ साधन बताये गए हैं। जिन्हे अष्टागं योग कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं – 1. यम, 2. नियम, 3. आसन, 4. प्राणायाम, 5. प्रत्याहार, 6. धारणा, 7. ध्यान, 8. समाधि।

उर्पयुक्त साधनों में प्रथम पाचॅ– यम, नियम, आसन, प्राणयाम तथा प्रत्याहार बहिरंग साधन एवं अन्तिम तीन – धारण, ध्यान और समाधि अन्तरंग साधन कहे जाते हैं।

3. **ईश्वर –** योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया हैं। योग के प्रेणता पतंजलि ने ईश्वर को एक ऐसा विशिष्ट पुरूष बताया है, जो क्लेश, कर्म, परिणम, आशय (संस्कार) आदि से अप्रभावित रहता है। वह नित्य सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। वह सर्वविध परिपूर्ण है। ईश्वर का प्रतीक 'ओइम्' है।

न्याय दर्शन – जिस प्रकार सांख्य–योग परस्पर संबंधित है, उसी प्रकार न्याय वैशेषिक भी एक–दूसरे के साथ संबंधित हैं। दोनों उद्देश्य प्राणियों अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्त करना है। इनका अलग–अलग विवरण इस प्रकार है– न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया है। जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। 'न्याय' का शाब्दिक अर्थ 'तर्क' या 'निर्णय' जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यत: बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, वाद विद्या, हेतुविद्या, आन्वीक्षिकी आदि नामो से भी जाना जाता है। इसका मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है, जिसमें वात्स्यायन ने 'न्यायभाष' नामक टीका लिखी है।

ये तत्व है।

1. प्रमाण 2. प्रमेय 3. संशय 4. प्रयोजन 5. दृष्टान्त 6. सिद्धांत 7. अवयव 8. तर्क 9. निर्णय 10. वाद 11. जल्प 12. वितण्डा 13. हेत्वामास 14. छल 15. जाति तथा 16. निग्रह स्थान।

उपर्युक्त तत्वों में प्रमाण तथा प्रमेय ही मुख्य है तथा अन्य गौण हैं।

वैशेषिक दर्शन – वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महार्षि कणादमाने जाते है। जिन्हें कणभुक उलक तथा काश्यप नामों से भी जाना जाता है। उनका वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। प्रसस्थ पाद कृत 'पदार्थ धर्मसंग्रह' वैशेषिक सूत्र पर टीका है। उदयन तथा श्रीधर इसके अन्य टीकाकार है। यह दर्शन विशेष नामक पर्दाथ पर बल देते हुए उसकी विस्तृत विवेचना करता है जिससे इसे वैशेषिक नाम दिया गया है। इसमें संसारिक उन्नति तथा निश्श्रेय सिद्दि के साधन को धर्म माना गया है। अत: मानव के कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक होता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छ: पदार्थो को साधर्म्य तथा वैधर्म्य के तत्वाधान से मोक्ष प्राप्ति मानी जाती है। साधर्म्य तथा वैधर्म्य ज्ञान की एक विशेष पद्धति जिनको जाने बिना भ्रातियों का निराकरण करना संभव नहीं है। इसके अनुसार चार पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकते उसी प्रकार जीव पर ब्रहम दोनों ही चेतन है। किंतु साधर्म्य से दोनों एक नहीं हो सकते। साथ ही यह दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। वैशेषिक मत परमाणु वाद के सिद्धांत को मानता है तथा पाश्चात्य दार्शनिकों के विपरित एवं अपने परमाणुवाद का संबंध ईश्वर से जोड़ते है तथा इस प्रकार अपने मत को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते है। किन्तु आत्मा तथा मोक्ष संबंधी उनके विचार संतोषप्रद नहीं है। इस दर्शन में भक्ति का कोई स्थान नहीं है। यहां मोक्ष की अवस्था को जड़ बना दिया गया हैं। इसी कारण शंकर ने इसे अर्द्धवैनाशिक कहा है तथा श्री हर्ष वास्तविक उलूक दर्शन कहकर इसकी निंदा करते है।

मीमांसा दर्शन – वेद के दो भाग हैं– कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक कर्मकाण्डों का विशिष्ट विवरण मिलता है तथा उपनिषद में ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादन है। मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। का उददेश्य वैदिक कर्मकाण्डों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना हैं। यह मत वेद को अपौरूषेय तथा नित्य मानता है। अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रत्यन इस दर्शन में मिलता है। उपनिषाद तथा वेदान्त उत्तर मीमांस कहे जाते हैं। क्योंकि इनमें कर्मकाण्डों के स्थान पर ज्ञान का विवेचना मिलता हैं। पूर्व मीमांसा के प्रेणेता जैमिनी है, जिनका ग्रन्थ 'मीमांसा सूत्र है' इस दर्शन का सूत्र है। शबर स्वामी ने इस पर विस्तृत टीका लिखी है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक है। जिनके नाम पर मीमांस के दो स्वतंत्र सम्प्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है। (धर्माख्यं विषय वक्तम् मीमांसाया: प्रयोजनम्)। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल हैं।

मीमांसा के प्रमुख सिद्धान्त –

1. प्रमाण
2. उपमान
3. शब्द
4. अर्थापत्ति
5. अनुपलब्धि
6. स्वत: प्रमाण्यवाद
7. जगत् तथा उसके विषय
8. आत्मा, बंधन तथा मोक्ष
9. धर्म

वेदान्त दर्शन – वेदों का ज्ञानमार्गी अशं को वेदान्त कहा जाता है। उपनिषद गीता तथा वादराअणाकृत वेदान्त सूत्र ही वेदान्त दर्शन का आधार है। इनके आधार पर वेदान्त की भिन्न – भिन्न शाखाओं का विकास हुआ। सामान्यत: इसकी दो शाखाए मानी जाती हैं–

1. **अद्वैतवाद–** इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है।

इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य है।

2. **द्वैतवाद –** इसमें ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। रामानुज तथा मध्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक है। जिनके मत क्रमश: विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत कहे जाते है।

उपयुर्क्त दोनों मतों का वर्णन करने के पूर्व यहाँ हम सर्वप्रथम उनके आधार भूत ग्रन्थों उपनिषद तथा गीता की दार्शनिक विचारधाराओं का विवरण है। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता व सहारकर्ता होने से जगत का निमित्त कारण है। उपादान अथवा अभिन्न कारण नहीं। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, आनंदमय, नित्य, अनादि, अनंतादि गुण विशिष्ट शाश्वत सत्ता है। आगे चलकर वेदान्त के अनेकानेक सम्प्रदाय (अद्धैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टद्वैत आदि बनें)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति – कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ।
2. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति – झा एण्ड श्रीमाली ।
3. प्राचीन भारत का इतिहास – वी.डी. महाजन ।
4. इतिहास एनसीईआरटी सार – अतुल लोहिया, मनोज कुमार सिंह ।

****

मध्यप्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों का उद्भव एवं विकास

जितेन्द्र महोबिया *

शोध सारांश – प्रागैतिहासिक काल मानव प्रगति का वह काल है, जिसमें मनुष्य ने लेखन कला अर्थात लिपि का विकास नहीं किया था। इस काल के बारे में जानने के लिए केवल भौतिक अवशेषों एवं उपकरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत में पाषाणयुगीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ई. में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भूतत्त्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान राबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम् नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणोपकरण प्राप्त किया। मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए पुरातात्विक उत्खननों एवं खोजों से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए है, जिससे विदित होता है कि आदिम जातियों का निवास क्षेत्र निश्चित रूप से राज्य में नदियों के किनारे एवं वनों में रहा होगा। राज्य में इस प्रकार के प्रमाण मुख्य रूप से निमाड़, भोपाल, बरखेड़ा, सागर, मंदसौर, रीवा, रायगढ़, रायसेन, पंजा, नरसिंहगढ़, होशंगाबाद, अम्बिकापुर इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्रागैतिहासिक काल में मध्यप्रदेश में आदि मानव की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – प्राक् इतिहास, संस्कृति।

प्रस्तावना – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्मिकी विभाग के अरूण सोनकिया ने वर्ष 1982 में मध्यप्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित होशंगाबाद जिले के हथनौरा से मानव मादा कपाल के अवशेषों की खोज की।[1] यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है क्योंकि इसके कारण भारत मानव जीवाश्म प्राप्ति स्थलों के वैश्विक मानचित्र पर अंकित हो चुका है। भारत में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि पाषाणकाल को तीन कालों पुरापाषाणकाल, मध्यपाषाणकाल एवं नवपाषाणकाल में विभक्त किया गया है[2], जिनका विवरण इस प्रकार है–

पुरापाषाणयुगीन मानवजीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानत: आखेट तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। इस युग का मानव अंत्येष्टि संस्कार से भी अपरिचित था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चे मांस ही ग्रहण करते थे। प्राप्त पाषाणोपकरणों एवं जलवायु परिवर्तन के आधार पुरापाषाण को तीन षगों निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है।[3] इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन प्रकार की संस्कृतियां सोहन संस्कृति, नर्मदा संस्कृत तथा मद्रास संस्कृति आती है। इनमें नर्मदा संस्कृति का विस्तार मूलत: मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी में हुआ। नर्मदा नदी घाटी में ही होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा से होमोइरैक्टस का मादा कपाल मिला जो भारत में प्राप्त मानव अवशेष का सबसे प्राचीन नमूना है।[4] इसी संस्कृति के साक्ष्य मध्यप्रदेश के भीमबेटका, आदमगढ़, सिंहावल इत्यादि स्थलों से भी मिले है।

नर्मदा घाटी के भूस्तर विन्यास और आदि मानव के अवशेष ढूंढने के प्रयास में पुरातत्तवविदों ने विगत सौ वर्षों से अधिक समय में कई पुरातात्विक उत्खनन किये। 1878 में एक पूर्व पाषाण कालीन उपकरण स्तनपायी जानवर के जीवाश्म के साथ भुतरा में पाया गया। बाद में 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन ने किया। इस अनुसंधान का क्षेत्र काश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक था।5 इसके पश्चात् ए.पी. खत्री, एच. डी. सांकलिया और सेन, एस. सी. सूपेकर, मैक क्राउन, जी. जे. वैनराइट, डब्ल्यू थियोबोल्ड, जी. एल. बदाम, आर. वी. जोशी के अतिरिक्त और भी कई विद्वानों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया गया विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे।[6]

मध्य पुरापाषाण काल का प्रधान पाषाणोपकरण शल्क था। शल्क से बने उपकरणों में खुरचनी, तक्षणी, बेधक आदि है। मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों से मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर,[7] होशंगाबाद[8] और महेश्वर[9] से मिले हैं। पिपरिया में ए. पी. खत्री ने इस युग के बहुत से उपकरणों की खोज की है।[10] चंबल घाटी में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण मंदसौर और नाहरगढ़ से पाए गए है।

उच्च पुरापाषाण काल के प्रधान पाषाणोपकरण शल्क एवं फलक थे। मध्यप्रदेश के उच्च सोन नदी के उत्खनन के दौरान, निसार अहमद सीधी ओर शहडोल जिले के कई ऐसे कई स्थलों पर गए जहां उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के उपकरण पाए गए। मंडला के निकट नर्मदा की एक सहायक नदी बंजर के तट पर स्थित बमनी में छुरी और छैनी भी मिले है। ये उपकरण भीमबेटका के स्तर वैन्यासिक उत्खनन स्तर और ग्वालियर तथा रीवा जिले के उत्खननों में भी मिले हैं।[11]

मध्य पाषाण काल पुरापाषाणकाल तथा नवपाषाणकाल के मध्य संक्रमणकाल माना जाता है। इस काल में तीक्ष्ण एवं सूक्ष्मपाषाण उपकरण (माइक्रोलिथ) का प्रयोग किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1867 में सी.एल.कार्लाइल ने विंध्यक्षेत्र में मध्यपाषाण कालीन लघुपाषाणोपकरण प्राप्त किया।[12] इस काल के छोटे तथा अखण्डित पाषाण उपकरण प्राप्त हुए है। तीर कमान का विकास भी इसी काल में हुआ। जिससे शिकार करने की तकनीक में भारी परिवर्तन आया तथा छोटे जानवरो, पक्षियों एवं मछलियों का शिकार भी किया जाने लगा।

* शोधार्थी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

इस काल में पशुपालन का आरंभ हुआ। जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मध्यप्रदेश के आदमगढ तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए है। इस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके साक्ष्य उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सरायनाहर एवं महदहा में प्राप्त समाधियों से मिले है।13 वे मृतकों के साथ खाद्य पदार्थ, औजार इत्यादि भी रखते थे। संभवतः वे लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और निमाड़ जिले में चंबल घाटी में किए गए उत्खनन के दौरान बहुत से लघु पाषाणीय स्थल निकले है। शहडोल, रीवा, मंदसौर, सिहोर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, छतरपुर, विदिशा, सागर, गुना, पन्ना, छिन्दवाड़ा और धार की खुदाई में भी बहुत से लघुपाषाणीय स्थल निकले है।[14]

मध्यप्रदेश के स्थानों पर अनेक शैलाश्रय प्राप्त हुए है जिनकी भीतरी छतों और दीवालों पर अनेक प्रकार की रोचक चित्र-रचना मिली है। शरत में जितने चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए है, उनमें मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर,15 रायसेन16, ग्वालियर,17 पूर्वी निमाड़,18 विदिशा,19 छिन्दवाड़ा,20 नरसिंहपुर,21 छतरपुर, पन्ना, आदि जिलों में चित्रित शैलाश्रय मिले है। इनमें हरे, लाल, सफेद, काले, पीले आदि रंगों से एक के ऊपर एक बने हुए कई चित्र है, जिनमें पाषाण युगीन जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। भीमबेटका तथा आदमगढ़ मध्यप्रदेश में शैल चित्रकला के दो मुख्य स्थल है, इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में $22^0$50' उत्तरी अक्षांश तथा $77^0$37' पूर्वी देशांतर पर भीमबैठका एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहां के उत्खनन में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रमबद्ध विकास, स्तरीकरण में प्राप्त हुआ एवं शैल चित्रकला में यह पुरास्थल विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर लगभग 500 शैलाश्रयों का एक समूह है, जो कि विश्व में शैल चित्रकला के संबंध में सबसे समृद्ध क्षेत्र सिद्ध हुआ है। यहां के शैलचित्र की तिथि उच्च पुरापाषाण काल भारत में सबसे प्राचीन चित्रकला सिद्ध हुई है।[22]सन 1957 में वाकणकर द्वारा खोज के उपरांत भीमबैठका क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ एवं शैल चित्रकला शोध के साथ साथ उत्खनन का कार्य भी प्रारंभ किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, सागर विश्व विद्यालय, डेक्कन कॉलेज शोध संस्थान पूना इत्यादि ने इस स्थल पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए। इस स्थल पर सांस्कृतिक जमाव की मोटाई 3.90 मीटर प्राप्त हुई जिनमें निम्न पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक अनवरत सांस्कृतिक विकास के प्रमाण प्राप्त हुए है।[23]

होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की पहाड़ी स्थित है जिसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित अनेक शैलाश्रय है।[24] यहां सन 1961 में आर. वी. जोशी द्वारा सर्वेक्षण एवं उत्खनन कार्य कराया गया।[25] आदमगढ़ के उत्खनन से निम्न पुरापाषाण कालीन एवं उसके बाद मध्य पुरापाषाण कालीन प्राप्त उपकरणों में मुख्यतः पेबुल उपकरण, हैन्डैक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, प्वाइंट हैं जो कि क्वार्ट्जाइट पत्थरों पर निर्मित मिलते है। कुछ अन्य शैलाश्रयों के उत्खनन से पाषाण मिश्रित जमाव से क्वार्ट्जाइट पर निर्मित मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्क्रैपर, प्वाइंट, फ्लेक, ब्लेड आदि हैं।[26]

नवपाषाणकाल शब्द जॉन ल्वाक ने अपनी पुस्तक 'प्रीहिस्टोरिक टाइम्स' दिया है। भारत में नवपाषाणकालीन पुरातात्त्विक खोज आरंभ करने का श्रेय डॉ. प्राइमरोज का जाता है। इस काल की सर्वप्रमुख विशेषता कृषि कार्य प्रारंभ होना है, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ से मिला है।[27] इसी काल में 5000 ई.पू. के आसपास मृदभाण्ड निर्माण आरंभ हो गया तथा मानव स्थायी झोपड़ियां बनाकर निवास करने लगा था। इस काल में औजार अधिक तीक्ष्ण एवं परिष्कृत बनने लगे जिन पर पॉलिश की जाने लगी।[28]

इस प्रकार नवपाषाण संस्कृति उस काल की द्योतक है, जब मानव संस्कृति, शिकारी और खानाबदोश जीवन से व्यवस्थित या सामाजिक जीवन में परिवर्तित हो रही थी। मध्यप्रदेश में, इस काल के द्योतक, अच्छी तरह तराशे और चमकाए गए पाषाण उपकरण अर्जुनी, एरण, कुण्डम, गढ़ी मोरिला, जतकारा, जबलपुर, दमोह, बहूतराई, बुरेचुन्का, मुनई, सागर, हटा और होशंगाबाद इत्यादि में पाए गए है।[29]

मध्यप्रदेश में नवपाषाण कालीन सभी पुरास्थल सतही है। सोनघाटी में अभी तक प्राप्त सभी नवपाषाण कालीन पुरावशेष सतह से ही प्राप्त हुए है। किसी उत्खनन से नवपाषाण कालीन संस्कृति के स्तरीकृत जमाव प्रकाश में नहीं आये है। सोनघाटी के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य किसी नदी घाटी से भी इस संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हैं इस संस्कृति से संबंधित पुरास्थल कुछ ही हैं जो सतही हैं एवं नवपाषाण उपकरण के रूप में प्रतिवेदित किए गए है।[30]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डे ,आर.पी.; प्रागैतिहास एवं आद्य इतिहास, शर्मा राजकुमार(संपा.), मध्यप्रदेश का इतिहास,खण्ड-1,मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2014,पृ. 81-82
2. शर्मा, राजकुमार; मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पुरातत्तव की रूपरेखा; मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, षेपाल, 2010 पृ. 01
3. श्रीवास्तव, के.सी., भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 1991, पृ. 34
4. पाण्डे, आर.पी.; वही, पृ. 81
5. शर्मा, राजकुमार; वही, पृ. 02
6. शर्मा, राजकुमार; जानकारी के साधन;शर्मा राजकुमार(संपा.), मध्यप्रदेश का इतिहास, खण्ड-1, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2014, पृ. 47
7. जे. कॉगिन ब्राउन, कॅटलॉग रेजोन ऑफ दि प्रिहिस्टॉरिक एन्टीक्विटीज इन दि इंडियन म्युजियम कलकत्ता पृ. 57
8. इंडियन आर्कियोलॉजी -ए रिव्यू, 1959-60 पृ. 22
9. टेरा, डी. एवं पैटरसन ; स्टडीज ऑन दि आइस एज इन इंडिया एण्ड एसोसिएटेड ह्युमन कल्चर्स, पृ. 312-26
10. इंडियन आर्कियोलॉजी - ए रिव्यू, वही, पृ. 22
11. शर्मा, राजकुमार; जानकारी के साधन; पृ. 48
12. भट्टाचार्य, प्रणव कुमार ; हिस्टोरिकल ज्यॉग्राफी ऑफ मध्यप्रदेश फ्रॉम अर्ली रिकार्ड्स, मोतीलाल बनारसीदास इण्डोलॉजिकल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 01
13. श्रीवास्तव, के.सी., वही, पृ. 39-40
14. शर्मा, राजकुमार; वही; पृ. 48
15. इंडियन आर्कियोलॉजी - ए रिव्यू, 1956-57, पृ. 19
16. श्रीवास्तव, पी.एन., मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, रायसेन, संस्कृति विभाग, भोपाल,1991. पृ. 34
17. शर्मा, राजकुमार; वही; पृ. 48
18. श्रीवास्तव, पी.एन. ; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, पूर्वी निमाड़, पृ. 40

19. इंडियन आर्कियोलॉजी – ए रिव्यू, 1959-60, पृ. 71
20. शर्मा, राजकुमार; मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पुरातत्त्व की रूपरेखा; पृ. 03-04
21. जे. कॉगिन ब्राउन, वही, पृ. 57
22. पाण्डे, आर.पी.; वही, पृ. 83-84
23. वही
24. सिन्हा, ए. एम., मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, होशंगाबाद ,संस्कृति विभाग, षेपाल, 1994. पृ. 28
25. पाण्डे, आर.पी.; वही,पृ. 85
26. वही
27. श्रीवास्तव, के.सी., वही, पृ. 40
28. वही
29. शर्मा, राजकुमार; जानकारी के साधन; पृ. 48-49
30. पाण्डे, आर.पी.; वही, पृ. 109

****

प्राचीन मिस्र की सभ्यता की दुनिया को देन

हितेश *

प्रस्तावना – मिस्र की सभ्यता को विश्व की सबसे प्रचीन सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता का विकास नील नदी के बहाव वाले क्षेत्र में हुआ था इसलिए इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग पाँच हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। मिस्र में जब यह सभ्यता फल फूल रही थी, उस समय दुनिया के अधिकतर देश असभ्यता के अंधकार में डूबे हुए थे। सभ्यता ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वह कला हो, राजनीति हो ,धर्मदर्शन हो, पर अपनी अमिट छाप छोडी है। विश्व को इस सभ्यता ने कई महान देन दी है।

राजनीति के क्षेत्र में देन – उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए राज्य या सरकार का होना जरुरी होता है।उन्होंने दूसरे देशों से बहुत पहले संयुक्त राज्य स्थापित करने में और इसे कायम रखने के लिए एक राजनीतिक चिन्तन व कानूनों का विकास करने में सबसे पहले कामयाबी हासिल की। सरकार या शासन चलाने के लिए जो अंग आवश्यक होते है, उनका संगठन भी सबसे पहले मिस्रवासियों ने किया था।

रोम व यूनान ने मिस्र से बहुत कुछ सीखा और बाद में उसे पूरे यूरोप में फैलाया। उन्होंने मिस्र की शासन व्यवस्था से बहुत से तत्व ग्रहण किए। सिकन्दर ने मिस्र में ही अपने साम्राज्य संगठन के स्वरुप को सीखा था। रोमन व यूनानी सम्राटों ने मिस्र के फराओं की तरह स्वयं को देवता की तरह बताया। इसलिए मिस्र को प्राचीन रोम और यूनान का गुरु माना जाता है। न्याय शासन का एक जरुरी अंग होता है। इस क्षेत्र में मिस्रवासियों की सबसे महत्वपूर्ण देन समानता का सिद्धान्त है।मिस्र में कानूनों के सामने सब समान थे चाहे वह फराओं हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति। अपराध करने पर राजपरिवार के सदस्यों को भी दण्ड दिया जाता था।

कृषि के क्षेत्र में देन – भूमि की व्यवस्थित पैमाइश और सिंचाई की एक संगठित प्रणाली का विकास सबसे पहले मिस्र में हुआ था। मिस्र की उन्नतिशील खेती की जानकारी हमें एक पुस्तक 'द स्पलैंडर दैट वाज़ इजिप्ट' में मिलती है।उन्होंने सबसे पहले नील नदी से सिंचाई के लिए नहरों और बांधों का निर्माण किया।खेती के काम को सरल बनाने के लिए मिस्र के लोगों ने ही सबसे पहले धातु के औजार बनाए।

लेखन कला का आविष्कार – कलाओं में सबसे महान मानी जाने वाली लेखन कला का आविष्कार मिस्र के लोगों ने किया।दो कारणों से मिस्र में लिपि व लेखन कला की खोज हुई। मृतक संस्कार के लिए मंत्रों को कंठस्थ करना जरुरी था। किन्तु प्रत्येक काल में ये याद नहीं रखे जा सकते थे। अत: इन्हें लिखना जरुरी हो गया था। मिस्र में हर वर्ष भूसम्पत्ति की गणना की जाती थी। इसके हिसाब के लिए भी लेखन की आवश्यकता पडी। उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया। इसे चित्राक्षर लिपि(हाइरोग्लाइफिक) कहा जाता है।हाइरोग्लाफ एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र चिन्ह।इसमें 2000 के लगभग चित्र थे, जो बाद में 750 तक रह गए।चित्राक्षर लिपि में वस्तुओं को यथार्थ रुप में अंकित किया जाने का प्रयत्न किया जाता था। परन्तु इसमें बहुत समय लगता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मिस्रवासियों ने तेज गति से लिखी जाने वाली लिपि हायरेटिक लिपि का विकास किया। लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व इससे भी तेज गति से लिखी जा सकने वाली लिपि डिमोटिक का आविष्कार कर लिया था।इसे एक प्रकार की शार्टहैंड लिपि कह सकते है।प्रसिद्ध रोजेटा प्रस्तर अभिलेख पर इस लिपि का प्रयोग हुआ है।इसकी विकास यात्रा में उन्होंने 24 वर्णों की एक वर्णमाला का भी आविष्कार किया था। वे भावों को आरम्भ में पत्थरों पर लिखते थे। बाद में नील नदी के बहाव वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पेपायरिस नाम के एक वृक्ष के तने की परतों से पन्ने जैसी वस्तु बनाई जिस पर वे लिखा करते थे। सम्भवत: पेपर नाम इसी पेपायरिस शब्द से बना हुआ लगता है। विभिन्न पौधों के रस में पानी व गोंद मिलाकर वे स्याही बनाते थे।

विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उन्नति – प्राचीन मिस्र ने विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उन्नति की थी।मिस्र के चिकित्सक नाडी देखकर रोगों का पता लगा सकते थे। वे विभिन्न वनस्पतियों के रोग हरने वाले गुणों से भी वाकिफ़ थे। पिरामिडों का निर्माण उनके गणित, रेखागणित और ज्यामिति के ज्ञान को दर्शाता है। विश्व के सात आश्चर्यों में गिना जाने वाला गिजेह का महान पिरामिड बिना तकनीकी ज्ञान के बनाना असम्भव है। यह कला के साथ साथ विज्ञान की उन्नति का भी नायाब नमूना है। 480 फीट ऊॅंचा यह पिरामिड तेरह एक डमें बना है।इसके निर्माण में 2.5-2.5 टन के 23 लाख पाषाण खण्डों का प्रयोग किया गया है।ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इतनी कुशलता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड़ की चौड़ाई एक इंच के हजारवें भाग से भी कम है।रसायन का भी उनको ज्ञान था।वे रसायनों का प्रयोग करके शवों को सुरक्षित करने के लिए ममीज़ बनाते थे।मिस्र के लोगों ने सबसे पहले पंचांग बनाया तथा उनका पंचांग अन्य समकालीन पंचांगों से श्रेष्ठ था।इनका वर्ष 365 दिनों का होता था। रोमनों ने मिस्र के पंचांग को ग्रहण किया।खगोल विज्ञान का जन्म भी प्राचीन मिस्र में हुआ था। अपने आदिम यन्त्रों की सहायता से प्रमुख नक्षत्रों की स्थिति का सही अनुमान लगाकर आकाश का मानचित्र बना लिया था।समय की जानकारी के लिए जल घड़ी व सूर्य घड़ी का भी आविष्कार इस काल में कर लिया गया था। वृत, अर्धगोलक तथा सिलिन्डर का क्षेत्रफल निकालने में मिस्रवासियों ने सफलता प्राप्त कर ली थी। सामुद्रिक व्यापार का विकास भी मिस्रवासियों ने किया था। जहाजी बेडे का निर्माण सबसे पहले उन्होंने ही किया था।

* मौहल्ला - गस्तीवाडा, नजदीक गुरुद्वारा, पुल बाजार, नारनौल, जिला - महेन्द्रगढ (हरियाणा) भारत

कला का विकास – कला के क्षेत्र में प्राचीन मिस्र की देन अद्धितीय है।मंदिरों में लक्सर का मंदिर और कारनाक का मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने है।फराओं की पत्थर की मूर्तियाँ उनकी कारीगरी की परिचायक है।उनका कला बोध अन्य जातियों से सर्वथा अलग था। इन्हें स्तम्भपंक्ति और सूच्याकार स्तम्भों का प्रयोग शुरु करने का श्रेय प्राप्त है। स्तम्भों की सहायता से बड़े बड़े कक्षों की छतों को बनाने की विधि का आविष्कार मिस्रवासियों की एक महान देन है। कारनाक का मंदिर 1300 फीट लम्बा है और इसका मध्यवर्ती कक्ष 170 फीट लम्बा तथा 338 फीट चौड़ा है।इस कक्ष की छत 6 पंक्तियों में बनाए गए 136 स्तम्भों पर टिकी हुई है। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी मिस्र के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।अधिकतर मूर्तियाँ पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े को काँट छाँटकर बनाई जाती थी। इस प्रकार की मूर्तियों में सबसे विख्यात नारसिंही मूर्ति या स्फिंक्स है जो नर और सिंह की मिली जुली मूर्ति है।इस विशालकाय मूर्ति का शरीर सिंह का तथा सिर मानव का है।

अध्यात्म के क्षेत्र में – पहले मिस्र का धर्म बहुदेववादी था।इसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी। अमेन्होटेप चतुर्थ अथवा अख्नाटेन(1374ईसा पूर्व–1358 ईसा पूर्व) ने ऐटन देवता की उपासना के माध्यम से दुनिया के इतिहास में पहले पहल एकेश्वरवाद की धारणा का प्रतिपादन किया।ऐटन एक निराकार देवता था, जिसकी मूर्ति पूजा नहीं होती थी ।एकेश्वरवाद की यह कल्पना संसार की सबसे प्राचीन कल्पना है।सबसे पहले मिस्र में यह कल्पना की गयी कि आत्मा अमर है।इसका मनुष्य की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व रहता है।उन्होने ही पाप और पुण्य की अवधारणा दी और सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य को उसके कर्मो के अनुसार अच्छा और बुरा फल मिलता है।

सामाजिक देन – संगठित समाज निर्माण की प्रेरणा प्राचीन मिस्र की सभ्यता की महत्वपूर्ण देन है।आधुनिक समाज की रुपरेखा मिस्र में बहुत पहले ही तैयार हो गयी थी।पेशे और स्तर के अनुसार लोगों के शासक वर्ग,लिपिक वर्ग,सामन्त वर्ग और दास वर्ग आदि बन गए थे।प्राचीन मिस्र का समाज काफी उन्नत था।समाज में नारियों को ऊँचा स्थान प्राप्त था, जो इस सभ्यता की महान देन कही जा सकती है।स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्राप्त था। आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियों ने शासन की बागडोर भी सम्भाली थी। रानी हेतशेपसुत और रानी क्लियोपेट्रा इसके उदाहरण है।

भोग विलास और अन्य सुख सुविधाओं के स्रोत में भी उनकी महान देन है।मिस्र के निवासी आरामकुर्सी,चारपाई, मेज आदि का प्रयोग करते थे।सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं जैसे लिपस्टिक, सुगंधित तेल आदि का सबसे पहले प्रयोग मिस्र के निवासियों ने किया तथा जिसका अनुकरण बाद में विश्व के अन्य लोगों ने किया।

साहित्यिक देन – प्राचीन मिस्रवासी साहित्य की रचना करने लग गए थे।देवी देवताओं और फराओं की प्रशस्ति में गीत रचे जाते थे। मिस्रवासियों ने बहुत सी पौराणिक कथाओं यानि थे। देवी देवताओं और काल्पनिक वीरों से सम्बन्धित आख्यानों की रचना भी की। इनमें ओसिरिस का आख्यान सबसे प्रसिद्ध है।'मेम्फिस का नाटक' जिसकी रचना लगभग 4000 ईसा पूव हुई थी,में मिस्रवासियों के दार्शनिक विचारों का ज्ञान मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विश्व की प्राचीन सभ्यताएं–श्रीराम गोयल विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ।
2. विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास – डॉ शम्भू महतो ।
3. प्राचीन व मध्यकालीन विश्व इतिहास – डॉ विपिन बिहारी सिन्हा ।
4. विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास – डॉ सुशील माधव पाठक।

****

बुन्देलखण्ड के लोक विश्वासों की वैज्ञानिकता एवं सार्वभौमिकता

सुरेन्द्र प्रताप सिंह खरे *

प्रस्तावना – वर्तमान में बुन्देलखण्ड के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र का इतिहास अत्यन्त प्राचीन एवं गौरवशाली रहा है। यह भारत के हृदय प्रदेश के रूप में सुविख्यात अपनी स्वतंत्र चेतना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बुन्देलखण्ड को निम्न प्राचीन नामों से भी सम्बोधित किया जाता है, चेदि, मध्य प्रदेश, जैजाक भुक्ति, आटविक, दशार्ण इत्यादि। 'बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम 'दशार्ण' अर्थात् दस नदियों का देश, वे दस नदियां क्रमश: केन, धसान, पहूज, बेतवा, सिन्ध, जमुना, नर्मदा, टोंस, जामनेर तथा चम्बल है।' भौगोलिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड का सीमांकन नदियों के द्वारा करने से इसकी पहचान ही 'दशार्ण' हो गयी। 'इत जमना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टोंस, इतिहासकार जयचंद विद्यालंकार ने विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी में विस्तृत क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के नाम से सम्बोधित किया है। वहीं दूसरी ओर बुन्देलखण्ड को भौतिक शोधों के आधार पर निम्न सीमा निर्धारित की गयी है– 'वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विन्ध्य, प्लैटों की श्रेणियों, उत्तर-पश्चिम में चम्बल और दक्षिण पूर्व में पन्ना व अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें उत्तर-प्रदेश के जिले हैं– जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और बाँदा तथा मध्य प्रदेश के चार जिले– दतिया, टीकमढ़, छतरपुर, पत्रा के अलावा उत्तर-प्रदेश में भिण्ड जिले की लहर और ग्वालियर जिले की भाण्डेर तहसीलें भी सम्मिलित हैं।

वस्तुत: आदि युग से ही बुन्देली धरा कलाओं का मूल स्त्रोत रही है, यहाँ की लोक गाथाएं, लोक नृत्य, लोकगीत नाट्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। 'बुन्देली लोक नाट्य की विविध विधाओं में वहाँ की परम्पराएं, संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, लोक कथाएं रची बसी हैं। ये आज भी अबाध गति से बुन्देली अंचल में प्रवाहित हो रही हैं।'

'लोक' शब्द का यहाँ पर विस्तृत अर्थ है। लोक का प्रचलित प्रमुख अर्थ होता है– सामान्य जन/बहुसंख्यक लोग/आम आदमी। 'लोक हमारे जीवन का महा समुद्र है, उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है।'' आम आदमी की पूरी संस्कृति, समाज के सांस्कृतिक विकास का स्त्रोत वस्तुत: लोक कहलाता है। यह 'लोक' न तो केवल मनुष्य या ग्रामीण परिवेश की प्रतीत कराता है बल्कि मनुष्य समाज के सांस्कृतिक रूप से विकसित होते समय को पहचानने, मनुष्य व उसके परिवेश, उसके तनाव एवं द्वन्द्वों का अहसास कराने वाली मूर्त अवधारणा है। 'लोक पूरी जातीय व मानवीय चेतना का सकारात्मकता व सांस्कृतिक विकास का ठोस दृश्य व्याकरण है।' स्पष्ट है कि जिसे आम जन सामाजिक स्वीकृति दे देते हैं, तो वह लोक विश्वास की श्रेणी में आता है और इसका जन्म व्यक्तिगत पर्यविक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होता है और अपनी व्यापकता में यह लोक का रूप भी धारण करता चलता है। प्रमाणिकता की दृष्टि से लोक विश्वासों का शास्त्रों में कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है परन्तु इनकी लोक में व्यापक एवं प्रभावी पैठ लोक-जीवन में स्पष्ट दिखती है– 'यदि किसी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति का हृदय और मस्तिष्क एक साथ परखना हो तो वहाँ के लोक विश्वासों को जानना अत्यन्त आवश्यक है।' वास्तविकता यह है कि व्यक्ति को अपनी गति बनाए रखने के लिए लोक का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ लोक अपनी प्रमाणिकता के लिए न शास्त्रीय जनों की सहभागिता एवं प्रगतिशीलों की परवाह करता है, यही जाने-अनजाने उसकी परम्परा बन जाता है– यह प्रक्रिया विश्वास का रूप धारण करती जाती है और इस प्रकार जिन्दगी अपनी रफ्तार के साथ लोक विश्वासों में रचने-बसने लगती है। 'जिस प्रकार लोक की भाषा है, धर्म होता है, रीति होती है, संस्कृति होती है ... उसी प्रकार विश्वास भी होता है। सदियों से साधारण लोग अच्छे सपने एवं बुरे सपने पर, शारीरिक अंगों के फड़कने पर, असमय कुत्तों के रोने, घर के मुंडेर पर बैठे कौओं के कांव-कांव करने पर चीलों के किसी के ऊपर मडराने अथवा घर के ऊपर चक्कर लगाने पर, गीदड़ों-बिल्लियों के द्वारा रास्ता काट देने पर, अगल-बगल-सामने से किसी के छींकने पर, शीशा फूटने पर, रास्ते में काने-लंगड़े के दिखायी देने पर, मार्ग में जाते समय शव के दिख जाने पर, यात्रा के समय राह में मछली-बछड़े को दूध पिलाती गाय, किसी विधवा के शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं करने पर, कोई शुभ कार्य में तीन आदमी के नहीं रखने पर विश्वास करते रहे हैं। इन पर विश्वास करके शुभ-शुकन अथवा अपशकुन का अंदाजा लगाते रहे हैं।'

आधुनिक युग में लोक विश्वासों की परम्परा को तर्क की कसौटी में कसने से अधिकांशत: इनकी मान्यताएं एवं परम्पराओं पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है और इस प्रमाणिकता ने लोक विश्वासों को बुन्देलखण्ड की संस्कृति एवं सभ्यता को एक नयी दिशा दी है। हाँलांकि बुन्देलखण्ड की धरती में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और यहां अनेक लोक विश्वास स्थापित सभ्यता के केन्द्र में थे। अतीत में बुन्देलखण्ड में दो प्रकार के लोक विश्वास प्रचलन में थे–

1. यथार्थ परक जो प्रमाणों पर आधारित हों– प्रमाणित।
2. अनुभवों पर आधारित या भावनात्मक लोक विश्वास– अप्रमाणित।

वास्तव में लोक-विश्वास से सम्बन्धित ये तथ्य आम आदमी की दिनचर्या, उनकी यात्रा एवं शुभ-अशुभ को ध्यान में रखकर किए जाते थे। शायद इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए साधारण जन अपने कार्यो को हल करने का उपक्रम करते थे और इसकी प्रमाणिकता के लिए ठोस उपाय भी करते थे। पृथ्वी पूजा के पीछे उसकी उत्पादकता को केन्द्र में रखा जाता था। जो आज भी प्रमाणिक माना जाता है। यहाँ हकीकत यह है कि 'लोक विश्वास युगों से जन-मानस में व्याप्त हैं, जो अपनी लोक-कल्याणकारी

*शोधार्थी (इतिहास) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अवधारणा के कारण ही जीवित हैं। लोक देवताओं पर विश्वास यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति अपने कार्यों से युग-युगान्तर तक अमर रहता है। सामाजिक भलाई के कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। सम्पूर्ण लोक को अपने व्यक्तित्व व कार्यों से प्रभावित करना और विशाल जन समूह में विश्वास उत्पन्न कराना, किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है।'

उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में मनुष्य अपने लिए नित नये-नये आयाम विकसित करता चलता है और इस वैचारिक यात्रा में उसने पाप पुण्य, तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत, स्वर्ग-नरक अनेक लोक विश्वासों को मानने से अस्वीकार कर दिया है, परन्तु मानव के अचेतन मन में एक दूसरा हृदय भी है जो पुरातन समय से चली आ रही मान्यताओं एवं परम्पराओं को त्यागने को तैयार हीं नहीं होता है। हमारे बुन्देली समाज में भी आज ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलित लोक-विश्वास हैं जो समय के समान्तर अपनी उपस्थिति आज भी दर्ज किए हुए हैं। समय के साथ-साथ हाँलाकि आज उनमें परिवर्तन हुए हैं, परन्तु इस लम्बी यात्रा में वे आज भी कहीं न कहीं हमारे साथ हैं।

अतीत एवं वर्तमान में प्रचलित लोक-विश्वास जो हमारे घरों में आज भी प्रचलित हैं, उनमें व्रत-उपवास की परम्परा है। इसके पीछे यह कारण है कि इससे शरीर के अंगों को आराम मिलता हैं इसके साथ नीम की पत्तियां खाना एवं ताबें के बर्तन में पानी पीना वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय अवधारणा की दृष्टि से प्रमाणिकता की ओर संकेत करता है। इसी तरह के अन्य लोक-विश्वास जैसे दक्षिण की दिशा में पैर कर न सोना एवं रात्रि में झाडू न लगाया, के पीछे अंधेरे में कोई मूल्यवान वस्तु घर के, कूड़े के रूप में बाहर न चली जाए।

प्रकृति पूजा के पीछे यह लोक विश्वास प्रचलित था कि (पीपल, वट, वृक्ष, केला, तुलसी) इनमें देवताओं का निवास होता है परन्तु आयुर्वेदिक दृष्टि से पीपल (आक्सीलन), तुलसी (वात-पित्त एवं स्मरण शक्ति में उपयोगी) वट वृक्ष छाया के लिए उपयोगी माने जाते हैं। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी होता है। गाय पूजा एवं माता मानने के पीछे एक कारण यह है कि इसका दूध पौष्टिक एवं सुपाच्य एवं इसके बछड़े कृषि कार्यों में उपयोगी एवं इसका मूत्र एवं गोबर में कीटानाशकत के गुण मौजूद होते हैं।

धार्मिक लोक विश्वासों के पीछे मनुष्य को अपने आप में आत्मिक रूप से सबल बनाने की बात रही है। गंगा पूजा एवं स्वर्ग-नरक की कल्पना मानव को पापों से छुटकारा दिलाने एवं अपने आप में संयमित दिनचर्या की ओर प्रेरित करती है। इसके पीछे विज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जब हम मानसिक रूप से शांत चित्त एवं आनंदित होते हैं। अनेक बीमारियां हमारी अपने आप दूर हो जाती हैं। हवन इत्यादि के करने से वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि इस ईंधन में कार्बन डाई आक्साईड को नष्ट करने की क्षमता रहती है।

कृषि सम्बन्धी लोक विश्वासों से तात्पर्य यह कि समय पर किसी कार्य को करने से फसलें अच्छी पैदा होती हैं और इसकी पूजा के पीछे इसमें पैदा होने वाले कीटाणुओं की रक्षा हेतु होम-धूप का प्रयोग करते हैं। बुन्देलखण्ड में कृषकों में यह लोक विश्वास है 'जब तक बौनी पूरी न हो किसान बाल नहीं बनवाते अर्थात् बुआई के मध्य में किसी भी अन्य कार्य में समय व्यर्थ न करें।'

नीति एवं ज्योतिष सम्बन्धी लोक विश्वास के पीछे मानव कल्याण की भावना निहित थी क्योंकि 'पराधीन को कोई सुख नहीं होता' यह स्वतंत्र संघर्ष की ओर अग्रसर करता है। ग्रहों के पीछे आज खगोल शास्त्रियों ने स्पष्ट अनुमान लगाए हैं। इससे शरीर में उपस्थिति संकेत ग्रहों की दशा, इसकी सार्थकता को स्पष्ट उजागर करते हैं। नौ ग्रहों की पूजा के पीछे माँ दुर्गा के रूप में माता की पूजा की जाती है। इसके पीछे यह कारण है कि माँ ही निरपेक्ष भाव से अपनी संतान की भलाई कर सकती है और उसका यह आश्रय मानव को सबल आत्मबल प्रदान करता है।

बुन्देली लोकजीवन में रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं की खुशबू आज भी हर तरफ महकती रहती है और पुरातन सोलह संस्कारों के पीछे वैज्ञानिकता की सुगन्ध वर्तमान में भी उपलब्ध है। गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि की यात्रा के पीछे मानव के विकास एवं सफलता की दास्तान छिपी हुई है और आने वाली पीढ़ी को एक क्रम प्रदान करने की भावना भी निहित है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि बुन्देलों की इस वीर वसुन्धरा में विविध प्रसंगों में लोक-विश्वासों की अदभुत छटा के भरपूर दर्शन होते हैं क्योंकि लोक-विश्वास बुन्देली लोक जीवन के अभिन्न अंग हैं, जो यहाँ के लोग जाने-अनजाने सभी रूपों में मानते रहते हैं। शायद इसके पीछे उनकी यह भावना निहित रहती है कि उनका कहीं कुछ अनिष्ठ (अशुभ) न हो जाये। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि मनुष्य सदैव अपने हित का चिन्तन करता रहता है, यही दुविधा की स्थिति उसे रीति-रिवाजों को मानने के लिए विवश करती है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज बुन्देलखण्ड में लोक विश्वासों एवं मान्यताओं की लोगों ने उपेक्षा कर दी है, जबकि विज्ञान ने इसकी वैज्ञानिकता एवं सार्वभौमिकता सिद्ध कर दी है। इसलिए आज जरूरत है कि हम बुन्देलखण्ड में विलुप्त होते लोक-विश्वासों को एक बार फिर अपनाकर बुन्देली लोक संस्कृति एवं भावों को अतीत की गौरवशाली गरिमा की ओर वापस कर उन्हें शक्ति एवं सम्बल प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बुन्देलखण्ड की लोक चित्रकला- डॉ0 (श्रीमती) मधु श्रीवास्वत, पृ0- 1, प्रथम संस्करण मार्च, 2002
2. डॉ0 मोतीलाल त्रिपाठी 'अशान्त', बुन्देलखण्ड का साहित्यि इतिहास, पृ0- 31, लक्ष्मी प्रकाशन, 86, पुरानी नझाई, झाँसी प्रथम संस्करण 1933
3. इण्डिया : एक रीजनल ज्याग्रफी, सं. आर.एल.सिंह, पृ.- 597, संस्करण 1971
4. बुन्देली लोकनाट्य- डॉ. उषा सक्सेना, सृजन-समीक्षा, पृ.-68, सितम्बर 2005
5. सम्मेलन पत्रिका, लोक संस्कृति विशेषांक, सम्पादक- वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ.-65
6. लोक नाट्य 'माच' और उसकी संभावनाएं, अनिल सिंह, पृ.-177, मड़ई- 2001
7. बुन्देलखण्ड की लोक-चित्रकला- डॉ. (श्रीमती) मधु श्रीवास्तव, पृ.- 21, संस्करण 2002
8. रामचरित मानस में लोक-विश्वास- डॉ. श्रीकान्त सिंह, पृ.-7, मड़ई- 2004
9. बुन्देलखण्ड की लोक-चित्रकला- डॉ. (श्रीमती) मधु श्रीवास्त, पृ.- 32, संस्करण 2002
10. बुन्देलखण्ड की लोक-चित्रकला- डॉ.(श्रीमती) मधु श्रीवास्तव, पृ.- 37 संस्करण 2002

अमरकंटक की प्रमुख धर्मशालों का ऐतिहासिक महत्व

डॉ. मो. स्वालकीन खान *

प्रस्तावना – अमरकंटक मध्यप्रदेश के पुराने शहडोल जिलें एवं वर्तमान अनूपपुर जिलें में सघन वनों के मध्य मैकल पर्वत माला में बसा हुआ एक रमणीय, धार्मिक एवम् पर्यटन स्थल रूपी नगर है। अमरकंटक पौराणिक रहस्यों से भरी दिव्य तपो नगरी है। यहाँ ब्रम्हा, विष्णु, महेश एवं अनेक ऋषि-मुनियों ने तपकर मनवांछित वरदान प्राप्त किया था। पुराणों से प्राप्त कथानुसार सागर-मंथन के समय भगवान शिवशंकर ने विष पीकर इसी स्थान पर ध्यान मग्न हुए थे तत्पश्चात शंकर जी के कंठ से श्री नर्मदा स्वेद की धारा प्रकट हुई और कलयुग के पापों का अन्त करने हेतु श्री नर्मदा का प्रवाह यहीं से प्रारंभ हुआ। इस कारण इसका नाम अमरकण्ठ पड़ा एवं कालान्तर में अमरकंटक कहलाया। यहाँ से सोन नदी एवं जुहिला नदी का भी प्रवाह प्रारंभ हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस धार्मिक नगरी में पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों की भीड़ सदैव बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ चारों ओर मंदिरों के साथ धर्मशालाएँ एवं आश्रमों का निर्माण कार्य हुआ। अमरकंटक 240 440 अक्षांश पर तथा 810 540 पूर्व देशान्तर पर स्थित है, समुद्र तट से अमरकंटक की ऊंचाई लगभग 1060.70 मी. है।

अमरकंटक जिला मुख्यालय अनूपपुर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर लगभग 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अमरकंटक के पुण्य भू-भाग पर कई धर्मशालाएँ एवम् आश्रमों का निर्माण किया गया जिनमें से कुछ प्रमुख धर्मशालाओं का उल्लेख इस प्रकार है-

श्री कल्याण सेवा आश्रम (धर्मशाला) – नर्मदा मंदिर से पश्चिम दिशा में 1 कि.मी. की दूरी पर श्री कल्याण दास जी महाराज का सुंदर आश्रम बना हुआ है।

कल्याण सेवा आश्रम एक पंजीकृत धर्मार्थ-सेवा संस्था है, जिसका मुख्य कार्यालय अमरकंटक में है। यद्यपि इसकी प्रमुख प्रशाखाएँ म.प्र. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, एवं गुजरात में फैली हुई हैं। अमरकंटक मुख्य मार्ग में बांई ओर श्री कल्याण आश्रम धर्मशाला की स्थापना साधु-संतों, साधकों, सात्विक तीर्थयात्रियों, भक्तों, अतिथियों व सद्गृहस्थों की आवास व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ई. सन् 1978 में श्री कल्याणदास जी महाराज द्वारा इसका निर्माण कार्य सम्पादित करवाया गया। आश्रम द्वारा अनेक धार्मिक क्रियाएँ संचालित हैं, जिनके अंतर्गत श्री चन्द्रचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय, कल्याणिका केन्द्रीय शिक्षा निकेतन, आदिवासी बालकों को आवास, भोजन तथा शिक्षा की नि:शुल्क सहायता प्रदान की जाती है।

यह विशाल आकर्षक एवं अति सुंदर धर्मशाला है, जो लगभग 3 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इसमें कई भवन है, जो तीन मंजिल में बने हुए हैं। 1981 में धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में संचालित इस धर्मशाला में नि:शुल्क आवास सुविधा, शुद्ध शाकाहारी भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था, चाय, जलपान, छात्रावास एवं शिक्षण सुविधा की व्यवस्था है। निर्धन पिछड़े वनवासी आदिवासी छात्रों के लिए 50 शैया वाले छात्रावास की सुविधा पठन-पाठन सामाग्री शिक्षण शुल्क आदि की व्यवस्था भी इस धर्मशाला से की जाती है।

1. **विन्ध्याँचल भवन–** प्रवेश मार्ग से अंदर की ओर विन्ध्याँचल भवन दांयी ओर 3 मंजिला में निर्मित है, जिसमें दो बड़े हाल 75ग20 वर्गफिट आकार में बने हुए है, जिसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध है, तीन मंजिल की इस इमारत में कई कमरे बने हुए हैं, जो यात्रियों को भोजन व्यवस्था के साथ नि:शुल्क रूप से विश्राम हेतु दिए जाते हैं।
2. **मैकल सदन –** मैकल सदन बांई ओर निर्मित है जो तीन मंजिला बना हुआ है, इसमें 13 कमरे 15ग12 वर्गफिट आकार के निर्मित हैं, प्रथम दृष्टा अच्छे व्यक्तियों की परख करने के पश्चात ही यहाँ रुकने की अनुमति दी जाती है।
3. भगवत सदन के नाम से तीसरा भवन निर्मित है, जिसमें 20 कमरे 15ग12 वर्गफिट के बने हुए है, यह भी तीन मंजिल का है।
4. नर्मदा सदन के नाम से निर्मित इस भवन में 40ग20 के 6 बड़े हाल है एवं 2 बड़े हाल 70ग20 वर्गफिट के बने हुए है।
5. **भोजन कक्ष –** एक अलग भवन भोजन कक्ष के नाम से बना हुआ है। जिसका आकार 80ग60 वर्गफिट का निर्मित है, साफ-सफाई एवं देख रेख के लिहाज से अति सुंदर एवं आकर्षक दृष्टि गोचर होता है।
6. **संत आवास –** एक भवन साधु-संत, महात्माओं के लिए निर्मित किया गया है, जिसमें 40 कमरे 15ग12 वर्गफिट के बने हुए हैं, एवं एक बड़ा हाल 60ग20 वर्गफिट में बना हुआ है।

कल्याण सेवा आश्रम का शेष भाग – सम्पूर्ण धर्मशाला भवन का नक्शा एवं भवन निर्माण का कार्य स्वामी हिमाद्री मुनि जो स्वयं एक इंजीनियर हैं, द्वारा सम्पादित किया गया। इन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस कॉलेज ग्वालियर से डिग्री प्राप्त कर अमरकंटक स्थित इस धर्मशाला एवं संस्था के संचालक के पद पर कार्यरत हैं। इस धर्मशाला में पानी, बिजली, आवास, भोजन, शौच, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि की पूरी व्यवस्था है। दीन-हीन गरीब, साधु-महात्मा, तीर्थयात्रियों को नि:शुल्क सुविधाएँ दी जाती हैं। लोग अपनी आस्था एवं श्रद्धा भाव से जो कुछ दान रूप देना चाहते हैं, उसे स्वीकार किया जाता है, ट्रस्ट द्वारा विश्राम एवं रुकने के नाम पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

अमरकंटक जैसे पिछड़े एवं जंगल क्षेत्र में इन सारी सुविधाओं का होना एक बहुत सराहनीय कार्य है। धर्मशाला अति सुन्दर, सुदृढ़ एवं आकर्षक नजर आती है।

दादा जी का आश्रम धर्मशाला इंदौर (म.प्र.) राजनांदगांव (छ.ग.)

* (इतिहास) पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

खैरागढ (छ.ग.) बड़ोदरा (गुजरात) आदि में भी निर्मित है।

यह धर्मशाला अमरकंटक का अत्यंत प्राचीनतम लगभग 55 वर्ष पूर्व निर्मित धर्मशाला है।

सम्वत् 2025 में इसे विस्तृत किया गया एवं भव्य स्वरूप दिया गया। दो मंजिल में निर्मित इस धर्मशाला में कुल 150 कमरे यात्रियों, अतिथियों, साधु-संतों, आदि के विश्राम एवं रुकने के उद्देश्य से बनाये गये हैं। 20 कमरों में स्नानगृह एवं शौचालय की सुविधा है। 2 बड़े हाल बने हुए हैं, जो दूसरी मंजिल में स्थित हैं। पहला हाल 100ग20 वर्गफिट का एवं दूसरा 60ग20 वर्गफिट का बना हुआ है, महाशिवरात्रि एवं दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में बड़े दिन के समय, इस आश्रम में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। पानी की सुविधा के लिए दो कुंए एवं 1 नलकूप की व्यवस्था भी है। धर्मशाला पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है।

दूसरी मंजिल की छत में सीमेंट की एसबेस्टस सीट डली हुई है। ठहरने वाले अतिथियों में इनकी श्रद्धा के अनुरूप सेवा शुल्क लिया जाता है, दीनहीन, गरीब यात्रियों एवं साधु-संतों के लिए आश्रम में नि: शुल्क व्यवस्था की जाती है। धर्मशाला प्रांगण के मध्य भाग पर भगवान राम की मंदिर है। मंदिर निर्माण के पश्चात सम्वत 2040 में दिव्य आकर्षक मूर्तियों की स्थापना की गई, जिनमें भगवान राम के अतिरिक्त माता सीता, लक्ष्मण के साथ श्री राधाकृष्ण भगवान, श्री नारायण, शिव पार्वती एवं दक्षिणी मुखी बालस्वरूप वीर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, अतिथि सेवा के साथ-साथ नि:शुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

श्री मार्कण्डेय आश्रम (धर्मशाला) – अमरकंटक स्थित एक प्रमुख धर्मशाला मार्कण्डेय आश्रम के रूप में संचालित है, श्री नर्मदा मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 300 मीटर दूरी पर श्री कल्याण आश्रम के पास ही मार्कण्डेय आश्रम बना हुआ है। इसी स्थान पर मार्कण्डेय जी ने धर्मराज की स्थापना की। यह आश्रम भी लगभग 1950 ई. के आसपास का बना हुआ है। यहाँ तीर्थयात्रियों, साधु-संतों, पर्यटकों, विद्यार्थियों, दीन-हीन, गरीब लोगों एवं अतिथियों के रूकने विश्राम करने, एवं भोजन, जलपान आदि की पूरी सुविधा दी जाती है, यहाँ शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, रुकने वाले लोग अपनी श्रद्धानुसार जो कुछ सेवा शुल्क के नाम पर देते हैं, उसे सहर्ष ले लिया जाता है। इस आश्रम में भी लगभग 40 कमरे एवं 2 बड़े हाल निर्मित हैं, पेयजल, भोजन, शौचालय, एवं बिजली की सुविधा अतिथियों के लिए उपलब्ध है।

श्री शिवगोपाल धर्मशाला अमरकंटक – श्री नर्मदा मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित कल्याणिका आश्रम से 100 मीटर की दूरी पर श्री शिवगोपाल धर्मशाला स्थित है।

अमरकंटक स्थित बर्फानी आश्रम (धर्मशाला) – श्री नर्मदा मंदिर से पूर्व दिशा की ओर 100 मीटर की दूरी पर श्री बर्फानी दादा जी का आश्रम धर्मशाला बना हुआ है। श्री बर्फानी सिद्ध आश्रम साधू समाज के अंतर्गत वैष्णव धर्मावलम्बी श्री रामानन्द सम्प्रदाय से संबंधित हैं।

अयोध्या में स्थित श्री खाद चौक आश्रम की शाखा के इस आश्रम की स्थापना संवत् 2015 में हिमालय के महान कायाकल्पी संत अनन्त विभूषित योगाधिराज ब्रम्हर्षि श्री बर्फानी दादा जी के पवित्र कर कमलों द्वारा स्थापित होने के से इस आश्रम का नाम श्री बर्फानी सिद्ध योगाश्रम रखा गया। संत सेवा, गौसेवा, अतिथि सेवा एवं तीर्थ यात्रियों दर्शनकारियों के रूकने, ठहरने आदि इस धर्मशाला में पूरी व्यवस्था है। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्फानी 2010 के आसपास श्री शिवगोपाल नंद महाराज महर्षि द्वारा कराया गया था। अमरकंटक स्थित ये एक महत्वपूर्ण धर्मशाला है, जिसमें साधु-संत, महात्माओं तीर्थयात्रियों एवं अतिथियों के विश्राम की व्यवस्था है। मुख्यत: इस धर्मशाला में पानी, बिजली, एवं आवास की सुविधा दी जाती है, परंतु भोजन व्यवस्था यहाँ से नही की जाती, दीन-हीन व्यक्तियों को नि:शुल्क सेवाएँ दी जाती है, सेवा शुल्क के नाम पर राशि निर्धारित नही की गई है, श्रद्धानुसार दान राशि रुकने वालों की इच्छा पर निर्भर है।

इस आश्रम में कुल सात कमरे, स्नानगृह एवं शौचालय की सुविधा है, पानी के लिए कुंआ एव नलकूप स्थित है, पत्थरों से निर्मित ये भवन दो मंजिला का है, बाहर की ओर ऊपरी मंजिल में दो बड़े हाल 20ग20 वर्गफिट एवं 30ग20 वर्गफिट का बना हुआ हैं, महाशिवरात्रि एवं अन्य विशेष तिथियों में जब अमरकंटक में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती है, उस समय धर्मशाला में भीड़ बढ़ जाती है, मुख्य रूप से इस धर्मशाला में दूर-दूर से आने वाले साधु-संत, महात्माओं के रुकने की ही व्यवस्था की जाती है। जगह खाली रहने पर ही सामान्य जनमानस को यहाँ विश्राम की सुविधा मिलती है। इस धर्मशाला का संचालन श्री शिवगोपाल धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में श्री शिवगोपालाचार्य, गोपालनन्दजी महाराज की उम्र लगभग 82 वर्ष की है।

नर्मदा मंदिर उद्गम पर स्थित प्राचीन धर्मशाला – नर्मदा मंदिर उद्गम के निकट सावित्री धारा एवं सवित्री धारा के संगम स्थल त्रिवेणी संगम के तट पर महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस धर्मशाला का निर्माण कार्य संचालित करवाया था। रीवा महाराजा गुलाब सिंह जब नर्मदा परिक्रमा हेतु अमरकंटक पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि दर्शनार्थियों की आवास की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। तभी उन्होंने आवास हेतु लगभग 400 मी. वर्गाकार क्षेत्र में एक धर्मशाला स्थापित करवाया, जिसके अंतर्गत लगभग 150 कक्ष 10ग15 वर्गफिट के कक्ष निर्मित करवाए, जो वर्तमान समय में भी स्थित है। यद्यपि इस धर्मशाला की स्थिति जर्जर एवं खण्डित है, इसमें सुविधाओं का आभाव है, फिर भी दीन-हीन, गरीब, जनता, के विश्राम के लिए एक सराहनीय कार्य किया गया था। वर्तमान समय में इसके छत पर टीने एवं सीमेंट की सीट लगी हुई है, जिसके सहारे, धूप एवं बारिश से बचा जा सकता है। प्रारंभिक समय में यहाँ कुछ सरकारी दफ्तर भी संचालित थे, नर्मदा परियोजना एवं साडा कार्यालय, इस धर्मशाला में तत्कालीन समय में वन विभाग अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी भी आवास किया करते थे। वर्तमान समय में ये धर्मशाला नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। पूर्व में इसमें डाकघर का भी कार्यालय था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजय श्रीवास्तव, अमरकंटक दर्शन – श्री माँ नर्मदा साहित्य सदन अमरकंटक जिला अनूपपुर, दिनांक 24 मार्च 13
2. पसम्बा नर्मदा का प्रेरणा विग्रह – श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक अनूपपुर, दिनांक 24 मार्च 13
3. प्रतिमा पुंज – कल्याण कन्दकिया शिक्षा निकेतन अमरकंटक अनूपपुर, दिनांक 24 मार्च 13
4. साक्षात्कार एवं सदर्शन – स्वामी हिमाद्री मुनि डायरेक्टर – कल्याणी धर्मशाला, दिनांक 24 मार्च 13

लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं महिला विकास

अक्षय पुरोहित * डॉ. आशुतोष व्यास**

प्रस्तावना – महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की अवधारणा की आवश्यकता एकाकी नहीं है, भारतीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का हैं। महिलाओं को समाज का कमजोर वर्ग माना जाता रहा है, उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रखा गया, किन्तु घर के आर्थिक प्रयास की पूर्ण जिम्मेदारी पुरूष की मानी गई। ऐसी स्थिति में महिलाऐं जो आर्थिक दृष्टि से पुरूष पर निर्भर थी, पुरूष और समाज के शोषण का शिकार बनी। वर्तमान में समाज में दो प्रकार की मान्यताऐं हैं, पहला कि लड़की से अधिक लड़का वांछनीय है। दूसरा गुणात्मक दृष्टि से पुरूष महिलाओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। महिलाओं के प्रति इस प्रकार का भेदभाव समाज के प्रत्येक वर्ग में विद्यमान है। इस दृष्टि से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण, समानता एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए अनेक प्रयास किए गए। 1970 के दशक में ग्रामीण विकास एवं कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया गया, जिसमें समिति ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1970 में भारत सरकार ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की। 1975 में ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की घोषणा की गई, जिसमें महिलाओं के विकास से संबंधित योजनाओं पर बल दिया गया। विगत 50 वर्षो में विभिन्न योजनाओं तथा कल्याण कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारतीय महिला की स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए है, जो सामाजिक विज्ञान विशेषकर समाजशास्त्र के लिए प्रमुख अनुसंधान का विषय रहा है। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में भारतीय महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं ने अनेक दमनकारी व अत्याचार सहे, केवल वैदिककाल में ही महिलाओं को बराबरी का सम्मान प्राप्त था। गैर बराबरी की यह मनोवृत्ति समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान हैं।

महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए शासकीय योजनाऐं समाज कार्य का एक प्रमुख एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि वर्तमान में अंधाधुंध पश्चिमीकरण, भाग्यवाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद के दौर में राजकीय योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में अनेक सामाजिक रूपान्तरण हो रहे है। यह रूपान्तरण की प्रक्रिया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र के अतिरिक्त राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हुई हैं। मध्यप्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए अनेक शासकीय योजनाएँ संचालित की जा रही है, जैसे – लाड़ली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, कन्यादान योजना, उषा किरण योजना, जननी सुरक्षा योजना, बालिका सुरक्षा योजना तथा मातृ सुरक्षा कार्ड योजना इत्यादि प्रमुख है। यह अध्ययन मुख्य रूप से विगत 7–8 वर्षो में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू लाड़ली लक्ष्मी योजना पर आधारित है। इस योजना के विश्लेषण के लिए नीमच जिले के 100 उत्तरदाताओं से जानकारी साक्षात्कार–अनुसूची द्वारा प्राप्त की गई तथा अनौपचारिक तथा समूह विमर्श तथा अवलोकन द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य उन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानना है, जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। इन योजनाओं के प्रति महिलाओं की भागीदारी जागरूकता तथा इन योजनाओं की महिलाओं तक कितनी पहुंच है, साथ ही अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं पर इस योजना का कितना प्रभाव पड़ा है और उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया है तथा इस योजना के प्रति महिलाओं की सोच व राय को देखना भी प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध पत्र म.प्र. में लागू लाड़ली लक्ष्मी योजना पर आधारित है।

मध्यप्रदेश में महिलाओं हेतु प्रमुख शासकीय योजनाएँ – महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रयास समाज कार्य का एक क्षेत्र हैं, इसके लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विगत 7–8 वर्षो में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु म.प्र.में कई प्रयास किए गए है, जिनमें से लाड़ली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, जननी सुरक्षा योजना, कन्यादान योजना, उषा किरण योजना, अन्नप्राष सुरक्षा योजना और मातृ सुरक्षा कार्ड, तेजस्वनी ग्रामीण महिला योजना, स्वयं सहायता समूह इत्यादि प्रमुख है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना – मध्यप्रदेश में महिलाओं की निम्न स्थिति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, कुपोषण, लिंगानुपात में असमानता, भ्रूण हत्या की स्थिति को देखते हुए लाड़ली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 में प्रारम्भ की गई। लाड़ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रेदश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बाल विवाह में कमी, बालिकाओं के जन्म में प्रति सकारात्मक सोच, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन तथा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाज के सभी वर्गो की बालिकाओं की स्थिति को सुधारना भी है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत बालिका के कक्षा 6टी में प्रवेष लेने पर रूपये 2000/– कक्षा 9वीं में प्रवेष लेने पर रूपये 4000 तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रू. 7,500/– का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के पश्चात् दो वर्ष तक 200/–रूपये प्रतिमाह तथा 21 वर्ष की आयु होने पर कुल रू. 1,18,000/–मिलेंगे। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 6000/– लगातार 5 वर्षो तक जमा कराएगी, जिससे उपरोक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, किन्तु किसी बालिका की आकस्मिक मृत्यु होने पर बालिका को देय समस्त उपरोक्त लाभ शासन को समर्पित

* शोधार्थी, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र) महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

होगा।

मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालिकाओं की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी क्रमांक – 01 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत जबलपुर लगातार पहले स्थान पर रहा है, इसके पश्चात 2009 में इन्दौर में इस योजना का लाभ अधिकांश लड़कियों को मिला है। इसका प्रमुख कारण जबलपुर व इन्दौर सम्भाग में अनुसूचित जनजाति के बहुल जिलों जैसे – झाबुआ, बड़वानी, बालाघाट, डिंडोरी, मण्डला, बैतूल का होना है। जबकि चम्बल सम्भाग में इस योजना से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या 2007 में 111 तथा 2013 में 70390 रही है। इसका प्रमुख कारण चम्बल सम्भाग स्त्री–पुरूष अनुपात म.प्र. के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत जून 2013 तक 14,05,849 बालिकाओं को लाभ मिला।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का महिलाओं पर प्रभाव – लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रति लोगों (उत्तरदाताओं) की राय Attitude को विभिन्न तालिका में दर्शाया गया है –

सारिणी क्र. 2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

सन 1996 में महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया तथा कई कार्यक्रम व योजनाऐं भी बनाई गई, जिससे महिलाओं की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हो, रोजगार के अवसर अधिक मिले, विकास कार्यो में भागीदारी, महिलाओं का आर्थिक राजनीति सशक्तिकरण, महिला हिंसा की समाप्ति तथा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव पर बल दिया गया। इस दृष्टि से म.प्र.में विभिन्न शासकीय योजनाओं तथा महिलाओं से संबंधित कुल अन्य समस्याओं के प्रति उत्तरदाताओं के क्या विचार है, इससे संबंधित प्रश्नों की जानकारी ली गई जिसे सारणी क्रमांक 02 में दर्शाया गया है। सरकार द्धारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक जवाब दिया, जबकि 25 प्रतिशत ने नकारात्मक तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरे प्रश्न महिलाओं के लिए लागू किसी भी प्रकार की योजना से लाभान्वित होने के संबंध में 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी न किसी योजना से जुड़ा होना बताया, जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी योजना से नहीं जुड़ पाए, दोनों प्रश्नों के उत्तर से स्पष्ट है कि महिलाओं का एक बड़ा भाग (हिस्सा) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शासकीय योजनाओं की पहुंच से बाहर है। इन तथ्यों की पुष्टि नीरा देसाई व कृतिका राज (1986) तथा मजूमदार (1996) के अध्ययन से होती है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण व गरीब महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तथा उन्हें पितृसतात्मक परिवारों में होने वाले द्धन्द्धात्मकता का सहारा लेना पड़ता है।

शिक्षा के लिए संचालित– लाड़ली लक्ष्मी योजना व अन्य किसी योजना के संबंध में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था, कि इससे महिलाओं की स्थिति व सोच मं परिवर्तन आया है, जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है, 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपनी कोई राय नहीं दी। म.प्र. की 2011 की जनगणना से भी स्पष्ट है कि म.प्र.में महिला साक्षरता दर 60.3 प्रतिशत है। अवलोकन से यह भी देखने में आया कि 55 प्रतिशत महिलाऐं निरक्षर है तथा 20 प्रतिशत महिलाएं अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। जिन्हें सरकारी आंकड़ों में साक्षर दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि अशिक्षा अभी भी महिलाओं की किसी भी स्थिति को रूपान्तरित करने में बड़ी बाधा है।

महिलाओं के कानून की पर्याप्तता व अधिकारों की जानकारी के संबंध में 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया, तथा 36 प्रतिशत ने इसका उत्तर नहीं दिया, जबकि 19 प्रतिशत ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। महिलाओं से संबंधित कानून व शासन की किसी अन्य नीति के कारण महिला हिंसा में कमी के संबंध में 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था, कि महिलाओं के साथ हिंसा में वृद्धि हुई है, जबकि 24 प्रतिशत ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। इस संबंध में नेशनल क्राईम ब्यूरो (2010) की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि देश में यौन उत्पीड़न के (24.6 प्रतिशत) लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार (63.0 प्रतिशत) और बलात्कार के (6.6 प्रतिशत) महिलाओं के साथ हुए है। प्रो. राम आहुजा ने भी अपने अध्ययन में यह बताया कि महिलाओं के विरूद्ध दो तिहाई अपराध (62.5 प्रतिशत) केवल पांच राज्यों में (म.प्र. 17.60 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश 15.70 प्रतिशत, महाराष्ट्र 13.90 प्रतिशत, आन्ध्रप्रदेश 7.9 प्रतिशत और राजस्थान 7.5 प्रतिशत) हुए है। समाज में महिलाऐं असुविधा वाली एक प्रमुख वर्ग के रूप में रही है। महिलाओं की असुविधा का यह चक्र उनके जन्म से लेकर विधवा होने तक रहा है। वर्ग, जाति, धर्म के विभेदीकरण के साथ महिलाओं को इन लाभ लेने वाले समूह के साथ जोड़ने से उनकी स्थिति और भी खराब हुई है।

विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग (सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न) तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय लोगो ने अधिक उठाया है। इनका प्रतिशत 60 से अधिक है, जबकि कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 18 प्रतिशत महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। जैसा सारणी क्रमांक 3 में स्पष्ट है। अत: आवष्यकता इस बात की है, कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद व कमजोर वर्ग को मिले तभी महिलाऐं सशक्त होगी।

निम्न सारणी में महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के प्रमुख आधारों के अध्ययन को दर्शाया गया है –

सारणी क्रमांक – 03 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

समाज महिलाओं की स्थिति को बदलने के आधारों के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए इसके संबंध में अधिकांष उत्तरदाताओं (महिलाओ) ने 62 प्रतिशत शिक्षा को परिवर्तन का प्रमुख आधार बताया है, क्योंकि शिक्षा समाजीकरण का साधन एवं रूपान्तरण में सहायक है। यह प्रो.अमर्त्य सेन के इस व्यक्तव्य से भी मेल खाती है, भारतीय समाज की गुणवत्ता के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। 19 प्रतिशत ने शिक्षा को परिवर्तन का आधार नहीं माना। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण को 55 प्रतिशत ने प्रमुख माना, जबकि 45 प्रतिशत ने शासकीय योजनाओं द्धारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन प्रमुख माना। अध्ययन का अवलोकन से यह बात सामने आती कि राजनीतिक भागीदारी को महिलाओं ने सामाजिक रूपान्तरण का प्रमुख आधार नहीं माना जिनका प्रतिशत 34 है।

वर्तमान में समाज में राजनेताओं के प्रति नकारात्मक इमेज का होना इसका प्रमुख कारण है। 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि महिलाऐं और पुरूष की बराबर भागीदारी द्धारा ही महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिति बदल सकती है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तथ्यों तथा सर्वेक्षण की राय से स्पष्ट है कि म.प्र.में

महिलाओं के सामाजिक रूपान्तरण एवं सशक्तिकरण हेतु जो प्रयास किए गए, उससे महिलाओं में शिक्षा व अन्य अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है, वे विकास की राह में आगे आ रही है। म.प्र.में विशेषकर लाड़ली लक्ष्मी योजना को न केवल देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी सराहना मिली तथा इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूनेस्कों द्वारा पुरस्कृत किया गया। बालिकाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कारण मुख्यमंत्री को प्रदेश में मामा भी कहा जाने लगा। महिला योजनाओं के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि 2008-09 व 2013-14 के चुनाव में महिलाओं ने पारिवारिक जातिगत या अन्य किसी दबाव के बिना अपनी स्वयं की इच्छा से वोट दिया। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के फलस्वरूप महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हुई, तथा ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है।

लेकिन इन सबके अतिरिक्त कुछ तथ्य यह भी है कि नेशन क्राईम ब्यूरों (NCRB) की रिपोर्ट (2009) के अनुसार महिला रेप (3010) के अंतर्गत म.प्र. में (72.00 प्रतिशत) का पहला स्थान है, इसी प्रकार म.प्र.में कुपोषित बच्चों की संख्या 43.36 प्रतिशत है। 2010 के अनुसार महिला मृत्यु अनुपात (0-4) आयु समूह 61.10 प्रतिशत तथा (1-9) आयु समूह 48.40 प्रतिशत रहा है। 2006-07 के अनुसार (5-14 आयु समूह) में 2.97 लाख बच्चे स्कूल छोड़ देते है। तथा आज 20 प्रतिशत लड़कियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि म.प्र.में महिलाओं की स्थिति अभी भी निराशाजनक है, तथा इसके लिए अभी काफी ठोस प्रयास की आवष्यकता है तभी महिलाओं के सामाजिक रूपान्तरण व सषक्तिकरण की बात सार्थक होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौशिक, आश (2004) नारी सशक्तिककरण - विमर्श एवं यथार्थ, पाईण्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ-3
2. जोशी, ओ.पी.. (2005) महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ-124
3. राजकुमार, (2006), महिला और समाज, अनमोल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.35
4. श्रीवास्तव, अनीता. (2004) भारत में महिलाएँ, समस्याएँ एवं पहलू, इण्डियन पब्लिकेशन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ.80
5. स्वामी, भगवती एवं किशोर, सविता. (2008) महिला सशक्तिकरण: क्यों और कैसे, आर.बी.एस.पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.145
6. राय, आशीश (2008), वूमेन एम्पावरमेण्ट स्ट्रेटजीज, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली पृ.258-59
7. व्यास, मिनाक्षी. (2006) नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन, कानपुर, पृ. 14
8. सोनी, जसप्रीत कौर. (2006) वूमेन एम्पावरमेण्ट एक्सप्लोरिंग द फेक्ट्स, आथर्स प्रेस, नई दिल्ली पृ.28
9. आशुरानी, (1997) महिला विकास कार्यक्रम, इनाश्री पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.53
10. अलीम, समीम (1996) वूमेन्स डवलपमेण्ट - प्रोब्लम्स एण्ड प्रोस्पेक्टस्, ए.पी.एच.पब्लिशर्स, न्यू देहली, पृ.23
11. सिन्हा, अजीत कुमार (2008) न्यू डायमेन्शन्स ऑफ वूमेन एम्पावरमेण्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, पृ. 42
12. पांडा, ए.एन. (2008) भारतीय महिलाएॅ व संबद्ध स्तर, अभिजीत पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ. 138
13. सहगल, तारा. (2008) वर्किंग वूमन एण्ड फैमिली, आर.बी.एस.पब्लिकेशन, पृ. 126
14. शर्मा अंबिका 'अप्रकाशित शोध प्रबन्ध-महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण', जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, 2004, पृ0 22
15. देसाई, नीरा - ''भारतीय समाज में नारी'', वोरा एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 1957, पृ0 25
16. भट्ट कृष्णा, मध्य हिमालय की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1988

सारणी क्रमांक - 01

लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या

सम्भाग	2007-08	2008-09	2011-12	2012-13
जबलपुर	1867	5657	195322	316399
भोपाल	1086	23449	94943	145191
उज्जैन	975	26552	100023	171661
इन्दौर	861	40704	144502	234818
सागर	5 66	27166	36252	159093
रीवा	362	16835	63269	114717
होशंगाबाद	313	14245	48592	7419 4
ग्वालियर	227	1675	70846	115984
चम्बल	111	11008	48177	70390
नीमच (जिला)	434	2025	2834	3402

स्त्रोत- म.प्र.महिला बाल विकास विभाग 2012-13

सारणी क्रमांक – 02

लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं के विचार

स.क्र.	विभिन्न योजनाओं के प्रति विचार	हॉ	नहीं	कुछ कह नहीं सकते	योग
1.	कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जानकारी	70	25	5	100
2.	किसी भी योजना से लाभान्वित होना	72	28	0	100
3.	शिक्षा संबंधी योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन	52	36	12	100
4.	महिला कानूनों की पर्याप्तता व अधिकारों की जानकारी	45	36	19	100
5.	महिला हिंसा में कमी	42	34	24	100

स्त्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

सारणी क्रमांक – 03

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले आधारों के संबंध में उत्तरदाताओं की राय

स.क्र.	परिवर्तन के आधार	हॉ	नहीं	पता नही	योग
1.	महिला शिक्षा	62	29	9	100
2.	सरकारी योजनाओं के द्वारा	45	40	5	100
3.	सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा	55	34	11	100
4.	राजनीतिक भागीदारी	34	45	21	100
5.	पुरूष–महिला सहयोग द्वारा	48	34	12	100

स्त्रोत्र – क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

****

जनजातीय लोगों के उत्थान में पंचायती राज की भूमिका

प्रो. आई.एस. सस्त्या *

प्रस्तावना – पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की भावना को मूल भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र के स्वशासी शासन को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है। यह एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों को ,ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायतों का प्रबंध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, साथ ही संविधान मे यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के लिए कदम उठाएगा और इन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। जिससे कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकते है एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से गाँव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक विकास हो सके तथा जनता को स्थानीय स्तर पर शासन को संचालित करने सम्बंधित दिशा निर्देश एवं निर्णय क्षमता का विकास हो सके।

सर्वप्रथम भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गई पर वह सफल नहीं हो पाया, ग्रामीण विकास के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात कहीं गई जिसको स्वीकार किया गया और इसका शुभारंभ 2 अक्टुम्बर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलें से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।

1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अध्ययन करने एवं इसे अधिक प्रभावी बनने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसने अपना प्रतिवेदन एक वर्ष के अन्दर सरकार को प्रस्तुत कर दिया, परन्तु देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसके सुझावों को लागू नहीं किया जा सका। 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने ग्रामसभा को पुनजीर्वित करने, पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराने तथा पंचायती को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। पंचायती राज के सम्बध में 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी के शासनकाल में भारतीय संसद के मानसून सत्र में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका। देश मे पंचायती राज के सम्बंध में हमने अनेक प्रयोग किए। इसी श्रृंखला में 1992 में एक नये विधेयक को संसद के समक्ष 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक संसद के दोनों सदनो में पारित होकर 24 अप्रैल 1993 को कानून के रूप में लागू हो गया। इस विधेयक के माध्यम से नवीन पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तथा इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस निर्मित्त संविधान में नया अनुच्छेद 243 जोड़ा गया है। जो इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, देशभर में एक समान संगठन तथा इनके चुनाव सम्बंधी ठोस व्यवस्था प्रदन करता है। इस विधेयक में विकास के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय को ही आधार माना गया तथा पिछली पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को ध्यान में रखते हुए नवीन प्रावधान किए गए। पंचायती राज के इस नवीन प्रयोग में एक और प्रयोग करते हुए नवीन पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानो में से महिला आरक्षण के इस अनुपात में इन वर्गो की महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें इन वर्गो की महिलाओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी का अवसर सुलभ हुआ ।

आज मध्यप्रदेश में 73 वां संविधान संसोधन 1993 के आधार पर पंचायत राज अधिनियम से संबंधित विभिन्न कानूनो का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदलने में इस अधिनियम ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण जनजाति का कोई भी क्षेत्र रहा हो मध्यप्रदेश पंचायत राज कानून लागू होने के कारण अर्भूतपूर्व बदलाव देखने मे आए है

– **आज –**

1 आज इस कानून के कारण मध्यप्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का तीव्रगति से विकास हो रहा है तथा पंचायतों के माध्यम से जनजाति विकास खण्ड में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण एवं संचालन किया जाता है। जनजाति के व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रति जागरूक हुए एवं जनजाति के अधिकांश युवक–युवती हाई स्कूल से स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहे है तथा जनजातियों में साक्षरता की दर पहले से काफी बढ़ रही है।

2 पिछड़ा कहलाने वाला मध्यप्रदेश के ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज कानून के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों में राजनीतिक चेतना की बहुत ज्यादा जागृति देखने को मिली है। स्थानीय जनजाति लोग अपने नेता को सरपंच के रूप में खुद ही चुनते है व खुद ही अपनी ग्रामसभा के माध्यम से अपनी पंचायत क्षेत्र का राजनीतिक विकास करते है।

आज म.प्र.पहला ऐसा राज्य हैं, जो ग्रामीण राजनीति में पंचायत के माध्यम से 50 प्रतिशत चुनाव में आरक्षण देता है तथा 33 प्रतिशत महिलाओं को भी आरक्षण का अधिकार दिया गया।

3 इस अधिनियम के कारण जनजाति में नि: स्वार्थ नेतृत्व की भावना का विकास हुआ है तथा जनजाति की महिला एवं पुरूषों को प्रशासन

* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला – धार (म.प्र.) भारत

द्वारा समय–समय पर प्रौद्योगिकी एवं सूचना तकनीकी, समचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र से संबंधित समस्यों तथा विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है।

4 पंचायत प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उचित तथा आवश्यक समन्वय का जो अभाव था पंचायत राज के कारण जनजातियों में उसका अभाव भी दूर हो गया है।

5 पंचायत राज अधिनियम के कारण जनजाति क्षेत्रों का भौगोलिक , सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, परिवहन सुविधा तथा तकनीकी, विकास द्रुत गति से हो रहा है।

6 विकास कार्यो में अब सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की जवाबदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है।

7 ग्रामीण विकास के लिए व जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्व की अब पंचायत अधिनियम के कारण ज्यादा राजस्व मिलने लगा है। जिसके माध्यम से सरपंच द्वारा अपनी पंचायत में सड़क व सी.सी. खरंजा का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, तालाब का निर्माण, स्कूल का निर्माण, शौचलय का निर्माण, स्वच्छता का प्रबंधन, कुआ का निर्माण, समुदायिक भवन का निर्माण आदि कार्य के लिए धनराशि प्राप्त होती है, जो सम्बंधित कार्य मे ही खर्च की जा सकती है, अन्य कार्य में खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

8 स्थानीय करों पर पंचायत द्वारा समय–समय पर कर का निर्धारण किया जाता है एवं कुछ पंचायतों में नदी में रेत के खनन से सम्बंधित रायल्टी, विभिन्न प्रकार के मैलों का आयोजन के समय कर का निर्धारण एवं वसूली पर पंचायत का पूर्ण अधिकार होता है। इस सबसे प्राप्त धनराशि का उपयोग सरपंच एवं ग्राम सभा द्वारा गाँवों के विकास में किया जाता है। पंचायत का अपने क्षेत्र में स्वामित्व होने के कारण स्थानीय विकास कार्यो में उसको ज्यादा लाभ मिलने लगा है तथा आज हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा विकासात्मक कार्य करके अपने–अपको लोक कल्यांणकारी कहलाना चाहता है, इसके लिए पंचायती राज अधिनियम व पंचायती राज अधिनियम व पंचायते आधार नींव का काम कर रही है।

9 वर्तमान समय में शासन द्वारा संचालित नवीन योजनाएँ , मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय का निर्माण, कपिल धारा, कन्यादान योजना, मनरेगा, दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर योजना,असहाय बेघर वृद्ध पैंशन योजना, कौशल विकास योजना, स्वास्थ्य सम्बंधित योजनाएँ आदि का क्रियान्वयन भी पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है एवं इन योजनाओं के जॉब कार्ड अनिवार्य किया गया है। जिससे जनजाति क्षेत्र में निवासरत् जनजातियों के पुरूष एवं महिलाएँ इन योजनाओं का लाभ उठा रहे है।

10 प्रधनमंत्री द्वारा ग्राम संसद योजना ,ग्रामोंदय से भारत उदय अभियान के माध्यम से प्रत्येक संसद, विधायक तथा ,प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक जिले की पंचायतों की गाँवो में बैठक का आयोजन एवं गाँवो में निवास करने वाली जनजाति एवं अन्य वर्गो की समस्या का तुरन्त समाधान एवं गाँव के विकास से सम्बंधित निर्णय तत्काल लेने को प्रोत्साहित किया जाने लगा तथा प्रत्येक संसद को 2019 तक जिले में कम–कम तीन आर्दश ग्राम विकसित करने का उद्देश्य निर्धारित किया है।

11 सरकार द्वारा आधुनिक तकनीकि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई–पंचायत गठित कर पंचायत के अधिकारियों एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं निर्देश देकर ई–पंचायत के माध्यम से पंचायत की बैठको का आयोजन किया जाता है तथा महत्वपूर्ण मुद्दो का तत्काल निराकरण किया जाता है, जिसका जनजाति पंचायतों पर सकारात्मक प्रभाव पडा।

इस प्रकार जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज्य अधिनियम ने जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, शैक्षणिक, लोक कल्याणकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। किन्तु फिर भी जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक,लोक कल्याणकारी योजनाओं में जो सफलता मिलनी थी उसमे इन क्षेत्रों में व्याप्त, अज्ञानता, अशिक्षा, महिलाओं की निम्न स्थिति, ऋण ग्रस्तता, प्रशासनिक अधिकारियों, सरपंच व पंचायत मंत्री में व्याप्त भ्रष्ठाचार, महिला जनप्रतिनिधि का स्वयं निर्णय नहीं लेने तथा महिला जनप्रतिनिधि के परिवार द्वारा संचालन व निर्णय लेने, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में ताल–मेल का अभाव, जनप्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर नहीं के बराबर या निम्न होने, अधिकांश जनजाति का भौगोलिक क्षेत्र दुर्गम स्थानों पर स्थित होने तथा अधिकांश क्षेत्रों का संचार साधनों का अभाव होने से जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज अपनी उचित भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाया हैं यदि यह समस्या का समाधान हो जाए तब जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से इन क्षेत्रों का कायाकल्प किया जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 मालवीय राजीव– शिक्षा के नूतन आयाम, शारदा पुस्तक भवन इलाहबाद ,1999 ,

2 एन.एन.आई – भारत की सामाजिक समस्याएॅ का निमला पब्लिकेशन प्राथमिक विद्या.पु. – 2009

3. मिनाक्षी पंवार, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली

3 नई दुनिया समाचार पत्र।

4 दैनिक भास्कर।

****

जनजातीय विकास प्राधिकरण - जनजातीय कल्याण की ओर एक सार्थक कदम

रोशनी सिद्दीकी * नाजिया बानो **

शोध सारांश - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। भारत दुनिया का सबसे दूसरा देश है, जहाँ बड़े पैमाने पर जनजातियाँ पायी जाती है। म.प्र. में सर्वाधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। इनके विकास के लिए 1949 में भारत सरकार द्वारा 'भारतीय आदिम जाति सेवक संघ' की स्थापना की गयी। म.प्र. सरकार 'म.प्र. जनजातीय विकास प्राधिकरण' बनाकर विभिन्न जनजातीय समुदायों के आर्थिक उत्थान, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि की दिशा में काम करने के लिए प्रयत्न किया। म.प्र. शासन 6 विकास अधिकरण विभिन्न जनजातियों के उनके क्षेत्र में विकास गठित किए।

जनजातीय समुदायों के विकास में अनेक बाधक तत्व है, उनको चिन्हित कर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लालफीताशाही व भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या से जिनसे निपटने के लिये गठोर नीति एवं समुचित क्रियान्वयन की दरकार है। समस्याओं एवं कठिनाइयों से पार पाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी वांछित है। आशा है भविष्य में जनजातीय समुदाय हमारे समाज का अभिन्न अंग बनकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। आवश्यकता दृढ़ निश्चय व दृढ़ संकल्प की है।

प्रस्तावना - भारत में जनजातीय समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है। अफ्रीका के बाद भारत का जनजातियों के मामले में दूसरा स्थान है। देश में सर्वाधिक जनजातियाँ मध्यप्रदेश में पायी जाती है। जनजातियों के प्रकार के मामले में भी सर्वाधिक प्रकार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 46 प्रकार की जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। मध्यप्रदेश राज्य में मुख्य जनजातियां भील, गोंड़, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, माड़िया, सहारिया, सदर, अगरिया, पनिका, परधार आदि निवास करती है।

जनजातीय समुदाय के विकास के बिना सम्पूर्ण समाज के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। भारत के केन्द्र सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी जनजातीय विकास के लिए अनेक योजनाओं के निर्माण कर कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ एवं मध्यप्रदेश जनजातीय विकास प्राधिकरण इसके उदाहरण हैं। इन संघों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। इन सबका सकारात्मक परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगा।

शोध प्रविधि - इस शोध कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिये द्वितीयक स्त्रोतों से तथ्य संग्रह किए गए। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'भारत' वार्षिक प्रकाशन के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित जनजातीय अध्ययन सामग्री तथा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदनों आदि का सहारा लिया गया। तथ्यों का विश्लेषण कर परिणाम ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

परिकल्पना -

- जनजातीय विकास प्राधिकरण जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए पर्याप्त नहीं है।
- सरकारी मशीनरी जनजातीय विकास में पर्याप्त रूचि नहीं लेती है।
- जनजातीय समुदाय की अशिक्षा एवं अजागरूकता उनके विकास में बाधक है।
- समाज की मुख्य धारा से अलगाव सामाजिक दूरी बढ़ाने में सहायक है।

उद्देश्य - इस शोध के अनेक उद्देश्य हैं -

- जनजातीय समुदाय का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास का अध्ययन करना।
- जनजातीय विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों का गहन अध्ययन करना।
- जनजातीय विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधक तत्वों का पता लगाना।
- कार्यक्रमों के संचालन में बाधक तत्वों को दूर करने में आवश्यक सुझाव देना।

विषय विश्लेषण - भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक सौ संस्थाएं इसके सदस्य के रूप में संगठित है। इस संस्था का लक्ष्य व उद्देश्य भारत में आदिम जाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना रखा गया। जिससे वे समानता के आधार पर भारत के अन्य नागरिकों के साथ राष्ट्रीय जीवन में समुचित स्थान पर सकें।

क्रिया-कलाप - आदिम जाति सेवक संघ के क्रियाकलाप में अनेक विषय सम्मलित किए गए हैं।

- आदिम जाति कल्याण में लगे कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।
- अखिल भारतीय स्तर के सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित करना।
- जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा कल्याण सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना।
- जनजातीय कलाओं, हस्तशिल्प तथा संस्कृति को कायम रखने के लिये पुस्तकालय तथा संग्रहालय चलाना।
- अपने सदस्य संगठनों के माध्यम से अनेक आर्थिक कार्यक्रम चलाना जैसे सहकारी समितियों की स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा

*शोधार्थी एवं अतिथि विद्वान (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी (समाजशास्त्र) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

विकास केन्द्रों का संचालन।

- जनजातीय क्षेत्रों में आवास तथा बस्तियों की योजनाएं चलाना।
- अनाथालयों, प्राथमिक विद्यालयों, छात्रावासों, आश्रम, विद्यालयों तथा बालवाड़ियों का संचालन करना।
- जनजातियों के लिए स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना।

मध्यप्रदेश जनजातीय विकास प्राधिकरण - मध्यप्रदेश की 6 जनजातियों को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़े जनजातीय समूह के रूप में मानय किया है। इनमें बैगा, कमार, भीडिया, सहारिया, अबुझमाड़िया हैं।

इन आदिवासी समूहों के लिये आर्थिक, उत्थान, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य आदि की दिशा में विशेष योजनाएं चलाने के लिए अलग-अलग अधिकरण गठित किए गए हैं।

- सहारिया विकास अधिकरण ग्वालियर।
- कमार कोरका विकास अधिकरण गरियावन्द रायपुर।
- पहाड़ी कोरवा विकास अधिकरण जशपुर नगर।
- पाताल कोट विकास अधिकरण छिंदवाड़ा।
- अबुझमाड़ विकास अधिकरण नारायणपुर (बस्तर)
- बैगा विकास अधिकरण डिंडोरी (मण्डला)।

एक से ज्यादा जिलों में कार्य कर रहे अधिकरणों की जिला इकाइयां स्थापित की गयी हैं। ये जिला इकाइयाँ संबंधित अधिकरणों के माध्यम से उस क्षेत्र के लिए परियोजनाएं संचालित करती है। प्रत्येक जनजाति के विकास के लिएउनकी आवश्यकता एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक जनजाति समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं सम्मिलित की गयी हैं अन्य आदिवासयों के मिलने वाली समस्त सुविधाओं के लाभ की पात्रता इन जनजातियों का है ही इनके पिछड़ेपन को देखते हुए इन जनजातीय समूहों की परियोजनाओं के लाभ विकास अधिकरण या अधिकरण की जिला इकाई के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। आर्थिक विकास की योजनाओं को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जाता है। इन जानजातीय समूहों से साक्षरता का प्रतिशत कम होने के कारण इनके बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों को दो जोड़े यूनीफार्म तथा लिखने-पढ़ने के लिए सामग्री नि:शुल्क दी जाती है। जनजातीय परिवारों को नि:शुल्क दवाइयां तथा आयोडीनयुक्त नमक दिया जाता है। साफ पानी के लिए पेयजल कूप तथा नलकूप अधिकरण मद से बनाये जाते हैं। वनोरोपण व बांस रोपण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। बेकार तालाबों को पुन: निर्मित करना तथा पुराने तालाबों की मरम्मत का कार्य भी इन अधिकरणों के माध्यम से किया जाता है। पाठशालाओं के लिये भवनों का निर्माण, आवागमन की सुविधा के लिए पुलियां व सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है। इस प्रकार ऐसी समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। जिससे जागरूकता का शैक्षिक तथा आर्थिक विकास हो सके।

समस्याए एवं कठिनाइयाँ - जनजातियों के समुचित विकास में अनेक समस्याए व कठिनाइयां रोड़ा बनी हुई है। आजादी के बाद से ही जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया किन्तु वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इनके लिए अनेक घटक उत्तरदायी हैं।

- जनजातीय व समूहों तक पहुंचने के लिये पर्याप्त आवागमन के साधन व सुविधाएं नहीं हैं। दुर्गम पहाड़ियां व नदी नाल, खोह अवागमन को दुरूह बनाए हुए हैं।
- भाषायी अन्तर समाज के अन्य वर्गो साथ ही इनके विकास के लिये नियोजित व्यक्ति एवं संस्थाएं समुचित संवाद स्थापित नहीं कर पाते।
- बिजली आपूर्ति व संचार माध्यमों का अभाव जनजातियों के विकास में बाधा है।
- लालफीताशाही, भ्रष्टाचारी इनके विकास मद की राशि को पचा जाते हैं साथ ही इनकी अशिक्षा का लाभ उठाकर शोषण करने में सफल हो जाते हैं।
- राजनैतिक चेतना का अभाव इनके दुरावस्था का कारण है।
- सरकारी नियंत्रण का अभाव या ढीलापन जनजातीय विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन में शिथिलता बरती जारी है।
- राजनैतिक दल इन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए खुद इनका पिछड़ापन बनाये रखना चाहते हैं।
- समाज के मुख्य धारा के समूह इन्हें घृणित व मूर्ख मानकार विकास के बाधक बने हुए हैं एवं इनके हक पर डाका डालने में गुरेज नहीं करते है।

सुझाव -

- प्रशासन जनजातीय विकास के लिए ठोस नीति बनाकर उसे क्रियान्वित करें।
- लालफीताशाही व भ्रष्टाचार कठोर कार्यवाही करके अन्यायपूर्ण व अनैतिक कार्यो को रोकने का व्यवस्था करें।
- जनजातीय विकास के लिये पर्याप्त बजट व वास्तविक उपलब्धि में समांजस्य स्थापित करने का प्रयास करें।
- शिक्षण संस्थाएं, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, प्राणायाम व संचार साधनों का विकास, बैंकिंग, बीमा सेवाओं का अवसर जनजातीय समुदायों को देने का लक्ष्य निर्धारण व मूल्यांकन का कार्य पूर्ण तत्परता व सजगता से किया जाय।
- जनजातीय संस्कृति व संस्कारों से समाज को परिचय कराकर उनको संरक्षित रखा जाय।
- शिक्षा उनके बोली भाषा से देने की व्यवस्था की जाय, ताकि वे रूचि लेकर ज्ञान प्रप्त कर सके।
- नाटक, प्रदर्शनियों, मेलों के माध्यम से उनमें जनजागरण एवं समाज से मेल-मिलाप कर सामाजिक दूरी को कम करने का प्रयास किया जाय।

निष्कर्ष - जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एवं महत्वपूर्ण अंग है। बिना जनभागीय विकास के राष्ट्र का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि जनजातियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास के लिए योजना काल ही विकास की योजनाएं तैयार कर उनका क्रियान्वयन पर ध्यान दिया गया। परिणाम शत-प्रतिशत तो नहीं किन्तु शून्य भी नहीं रहे, किन्तु जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं उसके लिये समाज का हर वर्ग दोषी है। जनजातियों के विकास व कल्याण के बहुत कुछ अभी किया जाना बांकी है। अगर समाज हर वर्ग अपने जनजातीय भाइयों के हित व कल्याण को सोचने लगे तो कोई कारण नहीं कि इनका विकास न हो, आवश्यकता दृढ़, निश्चय व संकल्प की है। आशा है सरकार व समाज का हर वर्ग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके जनजातीय समुदाय को भी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज - डॉ. डी.एस. बघेल।
2. भारत- 2016-2017
3. समाचार-पत्र पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन।
4. दूरदर्शन, बेवसाइट आदि।

वैश्वीकरण के युग में दलित स्त्री चेतना

रेखा *

प्रस्तावना – वैश्वीकरण ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। दलित महिलाएं भी वैश्वीकरण से प्रभावित हुई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से न केवल तेज गति से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की बातें की जाती बल्कि दलित महिला के विकास की बात इसमें शामिल है। वैश्वीकरण का लाभ समाज के उस वर्ग को हुआ है, जो अधिक योग्य, शिक्षित एवं सक्षम है। इससे दलित महिलाएं जो समाज से वंचित शोषित एवं हाशिए पर है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक दलित महिला का प्रश्न है, भारतीय समाज में सदियों से शोषित रही हैं। दलित महिलाओं एवं महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई तथा अनेक वैधानिक एवं संवैधानिक कानून बनाए गए। जिससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है एवं सरकार के द्वारा भी दलित महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। ताकि दलित महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग बिना किसी खोफ के कर सके एवं समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो और उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी हो।

वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव – वैश्वीकरण ने नारी की मुश्किलों को ओर अधिक बढ़ा दिया है। बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण दलित महिलाओं को रोजगार में असुरक्षा, वेतन में असमानता एवं विदेशी कम्पनियों की मनमानी शर्तो के सामने कानूनों की असमर्थता आदि अनेक ऐसी परिस्थितियाँ है। जिनके कारण दलित महिलाओं का शोषण होता है। एक ही तरह के काम को करने में स्त्री और पुरूषों के साथ भेदभाव किया जाता है। दोनों के वेतन में भी असमानताएं होती हैं। वर्तमान समय में भी महिलाएं अशिक्षित एवं कुपोषण की शिकार हैं। दलित महिला का उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में योगदान होता है। वैश्वीकरण ने आर्थिक समानता का समापन किया है। महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन ही किया है। अधिकांश महिलाएं असंगठित संस्थाओं में काम करती है और नियमों की कमी के कारण शोषण का शिकार होता है। महिलाओं के घरेलू कार्यों को कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। उनके कार्य को तभी कार्य माना जाता है जब वे कार्य करती हैं और कार्य के बदले में धन पाती हैं।

वैश्वीकरण के प्रभाव – इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वैश्वीकरण ने दलित महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं। रोजगार सृजन के द्वारा दलित महिलाओं को राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दलित महिलाओं के लिए अनुकूल रोजगार का निर्माण किया जा रहा है। ताकि दलित महिलाएं भी राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभा सकें, उनकी सुरक्षा के प्रयास भी किए गए हैं। जिसके कारण दलित महिला भयमुक्त हुई है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दलित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। रोजगार बाजार एवं व्यापार सूचना व टैक्नोलॉजी में बराबरी का हिस्सा मिले। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन एवं अन्य तरह के भेदभाव को दूर किया। दलित महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किए, कम खर्चे के घर, भूमि, प्राकृतिक संसाधन एवं अन्य सेवाएं दी जाए। इस तरह वैश्वीकरण जहाँ विकास को सुनिश्चित करता है, वहीं समाज के दलित महिलाओं को अधिक उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है। इन्टरनेशनल कन्वेन्शन ऑन सिविल एण्ड पॉलिटिक्ल राईट्स के अनुसार भारत सरकार का दायित्व ऐसा माहौल बनाना है। जिसमें दलित महिलाओं को गुलामी क्रूरता से आजादी मिले, कानून और अदालतों के सामने उनकी पहचान एक मानव के नाते हो।

समाज में दलित महिलाओं का स्थान – दलित महिलाएं समाज के सबसे निचले पायदान पर है। दलित महिला त्रिस्तरीय शोषण का शिकार होती है। जिसका आधार, जाति, वर्ग एवं लिंग भेद है। न केवल परिवार में दलित स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा होती है, बल्कि उसके साथ सामाजिक हिंसा कहीं ज्यादा होती है। दलित महिलाओं को उनका परिवार स्त्री होने के नाते पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता क्योंकि दलित परिवारों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जो उनकी स्थिति को कमजोर करती है। लेकिन परिवार के बाहर भी दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दलित महिलाओं के विकास, उन्नति एवं सुरक्षा के लिए अनेक वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधान किए हैं।

मानवाधिकार और दलित महिलाएं – मानवाधिकार ने दलित महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। दलित महिलाओं से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधानों में नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अनुच्छेद 8 में बंधुआ मजदूरी का निषेध, अनुच्छेद 14 में सभी को कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 26 द्वारा नस्ल लिंग, भाषा, राजनैतिक या अन्य आधार भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 26, 25(c), 19(1), 21, 14(3)(g), 16(1), 19(1)(2)(3)(4) एवं 18(1) अनेक ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो दलित महिलाओं नागरिक एवं राजनैतिक जीवन का बेहतर बनाते हैं। दलित महिलाओं से संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रसंविदा अनुच्छेद 7(A)(i), (b), 10(2), 6(1), 10(3), 13(3), 13(2)(a), 9(a)(ii), 7(d) मानवाधिकार ने अनेक ऐसे प्रयास किए, जिससे दलित महिलाओं की स्थिति समाज में सुदृढ़ होने लगी है, उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है।

भारतीय संविधान और दलित महिलाएं – भारतीय संविधान में दलित महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, सार्वजनिक स्थान में प्रवेश पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का प्रतिषेध किया है। 'मूलर बनाम ओरेगन' के वाद में अमेरिकी न्यायालय ने कहा कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें

* व्याख्याता, राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

दुखद स्थिति में कर देते हैं। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है। संविधान ने सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राज्य उक्त वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 'एयर इण्डिया बनाम नर्गिस मिर्जा' के मामले में उच्चतम न्यायालय में एयर इण्डिया के उस निर्णय को अवैध करार दिया जो विमान सेवा परिचारिकाओं को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा प्रथम बार गर्भवती होने पर सेवानिवृति का उपबंध करता था क्योंकि यह लिंग आधारित विभेद करने वाली व्यवस्था थी।

अस्पृश्यता भारतीय समाज पर एक कलंक है। अनुच्छेद 17 छूआ-छूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 39(घ) में उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद् बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन के संदाय में पुरूष एवं महिला के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत महिलाओं को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकारी माना। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों से यह कहा कि वे कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए कानून बनाए किसी कामकाजी महिला से शारीरिक सम्पर्क करना या सम्पर्क करने का प्रयास करना, उसके समक्ष यौन सम्पर्क का प्रस्ताव रखना, अश्लील टिप्पणियां करना आदि को यौन उत्पीड़न माना गया। अनुच्छेद 42 में महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान किया गया है एवं अनुच्छेद 51(ए) में उन सभी प्रथाओं का त्याग करने की बात की गई है जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली में महिलाओं व पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 243(2) में पंचायतों व अनुच्छेद 243(ठ) में नगरपालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो दलित महिला को अन्य वर्गों के समान स्थान दिलाकर प्रजातांत्रिक समानता के आदर्श की स्थापना करता है क्योंकि दलित स्त्रियों के विकास एवं जनभागीदारी से ही वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति संभव है।

महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए विशेष योजनाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) की एक उपयोजना 1 सितम्बर, 1982 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना। 1992-93 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई जो निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। 2 अक्टूबर, 1993 में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है व उनमें बचत करने की प्रवृति उत्पन्न करती है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रावधान किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने 1 नवम्बर, 1991 में ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के विकास के लिए पंचधारा योजना शुरू की गई जिसमें वात्सल्य, ग्राम्य, आयुस्मति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कल्पवृक्ष योजना निहित हैं। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के की बालिकाओं के लिए 'अपनी बेटी, अपना धन' योजना शुरू की गई। गुजरात सरकार ने 'कुंवर बाई नु मामेरू योजना', महाराष्ट्र में 'कामधेनु योजना', आन्ध्रप्रदेश में 'बालिका संरक्षण योजना' आदि अनेक ऐसे प्रावधान है, जो दलित महिलाओं के उत्थान में सहायक है।

काहिरा सम्मेलन (1994) व बीजिंग में महिलाओं पर चतुर्थ विश्व सम्मेलन (1995) ने महिला व बाल स्वास्थ्य सुधार और महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों जैसे अन्य मुद्दों को भारतीय नीतियों में शामिल किया।

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में दलित महिला का स्थान यह है कि उच्च जाति के लोग उनकी सेवाओं का उपयोग कर सके। जब भी दलित महिलाओं को मानव की तरह अधिकार देने की बात आती है, उन्हें जानवरों के समान रखा गया है। आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर के अनेक प्रयासों के फलस्वरूप दलितों और उनकी महिलाओं के अधिकारों ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। आज भी हिन्दू सामाजिक व्यवस्था परम्परागत भेदभावपूर्ण विचारधारा का उच्च जाति के लोग पालन करते हैं। यही विचारधारा समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में पनपती है और समाज में मूल सरंचना के रूप में विद्यमान है। इसे बदलने के लिए जितने भी प्रयास किए जाए उनका प्रभाव शून्य होता है क्योंकि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था परम्परागत समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकती। दलित महिलाओं की स्थिति एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन भी इसी प्रकार की पुरातन समाज की मानसिकता और सामाजिक व्यवस्था है। जिसमें कुछ बदलाव करके ही दलित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

सुझाव एवं निष्कर्ष – वर्तमान समय में भी दलित महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है और दलित महिलाओं को शोषण से बचाने एवं उनका विकास एवं उत्थान करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं एवं प्रावधान किए गए हैं। परन्तु फिर भी वर्तमान में दलित महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है। दलित महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अभी भी अनेक प्रयास किए जाने बाकी हैं जैसे कामकाजी दलित महिलाओं को यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को केवल नीतियां बनाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका क्रियान्वयन करना भी आवश्यक है ताकि दलित महिलाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके एवं उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। एक महिला पुलिस विंग हो, जो केवल दलित महिला उत्पीडन के मामलो को देखे और राज्य के गृहमंत्री को रिपोर्ट करे। अधिकांश दलित महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों से अवगत करवाने के लिए सरकार को पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ सत्ता की आधुनिक सात संस्थाओं में दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ये सात संस्थाएं हैं- न्यायपालिका, राजनीति, नौकरशाही, विश्वविद्यालय, महिला एवं उद्योग।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिपाठी, मुरलीधर (2007). 'भारत का संविधान', 10वाँ संस्करण, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स
2. पाण्डेय, जय नारायण (2015). 'भारत का संविधान', 48वाँ संस्करण, सेन्टर लॉ एजेन्सी
3. पाण्डेय, जी0 एस0 (2009). 'भारत का संविधान', 8वाँ संस्करण, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि., जयपुर,
4. खान, फरहत (2015). 'प्रशासनिक विधि', अमर लॉ पब्लिकेशन्स, इन्दौर
5. त्रिपाठी, टी.पी. (2000). 'मानवाधिकार' प्रथम संस्करण, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
6. उपाध्याय, जय जय राम (1999). 'मानवाधिकार'' प्रथम संस्करण, सेन्टर लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

रामवृक्ष बेनीपुरी के 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त जीवन-मूल्य

संजय कुमार त्रिपाठी * डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी **

प्रस्तावना – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह विचारवान एवं संवेदनशील रहा है, इसीलिए जंगली जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी सुरक्षित बचा रह सका। मानव को एकजुट रख पाने के पीछे जीवन-मूल्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि एक साथ रहने वाले एक-दूसरे के साथ कुठाराघात करेंगे, मुसीबत के समय साथ नहीं देंगे, समाज के निर्माण में अपना सहयोग नहीं देंगे, तो भाई-चारा और विश्वसनीय सम्बन्ध कैसे स्थापित होगा? अत: आदमी के इंसान बनने का आधार मानव-मूल्य या जीवन-मूल्य हैं। मूल्य को परिभाषित करते हुए शशि सहगल ने लिखा है कि-'मूल्य कोई मूर्त वस्तु नहीं जिसे व्यक्ति देख सके, बल्कि 'मूल्य अपने में एक धारणा है, एक अनुभव है, जिसे व्यक्ति भोगता है, झेलता है, महसूस करता है तथा अपने स्तर पर जीता है। यह अनुभव इन्द्रिय-गम्य न होकर आत्मा या कल्पना का अनुभव होता है, जो किसी भी वस्तु को मूल्यवान बना देता है। अत: मूल्य का अस्तित्त्व व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है।' [01] इसी प्रकार डॉ. हुकुमचंद राजपाल मूल्यों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि-'जीवन को सम्यक् एवं संयमित ढंग से चलाने के लिए ही विचारकों ने ऐसा अनुभव किया कि जीवन के लिये कुछ मानदण्ड रहना चाहिए। उन्हीं के आधार पर मूल्यों की बात की जाने लगी और जीवन की आंतरिक एवं बाह्य आवश्यकताओं के आधार पर कुछ कसौटियाँ बनाई गई। ये कसौटियाँ ही मूल्य हैं।' [02]

अत: 'मूल्य एक व्यापक शब्द है, जितने विचारकों ने इस पर चिंतन-मनन किया उन्होंने इसे अपनी तरह से परिभाषित एवं वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। किंतु अधिकांश विद्वानों का मत लेने के बाद बहुत से विद्वान इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जीवन-मूल्यों को मूल रूप से इन्हें पाँच भागों में बाँटा जा सकता है- 1 वैयक्तिक मूल्य, 2 सामाजिक मूल्य, 3 आर्थिक मूल्य, 4 राजनैतिक मूल्य, 5 धार्मिक/सांस्कृतिक मूल्य । यह विचारणीय बिंदु है कि क्या क्षुधा शांत कर लेना, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सम्पन्न हो जाना ही मानव जीवन है? यदि ऐसा है, तो मनुष्य और पशु में क्या भिन्नता है? गेहूँ और गुलाब के माध्यम से बेनीपुरी जी के निबंधों में जीवन-मूल्यों की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप में हुई है-

1. 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त वैयक्तिक मूल्य – रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने मानव के विषय में यह प्रश्न किया है कि उसके लिए गेहूँ अर्थात् उदरपूर्ति महत्वपूर्ण है या गुलाब अर्थात् मानस की तृप्ति। वे मानव के वैयक्तिक मूल्यों की बात करते हुए लिखते हैं-'जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर। क्षुधा, क्षुधा, पिपासा, पिपासा। क्या खायें, क्या पियें? माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट-पतंग, पशु-पक्षी, —कुछ न छूट पाए उससे! गेहूँ उसकी भूख का काफला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ।' [03] इससे यह समझा जा सकता है कि मानव वैयक्तिक रूप से स्वार्थी है, वह अपनी उदरपूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। मानवता का प्रश्न उसके लिए उदरपूर्ति के बाद आता है। वे आगे कहते हैं-'किंतु, चाहे कच्चा चरे, या पकाकर खाये- गेहूँ तक पशु और मानव में क्या अंतर है? मानव को मानव बनाया गुलाब ने! मानव, मानव तब बना, जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों का तरजीह दी।' [4] ये मानसिक वृत्तियों ही जीवन-मूल्य हैं जिनका पशुओं में अभाव पाया जाता है। रामराज्य की परिकल्पना को साकार होने का एकमात्र माध्यम बेनीपुरी जी गुलाब यानि मानसिक तृप्ति को मानते हुए लिखते हैं-'अहा! कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस-जगत् का नया लोक बसाएँगे।.....शौके दीदार अगर है, तो नज़र पैदा कर।।' [05]

आज की नारी ने अपने वैयक्तिक-मूल्यों, आत्मसम्मान, समानता इत्यादि को समझना एवं उसकी रक्षा के लिए प्रत्युत्तर देना भी सीख लिया है। इसीलिए सुहगिया अपने पति हरखुआ का सिर फोड़ देती है और कहती है-'अभी तो सिर पर मारा है-अबकी इसकी गर्दन काट लूँगी। निगोड़ा दिन भर बैठा रहता है और मेरे बटुए से पैसे चुराकर ताड़ी पीता है, उल्टे मुझी पर दाँव चलाने आया था।' [06] मनुष्य का जीवन बहुत पेचीदा है। सामान्य रूप से तो हम सोचते हैं कि जीवन जो दिखता है वाकई में वही है किंतु यह अर्द्धसत्य है। वास्तव में बाहर से खुशहाल और चैन से जीने वाला इंसान कितना अकेला और टूटा हुआ होता है। इसकी बानगी बेनीपुरी जी के निबंध 'छब्बीस साल बाद' से प्राप्त होती है-'यह मानव क्या है? उसके हृदय में क्या-क्या छिपे हैं? जो-जो भावनाए, कामनाए, वेदनाए हमारे हृदयों में गड़ी पड़ी हैं, यदि वे कभी बोल उठतीं! उफ, सारा संसार रुदन से ओत-प्रोत हो जाता, आँसुओं की बाढ़ में बह जाता, विलीन हो जाता।' [07]

अत: यह मानना उचित होगा की संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने वैयक्तिक मूल्यों के आधार पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हुए समान है। सारे मनोभावों, सुख-दु:ख, मान-अपमान, अच्छाई-बुराई की अनुभूति उसे एक समान होती है। किंतु परिस्थितिवश वह अपनी कुछ संवेदनाओं को दबा देता है एवं कुछ को मुखरित करता है।

2. 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त सामाजिक मूल्य – बेनीपुरी जी ने मनुष्य के सामाजिक बनने की प्रक्रिया को सामूहिक श्रम से जोड़कर देखा है। सामाजिकता का विकास गाँवों से होता है। जब लोग मिल जुलकर खेतों में परिश्रम करता है, तब काम के बोझलपन को कम करने के लिए गीत-संगीत की रचना करते हैं, इससे उसकी कार्यक्षमता का विकास होता है। वही दिनभर

* शोधार्थी , म.गाँ.चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर, म.गाँ.चि. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

की थकान को दूर करने का माध्यम भी यही गीत बनते हैं। इसी संगीत ने हमें मनुष्य बनाया है। किंतु यदि हम उदरपूर्ति की चिंताओं तक ही सीमित रहते तो हम भी पशु ही बने रह जाते। अत: मनुष्य की इस विशेषता को रेखांकित करते हुए बेनीपुरी जी ने लिखा–'उसका प्रथम संगीत निकला, जब उसकी कामिनियाँ गेहूँ को ऊखल और चक्की में कूट–पीस रही थी। पशुओं को मारकर, खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वह पतवार का पंख लगाकर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप–छप में उसने ताल पाए, तराने छोड़े। बाँस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बजाई।' [08]

इसी सामाजिक मूल्य की स्थापना के दर्शन निबंधकार को 'जहाज जा रहा है' में होते हैं। 'जहाज के पेट में कोलाहल है, पीठ पर कोलाहल है। निचले हिस्से में थर्ड क्लास के यात्री खचाखच भरे हैं, ऊपर डेक पर कुछ सफेदपोष बाबू चहलकदमी कर रहे हैं। यह जहाज नहीं जानता कि वह हमारे समाज का कितना सही प्रतिनिधित्व करता है,–वह तो बढ़ा जा रहा है।'[09] कई बार हम कोलाहल से तंग आ जाते हैं किंतु हम भूल जाते हैं, इसी कोलाहल ने हमें वन्य जीवों से बचाए रखा था, और आज तो हमारे उन बुजुर्गों के कान इस कोलाहल के लिए तरस रहें हैं। जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश चले जाते हैं। हमारे सामाजिक मूल्य जन्म और मृत्यु के समय ही अधिक व्यक्त होते हैं। हमारे समाज में अंत्येष्टि का अधिकार पुत्र को ही दिया गया है, इसीलिए सभी दम्पत्ति कम–से–कम एक पुत्र की आशा करते हैं। अंत्येष्टि के समय हम अपनी सभी संकीर्णताओं एवं द्वेषभाव से मुक्त होकर एक सच्चे सामाजिक प्राणी होते हैं, यह भाव इस रचना में इस तरह व्यक्त हुआ है–'यह क्या जल रही है? चिता, चिता, चिता? हाँ तीन चिताएं एक पंक्ति में! लोग मरते हैं? किंतु शायद आप जीवितों की गिनती भूल गए हैं! तो भी मरण कितना निष्ठुर, जीवन कितना मधुर! और, जीवन–मरण दोनों से उदासीन वीतराग–सा यह जहाज जा रहा है!'[10]

बेनीपुरी जी ने गाँव के यातायात के माध्यम से समाज में गरीबों के साथ हो रहे अन्याय और सामाजिक समानता, सामाजिक मूल्यों के हनन को दर्शाते हुए लिखा है–'अभी सड़क से बस गुजरी है–खचाखच भरी हुई! एक भारी भरकम सेठ–दम्पत्ति, कम उम्र रिक्शेवाले का कचूमर निकालते, वह जले जा रहे हैं।' [11] इस प्रकार ग्राम्य जीवन की आपाधापी और सामाजिक मूल्यों के पतन को लेखक ने बहुत खूबसूरती के साथ प्रकट किया है।

सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है प्रेम। प्रेम कब किसे नहीं होता और प्रेम के पीछे क्या–क्या नहीं बलिदान करना पड़ता। बेनीपुरी जी यह भी प्रश्न करते हैं कि वह कौन है जिसे प्रेम की पीड़ा कभी न कभी न हुई हो। इसलिए वे इस सामाजिक तथ्य व मूल्य को उद्घाटित करते हुए लिखते हैं–'लागल करेजवा में चोट! किसके कलेजे में कोई चोट कभी नहीं लगी। ये साढे तीन शब्द जीवन के परम सत्य को सीधे–सादे ढंग से कह गये हैं, इसीलिए इनमें एक मोहकता है, मनोरंजकता है, हृदय की आकृष्ट करने की ऐसी क्षमता है।'[12]

गाँव के जीवन में प्रेम तत्व की खोज बेनीपुरी जी ने बहुत सहज तरीके से किया है। गाँव में पनिहारिन जब मटकी लेकर चलती है, तो गाँव के छैलों के दिल किस तरह से मचलने लगते हैं, इसका सुंदर चित्रण 'पनिहारिन' है। किंतु उसके जीवन में सिर्फ मादकता और सौंदर्य ही भरा होता है। एक पनिहारिन अपना दर्द बयान करती है–'दुनिया को पानी पिलाती हूँ, किंतु, स्वयं प्यास से मरती हूँ। जब मैं सिर पर गागर लेकर चलती हूँ, लोग कहते हैं–रस छलकने लगता है। किंतु, मेरा रिक्त हृदय जो हाहाकार मचाये रहता है, यदि कोई उसे देख पाता, यदि कोई उसे सुन पाता।'[13]

गाँव के कठोर जीवन में जीवन को सरल बनाने के लिए साधारण स्त्रियाँ चाहे वह घासवाली हो, नाउन हो, भुँजइन हो या पनिहारिन, जानबूझकर लोगों को हँसी ठिठोली के लिए प्रेरित करती हैं। एक पनिहारिन के माध्यम से एक स्त्री के हृदय के भावों को बेनीपुरी जी ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है–'मेरे सिर पर गागर है, आँखों में काजल है, पीले वस्त्र पहन कर उस दिन घर से निकली। वह छैला गुनगुना पड़ा–'सिर पर घड़ा लिए पनिहारिन।' न जाने, क्यों मेरे घड़े से रस छलकने लगा। मेरी उदासीन आँखों में न जाने कहाँ से तिरछी चितवन आ गई?'[14]

3. 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त राजनैतिक मूल्य – जब देश की राजनैतिक सत्ता नागरिकों के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगती है, और सत्ता मद में चूर होकर उसका शोषण करती है तो राजनैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए किसी चक्रधर या धनुर्धर को आगे आकर सत्ता अपने हाँथ में लेना पड़ता है। बेनीपुरी जी ने 'गेहूँ बनाम् गुलाब' में इसी संघर्ष का चित्रण करते हुए लिखा है–'और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का–भ्रष्टाचार का, गन्दगी और गलीज़ का! वह विलासिता– जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी!'[15]

भारत कई बार विदेशियों का गुलाम बना, यदि इसके कारणों को देखा जाय तो इसका सीधा कारण देश के नागरिकों का राजनैतिक सत्ता में रुचि न रखना था। 1857 ई. के संग्राम से पहले किसी भी संघर्ष में आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए जब देश आजादी के कगार पर पहुँचता है तो 'नींव की ईंट' में बेनीपुरी जी देश के नागरिकों से राजनैतिक मूल्यों की अपेक्षा करते हुए उम्मीद करते हैं कि वे इस देश का नवनिर्माण करेंगे–'हर साल लाख गाँवों का नवनिर्माण! हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण! कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता! ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे। जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित है, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबन्दियों से अलग।........देश के नौजवानों को यह चुनौती है!'[16]

4. 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त आर्थिक मूल्य – बेनीपुरी जी यह मानते हैं कि अन्न और धन मनुष्य के लिए आवश्यक है, किंतु उसे सर्वोपरि नहीं माना जा सकता। इसीलिए पशु और मानव में अंतर स्पष्ट करते हुए बेनीपुरी जी लिखते हैं–'मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर! पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानान्तर रेखा में नहीं है!'[17] समय के साथ आर्थिक मूल्यों का समाज में किस तरह से विघटन हुआ इसका वर्णन करते हुए बेनीपुरी जी लिखते हैं–'अब गेहूँ प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, थकाने वाले, उबाने वाले, नारकीय यंत्रणाएँ देने वाले श्रम का–उस श्रम का, जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का–भ्रष्टाचार का, गन्दगी और गलीज का। वह विलासिता–जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी।'[18]

समाज में आर्थिक विषमता 'घासवाली' नामक निबंध में दिखता है। बेनीपुरी जी ने एक घासवाली एवं ताँगेवाले के बीच के प्रेम की तुलना अमीरों के प्रेम से करते हुए लिखा है– 'गरीबों का प्रेम ऐसा ही होता है–तालाब में एक ढेला गिरा, कुछ तरंगें उठीं फिर पानी शान्त। समुद्र के ज्वार–भाटे तो महलों में उठते हैं।'[19]

5. 'गेहूँ और गुलाब' में अभिव्यक्त धार्मिक/सांस्कृतिक मूल्य – बेनीपुरी जी ने गुलाब नामक निबंध में फूलों का राजा गुलाब को कहे जाने

के पीछे के तथ्य को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। गुलाब कहता है-'बहुत दिन गुजरे, तुम्हारे एक आदमी के सिर पर किसी ने काँटों का ताज रख दिया- आज तक तुम उसकी गाथा कथा कहते-सुनते चले आते हो। वह तुम्हारा शहीद शिरोमणि हो गया।' [20] ईसा मसीह ने अपने प्राणों की बलिदान देकर धार्मिक मूल्यों की स्थापना की।

धर्म के संस्थापकों से भी अधिक महत्व उसके प्रचारकों का है, जो अपने जीवन का बलिदान करके ईश्वर का संदेश जन-जन तक पहुँचाते हैं-'ईसा की शहादत ने ईसाई-धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए! किंतु, मेरी समझ से, ईसाई-धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने, जो उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया।'[21] बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में सम्राट अशोक ने अपने परिवार को समर्पित कर दिया। दधीचि ने धर्म के रक्षणार्थ अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिससे विदेशी वृत्रासुर का नाश हो।

उपसंहार – बेनीपुरी जी के शब्द चित्र संग्रह 'गेहूँ और गुलाब' में जीवन-मूल्यों को प्रमुखता से मुखरित किया गया है। कोई भी समाज तभी महान बन सकता है, जब उसमें मूल्यों को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाय। वैदिक काल से हमारी संस्कृति में मूल्यों को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, इसीलिए भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिया जाता रहा है। उसी संस्कृति को आज के परिदृश्य में नई परिस्थितियों में स्थापित करने का बेनीपुरी जी का प्रयास स्तुत्य है। मानव संवेदनशील प्राणी है वह अपने देश और समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। इनके निबंधों में यह बात प्रबलता से आई है। समाज का छोटा से छोटा तपका प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता, बलिदान, सत्य, न्यायप्रियता इत्यादि मूल्यों को समझता एवं उसके उपयुक्त ही व्यवहार करता है, इस बात को उठाने का महत्वपूर्ण कार्य 'गेहूँ और गुलाब' ने किया है। पनिहारिन, घासवाली, डोमिन, कंजर, कृषक स्त्रियाँ जीवन-मूल्यों के प्रति कितनी सजग हैं, इसे इस रचना के द्वारा जाना जा सकता है। इन व्यक्तित्वों में वैयक्तिक मूल्यों के प्रति सजगता है; इनमें सामाजिकता की भावना कूट-कूट कर भरी है; साधारण सा किसान या मजदूर भी देश के लिए मरना जानता है; धन के लिए ये धर्म को लुटाने के लिए तैयार नहीं हैं; बिना आडंबर के धर्म का सच्चा स्वरूप व संस्कृति का सही स्वरूप इन लोगों में विद्यमान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. शशि सहगल, नई कविता में मूल्य-बोध, पृष्ठ- 14।
2. डॉ. हुकुमचंद राजपाल, आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य, पृष्ठ-292।
3. सं. सुरेश शर्मा, बेनीपुरी ग्रंथावली भाग 1, गेहूँ और गुलाब,राधाकृष्ण प्रकाशन, संस्करण- 2013, पृष्ठ-195।
4. वही, पृष्ठ-195।
5. वही, पृष्ठ-198।
6. वही, पृष्ठ-223।
7. वही, पृष्ठ-238।
8. वही, पृष्ठ-195।
9. वही, पृष्ठ-199।
10. वही, पृष्ठ-200।
11. वही, पृष्ठ-200।
12. वही, पृष्ठ-239।
13. वही, पृष्ठ-232।
14. वही, पृष्ठ-233।
15. वही, पृष्ठ-196।
16. वही, पृष्ठ-203।
17. वही, पृष्ठ-195।
18. वही, पृष्ठ-196।
19. वही, पृष्ठ-232।
20. वही, पृष्ठ-207।
21. वही, पृष्ठ-203।

****

समकालीन उपन्यास और मन्नू भण्डारी

संदीप तानाजी कदम *

प्रस्तावना - उपन्यास साहित्य-प्रकार अन्य गद्य साहित्य से सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। आजकल उपन्यास विधा का ही अधिक बोलबाला है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने तो इसे मानव जीवन का चित्र कहा है। घटनाओं के माध्यम से जीवन की सरल अभिव्यक्ति होने के कारण यह विधा रम्य है। उपन्यास मूलत: यर्थाथवादी दृष्टि से गद्यात्मक विधा है। यह आधुनिक युग का गद्यात्मक महाकाव्य है। जिसमें वस्तुवादी जीवन-जगत की विशालता, विविधता, गंभीर भावबोध, नए मानव मूल्य और नए भौतिक प्रश्न अपने-आप साज-संभार के प्रकट होते है। वास्तव में उपन्यास ने आधुनिक युगीन यर्थाथवादी परिवेश में जन्म ग्रहण किया है। मानव चरित्र की नूतन दिशाएँ और सामाजिक, आर्थिक विचारों से उठनेवाले अनेक उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर व्यक्त करने का पूरा सामर्थ्य उपन्यास में दिखाई देता है।

सन 1960 के बाद ऐसी अनेक राजनीतिक, सामाजिक घटनाएँ हुई जिनके कारण आम आदमी, नव स्वतंत्रता, उससे मिलने वाले काल्पनिक आश्वासनों की स्थिति से ऊबकर एक नई सोच के लिए प्रयत्नशील हुआ आम आदमी में जब यह सोच आयी तब उसने सत्ता के विरोध में अपने आप को खडा कर लिया। क्योंकि आम आदमी का तत्कालीन राजनीति से मोहभंग होने लगा था। आम आदमी राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण जैसी अन्य समस्याओं से ग्रस्त था। जो अधिकतर स्वाधीनता के पश्चात् की राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है, जिससे समकालीन विचारधारा का अविर्भाव साहित्य में परिलक्षित होने लगा। इससे उपन्यास साहित्य भी अछूता नहीं रह सका है। ऐसी विचारधारा के उपन्यास समकालीन कहलाए जाने लगे है। स्वतंत्रता के बाद साहित्य सृजन के जो नए आयाम विकसित हुए उन्हें विभिन्न दशकों में विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। समकालीन साहित्य उनमें से एक है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। समकालीनता में एक ही समय में रहने या होने का अर्थ निहित है, जो अंग्रेजी भाषा के 'कान्टैम्पोरेरी' का हिन्दी पर्याय है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में समकालीनता के पर्याय के रूप में समसामयिकता का प्रयोग किया जाता है। 'सम' उपसर्ग लगाकर 'सामयिकता' यह शब्द बढ़ाकर पारिभाषिक चरित्र धारण कर चुका है। 'समकालीनता वह समग्र चेतना है, जो सामयिक सन्दर्भों, दबावों और तकाजों के तहत विशिष्ट स्वरूप धारण करती है। समकालीन अपने देश-काल के विशिष्ट सन्दर्भों से ही स्वरूप लेती है, उनके बिना उसकी स्थिति सम्भव नहीं है।'[1] समकालीनता के संदर्भ में एक अन्य शब्द 'आधुनिकता' भी विचारणीय है। क्योंकि वह आधुनिक जीवन मूल्यों से भी जुड़ा होने से समकालीनता की मुख्यधारा का वाहक माना जाता है। समकालीनता का सीधा आशय अपने समय के प्रति ईमानदार होना है।

समकालीन हिन्दी उपन्यास व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व के परिवेश में भोगे क्षणों की तीव्र अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम है। वह समाज के वर्ग से हटकर व्यक्ति तथा उसकी अन्त: चेतना को अत्याधिक प्रधानता दे रहा है। 'समकालीन जीवन की, अनेक समस्याएँ रूपायित करते हुए जो किसी वर्ग विशेष के सीमित कटघरे में आबद्ध नहीं हुए। उच्च वर्ग की ऐय्याशी के फलस्वरूप उसमें व्याप्त मानसिकता, अशांति, आन्तरिक उलझनें, पारिवारिक भटकाव आदि से लेकर मध्यवर्ग के मानस का बौद्धिक एवं वैचारिक संघर्ष, निम्नवर्ग का असंतोष, विक्षोम, अनास्था और झोपडपट्टी की घिनौनी बस्ती में अपनी जिन्दगी की रोजमर्रा की जटिल समस्याओं की गर्त में पाने की वजह से उनकी मासूम वेदना को साठोत्तरी उपन्यास ने सफलतापूर्वक मुखरित किया है।'[2] समसामयिक जीवन में व्याप्त जटिलता, विसंगति, मूल्यों के विघटन और मूल्यहीनता का समकालीन उपन्यासों में अंकन हुआ है। उसी के साथ समकालीन उपन्यास क्षेत्र में सामाजिक, व्यक्तिवादी, समष्टि-व्यष्टिपरक आदि धाराएँ दिखाई देती है। समकालीन उपन्यास व्यक्तित्व बोध, युगबोध, भावबोध तथा नये संवेदना का उपन्यास है। इन उपन्यासों में कथानक नदारद-सा है और चरित्रों का भी कोई खास महत्त्व न रह जाने से व्यक्ति को असहाय, निरर्थक, फालतू और असंगत बनानेवाले बाह्य परिवेश, आन्तरिक संघर्ष तथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संघर्षो का चित्रण होने लगा। ऐसा चित्रण करने वाले समकालीन उपन्यासकारों की नई पीढी उभर आयी हैं। जैसे डॉ. शिवप्रसाद सिंह, डॉ. रामदरश मिश्र, जगदीशचंद्र, मधुकर सिंह, मंजुल भगत, मधुकर सिंह, अमृतलाल नागर, मन्नू भण्डारी, शैलेश माटियानी, गिरिराज किशोर, अब्दुल बिस्मिल्लाह, जयप्रकाश कर्दम, प्रेम कपाडिया, मदन दीक्षित, भाई सत्यप्रकाश, मैत्रेयी पुष्पा, कौशल्या बैसंत्री आदि। इनमें से मैं मन्नू भण्डारी के उपन्यासों से अधिक परिचित रहा हूँ, क्योंकि उनके साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है।

मन्नू भण्डारी हिन्दी उपन्यास साहित्य की सुप्रसिद्ध और बहुत चर्चित कथाकार है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्यप्रदेश के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम श्री सुख सम्पत राय भंडारी है। मन्नूजी की शिक्षा अलग-अलग स्थानों पर हुई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी वह प्रभावित रही है। स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय न होते हुए भी साहित्य के प्रति रूचि के कारण उन्होंने हिन्दी का अध्ययन किया। काशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा हिन्दी में उत्तीर्ण की। उसके बाद 'बालीगंज शिक्षा सदन' में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। लेखन क्षेत्र में कार्य करते समय उनका परिचय राजेंद्र यादव जी से हुआ। राजेंद्र यादव उस समय हिन्दी साहित्य जगत के प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनका यह परिचय कालान्तर

* भवानी नगर तहसील-वालवा, जिला-सांगली(महाराष्ट्र) भारत

में घनिष्टता में बदल गया। परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने 1956 में राजेंद्र यादव जी से विवाह किया। पिता के घर जो संस्कार प्राप्त हुए थे, वही पति के घर में भी मिले। विवाहोपरान्त अपने लेखन के संदर्भ में मन्नू जी का स्वयं कहना है 'जहाँ तक मेरे लेखन का सवाल है, निश्चय ही राजेंद्र के साथ ने उसे बहुत सँवारा और समृद्ध बनाया है। अनुकूल वातावरण, समान धर्मा मित्र मंडली, हर समय लेखन और लेखकीय समस्याओं से गुजरना इन सबने एक प्रेरणास्पद वातावरण तो मुझे दिया ही, खुद एक बेहद समर्पित लेखक होने के नाते जब से राजेंद्र का लिखना कुछ कम हुआ है, ये सारे समय लिखने के लिए मेरी जान को लगे रहते है।'[3] दूसरी ओर भी लेखन के प्रति उनकी मान्यता रही है कि 'लिखने की एक अनिवार्य शर्त है 'आब्जेक्टिविटी' जब आ। अपनी ही चीजों का तटस्थ होकर विश्लेषण करते हैं, तो आपका सारा रवैया बदल जाता है।'[4] मन्नू जी की कहानियों तथा उपन्यासों में परम्परागत बंधी हुई जीवन शैली का चित्रण न होकर परिस्थितिजन्य सत्य का आग्रह मिलता है।

मन्नू जी के उपन्यासों की संख्या भले ही कम है, पर एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज जैसे उपन्यासों के कारण उनकी तुलना प्रतिष्ठित उपन्यासकारों में होने लगी है। मन्नू जी के उपन्यासों के बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखा है 'स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीवन का जो लेखा-जोखा है, विशेषत: नगरीय नारी जीवन की जो वास्तविकताएँ हैं, उनका सही सटीक वास्तविक आकलन हमें मन्नू जी के उपन्यासों में उपलब्ध होता है। मन्नू जी के उपन्यासों की संख्या कम हैं, परंतु समय की बात कहने में वह कहीं भी चुकी नहीं हैं।'[5] मन्नू जी की तमाम रचनाएँ उनकी अपनी मान्यताओं का वहन करती चलती है। उनके साहित्य में स्त्री-चरित्रों को प्रमुखता प्राप्त हुई है। उनमें स्त्री का एक नया रूप उभर कर सामने आया है। यह जानने के लिए मैंने उनके उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। 'एक इंच मुस्कान' यह मन्नूजी का प्रथम उपन्यास है। जो उन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ सम्मिलित रूप में सन 1961 में लिखा है। जो 252 पृष्ठों एवं चौदह परिच्छेदों में विभक्त हैं। इसका पहला प्रकरण राजेंद्र यादव जी ने लिखा है, तो दूसरा मन्नू जी ने लिखा है। इस उपन्यास की कथावस्तु तीन पात्रों के आसपास घूमती है। इसमें अमर, रंजना और अमला प्रमुख पात्र हैं। अमर एक लेखक है और रंजना उसकी प्रेमिका एवं प्रशांसिका है। परंतु अमर अपनी प्रेरणा अमला को मानता है। अमला अपनी धनाढयता, सुंदरता और अभिव्यक्ति की सरसता के कारण अमर को अपने वश में कर लेती है। अमर रंजना के नजदीक न आए और न शादी करे इस कारण वह अमर को कहती है, 'जानते हो मैं यही सोच रही थी कि, अब तुम शादी कर लोगे, फिर तुम्हारा परिवार होगा, बच्चे होगें, जिम्मेदारियाँ होगी, नहीं, अमर नहीं, मुझे लगता है, कलाकार के लिए ये जिम्मेदारियाँ घातक हैं, वह मुक्त प्राणी है।'[6] अमला के इतना कहने पर भी अमर रंजना से विवाह कर लेता है। परंतु उसका विवाह सफल नहीं हो पाता है।

अमर विवाह होने पर भी अमला से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता है। दोनों एक-दूसरे से मिलते रहते है। रंजना इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है तब वह अमर को छोडकर चली जाती है। तब उसका कथन ही उसकी मनस्थिति को खोलता है-'तुम्हारे हर व्यवहार की प्रतिक्रिया, तुम्हारी उपेक्षा, अवहेलना, तुम्हारे झूठ, छल और विश्वासघात की प्रतिक्रिया पर प्रहार किया है, हर बार मेरा मन बुरी तरह टूटा है, तडपा है, सिसका है।'[7] इतना ही नही वह पति के शारीरिक उपभोग का भी सुख न ले सकी। यह देखते हुए ऐसा लगता है कि, यह उपन्यास प्रेम की तलाश की मुख्य समस्या से जुडा है।

लेखन की दृष्टि से 'आपका बंटी' यह मन्नू भंडारी का प्रथम स्वतंत्र उपन्यास माना जाएगा। इसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ था। इस उपन्यास में लेखिका ने बंटी नामक बालक का मर्मस्पर्शी चित्रण करते हुए आधुनिक व्यक्ति चेतना, संपन्न नारी की समस्या की ओर संकेत किया है। तो दूसरी ओर तलाकशुदा पति-पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिन्दु से उठाया है। बंटी शकुन-अजय का पुत्र है। शकुन एवं अजय दोनों अह्म की भावना से ग्रस्त होने के कारण उनमें समझौता नहीं हो पाता और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शकुन दिल्ली और अजय कलकत्ता चला जाता है। बंटी यह चाहता था कि, पापा और मम्मी एक साथ रहे, पर ऐसा न हो पाता है वह दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते है। दोनों अलग होकर अपना अलग घर बसाते हैं, पर कोई भी बंटी के बारे में नहीं सोचता है। अजय मीरा के साथ विवाह कर लेता है और शकुन डॉ. जोशी से विवाह कर लेती है। शकुन बंटी को लेकर डॉ. जोशी के घर रहने जाती है। पर जब मम्मी डॉ. जोशी के बच्चों से प्रेम करती है, तब यह बंटी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने पापा के पास रहने चला जाता है। वहाँ भी वह दूसरी माँ मीरा को स्वीकार नहीं कर पाता है। अंत में बंटी की हालत 'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का' की तरह हो जाती है। माता-पिता होने के बावजूद भी अपना जीवन अनाथ की भाँति होस्टल में रहकर बिताता है। इससे हमें पता चलता है कि, स्त्री शिक्षा के बढते प्रचार-प्रसार से आधुनिक स्त्री जहाँ आत्मनिर्भर हुई है, वहाँ दूसरी तरफ उसने कतिपय सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया हैं। मन्नू जी अपने इस उपन्यास के बारे में लिखती है,'मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता-पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना-अपना व्यक्तित्व होता है। इस सारी परिस्थिति में बच्चों पर क्या प्रतिक्रिया होती है।'[8]

'महाभोज' यह मन्नू भंडारी का सन 1979 में लिखा स्वतंत्र रूप से दूसरा उपन्यास है। जो नौ परिच्छेदों में विभाजित है। यह उपन्यास मिश्रित परिवेश से सम्पृक्त है, क्योंकि उससे जुडे हुए अधिकांश पात्र नगरीय परिवेश के है। उपन्यास के घटनास्थल गाँव होते हुए भी घटित होनेवाली सारी घटनाओं के मूल पात्र शहरी हैं। महाभोज यह उपन्यास एक हरिजन युवक की निर्मम हत्या और उससे बननेवाले परिवेश की व्याख्या करता है। राजनीति में चल रही कूटनीतिज्ञता का भी यर्थाथ चित्रण करता है। इतना ही नही राजनीतिक जीवन में आई हुई मूल्यहीनता, तिकडमबाजी, शैतानियत और सडांध का चित्रण करनेवाला उपन्यास हैं। महाभोज की रचना में सरोहा गाँव के एक दलित युवक बिसेसर की जमींदार द्वारा की गयी हत्या का वर्णन है। उपन्यास के आरंभ में 'लावारिश लाश को गिद्ध नोच-नोच कर खा जाते है। पर बिसेसर लावारिस नहीं उसकी लाश सडक के किनारे पुलिस को पडी मिली, इसलिए लावारिश लाश का ख्याल आ गया। वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हो पर हैं।'[9] पुलिस ने भी लाश को लावारिस करार दे दिया। बाद में बिसेसर की हत्या को राजनीतिक तिकडमबाजों ने उपचुनाव का मुद्दा बना दिया और हत्या का आरोप उसके मित्र बिंदा पर लगा दिया। क्योंकि बिंदा दलित वर्ग का उभरता नेतृत्व था। जिसे जेल में बंद कर देना दलित वर्ग के राजनीतिक शोषण का हिस्सा बना दिया है। बिसेसर ने भी जब शोषण के प्रति आवाज उठायी तब शोषक व्यवस्था ने उसके संघर्षशील व्यक्तित्व की आवाज बंद कर दी थी। बिसेसर, बिंदा और हीरा उस निम्न वर्ग के प्रतिनिधि है, जिनकी लाश गिद्ध नोच रहे हैं। लोचन भैया और एस.पी.सक्सेना परम्परा सिद्ध मानवीय मूल्यों के बलि चढ जाते हैं। दत्ता बाबू और सिन्हा अपने मूल्यों को ताक पर रखकर अधिक से अधिक भौतिक सुविधाए जुटाते हैं। इस तरह उपन्यास में समकालीन युग की राजनीतिक,

सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक समस्याओं को उठाया हैं।

मन्नू भण्डारी के उपन्यास साहित्य के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि, मन्नू जी मानव-मनोविज्ञान के आधार पर मन की गहराईयों तक पहुँचने में सफल हुई हैं। समकालीन परिस्थितियों में भी 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास प्रयोगशीलता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसी तरह उपन्यास में प्रेम की तलाश की मुख्य समस्या यह है कि प्रेम दो व्यक्तियों को सभी बिन्दुओं पर नहीं मिलता। बल्कि वे किसी एक बिन्दु पर तो मिलते हैं। 'आपका बंटी' उपन्यास को भी सामाजिक समस्याओं से जूझते हुए मानव की अन्तरानुभूतियों को सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचा देता है, जहाँ मनोविज्ञान और समाजशास्त्र अपने आप में जाकर मिल जाते हैं। बंटी की समस्या बंटी की नहीं बल्कि विश्व भर के बंटियों की बनकर रह जाती हैं। 'महाभोज' उपन्यास में भी राजनीतिक परिवेश में वर्तमान व्यवस्था तथा समाज का नग्न ढाँचा प्रस्तुत किया है। राजनीति में चल रही समकालीन कूटनीतिज्ञता का यर्थाथ चित्रण किया है। अंत में हम यह कह सकते है कि, मन्नू जी का उपन्यास साहित्य आधुनिक जीवन की विशेषताओं, उसके नए मूल्यों को उकरनेवाला तो है ही, उसी के साथ उसमें समकालीन जीवन की विद्रुपताओं और अवमूल्यों को छानने की विवेक बुद्धि भी मिलती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन कविता - वैचारिक आयाम् डॉ. बलदेव वंशी, पृ. क्र - 17
2. साठोत्तरी हिन्दी साहित्य का परिप्रेक्ष्य - हिन्दी विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पृ. क्र - 54
3. उपन्यासकार मन्नू भण्डारी - एक अध्ययन - माधुरी वाजपेयी, पृ. क्र - 10-11
4. सारिका अगस्त, अंक-1, 1978, पृ. क्र - 13
5. मन्नू भण्डारी के कथा साहित्य में मानव जीवन की समस्याओं का निरूपण - डॉ. दिलीप मेहरा, पृ.क्र - 45
6. एक इंच मुस्कान - राजेंद्र यादव और मन्नू भण्डारी, पृ. क्र - 44
7. एक इंच मुस्कान -राजेंद्र यादव और मन्नू भण्डारी, पृ. क्र- 196
8. आधुनिक लेखिकाओं के नगरीय परिवेश के उपन्यास - डॉ. पारूकान्त देसाई, पृ. क्र - 26
9. महाभोज - मन्नू भण्डारी, पृ. क्र - 07
10. समकालीन हिन्दी उपन्यास - वर्ग एवं वर्ण संघर्ष - डॉ. जालिंदर इंगळे।

****

आँचलिक उपन्यास की अवधारणा और मैला आँचल

तरूणेन्द्र प्रसाद साकेत *

प्रस्तावना – 'मैला आँचल' के पहले संस्करण की भूमिका में खुद रेणु ने उसे ऑचलिक' कहा था, जिसका कथा केन्द्र पूर्णिया है। पर जिसके एक छोटे हिस्से या सीमित अंचल को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया गया है। रेणु के शब्द है – 'इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुन्दरता भी, कुरुपता भी– मै किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया।' यही है वह खास जीवन संदर्भ – जो रेणु को औपन्यासिक यथार्थ भी है और दृष्टि बिन्दु भी जिससे यथार्थ को देखा जा रहा है। जहॉ बाह्य नैतिकता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वही आन्तरिक नैतिकता के लिए छटपटाहट भी है। इस द्वंद के कारण ही 'मैला ऑचल ऑचलिक उपन्यास भी है और आधुनिक उपन्यास भी। आखिर एक विशेष अर्थ में 'मैला ऑचल में' बालदेव, लक्ष्मी कोठारिन, बामनदास जैसे कितने ही खरे जीवन, सजीव जीवंत चरित्र है पर कोई एक चरित्र उसमें केन्द्रियता नहीं प्राप्त करता। एक अर्थ में वह सजीव ग्रामांचल ही उपन्यास में नायकत्व प्राप्त करता है। जिसमें मानवीय उदात्तता और विकट ऊल–जुलूल का अद्भुत संयोग है। परस्पर विरोधी मान्यताओं के टकराव के बावजूद गहरी जीवनशक्ति 'मैला आँचल' का बीजभाव है। संघर्ष के मूल उद्देश्य के साथ ही एक ट्रैजिक लय उपन्यास के कथा प्रावाह के आद्यंत मौजूद है। पर वह नकारात्मक नहीं है। जीवनशक्ति के मूल भाव से ही सम्बद्ध है।

कहना न होगा, भारतीय उपन्यास की भारतीयता को निर्धारित करने में समयबोध की विशिष्टता और गहरी स्थानीयता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बल्कि स्थानीयता के गहरे अहसास मे ही समय का बोध भी शामिल है, घुला मिला है। एक तरह से देखा जाए तो इस पिछड़े ग्रामांचल में मलेरिया सेन्टर के खुलने भर से हलचल सी पैदा हुई है। पर दूसरी ओर एक असहाय जडता या सूनापन भी इसमें व्याप्त है। बालदेव और कालीचरण जिन विचारधाराओं के प्रतिनिधि या प्रतीक है उनके आगे भी विचार–संस्कार का संघर्ष कई स्तरों पर मौजूद है। बामनदास जिन मूल्यक्षय का त्रासदी को लेकर क्षुब्द या हतास है वहाँ सारा जीवन–व्यापार स्थगित है। वह जीवन सीमान्त कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ संथाल–संथालिनों का संघर्ष या प्रतिरोध अंकित है। उसकी एक अपनी नई भाषा है। यह विद्रोह जीवनशक्ति से बाहर की चीज नहीं है। कथा एक छोर पर है, बन्ध्या धरती का विशाल अंचल जिसमे धूप भी नहीं पनपती। दूसरे छोर पर वह अनिवार्य संगीत जो शोषण और दमन के घटना चक्र में और मुखर या तेज होता जाता है।[1]

मेरीगंज एक बडा गांव है – बारहो बरन के लोग रहते है। गाँव के पूरव एक धारा है, जिसे कमला नदी कहते है। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम मे बडें बड़ें गढ्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलो से भरे हुए गढ्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्ही गढ्ढो में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोतहट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकाने आती है। कमला के महातम के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते है गांव में किसी के यहां शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, ग्रहपति स्नान करके, गले में कपडे की खूट डालकर, कमला–मैया को पान–सुपाडी से निमंत्रित करता है। उसके बाद पानी में हिलोल उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। किनारे पर चाँदी के थालो कटोरो और गिलासो का ढेर लग जाता था। ग्रहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया का लोटा आता था। लेकिन सभी की नियत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक ग्रहपति ने कुछ थालियों और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बन्द कर दिया और उस ग्रहपति का तो वंश ही खत्म हो गया – एक दम निर्मूल। उस बिगडी नीयत वाले ग्रहपति के बारे में गांव में दो राय है – राजपूत टोली के लोगों का कहना है, वह कयस्थ टोली का ग्रहपति था, कयस्थ टोली वाले कहते है, वह राजपूत था। राजपूतों और कयस्थो में पुस्तैनी मन–मुटाव और झगड़े होते आए है। ब्राम्हणो की संख्या कम है, इसलिए वे हमेषा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे। सारे मेरीगंज में दस आदमी पढे लिखे है फिर पढे–लिखे का मतलब हुआ अपना दसखहत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है पन्द्रह। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रवी की फसल भी कभी–कभी अच्छी हो जाती है।[2]

फणिश्वरनाथ रेणु के उपन्यास सही अर्थो में 'अंचलिक' है। सत्य तो यह है कि 'मैला आँचल' और परती परिकथा' में ग्रामांचलो के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिलते है, उतने अन्य तथाकतिथ आंचलिक उपन्यासों में नहीं। इन दोनों उपन्यासो में ग्रामांचल की छोटी–छोटी घटानाओं, कथाओ, आचार–विचार, रीति नीति, राजनितिक, नैतिक अवधारणाओ, पारस्परिक संबंधो आदि के विश्लिष्ट चित्र मिलते है' जो पूरे अंचल के संदर्भ मे संश्लिष्ट और गत्यात्मक हो गए है। आधुनिकतावादी उपकरणो के सन्निवेष में गांव का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। इस बदलाव में ही अवसरवादी कांग्रेसियों (स्वतंत्रता के बाद अधिकांश कांग्रेसी अवसरवादी हो चुके है' के नाकाब उतारकर युवा पीढी के संघर्षो को जिस ढंग से चित्रित किया गया है, वह रेणु की एतिहासिक धारा का पहचान का सूचक है। पर यह पहचान अपने रुपायन और परिणिति ने रोमांटिक तथा आदर्शवादी है। फिर भी, रेणु को आंचलिक उपन्यासो मे एक विशिष्ट सम्पूर्णता दिखाई देती है, जो आगे लिखे जाने वाले ग्रामांचलीय उपन्यासो के विकास में बाधक सिद्ध हुई है।[3]

भवेश ने देखा है' धरती पर रंग फैलते है। दस साल पहले, एक सुभ चिंतक व्यक्ति की कृपा से, रोटरी क्लब में उसने एक छायाचित्र देखा था–

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

टैनिसी वाले स्कीम का आयोजन। 20वीं सदी के अर्थनैतिक जगत के महाजन मूल के अंतर्गत टैनिसी अंचल के किसानों की अवस्था देखकर वह अवाक् हो गया था। हिन्दुस्तान के अभागे किसानों से किसी भी मायने में कम नहीं। इसी तरह पुराने हल से खेती करते थे, टूटे-फूटे झोपड़ों में रहते थे, राह-धार वट की असुविधा, ठीक इसी तरह। इसके बाद दिखलाया गया टैनिसी योजना का सुत्रपात - इस संबंध मे जनमत ग्रहण । - योजना के पक्ष में राय लेने, इसका उपयोगिता के संबंध में स्पष्ट धारणा पैदा करने का आयोजन। और छायाचित्र के अंत में स्कीम के कामयाब होने के बाद, उस उजाड़, बंजर और बेकार अंचल मे युगांतकारी परिवर्तन। दिन फिरे है किसानों के खेतो के ट्रेक्टर चल रहे है, नई-नई मशीनो के द्वारा फसल काटी जा रही है। हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी का सहायता से बड़े-बड़े कल-कारखाने खुल गए। सब मिलाकर ऐ स्वप्न लोग की सृष्टि साकार.........।[4]

'परती परिकथा' में पूणिया जिले के ही परानपुर गाँव की कथा का केन्द्र बनाया गया है। इसमे 'रेणु' ने आजादी के बाद गांवो में टूटते बिखरते समांती अवशेषों और उनके बीच से उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने का प्रयत्न किया है। परानपुर गांव के जमीदार स्वर्गीय शिवेन्द्र मिश्र का बेटा जितेन्द्र ढहते हुए सामान्ती युग और नये युग के बीच की कडी है। वह परानपुर का धुसर परती को ट्रेक्टर से और वहाँ के लोगों के मन की परती को अपने नवीन विचारों से तोड़ता है। कोशी प्रोजेक्ट के रुप में वीरान-परती का हरा-भरा करने की योजना सफल होती है और परानपुर गॉव मे जीवन के प्रति नया विश्वास पैदा होता है।[5]

हिन्दी उपन्यास में भी रेणु के प्रथम दो उपन्यासों की टक्कर के ग्रामीण परिवेश । वहाँ के आचार-विचार विश्वास और तौर तरीके बाद के उनके उपन्यासों में भी नही है। ऑचलिकता के अर्थ को और भी विकसित और रुपांतरित करके ग्राम को भी उसका मूल न मूलकर शहरो तक ले जाने का प्रयास होने लगा। जो भी हो भाषा, पिछडेपन, अछूते भूखंड की जनता के परिवेष और आचार-विचार ही ऑचलिकता का मापदण्ड रहा। यथार्थत: ऑचलिक उपन्यास सामाजिक उपन्यासो की एक लघु प्रवृति मात्र है, इसके भीतर दलित, असभ्य जनजाति, स्त्री-समूह आदि के सुख दुख की कथा क्षेत्र विशेष व वस्तु विशेष को मुख्य पात्रवत् मानते हुए चित्रित होता है।[6]

प्रेमचन्द्र के उपन्यासो में समसामायिक जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण हुआ है। पर उनके उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ शहरी संस्कृति के साथ चित्रित है। 'मैला आँचल' (1954) के साथ फणीश्वरनाथ रेणु उपेक्षित अंचल को उसके भूगोल और विशिष्टताओ के साथ इस तरह लेकर आए की 'अंचल विशेष' ही सुप्दरता और कुरुपता के साथ अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व पाया गया। इन उपन्यासो मे आंचलिक जीवन का व्यक्तित्व सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विशेषताओं रीति-रिवाजों ,मुहावरे, कहावतें, लोक-विश्वासों, उत्सव, त्योहारों, पशु-पक्षिओं, वनस्पतियों, भौगोलिक, विशेषताओं का एक थिरकते हुए संगीत और रुमानी लय के साथ चित्रित हुआ है। फणीश्वरनाथ रेणु ने बिहार के पूर्णिया जिले के इस ऑचलिक भू-भाग को सम्पूर्ण व्यक्तित्व दिया है। भोजपुरी के बोलीगीत प्रयोगो से ऑचलिक शिल्प दिया है।[7]

ग्रामांचल को समग्रता से चित्रित करने वाले उपन्यासों को ही ऑचलिक कहकर ऑचलिकता कें अर्थ को सीमित कर दिया जाता है। फलस्वरुप रेणु के 'मैला ऑचल' के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनमा (1952) प्रकाशित हो चुका था। पर इसे ऑचलिक नही कहा गया। यद्यपि इसमें ऑचलिकता का कम रंग नही है। नागार्जुन के उपन्यासो में दरभंगा-पूर्णिया जिले का राजनितिक सांस्कृतिक साक्षात्कार होता है। इनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण गॉव की कहानी पर आरोपित प्रतीत होता है। कथानक स्वयं विकास न होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलता है। इसके फलस्वरुप उपन्यासों की सर्जनात्मकता शिथिल और अवरुद्ध हों जाती है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों को ही सर्वप्रथम ऑचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गयी क्योंकि रेणु ने स्वयं ही 'मैला ऑचल' को ऑचलिक उपन्यास कहा।[8]

डॉ. जगदीश चन्द्र जोशी ने भी हिन्दी के ऑचलिक उपन्यासों साहित्य में मानव की प्रतिष्ठा संबंधी प्रदेश को स्वीकारते हुए लिखा है - 'महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यत: ऑचलिक उपन्यासों में अनास्था का स्वर नही मिलता। उसमें मानव पर सम्पूर्ण आस्था है। वह मानव या जो दूर रहा है और टूटने से नया बन रहा है। सारे राष्ट्र में जो विकास आ रहा है। बांध, बडी-बडी नहरे, बिजली घर, कारखाने और उस भविष्य में आस्था जिसमें मानव सर्वोपरि होगा। यह वास्तव में इन उपन्यासों की सबसे बडी विशेषता है।[9]

डॉ. त्रिभुवन सिंह ऑचलिक उपन्यासों के कथ्य की सीमाओं की ओर संकेत करते हुए कहते है- 'ऑचलिक उपन्यासकार को चाहिए कि वह अपनी कृति में ऐसे ही तत्वों को स्थान दे जो राष्ट्रीय एवं सामाजिक समास्याओं को सुलझाने में सहायक हो सके। प्राय: ऑचलिक उपन्यासकार अंचलो की बुराइयों (भाई-भतीजावाद, जातिवाद, प्रांतीयता) में ही इस लेने लगते है और साहित्य के उद्धेश्य से दूर चले जाते है।[10]

'मैला ऑचल' की ऑचलिकता और आधुनिकता को अलग-अलग करके नहीं समझा जा सकता है। अन्तर्वस्तु रुप और विचारधारा को समग्रता में देयते ही रेणु द्वारा अविष्कृत उस खास युक्ति के गर्भ को समझा जा सकता है। जिसके अन्तर्गत ऑचलिकता और आधुनिकता का अन्तर्गइन अवधाराणात्मक न होकर जीवन समृद्धि के रुप में अपनी पहचान बनाता है। यह महतवपूर्ण है जीवन के प्रति सच्ची आसक्ति, सच्चे मानवीय लगाव, सभ्य समाज की जड़ीभूत वर्णना या निषेध की हँसी उडना रेणु की विनोदप्रियता उसी गहरी जीवनशक्ति का हिस्सा है जो पूरे उपन्यास का बीजभाव है। रेणु का मनोभाव एक आदर्श विचार व्यक्त करके आँचलिकता की अवधारणा सजीव ढंग से जीवंत किया है।

संक्षेप में यह कह सकते है कि रेणु के उपन्यास 'मैला आँचल' में ऑचलिक संबंधी सभी दृष्टिकोण जैसे ऑचलिक जीवन का व्यक्तित्व सांस्कृतिक, सामाजिक लोकतांत्रिक विशेषताओ, रीति-रिवाजों, मुहावरे, कहावते, लोक विश्वासो, उत्सव त्योहारों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, भौगोलिक विशेषताओं, का एक थिरकते हुए संगीत और रुमानी लय से सुशोभित सभी बिन्दुओं का बडे रोचक ढ़ग से 'ऑचलिकता की अवधारणा' को साकार किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपन्यास का पुनर्जन्म - परमानंद श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन प्रथम संस्करण, 1995 (पृष्ठ 53,54)
2. मैला ऑचल - फणीश्वरनाथ रेणु, राजकमल पेपरबैक्स ग्यारहवाँ संस्करण नई दिल्ली (पृष्ठ 15,16,17)
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास - डॉ. नागेन्द्र, मयूर पेपरबैक्स दिल्ली (पृष्ठ 68)
4. परती परिकथा - रेणु , डॉ. नागेन्द्र, मयूर पेपरबैक्स दिल्ली (पृष्ठ 18,19)

5. हिन्दी का गद्य साहित्य – डॉ. रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन नंवम संस्करण, वाराणसी (पृष्ठ 211)
6. समीक्षा का साक्ष्य – डॉ. के बनजा, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा प्रथम संस्करण 2008 (पृष्ठ 103)
7. हिन्दी कथा साहित्य – डॉ. गीता नायक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल द्वितीय संस्करण (पृष्ठ 23)
8. हिन्दी साहित्य का आर्वाचीन इतिहास – डॉ. राजेश श्रीवास्तव , कैलाश पुस्तक सदन भोपाल प्रथम संस्करण 2016 (पृष्ठ 121)
9. हिन्दी साहित्य– एक सर्वेक्षण , डॉ. जगदीश चन्द्र जोशी, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली (पृष्ठ 168)
10. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद – डॉ. त्रिभुवन सिंह, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, तीसरा संस्करण 2018 ,1994 (पृष्ठ 438)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

समाज और साहित्य

डॉ. गीता तिवारी *

प्रस्तावना – भारत अनादि काल से विश्व में एक महान राष्ट्र के रूप में विख्यात था कि यहाँ के मानव ने विश्व के अन्य स्थलों के मानव की तुलना में जीवन में एक अच्छी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण कर जीवन को बहुत आनन्दित बना लिया था और मानव जीवन ज्ञान–विज्ञान दर्शन और विविध कलाओं से अलंकृत होता गया था। साहित्य कला विज्ञान तथा दर्शन का ज्ञान सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य था जैसा कि भर्तहरी ने नीतिषतक में कहा है–

'साहित्य संगीत कला विहीन:
साक्षात पशुपुच्छ विशाण हीन:।[1]

अर्थात– साहित्य संगीत और कला से विहीन मानव समाज में रहकर भी पशु या पत्थर के समान है। समाज का वास्तविक प्रतिबिम्ब साहित्य ही प्रस्तुत करता है, मानव समाज के लिए साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। एक साहित्यकार का प्रयोजन होता है कि अपने सृजन से अधिक से अधिक समाज देश और मानव का उत्थान करना अर्थात साहित्य और समाज का अटटू सम्बंध है। साहित्यकार उस सम्बंध को दृढ़ बनाने के लिए मानव जीवन के उन पहलुओं को अपने काव्य द्वारा उद्घाटित करता है। जिससे एक उत्कृश्ट राष्ट्र समस्त जगत में प्रकाश भरता है। कविता मन में उद्धांत गुणों का विकास करती है। कविता पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर मानव में सदविचारों को प्रतिस्फुरित कर उसके जीवन को पूर्णत: सफल बनाती है। इसलिए कवि के बिना सम्पूर्ण जगत अन्धकारमय मालूम पड़ता है। कवि मैथिलीशरण गुप्त के काव्य भारत भारती में कहा गया है–

'हे अन्ध–सा अन्तर्जगत कवि–रूप सविता के बिना,
सदभाव जीवित रह नही सकते सु–कविता के बिना'[2]

किसी भी काव्य अथवा साहित्य की रचना किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर होती है, क्योंकि बिना प्रयोजन के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता है। साहित्य का सीधा सम्बंध जीवन से है, इसलिए जीवन की सफलता के सभी उद्देश्य, साहित्य के उद्देश्य है। साहित्य जितने प्रभावशाली ढंग से शिक्षा देकर जीवन को सफल बना सकता हैं। ज्ञान के स्तर क्षेत्र इतने–प्रभावशाली और सहज तरीके से मानव मन को प्रेरित नहीं कर सकते हैं– जिस प्रकार सृष्टि का विशेष उद्देश्य मंगल भाव है, उसी प्रकार साहित्य का भी विशेष प्रयोजन समाज का मंगल ही है। साहित्यकार मानव की आन्तरिक उद्धेलना को शान्त कर उन्हें एक नवीन जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है, जो एक औषधि की तरह कार्य करती है। साहित्यकार मानवीय व्यक्तित्व में सामंजस्य कर उनके अनुभवों को मधुर, सरस एवं संगीतमय बना आनंदित कर देता है। साहित्य व्यक्ति को उसके वास्तविक सामाजिक स्वरूप से परिचित कराता है। साहित्यकार का सम्पूर्ण साहित्य प्रयोजन ही लोक मंगल, लोक कल्याण की सहज भावना से आप्लावित होता है। जीवन से साहित्य का अटूट संम्बंध होने से काव्य समाज की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए जीवन के आदर्श और प्रयोजन ही साहित्य के आदर्श और प्रयोजन है।

पुरूषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी भारतीय जीवन दर्शन का आधार मानी गयी है। साहित्य से जीवन का निकट संम्बंध होने के कारण साहित्य का प्रयोजन भी इनकी प्राप्ति रहा है। रामायण, महाभारत भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न है। पं बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, 'रामायण और महाभारत हमारे जातीय इतिहास हैं।' भारतीय समाज की सभ्यता और संस्कृति का काव्य रूप इन ग्रन्थों में से जिस प्रकार फूट कर निकलता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह ग्रन्थ चारों पुरूषार्थो की उपलब्धि कराने वाला सम्पूर्ण कार्यो का साधक एवं कोकिल के मधुर गान की भाँति पूर्णतया पापनाशक है–

'धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्शम्
यदि हस्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् क्राचित्'[3]

महाभारत के महत्व को देखते हुए इसे पंचमवेद कहा गया है। इसमें नीति, धर्म एवं आचार–विचार की दृष्टि से भारतीय आत्मा का यथार्थ वर्णन हुआ है। 'रामायण और महाभारत दोनों भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न है'[4] जिसमें भारत की एकता तथा राष्ट्रीयता के दर्शन होते है। भारतीय संस्कृति का जैसा सजीव एवं गत्यात्मक चित्रण इस ग्रन्थ युगल में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सांसारिक दृष्टि से दोनों दो भिन्न काल की रचनाएँ है। रामायण कालीन संस्कृति का प्राण धर्म था तो वहीं महाभारत काल में कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। रामायण कालीन संस्कृति विशेष उन्नत अवस्था में थी उसमें आदर्श का, सदाचार का त्याग व तप का महत्व था, तो महाभारत कालीन संस्कृतिक आदर्शो का महान अन्तर दोनों रचनाओं में चित्रित समाज के आदर्शो में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

कवि को अपने आत्म संतोष के साथ लोककल्याण को ध्यान में रखकर काव्य रचना करनी चाहिए क्योंकि कवि साहित्य और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वैचारिक रूप से उसे समाज का दर्पण कहते है। वह लोक मंगल की चिन्ता किए बिना कार्य नहीं करता है। तुलसी ने काव्य प्रायोजन की ओर संकेत करते हुए रामचरितमानस में लिखा है कि 'यश, कविता और संम्पत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो'

'कीरति भनिति भूति भलि सोई,
सुंरसरि सम सष कहँ हित होई'।[5]

मैथिलीशरण गुप्त मानवता के उत्कर्ष के लिए ही साहित्य की रचना मानते है, उनके विचार में वही साहित्य उच्च होता है, जो सत्य का उद्घाटक हो, क्योंकि सत्य ही हमारे समाज की महत्वपूर्ण शक्ति है।

* अध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बरा, रीवा (म.प्र.) भारत

'साहित्य मानव जीवन के सत्य को सुन्दर से आवेष्ठित कर, मानव के सत्य को शिव से परिपूर्ण कर देता है'।[6]

गुप्त जी ने काव्य को मानव जीवन का प्रकाश कहा है, क्योंकि साहित्य मानव का कल्याण कर उसके जीवन में नवस्फूर्ति का संचरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ साहित्य ही समाज की सच्चाई को व्यक्त करता है। साहित्य जितना श्रेष्ठ होगा, वह उतना ही समाज का उत्थान करेगा।

व्यक्ति का जीवन भले ही समाप्त हो जाए लेकिन साहित्य उसकी जीवन गाथा को अभिव्यक्ति करके चिरस्थाई रूप प्रदान करता है। इसलिए उन्होंने कला को कल के लिए नहीं अपितु कला को जीवन के लिए स्वीकार किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने ऐसे काव्य साहित्य का निर्माण किया जिससे मानव अपने चरित्र को उदात्त बना सके। जो लोक हित का साधक बन सके जिसका प्रयोजन भारतीय समाज का मंगल करना हो, वे जन साधारण में ही भारतीय समाज के सर्वागीण विकास की परिकल्पना करते हैं। उन्होंने असद विचारों का परिष्कार तथा सदविचारों का नवीनीकरण करके एक आदर्श समाज की कल्पना की हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य के दो उद्देश्य बताए हैं। पहला है, काव्य का किस प्रकार से मानव समाज पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा प्रेषणीयता। साहित्य ही मानव में कर्म करने के प्रति जाग्रति उत्पन्न कर देता है। उसमें अपने उत्तरदायित्व को समझने और संभालने की क्षमता भी विकसित हो जाती है।

निष्कर्ष – भारतीय समाज की सुसंस्कृति संरचना में साहित्य का चरम प्रयोजन लोककल्याणकारी भावना है। साहित्य-मानवता के सभी कुत्सित भेद को मिटाकर अनश्चेतना को समन्वय के सूत्र से जोड़कर विश्व कल्याण का चरम उन्नय ही प्रत्येक साहित्य का परम लक्ष्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 भर्तृहरि यनीतिशतकम् 1/12
2 भारत भारती, भविश्यत् खण्ड,पृ.182
3 प्राचीन भारतीय सभ्यता, डॉ. जय किशन प्रसाद खण्डेलवाल।
4 प्राचीन भारतीय सभ्यता, डॉ. जय किशन प्रसाद खण्डेलवाल।
5 रामचरित मानस, तुलसी दास, पृ. 20
6 प्रिय प्रवास और साकेत की आदर्शगत तुलना विद्यावाचस्पति श्री वल्लभ शर्मा, पृ. 10

****

अनाामिका के उपन्यासों में पारिवारिक मूल्य

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री * आशा शरण **

शोध सारांश – अनामिका कथा साहित्य की प्रतिभाशाली आधुनिक लेखिका हैं। अनामिका हिन्दी कथा जगत की उन गिनी–चुनी लेखिकाओं में हैं जो अपने साहित्य में समाज के विभिन्न पक्षों को उभारा है। मूल्य संक्रमण के कारण पारिवारिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुए। जिसके परिणामस्चरूप अनेक पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। प्रस्तुत शोध पत्र में पात्रों के माध्यम से अनेक पारिवारिक समस्याओं को उजागर किया गया है।

प्रस्तावना – परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार के बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता है। परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है। वहीं पर रहकर वह नैतिक आदर्शों की शिक्षा प्राप्त करता है। डॉ. ज्ञानवती अरोड़ा के अनुसार, 'परिवार एक ही वंश से संबंधित संतान सहित या संतान रहित, पति–पत्नी से निर्मित एक संस्था है, जिसमें पारस्परिक हितों की रक्षा की जाती है। उत्तरदायित्वों का, आर्थिक सामर्थ्य और सदस्यों की शक्ति के अनुसार विभाजन किया जाता है और जहाँ पारिवारिक साधनों के समान उपयोग और स्नेह के सभी भागीदार होते हैं।'[1] वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन के कारण परिवार में भी परिवर्तन हुए हैं। आज व्यक्ति के मानवीय दृष्टिकोणों में परिवर्तन के कारण संबंधों में अजनबीपन समाता जा रहा है। परिवार के शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा की जाने लगी है। जिसके कारण पारिवारिक संबंधों में बदलाव देखा जा सकता है। परिवार में जो जीवनमूल्य थे, वे सभी बिखरने लगे हैं। इन जीवन मूल्यों के परिवर्तन के साथ ही परिवार के सदस्यों में भी परिवर्तन आने लगा है। परिवार को बाँधने वाले जो मूल्य थे, वे निरर्थक लगने लगे हैं। जिससे परिवार के लोगों में असुरक्षा, कुंठा, घुटन, अवसाद और कलह के कारण बिखराव उत्पन्न होने लगा है। अनामिका ने पारिवारिक मूल्यों में हो रहे परिवर्तन को विभिन्न उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया है।

परिवार में पति–पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर साहचर्य बनकर सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। जहाँ सहयोग करने पर परिवार सुदृढ़ होता है, वहीं कर्त्तव्यों की अवहेलना करने पर बिखरने लगता है। 'तिनका तिनके पास' उपन्यास में तारा की माँ पत्नी के रूप में पति की हर दशा में सेवा करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पति, पत्नी को सिफलिस हो जाने के कारण उससे कोई संबंध न रखकर उसे गाँव की एक अनाथ औरत के रूप में आश्रम में रखना चाहता है, तो वह अपने स्वाभिमान को बचाते हुए खुद घर छोड देती है और तारा की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहती है, 'चलती हूँ महात्माजी, यह शरीर बोझ तो है, पर इतना बड़ा बोझ भी नहीं कि सारी जिंदगी अपनी रोटी खुद चलाई और इस उमर में गाँव की एक अनाथ औरत बनकर आपके दरवाजे पर आन गिरूँ। बच्ची को ढंग से पाल दीजिए। अगर कोई आपका प्रायश्चित है, तो ये ही है।'[2] तारा की माँ पति के सामने लाचार नहीं दिखती है, अपितु उसे उसके कर्त्तव्यों का अहसास दिलाती है।

भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा जीवित रही है। जहाँ परिवार का हर सदस्य त्याग करने के लिए तत्पर रह करके पारिवारिक मूल्यों को जीवित रखता है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने एक ऐसे पात्र को प्रस्तुत किया है, जो उपेक्षा के बावजूद भी पूरे परिवार के लिए समर्पित है। अंसारी साहब की अम्मी जब दूसरी शादी अख्तर साहब से करती है, तो उनके साथ तीन पीढ़ियाँ रहती हैं। अख्तर साहब की माँ, उनकी पहली पत्नी के सात बच्चे और अंसारी साहब माँ के साथ अख्तर साहब के घर में रहते हैं। परन्तु नये घर में अंसारी साहब को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि नये घर में कोई भी अंसारी साहब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके चलते उनकी पढ़ाई रूकवा दी जाती है। इतने भेदभाव के बावजूद भी अंसारी साहब अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन्होंने अख्तर साहब के देहांत के बाद अपने कर्त्तव्यों का बडी संजीदगी से निर्वाह किया। अंसारी साहब के शब्दों में, 'फिर अम्मी के ज्यादा छटपट करने पर बी.बी.कॉलेजियट में मुझको भेजा ही था कि नये अब्बू भी फना हो गए और चूंकि मैं और बच्चों से बड़ा था, दादी, अम्मी और सात नन्हें भाई–बहनों का जिम्मा मेरे ही सर आ गया।'[3]

भारतीय परंपरा में पत्नी की स्वतंत्रता को पति कतई स्वीकार नहीं करता है। अत: दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। लेखिका ने उपन्यास की नारी पात्र अवंतिका देवी के संघर्ष की स्थिति को व्यक्त किया है। अवंतिका देवी को पति के अहं के कारण कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि पति द्वारा उसे राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण से मना किया जाता है, लेकिन अवंतिका देवी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पति से भावात्मक रूप से दूर होती चली जाती है। इस प्रकार पति से सहयोग न मिलने पर वह सोचती है, 'वे मेरे द्वारा की गई आलोचनाओं को कभी सही भावना से न ले सकें। मैंने लड़ते–लड़ते जब उन्हें छोड दिया, तब भी एक कामरेड जैसा आचरण मुझे उनसे न मिला। मुझे एक गठरी से अधिक कुछ न समझा गया, जिसे कोई उठा ले गया हो।'[4]

पति की क्षुद्र एवं संकीर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न संदेह के कारण दोनों के बीच पनपती कड़वाहट दाम्पत्य जीवन को दु:खी बना देता है। वैचारिक असमानता, संदेह, रूचिवैषम्य, नीरसता, आर्थिक कमजोरी, आर्थिक सम्पन्नता ऐसे कई पक्ष हैं, जो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न कर देते हैं। पति के मन में पत्नी के संबंध में निर्माण हुआ संदेह दाम्पत्य जीवन को ध्वस्त कर देता है। अवंतिका देवी परिवार और पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, तो भी उस पर संदेह किया जाता

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

है। जिससे अवंतिका देवी के संबंध पति के साथ सामान्य नहीं रह पाते। इसका परिणाम यह होता है कि उसे बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेखिका के शब्दों में, 'शुरू में जब ये समर्पिता थीं और एकनिष्ठ, उन्होंने बेवजह इन पर संदेह करके घर से निकाला स्पंदन समेत।'[5]

अभी तक भाई-बहन के संबंध अन्य संबंधों की अपेक्षा अधिक स्नेहपूर्ण रहे, परन्तु अन्य संबंधों में जिस प्रकार गिरते मूल्यों के कारण परिवर्तन आया है, उसी प्रकार भाई-बहनों के संबंधों में भी दूरियाँ आयी हैं। शादी के पूर्व अवंतिका देवी भाई की चहेती थी, लेकिन जैसे ही वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करती है, वैसे ही उनकी दृष्टि बदल जाती है। माँ को छोड़कर जैसे सभी के स्नेह निर्झर सूख गए हो। अवंतिका देवी जब मायके जाती है, तो उसे स्नेह की अपेक्षा तिरस्कार ही मिलता है। यहाँ तक कि उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाता है। तारा के शब्दों में, 'भाभी ने बाहर का रास्ता दिखाया....। उसने यह भी नजरअंदाज किया। बगल वाले कमरे में भतीजे-भतीजियों की ओर मुड़ी। बुआजी को देखकर वे हाथ बाँधकर खडे हो गए, झुककर प्रणाम किया पर लिपटे नहीं।'[6] तारा जब अवंतिका देवी को भाई द्वारा उपेक्षित देखती है, तो वह अवंतिका देवी के सामने अपने विचार व्यक्त करती है। उसके विचार में पारिवारिक विघटन में पितृसत्ता का भी योगदान कम नहीं रहा। पुरूष मानसिकता ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ठीक वैसे ही नियमों को अपनाते थे, जैसे अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों को लड़वाने के लिये 'डिवाइड एण्ड रूल' को अपनाया था। इससे वह अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। वह कहती है,'ऐसी स्थितियों में पितृसत्ताा भाभी-नंनद और सास-बहू को लड़वा देती है। खुद औरत बन जाती है, औरत की दुश्मन, पितृसत्ता की सवाक् धूत-अवधूत।'[7]

दाम्पत्य जीवन में विश्वास रिश्ते की आधारशिला होती है, लेकिन छोटे-छोटे कारणों से पति-पत्नी के बीच गलतफहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जिससे दोनों कुंठित रहते हैं। परन्तु दोनों का यह दायित्व होता है कि समझदारी से गलतफहमियों को दूर करके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनायें। लेकिन समझदारी के अभाव में दोनों तनावग्रस्त रहते हैं। उपन्यास में दीनानाथ पत्नी नन्ना को संदेह की नजर से देखते हैं। जिसके चलते वो नन्ना पर कई आरोप लगाते हैं। वे आरोप लगाने के लिए कोई न कोई बहाना निकाल लेते हैं। जिसके कारण नन्ना को एकमात्र अपमान और उपेक्षा ही मिलती है। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का अहसास होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेखिका के शब्दों में, 'कुठाएँ और गलतफहमियाँ दरअसल दोनों की आँखों पर इतने ऊँचे पावर का जादुई चश्मा चढ़ा गई थी कि राई पहाड़ दिखती थी और जहाँ कुछ भी नहीं होता था, वहाँ अपमान और उपेक्षा का समुंदर दहाड़े मारता जान पड़ता। अपनी गलती जब तक समझ में आयी, देर हो चुकी होती है।'[8]

वर्तमान समाज में स्त्री और पुरूष की समानता की बात तो की जाती है, लेकिन जैसे ही पुरूष पति के रूप में आता है, तो उसकी पुरूष मानसिकता और अहं पत्नी को हर अधिकार से वंचित करना चाहता है। उपन्यास में नन्ना की दादी का उपाध्याय जी से विशेष लगाव था। जिसके कारण वह उपाध्याय जी के विपरीत कोई भी बात पसंद नहीं करती थी। एक बार तो ऐसा हादसा हुआ कि उपाध्याय जी और दादाजी का विवाद इतना बढ़ा कि उपाध्याय जी घर छोड़कर चले गए। उपाध्याय जी के साथ ही दादी को भी दादा के कोप का भाजन बनना पड़ा और वे दादी से कहते हैं, 'पूरी जिंदगी तुम्हारे वैयक्तिक विकास के लिए होम किया, क्या-क्या अपवाद नहीं झेले, सारा सुख चैन त्यागा, इसी दिन के लिए ? ठीक ही कहते हैं कि स्वाधीनता औरतों को पच नहीं पाती, जैसे कुत्तों को घी।'[9] इसके बाद दादी की दादाजी से दूरियाँ बढ़ती गई और अपनी अंतिम सांस तक दादाजी से बात नहीं की। इस प्रकार दोनों के दाम्पत्य जीवन की मधुरता समाप्त हो गई थी।

पति की अस्वस्थता के कारण परिवार में स्नेह हीनता का माहौल निर्मित हो जाता है। इसके कारण दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। 'मन कृष्ण, मन अर्जुन' उपन्यास में लेखिका ने विकलांग पति की पत्नी होने के कारण उसके प्रति परिवार के परिवर्तित व्यवहार का चित्रण किया है। बहू रानी पति के विकलांगता के कारण कुंठित रहती है, क्योंकि उसे अपनी सारी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। यदि वह ऐसी विषम स्थिति में खुश रहने की कोशिश करती है, तो वह परिवार के सभी सदस्यों के संदेह के दायरे में आ जाती है। क्योंकि सभी को पता था कि पति उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। इसलिए सबसे ज्यादा उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे वह नियंत्रण में रहे। सबसे ज्यादा बंधन छोटी राय साहिबा लगाती है। लेखिका बहूरानी की विवशता को व्यक्त करते हुए लिखती है, 'वह कमरे के बाहर अकेली पाँव भी नहीं रख सकती .... गांधारी ने जैसे अंधे पति के साथ अंधा रहना स्वीकार कर लिया था, इसने भी पति के लाचार पाँवों के एवज अपना चलना-फिरना भूल जाने में कोई आपत्ति नहीं की। '[10]

सुखी दाम्पत्य जीवन पर सुदृढ़ परिवार की नींव टिकी हुई है। पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के सामने झुकना पड़ता है। पति-पत्नी में सामंजस्य की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि एक समस्या को लेकर उसी में उलझे रहना उचित नहीं है। अत: दोनों के लिए एक-दूसरे पर अटूट विश्वास और समझदारी अत्यंत आवश्यक है। चम्पक जब ससुराल जाती है, तो उसका जेठ हरदम उसके मुँह को एकटक देखता रहता है। जिससे उसका पति उसको और अपने बड़े भाई को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन उसकी सारी कटुता अकेली चम्पक को सहना पड़ता है। जिससे चम्पक और उसके पति के बीच कटुता बढ़ती जाती है। वसु, शिखा को चम्पक की स्थिति बताते हुए कहती है, 'पति इतने शक्की हैं कि राम कहिए, भाई तो भाई, पत्नी तक पर उन्हें भरोसा नहीं, पर सारी कटुता झेलनी पड़ती है अकेली चम्पक को।'[11]

निष्कर्ष – निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अनामिका ने अपने उपन्यासों के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को बनते-बिगड़ते एवं संक्रमण की अवस्था से गुजरते हुए दिखाया है। जिसमें पात्रों को आंतरिक संघर्ष से गुजरना पडता है। लेखिका ने परिवार की हताशा, निराशा, विवशता, टूटन, घुटन, संत्रास आदि को अपनी रचनाओं में विशेष दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किया है। जो अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के प्रति सजग होते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो वह मुक्ति के लिए संघर्ष और विद्रोह करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार अनामिका अपने उपन्यासों के माध्यम से परवर्तित पारिवारिक मूल्यों को व्यक्त करने में सफल रहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समसामयिक हिन्दी कहानी में बदलते पारिवारिक संबंध-डॉ ज्ञानवती अरोडा, पृ.79
2. तिनका तिनके पास-अनामिका, पृ.207
3. वही, पृ.188
4. वही, पृ.102
5. वही, पृ.57
6. वही, पृ. 84
7. वही, पृ. 75
8. अवांतर कथा-अनामिका, पृ.25
9. वही, पृ.47
10. मन कृष्ण, मन अर्जुन-अनामिका, पृ. 18
11. वही, पृ.38

साहित्य, मीडिया और बाजार

डॉ. जितेन्द्र सिंह मुण्डा*

प्रस्तावना – 'खीचों न कमानों को न तलवार निकालो।
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।।'

अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियाँ मीडिया की सार्थकता को बखूबी बयाँ करती है। परंतु क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? यह बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की जड़ों में आज कितनी मजबूती बची है, यह विचारणीय है। 'नारदमुनि' से लेकर 21 वीं शताब्दी तक मीडिया की मौखिक एवं लिखित यात्रा के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए; परंतु वर्तमान में इसकी भूमिका को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुराणों में वर्णित देवर्षि नारद तीनों लोकों में संवादक के रूप में अग्रणी थे। उन्हें जनसंचार का आदि आचार्य माना जाता है। 'बुद्धिमतांवरिष्ठम्' हनुमान जनसंचार के नायक थे। महाभारत में 18 दिनों के महायुद्ध का आँखों देखा हाल (रनिंग कमेंट्री) सुनाने वाले संजय संचार माध्यम के पुरोधा माने जाते हैं।

भारतीय साहित्य में मेघ, हंस, तोता, कबूतर, कुत्ता, वायु, संचार के माध्यम के रूप में वर्णित हैं। कबूतरों द्वारा संवाद-प्रेषण की प्रक्रिया तो सर्वथा सत्यापित है। 'प्राचीन काल में पठन-पाठन, मुद्रण के साधन के अभाव में जनसंचार के माध्यम गुरू या पूर्वज थे जो मौखिक रूप से सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे। लेखन के प्रचलन के बाद भोजपत्रों पर संदेश लिखे जाते थे। गुप्त काल में शिलालेखों द्वारा धार्मिक एवं राजनीतिक सूचनाएँ जन सामान्य तक पहुँचायी जाती थी। उसी समय वाकयानवीस (संवाददाता), खुफियानवीस (गुप्त समाचार लेखक), सवानहनवीस (जीवनी लेखक) तथा हरकारा (संदेशवाहक) संचार सम्प्रेषण के क्षेत्र में कार्यरत थे।'[1]

बहरहाल मीडिया आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना क्रांति का रूप ले चुका है। आज औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रही है, जिनके विपणन हेतु विज्ञापन ही सहारा है। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स, हैंडबिल, साइनबोर्ड, सिनेमा स्लाइड और बैलून आदि अनेक माध्यमों से विज्ञापन होता है, परंतु समाचार पत्र ही सर्वाधिक सक्षम एवं उपयोगी सिद्ध होता है। पत्रों में छपे विज्ञापनों की आँखों पर प्रतिक्रिया होती है जिधर मन आकर्षित होता है और वस्तु विशेष के प्रति ध्यान केन्द्रित हो जाता है। 'बाजारवाद ने मीडिया को वह दुकान बना दिया है, जहाँ खबर उसके लिए प्रोडक्ट है और पाठक व श्रोता उसके उपभोक्ता। आज मीडिया का ध्यान समाज को शिक्षित करने से ज्यादा व्यवसायिक हितों को संरक्षित करने पर है।'[2] पत्रकारिता अब कोई मिशन नहीं प्रोफेशन है। पूरी तरह से बाजारवाद की गिरफ्त में आ चुकी है। ऐसे में पत्रकारिता की दशा-दिशा मुनाफा व घाटा से तय हो रहा है। 'जनसरोकार और जनोन्मुखी पत्रकारिता सामाजिक दायित्व के निर्वहन की पत्रकारिता आज सिर्फ कहने के लिए है। आज की पत्रकारिता को उपभोक्ता संस्कृति ने अपनी आगोश में ले लिया है।'[3]

आज की पत्रकारिता यानी सत्ता की चाटुकारिता, आज की पत्रकारिता यानी राजनेताओं, शासन-प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर समाज के सम्पन्न, समृद्ध जमात की चापलूसी। एक समय था जब पत्रकारिता को धर्म और साधना के रूप में माना जाता था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इनकी भूमिका अहम थी। मीडिया में बड़ा बदलाव जो आया है, वह इधर 20 वर्षों में अखबार पहले खबरों के लिए एवं सूचना तथा ज्ञान के प्रसार के लिए भी मनुष्य के लिए अभिन्न हिस्सा के रूप में था परंतु मार्केटिंग के इस दौर में अखबार फ्री कूपन और मुफ्त लोटा-बाल्टी के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज भी अखबार खबरों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। आज अखबार निकालना एक शुद्ध व्यवसाय बन चुका है, पाठक उसके ग्राहक। जहाँ प्रसार बढ़ाने के लिए अब हर हथकंडा अपनाया जाने लगा है, जिसने इस तरीके को नहीं समझा, वह बाजार से बाहर। अखबार, चैनल सारे माध्यम बंद। वर्तमान पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबादी ने कुछ यूं बयां किया है-

मुर्गे लड़ाये जाएगे, बोटी के वास्ते।
अखबार निकाले जाएगे, रोटी के वास्ते।।

महात्मा गाँधी ने भी बाजारवाद को पत्रकारिता के लिए खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे अखबारों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। 4 सितंबर, 1912 को उन्होंने इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि मैं समझता हूँ कि अखबारों में विज्ञापन का प्रकाशन बंद कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है कि विज्ञापन उपयोगी अवश्य है लेकिन विज्ञापन के माध्यम से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

'हिन्दी पत्रकारिता के क्षरण में उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की बड़ी भूमिका रही। इस दौर में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद मंडलवादी राजनीति उफान पर पहुँची। इसने पत्रकारिता को साफ तौर पर खेमों में बाँटने का काम किया। उपभोक्तावादी पत्रकारिता और इसके धंधेकरण की शुरूआत भी यहीं से होती है।'[4] आज की मीडिया में ग्रामीण भारत नगण्य है। विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं, जिसकी अधिकतम आबादी गाँवों या कस्बों में निवास करता है। गाँधी जी के शब्दों में भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। 'भारत माता ग्राम वासिनी' पंत की यह कविता प्रमुख उदाहरण है। यदि भारत का सच्चा स्वरूप देखना है, तो गांवों में जाना होगा। भारत की आधी आबादी अर्थव्यवस्था कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगों पर आधारित है, लेकिन अधिकतर समाचार पत्रों एवं मीडिया के विभिन्न माध्यमों में कृषि से संबंधित

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) राँची कॉलेज, राँची (झारखण्ड) भारत

कोई सामग्री नहीं रहती । ना ही आज की पत्रकारिता में गरीब, शोषित, मजदूर, दलित एवं समाज में पीड़ित वंचित तबकों के लिए कोई जगह है। साहित्य की जो संस्कृति है, वह पेड न्यूज की संस्कृति प्रभावी है, जो ज्यादा पैसा देगा, उसी की खबर छपेगी। उसी की खबर चलेगी व उसका गुणगान होगा। पत्रकारिता के इलेक्ट्रॉनकि अवतार न्यूज चैनल्स के पास मोदी का जैकेट, करीना का बेटा, विराट–अनुष्का की शादी, बिग–बॉस की खबरें, राहुल गाँधी का मुकुट या सनसनाती सेक्स, अपराध से जुड़े खबरों में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। क्योंकि इस बाजार में यदि टिकना है, तो टी.आर.पी. बढ़ानी होगी और टी0आर0पी0 को तेज करने का ये प्रमुख साधन हैं। जिसे आज के दर्शक हाथों–हाथ लेते हुए रोमांचित होते हैं। गरीब, किसान, दलितों के लिए इनके पास समय नहीं है। वर्तमान दौर में पत्रकारिता को लेकर ऐसे आरोपों की एक लंबी सूची तैयार है। खास बात यह कि आज की पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा करने में समाज का कोई तबका पीछे नहीं रहता। बस चर्चा शुरू होने की देर है, आरोपों की बौछार शुरू हो जाएगी। कपड़े की तरह पार्टी बदलने वाले राजनेताओं से लेकर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे नौकरशाह तक पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। सारी नैतिकता, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता से; दारोगा से एस.पी. तक प्रखंड विकास पदाधिकारी से उपायुक्त तक, विधायक से मंत्री तक रिश्वत ले तो यह उनका विशेषाधिकार और ईमानदार रहे तो सिर्फ पत्रकार। तब यह सवाल कि क्या पत्रकार आसमान से उतरा कोई दुर्लभ प्राणी है या फिर इसी समाज का हिस्सा? जैसा समाज होगा, वैसी राजनीति होगी। जैसा समाज होगा, वैसा शासन–प्रशासन होगा। तो फिर जैसा समाज होगा, वैसी पत्रकारिता क्यों नहीं होगी? बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति, चैनलों पर अपसंस्कृति परोसने की होड़, बढ़ती सौंदर्य प्रतियोगिताएँ, अंग्रेजी का वर्चस्ववाद, असंतुलित विकास और असमान शिक्षा का ढांचा कुछ ऐसी चुनौतियाँ है, जिनसे हर दिन पाला पड़ रहा है। समाज में मूल्यहीनता और गैर–बराबरी की खाई बढ़ती जा रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियाँ इस बाजार पर कब्जा करने पर भी आमादा है। हिन्दी पत्रकारिता देश की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों, जन आंदोलनों को स्वर देने की जगह बाजार की भाषा बोलने लगे तो नि:संदेह चिंतनीय है? आज के समय की पहचान इसलिए भी कठिन है, क्योंकि तमाम वैचारिक आख्यानों से लैश आज का समय एक रेखीय नहीं है। हमारा समय बाजार की चकाचौंध में आँखें मिचमिचा रहा है तो आज्ञाकारी उपभोक्ता की तरह बाजार में छितराए कार्टूनों के हसीन करतबों में गोते लगा रहा है। कुछ लोग आज के समय के करतबों पर मुग्ध होकर नारे लगा रहे हैं कि यह समय खुद के वैभव व पराक्रम को प्रमाणित करने का समय है, यानि खुद में जीने मरने और बाजार का वसंत पीने का समय है। 'सत्ता के निष्ठुर स्वभावों को परिवर्तित कराने तथा सत्ता को विनम्र बनाने के लिए जन विरोधी तो हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है पर वह चेतना जन की धारणाओं से लगातार विलुप्त होती जा रही है।'[5] लोक संस्कृति से प्रकृति का तथा मानव की कृति का अब दूर–दूर तक कोई नाता नहीं। हम आज के जटिल समय में विज्ञान के कौतुकों को सामाजिक परिवर्तनों से अलहदा करके संस्कृति या सभ्यता के बारे में सोच नहीं सकते। जाहिर है कि राजनीति हो या साहित्य वह वैज्ञानिक बदलावों से अलग नहीं हो सकता। चाहे मामला कहानी का हो या कविता का सभी पर समाज के बदलते रूपों का असर पड़ता ही है।

'हम जानते हैं कि आज का समय पूँजी के कौतुकों, अचरजों तथा मुद्रा बाजारों का है। हमें समाज को पूँजी तथा शेयर व मुद्रा बाजार के संदर्भों में देखना चाहिए, हम बाजार तथा उपभोक्ता की तमाम बाते करते हैं, पर उसके करतबों के बारे में कोई प्रामाणिक कृति नहीं दे पा रहे हैं। हमें इस बाबत गंभीरता से गुनना होगा।'[6] वैश्वीकरण व भूमण्डलीकरण के बहाने पत्रकारिता में जो बदलाव या गिरावट आयी है; उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी भी सामाजिक ही हो सकती है। यह सच है कि विज्ञापनों ने मीडिया के हाथ बांध दिए हैं। यह पत्रकारिता बदल सकती है, बशर्ते कुछ लोग सन्नद्ध हों, मीडिया का एक वर्ग जो इन परिस्थितियों की मार से चुप कोने में पड़ा है। सामने आयेगा। वह पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के टिमटिमाते दीये से ही सही इस अंधकार को चीरना चाहता है और प्रयत्नशील भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जनसंचार और हिन्दी पत्रकारिता–डॉ0 अर्जुन तिवारी, जयभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0–23
2. मीडिया का दिख रहा आचरण, संपादकीय विशेषांक, प्रभात खबर, 14 अगस्त, 2017, पृ0–6
3. मीडिया विशेषांक, प्रभात खबर, 14 अगस्त, 2017, पृ0–6
4. बाख़बर बेख़बर – मिथिलेश, दिशा इंटरनेशनल, नई दिल्ली, पृ0–52
5. कथा क्रम, संपादक, शैलेन्द्र सागर, वर्ष–18, अंक–68, अप्रैल–जून, 2016, पृ0–38
6. वही, पृ0–41

****

महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं के प्रमुख रेखाचित्रों का अनुशीलन

राखी शर्मा *

प्रस्तावना – स्मृति की रेखाएं में महादेवी जी ने सात संस्मरणात्मक रेखाचित्र अंकित किए हैं। पहले में उनकी परम अनुगता परिचारिका भक्तिन का, दूसरे में एक फेरी वाले वस्त्र विक्रेता चीनी का, तीसरे में उनके बद्री–केदार यात्रा के दो कुली बंधुओं जंग बहादुर और धनिका का, चौथे में एक निर्धन गृह बंधु मुन्नू के भाई का, पाँचवें में कल्पवास के समय परिचित एक भावुक मानव ठकुरी बाबा का, छठे में एक स्वाभिमानी और उत्पीड़िता रजक बाबू का और सातवें एवं अंतिम में एक मूक किन्तु परम् ममतामयी माता का चित्र है। इनमें से कौन सा चित्र अधिक करूणा विगलित, तेजस्वी एवं जीवंत है, यह निर्णय करना कठिन है। सभी रेखाचित्रों में अपनी–अपनी वक्रिय भंगिमा है, अपना–अपना रंग और अपना–अपना प्रभाव है। आइये इस चित्राधार के चित्रों को कुछ निकट से देखें–

रेखाचित्र – भक्तिन – भक्तिन का असली नाम लछमिन अर्थात् लक्ष्मी है परंतु वह अपना यह समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। नौकरी की खोज में जब वह लेखिका के पास पहुंची तो उसने उन्हें अपना असली नाम इस प्रार्थना के साथ बतलाया कि वे कभी भी उस नाम का उपयोग न करें। हा भक्तिन नाम का नया नामकरण लेखिका ने ही किया था।

भक्तिन ऐतिहासिक झूंसी में गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। पॉच वर्ष की अवस्था में उसका विवाह और नौ वर्ष की अवस्था में उसका गौना देकर विमाता ने अपने कर्तव्य का पालन किया। पिता का उसके प्रति अगाध प्रेम के कारण ईर्ष्यालु एवं संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरजांतक रोग का समाचार जब भेजा जब वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सास ने भी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, केवल उससे इतना ही कहा कि वह बहुत दिनों से नैहर नहीं गई है, सो जाकर देख आये। जब भक्तिन गांव में पहुंची तो चारो ओर से 'हाय लछमिन अब आयी।' की आवाजें आने लगी। वहां न तो पिता का कोई चिन्ह ही शेष था और न ही विमाता के व्यवहार में कोई शिष्टाचार था।

दूसरी ओर उसे ससुराल में भी दु:ख ही मिला। उसकी जेठानियां बैठकर केवल लोक–चर्चा करती, उसे ही घर का सभी काम करना पड़ता। हां उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। थोड़े ही दिनों में पति–पत्नी के प्रयास से घर की स्थिति ही बदल गयी किन्तु भाग्य में क्या लिखा है, यह कोई नहीं जानता! धूम–धाम से अपनी बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने गृहस्थी का भार उस पर डाल कर इस संसार से मुक्ति पा ली।

रेखाचित्र – चीनी फेरीवाला – बहुत पहले की बात है। लेखिका तांगे से उतरकर घर के अंदर आ रही थी तभी एक चीनी फेरी वाला पीठ पर कपड़े का गट्ठर लटकाए और अपने दाहिने हाथ से लोहे का गज घुमाते हुए बोला – 'कुछ लेगा मेमसाब ?' मै विदेशी....... फारेन नहीं खरीदती 'हम फॉरेन हैं ? हम तो चाइना से आता है'। 'मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई।' 'हमको भाय बोला है तब जरूल लेगा।' देखूं तुम्हारे पास क्या है ? ''भोत अच्छा सिल्क लाता है सिस्तर। चायना सिल्क, क्रेप........

खैर लेखिका ने दो मेजपोष खरीद लिए और सोचा इतनी कम बिक्री होने के कारण शायद अब कभी यह चीनी इस ओर आने की भूल नहीं करेगा। किन्तु पन्द्रह दिन के पश्चात वह चीनी फिर लेखिका के बरामदे में आकर बैठ गया। 'अब तो मै कुछ नहीं लूंगी'। समझे ?

'सिस्तर का वास्ते है कि लाता है– बोत बेस्त सब सेल हो गया। हम इसको पाकेत में छिपाकर लाता है।'जल्दी–जल्दी एक सांस में – 'सिस्तर के वास्ते लाता है, फिर सिस्तर के वास्ते लाता है, दोहराने–तिहराने लगा। लेखिका ने मन ही मन में सोचा कि अच्छा भाई मिला है और जब लेखिका ने उससे चीन देखने की इच्छा प्रकट की तो वह कहने लगा – 'सिस्तर के वास्ते हम चलेगा।' और इतना कहते ही उसकी आंखे गीली हो गई। वह अपनी कहानी सुनाना चाहता है।

उसकी मां उसे जन्म देकर और उसकी एक सात वर्ष की बहिन की रक्षा का भार छोड़कर परलोक चली गई। उसके पिता ने एक धर्मी स्त्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया, बस तभी से दोनो भाई–बहनों को काफी कष्ट सहने पड़े। जब वह केवल पॉच वर्ष का ही था तो उसके पिता भी चल बसे। उसकी बहिन और विमाता के बीच तनाव बढ़ने लगा। कई बार उसकी बहिन ने पड़ोसियों का काम करके उनसे भात मांगकर अपने भाई को खिलाया। एक रात उसके भाई ने देखा कि उसकी विमाता उसकी बहिन का काया पलट करने में व्यस्त है। उसकी बहिन के सूखे ओंठों पर विमाता कभी लाली लगाती है तो कभी उसके सूखे बालों को संवारने के पश्चात् उसे रंगीन वस्त्र पहनने का आदेश देती है। बहिन का संध्या होते ही काया पलट होना और आधी रात को फिर उसका लौटना और फिर उसके बाद विमाता का बहिन के षिथिल हाथों से बटुए का छीनना आदि सब घटनाओं को वह अपनी आंखों से देखता। एक रात उसकी बहिन नहीं लौटी। उसकी एकमात्र आधार बहिन भी खो गई। तब से वह अपनी बहिन की खोज में गली–गली मारा–मारा फिरने लगा। भटकता हुआ वह गिरहकटों के गिरोह में जा फंसा। संयोग से उसकी भेंट पिता के एक परिचित चीनी व्यापारी से हुई और वह कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यापार की विद्या सीखने लगा।

चीनी की केवल दो ही इच्छाएं हैं – एक ईमानदार बनने की और दूसरी बहिन को ढूंढ़ने की। पहली इच्छा तो वह स्वयं कर सकता है। दूसरी इच्छा की पूर्ति भगवान के हाथ में है और उसके लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है।

बीच–बीच में वह कई महिनों के लिए बाहर चला जाता और लौटने पर 'सिस्तर के वास्ते ई लाता है।' कहता हुआ कुछ लेकर फिर उपस्थित हो जाता है। एक दिन मालूम हुआ कि वह चाइना जाने वाला है और इसलिए सब कपड़े जल्दी–जल्दी बेचना चाहता है। ''तुम्हारे तो कोई नहीं है, फिर

* वार्ड नं. 27 पुरानी बस्ती, शहडोल (म.प्र.) भारत

बुलावा किसने भेजा ?' 'हम कब बोला, हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्तर ? उसकी बात भी ठीक है इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसा रह सकता है।

आज उसे गये कई वर्ष हो गए। लेखिका को उसे देखने की इच्छा होती है। बस वह यही चाहती है कि वह दुखियारा बहिन से बिछड़ा बेचारा चीनी भाई चीन में आत्मसंतोष पा ले।

रेखाचित्र – जंग बहादुर – भार ढोने वाले कुलियों का जीवन भी कितना विचित्र होता है। कोई टाटा का सिला पैजामा पहनता है तो कोई खुरदरे कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता लटकाए भालू के समान घूमता दिखाई देता है। कोई कमर में बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे रहता है, तो कोई धूप में बैठकर कपड़ो से जुंए बीनता वानर का स्मरण दिलाता है।

लेखिका को केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ जाना था। उन्होंने सामान उठाने के लिए जंग बहादुर को बुलाया। वह अपने भाई धनसिंह के साथ मेरा सामान उठाकर मेरे संग चल दिया। एक रूपया प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी तय हुई जिसमें से एक आना फ्री रूपया ठेकेदार को कमीशन भी देना होता है।

इन कुलियों को पहाड़ों के ऊंचे–नीचे रास्तों पर अपनी पीठ पर भार उठाकर चलना पड़ता है। पहाड़ों पर चढ़ने पर इनमें से दो–एक बीमार भी पड़ते रहते हैं और कोई–कोई मर भी जाते हैं। यात्रियों को इन कुलियों से कोई विशेष हमदर्दी नहीं होती। रास्ते में कभी किसी कुली को हैजा हो जाए या फिर बुखार हो जाए तो तुरंत दूसरा कुली कर लिया जाता है। बीमार कुली को उसकी भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। 'इन यात्रियों की स्थिति बहुत कुछ ऐसी रहती है, जैसे हमारे यहां इक्के वालों की। वह बारह रूपये का टट्टू खरीद लाता है और उसे रात–दिन इस तरह से दौड़ाता है कि कम से कम समय में छत्तीस वसूल हो जाए। थके–टूटे टट्टू के मर जाने पर वह बारह में नया खरीदने के उपरांत भी लाभ में ही रहता है। यात्री भी एक रूपया प्रतिदिन देकर कुली को खरदीता है। इसलिए लाभ की दृष्टि से तीन दिन का रास्ता एक दिन में तय करने की इच्छा स्वाभाविक है अन्यथा वह घाटे में रहेगा।

बद्रीनाथ पहुंचकर धनसिंह चट्टी के एक कोने में जाकर लेट गया, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ आया था। लेखिका ने अपने बाक्स में से एक–आध दवाई निकालकर उसे पिलाई और जंग बहादुर से धनसिंह के पैर दबाने को कहा। जंग बहादुर ने संकोच के साथ उत्तर दिया– 'मै बड़ा हूं माँ ! वह सरम करता है कैसे करेगा ? रास्ते में जंग बहादुर ने बताया कि वह गर्मियों के आरंभ होते ही काम में आ जाता है और सर्दियों के आरंभ होते ही नेपाल अपने गांव चला जाता है। जंग बहादुर जब काम पर आया था तब उसका एक पुत्र दो मास का था वह अधिक से अधिक मजदूरी करके कुछ पैसे बचाकर घर ले जाना चाहता है और जो कुछ उसे इनाम में मिलेगा उससे वह अपने पुत्र के लिए एक टोपी और कुर्ता बनवाएगा।

रेखाचित्र – मुन्नू – बूटा का जन्म रीवा के आस–पास किसी गांव में एक निर्धन कथा वाचक के यहॉ हुआ था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी माता दिवंगत हो गई थी। उसके पिता ने अपनी सत्यनारायण की कथा के साथ–साथ उसे भी संभाला। जहां जैसे प्रसाद मिलता वैसा ही खाकर दोनों भोजन के झंझट से मुक्ति पा लेते। कई बार तो बालिका पंजीरी फांककर और पंचामृत पीकर सोई रहती और पिता भूखा ही लेट जाता। नौ वर्ष की अवस्था में उसके पिता का निधन हो गया। वह मृत्यु–जीवन के बारे में बहुत कम जानती थी। साथ ही घर में रोने–पीटने वाला न होने के कारण उसके पिता की महानिद्रा को साधारण नींद ही समझा। अंततः वह सब कुछ समझ गई कि उसके पिता जहां गए हैं, वहां से वे कभी लौट कर नहीं आयेंगे। वह काका के पास चली गई।

भ्रमण – प्रेमी काका कभी एक गांव में रहता तो कभी दूसरे गांव और इसी भ्रमण क्रम में वह एक बार माघ–मेले में प्रयाग पहुंचा। लोगों का कहना है कि वह बालिका को बेचने की इच्छा से आया था। वह बूटा को छोड़कर दुकान से रूपया भंजाने गया, आज तक नहीं लौटा। अभागी बालिका प्रतीक्षा करते–करते थक गई। घाट वालों ने बूटा को एक नौकरानी के रूप में किसी ब्राम्हण में घर में रखवा दिया।

इसी बीच एक समाज–सुधारक ने इस सलज्ज, परिश्रमी और मित्र भाषिणी बालिका को देखा और अज्ञात कुल–शीला होने पर भी उसे पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव रख दिया और इस तरह से वह नव वधू और बाद में माता बन गई।

कुछ दिनों तक वह लेखिका के स्कूल में भी रही। घर से लड़कियों को बुलाने का काम वह करती और उसका मुन्नू स्कूल के दरवाजे पर बैठा रहता। एक बार उसने लेखिका से अरैल जाने की इच्छा प्रकट की और कहा बूढ़ा दो–दो दिन तक खाना नहीं खाता, उसका बेटा कई–कई दिन गायब रहता है। लेखिका ने उसे अरैल भिजवा दिया। किन्तु वह वहां से वापस नहीं आयी और पता चला कि वह संगम के उस पार मजदूरी करने लगी। उसका बालक मुन्नू बड़ा मेघावी है। संगीत से उसे विशेष प्रेम है।

रेखाचित्र – ठकुरी बाबा – ठकुरी बाबा एक बार अपने विचित्र परिवार को साथ लिए लेखिका के पास आकर कहने लगे –'बिटिया रानी का हम परिदेसिन का ठहरै न देहो ? बड़ी दूर से पाएं पियादे चले आईत है। ई तो रैन बसेरा है– भोर भयो उठि जाना रे का झूठ कहित हैं ?इनके साथियों में कोई प्रभु–भक्ति के गीत सुनाने वाला भजनोपदेशक था तो कोई पौराणिक कथा कहने वाला कथाकार। ठकुरी बाबा को कवि भी कहा जाता है। उनकी एक कन्या थी। जिसकी देख–रेख वह स्वयं करते थे। आल्हा–ऊदल की कथा के प्रेमी पिता की बेला, विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी घूमती रहती और काम के समय भी पीठ पर बंधी हुई अपने पिता के काम की निगरानी करती। ठकुरी बाबा से जब कोई प्रश्न पूंछता तो वह हंसते हुए कह देते –'जब मजदूर मां अपने बच्चों को लेकर काम करती है, तब पिता के ऐसा करने में लजाने की कौन बात है। और उनका कहना भी ठीक था – बेला के लिए तो वही उसके पिता थे और वही उसकी मां।

छ–सात वर्ष की अवस्था में ठकुरी बाबा ने अपनी बेला की सगाई एक मातृ–पितृहीन भतीजे के साथ जो कि काव्य प्रेमी था कर दी। दुर्भाग्य से चेचक के कारण उसकी एक ऑख की ज्योति चली गई और दूसरी ऑख से भी ठीक से नहीं दिखाई देने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेला ने अपने बचपन के साथी को नहीं छोड़ा। इस तरह उनका एक विचित्र परिवार बन गया। जिसमें कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दमाद और रूपसी बेटी थी।ससुर ने जामाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली थी। वह चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते और वह खंजरी पर दो अंगुलियों से थपकी देकर तान संभालता।

लेखिका चाहती थी कि किसी तरह ठकुरी बाबा से भेंट हो जाए क्योंकि वह हर बार माघ के मेले में आते तो मिल जाते। दो वर्षो से नहीं आ रहे थे। लेखिका उनसे इसलिए मिलना चाहती है कि उन्होंने कुछ पद उनसे लिख रखे थे, वे उन्हें प्रकाशित करवाना चाहती थी। यदि उनसे भेंट नहीं हुई तो यह प्रश्न कई बार लेखिका के मन में उठता। आखिर आदमी समय के सामने कितना विवश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्मृति की रेखाए(रेखाचित्र संकलन) – महादेवी वर्मा।

यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवाद एवं नारी जाग्रति

डॉ. पंकज बोहरा *

प्रस्तावना – प्रेमचन्द के बाद हिन्दी उपन्यासों में सबसे सशक्त कथाकार के रूप में यशपाल का ही नाम लिया जाता है। जिनकी लेखनी में एक कलाकार के हृदय के साथ–साथ दार्शनिकता भी थी, तो स्पष्ट वादिता थी। वे एक आर्य समाजी राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी के साथ–साथ कम्यूनिस्ट भी थे। प्रेमचन्द के बाद यशपाल एक ऐसे साहित्यकार थे, जिन्होंने यथार्थवादी परम्परा को आधार प्रदान किया। उनके पात्र प्राय: मजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्गीय होते थे जिनमें क्रान्ति की चिंगारी वे अपनी लेखनी द्वारा लगाना चाहते थे। इसी संदर्भ में उनकी टिप्पणी है। मेरे साहित्यिक कार्य–कलाप हमेशा ही राजनीति से अभिन्न रहे है। मेरे लिए वे दोनों ही एक–दूसरे के पूरक हो जो मुझे मेरे अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि में सहायता देते है, मेरा उद्देश्य वे जनता के हितों की रक्षा करना। मैं समझता हूँ कि साहित्य विद्रोह की भावना पैदा करने का एक साधन है और उससे जनता को क्रान्तिकारी चेतना विकसित होती है।

यशपाल एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना का यथार्थवादी विकास स्पष्ट दिखाई देता है। वे अपने सभी उपन्यासों के माध्यम से साम्यवाद का समर्थन करते है। उनके साहित्य का एकमात्र उद्देश्य जन जन में नव मानवता संबंधी विचारों और भावों को भरना है। वे मानवता के उत्कृष्ट रूप के आकांक्षी है, उसके दलित गलित रूप को नहीं देखना चाहते। वे वर्तमान समाज की मान्यताओं के खोखलेपन को उघाड़कर सामने लाना चाहते है। उनके दादा कामरेड से लेकर 'मेरी तेरी उसकी बात' तक के उपन्यासों में मानव निष्ठा का एक अटूट क्रम दिखता है। उनका साहित्य यथार्थ की भूमि पर रचा गया है, जिसमें पीढ़ियों का संघर्ष और सामाजिक जीवन का अन्तर्द्वन्द्व मुखरित हुआ है। मूल्यादर्शों और जीवन के विरोधाभासों को उन्होंने बड़े साहस के साथ अभिव्यक्त किया है। दमन, शोषण अन्याय और अत्याचार का उन्होंने सदा ही विरोध किया। यशपाल प्रारंभ में क्रांतिकारी थे। साम्यवादी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। वे साहित्य द्वारा सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते है और साथ ही नवीन चेतना भी उसमें प्रसारित करते है ताकि नवीन विचारधारा से लोगों का परिचय हो उसके।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों को प्रमुखता दी है। उनके कुछ उपन्यास तो नारी प्रधान उपन्यास ही है। उनके उपन्यास के पुरूष पात्र हो या नारी पात्र सभी यथार्थवादी, मानवीय और विश्वसनीय लगते है। उनके पात्र व्यक्तिगत विशेषताओं को लिए नहीं होते अपितु पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है।

यशपाल मूलत: मध्यवर्गीय समाज के लेखक है। इस वर्ग की समस्याओं और कुंठाओं का उन्होंने विस्तारपूर्वक अंकन किया है। पारिवारिक स्वार्थी का तनाव, सम्मिलित परिवारों का विघटन आर्थिक संकट, विवाह, प्रेम, शिक्षा और रोजगार समस्याएँ, हीन सामाजिक स्थिति, अर्थाभाव आदि समस्याओं को ढुंढने का प्रयास हमें यशपाल के उपन्यासों में मिलता है। यथार्थ को भी कलात्मक स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है संसार के सभी महान उपन्यासकारों में चाहे वो गोर्की हो, तुंगनेव हो, तालस्टॉय हो, दास्ताएस्वकी हो या प्रेमचन्द हो सभी में यथार्थ का कलात्मक प्रस्तुतीकरण की देखते हो। यशपाल भी इसी प्रकार के उपन्यासकार हो।

यशपाल के उपन्यासों में 'दादा कामरेड' में जहाँ क्रान्तिकारी दल की गतिविधियों का हुबहु चित्रण मिलता हो तो वही 'देशद्रोही' उपन्यास में विभिन्न राजनैतिक दलों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला हो। 'दिव्या' उपन्यास की कथावस्तु में बौद्धकालीन भारत की पृष्ठभूमि में रखकर नारी शोषण एवं दासों को आधार बनाया गया है जिसमें नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण है।

यशपाल प्रेमचन्द के बाद एक ऐसे उपन्यासकार है , जो नारी स्वतंत्रता से लेकर नारी के विविध रूपों को चित्रित करते हुए सामाजिक क्षेत्र मे नारी के संघर्ष को प्रस्तुत करने में सफल रहे यशपाल एक कलाकार के साथ–साथ एक दार्शनिक, एक क्रान्तिकारी भी है यही कारण है कि यशपाल ने अपने उपन्यासों द्वारा नारी की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयास किया है।

यशपाल नारी को समाज में भोग्या नहीं कंधे से कन्धे मिलाकर चलने वाली सह कर्मिणी का स्थान देते है। समाजवादी दृष्टिकोण बताते हुए ये लिखते है 'समाजवादी विचारधारा के अनुसार स्त्री को सम्पत्ति नहीं स्वतंत्र आत्मनिर्भर व्यक्ति है।'[1] नारी प्रधान उपन्यास 'मेरी तेरी उसकी बात' की नायिका उषा मानवीय मूल्य और नारी की पूर्ण प्रतिष्ठा स्थापित करती है तो 'झूठा–सच्चा' में तारा जड़ता और दक्षता को जोड़ना चाहती है तथा नारी मुक्ति को सामाजिक राजनैतिक संघर्षो से उषा जोड़ देती है। जहां एक ओर इस उपन्यास में विधवा विवाह के समर्थक के रूप दिखलाई देते है, वहीं रूढ़ियों के कारण इस जीवन में होने वाली त्रासदी को करते हुए यह भी संकेत करते है कि शिक्षा और समझदारी से ही इन रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है यशपाल के मतानुसार नारी का पराश्रित रहना ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता हैं। यदि वह आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाती है तो पुरूषों द्वारा सताए जाने से बच सकती है। 'चाँद, स्त्री की स्थिति समाज में ऐसी ही है। जब तक उसे जीवन साधन जुटाने का स्वतंत्र अवसर और अधिकार नहीं उसकी स्वतंत्रता प्रेम और आचार सब पुरूषों का खिलौना है। तुमने अपने आपको बलिदान कर सब कुछ रहा अब उसके प्रति विद्रोह भी करो तो क्या कर सकती हो? जब तक जीवन के संघर्ष में अपने पैरों पर खड़े होने का साधन तुम्हारे पास न हो।[2]

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महालक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज,जोधपुर (राज.) भारत

आधुनिक भारतीय समाज के जब नारी पात्र घर से बाहर निकलकर स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाने लगी समय और स्थिति के साथ नारी का घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करना मंजूर हुआ, आधुनिक संस्कृति की लहर में उसका चेतन मन उसके स्वतंत्र रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो गया। यशपाल नारी की स्वतंत्रता को उसकी स्वतंत्रता सत्ता को महत्व देकर सम्मान करते है यही कारण है, कि हमें जहां एक ओर उनके नारी प्रधान उपन्यास जैसे 'दिव्या' और 'अनिता' नारी की शक्ति और स्वाभिमान से परिचित कराते है। वहीं दूसरी और उनके कुछ उपन्यासों की प्रमुख पात्रों के रूप में नारी अपनी स्वतंत्रत सत्ता स्थापित करती हुई दिखती है जैसे 'दादा कामरेड' की शैल, 'मनुष्य के रूप की शोभा, 'झूठा-सच' की तारा और कनक, मेरी तेरी उसकी बात' की उषा ये नारी पात्र अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से पाठकों के हृदय में स्थान बना ही लेती है।

इस प्रकार यशपाल नारी के पीडित और शोषित रूप के लिए जिम्मेदार उन सभी स्थितियों, रूढियों, परम्पराओं और मान्यताओं को पात्रों के माध्यम से उभारते है। युगों से पराधीन और रूढ़िगत संस्कारों में जकड़ी नारी को आगे आने के लिए प्रशस्त मार्ग दिखाते है। उसे शिक्षा और आत्मनिर्भता का पाठ पढ़ाते है तथा उसकी स्पष्ट चेतना को जगाने का कार्य करते है। वे स्त्रियों की स्वाधीनता के लिए समाजवादी समाज बनाने का आग्रह करते है। वे उनमें प्रगतिवादी विचारधारा का संचार कर उन्हें समाजवादी समाज की नारी की तरह आत्मनिर्भर बनने का गुरूमंत्र देते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बात बात में - यशपाल लोकभारती प्रकाशन।
2. देशद्रोही - यशपाल लोकभारती प्रकाशन।
3. मेरी तेरी उसकी बात- यशपाल लोकभारती प्रकाशन।
4. झूठा-सच-यशपाल लोकभारती प्रकाशन।
5. यशपाल रचनावली - लोकभारती प्रकाशन।

****

शेखर - एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता के सृजनात्मक मूल्यों के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना - महानतम विचार राष्ट्र और समाज को सृजनात्मक विजन प्रस्तुत करते है। हिन्दी साहित्य में उपन्यास की भूमिका महत्वपूर्ण रहीं है। उपन्यास का दीर्घकालीन प्रभाव जागरुक और संवेदन पाठक - वर्ग तैयार करता है। उपन्यास के प्रारंभ से ही हिन्दी साहित्य कथा एवं उद्देश्य से समृद्ध रहा । भावी पाठक वर्ग के लिए रचना में महत्व एवं प्रभाव का प्रयोग यथार्थ को स्थान देता रहा। उपन्यास अनेक विजन से लिखे गए, मनोरंजनात्मक उपन्यास पाठक की रूचि के लिए सर्वप्रथम आए। सामाजिक उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमि के बाद मानव के चरित्र को सूक्ष्म मनोविज्ञान के विजन से देखने लिखने की परंपरा में सर्वप्रथम पाँच उपन्यासों में सन् 1941 में 'शेखर : एक जीवनी' का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। सन् 1944 में 'शेखर: एक जीवनी' का द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। मनोविज्ञान को चित्रित कर उपन्यास में नयी परंपरा का सूत्र विदेशी उपन्यासों में खूब मिलता है। इसी अंतर्राष्ट्रिय प्रभाव को भारतीय साहित्य में अनेकानेक महानतम रचनायें दी। हिंदी का गद्य-साहित्य भी इसी विचार धारा से प्रभावित हुआ। समाज के साथ - साथ मानव के सूक्ष्म मनोविज्ञान को रेखांकित करना उपन्यासकार का मूल उत्स बना। इसी उत्स को प्रेमचंद की परंपरा से इतर विशिष्ट स्थान मिला। हिंदी उपन्यास परंपरा में मनोवैज्ञानिक उपन्यास को प्रमुख श्रेय देने में जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी के साथ अज्ञेय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनोवैज्ञानिक परंपरा में 'शेखर: एक जीवनी' उपन्यास अपनी सृजनात्मक स्वतांत्र्य के लिए साहित्यिक जगत में लोकप्रिय रहा। काव्य के साथ-साथ गद्य में भी अज्ञेय क्रान्ति के माध्यम से व्यक्ति की भूमिका विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मानते है। शेखर में अज्ञेय ने कुछ स्तर पर अपनी जीवनी लिखने का स्तुत्य प्रयास किया। शेखर के रूप में नायक अज्ञेय स्वातंत्र्य के वैविध्य रूप को मनोवैज्ञानिक रूप से कितना संतुलित रख पाए, यह तत्कालिक परिस्थितियों को समझकर आलोचक शेखर रूपी अज्ञेय की कठिन परीक्षा कर सकते है। बालक शेखर के मनोविज्ञान को लेकर फाँसी की सजा तक एक रात में देखे गए विजन को शब्दबद्ध करने का नवीन एवं महत्वपूर्ण प्रयास 'शेखर: एक जीवनी' में मिलता है। शेखर के माध्यम से अज्ञेय मनोविज्ञान का सूक्ष्म एवं विचित्र विश्लेषण आक्रोश एवं तर्क के द्वारा करते है भारतीय समाज का अतिपिछड़ापन, किशोर शेखर के माध्यम से उखाड़ फेंकने का मनोविज्ञान इस रचना में विशेष रूप से आया। मनोविज्ञान का सूक्ष्म विद्रोह समाज में कैसे बीज से अकुंरित होकर वृक्ष का रूप ले लेता है। यह किशोरावस्था का मोह शेखर में उपन्यास के अंत तक रहता है। अज्ञेय ने 'शेखर का जीवन' एक क्रंातिकारी के रूप में दिखाया है। जो एक ओर घर के दबाव और घुटन के वातावरण के प्रति विद्रोह करता है और दूसरी ओर विदेशी सत्ता को उखाड फेंकने के लिए चुनौती देता है। शेखर के चारित्रिक गुण, दृढता, निर्भिकता और स्वाभिमान कैसे मजबूत होते गए इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट हुए।

'शेखर: एक जीवनी' भाग द्वितीय सन् 1944 में प्रकाशित हुआ इस उपन्यास में असाधारण चरित्रो के सपंर्क में आने पर शेखर के विजन में और अधिक दृढ. चारित्रिक गुण पोषित होते है। जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति शेखर क्रान्तिकारी कदम उठाने का संकल्प लेता है। व्यक्ति और परिवार, परिवार और समाज, समाज और राष्ट्र के संबंधों के प्रति क्रांतिकारी व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकारों का अंतर्मंथन नायक शेखर में सबलता से पाया जाता है। इसी अंतर्मंथन से स्वाधीनता के सृजनात्मक मूल्य कैसे नायक शेखर के व्यक्तित्व का अंश बनते है, यह उपन्यास की प्रेरणा को बताते हैं। संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते है, जिससे स्वच्छन्दता है, जिसमें विश्वास है जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एक मात्र नियम है 'वही होओ जो कि तुम हो।'[1]

उपन्यास की उपरोक्त पंक्ति वस्तुत: अज्ञेय का जीवन दर्शन है, जो पक्षियों के माध्यम से शेखर को प्रेरणा देती हैं की स्वातंत्र्य की खोज ही समस्त दर्शन का मूल उत्स है। आधुनिक कवि पंत ने अपनी घनीभूत वेदना को अपने काव्य का रचना स्त्रोत कहते है, और अज्ञेय ने इस दृष्टि को स्वीकर किया है 'घनीभूत' वेदना की केवल एक रात में देखें हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है।'[2]

शेखर से साक्षात्कार करा देने के बाद अब मै अलग हट जाता हूँ, अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है वह अच्छा भी आदमी नही है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर होंगे नही ऐसा मुझे विश्वास है और कौन जाने आज के युग में जब हम, आप सभी संश्लिष्ट चरित्र है,तब आप पाऐं कि आपके भीतर भी कही पर एक ऐसा शेखर है जो बड़ा नहीं लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार'।[3]

शेखर का विद्रोह समाज निर्मित बाह्‌य जगत का न होकर जन्मजात है। 'शेखर : एक जीवनी' उपन्यास में अज्ञेय शेखर के माध्यम से कहते है 'मुझे विश्वास है, कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते है।

विद्रोही वृद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से, नही निर्मित होती है।[4]

अज्ञेय इस उपन्यास के माध्यम से अपने सृजनात्मक मूल्य विद्रोह से भारतीय तत्कालीन पिछडेपन का अपने स्तर से दूर करना चाहते है, शेखर अपने विद्रोही चरित्र के द्वारा आमूल चूल परिवर्तन लाना तथा राष्ट्र में एक

* अतिथि विद्वान, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

संपूर्ण एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रतिष्ठापन चाहना है शेखर का विद्रोह जन्मजात है –

1. परिवार के प्रति विद्रोह
2. शिक्षा के प्रति विद्रोह
3. जाति और वर्ग प्रधानता के प्रति विद्रोह
4. प्रेम और विवाह के प्रति विद्रोह
5. जीवन के प्रति विद्रोह आदि।

निष्कर्ष रूप में 'शेखर: एक जीवनी' में अज्ञेय नायक शेखर के माध्यम से जो कि शेखर के व्यक्तित्व का केन्द्रीय भाव (विद्रोह) रहा वह शैशव काल से ही प्रेरित होकर परिवार समाज की रूढ़ियों और जड़ पंरपराओं के विद्रोह की भावना से आन्दोलित है, और इसी मनोभाव में देश की विदेशी पराधीनता को ग्रहण कर ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को चुनौती देता है। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों के संघर्ष की सामर्थ्य जीवन की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात–प्रतिघात से नही निर्मित होती। यह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्ठन नहीं है। अज्ञेय अपने उपन्यास के माध्यम से हिन्दी उपन्यास पंरपरा के इतर नयी भाषा, नया शिल्प, नयी तकनीक और चिंतनशील कथावस्तु जो मनोविश्लेषण से प्रभावित चरित्रप्रधान उपन्यास है। उपन्यास में नायक शेखर स्वभाव से स्वातंत्र्य का पक्षधर्मी, क्रान्तिकारी विचारक आभिजात्य परिवार और शिक्षित – वर्ग में क्रांतिकारी परिवर्तन की मनसा, वाचा और कर्मणा दिशा और दशा सुधारना चाहता है। इस विजन को लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र में शेखर का प्रयास उपन्यास की मूल और यथार्थ संवेदना है, जो अपने मौलिक मनोविज्ञान के सूक्ष्म और आंदोलित चरित्र को लेकर प्रचारात्मकता की दृष्टि से प्रासंगिक है।

स्वतंत्रता के पूर्व लिखे गए इस उपन्यास में भारतीय – साहित्य अनेक नये प्रयोग धर्मी उपन्यासों से प्रभावित था। हिंदी उपन्यास की परंपरा में मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और यशपाल की उपन्यास तकनीक से प्रभावशाली तकनीक अज्ञेय ने 'शेखर: एक जीवनी' में लिखी। फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग कर, अपने इतिहास को टटोलतें हुए, सम्पूर्ण समाज, समाज का परिवेश और चुनौतियों को टक्कर देने का मनोविज्ञान अपनी रचनात्मक जीवन शैली से देने का स्तुत्य प्रयास, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। दर्द से बढ़ा विश्वास और मानव – प्रेम, सम्पूर्ण शेखर के जीवन का मूल है। स्वातंत्र्य के लिए जीना और लड़ना, न्याय के लिए संघर्षऔर एक सुशिक्षित समाज की उदारता को प्रसारित करना संपूर्ण उपन्यास का उद्देश्य है।

व्यक्ति, समाज,राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का मूल औचित्य और सिंहावलोकन वर्तमान समय का शोचनीय मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान को अज्ञेय के मौलिक तर्क एवं विजन से मजबूत किया जा सकता है। 'शेखर: एक जीवनी' उपन्यास में अनेकानेक पंक्तियाँ संवेदनशील पाठक को आंदोलित और उद्धेलित करती चलती है। इसी परिवर्तन की क्रांतिकारी कसमसाहट शेखर: एक जीवनी उपन्यास के नायक की ईमानदारी से अपील है। अज्ञेय ने शेखर के चिंतन में मानवता के विकास के बारे में निष्कर्ष दिया कि दूर से देखा जाए, तो मानवता का सारा विकास ही कम से कम अभी तक यहीं है। मानवता कुछ चाहती है, लेकिन जानती नहीं की क्या और उसे जानने की खोज में, अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है................मानो। सारी मानवता अपने जीवन की गति से किसी दीर्घ वय: संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है, उसका यौवन उसके कृतित्व के दिन अभी आगे है।'[5]

शेखर मूलत: विद्रोह का आख्यान है। उपन्यास का नायक शेखर यातना,दर्द, दु:ख, पीड़ा,संवेदना और समर्पण को लेकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र में क्रांतिकारी जीवन को जनसामान्य में प्रचारित करना चाहता है। मानवता के दर्शन और विजन से व्यक्ति का प्रतिस्थापन करने का मूल उत्स सम्पूर्ण उपन्यास में दिखता है। क्षूद्र और संकीर्ण भारतीय जीवन–शैली के प्रति कठोर क्रांतिकारी आंदोलन शेखर का मूल उद्देश्य है।

अज्ञेय के गद्य–साहित्य से उत्पन्न विचार–धारा से भारतीय जीवन–शैली में संवेदनशील जागरूक , खास और आम – आवाम कितना परिवर्तन ला पायें, यह वर्तमान में उभरते विकसित राष्ट्र स्थिति में देख सकते है। यहीं भारत का संवेदनशील मानव दर्शन आज विश्व की दिशा और दशा को लेकर प्रासंगिक है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते है 'शेखर: एक जीवनी' रूपी उपन्यास में अज्ञेय बौद्धिक घृणा को सम्पूर्ण रूप से विद्रोह के आख्यान के माध्यम से सम्राज्यवादी जीवन और सामंतवादी सोच को परिवर्तित और परिष्कृत करने का विजन राष्ट्र के समक्ष उपस्थित करना चाह रहे थे, इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. 'शेखर: एक जीवनी' प्रथम भाग पृष्ठ 61
2. 'शेखर: एक जीवनी' – भूमिका पृष्ठ 12
3. 'शेखर: एक जीवनी' भूमिका प्रथम भाग पृष्ठ 7
4. 'शेखर: एक जीवनी' भूमिका प्रथम भाग पृष्ठ 6 –7
5. 'शेखर: एक जीवनी' प्रथम भाग पृष्ठ 146

****

भक्तिकाव्य में मानवतावादी चेतना के दर्शन

उमेश कुमार भारद्वाज *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र से हिन्दी साहित्य के स्वर्ण काल भक्तिकाल में निहित मानवतावादी चेतना पर विवेचन किया गया है। स्पष्ट है कि मानवतावादी चेतना मानवाधिकारों का पूर्ण रूप है। कोई भी काव्य जब युग विशेष की सीमाओं को लांघकर आने वाले युग में भी विशिष्टता प्राप्त करता है, तो नि:सन्देह उसमें मानवतावादी स्वर प्रखर रहा है। हिन्दी साहित्य का भक्तिकाव्य भी मानवतावादी चिन्तन के कारण आज भी प्रासंगिक व उपादेय बना हुआ है क्योंकि भक्तिकाल की समूची कविता लोकमंगल की कामना करती है।

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल(संवत 1375–1700) अपने विशाल फलक में भक्ति की स्थापना करता है। यह समूचा काव्य जन संस्कृति के अपूर्व उत्कर्ष का अखिल भारतीय आन्दोलन है। मानवतावाद के आधार पर स्वविवेक तथा संघर्ष की निरंतरता के द्वारा एक तर्कसंगत व न्यायोचित पक्ष की स्थापना का प्रबल आग्रह होता है, शायद इसीलिए अन्याय व शोषण के विरूद्ध दयाभाव का कभी से चला आ रहा संघर्ष मानवतावाद का स्थायी आधार है। इस दृष्टि से अवलोकन करने से भक्तिकाव्य मानवतावादी मूल्यों के प्रति सजग व प्रेरित है, समूचे भक्तिकाव्य में यह मानवतावादी चेतना कुछ बिन्दुओं द्वारा देखी जा सकती है।

जन –मुक्ति की कामना – भक्तिकाल पहली बार भक्ति की जनतांत्रिक चेतना का निर्माण करता है पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि भक्ति न केवल मनुष्य मात्र बल्कि कोई भी कर सकता है। जैसे की जटायु द्वारा राम की भक्ति का प्रसंग रामचरितमानस में आता है। मुक्तिबोध जी ने कहा है 'मुक्ति व्यक्तिगत नहीं होती अपितु सामूहिक होती है' यही धारणा भक्तिकाव्य में व्याप्त है इस काव्य में विराट प्रकृति की सहभागिता और मानवीय एकता का स्वर लक्षित होता है।

शोषित, दमित के प्रति सजग – भक्तिकाल की वास्तविक ऊर्जा का स्त्रोत सामान्य जीवन की अभिव्यक्ति ही है। यहाँ कवि राजाश्रय को स्वीकार नहीं करता बल्कि सहज सरल जीवन को काव्य में स्थान देता है। कबीर के लोकधर्म में व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कर्ष की अपेक्षा मनुष्यतव के विकास पर अधिक बल है। सूरदास वेद की मर्यादाओं से परे गोपियों के निर्भिक निर्दन्द्व स्वच्छंद प्रेम के गायक बने है। तुलसीदास भी भगवान के हाथों शबरी को सम्मान दिला रहे हैं। सारा भक्तिकाव्य इसी सहज मानव जीवन के चित्रण में व्यस्त है। मोहन अवस्थी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी भाव को लक्षित करते हुए कहा है 'भक्तिकाल के सभी कवि सरल जीवन के आधार पर प्रेम – भक्ति के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति का उपदेश देते है, इन्होंने जनता की बोलियों को काव्यभाषा बनाया है।' (हिन्दी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास पृष्ठ – 151)

करूणा व आत्मविसर्जन की प्रस्तावना – भक्तिकाव्य में आत्मविसर्जन एक आवश्यक तत्व है, यह कविता अहम् का त्याग करती है। बल्लभाचार्य इसी आधार पर पुष्टि भक्ति की स्थापना करते है। इस काव्य में करूणा तत्व की प्रतिष्ठा है, जो मात्र मानवीय गुण है। राम में करूणा है, प्रेमाख्यान काव्य प्रेम तत्व के साथ – साथ करूणा को दिखाते है, वैसे भी मानवीय एकता व करूणा आत्मविसर्जन के अभाव में संभव नहीं है।

समन्वयात्मक दृष्टिकोण – भक्त कवियों की साधना समन्वयमूलक थी। विजयेन्द्र स्नातक ने अपने साहित्य इतिहास में और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है 'धर्म, दर्शन,उपासना, आचार व विचार सबमें समन्वय द्वारा ये सन्त ऐसे मार्ग का सन्धान करते रहे जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होने के साथ स्वीकार्य हो। कबीर ,नानक, दादू आदि सन्त मानवतावादी दृष्टि सम्पन्न महात्मा थे। प्राय: सभी सन्त गृहस्थ थे, किन्तु स्वकीय परिवार के भरण – पोषण की सीमा में इन्होंने अपना मानवीय दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं बनाया।' (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ–44)

जीवन मूल्य के रूप में लोकमंगल की अवधारणा – भक्तिकाल का सम्पूर्ण काव्य लोकमंगल का विधान करता है, जायसी का प्रेम लोकमंगल पर आधारित है, तो तुलसी मर्यादित समाज की स्थापना के द्वारा लोकमंगल की ही स्थापना करते हैं। कबीर ने भक्ति को धर्म, मतवाद से छुड़ाकर व्यक्ति साधना के साथ समष्टि हित में प्रयोज्य बनाया। अत: लोकमंगल का निर्माण भक्तिकाल की प्रमुख चुनौती रही है और इस बिंदु पर यह मानवतावादी काव्य ही ठहरता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, पूरे भक्तिकाल की चिंता नया मानव तथा समाज बनाने की है। इसी कड़ी में इन भक्त कवियों ने लोकभाषा की प्रतिष्ठा की तथा अपनी भाषा में सामंती मूल्यों से मानवीय विवेक की मुठभेड़ भी की। यहां विजेन्द्र स्नातक के शब्दों को दोहराना उचित प्रतित होता है उन्होंने लिखा है वस्तुत: धार्मिक समन्वयवाद मानव कल्याण के लिए मानववाद, जीवन में सच्चरित्रता का आदर्शवाद तथा स्वानुभूति पर आश्रित सत्य का प्रचार ही इनका जीवन ध्येय था, इनका सत्य मानव मात्र का सत्य है' (हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ –44) अत: ज्ञान, प्रेम तथा भक्ति के माध्यम से यह काव्य सम्पूर्ण मानवतावादी जीवन – दृष्टि की अभिव्यक्ति करता है।

संदर्भ ग्रंन्थ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास – मोहन अवस्थी।
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास – विजयेन्द्र स्नातक।
3. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास – बच्चन सिंह।
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल।

* लेक्चर्र HES-II, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भोजावास,V.P.O. बव्वा जिला – रेवाडी (हरियाणा) भारत

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा का योगदान

डॉ. राजेन्द्र कुमार गोदारा *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 'समाज के विभिन्न्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा का योगदान' का करना है। न्यादर्श के रूप में प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्ता द्वारा 100 महिलाओं को न्यादर्श रूप में चयनित किया गया है। दत्ता संकलन हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में पाया कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, या पारिवारिक हो, महिलाओं की सहभागिता सदैव ही रही है किन्तु शिक्षा ने इसके प्रतिशत में वृद्धि की है।

प्रस्तावना – यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है। हाल के वर्षो में तीव्र आर्थिक विकास के पश्चात भी महिलाओं के समक्ष चुनौतियों का विशाल पर्वत है।

अशिक्षा नये विचारों व मान्यताओं को समाज में प्रतिस्थापित होने से रोकती है, जिससे रूढ़ियां अपनी जड़ों को और गहराई से जमाने में समर्थ हो जाती है। अत: ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो परम्परावादी सोच को परिवर्तित करके स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए संजीवनी का कार्य कर सकता है। देश की नारी शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में स्त्रियों को पुरूषों के साथ पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों का पालन करना पड़ता है। अत: उनकी शिक्षा की अवहेलना करना समाज की भावी पीढ़ी के साथ अन्याय करना है। स्त्री समाज का आधार है, उन्हें शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता – प्रशासन हो, प्रौद्योगिकी हो, सेना हो, चिकित्सा हो, सर्विस सेन्टर हो, सब में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। अवसरों की समानता व वेतन को लेकर कुछ बाधाऐं हैं, लेकिन वे भी धीमे-धीमे ही सही, समाप्त हो रही है। अपनी कार्य-संस्कृति को सम्पन्न बनाने के लिए कंपनियां न केवल प्रबन्धन के मध्य स्तर में इन्हें स्थान दे रही हैं वरन् सर्वोत्तम पदों पर भी इनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर रही है। संसद व विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की वर्षो से चली आ रही मांग को सरकार ने मान कर यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चौखट के बाहर निकल नेतृत्व का अधिकार इन्हें मिलना ही चाहिए। इनमें महिलाओं के विकास के साथ-साथ देश का विकास भी समाहित है।

स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न समितियां व आयोग – स्वतंत्रता के पूर्व तथा पश्चात अनेक शिक्षा आयोगों ने बालिका शिक्षा व उनको समाज में सम्मानित स्थान दिलाने हेतु समर्थन किया। उदाहरण- हण्टर कमीशन, 1946 का राधा कृष्णन कमीशन, जिसने यह माना कि पढ़ी लिखी माता, घर की भाग्य-विधाता। मुदालियर कमीशन 1952, कोठारी कमीशन 1964, हंसा मेहता समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व – हमारे देश की स्त्री शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में स्त्रियों को पुरुषों के साथ पारिवारिक,सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। अत: उनकी शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती। स्त्री समाज का आधार है, उन्हें शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है। नेपोलियन ने कहा था- मुझे सुशिक्षित मातांए दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। पश्चिमी देशों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि स्त्रियां ही शिशुओं को शिक्षा देने के लिए सर्वरूपेण उपयुक्त है।

समस्या-कथन – 'समाज के विभिन्न्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा का योगदान' ।

शोध के उद्देश्य –

1. विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा के योगदान का अध्ययन करना।
2. सामाजिक क्षेत्र में महिला सहभागिता में विषय वर्ग के अनुसार शिक्षा के योगदान का अध्ययन करना।

अनुसंधान विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – 26-35 वय वर्ग की 100 स्नातक महिलाओं को प्रासंगिक प्रतिचयन (Incidental विधि से चयनित किया गया।

उपकरण – शोधकर्मी ने प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वंय निर्मित मापनी का प्रयोग किया है।

दत्ता विश्लेषण – विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा के योगदान का अध्ययन करना।

तालिका 1.1

19-25 वय वर्ग की छात्राऐं

	अधिकतम अंक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
सामाजिक क्षेत्र	7280	5760	79.12
आर्थिक क्षेत्र	4160	3670	88.22
राजनैतिक क्षेत्र	4160	3659	87.95
पारिवारिक क्षेत्र	5200	4558	87.65

व्याख्या – प्रस्तुत शोध में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता में शिक्षा के योगदान का अध्ययन करने के लिए 19-25 वय वर्ग की छात्राओं से प्रदत्ता

* डीन (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

संकलित किए गए। जिसके फलस्वरूप तालिका संख्या (1.1) से स्पष्ट है कि छात्राओं के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक पायी गयी है। इसके पश्चात राजनैतिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत पाया गया है।

तालिका 1.2

26-35 वय वर्ग की महिलाएं

	अधिकतम अंक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
सामाजिक क्षेत्र	1400	1077	76.92
आर्थिक क्षेत्र	800	644	80.5
राजनैतिक क्षेत्र	800	625	78.1
पारिवारिक क्षेत्र	1000	737	73.7

व्याख्या – चारों क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पारिवारिक) में महिला सहभागिता में शिक्षा के योगदान का अध्ययन करने के लिए 19-25 वय वर्ग की छात्राओं के साथ- साथ 26-35 वय वर्ग की स्नातक महिलाओं से भी प्रदत्ता संकलित किये गये तथा प्रदत्तों का विश्लेषण करने के पश्चात परिणाम प्राप्त किए गए। तालिका सं. 1.2 को देखने से स्पष्ट होता है कि 26-35 वय वर्ग की महिलाओं के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का स्तर सर्वाधिक पाया गया है।

निष्कर्ष – समाज के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, या पारिवारिक हो, महिलाओं की सहभागिता सदैव ही रही है किन्तु शिक्षा ने इसके प्रतिशत में वृद्धि की है। अध्ययन में पाया गया है कि महिलाएं यह मानती है कि शिक्षा उनके लिए अति आवश्यक है तथा शिक्षित होना उनकी सहभागिता में वृद्धि करता है। शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।

शैक्षिक महत्व – इस शोध अध्ययन का हमारी शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक महत्व है। इस समाज के जिस क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत कम है, वह शिक्षा द्वारा उनका मार्ग दर्शन करके सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। शोध के द्वारा शिक्षा के प्रति प्राप्त हुए उत्तम परिणामों से प्रोत्साहित होकर महिलाओं तथा समाज के सभी व्यक्तियों में शिक्षा के लिए अधिक जागरूकता विकसित होगी। प्रस्तुत अध्ययन समाज को महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन व उनकी शिक्षा की महत्ता को दर्शाता है। वर्तमान में समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता के बढ़ते हुए स्तर के विषय में जागरूकता प्रदान करता है।

सुझाव –

- शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार की महिलाओं से शिक्षा की अनिवार्यता के विषय में गहन व्यष्टि अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत अध्ययन बालिकाओं व महिलाओं तक सीमित है इसमें हम बालकों की अभिवृत्ति भी ले सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, एस.पी. (2001), वोमेन्स एजूकेशन इन इण्डिया, कॉन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल,अनिल(2010), महिला सशक्तिकरण,परीक्षामंथन,भाग-4, इलाहाबाद।
3. अग्रवाल, अनिल (2010), महिला आरक्षण, परीक्षामंथन, भाग-4, इलाहाबाद।
4. गुप्ता, एन.एल. (2000), वोमेन एजूकेशन, कॉन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी।

****

उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी एवं निराशावादी अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. रेखा सोनी *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी एवं निराशावादी अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोधकर्त्ता द्वारा न्यादर्श रूप में 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है तथा दत्ता संकलन हेतु आशावादी-निराशावादी अभिवृति मापनी डी.एस. पाराशर का प्रयोग किया है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र की उन्नति के कर्णधार और समाज के भाग्य विधाता आज के विद्यार्थी ही है। जब कोई राष्ट्र सुसुप्त अवस्था में अपने कर्तव्य का विस्मरण करके अधिकार लिप्सा में लिप्त हो स्वयं को पतन की और उन्मूख करने लगता है, उस समय एक मात्र जो भविष्य में देश का नागरिक बनता है। वह चेतन एवं सजग प्रहरी है, जिसे बन्द आँखों से जगना व खुली आँखो से सोना पड़ता है। वह अपनी भावाभिव्यंजना द्वारा राष्ट्र की खिसकती दीवारों एवं ढ़हते प्राचीरों का सिंहावलोकन लेकिन कर उसे पतन के गम्भीर गर्व से बचाने हेतु मानस को लगता है एवं भावी पीढ़ियों को उद्बोधन देता है। आज के प्रत्येक विद्यार्थी का नजरीया आशावादी होना चाहिए। क्योंकि आशावादी बालक से ही एक भावी समाज का निर्माण होता है । एक बालक कि अभिवृति या नजरीया का प्रारम्भ परिवार से होता है।

शोध का औचित्य – किसी भी कार्य को करने से पहले उसका औचित्य ध्यान रखना आवश्यक है। शैक्षिक क्षेत्र में जब भी कोई अनुसन्धान कार्य किया जाता है, तो उस अध्ययन की उपयोगिता, महत्व, प्रकृति आदि का औचित्य करना इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके द्वारा यह सिद्ध कर सकते है कि अनुसंधान के परिणााम व निष्कर्ष शैक्षिक जगत को किस प्रकर प्रभावित करेगें? यह किसी बालक का मूल्य स्तर प्राप्त है तो उसकी अध्ययन आदते किस प्रकार से विकसित हो रही है?

समस्या कथन – 'उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी एवं निराशावादी अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन'।

शोध के उद्देश्य –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृति का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी व ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी व ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृति में केाई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श –प्रस्तुत शोध में न्यादर्श रूप में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों को चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण – आशावादी-निराशावादी अभिवृति मापनी डी.एस. पाराशर

दत्ता विश्लेषण व निष्कर्ष –

परिकल्पना – 1 – उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी-मान
आशावादी	100	42.60	1.637	2.702
निराशावादी	100	42.76	1.929	

उपरोक्त सारणी संख्या एक में उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति सम्बन्धी दत्तों को विश्लेषित कर दर्शाया जाता है। जिसमें आशावादी, निराशावादी अभिवृत्ति सम्बन्धी मध्यमान व प्रमापन विचलन क्रमश: 42.60 व 42.76 तथा 1.637 व 1.929 है तथा इसके आधार पर ज-मान 2.702 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता के दोनों स्तरों 0.01 व 0.05 के सारणी में (2.59 व 1.96) से कम है।

अत: इस आधार पर शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.1 – उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी व ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी-मान
शहरी आशावादी	100	41.54	2.851	2.338
ग्रामीण निराशावादी	100	42.88	1.188	

उपरोक्त सारणी संख्या दो में उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी व ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति सम्बन्धी दत्तों को विश्लेषित कर दर्शाया गया है। जिसमें शहरी व ग्रामीण आशावादी, निराशावादी अभिवृत्ति सम्बन्धी मध्यमान व प्रमापन विचलन क्रमश: 41.54 व 42.88 तथा 2.851व 1.188 है तथा इसके आधार पर ज -मान 2.338

* प्रोफेसर, श्रीगंगानगर शिक्षक प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता के दोनों स्तरों 0.01 व 0.05 के सारणी में (2.59 व 1.96) से कम है।

अतः इस आधार पर शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी व ग्रामीण वर्ग के किशोर विद्यार्थियों की आशावादी व निराशावादी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

भविष्य के लिये शोध सुझाव –

1. प्रस्तुत शोधकार्य हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसीले तक ही सीमित रखा गया है। आगामी शोध कार्य के लिये राजस्थान के अन्य जिलों के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को भी लिया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्ता ने केवल उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। आगामी शोधकार्य के लिये स्नात्ताक स्तर को भी लिया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्ता ने उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को शामिल किया है। अन्य पाठ्यक्रमों तकनीकी, वाणिज्य वर्ग को सम्मिलित करके अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 किल पेट्रिक, डब्ल्यू. एच.–पाठ्यक्रम परियोजना पर अध्ययन पर अध्ययन किया।
2. रोजली, ए.– उच्च कक्षा के विद्यार्थियों की गणितिय रूचि मापनी व उपलब्धि में सहसम्बन्ध का अध्ययन मदुरई में किया।
3. भण्डारकर, के. एम.– माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों का जनसंख्या शिक्षा के बारे में ज्ञान व अभिरूचि का अध्ययन भोपाल में किया।
4. खातून, बालक–बालिकाओं के गणितिय अभिरूचि में सहसम्बन्ध का अध्ययन किया।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

मौलिक अधिकार (आर.टी.ई.)

डॉ. शांति तेजवानी * नीलिमा पहारे **

प्रस्तावना – भारतीय पौराणिक शास्त्रों में कल्पवृक्ष की कल्पना की गई है और यह माना गया है कि कल्पवृक्ष से जो इच्छा प्रकट की जाती है, वह वृक्ष उस इच्छा की पूर्ति करता है विद्या को इसी कल्पवृक्ष के समान कल्पलता माना गया है और यह माना गया है कि इस विद्या रूपी कल्पलता से जो भी इच्छा की जाएगी वह पूरी होगी अर्थात विद्या मनुष्य की हर कामना को पूरा कर सकती है। शिक्षा व्यवहारों का उन्नयन एवं समाजीकरण है शिक्षा समाजीकरण की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। शिक्षा के कारण ही वह अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है।

शिक्षा से राष्ट्र की उन्नति होती है, शिक्षा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अनिवार्य है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली सार्थक, सामाजिक एवं नैतिक प्रक्रिया है, यदि समाज के सामने इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाना है? और क्या नहीं? तो उस समाज की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकती है इसीलिए जीवन की किसी भी प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। उद्देश्य रहित शिक्षा निरर्थक और सारहीन होती है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा की वह आधारशिला है, जिसकी नींव पर शिक्षा रूपी सुदृढ़ भवन का निर्माण किया जा सकता है। अत: राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।

शैक्षिक अवसरों की समानता – शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तनों को न केवल गति प्रदान की जाती है अपितु उन्हें एक निश्चित दिशा भी दी जाती है इसके लिए शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध हो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार– 'शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना है। पिछड़े अथवा अपर्याप्त सुविधाऐं प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों को अपने विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना।'

शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य जाति धर्म, रंग, लिंग रूप तथा क्षेत्र के आधार पर पक्षपात न करते हए सबके लिए उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने से है। जब ऐसे वर्गो तथा व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक साधन उपलब्ध होंगे, तो वे सुविधा प्राप्त वर्गों के समान शिक्षा प्राप्त कर अपनी उन्नति व प्रगति कर सकते है। इसके अंतर्गत महिला वर्ग, अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियाँ विकलांग व्यक्ति, समाज का निर्धन व श्रमिक वर्ग आता है, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए है।

भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रावधान – भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो अपने सभी नागरिकों तथा विशेष रूप से सामाजिक दृष्टि से पिछडे व सुविधाहीन बच्चों के कल्याण के लिए वचन बद्ध हैं। संविधान में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के शैक्षिक उत्थान हेतु संरक्षण व उपाय किए गए है। जिसमे से कुछ निम्न प्रमुख सुरक्षा उपाय निम्न है।

- धारा 28 धार्मिक शिक्षा, अर्थात राज्य निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।
- धारा 29(1) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
- धारा 29(2) राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से पहले नहीं रोका जायेगा।
- धारा 30(1) धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 30(1) का खण्ड (1) मे निर्दिष्ट दुर्बल वर्गो के शिक्षा हितों का संरक्षण धारा 46 कमजोर वर्गो के लिए शिक्षा–धारा (17) अस्पृश्यता निवारण, धारा (24) बाल श्रम प्रतिबंधित, धारा 16/335 राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने छूट, धारा 350 अल्पसंख्यक वर्गो के बालको को प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा व पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

संविधान की धारा 45 में संशोधन – संविधान की मूल धारा 45 के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण 1960 तक हो जाना चाहिए था परन्तु यह लक्ष्य सन् 2000 तक भी पूरा न हो सका इसलिए यह अनुभव किया गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया जाए, तद्बुसार 2002 तक भी पूरा न हो सका। इसलिए यह अनुभव किया गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया जाए तद्बसार 2002 मे संविधान की धारा 45 में संशोधन कर धारा 21(A) और 51A(K) को जोड़ा गया।

- धारा 21(A) को मूल अधिकारों से संबंधित भाग III में जोड़ा गया– राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य निर्मित विधि के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी।
- धारा (A) संशोधित धारा इस प्रकार है– राज्य सभी बच्चों को जब तक वे 6 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर सुलभ कराएगा।
- 51(K) – भाग IV के मूल कर्त्तव्य मे 'माता पिता अथवा अभिभावक स्थिति अनुसार 6–14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर सुलभ कराएगा।

* प्राचार्य (शिक्षा) श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (शिक्षा) पेसीफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एंड रिचर्स यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्वशिक्षा अभियान – 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हो चुका है इस अधिनियम के अंतर्गत 6–14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को उसके आवास के निकट उपयुक्त कक्षा मे 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अत्याधिक कमी के कारण, किस प्रकार बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम को नये शैक्षणिक सत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित माप दंडो की योजना को बनाना। भारत सरकार के मापदंडो के अनुसार प्रत्येक 300 लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्रो में दो किलो मीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार 14 वर्ष के सभी बालको को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रावधान को पूरा करने के लिए 6 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सभी राज्यो ने अधिनियम बनाये। बालकों को विद्यालयो में आकर्षित करने के लिए अवकाश के समय नाश्ता मुफ्त पोषक, पुस्तको का नि:शुल्क वितरण आदि। साथ ही शिक्षा स्तर मे गुणात्मक सुधार तथा समान अवसर प्रदान किए गए।

आर.टी.ई. अधिनियम 21 (ए) – किसी देश में लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना पहली अनिवार्यता हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन तंत्र तभी सुचारू रूप से चल सकता है, जब वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो का उचित प्रयोग कर सके इसीलिए जनवर्ग का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है।

इसी संदर्भ मे देश मे ''धारा 45'' 1 अप्रैल 2010 से नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 21 (ए) लागू हुआ। इसके तहत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलो में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चो को न्यूनतम 25% सीटो पर प्रवेश दिये जाने के संबंध मे प्रक्रिया निर्धारित की गयी। इसके अंतर्गत वंचित समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शुल्क बच्चे, एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बच्चो को रखा गया।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में परिवर्तित करने का प्रस्ताव – राज्यो के शिक्षा मंत्रियो की एक समिति के आधार पर भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया एवं संशोधन के द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव किया गया। 16 मई 1997 को केबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 28 जुलाई 1997 को राज्य सभा में इस प्रस्ताव से संबंधित संशोधन विधेयक रखा परन्तु संसद की समिति विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि जनता की राय आवश्यक है। सरकार द्वारा संशोधन विधेयक (93वाँ) संसद मे पेश कर 28 नवंम्बर 2001 में इसे पास कर 14 मई 2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

1. 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चो को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन अनुच्छेद 21 को राज्य कानून द्वारा शामिल करना
2. संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 45 के स्थान पर प्रतिस्थापन, राज्य सभी बच्चों को जब तक वे 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले देखभाल और शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा।
3. नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51। में नई धारा माता–पिता या अभिभावक 6–14 वर्ष के बीच अपने बच्चे या जैसी स्थिति हो अर्जित को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यादव पी., सक्सेना.एस (2005) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा साहित्य प्रकाशन, आगरा ।
2. पाण्डेय आर. (2007) नई शिक्षा नीति, अग्रवाल पब्लिकेशन न्यू संस्करण ।
3. अग्निहोत्री आर. (2008), आधुनिक भारतीय शिक्षा – समस्याऐं और समाधान राजस्थान ग्रंथ अकारयी जयपुर (राजस्थान) ।
4. भटनागर एस. (2004) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऐं सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ ।
5. अग्रवाल बी.बी. (1996) आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याऐं विनोर पुस्तक मंदिर, आगरा ।

****

Literature Analysis Of Vulva Cancer During 2000-2009 -A Scientometric Study

Monika Singhai* Dr. J. N. Gautam**

Abstract - This article is the analysis of the literature of vulva cancer indexed in Medline online database during 2000-2009. This study focused on authorship pattern, measure of collaboration, relative growth rates, doubling time, application of Bradford's law of scattering. Under this study total 1717 article published by total 7949 authors and mean value of degree of collaboration is 0.92 which indicates the prevalence of team research and solo research is quite substantial. In vulva cancer data tested by Bradford's theory found relationship of each zone is 8:46:303. Gynaecological oncology (211 articles) and international journal of gynaecological cancer (85 articles) were found most productive journals.
Key Words - Scientometric, Vulva cancer, collaboration, Bradford's law, Bradford's multiplier, Authorship pattern, Degree of collaboration, Chi-square

Introduction - In 17th century onwards collaborative research starts and scientists began to communicate their research results to one another and the world at large. This put ways to the building up of the modern journals. By the end of 17th century, about thirty scientific and medical journals were published. New researchers and thirst for knowledge has led to the proliferation of new work. It is necessary that research and new findings should be circulated widely among the research scholars, scientists, specialists and others. Access to Internet, particularly the Web sources, has already influenced and changed the way that the scholars and faculty members used to retrieve and disseminate information for their academic work. But the problem is the selection of document for which one has to spend more time in selecting than the actual reading. In order to tackle these problems effectively, librarians have to use quantitative techniques. Now these days Scientometrics and bibliometrics are quantitative methods used to measure scientific activities, mainly by producing statistics on scientific publications indexed in databases.

Cancer of the vulva also known as vulvar cancer, most often affects the inner edges of external female genitalia or the labia minora. In 1978, Carmer and The American Cancer Scoiety's estimation of cancer deaths and new cases for genital organs is listed that is noted that 6-10 newly diagnosed cancers of the female genital organs were invasive malignancies, and the remaining were in situ carcinomas.

Popular Works - In the field of cancer research, the quantitative analysis based study has not been done very frequently. ***Grossi and other scientists***worked on clinical cancer research with three phases. They collect data (3142 articles) form Medline database published 1995 to 1999. One more study done by ***Jones and Cambrosio***based onanalysis of articles published in 75 leading journals during 2009 in cancer (18,581 articles) and cardiovascular medicine (15,421 articles) field. Another study made in 2005 asa bibliometric analysis of Oncology research in India. The term "Neoplasm" used to extract the data form NCBE Pub Med and total 15,37,659 records retrieved. Main focus of this study was to identify the core journals with application of Bradford Law, author's productivity with Lotka's Law, contribution of various countries, prolific institutions in the field of cancer research.

Research Methodology - MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) bibliographical database has been selected for downloading the data published during 2000-2009 which includes nursing, dentistry, veterinary medicine, health care system and preclinical science. It is maintained by the National Biotechnology Information (NCBI) at National Library of Medicine (NLM).AsNeoplasm is listed under MeSH subject headingso the search term "Neoplasm" used with the appropriate types of cancer (i.e. Vulva AND Neoplasm) to extract data through Endnote reference management software. All records has been analysed based on bibliographic details in terms of authorship pattern, year-wise growth, Relative Growth Rate, Doubling Time, Name of Journal and its publication country. Bradford's Law of scattering applied to identify the core journals in the field of Vulva cancer research.

Objectives Of The Study -

1. To determine year-wise growth of the literature.
2. To determine the relative growth rate and doubling time of the literature in the field of Vulva cancer research.

*Assistant Librarian, Symbiosis University of Applied Sciences, Indore (M.P.) INDIA
**Professor, SOS Library and Information Science, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

3. To observe the pattern of authorship collaboration.
4. To identify the most productive author who have significantly contributed to the field.
5. To prepare a ranking list of journals and to identify core journals in the subject with the help of Bradford's law.
6. Geographical Distribution of Core journals.

Analysis & Interpretation - In this chapter, collected data has been tabulated according to chronological distribution, relative growth rate, doubling time, authorship pattern, ranking of authors, ranking of journals, publication Countries of journal, application of Bradford's law and chi squire test.

1. Year Wise Articles Growth Of Vulva Cancer (Fig. see in the last page)

Fig.1 shows articles growth trends in Vulva Cancer research during the 2000-2009. Total 1717 articles have been published in MEDLINE during the study period. After 2000, there is no steady growth of literature. In the Year of 2003, 2007 and 2009, where the growth of literature decline from the previous year. Table-1 depict highest number of articles was 189 (11.01%) in 2006 and lowest number of articles 142 (8.27%) in 2001. After observing it can be concluded that on an average around 171 papers were published yearly. **(See in the last page)**

2. Relative Growth Rate (Rgr) And Doubling Time (Dt) Of Articles Of Vulva Cancer During -

Table-2 indicates the relative growth rate and doubling time of total research output for vulva cancer research articles. It is observed that the relative growth rates of research output have decreased from 0.60 to 0.11 during 2000-2009. The mean relative growth rates for the periods 2000-2004 and 2005-2009 are 0.31 and 0.15 respectively, whereas the mean relative growth rate for the whole study period is 0.23. **(Table see in the last page)**

On the other hand, the mean doubling times for above two periods are 1.15 and 6.29 respectively, whereas the mean doubling time for the whole study period is 3.25. Fig. 2 and Fig. 3 is showing decline trend of relative growth rate of research output and increasing trend of doubling time for vulva cancer articles.

Fig.2 - Relative Growth Rate (Rgr) Of Articles Of Vulva Cancer During 2000-2009 **(See in the last page)**

Fig.3 - Doubling Time (Dt) Of Articles Of Vulva Cancer During 2000-2009 **(See in the last page)**

2. Authorship Pattern And Measure Of Collaboration For Vulva Cancer Articles

Authorship Pattern - Year wise authorship pattern evident from Table no. 3 that 123 (7.16%) out of 1717 articles are single-authored. This indicated that solo research is quite substantial in this field. 220 (12.81%) articles are by two authors and 279 articles (16.25%) contributed by three authors. Similarly, Four; Five; Six and seven authored articles count is 247 (14.39%), 297 (17.30%), 209 (12.17%), 137 (7.98%) respectively. There are some article having incomplete bibliographical details, because of 0.23% articles have no authors. In all, nearly 90% articles is the result of team research and 10% solo research. (Fig 4)

Fig. 4 - Year Wise Authorship Pattern Of Vulva Cancer Articles During 2000-2009 **(See in the last page)**

Fig. 5 - Authorship Pattern Of Articles Of Vulva Cancer Articles During 2000-2009 **(See in the last page)**

Measure Of Collaboration - Table 4 depicts that 1717 articles have been published during 2000-2009 in the field of Vulva Cancer and 7963 authors had written them. Average number of authors in each article (CI) is 4.63. The number of authors has fluctuated during the 10 years, so that in 2007 the largest number of authors (5.048) and in 2003, the lowest number of authors (4.369) counted per papers. Table 4 shows the degrees of collaboration from 0.88 to 0.95 during 2000-2009. Mean value of degree of collaboration in the Vulva Cancer research is 0.92 which indicates the prevalence of team research in the Ovarian Cancer discipline. Collaborative coefficient is 0.69. **(See in the last page)**

5. Contribution Of Authors In The Field Of Vulva Cancer - The most prolific authors with their number of articles are given in Table 5. The most productive authors found in the study in order of the number of articles are de Hullu, J.A. who tops the list with 12 articles followed by Olejek, A. with 9 articles. **(See in the last page)**

Third position got by McCluggage, W. G. with 9articles, Jones, R. W. with 7, Regauer, S., Likes, W. M., Knopp, S., Rouzier, R., Wydra, D., Hampl, M. with 6 articles and Tjalma, W. A., Ghaemmaghami, F., Fons, G., Horn, L. C. with 5 articles. 15 authors contributed number of 4 papers. Rest of the authors contributed 1537 papers having less than four papers individually. There are 4 articles found without any authors' name.

Fig.6 - Contribution Of Authors In The Field Of Vulva Cancer During2000-2009 **(See in the last page)**

6. List Of Core Journals And Their Geographical Scattering In The Field Of Vulva Cancer - A Core journal list (Annexure-1) contain 80 journals those are published more than 5 articles. It was found that, 1717 articles were from 357 journals.A rank list of the journal shows that 26 journals account for 50% of the total articles. Top ten journals accounting 35.93% of the publications. Gynaecological Oncology (211 articles) and International Journal of Gynaecological Cancer (85 articles) are most productive journals followed by European journal of gynaecological oncology (77), International journal of Gynecological pathology (55), The Journal of reproductive medicine (50). It was further found that there are only 4 Indian journals contributed 8 articles during 2000-2009 on Vulva Cancer which are listed in MEDLINE i.e. Indian J Pathol Microbiol (5), Ann Saudi Med (1), Indian J Cancer (1) and J Indian Med Assoc (1). **(Table 6 - See in the last page)**

Because of international characteristics of scientific research, scientific literature is being published all over the world. In this section, all core journals are listed according to their country of origin to find out the most productive countries in the literature of Vulva cancer (Fig 7). Table 6 presents that USA ranks first by producing 34.22% of the

total listed journals. England got second rank with 16.18% of total no of Journals, followed by Germany with 5.31% and Netherlands with 5.04%. China got fifth position with 3.71%, followed by Switzerland with 3.18% production of journals. The above six countries produced nearly 67.64% of total journals. The renaming 32.36% of journals are form 44 countries.Apart from India various countries published citing journals like United States, England, Germany, Netherlands, China, Switzerland, France, Japan, Italy, Australia, Poland, Greece, Ireland, Brazil, Spain and other countries. Most of the journals published by United States (129) followed by England (61) and Germany (20). **(See in the last page)**

Fig. 7 - Countries Of Core Journals Of Vulva Cancer During 2000-2009 **(See in the last page)**

7. Application Of Bradford's Law And Chi- Square Test Of Vulva Cancer - In the table 5.1.6.1, for the testing the verbal interpretation of the Bradford's law, present data set of vulva cancer (1717 articles) was divided into three zones. 8 journals covered 569 articles, next 52 journals covered 575 articles and next 317 journals covered 573 articles. In other words, one third of the total citations have been covered by each group of the journals.

According to Bradford's, the ratio of the journals in successive zones followed a common pattern and identifies form an approximately geometric series $1:n:n^2$. Bradford's Law of scattering shows that each zone should be produces 1/3 of total relevant papers. Here, n represent Bradford's multiplier which was arrived at by dividing journals of a zone by its preceding zone. In the present study the relationship of each zone is 8:52:317.

Here 8 represent the number of journals in the nucleus and the mean value of Multiplier (n) is 6.30, so the ratio of zone is -

$$1x\ 8: 8x6.30: 8x(6.30)^2$$

$$8: 50.38: 317.71 = 375.71$$

$$\text{Percentage of error} = \frac{375.71-377}{377} X\ 100$$

$$= -0.34$$

Here the percentage error is negligible and it was found that the number of journals contributing references each zone increase by a multiplier of 6.30. So it can be said that this result fit into the Bradford's distribution.

Application Of Leimkuhler Model The following method based on the Leimkuhler model was employed for the verification of Bradford's Law of Scattering. In the present study of Journal Citation were divided in three zones (p=3 where p denote the Number of Zones) for application of Bradford's using the mathematical formula,

R (r)= a log(1+br)……………….(1)

Where R (r) is the cumulative number items produced by the source of rank 1,2,3……r, a and b are constant

$$a = \frac{y_0}{\log k} ....(2)$$

$$b= \frac{k-1}{r_0} ....(3)$$

where r_0 is the number of source in the frist Bradford's group, y_0 is the number of items in every Bradford group and k is Bradford multipiler.

The value of Bradford's multiplier k is calculated as follows:

$$k = (e^y y_m)^{1/p} \text{where } e^y = (1.781)$$

In the present case y_m= number of items in the most productive source = 211 and hence

$$k = (1.781 \times 211)^{1/3} = 7.216$$

$$y_0 = A/P$$

where, A denotes the total number of articles = 1717 and p denotes the number of zones = 3

$$y_0 = \frac{1717}{3} = 572.33$$

and r_0 = number of journals in the nucleus of Bradford is calculated as

$$r_0 = \frac{T\,(k-1)}{(k^p-1)} \text{ where T = Total number of Journals}$$

$$r_0 = \frac{377\,(7.216-1)}{(7.216^3-1)} = 6.253$$

$$a = \frac{y_0}{\log k} = \frac{572.3}{\log\,(7.216)} = 670.17$$

$$b = \frac{k-1}{r_0} = \frac{6.992-1}{6.273} = \frac{5.992}{6.276} = 0.994$$

The findings of the calculations as shown in Table No. 5.1.6.2 that the number of journals in the nucleus is 6.23 and the mean value of the Bradford multiplier is 6.99. Therefore, the Bradford's distribution is written as:

$6.253: 6.253 X 7.216: 6.253 X (7.216)^2$

6.253: 45.121: 325.597 = 376.97

(See in the last page)

$$\text{Percentage error of Journals} = \frac{376.97-377}{377} X\ 100$$

= -0.0079

$$\text{Percentage error of Articles} = \frac{1716.88-1717}{1717} X\ 100$$

=-0.0068

Here, percentage error is found negligible in both cases thereforeBradford's law fits very well in this data set. It is observed that 7.216 multiplier increased the number of journals in each zone. The data set of the zone shows that the first zone containing 6 journals contributed 513 citations, second zone with 45 journals produced 579 articles and the 326 journals of third zone produced 625 citations. Here the mean value of the Bradford Multiplier (BM) is large i.e. two digits. The larger the Bradford Multiplier, presumably, the higher is the scatter.

Graphical Formulation - Figure 9 shows the Bradford Bibliograph, where cumulative total of articles are plotted against logarithm of cumulative number of journals. On a Bradford Bibliograph, the core journals are those whose points lay on the initial curved part of the graph until tangentially becomes a straight line.

Fig. 9 - Bradford's Bibliograph For Vulva Cancer During 2000-2009 **(See in the last page)**

Chi Square Test -

Chi-Square value is calculated by taking the summation of last column

(Table 8):

="(O"E)^2/ E

=131.76

Therefore, Degree of Freedom = (c-1) (r-1)

= (2-1)(29-1)= 28

The results of Chi-square test of goodness of fit indicated that the Chi-square value (c^2= 131.76) is much higher than the critical Chi-square value of 41.33 for 28 degrees of freedom at 0.05 level of significance. A chi square value larger than this leads to rejection of the null hypothesis.

Refrences -

1. "EndNote online." EndNote. 2015. http://endnote.com/sites/en/files/m/pdf /en-online-qrc.pdf.
2. "Find Articles You Need: Searching PubMed®/MEDLINE." U.S. National Library of Medicine, Last modified November. 2015.
3. Ajiferuke, I., Q. Burrel, and Tague J. "Collaborative coeffcient: A Single measure of the degree of collaboration in research." Scientometrics 14 (1988): 421-433.
4. Alli, A. Amudha. "Scientometrics/ Informetrics: evolution of its concept and applications." In Bibliometric Studies, edited by G. Deverajan, 14. New Delhi: Ess Ess publication, 1997.
5. Garfield, E. "Has scientific communication Changed in 300 Years?" Essays of an Information Scientist." 4 (1980): 396.
6. Garg, K.C, Praveen Sharma, and Suresh Kumar. "Scientometric profile of Journal Mausam." Annals of Library and Information Studied 55, no. 1 (2008): 76-80.
7. Grossai, F, Belvedere O, and R Rosso. "Geography of clinical cancer publication from 1995-1999." Europiean Jouranl of Cancer 39 (2003): 106-111.
8. Hawkins, D.T. "Unconventional uses of on-line information retrival syatem: on-line bibliometrics studies." Journal of American Society for Information Science 28, no. 1 (1977): 13-18.
9. Heine, M.H. "Bradford ranking conventions and their application to a growing literature." Journal of documentation 54, no. 3 (1998): 303-331.
10. Lawani, S. M. "Quality, Collaboration and Citations in cancer reseach: A 268 bibliometric study." Ph.D. Dissertation. Florida State University, 1980. 395.
11. McGowan, Larry. Gynecologic Oncology. New York: Appleton- Century- Crofts, 1978.
12. Patra, Swapan Kumar, and Partha Bhattacharya. "Bibliometric Study of Cancer Research in India." DESIDOC Bulletin of Information Technology 25, no. 2 (2005): 11-18.
13. Prasher, R.G. Information and It's communication. New Delhi: Medallion Press, 1991.
14. Sahoo, K.C. Information use pattern of research in biosciences: a bibliometric study. Ludhiana: Medallion Press, 2002.
15. Subramanyam, K. "Bibliometric studies of research collaboration:a review." Journal of Information Science 6, no. 1 (1983): 33-38.

TABLE 1: YEAR WISE ARTICLES GROWTH OF VULVA CANCER DURING 2000-2009

Year	No. of Articles	Percentage	Cumulative No. of Articles	Cumulative Percentage
2000	171	9.96	171	9.96
2001	142	8.27	313	18.23
2002	167	9.73	480	27.96
2003	160	9.32	640	37.27
2004	175	10.19	815	47.47
2005	185	10.77	1000	58.24
2006	189	11.01	1189	69.25
2007	166	9.67	1355	78.92
2008	183	10.66	1538	89.57
2009	179	10.43	1717	100
Total	1717	100		

Year Wise Articles Growth Of Vulva Cancer During 2000-2009

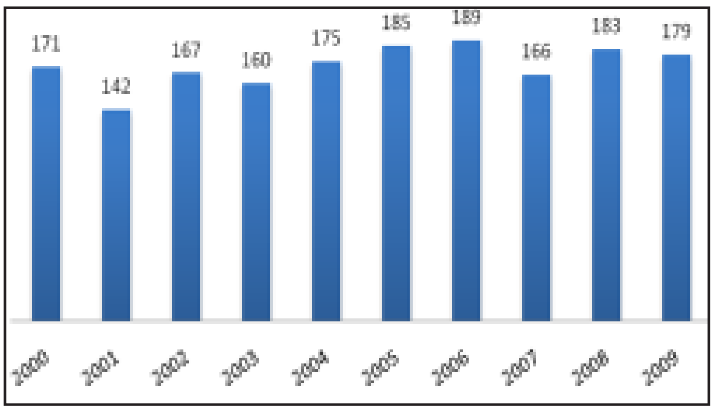

TABLE 2: RELATIVE GROWTH RATE (RGR) AND DOUBLING TIME (Dt) OF ARTICLES OF VAGINAL CANCER DURING 2000-2009

Year	No. of	Cumulative	W1 (log C)	W2 (log CC)	RGR	Dt
2000	71	71	0	4.26	0	0
2001	78	149	4.26	5	0.74	0.93
2002	61	210	5	5.35	0.34	2.02
2003	78	288	5.35	5.66	0.32	2.19
2004	79	367	5.66	5.91	0.24	2.86
2005	85	452	5.91	6.11	0.21	3.33
2006	77	529	6.11	6.27	0.16	4.41
2007	90	619	6.27	6.43	0.16	4.41
2008	97	716	6.43	6.57	0.15	4.76
2009	85	801	6.57	6.69	0.11	6.18
Total	801					

Fig.2 - Relative Growth Rate (Rgr) Of Articles Of Vulva Cancer During 2000-2009

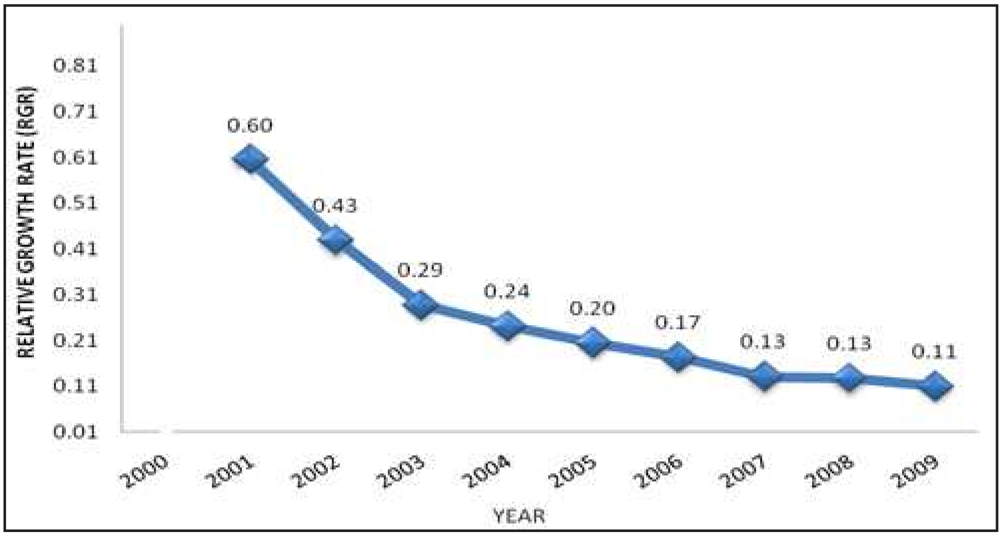

Fig.3 - Doubling Time (Dt) Of Articles Of Vulva Cancer During 2000-2009

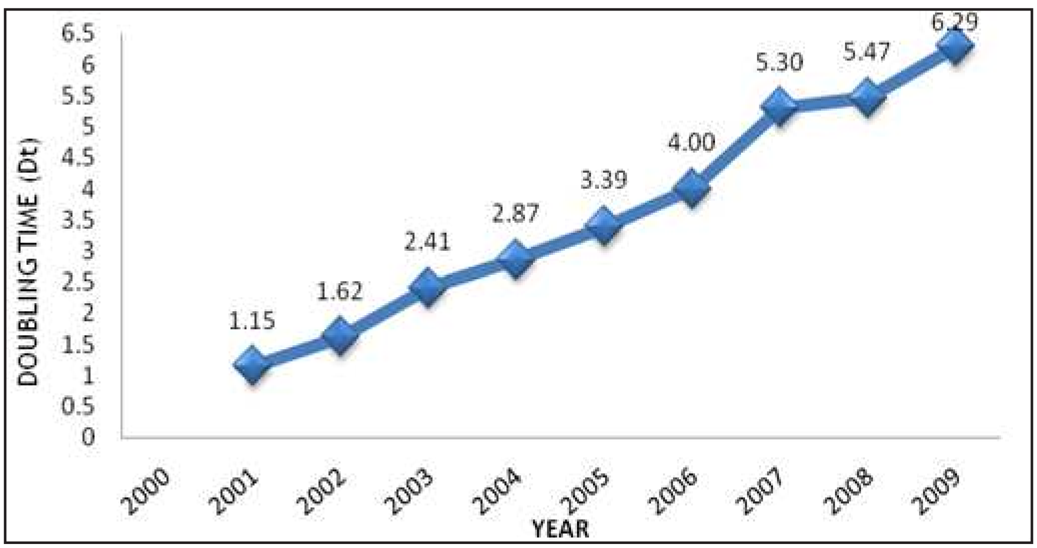

TABLE 3: YEAR WISE DISTRIBUTION OF AUTHORSHIPS FOR VULVA CANCER ARTICLES

No. of Authors	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	%
0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	0.23
1	12	12	18	16	13	10	12	7	12	11	123	7.16
2	25	21	18	22	22	21	26	21	24	20	220	12.81
3	29	19	29	24	30	31	26	29	38	24	279	16.25
4	27	11	24	26	23	35	27	22	23	29	247	14.39
5	26	27	33	26	37	31	33	25	29	30	297	17.3
6	19	19	13	19	23	26	27	23	18	22	209	12.17
7	15	20	15	13	11	10	14	8	15	16	137	7.98
8	5	2	6	6	8	9	9	13	11	15	84	4.89
9	4	2	3	3	4	7	7	10	8	4	52	3.03
10	3	2	2	3	1	2	5	3	2	3	26	1.51
11	3	3	3	1	3	3	0	1	1	2	20	1.16
12	2	0	1	1	0	0	2	2	0	0	8	0.47
13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.12
14	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0.29
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.06
16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.06
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.06
29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.06
Total	171	142	167	160	175	185	189	166	183	179	1717	100

Fig. 4 - Year Wise Authorship Pattern Of Vulva Cancer Articles During 2000-2009

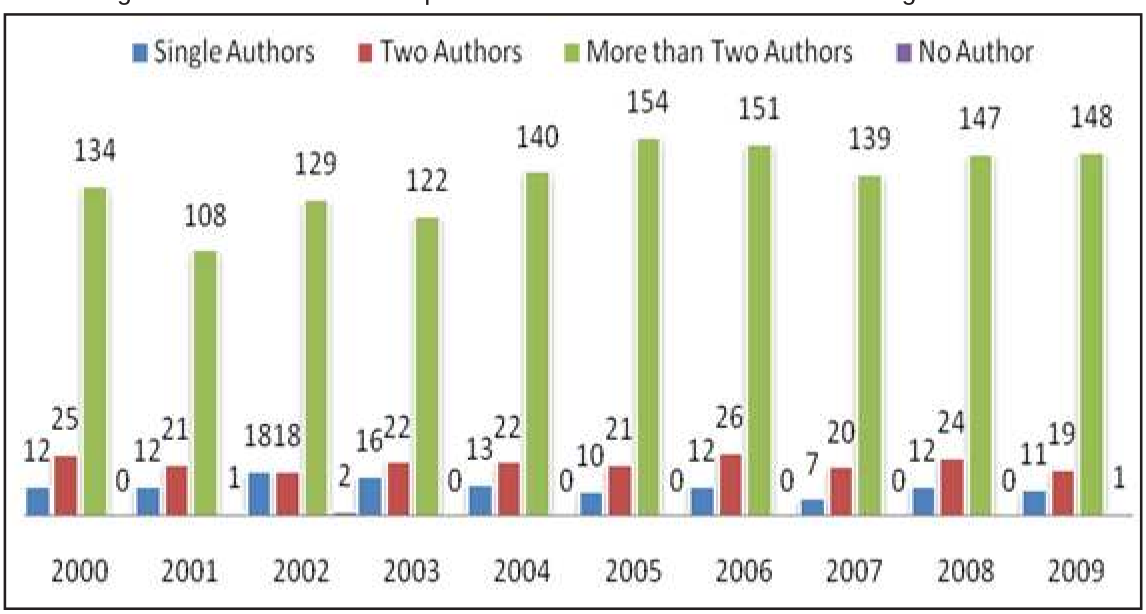

Fig. 5 - Authorship Pattern Of Articles Of Vulva Cancer Articles During 2000-2009

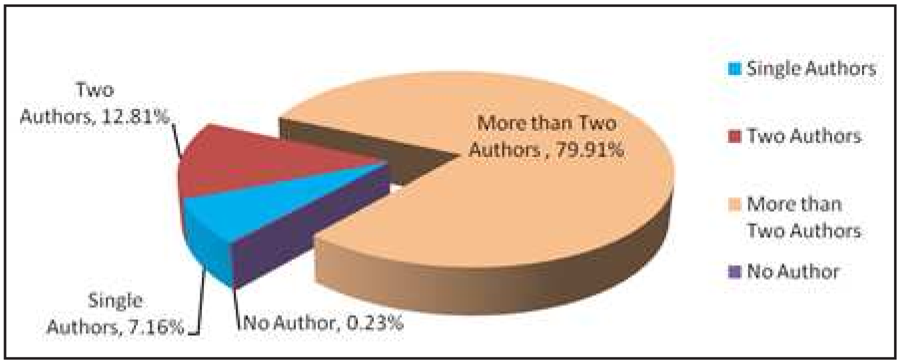

TABLE 4 : MEASURES OF COLLABORATION OF VULVA CANCER ARTICLES DURING 2000-2009

Year	Number of articles	Number of authors	CI	DC	CC	MCC
2000	171	783	4.579	0.93	0.688	0.692
2001	142	664	4.676	0.908	0.689	0.694
2002	167	725	4.341	0.88	0.669	0.673
2003	160	699	4.369	0.9	0.667	0.671
2004	175	782	4.469	0.926	0.689	0.693
2005	185	854	4.616	0.946	0.709	0.712
2006	189	898	4.751	0.937	0.703	0.707
2007	166	835	5.084	0.958	0.723	0.727
2008	183	839	4.612	0.934	0.694	0.698
2009	179	870	4.86	0.933	0.714	0.718
Total	1717	7949	4.63 (Mean of CI)	0.92 (Mean of DC)	0.69 (Mean of CC)	0.69 (Mean of MCC)

TABLE 5: RANKING LIST OF AUTHORS IN THE FIELD OF VULVA CANCER DURING 2000-2009

Sl. No.	Rank	Name of Author	Total No. of Papers	Percentage
1	1	de Hullu, J. A.	12	0.7
2	2	Olejek, A.	9	0.52
3	3	McCluggage, W. G.	9	0.52
4	4	Jones, R. W.	8	0.47
5	5	Regauer, S.	6	0.35
6	5	Likes, W. M.	6	0.35
7	5	Knopp, S.	6	0.35
8	5	Rouzier, R.	6	0.35
9	5	Wydra, D.	6	0.35
10	5	Hampl, M.	6	0.35
11	5	de Giorgi, V.	6	0.35
12	5	Fons, G.	6	0.35
13	6	Scurry, J.	5	0.29
14	6	Tjalma, W. A.	5	0.29
15	6	Ghaemmaghami, F.	5	0.29
16	6	Horn, L. C.	5	0.29
17	6	Oonk, M. H.	5	0.29
18	6	van de Nieuwenhof, H. P.	5	0.29
19	7	15 authors with 4 papers	60	3.49
20	8	31 authors with 3 papers	93	5.42
21	9	96 authors with 2 papers	192	11.18
22	10	1252 authors with 1 papers	1252	72.92
23	11	No authors	4	0.23
		Total	1717	100

Fig.6 - Contribution Of Authors In The Field Of Vulva Cancer During2000-2009

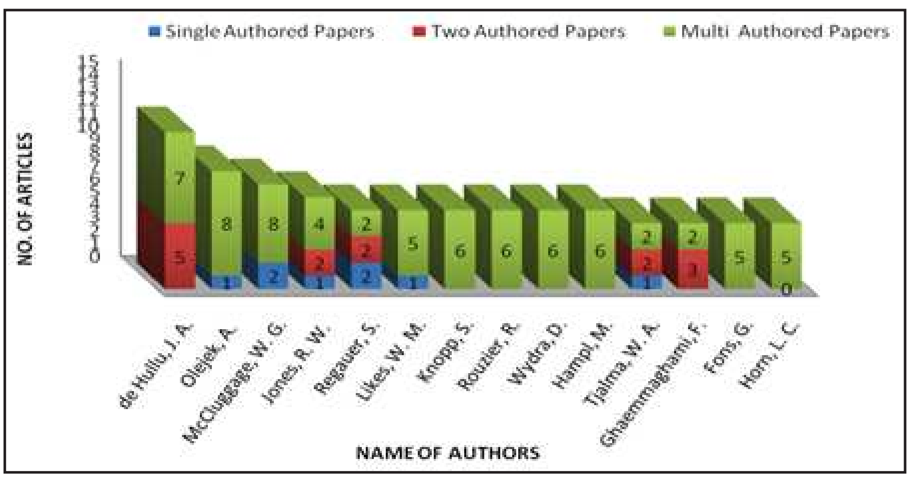

TABLE 6: COUNTRIES OF CORE JOURNALS OF VULVA CANCER DURING 2000-2009

Sl. No.	Name of Country	No of Journals	Percentage
1	United States	129	34.22
2	England	61	16.18
3	Germany	20	5.31
4	Netherlands	19	5.04
5	China	14	3.71
6	Switzerland	12	3.18
7	France	10	2.65
8	Japan	10	2.65
9	Italy	9	2.39
10	Australia	8	2.12
11	Poland	8	2.12
12	Greece	7	1.86
13	Ireland	6	1.59
14	Brazil	5	1.33
15	Spain	5	1.33
16	Canada	4	1.06
17	India	4	1.06
18	Denmark	3	0.8
19	Croatia	2	0.53
20	Czech Republic	2	0.53
21	Korea (South)	2	0.53
22	Norway	2	0.53
23	Pakistan	2	0.53
24	Romania	2	0.53
25	Russia (Federation)	2	0.53
26	Saudi Arabia	2	0.53
27	Sweden	2	0.53
28	Ukraine	2	0.53
29	New Zealand	2	0.53
30	Austria	1	0.27
31	Bangladesh	1	0.27
32	Belgium	1	0.27
33	Bulgaria	1	0.27
34	Egypt	1	0.27
35	Ethiopia	1	0.27
36	Iran	1	0.27
37	Jamaica	1	0.27
38	Lithuania	1	0.27
39	Malaysia	1	0.27
40	Mexico	1	0.27
41	Nepal	1	0.27
42	Portugal	1	0.27
43	Prague	1	0.27
44	Scotland	1	0.27
45	Serbia	1	0.27
46	Singapore	1	0.27
47	South Africa	1	0.27
48	Thailand	1	0.27
49	Tunisia	1	0.27
50	Turkey	1	0.27
	Total	377	100

Fig.7 - Countries Of Core Journals Of Vulva Cancer During 2000-2009

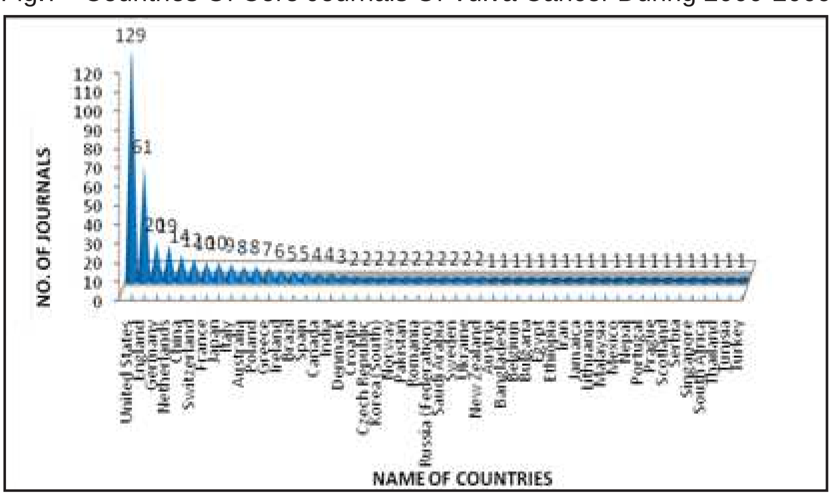

TABLE 7: BRADFORD'S ZONES OF SCATTERING FOR VULVA CANCERDURING 2000-

Zone	No of Articles in each zone	%	No of Journals (Observed)	%	Bradford Multiplier (bm)	No of Journals (Expected)	%
Zone I	569	33.14	8	2.12		8	2.13
Zone II	575	33.49	52	13.79	6.5	50.38	13.41
Zone III	573	33.37	317	84.08	6.096	317.33	84.46
Total	1717	100	377	100	12.596	375.71	100
Geometric mean of bm 6.3							

TABLE 8: LEIMKUHLER MODEL FOR BRADFORD'S LAWS FOR VULVA CANCER DURING 2000-2009

Zone	No. of Journals (Observed)	No of Journals (Expected) (formula r0, r0k, r0k2)	Cumulative No of Articles in each zone (Observed)	No of Cumulative Articles in each zone (Expected) [R (r) =a log (1+b r)]
Zone I	8 (2.12%)	6.253 (1.65%)	569	634.72
Zone II	52 (13.79%)	45.121 (11.98%)	1141	1188.71
Zone III	317 (84.08%)	325.597 (86.45%)	1717	1716.88
Total	377	376.97		

TABLE 9: GRAPHICAL PRESENTATION AND CHI-SQUARE TEST FOR VULVA CANCER DURING 2000-2009

Sl. No.	No of Journals	Cum of Jl. (r)	Log (n) of (r)	No of Articles	Total no of Articles	Cum. No of Articles observed (O)	Cum. No of Articles expected (E)	Difference (O-E)	Squared Difference (O-E)^2	(O-E)^2/(E)
1	1	1	0	211	211	211	199.851	11.15	124.3	0.62
2	1	2	0.3	85	85	296	316.974	-20.97	439.91	1.39
3	1	3	0.48	77	77	373	400.136	-27.14	736.36	1.84
4	1	4	0.6	55	55	428	464.666	-36.67	1344.4	2.89
5	1	5	0.7	50	50	478	517.404	-39.4	1552.68	3
6	1	6	0.78	35	35	513	562.001	-49	2401.1	4.27
7	1	7	0.85	30	30	543	600.638	-57.64	3322.14	5.53
8	2	9	0.95	26	52	595	665.212	-70.21	4929.72	7.41
9	1	10	1	22	22	617	692.796	-75.8	5745.03	8.29
10	2	12	1.08	21	42	659	741.147	-82.15	6748.13	9.1
11	1	13	1.11	19	19	678	762.597	-84.6	7156.65	9.38
12	2	15	1.18	18	36	714	801.25	-87.25	7612.56	9.5
13	1	16	1.2	17	17	731	818.799	-87.8	7708.66	9.41
14	1	17	1.23	16	16	747	835.345	-88.35	7804.84	9.34
15	3	20	1.3	15	45	792	879.97	-87.97	7738.72	8.79
16	2	22	1.34	14	28	820	906.306	-86.31	7448.73	8.22
17	4	26	1.41	13	52	872	952.727	-80.73	6516.85	6.84
18	4	30	1.48	12	48	920	992.724	-72.72	5288.78	5.33
19	1	31	1.49	11	11	931	1001.92	-70.92	5029.08	5.02
20	4	35	1.54	10	40	971	1036.02	-65.02	4227.21	4.08
21	3	38	1.58	9	27	998	1059.19	-61.19	3744.46	3.54
22	3	41	1.61	8	24	1022	1080.65	-58.65	3439.71	3.18
23	10	51	1.71	7	70	1092	1142.49	-50.49	2549.04	2.23
24	7	58	1.76	6	42	1134	1179.06	-45.06	2030.04	1.72
25	22	80	1.9	5	110	1244	1270.82	-26.82	719.26	0.57
26	21	101	2	4	84	1328	1337.57	-9.57	91.57	0.07
27	31	132	2.12	3	93	1421	1414.41	6.59	43.4	0.03
28	51	183	2.26	2	102	1523	1508.4	14.6	213.1	0.14
29	194	377	2.58	1	194	1717	1716.88	0.12	0.01	0
Total	377				1717					

Fig. 9 - Bradford's Bibliograph For Vulva Cancer During 2000-2009

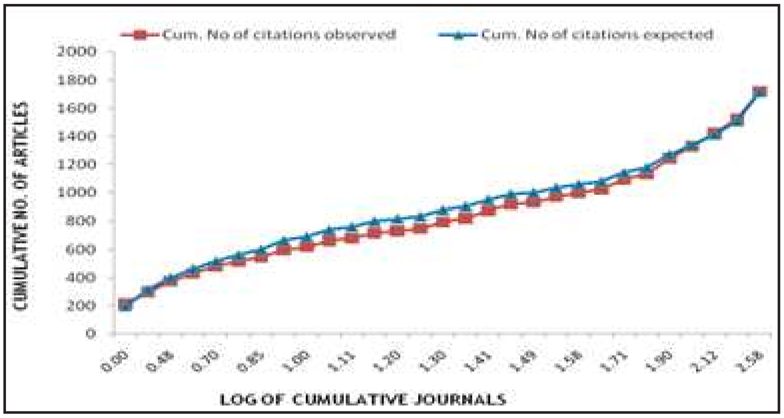

Annexure - 1							
LIST OF CORE JOURNALS IN VULVA CANCER							
Sl. No.	Name of Journal	No. of Articles	%	Cumulative No. of Articles	%	Country	Rank
1	Gynecologic Oncology	211	12.3	211	12.29	United States	1
2	International Journal of Gynecological Cancer	85	4.95	296	17.24	United States	2
3	European Journal of Gynaecological Oncology	77	4.48	373	21.72	Italy	3
4	International Journal of Gynecologic Pathology	55	3.2	428	24.93	United States	4
5	Journal of reproductive medicine	50	2.91	478	27.84	United States	5
6	Journal of obstetrics and gynaecology research	35	2.04	513	29.88	England	6
7	Obstetrics and gynecology	30	1.75	543	31.62	United States	7
8	Journal of lower genital tract disease	26	1.51	569	33.14	United States	8
9	Ginekologia polska	26	1.51	595	34.65	Poland	8
10	Archives of gynecology and obstetrics	22	1.28	617	35.93	Germany	9
11	European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology	21	1.22	638	37.16	Ireland	10
12	Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica	21	1.22	659	38.38	England	10
13	American journal of surgical pathology	19	1.11	678	39.49	United States	11
14	International journal of gynaecology and obstetrics : the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics	18	1.05	696	40.54	Ireland	12
15	Histopathology	18	1.05	714	41.58	England	12
16	Anticancer research	17	0.99	731	42.57	England	13
17	Journal of clinical pathology.	16	0.93	747	43.51	England	14
18	International Journal of Cancer	15	0.87	762	44.38	United States	15
19	British journal of dermatology	15	0.87	777	45.25	England	15
20	American Journal of Obstetrics and Gynecology	15	0.87	792	46.13	United States	15
21	Cancer	14	0.82	806	46.94	United States	16
22	Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecology	14	0.82	820	47.76	Netherlands	16
23	Gynécologie, obstétrique & fertilit	13	0.76	833	48.51	France	17
24	Cancer Research	13	0.76	846	49.27	United States	17
25	BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology	13	0.76	859	50.03	England	17

Sl. No.	Name of Journal	No. of Articles	%	Cumulative No. of Articles	%	Country	Rank
26	American Journal of dermatopathology	13	0.76	872	50.79	United States	17
27	Human pathology	12	0.7	884	51.49	United States	18
28	British Journal of Cancer	12	0.7	896	52.18	England	18
29	Archives of pathology & laboratory medicine	12	0.7	908	52.88	United States	18
30	Akusherstvo i ginekologii︠a︡	12	0.7	920	53.58	Bulgaria	18
31	International journal of radiation oncology, biology, physics	11	0.64	931	54.22	United States	19
32	Pathology	10	0.58	941	54.8	England	20
33	Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc	10	0.58	951	55.39	United States	20
34	Journal of the American Academy of Dermatology	10	0.58	961	55.97	United States	20
35	Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology	10	0.58	971	56.55	Australia	20
36	Plastic and reconstructive surgery	9	0.52	980	57.08	United States	21
37	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV	9	0.52	989	57.6	Netherlands	21
38	Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery	9	0.52	998	58.12	United States	21
39	Ginecologia y obstetricia de México	8	0.47	1006	58.59	Mexico	21
40	Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research	8	0.47	1014	59.06	United States	21
41	Archives of dermatology	8	0.47	1022	59.52	United States	21
42	Zhonghua bing li xue za zhi = Chinese journal of pathology.	7	0.41	1029	59.93	China	21
43	Oncogene	7	0.41	1036	60.34	England	21
44	New England journal of medicine	7	0.41	1043	60.75	United States	21
45	International journal of STD & AIDS	7	0.41	1050	61.15	England	21
46	Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau	7	0.41	1057	61.56	Switzerland	21
47	Clinical and experimental dermatology	7	0.41	1064	61.97	England	21
48	Annals of plastic surgery	7	0.41	1071	62.38	United States	21
49	Annales de dermatologie et de vénéréologie	7	0.41	1078	62.78	France	22
50	Acta dermato-venereologica	7	0.41	1085	63.19	Norway	22
51	Acta cytologica	7	0.41	1092	63.6	Switzerland	22
52	Journal of obstetrics and gynaecology research	6	0.35	1098	63.95	Australia	22
53	Journal of cutaneous pathology	6	0.35	1104	64.3	Denmark	22
54	Clinical obstetrics and gynecology	6	0.35	1110	64.65	United States	22
55	Ceská gynekologie	6	0.35	1116	65	Czech Republic	22
56	Cancer epidemiology, biomarkers & prevention	6	0.35	1122	65.35	United States	22
57	Bulletin du cancer	6	0.35	1128	65.7	France	22
58	Annals of surgical oncology	6	0.35	1134	66.05	United States	22
59	Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi	5	0.29	1139	66.34	China	23
60	Zentralblatt für Gynäkologie	5	0.29	1144	66.63	Germany	23
61	Tidsskrift for den Norske lægeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny række	5	0.29	1149	66.92	Norway	23
62	Strahlentherapie und Onkologie : Organ der Deutschen Röntgengesellschaft	5	0.29	1154	67.21	Germany	23
63	Saudi medical journal	5	0.29	1159	67.5	Saudi Arabia	23

Sl. No.	Name of Journal	No. of Articles	%	Cumulative No. of Articles	%	Country	Rank
64	Pathologica	5	0.29	1164	67.79	Italy	23
65	Pathology, research and practice	5	0.29	1169	68.08	Germany	23
66	Nederlands tijdschrift voor geneeskunde	5	0.29	1174	68.38	Netherlands	23
67	MMW Fortschritte der Medizin	5	0.29	1179	68.67	Germany	23
68	Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada : JOGC	5	0.29	1184	68.96	Canada	23
69	Journal of the National Cancer Institute	5	0.29	1189	69.25	United States	23
70	Journal of the American College of Surgeons	5	0.29	1194	69.54	United States	23
71	International journal of dermatology	5	0.29	1199	69.83	United States	23
72	Indian journal of pathology & microbiology	5	0.29	1204	70.12	India	23
73	Gynecologic and obstetric investigation	5	0.29	1209	70.41	Switzerland	23
74	Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy	5	0.29	1214	70.7	Japan	23
75	European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology.	5	0.29	1219	71	England	23
76	European journal of nuclear medicine and molecular imaging.	5	0.29	1224	71.29	Germany	23
77	Current treatment options in oncology	5	0.29	1229	71.58	United States	23
78	Current opinion in obstetrics & gynecology	5	0.29	1234	71.87	England	23
79	Clinical nuclear medicine	5	0.29	1239	72.16	United States	23
80	American journal of clinical pathology	5	0.29	1244	72.45	United States	23

****

An Overview Of The Rights Of Persons With Disabilities Act -2016

Prof. Akshata Amit kumar Gawade*

Introduction - In this world of globalization research in social sciences taking its wide range of attention. It is one of the important duties of social scientists to undertake the study of socio-economic condition of those people whom we are calling as vulnerable sections of the society, to know whether they are receiving the reasonable share of the national income of the country along with respectful social status in the society.

The Rights of Persons with Disabilities Act – 2016 - Loksabha passed "The Rights of Persons with Disabilities Bill" on 16th December 2016. This replaced the PWD act of 1995. This came into implementation from June 2017.

Main Features of the Act - This act has increased the types of disabilities from seven to twenty one as below

Categories of Disability made under 'The Rights of Persons with Disabilities Act-2016' (See in the last page)

Major Provisions of the Act -

Education -

- Free education for the children with benchmark disabilities from the age of 6 to 18 years in normal or special schools.
- Reservation in higher education in Government and Government Aided institutions (not less than 5%).
- Upper age relaxation of five years for admission in the institution of higher education.
- Appointment of expert committee for identifying the vacancies.
- Periodic review of identified posts at an interval of not exceeding three years.
- Provision of the transportation facilities and their attendant for students of high support needs and other infrastructural facilities shall be made available to the students.
- Special Schools shall be established for the differently abled persons with vocational training facility where they can learn to earn their livelihood.
- Non-formal education shall be promoted for children with disabilities.
- To develop requisite manpower Teachers' Training Institutions shall be established.
- Resource Centers have to be established.
- If any grievances take place the parents can move to the grievances redressal cell for their right.
- Measures to promote differently abled to learn through Adult and Continuing Education etc.

Employment -

- Reservation in employment in Government and Government Aided institutions increased from 3 to not less than 4%.
- Private employers must make framework to employ the persons with disabilities. Incentives to employers of Private Sector, if they employ at least 5% of workforce of persons with disabilities.
- If disability occurs during the course of employment the employee cannot be sacked or demoted. They can be moved to another post with the same pay and condition. Impairment is not cause for refuse of promotion.
- Appointment of Grievance Redressal Officer in establishment where the employee can complain about discrimination in employment if any.

Vocational Training and Self-employment -

- Loan facility is given at concessional rate of interest
- Specific training facility is made available.
- Exclusive skill training programme can be undertaken.

Special Schemes and Programmes -

- 5% reservation in all poverty eradication and various welfare schemes, by giving priority to women.
- Reservation in allocation of land (5% allotment) etc. have been provided for persons with disabilities and for those who have at least 40 percent of the disabilities specified above and those with high support needs.
- For Strengthening the Accessible India Campaign, stress has been given to ensure accessibility in public funding (both in government and private) in a prescribed frame.

Guardianship - The bill provides for grant of guardianship by District Court under which there will be joint decision making between the guardian and the persons with disabilities.

Social Security Schemes -

- 25% of quantum of assistance for social security schemes.
- Establishment of community centers.
- Support to be made available in times of disaster and in areas of conflict.

*Asst. Professor, Night College of Arts and Commerce, Kolhapur (MH.) INDIA

- Priority to persons with no family and women with disability.
- Provision of safe drinking, sanitation etc.
- Provision of aids and appliances, medicine & diagnostic services & corrective surgery free of cost with income limit.
- Persons not gaining any employment for 2 years by registering in Special Employment Scheme provided with Unemployment Allowance.
- Provision of Disability Pension.
- Provision of Care Giver Allowance.
- Provision of comprehensive insurance scheme as notified in Act etc.

Health Care Facilities -

- By imposing income limit free health care facility shall be provided especially in rural areas.
- Barrier free access.
- Priority in attendance and treatment etc.

Encouragement to Research and Development in Disability Areas.

Provision of Culture and Recreation -

- Establishment of disability history museums.
- Facilities to disable artists and writers.
- Provision of recreational and other centers.
- Arrangement to participate in various activities.
- Development of techno assistive devices etc.

Sports Facilities -

- Restructure courses and programmes for effective inclusion in sports activities.
- Redesign and support infrastructure.
- Allotment of funds.
- Development of technology.
- Organizing sports activities etc.

Arrangement of Awareness Campaigns -

- Encourage, promote awareness campaign and other sensitization programmes at school, college, university and professional training level and for employers, administrators and co-workers etc.
- Inclusion of disability rights in curriculum of syllabus.

Access to Transport -

- Provision of transport facilities with easy access to parking, toilets. ticketing counters etc.
- Restructuring of old transport
- Provision of personal mobility assistance etc.

Access to information and Communication Technology-

Provision of accessible building structure.

Human Resource Development -

- Mandatory training on disability rights to concerned government officials, service providers, community workers as indicated in the act.
- Initiating Capacity development Programmes.
- Training programmes for sports teacher.
- Independence training programme.
- Establishment of Disability Study Centers.

Provision of Social Audit of the schemes and programmes.

Provision of punishment for the contravention of act or rules or regulations - First contravention:fine which may extend to10,000/-.

Subsequent contravention: fine not less than 50,000/- but may extend to 5,00,000/-

Companies also will be punishable accordingly.

Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities:

- Imprisonment which may extend to 2 years or fine extend to 1 lakh or with both.

Punishment for offences of atrocities -

- Imprisonment for not less than 6 months but may extend to 5 years and fine.
- **Punishment for failure of information:**
- Commitment of First offence: 25,000/-
- For Subsequent offence: 1,000/- for each day.

Establishment of Authorities -

- Broad based Central and State Advisory Boards on Disability are to be set up to serve as apex policy making bodies at the central and state level.
- Office of Chief Commissioner of Persons with Disabilities has been strengthened who will be assisted by an Advisory Committee comprising of not more than five members drawn from experts in various disabilities.
- The Chief Commissioner for persons with disabilities and the State Commissioners will act as regulatory bodies and grievance redressal agencies and also monitor implementation of the act.
- District level committees will be constituted by the State Governments to address local concerns of PWD's. Details of their constitution and the function of such committees would be prescribed by the state committees would be prescribed by the state government in the rules.
- The existing National Fund for persons with disabilities and the trust fund for empowerment of persons with disabilities will be subsumed with the National Fund.
- Special courts will be designated in each district to handle cases concerning violation of rights of PWDs.

So, "The Person with Disabilities Rights Act-2016", deals with important provisions made for differently abled by taking into consideration of the international standards. Government has passed this act by amending the previous act of 1995. This act has tried to correct the lacunas prevailed in the previous act. Many policies and programmes undertaken by this act are helpful for this weaker section of the community to attain the sustainable development. Proper and quick implementation of this act will make fruitful impact on the differently abled to improve their socio-economic condition to the greater extent.

Categories of Disability made under 'The Rights of Persons with Disabilities Act-2016

Blindness	Low-vision	Hearing Impairment
Dwarfism	Mental Illness	Intellectual Disability
Cerebral Palsy	Autism Spectrum	Disorder Loco-motor Disability
Muscular Dystrophy	Thalassemia	Chronic Neurological conditions
Specific Learning Disability	Speech and Language Disability	Multiple Sclerosis
Hemophilia	Sickle Cell Disease	Multiple Disabilities including deaf blindness
Acid Attack Victim	Parkinson's disease	Leprosy Cured Persons

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Efficacy Of Biofeedback On Reducing Anxiety In Mothers Having Children With Intellectual Disability

Anuradha Kushwah* Dr. Saroj Kothari**

Introduction - The diagnosis of intellectual disability children is likely to be traumatic experience for their families. Having a disabled child tends to influence the lives, emotions and behaviours of family members. Biofeedback itself a mind–body technique which helps or make the individuals learn how to modify their physiology of body for the purpose of improving physical, mental, emotional and spiritual health. It was been used effectively to reduce anxiety of mothers of intellectual disability children.

Aim - The purpose of this research was to study the effectiveness of biofeedback in reducing anxiety of mother having children with intellectual disability.

Method & Material - The study comprised of 5 mothers having children with intellectual disability it was an intervention study, for the pre & post test score was taken. In this study biofeedback (ECG/HRV and Respiration) intervention was given to all 5 mothers individually. Data was collected before and after intervention, which consisted of 20 session of 15 min duration. The biofeedback intervention was given to reduce the level of anxiety by maintain the sympathetic & parasympathetic nervous system through heart rate and breathing.

Results - The statistical technique used is Mean, SD, Wilcoxon Sign Rank test was used. Results reveal that there was a significant difference between pre and post test scores of biofeedback intervention on mothers having children with intellectual disability.

Conclusion - A significant effect of biofeedback found in reducing anxiety in mothers having children with intellectual disability.

Introduction - Parents have expectations to raise a normal child, and hold hopes and expectations for planning the future of the child. In contrast, parents whose child has some impairment, may experience dramatic changes in social life, expectations, plans, work life and their financial status. Parents experience shock, denial, anger, sadness, detachment, reorganization and adaptation but uncertainty about their parenting abilities as well as to encounter more problems with personal freedom, mood, and sensitivity about their child's fit into the community. Although many changes have occurred within the gender roles of families, mothers continue to have a primary role in responsibility for children, and thus can be subject to more of the stress and challenges inherent in raising a child with a disability.

The present study was undertaken to examine the level of anxiety and impact of disability on mothers having children with intellectual disability. It would bring a sea change in the attitude of these parents and the rest of the society since it has become vital to change the stigma of the society that "it is no more a curse to have these gifted children". It is an earnest attempt to acknowledge and promote the motivated activities of the parents who strive to bring light on the dark path of their children. It would help them to have a meaningful relationship with their children physically and emotionally without feeling overburdened. Therefore, in this study, an attempt was made to help the selected mothers of special children manage their anxiety through biofeedback intervention. Biofeedback (HRV and Respiration) Used As a Tool for Self Regulating Physiological Responses Resulting In Improved Psycho Physiological Interactions (Paul M, & Garg K. 2012).

Methodology-

Sample - The sample consisted of 5 mothers having children with intellectual disability. There were collected by using purposive sampling procedure from Special Education Centre and Department of Adult Independent Living (DAIL) National Institute for the Mentally Handicaped(NIMH), Secunderabad, India

Tools -

1. **Disability Impact Scale (Nimh)** - NIMH disability impact scale (NIMH – DIS) has been developed as part of the research project on ¯family intervention and support programmes for persons with mental retardation by **(Peshawaria et al., 2000).**
2. **State-Trait Anxiety Test (Stat)** - The tool state -trait anxiety test was developed by **(Vohra, 1999).** This tool is based upon the MAP (Multi-Dimensional Assessment of Personality) series which measures 20 personality dimensions.
3. **Biofeedback** - Electrocardiogram (ECG with 256/sec with 24 bit precision) was derived using NeXus 32 Biotrace multi modal biofeedback apparatus with EXG sensors for ECG (carbon coated shielding) having bipolar input with 4 pin BINDER 719 series.

*Research Scholar (Psychology) Govt. M.L.B.P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA
**Professor & Head (Psychology) Govt. M.L.B.P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

Procedure - In this program, training was given in 3 months. Material used in the training was biofeedback electrocardiogram/ heart rate variability (ECG/HRV) and respiration.

Before the conduction of training program, mothers were explained about their scores in STAT which leads to state anxiety and to reduce that by using biofeedback technique

The following steps were used to answer each of the questions raised by the aims of the study.

Step.1 identification of sample (mothers having children with mental retardation) by using NIMH Disability Impact Scale (NIMH- DIS) and state and trait anxiety test (STAT).

Step.2 NIMH-DIS and STAT were given out to 10 mothers having children with mental retardation but only five fulfilled the criteria of sample selection, those mothers were having children with mental retardation who score high on negative impact on (NIMH- DIS) and who score high on state level of anxiety on STAT were taken as a sample.

Step.3 Then, to the selected sample the importance of biofeedback technique were explained.

Step.4 Before intervention program clear instruction were given to the subject as follows: asking them to maintain comfortable sitting position, not to move and talk and not to fall asleep and to breathe in normally in the resting state. The subjects were specifically instructed not to control the breathing intentionally during the session.

Step.5 Then, the subject were asked to sit on the chair in front of computer screen connected to the biofeedback instrument and attached the electrodes on their chest as shown in the diagram below -

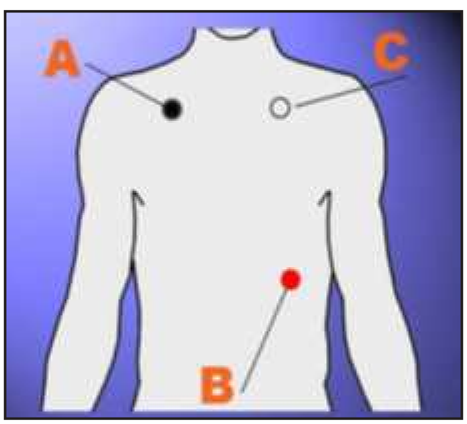

Where, A = negative electrode, B = positive electrode and C = ground.

Followed by this, a respiration belt was tied along the below the chest and then asked them to synchronize their respiration with their heart beats and take the deep abdominal breath in and out and when the synchrony will be there than tone and sound rhythmically vary with their breath. In the HRV training screen the mothers can observe how heart rate variability and respiration correlate and try to maintain that and the goal is to breathe slowly and increase the HRV and coherence. Shown in below diagram

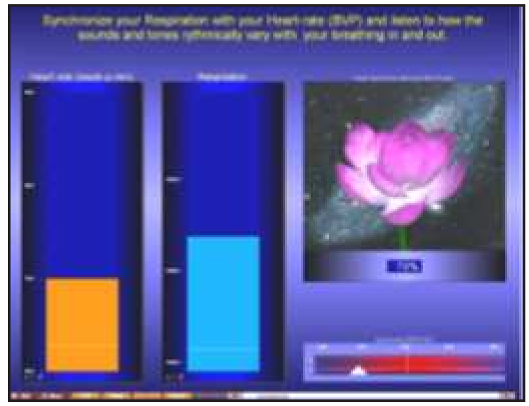

The scores were recorded to be compared with the post-test scores test scores taken after providing the biofeedback intervention.

Step.6 providing the biofeedback intervention for 20 sessions to the each sample, each comprising of 15 minutes (2 sessions / day) 15 minutes break was given in between the session.

Step.7 biofeedback intervention was given for 3 months to mothers having children with MR. the test of impact of disability and STAT was again administered on the sample. These post-tests scores were duly for analysis and interpretation.

Step.8 the post-tests scores were analysed against pre test scores to see the effectiveness of biofeedback intervention for reducing anxiety of mothers having children with MR.

Result And Discussion -

Research Hypothesis 1 - There will be significant effect of biofeedback (Lfnu/ Hfnu ratio) in reducing anxiety in mothers having children with Mental Retardation.

Biofeedback intervention - pre- post scores on high frequency(Hfnu) indicator of parasympathetic and low frequency (Lfnu) indicator of sympathetic nervous system normalize values (Lfnu/Hfnu ratio) are mentioned below

Table - 1 & Graph (See in the next page)

This table no1 indicate the pre –post intervention mean scores on biofeedback (HRV/ Respiration). It shows there is a significant improvement in parasympathetic and sympathetic ratio (Lfnu/Hfnu ratio). Before intervention, the mean score was 2.82 which is the indication of high sympathetic functioning which leads to anxiety and the standard deviation is 0.08 and after the intervention the mean scores are 2.00 which indicate the clinically balanced status of parasympathetic and sympathetic ratio on (HRV/ respiration) biofeedback intervention and the standard deviation is 0.1. The Wilcoxon signed rank test Z- score (2.06) is significant at 0.05 level which Indicates there is significant difference in pre and post mean scores of LFnu/ HFnu ratio in mothers having children with mental retardation. Hence the null hypothesis of no difference in pre and post mean score on LFnu/Hfnu is rejected. It indicates that the biofeedback intervention for reducing the anxiety is effective. It brings the improvement in the subjects Heart Rate over the period of time demonstrates the mean

LF nu (SNS) and HF nu (PNS) results over the sessions. The result finding indicates the biofeedback is effective to reduce the anxiety of mother having children with intellectual disability. To the reference of State and Trait Anxiety Test (STAT) as Z = 2.040 P< 0.05 and on biofeedback intervention (ECG/HRV and respiration) Z = 2.060 P< 0.05 indicates significant difference in the pre and post mean scores on STAT and (ECG/HRV and Respiration). The above mentioned research findings is in line with the findings reported by **Bouchard, 2012; Henrigues, 2011;** who stated that the research evidence shows that biofeedback therapy effectively reduces anxiety in individuals. **Rohini (2012)** in her study she found that anxiety of parenting special children takes a heavy toll on the physical and mental health of the parents.In this study results revealed that the individual strategies of Positive Therapy had significant effect in the management of anxiety and enhancement of quality of life.

References :-

1. Abbeduto, L., Seltzer, M. M., & Shattuck, P. (2004). Psychological Well-Being and Coping in Mothers of Youths with Autism, Down Syndrome, or Fragile X Syndrome. American Journal on Mental Retardation, 109 (3), 237–254.
2. American Psychological Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed. TR). Washington, DC: Author.
3. Asato H, Twigg Dg, Ellison S.(1981). Phys Ther.Emg Biofeedback Training For A Mentally Retarded Individual With Cerebral Palsy.61(10).
4. Bouchard, S., Bernier, F., Boivin, E., Morin, B., & Robillard, G. (2012). Using biofeedback while immersed in a stressful videogame increases the effectiveness of stress management skills in soldiers.PLoS One,7(4):e36169.doi:10.1371/journal.pone.0036169.
5. Egan, G. (1982). The skilled helper: A systematic approach to effective helper (2nd ed.). California: Brookes.
6. Gontard, Von, A., Didden, R., Sinnema, M., & Curfs, L. (2010). Urinary incontinence in persons with Prader-Willi Syndrome. British Journal on Intelligence; 106, (11), 1758-62. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09457.
7. Henriques G, Keffer S, Abrahamson C, Horst SJ(2011) Psychophysiol Biofeedback.Exploring The Effectiveness Of A Computer-based Heart Rate Variability Biofeedback Program In Reducing Anxiety In College Students.36(2)
8. Lazaraus R. (1991). The dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 992- 1003.
9. Morgan, T. C., King, A.R., Weisz, R.J., & Schopler, J. (2003). Introduction to Psychology (7th ed.). The McGraw – Hill Companies, Inc., New York.
10. Paul M., & Garg, K. (2012). The effect of heart rate variability biofeedback on performance psychology of basketball players. Applied Psychophysiology of Biofeedback. 37 (2), 131-44. doi: 10.1007/s10484-012-9185-2.
11. Peshwaria, R., Menon, D., K., Bailey, D., & Skinner, D. (2007). NIMH Disability Impact Scale. Manovikasnagar, Secunderabad, Andra Pradesh, India.
12. Rohini, N. S. (2012). Management of Anxiety and QOL in the Parents of Children with Special Needs through Positive Therapy. International Journal of Multidisciplinary Research,2. ISSN 2231 5780.
13. Sadock, B. J., & Sadock, V. A.(2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry (10th ed) Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry.
14. Singh, A. K. (1996). Tests, measurements and research methods in behavioural sciences. New Delhi: Bharati Bhawan Publishers.
15. Vohra,S. (2001). Mannual for State – Trait Anxiety test. PSY – COM Services New Delhi

Table - 1

Results of subject' Z- score betweenPre and Post Means Scores on (LFnu/HFnu)

Group	n	Mean	Sd	**Z-Value #**	p- value
Lfnu / Hfnu-pre	5	2.82	0.08	2.060	P<0.05, Significant
Lfnu/ Hfnu-post	5	2.00	0.17		

#- Wilcoxon Signed Rank Test

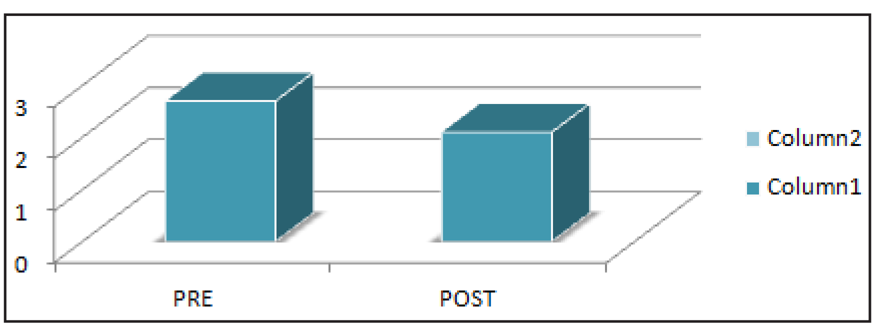

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Cognitive Distortion Of Delinquents And Non-Delinquents

Umeshwari* Prof. Prabhavati Shukla Vaibhav Saxena*****

Abstract - The current research examined the cognition distortion changes/labels of delinquents and non-delinquents adolescence 100 age range 13-17 years old adolescence (50 delinquents and 50 non-delinquents) were assessed their cognition level. 50 delinquents were randomly chosen from the correctional home of M.P. and 50 non-delinquents were randomly taken from schools of M.P. cognitive distortion majored by using psychological tool cognitive distortion scale (CDS-SDSD) developed by Dr. Devendra Singh Sisodiya and Mr. Dharmendra Sharma (2012). Mean S.D. and't' test were used for data analysis. The results have shown differences between delinquent and non-delinquent on the basis of cognitive distortion.
Keyword - Cognitive Distortion of Delinquents and Non-Delinquents.

Introduction - Irreational thouht process, faulty belifes and information processing errorrs in thinking call cognitive distortion(Beck,1967). Barrigaetal(2000) explaned the cognitive distortion and problem behaviours related with each other in adolescence. Abeletal reported distorted beliefs common among child molesters, to successfully differentiate child modestors from the general population based on distorted thinking(1989).

In present study measures significantiy difference between Delinquents and Non- Delinquents on the basis of cognitive distortion.Our study found more cognitive distortion in delinquent then non-delinquents. This study support the past studies.

Method -

Objective - To see the difference between delinquents and non-delinquents on the basis of cognitive distortion.

Hypothesis - Cognitive distortion of Delinquents will significantly different from the cognitive distortion of non-delinquents.

Sample - 100 adolescence(50 delinquents and 50 non-delinquents) were randomly selected as sample. Delinquents taken from reformatory of M.P. and non-delinquents taken from school of M.P.

Tools - Cognitive distortion scale(CDS-SDSD) developed by Dr. Devendra Singh Sisodiya and Mr. Dharmendra Sharma(2012). This scale consists of total 25 items with 5 response categories. Each statement will scored by 5 marks to strongly agree, 4 marks to agree, 3 marks to uncertain, 2 marks to disagree and 1 mark to strongly disagree. Test retest reliability coefficient is 0.65 and internal consistency (Alpha coefficient) is 0.79 scale reported high content validity.

Procedure - The data were collected from school and reformatory of M.P.With the permission of related authority after that taken consent of adolescence & filled the data with some instruction.

Data Analysis - Data were analyzed by mean,S.D. and 't' test.

Result and discussion - Following table present the mean,S.D. and't'value of delinquents and non-delinquents.

Adolescence	n	Mean	S.D.	t	df
Delinquents	50	(M1) =118.12	(SD1) =4.24	46.25	98
Non-delinquents	50	(M2) =40.08	(SD2) =11.02		

N=100 , P(0.01) = 2.63 and P(0.05) = 1.98

Result indicates that delinquents and non delinquents are significantly differ on their cognitive distortion (t =46.25 , df =98 , p<0.01) Where mean differences M1=118.12 and M2= 40.08 also suggests that delinquents have high levels of Cognitive Distortion as compared to their counterpart's non delinquents.And t-value 46.25 is very high at 0.01 level of significance there fore the result is statistically significant differences found between delinquents and non delinquents. Adolcence in puberty periods face many critical situations. The critical situations influence their thought and actions. Some are manage their thought and action but some are not manage their critical conditions and their thought. And there action are going to be wrong way like murder, rape,kidnaping,robbery and other antisocial behaviour.

Distorted thought like irrational thinking taking of accuracy, faulty beliefs are found in delinquents. Cognitive distortion of delinquents due to their unhealthy environment, criticism, emotional and physical abuse, harsh punishment

*Research Scholar, SOS in Psychology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.) INDIA
**Professor, SOS in Psychology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.) INDIA
***Professor, SOS in Psychology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C.G.) INDIA

(unneccessery) and negative parental influence. Giancola etal measured that Adolescence who belongs to unhealthy environment they were more aggressive, more cognitive distortion and more antisocial behaviour. An other study cognitive distortion are major factor of antisocial behaviour (Elliott and Ageton,1980). Cognitive distortion place important role in antisocial behaviour of adolescence.Cognitive variable plays imported role in adolescent antisocial behaviour.

Conclusion - Our pre-hypothisis "Cognitive distortion of Delinquents will significantly different from the cognitive distortion of non-delinquents".It is truly proved and accepted. At last we can say delinquents distorted thought process is the major factor of antisocial behaviour and criminal activities.

Refrences:-

1. Calvete, E. (2008). Justification of violence and grandiosity schemas as predictors of antisocial behaviour in adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1083-1095.
2. Elliott, D.S. and Ageton, S.R.(1980). Reconcilling race and class differences in self-reported and official estinates of delinquency. American socialogical Review, 45, 95-110.
3. Giancola, P.R., Mezzich, A.C. , Clark, D.B. and Tarter, R.E.(1998). Cognitive distortion aggressive behaviour and drug use in adolescent boys with and without a family history of a sustance use disorder. Psychology of Addictive Behaviours, 13 : 22-32.
4. Beck , A.T.(1967) Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York : Hoeber.
5. Abel, G.G. , Gore, D.K. , Holland, C.L. , Camp, N. , Becker, J.V., & Rather, J.(1989). The measurment of the cognitive distortions of child molesters. Annals of Sex Research, 2, 135-153s.
6. Barriga, A.Q. , Landau, J.R. , Stinson, B.L. , Liau, A.K., & Gibbs, J.C.(2000). Cognitive distortion and problem behaviour in adolescents. Criminal Justice and Bahaviour, 27(1), 36-56.
7. Kendall, P.C. , Stark, K.D., &Adam, T.(1990). Cognitive deficit or cognitive distortion in childhood depression. Journal of Abnormal Child Psycholgy, 18(3), 255-270.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Emotional Intelligence-An Effective Tool In Anger Management

Renu Bhadoria*

Introduction - Joan Diction, "The willingness to accept responsibility for one's life is the source from which self-respect springs.''

Emotional Intelligence, a new concept in the field of Psychology is the ability is to recognize, understand and regulate your own emotions and those of others. It has become an essential part of both personal life as well as the workplace. Since 1930 some work in this area was undertaken with different names. However, in 1985 Daniel Goleman in his popular bestseller 'Emotional Intelligence' spoke about how emotional and social factors are important for success. It can be described as the area of cognitive ability involving traits and social skills that facilitate interpersonal behavior.

Just as laughter offers a ready barometer of Emotional Intelligence at work so rampant anger, fear, apathy or even sullen silence signals the. All our emotions come and go Just like the weather comes and goes. There will always be sunshine as well as thunderstorms. Even then we don't fight off the weather because we know it is normal. It is of course very natural to fight off negative painful emotions, but, it is noticed that the more we try to struggle we add to our pain and this leads to anger. The best way out is adopting a healthier approach, to learn the technique of relaxing, to let the negative motions rise and fall naturally without being disturbed by it.

Anger is not an illness but a perfectly but a perfectly normal human emotions but when uncontrolled it flares too hot. It is a strong emotion denoting high levels of stress and can be due to relevant and non-relevant elements.
Different situations and emotions can fuel anger. Due to increasing stress in our lives anger, irritability, disrespectful behavior is becoming very common. Anger is not a pathological (DSM) condition; it should not be subject to psychiatric intervention. Some people can be called as hotheads, people around them are precariously walking on delicafe eggshells, and they do not known when the next blow will be.

Anger management is one of the hallmarks of strong emotional intelligence. In Daniel Goleman's book, 'Emotional Intelligence' he has rightly said, being able to handle one's anger is a sign of high Emotional Intelligence. (Anger has been considered to be the worst drawback in one's life). If we look at anger from the viewpoint of physiology, within less then seconds of becoming angry our body and brain are flooded with internal chemical changes and it takes about 20 minute for the chemicals in the brain to go back to normal and to think clearly again.

Every body knows what it feels like to be swamped by emotions such as anger. Jealously, passion, excitement and hurt. Such emotions of course, are a part of the normal human emotions. The question arises, what is necessary then ? Successful anger management is the solution. It determined to a large degree by how we relate without emotional landscape.

Emotional Management -

- (Self Awareness) we must look inside and find out what triggers inside us.
- (Relating to others) one must be able to read and understand the emotions of other people.
- (Managing Emotions) one must learn to express one's feelings in a non-threatening and non-judgment manner.
- (Emotional Mentoring) do not mentally rehearse the anger situation over and over again.
- (Self Motivation) to balance the emotions within a group of people from diverse cultures and backgrounds it is necessary for the management to recognize, understand and empathize with their emotions.

Keeping in mind the complexities of life it is essential to have workers who are balanced emotionally, emphatic, optimistic, have optimistic attitude and are not hesitant. Either at home or in society, when it comes to seeking compromise relationships are like plants. They also require nurturing and nourishment to grow. Lack of affection and indifference kills them. Hence, any family or organization, which has highly emotionally Intelligence persons, will provide a healthy environment.

It is all about compromises and understanding the emotions of people around us. Emotional intelligence is extremely necessary to recognize, accept and placate anger. If one is unable to manage one's anger one can be seriously harmful to oneself as well as the society at large. Temper tantrums are cause when we find people unable to put a lid on their anger. Hence, developing a high level of emotional intelligence is crucial as far as for management

*Asst. Professor, B.S.S.S. College, Opp. D.R.M. Office, Bhopal (M.P.) INDIA

of emotions is concerned.

As we are interacting with persons from different cultures and backgrounds we must not use any word or action that can but anyone as the person would forgive but will never forget or truth you. Normally arguments should be avoided.

One must cool down instead of being annoyed. Communication can be disastrous at times.

To be successful one has to be emotionally strong. This is to be rehearsed regularly as every situation is different from the previous one. Human beings cannot be expected to act like machines, always the same in similar situations.

Normally it is the tendency of blaming others for our pains. Emotionally strong managers are rational and improvise decision-making. Use of humour is very effective as it not only avoids conflicts but helps in resolving it as well. One should try to find out what factors are responsible for their anger. There may be social, organizational or medical reasons. One should be able to make his SWOT analysis; unless one is clear with the reason of getting angry one cannot use proper control devices.

Thus, to conclude it can be said that managers with high Emotional Intelligence handle complicated situations more effectively than those who are temperamentally weak.

Dr. Stephen Covey, author of 7 habits of highly effective people rightly said, “Research shows convincingly that Emotional Intelligence is more important than IQ in almost every role and many times more important in leadership roles. This finding is accentuated as we move from the control philosophy of the industrial age to an empowering release philosophy of the known worker age.”

Some of the organization have practiced Emotional Intelligence and have proved that it plays an important role in achieving the goals of the organization. Hallmark communities sales staff that developed emotional intelligence was 25% more productive than their low emotionally intelligent counterparts and it was more important to executive job performance than character, strategic thinking and focus on learning. (Bradberry 2003).

Coca-cola saw division leaders who developed emotional intelligence competencies outperformed their targets by more than 15% Division leaders who didn’t develop their emotional intelligence missed targets by the same margin (McClalland 1999).

References :-

1. Anger Management, Emotional Intelligence, and how to become clam – Iris Fanning.
2. Emotional Intelligence and Anger Management – Cregory Kyles
3. Emotional Intelligence and Anger Management – M Farouk Radwan
4. Emotional Intelligence in Strees Management – Margaret Chapman & Robin Clarke
5. Anger Management for Emotional Intelligence – Joe James.

****

वनस्पति के रक्षक -पोषक, मारिषा पुत्र– महाराजा दक्ष प्रजापति (ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में)

डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति *

शोध सारांश – पर्यावरण व वनस्पति शास्त्र के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में दिए गए आख्यानों के आधार पर भारत पूर्ण व सक्षम ज्ञानी रहा है। पर्यावरण व वृक्ष–वनस्पति के संदर्भ में भारत को आयातीत अपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्राचीन ग्रंथ भारत में धरोहर के रूप में धूल खा रही है, उन्हें सजाने–संवारने की आवश्यकता हैं। जिससे आधुनिक समाज भी प्राचीन ज्ञान की प्रांसगिकता को समझकर अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें व भारत को पुन: 'विश्व गुरु' की उपाधि से अलंकृत कर सकें। भविष्य में सर्व–धर्म सिद्धांत की स्थापना में –'वृक्षम् शरणम् गच्छामि' के मंत्र की शक्ति द्वारा विश्व को ग्लोबल वार्मि ग की समस्या से बचाया जा सकें । यही 'सर्व जन सुखाय', 'सर्व जन हिताय' का मूल मंत्र है।

प्रस्तावना – आज विश्व में पर्यावरण संकट है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ समय–समय पर सम्मेलन कर पर्यावरण की समस्या को लेकर चिंतन करते रहे है। सम्पूर्ण विश्व में प्रकृति का अति दौहन करने के कारण वनस्पति का ह्यास हुआ है जिस कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या देश व विश्व के सामने आ खड़ी हुई जैसे–अल्पाधिक वर्षा, खण्ड वर्षा, तापमान में वृद्धि, हिमालय व अर्कटिका में तेजी से बर्फ का पिघलना, पृथ्वी पर जल स्तर का गिरना, समुद्र में जल स्तर का बढ़ना व पर्यावरण में विभिन्न गैसों के अनुपात में असंतुलन स्थापित होना आदि–आदि।

आधुनिक समय में भी पर्यावरणीय वैज्ञानिक व विद्धान ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के निदान में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति व प्राचीन ग्रंथों में महाराजा दक्ष प्रजापति ने पहले से ही वृक्ष पूजा जिसमें– पीपल, वट, आंवला, तुलसी, नीम, कल्पवृक्ष, जामुन आदि, आदि का प्रॉवधान कर रखा है। प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का वर्गीकरण, गुण–धर्म की पहचान, वनस्पतियों (वृक्ष) सचेतना (जीव), तंत्र–मंत्र सिद्धि वृक्ष, जीवन रक्षक वृक्ष, उपयोगिता, वृक्ष लगाने की विधि, पोषण–रक्षा की विधि, यज्ञ प्रयोजन वृक्ष, वृक्षों के प्रभाव, बीमार वृक्षों के उपचार के तरीके, अपनी आवश्यकतानुसार फल–फूल प्राप्त करने की विधि, वृक्षों के शुभ–अशुभ लक्षण, जल्दी फल व ज्यादा फल प्राप्त करने की विधि , औषधीय गुण आदि का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में महाराजा दक्ष प्रजापति वनस्पति, यज्ञ, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सृष्टि संचालन सिद्धांत के स्वामी माने गए है। जिनके प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथ व प्राचीन दस्तावेजों में मिलता है।

वायु पुराण, वृक्षायुर्वेद आदि ग्रंथों में आख्यान मिलता है कि प्रजापति ब्रह्माजी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद सृष्टि संचालन का कार्य दक्ष प्रजापति को सौंपा है। सृष्टि संचालन में निरंतरता बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर एक निश्चित अनुपात में वृक्षों के महत्व को भली भाँति जानते थे। जिस ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु के सम्मान से शीर्ष स्थान पर सम्मानित रहा है। आख्यानों में वृक्षों के सार (सारांश) के रूप में उत्पन्न कन्या जिसे 'मारिषा' कहा गया है, जो अति सुन्दर व रत्नभूत थी, जिसने ब्रह्माजी के आदेश से मानसिक संकल्प के द्वारा दक्ष प्रजापति (सृष्टि संचालनकर्ता) को अपना मानस पुत्र माना या दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। जो सृष्टि संचालन में निरन्तरता बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है।

एक बार जब पृथ्वी पर वृक्षावलियां इतनी फैल गई की पृथ्वी के साथ आकाश मंडल तक को ढक लिया और जीव–प्रजा का विनाश होने लगा ! इसे देखकर प्रचेता नामक तपस्वी साधकों (जो चाक्षुष मन्वन्तर में समुद्र कन्या सवर्णा के पुत्र थे) ने पृथ्वी पर अग्नि वायु को छोड़ा जिससे वृक्षों का विनाश होने लगा। वृक्षों को नष्ट होता देखकर 'सोम' ने प्रचेताओं से स्पष्ट किया कि वृक्ष जन सन्ततियों व प्रजा के लिए नित्य प्रयोजनीय है। इसके बाद भी प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत नहीं किया और पृथ्वी पर वृक्ष–वन सम्पदा जलकर नष्ट होने लगी।

वृक्षों के सार 'मारिषा' को दक्ष प्रजापति अपनी माता मानते व पूजते थे। अपनी माता को संकट में देखकर दक्ष प्रजापति काफी चिंतित व दु:खी हुए और पृथ्वी पर अग्नि से नष्ट हुए वसुधा व प्रजा का पुन: पोषण करने हेतु शेष रहें वृक्ष व वन सम्पदा की रक्षा व वृद्धि की, क्योंकि दक्ष प्रजापति अपने को पोषित करने वाली अपनी 'माँ' 'मारिषा' की शक्ति को जानते व पहचानते थे। जिस कारण दक्ष प्रजापति ने पृथ्वी पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोषण, रक्षा व वृद्धि की। आगे इन्हीं ज्ञान के कारण दक्ष प्रजापति 'आयुर्वेद' व 'वृक्षायुर्वेद' के महान विद्धान व आचार्य हुए है। जिस कारण वनस्पति के रक्षक व पोषक के रूप में 'मारिषा' पुत्र दक्ष प्रजापति को आज भी जाना जाता है। आज के आधुनिक 'वनस्पति शास्त्र' के विज्ञाताओं व विद्धान भी वन सम्पदा के स्वामी व रक्षक–पोषक के रूप में प्रजापति को ही मानते है, जिन्होंने पृथ्वी पर कई बार वनस्पति की रक्षा की है। जिसका उल्लेख 'वनस्पति शास्त्र' की पुस्तकों में मिलता है।

पर्यावरण के संदर्भ में यदि युवा पीढ़ी प्राचीन ग्रंथों की गहराई से जानने का प्रयास करें तो पाऐंगे की विश्व में वृक्ष व वन सम्पदा का सबसे ज्यादा ज्ञान भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों व दक्ष प्रजापति को था, जबकि आश्चर्य की बात है दक्ष प्रजापति के ज्ञान को दौबारा वैज्ञानिक ढंग से या आधुनिक तरीके से दुनिया में पुन: प्रतिस्थापित भी भारत के ही एक महान वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र (बसु) बोस ने (सन् 1858 से 1937) प्राचीन ग्रंथों के ग हन अध्ययन से अपने क्रेस्कोग्राफ यंत्र के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह बताया कि वनस्पतियों में जीवन की चेतना होती है। जो जन्म लेते हैं,

* स्कीम नं. 21, मकान नं. 10,ग्वालटोली, नीमच (म.प्र.) भारत

धीरे–धीरे अपना शरीर बढ़ाते है। विपरीत स्थितियों में उदास होते हैं। अच्छे मौसम में प्रसन्न रहते हैं। मौसम की प्रतिकूलता में बीमार पड़ते है व उम्र पूरी करने पर मृत्यु का वरण करते हैं। जैसे कई सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जो पुरातन ज्ञान का आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करना था जिसे बाद में पूरी दुनिया ने माना और इस आधार पर इस दिशा में कई शोध हुए। जो वनस्पति के अध्ययन का आधार स्तम्भ बना। जिसे हमने अनदेखा कर संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में अपने–आप को कमजोर कर लिया है एवं विदेशों के अधूरे ज्ञान को अपना कर अपने ही पूर्ण ज्ञान पर अधूरे ज्ञान का प्रश्न चिन्ह लगा लिया है।

यदि संबंधित विषय के विद्वान शोधार्थी यदि हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर शोध करते है, तो पाऐंगे की हमारी भारतीय संस्कृति , संस्कार पर्यावरण व वृक्ष–वन सम्पदा के रक्षण, पोषण में पूर्ण सक्षम है, हमें किसी आयातीत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वृक्षों की सेवा, पूजा हमारे संस्कार व जीन में शामिल है। जो ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त है एवं जो हमें प्राचीन ग्रंथों से मिला हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वृक्षायुर्वेद – डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' वाराणसी।
2. प्रजापति का तत्व दर्शन – डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति, नीमच।
3. मारिषाख्यान – वायु पुराण।
4. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता–खेमराज श्रीकृष्णदास, मुंबई।
5. यजुर्वेद – आर्य समाज, पुष्कर रोड, अजमेर (राज.)।

संस्थाऐं–

1. जसपालसिंह खीवा, श्री दक्ष वेलफैयर एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, होशियारपुर (पंजाब)
2. प्रजापति राधेश्याम तैनगुरिया (भैयाजी), श्री दक्ष उत्तम प्रकृति संस्थान (स्वदेशी), गजरौला (उ.प्र.)।

****

विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत शिक्षण की आवश्यकताऐं एवं महत्व

प्रो. शार्मिला टेलर * हिमानी गुप्ता **

प्रस्तावना – 'संगीत को मानव समाज ने अपने हृदय की धड़कन के समान आदिम अवस्था से आज की विकसित अवस्था तक निरन्तर अवछिन्न रूप से संजोया है। मानव में जब तक स्वर शक्ति विद्यमान है, संगीत के स्वर उसका आत्म बल बढ़ाते रहेंगे। संगीत सदा जीवन में प्रमुखता से स्वीकार किया जाता रहा है और स्वीकार किया जाता रहेगा। क्योंकि संगीत मानव की प्रकृति है, मानव का स्वभाव है। मानव जीवन में संगीत का यही मनोवैज्ञानिक मूल्य है महत्व है और कारण है, जो हमारे जीवन की जटिलता को सहज सरल व सुग्राह्य बनाकर जीवन को आनन्दमय बनाता है।'[1]

जीवन में संगीत का स्थान सर्वोपरि है, संगीत विषय जितना श्रेष्ठ कला के रूप में है, उतना श्रेष्ठ शिक्षा के रूप में है। प्राचीन काल से ही अन्य विद्याओं के साथ-साथ संगीत एवं ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती रही है, और मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उत्तम चरित्र निर्माण, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास एवं समाज के उत्थान के प्रति जागरूकता निर्माण में संगीत शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

यूनानी सभ्यता में संगीत के महत्व का वर्णन करते हुए हर्बट ए0 पोपले कहते हैं 'The ancient Greeks are said to have made a point of teaching their children Music, because they belived that it made them more unselfish and helped them to see better the beauty of order and the usefulness of the rule.[2]

'संगीत के महत्व को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने समझा था उन्होंने उनके द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थानों में संगीत को पर्याप्त महत्व प्रदान किया तथा संगीत विषय विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया।'[3]

'भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 1986 के पीछे जो सजग नीति काम कर रही है, वह चाहती है कि छात्र की अभिव्यक्ति सशक्त हो छात्रों में शिक्षा स्तर एवं ग्रहण सामर्थ्य का आधार मजबूत हो तथा जीवन सत्य के निकट हो। नई शिक्षा नीति जीवन-मूल्यों के विकास पर अत्यधिक बल देती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति संगीत के माध्यम से सशक्त रूप से सम्भव है। यही कारण है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत संगीत के व्यापक स्वरूप को कला शिक्षण में शामिल किया गया ताकि विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चारित्रिक गुणों का विकास संगीत के विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सके।'[4]

'डॉ. महेश नारायण सक्सेना संगीत के संबंध में विचार व्यक्त करते हुये कहते हैं, संगीत एक उच्च ललित कला है, जो संस्कृति का एक प्रमुख अंग है राष्ट्रीय चेतना की प्रतिष्ठा में उसका असंदिग्ध योगदान है। विश्व भाषा होने के नाते संगीत राष्ट्र की भावात्मक एकता की स्थापना में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह विश्व परिवार की भावना का प्रबल पोषक तत्व है। अत: किसी न किसी रूप में और किसी न किसी सीमा तक देश के प्रत्येक बच्चे और नागरिक को संगीत की शिक्षा दी जानी बहुत आवश्यक है।'[5]

विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत शिक्षण की आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

1. **चहुंमुखी विकास–** 'संगीत एक शिक्षा पद्धति है, जिससे ज्ञान का अनुभव मिलता है, हमारी चेतना उद्दीप्त होती है। अर्थात् संगीत स्वयं में एक शिक्षा पद्धति है और यदि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से बालकों को शिक्षण-प्रशिक्षण करें तो बालकों के चहुंमुखी विकास की सम्भावना में वृद्धि होती है।'[6]

2. **नैतिकता एवं अनुशासन –** विद्यार्थियों में नैतिकता एवं अनुशासन का होना अति आवश्यक है और संगीत शिक्षा द्वारा यह सरलता से सम्भव है। विद्यार्थियों को नैतिकता एवं अनुशासन का प्रवचन नहीं दिया जाता बल्कि ऐसे गीत सिखाए जाते हैं, जिनसे विद्यार्थी स्वयं शिक्षा ले और नैतिक एवं अनुशासित बने।

3. **मानसिक विकास –** 'कई मनोवैज्ञानिकों का ऐसा भी मत है कि 'वाद्य वादन' की क्रिया से मस्तिष्क का विकास होता है। अत: यदि एक संगीत के संस्कार ग्रहण किया हुआ बच्चा यह क्रिया दैनिक जीवन में करे तो मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धि के विकास में भी सहायता मिलेगी और सीखने की शक्ति तथा कल्पना शक्ति को बल मिलेगा।'[7]

4. **शारीरिक विकास –** चाहे गायन हो, वादन हो या नृत्य हो तीनों का अभ्यास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर धनात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए संगीत व्यायाम भी है। 'विद्धानों के मतानुसार संगीत की साधना में अष्टयोयांग यथा- यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार तथा समाधि का पालन करने से साधक में भावात्मक पवित्रता, धैर्य, लगन, इन्द्रियों पर संयम, एकाग्रचित्त होने की क्षमता, दीर्घश्वास धारण करके धारा प्रवाह बनाए रखने की क्षमता आ जाती है।'[8]

5. **चेतना शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास –** 'संगीत में जब विद्यार्थी किसी भी गीत का नोटेशन याद करना, लिखना, समझना समझ जाता है, तब इससे उसे हर विषय में अन्तर्ध्यान व कल्पना शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। स्वरलिपि (नोटेशन) पद्धति से शब्द व स्वर का एक ही समय में एक ही साथ ध्यान करने से चेतना शक्ति केन्द्रित रहती है। संगीत द्वारा निर्णय एवं न्याय शक्ति भी निर्मित हो सकती है। यह कार्य स्वरों के ऊंचे-नीचे पन के ज्ञान से संभव हो सकता है।'[9]

* प्राध्यापक (संगीत) वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत
** शोधार्थी (संगीत) वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत

6. समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास – आज के युग में बालक मूल संस्कृति को अनदेखा कर विदेशों की संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहें हैं जिससे मूल संस्कृति का तो ह्रास हो ही रहा है, साथ ही विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास स्थिर हो रहा है। संगीत शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सम्भव है क्योंकि संगीत का सीधा सम्बन्ध समाज एवं संस्कृति से है। 'संगीत द्धारा जागृत एवं सृजित मानव मन की कोमल भावनाएँ सामाजिक तादात्म्य एवं जन कल्याण को प्रेरित करती रहती हैं।'[10]

7. एकता एवं सहानुभूति की भावना का विकास – विद्यालयों में सभी विद्यार्थी एक समय में एक स्थान पर एक साथ बैठकर गाते हैं जिससे उनमें एकता की भावना का विकास होता है। 'इस विषय पर प्रो. सुमति मुटाटकर लिखती हैं– 'स्वर और लय' अपने आप ही हृदयगम हो जाते हैं। इनकी अनुभूति के लिए भाषा, धर्म या और किसी वस्तु की रूकावट नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वर तथा लय अर्थात् संगीत किसी भाषा, जाति धर्म अथवा भौगोलिक दूरी को नहीं मानता। सभी भाषाओं धर्मो व जातियों आदि में काव्य भले ही भिन्न हो जाए परन्तु उस गीत की आत्मा अर्थात् संगीत एक ही रहेगा। इस प्रकार संगीत बालकों में राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय एकता व परस्पर सहानुभूति की भावना को जागृत करता है।'[11]

8. आध्यात्मिक विकास – 'मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति आध्यात्मिक उच्चता, सर्वश्रेष्ठ जातीय संस्कृति तथा मनुष्य मात्र की एकता के महत्व का ज्ञान देकर गुरू शिष्य की इस भावना को तृप्ति कर सकता है। सफल धार्मिक आचरण के लिए आत्म संयम, साधना और अभ्यास एकमात्र साधन है। इसके लिए संगीत शिक्षा ही एक सरल व सहज तरीका हो सकता है।'[12]

इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, विद्यालय स्तर पर संगीत की सामान्य शिक्षा का ज्ञान कराया जाता है जो, अति आवश्यक है। यदि विद्यालय स्तर पर ही शास्त्रीय संगीत शिक्षण नहीं होगा तो महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को संगीत विषय सीखने व शिक्षक का सिखाने दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि संगीत शिक्षा द्धारा स्मृति और कल्पना शक्ति का विकास, नैतिकता, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सद्गुणों का बीजारोपण, जन्मजात शक्तियों का सम्यक् विकास आदि सम्भव है। इनके अतिरिक्त संगीत शिक्षा प्रत्येक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसलिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु, अच्छे समाज हेतु, उत्कृष्ट राष्ट्र हेतु विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत शिक्षण की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिन्हा, डॉ. सुरेखा, संगीत चिन्तन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. सं.– 112।
2. शर्मा, डॉ. उमाशंकर, संगीत का योगदान मानव जीवन के विकास में, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, पृ. सं.– 150।
3. वही, पृ. सं.– 152।
4. ऋषितोष, डॉ. कुमार (2010) संगीत शिक्षण के विविध आयाम, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली,पृ. सं.– 134।
5. शर्मा, डॉ. उमाशंकर, संगीत का योगदान मानव जीवन के विकास में, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली,पृ. सं.– 152।
6. दत्ता, डॉ. पूनम (2005) भारतीय संगीत शिक्षा और उद्देश्य, राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. सं.– 78।
7. कुलकर्णी, डॉ. वसुधा, भारतीय संगीत एवं मनोविज्ञान, पृ. सं.– 165।
8. सक्सेना, डॉ. राकेश बाला (2000) वर्तमान सन्दर्भ में संगीत शिक्षा: एक विवेचन, पलनीटकर, डॉ. अलकनंदा, शास्त्रीय संगीत शिक्षा: समस्याएं एवं समाधान, आदित्य पब्लिशर्स, बीना(मध्य प्रदेश), पृ. सं.– 59।
9. कुलकर्णी, डॉ. वसुधा, भारतीय संगीत एवं मनोविज्ञान, पृ. सं.– 165।
10. सिंह, डॉ. लावण्य कीर्ति 'काव्या' (2005). संगीत संजीवनी, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. सं.– 8।
11. दत्ता, डॉ. पूनम. (2005). भारतीय संगीत शिक्षा और उद्देश्य, राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. सं.– 85।
12. ऋषितोष, डॉ. कुमार (2010) संगीत शिक्षण के विविध आयाम, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. सं.– 91।

****

दृढ़ आधारशिला का कला पर प्रभाव

पिन्टू मिश्रा *

प्रस्तावना – कला का उद्भव ही अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों से जुड़ा है। यहीं अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप कला के नवीन आयाम तथा समकालीन व्यवसायिक कला का व्यापक परिप्रेक्ष्य है। इसमें हमारी चेतना का प्रमुख स्थान है। अनुभूति के उत्पन्न होने के फलस्वरूप जब किसी के हृदय में कोई भावना उठे तब गति, रेखाओं, रंगों, ध्वनियों, रूपाकारों या शब्दों में उसे इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि दूसरे भी उस समान भावना की अनुभूति कर सकें, कला का कार्य है। समकालीन कलाकार यथार्थ के स्थान पर समाज के सम्मुख वह रूप रखने का प्रयत्न करता है, जिसका आधार उसकी कल्पना या उसकी क्रियाशीलता है। कलाकार अपने हृदय में व्याप्त उन भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, जिसे वह अपनी कल्पनाओं में गहराई से अनुभव करता है। बचपन से ही कलाकार के मन में जो अनुभूतियाँ होती हैं। वह उसके अन्त:मन में समाती चली जाती हैं, जो जाने-अनजाने, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से उसे बाध्य करती हैं। कुछ मौलिक, कुछ कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए, जिसमें कलाकार एक विशेष दृष्टि से उपादानों को देखता है इसी को अन्तर्मन या अन्त:चेतना कहते हैं। वह मन के भावों को प्रकट करने के लिये पूर्व निर्धारण नहीं करता, वरन् अपने अन्तर्मन की अनुभूतियों के आधार पर कल्पना की तुलिका से चित्र पटल पर उंगलियों की थिरकन प्रारम्भ कर देता है।

वर्तमान में कला की प्रचलित भाषा में किसी भी व्यवसाय, उत्पादन एवं बिक्री को व्यवसायिक कला कहा जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यवसायिक या व्यवहारिक कला का कार्यक्षेत्र अत्यन्त भिन्न एवं विकसित है। जीवन के प्रत्येक चरण में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जिसमें कला के इस व्यवहारिक पक्ष का प्रभाव परिलक्षित ना होता हो।

आज के समय को सामान्यत: उपभोक्ता वाद का युग कहा जाता है। परन्तु औधोगीककरण के विकसित रूप के कारण समाज में उद्योग-धन्धों की जो बाढ़ आयी है, उसके कारण एक ही प्रकार की वस्तु के लिए अनेक उत्पादन-कर्ता खड़े हो गए हैं, जो स्वयं में एक दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे है। उस स्पर्धा ने अनेक प्रकार के विज्ञापनों को जन्म दिया है। विज्ञापनदाता अपने उत्पादन के प्रचार के लिए समस्त माध्यमों का प्रयोग कर लेता है। श्रव्य तथा दृश्य सभी प्रकार के माध्यम इस कार्य हेतु प्रयुक्त किए जाते है। सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्रों में एक ही प्रकार की वस्तु के अलग-अलग निर्माताओं के बड़े ही आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रायोजित कार्यक्रमों की तुलना में विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार अधिक हो रहा है।

इन सब प्रयासों के आधार पर यह कहां जा सकता है कि विज्ञापन जगत के ऐतिहासिक भूमिका ने नवीन प्रयासों को एक परिष्कृत आधारशिला प्रदान की है।

विज्ञापन विषय पर ध्यान दिया जाए तो यह स्वभावत: प्रश्न उठता है कि विज्ञापन का अस्तीत्व क्या है । बहुत विस्तार पर न जाने पर भी बड़े सहज रूप में कहा जा सकता है कि विज्ञापन का अर्थ विशेष रूप से सन्देश ज्ञापित करना है अर्थात अपनी वस्तु के सम्बन्ध में जानकारी को अधिक लोगों तक पहुँचाना है। विज्ञापन का यह कार्य अगर गहरे उतर कर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक युग से ही प्रारम्भ हो गया था। आदिम युग का शिकारी जंगल से लौट कर अपने पड़ोस के लोगों के बीच बैठ कर जब यह बताता था कि कैसे उसने शेर का शिकार किया कैसे उसने शेर को देखा, कैसे उसने अपने हाथ के भाले को साधा अथवा उसने कैसे उस पर बाण चलाया, उसको कैसे उसने घायल किया, किस प्रकार वह शेर तड़पा और फिर कैसे वह शान्त हो गया आदि-आदि। समस्त वर्णन यह सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में विज्ञापन की उपयोगिता मानव के दैनिक जीवन में दिखाई देती थी। आदिकाल से ही मानव सभ्यता के विकास पथ में अन्य कलाओं के साथ-साथ विज्ञापन कला का भी विकास और विस्तार होता रहा है। विज्ञापन का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। आदिकाल से वर्तमान तक के वैज्ञानिक युग में मानव किसी न किसी रूप में कम या अधिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन पर निर्भर रहा है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ संचार माध्यम बदलते रहे हैं और उन्हीं माध्यमों के सहारे विज्ञापनों का स्वरूप भी बदलता रहा है। विज्ञापन के ऐतिहासिक वृत्तान्त अध्ययन के अनुसार हम प्राक्-ऐतिहासिक काल की चित्रकला के अध्ययन से करें तो उसमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा, डुग-डुगी बजाकर मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था। इन्हीं चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से ही लिपि का विकास हुआ और लिपि वृहद सम्प्रेषण के लिये मानव सभ्यता का सबसे प्रभावी माध्यम बनी। इसी भाषाई ज्ञान के द्वारा राजा-महाराजाओं ने अपनी कार्य प्रणालियाँ एवं विभिन्न घोषणाएं शिलालेखों पर लिखवाई थी, जो इतिहास के प्रारम्भिक विज्ञापन के रूप में उदाहरण स्वरूप आज भी निर्देशन देते है। हमारे पौराणिक ग्रन्थ 'रामायण' और 'महाभारत' में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जो एक तरह के तत्कालिक युग के विज्ञापन कहे जा सकते हैं। अनेक राजाओं द्वारा उद्घोषक नियुक्त किए जाते थे जो राजाओं द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को समस्त राज्य में ऊँची आवाज में प्रसारित करते थे, जिसका विकसित रूप आज विज्ञापन कला के क्षेत्र में विद्याओं के रूप में उपस्थित है।

लिपि के पश्चात् मुद्रण के आविष्कार ने विज्ञापन जगत को और मजबूती प्रदान की एवं मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया।

* शोधार्थी , स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

जिससे वृहद सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम प्रस्तुत किये। अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक पीठिका पर ध्यान दिया जाए तो सर्वप्रथम चीन में बौद्धों द्वारा प्रथम सदी में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण का प्रारम्भ किया गया था लेकिन सन् 1440 में मुद्रणकला के गतिशील अक्षरों से मुद्रण के आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नवीन दिशा प्रदान की। जिसके माध्यम से विज्ञापन का कार्य पूर्ण किया जाने लगा। प्रपत्रों व पोस्टरों के निर्माण में विभिन्न विधियों द्वारा नवीन प्रयोग किए जाने लगे। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास के साथ विज्ञापन के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। विभिन्न परिवर्तनों के स्वरूप विज्ञापन कला में नवीन क्रान्ति का पदार्पण हुआ एवं वर्तमान में यह कला के नवीन क्षेत्र के रूप में विकसित है।

अन्य सभ्यताओं के आरम्भिक विकास के समान ही भारत में भी विज्ञापन का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी ढोल बजाकर, चिल्लाकर या वाद्य-यन्त्र बजाकर उद्घोषणा करने के प्रमाण मिलते हैं। सिन्धुघाटी की सभ्यता से प्राप्त प्रमाणों में भी चिन्हों, मोहरों और लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों या चिन्हों का स्वरूप आधुनिक प्रतीक चिन्हों या लोगों टाइप से मिलता-जुलता है। ईसा पूर्व की लगभग ढाई-तीन हजार वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता के नगरों, हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो से प्राप्त अवशेषों में भी विज्ञापन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार उदाहरण प्राप्त हुये है जैसे कलात्मक वस्तुऐं ओर मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो एक तरह से व्यापारिक चिन्ह आदि के रूप में विज्ञापन ही रही होंगी। इतिहास का एक प्रसिद्ध चरण 'मौर्यकाल में भी सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तम्भों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था जिनमें ब्राह्मी लिपि में संदेश होते थे। इन कलात्मक स्तम्भों के संदेशों में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित लोगों के परोपकार हेतु विभिन्न घोषणाएँ हैं, जो विज्ञापन का ही रूप है। जिस प्रकार से मुद्रण के आविष्कार ने अन्य देशों में विज्ञापन को प्रोत्साहन दिया उसी तरह भारत में भी विज्ञापन के लिए मुद्रणकला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण-मशीन 6 सितम्बर, 1556 में संयोगवश ही आ गई। इस मुद्रण-मशीन को पुर्तगाल से गोवा होते हुए अबीसीनियां भेजा जाना था। राजनैतिक उथल-पुथल की वजह से इस मशीन को गोवा में ही रोक लिया गया ओर गोवा में प्रथम मुद्रण-मशीन की स्थापना हुई जिससे प्रथम पुस्तक दौक्त्रीना क्रिस्ताओं का प्रकाशन किया गया। तत्पश्चात दूसरी उपलब्धि के रूप में भारत में दूसरी मुद्रण-मशीन 1674-75 ई0 में स्थापित की गयी जिसे गुजरात के व्यापारी भीमजी पारिख ने इंग्लैण्ड से मंगवाया था।

भारत में सन् 1890 में छपने वाले विज्ञापनों में लगभग 50 प्रतिशत विज्ञापन तो एलोपेथिक दवाओं के ही होते थे जिनकी भाषा अंग्रेजी होती थी। ये विज्ञापन 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' व 'ट्रिब्युन' में छपते थे। इस समय आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन मुम्बई समाचार पत्र में छपते थे। संस्कृत और फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों, जैसे - भगवद् गीता, उत्तर रामचरित तथा आइने अकबरी आदि के विज्ञापन भी समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण रूप से छपते थे।19वीं सदी के उत्तरार्ध कोलकाता के बाजार मे विज्ञापन के रूप में विभिन्न वस्तुओं का प्रचार-प्रसार तेजी से विकसित हो रहा था, इसमें ग्रामोफोन, साइकिल एवं बैंक आदि सम्बन्धी सेवाए देखने को मिलती है।

भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विज्ञापन का आधुनिक स्वरूप सामने आया। कुछ समाचार पत्रों, जैसे - स्टेट्समैन और टाईम्स ऑफ इण्डिया ने विज्ञापनदाताओं को कला सम्बन्धी, कॉपी लेखन के लिए सेवाए देना प्रारम्भ किया। उस समय के विज्ञापन में भारतीयता का ध्यान दिया जाता था। जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों के प्रति मांग को बढ़ाना था। उस समय दिल्ली की हिन्दू बिस्कुट कम्पनी ने अपने विज्ञापनों में कहा कि उनके द्वारा बनाए गए बिस्कुट आयातित बिस्कुटों से अधिक ताजा, पौष्टिक व सस्ते हैं। इसी तरह सन् 1906 में धारीवाला कम्पनी द्वारा प्रसारित किए गए विज्ञापन का मुख्य शीर्षक था- 'भारत में बना भारत का' जो कि ऊनी वस्त्रों के लिए किया गया विज्ञापन था। उस समय स्वदेशी निब, स्वदेशी होल्डर, स्वदेशी आदि के विज्ञापन भी प्रसारित किए जाते थे। रेलवे, बैंकिंग-सेवा तथा शेयर बाजार के उदय ने भी विज्ञापन को बढ़ावा दिया। सन् 1907 में भारत में रोटरी मशीन के आ जाने के बाद सबसे पहले कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र स्टेटसमेन ने इस मशीन का प्रयोग शुरू किया और बाद में अन्य समाचार पत्रों ने भी इस मशीन का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे पत्र-पत्रिकाओं की छपाई सस्ती व अधिक संख्या में होने लगी। जन मानस पत्र-पत्रिकाओं की ओर ज्यादा उन्नमुख होने लगे और इनमें आकर्षण उत्पन्न करने हेतु विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ा दी गई। उस समय कोलकाता देश की राजनीतिक राजधानी और मुम्बई देश की औद्योगिक राजधानी थी। इसलिए विज्ञापन उद्योग के आरम्भिक चरण इन दो शहरों का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है।

सन् 1907 में पहली भारतीय विज्ञापन एजेन्सी की स्थापना मुम्बई में हुई। सन् 1909 में कोलकाता में विज्ञापन एजेन्सी की स्थापना हुई। ये विज्ञापन ऐजेन्सियाँ कला सम्बन्धी क्षेत्रों में भी सेवाए देने लगी थी। भारत में टाइम्स ऑफ इण्डिया ने 1910 ई. में अपना वार्षिक अंक में प्रथम रंगीन विज्ञापन मुद्रित किया जो पियर्स साबुन से सम्बन्धित था। इस विज्ञापन में साबुन के बुलबुलों का बहुत ही कलात्मक एवं आकर्षक सजृन किया गया है।

भारत में विज्ञापन अपने उत्कर्ष पर वास्तव में आजादी के बाद ही पहुंचा है। सन् 1948 में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या प्रमाणित करने के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन की स्थापना की गई। सन् 1950 में विज्ञापन फिल्में बनने लगी जिनकी अवधि दो मिनट होती थी। आजादी के बाद ही भारत में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई, जिससे विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ी एवं विज्ञापन-कला को बढ़ावा मिला तथा विज्ञापन के लिए एवं विपणन के लिए विपणन बाजार अन्वेषण, उपभोक्ता अन्वेषण आदि नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी क्रम में विज्ञापन क्षेत्र को और परिष्कृत करने हेतु सन् 1952 में भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों की गुणवत्ता को सुधारना था। सन् 1962 में मुम्बई में विज्ञापन क्लब की स्थापना की गई। इस क्लब द्वारा श्रेष्ठ विज्ञापन के लिऐ अखिल भारतीय पुरस्कार निर्धारित किया गया और विज्ञापन एवं इससे जुड़े अन्य विषयों पर परिचर्चा, सेमीनार स्लाइड शो आदि किए जाने लगे जिससे विज्ञापन की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आया। आधुनिकता का आवरण ओढे नित् नवीन परिवर्तन एवं मस्तिष्क की अभिव्यंजनाओं को खोलते विभिन्न प्रयोग कला क्षेत्र में विद्यमान सृजनात्मकता की क्षमताओं को बढ़ा रहे है। आधुनिकता का अनुसरण करते हुए मानव पुरातन रीतियों को छोड़ नव सृजन की ओर उन्मुख रहता है, उसका यह प्रयास उत्तेजना एवं कॉतुहलता से ओत-प्रोत रहता है। मानव का यह परम्पराओं के प्रति विराधी स्वभाव ही नवीन सृजन अर्थात् आधुनिकीकरण को आधार प्रदान करती है। जब कलाकार सन्तुष्टी नहीं प्राप्त कर पाता तभी नवीन अविष्कारों के अंकुर फूटते है। यहीं से कला में नूतन आयामों का पर्दापण होता है। मानव में जब असंतोष की हलचल और

तड़पन होती है, वहीं नयी कल्पनाए एवं अविष्कार जन्मते हैं और वहीं आधुनिकता भी पनपती है। आधुनिक कला सदैव ही प्राचीन कला से भिन्न होती है। कला मे नव रूप का सृजन तभी प्राप्त होता है जब वह नये नये मान दण्डों से प्रभावित होकर नवीन तथ्यों द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने लगती है। जिसके फलस्वरूप नये अविष्कार, नई खोज और नवीन प्रयोग सक्रिय हो जाते हैं। परिवर्तन जीवन में शाश्वत सत्य के रूप में विद्यमान है। इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।

कला में विज्ञापन के क्षेत्र को उसके व्यापक ऐतिहासिक वृतान्त ने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं दृढ़ आधारशिला प्रदान की है। विज्ञापन में व्याप्त विभिन्न सम्भावनाओं की जननी के रूप में विज्ञापन का इतिहास सदैव ही उसका पोषक बन कर सजृनात्मकता को निखारता रहेगा। विज्ञापन के क्षेत्र में एकता व सामन्जस्य का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विज्ञापन में प्रयुक्त अनेको तत्व अपने निर्धारित स्थान में इस प्रकार परिलक्षित हो के एक पूरी अभिव्यन्जना समग्र रूप से द्दष्टा को प्रभावित कर सके। सभी तत्वों की एकता और सामन्जस्य द्वारा दिया गया सन्देश विज्ञापन कला को साकार रूप प्रदान करता है। विज्ञापन संचार का सबसे पुरातन माध्यम है, जिसे सहज ही ग्रहण किया जा सकता है। विज्ञापन क्षेत्र में सृजन की विभिन्न नीतियों को आत्मसात करते हुए, इस क्षेत्र को परिष्कृत करना चाहिए। सृजन नीति के पालन का उद्देश्य दिशा निर्देशन है। जिसकी सहायता से कार्य सम्पादन में नि:संशय ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

विज्ञापन की ऐतिहासिक पीठिका द्वारा वर्तमान जगत में विज्ञापन के क्षेत्र में रोज़गार सम्भावनाओं को बल प्रदान किया है। विज्ञापन क्षेत्र की दृढ़ आधारशिला ने ही विज्ञापन क्षेत्र के स्वर्णिम भविष्य की कल्पनाओं को अपार सम्भावनाओं का आवरण प्रदान किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. तिवारी, शशी प्रभाव कृत, भारतीय कला दर्शन।
2. सेन, शेखर, कृत संस्कार से संस्कृति की ओर।
3. यादव, नरेन्द्र सिंह, कृत ग्राफिक डिजाइन।
4. डॉ. रामास्वामी, एस0 आर0, कृत कला का भारतीय दर्शन।
5. डॉ. शर्मा, कुमुद, कृत विज्ञापन की दुनिया।

****

कथक नृत्य में सूर साहित्य की प्रासंगिकता 'सहित्स्य भाव - साहित्यम्'

योगिता मण्डलिक *

प्रस्तावना - साहित्य वह विद्या है, जिसमें सहित का भाव हो।

विचारशील मनुष्य की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। एक साहित्यकार भाषा के माध्यम से अपनी आन्तरिक अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, जिसमें आनन्द निर्माण करने की क्षमता होती है।

गद्य, पद्य व काव्य साहित्य के ही प्रकार है, जिसमें साहित्यकार शब्द अथवा भाषा को छन्द अलंकार आदि से सजा-सवाँरकर रंजकता की सृष्टि करता है।

नृत्य सहृदय की ख़ुशी को अभिव्यक्त करने की स्वाभाविक क्रिया है जिसमें साहित्य के प्रयोग से भाव सम्प्रेषण की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। नृत्यकला में कलाकार सूरताल में निबद्ध काव्यगत शब्दों को अंगभंगिमाओं एवं भावमुद्रा आदि के द्धारा प्रस्तुत कर रस की सृष्टि करता है।

शास्त्रीयता की दृष्टि से नृत्य वही है, जिसमें गीत के शब्द हो, अंगों का सुन्दर संचालन, भावमुद्रा हो एवं पैर ताल-लय का निर्वहन करते हो वही सम्पूर्ण नृत्य है।

काव्य में प्रयुक्त शब्द व उनके अर्थ की सौन्दर्यपूर्ण रचनात्मकता पर ही नृत्य की भावाभिव्यक्ति की सुन्दरता निर्भर करती है।

आचार्यो ने कहा है -

नृत्यगीताभिनयं भावतालयुतं भवेत।
आस्येनालम्बयेद् गीत हस्तनार्थ प्रदर्षयेत्।।

एक ओर गीत, नृत्य की अनिवार्यता है, वहीं दूसरी ओर नृत्य, काव्य का प्रेरणा स्त्रोत है। काव्य में निहित शब्द, छन्द, अलंकार, कवि कल्पना आदि रस सृष्टि के लिए समर्थ होते हैं परन्तु जब काव्य में निहित भावों को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, तो रसानन्द द्धिगुणित हो जाता है।

नृत्य में भाव प्रदर्शन हेतु अच्छे साहित्य की आवश्यकता हमेशा से रही है। भक्तिकालीन कवियों के भक्तिमय काव्य में प्रभुलीला का वर्णन प्राप्त होता है। उनके भक्तिमय साहित्य में नवधा भक्ति में से एक लीलानुकरण का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। नृत्य में भी अभिनय प्रदर्शन हेतु प्रभुलीला जैसे विषय अत्यन्त लोकप्रिय रहे है। प्रभुलीला जैसे विषयों पर भावाभिव्यक्ति जन साधारण को भी आकर्षित करती है। जितना अच्छा साहित्य नृत्य में अभिनय हेतु उपलब्ध होगा भावों की अभिव्यक्ति भी उतनी ही निखरेगी और दर्शकों को भी उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होगा। जैसा साहित्य होगा वैसी ही नृत्य की भावाभिव्यक्ति होगी या ऐसा कहा जा सकता है कि साहित्य के अनुरूप नृत्य में उसके भावों की प्रस्तुति होती है।

कथक नृत्य में नायक के रूप में श्रीकृष्ण एवं नायिका के रूप में राधा व गोपियों का चित्रण किया जाता है अर्थात् कथक नृत्य में नायक-नायिका के संयोग व वियोग श्रृंगार के प्रदर्शन का मुख्य आधार राधा-कृष्ण गोपी लीलाएँ ही है। इसलिए कथक का एक अन्य नाम नटवरी भी है।

भक्तिकालीन सूरदास वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने असंख्य पदों की रचना की जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र को उकेरा है। सूर साहित्य में कृष्ण लीला सम्बन्धी पद बहुतायत से प्राप्त होते है। उनके पदों मे से अधिकांश पदों पर भावप्रदर्षन कथक नृत्य में प्रसंगानुकूल किया जा सकता है।

शास्त्रीय नृत्यों में नायिका भेद को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कथक इसका अपवाद है। इस सन्दर्भ में सूर साहित्य को देखे तो नायिका की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित पदों की रचना सूरदास ने बहुत ही सुन्दर तरीके से की है। नायिका की हर एक अवस्था का सूरदास ने बहुत ही सुन्दर व मनोरम वर्णन किया है। उनके अनेक ऐसे पद है, जिनमें विरहणी नायिका मिलती है। जैसे -

1. अब बरखा को आगम आयौ।
   ऐसे निठुर भए नंदनंदन, संदेसौ न पठायौ।।
2. निसि दिन बरसत नैन हमारे।
   सदा रहति बरखा रितु हम पर, जब तै स्याम सिधारे।।
3. बिछुरे स्याम बहुत दुख पायौ।
   दिन दिन पीर होति गाढ़ी, पल-पल बरष बिहायौ।।

आदि ऐसे पद हैं, जिनमें नायिका के विरह का बखुबी चित्रण सूरदास ने किया है। कुछ पद ऐसे भी है, जिनमें नायिका अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है और नायक नहीं आ रहे ऐसी विप्रलब्धा नायिका के बहुत से पद सूर साहित्य में प्राप्त होता है।

इसी प्रकार संयोग श्रृंगार में स्वाधीन पतिका नायिका के दर्शन होते है। उदाहरण के लिए -

4. स्याम भए राधा बस ऐसै।
   चातक स्वाति, चकोर चंद ज्यौ चक्रवाक रवि जैसे।।
5. स्याम भए वृषभानुसुता बस, और नहीं कहुँ भावे।।

कहीं देखे तो खण्डिता नायिका, जिसका मान खण्डित हुआ हो प्रियतम के शरीर पर परस्त्री के रीतिचिन्ह देख दुखित नायिका का मार्मिक वर्णन सूर के पदों में मिलता है। इसके अतिरिक्त कलहान्तरिता, अभिसारिका, वासक सज्जा आदि नायिकाओं की दशाओं का वर्णन सूर काव्य में निहित है। जिन्हें कथक नृत्य में नायिका की अवस्था प्रदर्षित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।

बहुत से पद ऐसे भी है, जिनमें कृष्ण की बाललीला एवं उनकी शिकायत

* शोधार्थी (कथक डांस) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

करती गोपियों का सूर ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। जिन्हें कथक नृत्यकार अपने अंगभाव से आसानी से दिखा सकते है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न गीति प्रकारों – कजरी, भजन, झूला, होरी आदि पर आधारित अनेकों पद सूर साहित्य में प्राप्त होते है।

भाषा की दृष्टि से भी सूर साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य है। सूरदास की रचनाओं में हमें ब्रजभाषा का परिष्कृत व साहित्यिक रूप मिलता है। सरलता, सरसता, प्रसंगानुकूलता, भावानुकूलता जैसी विशेषताएँ सूर की काव्यभाषा में दिखायी देती है। जो जन साधारण के लिए आसानी से ग्राह्य होती है। ऐसा काव्य नृत्य प्रदर्शनकर्ता के लिए भी भाव को प्रदर्शित करने में सहायक होता है और दर्शकों के लिए भी भावों को समझने में आसानी होती है।

इस प्रकार हम देखते है कि कथक नृत्य में भावाभिव्यक्ति हेतु सूर साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट व समृद्ध साहित्य है। सूर साहित्य में अनेकों ऐसे पद हैं जिन्हें कथक नृत्य में भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त करके अभिनय पक्ष को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1) पृ. 1276 पद 3918 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी
2) पृ. 1262 पद 3855 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी
3) पृ. 1254 पद 3826 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी
4) पृ. 953 पद 2756 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी
5) पृ. 926 पद 2638 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी
कथक दर्पण – पं. तिरथराम आजाद।

****

लोक संस्कृति के सृजनात्मक अभिव्यक्ति के दो चित्रकार

कंचन कुंवर राणावत *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति एवं परम्परा वैविध्यपूर्ण आकर्षक एवं बहुमुखी है। यह पुष्टि राजस्थान जिसकी भौगोलिक विषमता जिसमें अरावली की अद्‌भुत पहाड़ियाँ, लहलहाती झीले तो कहीं अनंत पसरा हुआ रेगिस्तान। प्रकृति की इस विस्मकारी देन से उपजा गीत, संगीत, चित्रकारी, नृत्य, वादय यंत्र आदि विश्व पटल पर गौरवपूर्ण महत्व रखता है। राजस्थान में चित्रकारी हेतु मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, देवगढ़ आदि प्रमुख शैलियाँ है। इसी भूमि ने आधुनिक कला के भी कई चित्रकार दिये है जिन्होंने राज्य ही नहीं वरन राष्ट्र ही नहीं वरन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर ख्यातनाम हुए है। इन्हीं में से कुछ चित्रकारों ने स्थानीय लोक कलाओं को पुनर्व्याख्या में रचित किया है। चित्रकारों का अवतरण स्थल देवगढ़ ठिकाना

देवगढ़, राजस्थान का राजसी ठिकाना है। जो उदयपुर से 125 कि.मी. दूर है। यहाँ के राजमहल, बस्तियों की बसावट, आर्कषक चट्टान, राजमहल में बने फ्रास्को कला धरोहर है। यहाँ की शैली का ललित कला अकादमी दिल्ली ने पोर्ट फोलियों भी प्रकाशित किया है। भारतीय समकालीन दृश्यकला के तीन प्रमुख चित्रकारों ने यही से अपना सज्रन कार्य आरंभ किया था। डॉ. विद्यासागर उपाध्याय जो यहाँ 1970-75 कला शिक्षक रहे थे इन्होंने यहाँ कि प्राकृतिक छठा को श्वेत-श्याम रंगो में चित्रित किया था। इसी क्रम में डॉ. बसन्त कश्यप सन् 1976 से 1980 तक कला शिक्षक रहे थे। इन्होंने भी यहाँ की छटा को चित्रित किया था। इसी दौरान यहाँ के निवासी रामेश्वर सिंह से घनिष्ठता हो गई थी। फलस्वरूप दोनों ने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में 'टू मैन शौर्य प्रदर्शित किया। तीनों ही चित्रकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए है। डॉ. बसंत कश्यप एवं रामेश्वर सिंह ने लोक कला के चुनिंदा प्रतीको चुना तथा विशिष्ठ शैली का प्रतिपादन किया।

चित्रकार रामेश्वर सिंह – रामेश्वर सिंह राजस्थान ही नहीं भारतीय समकालीन चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्रकार है। नि:संदेश रामेश्वर सिंह देश के सबसे अधिक बिकाऊ चित्रकारों में से एक रहे है इनका जन्म 5 फरवरी, 1946 को देवगढ़ में हुआ था। अपनी सृजन क्षमता व झुझारूपन से अनोखे व अधिक संख्या में चित्र बनाने हेतु जाने जाते है। इन्होंने स्नातक शिक्षा विज्ञान में भीलवाड़ा से की थी। इनके पिता श्री उदयसिंह एक कपड़ा मील में डाईंग मास्टर थे। कला अभिरूचि के कारण यहाँ के सर्वश्रेष्ठ फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी तथा कला लेखक ओ.पी. जोशी के सघन सम्पर्क में रहे। फड़ शैली एक कथात्मक चित्रण विद्या है। इन्होंने देवगढ़ में आकर फड़ शैली को स्क्रीन प्रिंट के माध्यम से ग्रिटींग कार्ड, वाल हेगिंग, कलेण्डर, बटीक आदि में कार्य कर आजीविका का साधन बनाया।

नवाचार – सन् 1976 में बसंत कश्यप के सम्पर्क में आने पर हेण्डीक्राफ्ट के साथ आधुनिक कला के प्रति रूजान बढ़ने लगा। उम्र दराज होने पर भी सु.वि.वि. उदयपुर से विधिवत कला शिक्षा 1982 में ली। आरंभ में सिर्फ रंगों से अभिव्यक्ति करते थे। अभिव्यक्ति में कुछ हटकर करने के जूनून ने अपने फड़ व्यवसाय को रचनात्मकता में लाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने फड़ के टुकड़ों को कहीं कहीं से जलाकर चिपकाना तथा बाकी जगह में लिपि व रंगो से तथा छपाई के ठप्पों से प्रिंट करना शुरू किया। उर्जावान रामेश्वर को इस कार्य की कला जगत बहुत प्रशंसा मीली। इन्होंने इस कार्य को टाप गेयर में करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने विभिन्न शहरों में 75 के लगभग एकल प्रदर्शनियाँ कर डाली। इस सिलसिले के सम्भवत: देश के एकमात्र चित्रकार हैं।

प्रकृति एवं वस्तुओं का समावेश – इनके चित्रों में हष्ट-पुष्ट मानवाकृतियों के साथ तोते, घोड़े, हाथी, साँप, शेर, फूल-पत्तियाँ, हांसिए, घड़ियाँ, ग्रामोफोन आदि मोटिफ होते है। इन्हें ललित कला अकादमी दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार 1984 में मिला था। इसके अलावा बम्बई सोसायटी, यु.पी. स्टेट, बिहार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए है। इन्हें एक साथ कई कैनवास पर कार्य करने का महारथ हासिल था। इनके चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा दिल्ली सहित सैकड़ों राजकीय एवं नीजि संग्रहों में है। इस विरले चित्रकार का लम्बी बीमारी के बाद 10 अक्टूबर 2014 को निधन हो गया।

डॉ. बसंत कश्यप – व्यक्तित्व निर्माण में उसके आसपास का परिवेश श्लेषित होता है। जहाँ गाँव की स्वच्छन्द हवा, आम के पेड़ों का झुरमुट, पोटे मारने के लिए तालाब, देवरों पर भोपों के क्रियाकलाप, झाडा-फूँकी, जंगल से लकडी काटकर लाना, ऐसे ही वातावरण में पले-बढ़े डॉ. बसंत कश्यप का जन्म 20 जनवरी, 1953, बसंत पंचमी के दिन गोवर्धन विलास गाँव में हुआ। यह इलाका आदिवासी इलाके से सटा हुआ है। यहाँ आदिवासी लोकनृत्य गवरी, रामलिलाएँ नटो का खेल, फड़वाचन आदि का यहाँ आये दिन खुले आकाश में होता था। इनका निवास मंदिर में था, जिसमें वृहद परिक्रमा, बड़ा खुला आँगन जिसमें बस्ती के सभी बच्चे, गुल्ली-डण्डे, सतोलिया, कब्बड़ी के साथ खेलों का मंचन भी करते थे।

आस-पास के विषयों का संयोजन – कश्यप को बचपन से ही मेकअप, परिधान, रजत आभूषण, अस्त्र-शस्त्र के प्रति लगाव था। स्कूल में फेन्सी ड्रेस, मनोएक्टिंग तथा तालाब की पाल पर कोयले से चित्रण करना इनका शौक रहा है। इन्होंने स्नातकोत्तर कला शिक्षा सु.वि.वि. उदयपुर से 1974 में पूर्ण की थी। अध्ययन के दौरान ही सृजनात्मक चित्रण की गहन रूचि हो गई थी। आस-पास के विषय जो जिस्म में समाये हुए थे उनकी अभिव्यक्ति रेखांकन माध्यम में की थी। लगभग इस प्रकार के 30 चित्रों प्रदर्शनी त्रिवेणी कला दीर्घा दिल्ली में 1978 में की थी।

बुद्धिशीलता – एक दिन एक कबाड़ी के ठेले से बच्चों की साइकिल का

*शोधार्थी (दृश्यकला) पेसीफिक ऐकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च यूनर्विसिटी, उदयपुर (राज.) भारत

लोहे का पहिया गिर गया। कश्यप ने कुछ देर सोचने के पश्चात् कबाड़ी से दो रूपये में खरीद लिया। इसी पहिए को लेकर गहन चिंतन और क्रियात्मक अनुशीलन के फलस्वरूप उन्होंने एक नई दिशा में पर्दापण किया तथा चित्र-शिल्प को मिश्रित रूप में अपनी अभिव्यक्ति प्रारम्भ किया। इनकी कृतियों को रिलिफ वर्क, असम्बलाई-जेशन म्यूरल आदि संज्ञा दी जाने लगी।

वस्तुओं से चित्रसृजन – कश्यप को इस शैली को विस्तार देने के लिए अपनी जमीन, परम्परा एवं समृद्ध विरासत से उचित उपादानों को चुनने की प्रेरणा मिली। इन्होंने मानवाकृतियों के लिए कठपुतलियों का इस्तेमाल किया। कई वस्तुएँ जैसे पहिए, मीटर, होर्न, अग्निशमन, पुराने ताले, चमड़े के बेल्ट, लोहे एवं लकड़ी की विचित्र वस्तुऐं, रजत, ताम्र व स्वर्ण रंग की मेटल शीटे को बहुतायत से प्रयोग में लिया है। छठी त्रिनाले में इन्होंने 10/10 फीट स्थान में स्टालेशन किया था। जिसमें देशी किवाड़, गाड़ी एवं व फड़ स्कल्पचर से कथात्मक प्रदर्शन किया था। जिसकी प्रशंसा विश्व के प्रसिद्ध कला समीक्षक व इतिहासकार माइकल क्रोम्पटन, मुल्क राज आनंद, प्रयाग शुक्ल तथा कई कला समीक्षकों ने प्रशंसा की थी।

सम्मान – कश्यप को राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी से 1986 एयरपोर्ट आर्थोरिटी अवार्ड 1990 तथा भारत सरकार के अक्षय उर्जा विभाग से 1997 पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा इन्हें डेढ़ दर्जन पुरस्कार प्राप्त हुए है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रान्स, कोरिया, जापान में भी इनकी कृतियाँ प्रदर्शित हुई है। अपना उत्सव दिल्ली, 1986 सहित कई कला शिविरों में इन्होंने सहभागिता दी है। आधुनिक कला दीर्घा दिल्ली, मिनीस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर दिल्ली, अलबर्ट पोलेन्ड, अमेरिकन सेन्टर आदि कई संग्रहालयों तथा नीजि-संग्रहों में इनके चित्र संग्रहित है।

वर्तमान में कश्यप राज. मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर से चित्रकला व्याख्याता पद से सेवानिवृत होकर अपने स्टूडियों में नित्य चित्रण करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान पत्रिका, उदयपुर 9 नवम्बर, 1983
2. इतवारी पत्रिका, 9 जून, 1985
3. अमृत बाजार पत्रिका, दिल्ली, 4 फरवरी 1986
4. दस चित्रकार, वो.2, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर।
5. कैटलाग – रामेश्वर सिंह वन्य अपोन ए टाइम देयर वाज ऐ टाइगर।
6. राजस्थान के रंग, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर 1998

****

भर्तृहरि का नीतिशतक और उसकी उपादेयता

डॉ. प्रताप सिंह बघेल *

प्रस्तावना – महाकवि भर्तृहरि का संस्कृत गीतिकाव्य में विशिष्ट स्थान है। भर्तृहरि के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने उनके काल के संबध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु विक्रमादित्य को वे ज्येष्ठ भ्राता मानते थे, जिन्होंने दसवीं सन् 644 ई. में कहकर महाराणा में हूणों को पराजित किया था, इससे छ:सौ ई. के उत्तरार्द्ध मेंउनका काल निर्धारित किया जाता है।पण्डित द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री के अनुसार यह कहा गया है कि–

'यद्यपि नास्ति किमपि बलवत्प्रमाणम् तथापि यदि नामासीद्
भर्तृहरि: तस्यैव विक्रमादितस्य जेष्ठोभभ्राता येन
सन् 644 क्रैस्तेऽद्धे कहरूरमहारणे हूणा: पराजिता:।
तदात्वस्य स्थिति कालोऽपि षट्शताब्द्या उत्तर चरणे
एवं निर्धारयितुं पार्यते।'

इस बात मेंभी काफी मतभेद है कि वाक्यपदीय के रचयिता महावैयाकरण भर्तृहरि से अभिन्न माना है। भारतीय वैयाकरण विद्वान् उन्हें वैयाकरण भर्तृहरि से अभिन्न नहीं मानते।

भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' के अनुसार चन्द्र गोमिन् ने ही दक्षिण भारत से प्राप्त महाभाष्य की प्रति को उत्तर भारत में लाकर उसकी विलुप्त परम्परा को पुनर्जीवित किया।

भर्तृहरि, कैयट और हरिदत्त आदि विद्वानों ने आचार्य कुणि के नाम से 'अष्टाध्यायी वृत्ति' का उल्लेख किया है।

महाभाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सर्वाधिक प्राचीन टीका भर्तृहरि की ही है, वह प्राचीन टीकाओं के साथ ही प्रामाणिक भी है। पतञ्जलि के बाद भर्तृहरि का नाम व्याकरण निकाय में उल्लेखनीय है।

किंवदन्ती है कि उनकी प्रियरानी पिंगला पर वे अत्यधिक आसक्त थे। आठों पहर, रात–दिन वे पिंगल का ही ध्यान रखते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने भारी तपस्या से प्राप्त अमरफल को राजा को दिया। महाराज भर्तृहरि ने अपनी प्रियरानी पिंगला को दिया। रानी अस्तबल का दरोगा पर मोहित थी, उसने उसे वह अमर फल दिया। अस्तबल का दरोगा वैश्या पर मोहित था इसलिए उसने वेश्या के यह फल दे दिया। वेश्या ने राजा को यह फल दिया। इस प्रकार वही फल लौटकर राजा के पास आ गया। यह देखकर राजा भर्तृहरि को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने इस सबको और स्वयं को धिक्कारते हुए नीतिशतक का यही श्लोक उद्धत किया है–

'यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्त:।
अस्यत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या।
यधिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च।'

मैं जिनको सदा चाहता हूँ, वह (मेरी रानी पिंगला) मुझे नहीं चाहती, वह दूसरे पुरुष को चाहती है। वह पुरुष (दरोगा) रानी को नहीं चाहता। वह दूसरी ही स्त्री पर मरता है। वह स्त्री, जिसे रानी का यार दरोगा चाहता है, मुझे चाहती है इसलिए उस रानी को धिक्कार है। उस पुरुष (दरोगा) को धिक्कार है। मुझे धिक्कार है और उस कामदेव को धिक्कार है, जो यह सब काण्ड कराता है।

संसार में तीन तरह के मनुष्य है, जिनमेंअल्पज्ञ जिसे 'ज्ञानलवदुर्विद्ध' को विधाता भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता।' इसीलिए भर्तृहरि ने नीतिशतक मेंकहा है कि– 'मूर्खस्य नास्त्यौषधम्' अर्थात् मूर्ख का कोई इलाज नहीं है, जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित है, वह बिना पुछ और सींग का पशु है।'

'साहित्य संगीत कला विहीन: साक्षात्पशु: पुच्छविषाणहीन:।

ऐसे लोगों के लिए भर्तृहरि ने कहा है कि वे पृथ्वी के बोझ है और मनुष्य रूप में मात्र पशु है।'

'येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञान न शीलं न गुणो न धर्म:
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।।'

किन्तु जिनके पास विद्या रूपी धन है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता, ऐसा धन कल्पन्त काल में भी नष्ट नहीं होता।

'कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्यारण्यमन्तर्धनम्।'

मनुष्य के पास बाहरी बहुमूल्य गहने हों, किन्तु 'वाणी' ही ऐसा बहुमूल्य गहना है, वही सच्चा गहना होता है। बाकी सब गहने शोभाहीन ही रहते है। इसलिए भर्तृहरि ने 'वाग्भूषणं भूषणं।' वाणी का भूषण ही सही अर्थों मेंभूषण है– ऐसा कहा है।

भर्तृहरि ने सत्संगति को विशेष महत्व दिया है। सत्संगति की महिमा के बारे में भर्तृहरि कहते है–

'जायं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं
मनोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं
सत्संगति: कथय किं न करोति पुंसाम्।।'

सत्संगति बुद्धि की जड़ता हरती है, वाणी में सत्य सींचती है, सम्मान की वृद्धि करती है, पाप दूर करती है, चित्त प्रसन्न करती है और सब दूर कीर्ति फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का क्या–क्या भला नहीं करती।

निर्धनता मनुष्य के लिए ढेर दु:ख और अपमान करने वाली वस्तुस्थिति रहती है, किन्तु जिनके पास धन है, उसके पास सारे गुण होते भले ही वह मूर्ख हो। अत: सारे गुण धन में निहित होते है।

* एम. ए. पीएच.डी., शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, (म.प्र.) भारत

'यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः
स पण्डितः स श्रुतवान्गुणज्ञः।
स एवं वक्ता स च दर्शनीयः॥
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति।'

अर्थात् जिसके पास धन है, वही कुलीन, पण्डित, शास्त्रज्ञ, वक्ता और दर्शनीय है। इससे सिद्ध होता है कि धन में ही सारे गुण निहित होते है।

धन की तीन ही गतियाँ मानी गई है– दान, भोग और नाश, जिसने न दान दिया, न धन का उपभोग किया उसकी तृतीय गति याने 'नाश' है।

'दानं भोगों नशास्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य।
यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्थवति॥'

धीरे, वीर पुरुष लालच, भय आदि किसी भी कारणों से विचलित नहीं होते, वे हमेशा अपने न्याय मार्ग पर चलते है।

'निन्दन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥'

आलस्य ही शरीर में रहने वाला ढेर शत्रु है और उद्योग के समान कोई उसका बन्धु नहीं हो सकता, भर्तृहरि ने निम्न श्लोक में यही तथ्य बताया है–

'आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।
नास्त्युद्यम समो बन्धुर्य कृत्वा नावसीदति॥'

उद्योग करने से ही मनुष्य के पास दुःख नहीं फटकते है इसीलिए नीतिज्ञों ने कहा है कि– 'उद्योगिनं पुरुष सिह मुवैति लक्ष्मी।' उद्योगी पुरुषसिंह के पास ही लक्ष्मी आती है।

'अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमधवा।
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः॥'

अर्थात् जैसे गंगा स्वर्ग से गिर कर नीचे धरती पर ही स्वल्प सी होती गई, उसी तरह विवेक भ्रष्ट लोगों का भी सौ–सौ तरह से पतन होता है।

ऐसे लोगों से ही लोक मर्यादा ठहरी हुई है, जो अपने रिश्तदारों से उदारता का व्यवहार करते है। दूसरों के प्रति दयाभाव रखते है, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते है, सज्जनों के प्रति प्रेम का व्यवहार करते है, राजाओं के साथ विनम्रता अपनाते है, शत्रुओं के साथ क्रूरता तथा गुरुजनों के साथ सहनशीलता का व स्त्रियों के साथ चतुराई का व्यवहार करते है।

'दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने, शाय सदा दुर्जने,
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जणम्,
शौर्यं शत्रुजने मा गुरुजने नारीजने यधूर्तता,
ये चैव पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः॥

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वैराग्य शतक 2
2. भर्तृ. नीतिश. 3
3. भर्तृ.नीति.12
4. भर्तृ.नीत. 13
5. भर्तृ. नीति. 16
6. भर्तृ. नीति. 23
7. भर्तृ. नीति. 41
8. भर्तृ. नीति. 43
9. भर्तृ. नीति. 84
10. भर्तृ. नीति. 87
11. भर्तृ. शीति. 10
12. वैराग्य शतक 2

****

निमाड़ के सन्त अफजल के सुधारवादी विचार

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना –निमाड़ के मध्यकालीन सन्तों में अफजल का विशिष्ट स्थान है। वे सूफी सन्त थे। उन्होंने साखियों की रचना की है। उनके द्वारा रचित साखियों की पांडुलिपि ग्राम नागझिरी, जिला खरगोन के श्री भीकाजी कुशवाह के पास संरक्षित थी। श्री कुशवाह से महेश्वर के परिश्रमी साहित्यकार स्व. श्री बाबूलाल सेन ने उक्त पांडुलिपि प्राप्त करके तथा अन्य स्रोतों से सन्त अफजल के भजनों/साखियों का संकलन करके उनका अनुवाद किया है। यह संकलन कपिल तिवारी और नवल शुक्ल के सम्पादन में मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल से 'अमर सागर' शीर्षक से दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम खण्ड में 1 से 590 तक तथा द्वितीय खण्ड में 591 से 1675 तक साखियाँ संकलित की गई हैं।

उनकी साखियों में तत्कालीन समाज और धर्म का प्रतिबिम्ब स्पष्टत: दिखाई देता है। सामाजिक विसंगतियों, हिंसा, जात-पाँत, सम्प्रदायवाद, धर्माडम्बर आदि के विरोध में अपनी रचनात्मकता को मुखरित किया। उनके काव्य में दार्शनिकता की अनुभूति होती है। उन्होंने ब्रह्म का स्वरुप, ब्रह्म साक्षात्कार, जीव, जगत, माया, मोक्ष आदि दार्शनिक विषयों पर लिखा है। उन्होंने अपने काव्य में कल्पना, यौवन, भोग विलास आदि की उपेक्षा की शिक्षा दी है। उन्होंने गुरु की महिमा पर अनेक साखियों की रचना की।

उनके साहित्य के अध्ययन से लगता है कि उनकी दृष्टि व्यापक थी और वे समाज सुधारक के रूप में सर्वधर्म समन्वयकारी थे। सन्त अफजल के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र के सुधारवादी विचारों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

1. जाति-पाँति का विरोध :- सन्त अफजल ने जातिगत श्रेष्ठता या निम्नता को महत्व नहीं दिया। वे मानव मात्र को महत्व देते थे। उन्होंने व्यक्ति को समाज की ईकाई माना तथा कहा कि समाज की समरूपता तभी संभव है, जब जाति, वर्ण और वर्ण भेद न्यून से न्यून हो। वे जातीयता के दायरे से बहुत ऊपर उठ गये थे। उन्होंने संकीर्ण जातीय मानसिकता वाले हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य जाति के लोगों को बुरी तरह से फटकार लगाई। उन्होंने लिखा है-

अफजल एक मारग से दोउ आये, बीच में काटी बाट।
आग दोउ घर लागी, अवघड़ पड़े घाट।।[1]

अर्थात् दोनों (हिन्दू एवं मुसलमान) एक ही राह से माँ के गर्भ में आये हैं। ये तो हम लोगों ने बीच में जात-पाँत का बँटवारा कर लिया है। भेदभाव के कारण दोनों के दिलों में आग लगी हुई है। इससे मिलती जुलती बात अपनी एक अन्य साखी में वे कहते हैं-

अफजल, दोन्हु गयबी गयब से बीच में मारग कुट।
येक न आन असुनत कराई, येक न डाल गले में सूत।।[2]

अर्थात् हिन्दू और मुसलमान दोनों कुदरत के बनाये हुय एक ही मार्ग से आते हैं, लेकिन इन्होंने बीच में फूट डाल दी है। एक ने आकर सुन्नत करा ली है, तो दूसरे ने गले में सूत की माला डाल ली है। वे शिक्षा देते हुये कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही हत्या करते हैं। एक झटका मारने को सही समझता है, तो दूसरा छूरी चलाकर हलाल करने को सही मानता है। इसी कारण ये दोनों डूब गये। यह बात समाहित करने वाली उनकी साखी इस प्रकार है-

अफजल, मेरे पुत दोऊ अंधले, समजत नहीं लगार।
येक झटका मार येक छुरी चलाय, दुबे बड़े-बड़े की लार।।[3]

सन्त अफजल ने समाज की जातीय व्यवस्था और क्षुद्र मानसिकता वाले लोगों को जितने प्रखर ढंग से खरी-खोटी सुनाई उसकी प्रतिक्रियास्वरूप उन्हें भी तत्कालीन समाज के रूढ़िवादियों और कथित ठेकेदारों की तीखी आलोचनाएँ झेलना पड़ी। उन्हें स्वयं इस बात की अपेक्षा थी-

[4]उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि पूरा संसार ईश्वर का साम्राज्य है। भगवान के बनाये पवन, पानी, प्रकाश, धरती और आकाश जाति संबंधी भेद को नहीं मानते हैं। ईश्वर ने ये समस्त वरदान सभी प्राणियों के लिये समान रूप से दिये हैं न कि जाति को ध्यान में रखकर। वास्तव में जाति की व्यवस्था मनुष्य की पिछड़ी हुई बुद्धि का परिणाम है। यथा-

अफजल, येकी पवन येकी पानी, येक ही तेज अकास धरती।
मन बुध फूट पड़ी फूट पड़ने की बुधी धरती।।[5]

इस प्रकार तत्कालीन समाज को कमजोर करने वाली जातीयता की भावना के विरूद्ध जागरूक और समाजोत्थान में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले सन्त अफजल ने जन-भावना उभारने के लिये प्रभावशाली ढंग से उपदेश दिये।

2. आडम्बरों का विरोध :- सन्त अफजल सच्चे योगी, ईश्वरानुरागी और मानवता के पूजारी थे। उनका धर्म मानव धर्म था। वे आडम्बरों के कट्टर विरोधी और मानवता के पूजारी थे। उन्होंने तत्कालीन धर्म में विद्यमान समस्त दिखावटी तत्वों का पूरजोर तरीके से विरोध किया।

अफजल कहते थे कि आराधना का मार्ग मन का मार्ग है। निर्मल मन से ईश्वर की उपासना ही उसके सान्निध्य की प्राप्ति का मार्ग है। ईश्वर को रिझाने के लिये किसी भी प्रकार के बाहरी तामझाम की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के मन में वैराग्य नहीं हो और वह संन्यासियों का वेश धारण करके घूमे तो निरर्थक है। उन्होंने अपनी एक साखी में कहा है-

अफजल, दाड़ी मुँछी मुंडाय कर गले में बांधा कास्ट।
जयसी लूली गाय हय घीसे फिरे हय लाट।।[6]

अर्थात् तुमने दाड़ी मूँछ मुंडवाकर गले में काठ (लक्कड़) बाँध लिया है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे तुम लूली गाय के गले में बँधे हुये डेंगर को यहाँ-वहाँ घसीटते हुये फिर रहे हो।

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

कबीर दास जी की तरह सन्त अफजल ने माला फेरने वालों को लताड़ा है। उनका मत है कि माला व्यक्ति के हाथ में यन्त्रवत् घूमती रहती है, जबकि उसका मन उजाड़ में भटकता रहता है। इस तरह से माला फेरने वालों को समझाते हुये वे कहते हैं कि तू हाथ से माला फेरता है और तेरा चित्त धन-दौलत में समाया रहता है। तेरी माला का मर्म तो अलग रह जायेगा, किन्तु भूल भूलैया के निशान बन रह जायेंगे। मेरी बात सुन, जैसे वचन बोले, वैसा ही रह, कथनी और करनी में अन्तर मत रख।

सन्त अफजल की धारणा बिल्कुल स्पष्ट थी। वे धर्म के संबंध में किसी भी अधिरोपित व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने गृहस्थ लोगों को शिक्षा दी थी कि गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुये भी धर्म-पथ पर चला जा सकता है। गृहस्थी त्यागकर बने लोगों को वे भूला हुआ मानते थे। इस तरह सन्त अफजल ने एक निर्गुणीय सन्त की तरह बाह्य आडम्बरों के प्रति सख्त नापसन्दगी व्यक्त की है एवं धर्म के ठेकेदारों के क्रिया-कलापों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आडम्बर रहित मानव धर्म स्थापित करने का प्रयास किया है।

3. मूर्ति/समाधि पूजा का विरोध :- उन्होंने पाषाण, मिट्टी या धातु से बनी किसी भी प्रकार की प्रतिमा के पूजन को सिरे से नकार दिया था। उनका कहना था कि मन्दिर तो घट में ही है और देवता भी वहीं हैं। जिन्होंने पत्थर को देव मान लिया है वे वास्तव में अन्धे हैं।

अफजल, घट में देव देहरा, घट में करले सेव।
पूजन वाला आंधला किया पत्थर कु देव।।[7]

उनका उपदेश था कि पत्थर पूजने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। यह तो वैसा ही है, जैसे कोई अमृत को छोड़कर सूरापान करने लगे।

अफजल, डूब मुये अंधब पड़े पूजे पूजे परवान।
अमृत मरम को छाड़ कर पीवे सुरिया पान।।[8]

निर्गुण निराकार में विष्वास रखने वाले सन्त अफजल ने बार-बार पत्थर पूजने वालों को ज्ञानशून्य अर्थात् अन्धा निरुपित किया। वे कहते थे षिल्पकार पत्थर में छैनी और हथोड़े के माध्यम से हाथ, पाव, सिर आदि अंगों को उकेरता है। इन्सान कितना मूर्ख है, जो बन्दगी को छोड़कर पत्थर को भगवान बनाता है।

अफजल, टाकी मार मार पत्थर कु घड़े हाथ अरू सीस।
भेद बन्दगी भूल कर पाहाण का किया जगदीष।।[9]

वे कहते हैं कि मैं अंधा नहीं हूँ जो पत्थर से सिर फोडूँ। मैं तो शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्मा होकर ब्रह्म से झगड़ूंगा।

अफजल, मैं अंधा नहीं, पत्थर से सीर मारू।
सुन में समाद लगाय के ब्रह्मा हो ब्रह्मा से झगरू।।[10]

4. नकली गुरुओं से सावधान रहने का संदेश :- उन्होंने ढोंगी साधुओं और झूठे गुरुओं से सावधान रहने की शिक्षा दी है। उन्होंने अवलोकन किया था कि कुछ लोग साधु का चोला पहनकर यह मान लेते हैं कि वे महान हो गये हैं और दूसरों को उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ कर देते हैं। साधु बनकर स्वयं कुछ नहीं समझ पाने वाले ढोंगी तो नरक में जाते ही हैं। ऐसे लोगों को मान-सम्मान और भिक्षा देने वाले गृहस्थ भी नरक के भागी बनते हैं। यथा-

अफजल, साध हो समझ नहीं, पर कु देव सीख।
दोन्ह नरख में जायेंगे, घर बारी अरू भीख।।[11]

अज्ञानी गुरु और अज्ञानी चेले दोनों का सर्वनाश होता है। वे दोनों सांसारिक आग में घिरकर जल जाते हैं। इन्हें बचा पाना कठिन होता है। चूँकि अज्ञानी गुरु साहब की सीख नहीं मानते हैं, इसलिये वे अंधों के समान होते हैं। ये दोनों यमदूत के फंदे में फँसकर मरते हैं। यथा-

अफजल, साब सीख म चाल नहीं गुरु सदा नर अंध।
दोन्ह दाब कर डूबे मुये पड़े जम के फन्द।।[12]

पूर्व पृष्ठ पर उद्धृत साखी में कबीर और अफजल की वाणी में अद्भुत साम्य दिखाई देता है। कबीर ने कहा है-

ज का गुरु आंधरा चेला खरा निरंध।
इक दूजे को ठेलिया, दोन्यु कुप पड़ंता।।[13]

सन्त अफजल की स्पष्ट मान्यता थी कि गुरु सन्तोषी वृत्ति का होना चाहिये और शिष्य शान्त शीतल प्रवृत्ति का। तभी गुरु और शिष्य दोनों का होना सार्थक होता है।

समाज में रहते हुये उन्होंने जो पर्यविक्षण किया, उसे इस तरह व्यक्त किया कि- कलियुग में कोई रोजगार करना है तो साधु संगति की खेती कीजिये। इसमें दिन दूना रात चौगूना लाभ है। आजकल के साधु पहले भिक्षा माँगते हैं और फिर दीक्षा देते हैं। यह साधुओं का नहीं कमीनों का काम है। उन्हें ऐसे पाखण्डियों से अत्यंत चिढ़ थी। वे उन्हें अभिशाप देते हुये कहते हैं कि साधु बनकर तुलसी की माला पहिनते हैं और झूठ बोलते हैं, उन्हें यमदूत खींचकर गन्दी नाली में फेकेंगे। इसी प्रकार साधु होकर जो भजन नहीं करते वे अजगर की देह धारण करते हैं।

5. परस्त्री के सान्निध्य का विरोध :- सन्त अफजल ने पराई स्त्री की कुसंगति को मानव के लिये बहुत ही हानिकारक बताया है। वे परस्त्री की तुलना विशैले साँप से करते हैं। सपेरा साँप को खिलाता-पिलाता है, लेकिन जरा सी चूक होने पर साँप सपेरे को डस लेता है। इसी प्रकार पराई स्त्री भी जरा सी चूक होने पर प्राण हर लेती है। पराई स्त्री किसी की नहीं होती। वह बगैर शस्त्र के ही षिकार कर लेती है और व्यक्तियों को पता ही नहीं चलाता है। उन्हीं के शब्दों में-

अफजल, कीस का तु परस कर, तजे न संग परनार।
केसे कराह मु मार लीये, बीन खांडे तलवार।।[14]

अर्थात् तू किसका स्पर्श कर रहा है। पराई स्त्री का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा है? इसने बिना किसी शस्त्र के कई राहगीरों को मार गिराया है। वह तुझे भी मार डालेगी।

अफजल साहब ने मानवीय चरित्र को बहुत महत्व दिया है। चरित्रहीन स्त्रियों के प्रति उनकी धारणा बड़ी कटू थी। वे कहते थे कि जो स्त्री अपने पति की नहीं हो सकती वह किसी की भी नहीं हो सकती है।

अफजल, तीरीया गुण अपार हयव, तजो तुम प्रसंग।
पहले पीउ को मारकर, जले मृतक संग।।[15]

अर्थात् अफजल साहब कहते हैं कि भाई, त्रियाचरित्र अपरम्पार होता है। कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं, जो पहले तो अपने पति को मार डालती है और बाद में उसके साथ सती हो जाती हैं।

उपसंहार - इस प्रकार सन्त अफजल स्पष्टतावादी थे। उन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में जो भी विसंगति देखी, उस पर आघात किया तथा लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक परिवेश निर्मित हो सके, जिसमें न जातिगत भेदभाव हो और न ही अंधविश्वास, न ढोंग-ढकोसले हो और न ही चरित्रहीनता का कोई अस्तित्व रहे। सन्त अफजल के सामाजिक और धार्मिक विचार बहुमूल्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **अमर सागर**, **खण्ड एक**, रचयिता- सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला

परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ–190.

2. **वही**, **खण्ड एक**, पृष्ठ–211.
3. **वही**, **खण्ड एक**, पृष्ठ–212.
4. **अमर सागर**, **खण्ड दो**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ–162.
5. **वही**, **खण्ड दो**, पृष्ठ–08.
6. **अमर सागर**, **खण्ड दो**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ–14.
7. **वही**, **खण्ड दो**, पृष्ठ–14.
8. **अमर सागर**, **खण्ड दो**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ–15.
9. **अमर सागर**, **खण्ड दो**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ–16.
10. **वही**, **खण्ड दो**, पृष्ठ–35–36.
11. **कबीर बानी**, रचयिता– डॉ. भगीरथ मिश्र, प्रकाशक– कमल प्रकाशन, इन्दौर, संस्करण– प्रथम संस्करण – 1973, पृष्ठ–02.
12. **अमर सागर**, **खण्ड एक**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ– 162
13. **अमर सागर**, **खण्ड एक**, रचयिता– सन्त अफजल, संकलन एवं अनुवाद– बाबूलाल सेन, प्रकाशक– मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण– 1999, पृष्ठ– 162
14. वही।
15. वही।

****

सन्त सिंगाजी - एक परिचय

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भक्ति आन्दोलन के महान सन्त सिंगाजी हुए। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समकालीन जनमानस को जितना प्रभावित किया, उससे कई गुना अधिक प्रभाव उनके निर्वाण प्राप्ति के शताब्दियों बाद इस अंचल में देखा जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व का परिचयात्मक विष्लेषण किया जा रहा है।

सिंगाजी का जन्म खजूरी ग्राम में भीमाजी गवली के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम गवरा बाई (गौर बाई) था। खजूरी तत्कालीन बड़वानी रियासत में सम्मिलित था।

सिंगाजी के जन्म और निर्वाण की तिथि के संबंध में मतैक्य का अभाव है। इस संबंध में दो तिथियां प्रचलित हैं। उनका जन्म विक्रम सम्वत् 1574 (ईसवी सन् 1517) या विक्रम सम्वत् 1576 (ईसवी सन् 1519) को हुआ था। इसी तरह उन्होंने विक्रम सम्वत् 1664 (ईसवी सन् 1607) में या विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) में समाधि ग्रहण की थी। सामान्यत: यह मान्यता है कि उनका जन्म विक्रम सम्वत् 1576 में वैशाख सुदी नवमी, बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र में प्रात: आठ बजे हुआ था। 'लोक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि ने सिंगाजी के रूप में जन्म लिया था।'[1]

सन्त सिंगाजी का चित्र

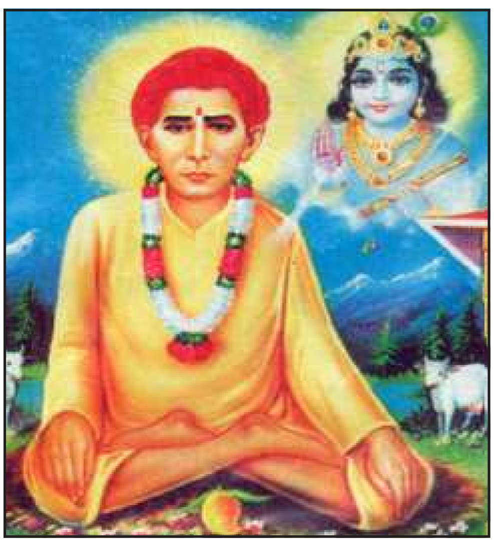

सिंगाजी के भरे पूरे परिवार में इनके 'बड़े भाई लिम्बाजी, बहन किसनाबाई (कृष्णा बाई), पत्नी यशोदा बाई (जसोदा बाई) तथा चार पुत्र कालू, भोलू, सन्दू और दिपा तथा पौत्र (कालूजी के पुत्र) दलूदास थे।'[2] सिंगाजी का परिवार समृद्ध गवली परिवार था। मुख्यत: वे दूधारू पशु पालते थे। उनके परिवार के पास तीन सौ भैंसें एवं गाय-बछड़ों की अच्छी-खासी पशु सम्पदा थी। पशुपालन के लिये भीमाजी ने हरसूद पिपल्या के जंगल में फिफराड़ नदी के किनारे अपने पशुओं की गुवाड़ी की।[3]

सन्त सिंगाजी की वंशावली[4]

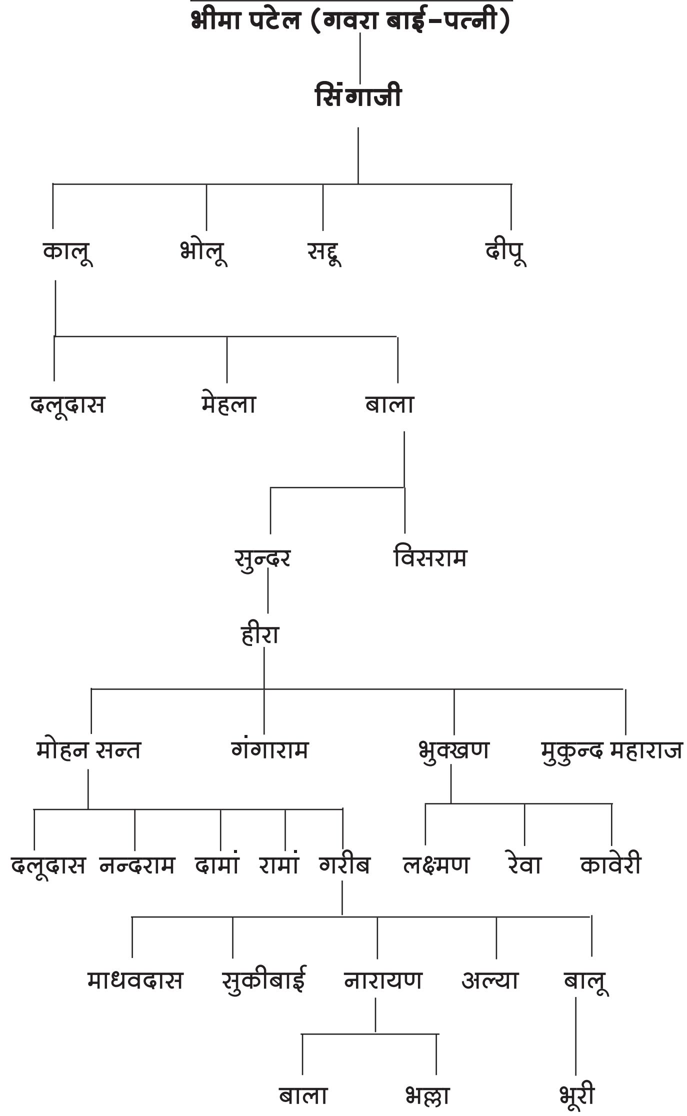

संगाजी का प्रारम्भिक जीवन पाँच वर्ष की आयु तक उनके जन्म स्थल ग्राम खजूरी में व्यतीत हुआ। वे बचपन में बहुत ही चंचल प्रकृति के थे। दिनभर उधम मचाया करते थे। युवावस्था में सिंगाजी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो गया था। वे गौर वर्ण के थे तथा उनका शरीर विशाल था। धोती-कुर्ता उनकी पसंदीदा वेशभूषा थी। वे घुटनों तक धोती पहनते थे। वे कानों में

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

मुद्रिकाएँ, गले में सैली, कमर में कटारी और कंधों पर तीर-तरकस एवं कमान धारण करते थे। शारीरिक सौन्दर्य के साथ ही उनमें बुद्धिमत्ता और साहस जैसे उदात्त गुण भी कूट-कूटकर भरे हुये थे। 'हरसूद में रहते हुये भीमाजी ने अपने पुत्र सिंगाजी का विवाह जसोदा नामक युवती से किया।[5] उनकी पत्नी सुशील एवं राम भक्त थीं।

सिंगाजी ने 24 वर्ष की उम्र में भामगढ़ रियासत के भिलाला राजा राव लखमेसिंह के यहाँ विक्रम सम्वत् 1598 (ईसवी सन् 1541) में नौकरी करना प्रारम्भ किया। भामगढ़ खण्डवा जिले का एक गाँव है, जहां मध्यकाल में जमींदारी थी। राजा के द्वारा सिंगाजी को एक रुपया प्रतिमाह के वेतन पर चिट्ठी-पत्री लाने का कार्य सौंपा गया। उनका कार्यक्षेत्र हरसूद से भामगढ़ तक पत्र लाना-ले जाना था।

सिंगाजी की कर्तव्यपरायणता और कार्यक्षमता से राव साहब बहुत प्रभावित थे। राज-परिवार में सिंगाजी का सम्मान था और वे परिवार के सदस्य की भाँति माने जाते थे। 'सिंगाजी राजा के राजकीय और पारिवारिक कार्यों में सदैव सहयोग प्रदान करते थे और अत्यन्त विश्वासपात्र थे।'[6]

सिंगाजी केवल डाकिये ही नहीं थे, अपितु एक सैनिक भी थे और पाँचों हथियार बाँधकर घोड़ी (उनकी घोड़ी का नाम सबजा था।) पर सवारी कर अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी से करते थे। उनकी कर्तव्यनिष्ठा से रावसाहब प्रसन्न थे, इसीलिये उन्होंने सिंगाजी से नौकरी न छोड़ने का आग्रह किया और वेतन भी तीन रुपये से बढ़ाकर साढ़े तीन रुपये करने का प्रस्ताव रखा। 40 वर्ष की उम्र में सिंगाजी ने दीक्षा ग्रहण की। लौकिक जीवन को त्यागकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिये सिंगाजी को एक घटना ने प्रेरित किया। सिंगाजी अपने कर्तव्य के निष्पादन हेतु राह से गुजर रहे थे। खेमदास कृत परचरी के अनुसार 'वे अपने जाति बंधु के निमंत्रण पर उसके यहाँ आयोजित होने वाले मंगल कार्य में जा रहे थे।'[7] 'उन्हें भोंसावा ग्राम में एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाई दी। भजन के बोल तथा भजन गायक सन्त मनरंगीर (सन्त मनरंग स्वामी) ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया।'[8] सिंगाजी ने मनरंगीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गये। यह भजन शब्द शक्ति के चमत्कार का परिणाम है। 'इसमें व्याप्त भाव ने सिंगाजी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इसने सिंगाजी को एक साधारण गवली से महान सन्त बना दिया।'[9]

सिंगाजी समस्त माया-मोह एवं रिश्ते-नातों का बन्धन त्यागकर गुरु के साथ रहकर साधना करना चाहते थे, जिसे गुरु ने अस्वीकार कर दिया तथा गृहस्थ रहकर साधना करने के लिये तार्किक उपदेश दिया। गुरु ने कहा था- 'हे भाई, सुनो, बिना माया के भक्ति कैसे हो सकती है। पूजा-अर्चना करने के लिये ही यह माया मिली है और स्मरण करने के लिये ही यह जीभ दी है। जो घर में रहता है, वही सच्चा है और वही मन-वचन से सच्ची सेवा कर सकता है। हे सिंगा, हमारे शब्दों को मान लो। घर जाकर सबकी सेवा करो।'[10]

दीक्षा ग्रहण करने से निर्वाण प्राप्त करने तक की अवधि में सिंगाजी द्वारा किये गये क्रियाकलापों का वर्णन परचरी में मिलता है। वे संसार से विरक्त हो गये और मनरंग स्वामी को ही माता, पिता, गुरु एवं देवता के रूप में मानने लगे। यह उल्लेख आता है कि वे अपने शिष्यों के साथ मांधाता तीर्थ (ओंकारेश्वर) गये और वहाँ उन्होंने अनेक चमत्कारों से सबको आश्चर्य में डाल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनसे प्रभावित होकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे थे। चमत्कारिक घटनाओं के बारे में जन-सामान्य में प्रसारित होने से उनके प्रति आकर्षण बहुत बढ़ गया था।

मांधाता से लौटने के बाद सिंगाजी निर्गुण मत के अनुयायी हो गये। उन्होंने परिजनों से नाता तोड़ लिया और पीपल्या गाँव में रहने लगे। यहीं पर उन्हें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे दिन-रात भजन-कीर्तन में लीन रहने लगे।

सिंगाजी के जीवनकाल में असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गये थे। जिनमें से कुछ उनके साथ पीपल्या ग्राम में वास करते थे और अधिकांश गृहस्थ रहते हुये उनके आदेशों के अनुसार भक्ति-उपासना में संलग्न थे। सिंगाजी द्वारा समाधि ग्रहण करने के बाद उन्हें मानने और पूजने वालों की संख्या में बेहिसाब वृद्धि हुई। वर्तमान में निमाड़ का यादव समाज ही नहीं

'उनका सन्त जीवन मात्र बमुश्किल एक वर्ष का रहा। इस अवधि में उन्होंने जो कुछ कहा और गाया वह काल के सफों पर लिखे गये अमर शब्द हो गये। उनके भजन जन-जन की अभिव्यक्ति बन गये और मनुष्य जीवन की अंधेरी रातों के प्रकाश स्तम्भ हो गये।'[11] इस प्रकार सन्त सिंगाजी अद्भुत व्यक्तित्व और महान कृतित्व के स्वामी थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई., पृष्ठ-06.
2. **सिंगाजी की परचुरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ-
3. **सिंगाजी दर्शन**, लेखक- सखाराम देवकरण पटेल, प्रकाशक- भगवान भाई गंगराड़े एवं सिंगाजी भक्तजन, पंधाना, संस्करण- द्वितीय, 2003, पृष्ठ- 06.
4. **मासिक पत्रिका वीणा**, अंक - दिसम्बर, 1955. में प्रकाशित प्रो. नैमीचन्द जैन का आलेख 'मध्यभारत में सन्त परम्परा', पृष्ठ- 35.
5. **उत्तरी भारत की सन्त परम्परा**, लेखक- डॉ. परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक- भारती भण्डार, इलाहाबाद , संस्करण संवत 2021, पृष्ठ- 379.
6. **सन्त सिंगाजी**, लेखक- सुकुमार पगारे, प्रकाशक- सिंगाजी साहित्य शोधक मण्डल, खण्डवा, संस्करण- 1936, पृष्ठ- 28.
7. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ- 08
8. **निमाड़ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनउ, संस्करण- 1967, पृष्ठ-37.
9. **सन्त सिंगाजी-एक अध्ययन,** लेखक- पं. रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- निमाड़ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा, संस्करण- 1965, पृष्ठ- 13.
10. **वही**, पृष्ठ- 17.
11. **कहे जन सिंगा**, लेखक- डॉ श्रीराम परिहार, प्रकाशक- मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण- 1996, प्रस्तावना पृष्ठ- 07.

****

डिजीटल युग में हिन्दी विमर्श

डॉ. नेहा कल्याणी *

प्रस्तावना – आज का समय डिजीटल युग है, ऐसे इस कम्प्यूटर युग में पारम्परिक हिन्दी भाशा एवं साहित्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर विमर्श होना अति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि मानवीय संबधों को बेहतर बनाने के लिए भाषा और साहित्य की महत्ती भूमिका रही है। वैश्वीकरण के इस युग में साहित्य की नवीन भूमिका पर विचार करना इस लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज मानवीय संबंध जरूरतों और स्वार्थ पर टिके हैं।

डिजीटल युग के कारण भाषा और साहित्य पर संकट आया है, यह संकट किसी एक भाषा और साहित्य पर नहीं अपितु यह वैश्विक स्तर का संकट है। स्वार्थ और छल की आग में दहकते आज के युग को भाषा और साहित्य के जल से ही बचाया जा सकता है। वास्तव में आज सृजनकारों के समक्ष एक बडी चुनौती प्रकट हो गई है। चुनौतियों के बीच से सम्भावनाओं को खोज कर उन्हें यथार्थ का जामा पहनाना ही आज के समय का तकाजा है। विविध भारतीय भाशाओं की विशेषताओं को रेखांकित कर उनके बीच न्यूनतम सम्पर्क सूत्र खोजना आज के डिजीटल युग का सच बन गया है। इस सच को बडे फलक पर स्थापित करना ही भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक बडा कदम है।

विश्लेषणात्मक अध्ययन – सही अर्थो में भाषा और साहित्य के बीच शब्दों और भावों का आदान–प्रदान सामान्य बात है। इससे भाषा की जीवन्तता कल–कल धारा के समान दिखती है, वहीं साहित्य की ताजगी भी इसमें ऊर्जस्वित होती है। क्रियोलीकरण भाषा को आगे बढाने की एक बेहतरीन प्रक्रिया है। यह एक ओर जहाँ भाषा को समृद्ध करता है, वहीं दूसरी ओर भाषा में घुल–मिलकर एक नया सांस्कृतिक वातावरण बनाने की बुनियाद स्थापित करता है, जिससे सामाजिक– राष्ट्रीय एकता कायम होती है, परिणामत: साझा–संस्कृति को आगे बढाने में सुविधा मिलती है। यह बहुलतावाद को ऊर्जस्वित करता है। परिणामत: क्रियोलीकरण का प्रभाव सकारात्मक रूप में रचनात्मक संघर्ष को वाणी देते हुए समाज में साझा रिश्ता और साझा –संस्कृति की वकालत करता है।

अस्मिता की राजनीति करने वालों का तर्क है कि क्रियोलीकरण की प्रक्रिया ने भाषा को बर्बाद कर दिया है। क्या मोबाइल, कम्प्यूटर, सोशल मीडिया ने भाषा की महिमा को घटाया है।क्योंकि यदि क्रियोलीकरण को खारिज किया जाता है तो भक्ति साहित्य ही खारिज हो जायेगा।

विगत 50 सालों में लगभग 250 भाषाएँ मर गयी है, किन्तु उनके कारणों में क्रियोलीकरण का उल्लेख कहीं नहीं है। अत: यह स्पष्ट है कि क्रियोलीकरण से भाषा नहीं मरती अपितु जब भाषा अपनी भीतरी काया को दुरूस्त नहीं कर पाती है तो मर जाती है। वास्तव में क्रियोलीकरण ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो अमीर खुसरों से लेकर प्रेमचन्द और इस वैश्वीकरण के युग तक भाशा को समृद्ध करता है।

राजनैतिक और व्यापारिक रिश्ते समय रहते या गुजरते टूट जाते है; जबकि भाषाओं के बीच के रिश्ते नहीं टूटते। अंग्रेजी भाषा की समृद्धि एवं वर्चस्वता के बावजूद हिन्दी भाषा जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढी है, वैसे अन्य किसी देश की भाषा नहीं बढी। कई जनपदों की बोलियों ने हिन्दी–उर्दू की बुनियाद को पोख्ता किया है। हिन्दी भाषा की ग्राह्मता ने सृजनशीलता को संघर्षात्मक आयाम दिया है। इस आयाम ने हिन्दी भाषा की एकात्मकता और इच्छाशक्ति को समृद्ध किया है।

भाव, विचार की दृष्टि से जिस तरह हिन्दी उन्नत हुई है, उसी तरह प्रौद्योगिकी स्तर पर हो रहे प्रयोगों को हिन्दी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इस डिजीटल युग में हिन्दी एक बिन्दास भाषा है जो अपने फक्कडपन की बदौलत संघर्षरत है। सही अर्थो में इतिहास को जाने बिना साहित्य–संस्कृति के अभ्यान्तर तनाव को दूर नहीं किया जा सकता।

रचनात्मक संघर्ष क्रियोलीकरण प्रक्रिया को तेज करता है, इसे जनप्रतिरोध से ताकत मिलती है। 1957 का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम इसकी मिसाल है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा और साहित्य के संघर्ष का मुख्य पाथेय 1957 है। चाहे 1957 की लडाई में भारतवासी हार गये थे, पर वास्तविकता यह है कि इस महासंग्राम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कमर तोड कर रख दी थी। इस संघर्ष ने हिन्दी –उर्दू साहित्य को जिस तरह एकजुट होकर संघर्ष पथ पर आगे बढने का मौका दिया है, ठीक उसी तरह उसने इन दोनों भाषाओं के साहित्य की वास्तविकता से परिचय कराते हुए साहित्य में हाशिये के लोगों को महानायक की भूमिका में लाकर खडा कर दिया। इस महाप्रतिरोध ने ही हिन्दी–उर्दू साहित्य सहित अन्य भाशाओं के साहित्य को वैश्विक फलक प्रदान किया। अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय का असल उदाहरण प्रस्तुत किया। इस डिजीटल युग में जहाँ अभिव्यक्ति स्वातंत्रय पर हमला हो रहा है, वहाँ उसका सही मुकाबला 1957 की विरासत से है। सही अर्थो में इस महाप्रतिरोध ने विविध भाषाओं के साहित्य में स्वाभिमान की नींव डाली और संघर्षो में तनकर खडे रहना सिखाया।

हिन्दी साहित्य के इतिहास को देखें तो इस भाषा ने पत्रकारिता ,रेडियो, टीवी और सिनेमा के क्षेत्रों में अहम् भूमिका निभाई है। वहीं इण्टरनेट के विस्तार और वर्ष 2007 में यूनिकोड फॉण्ट आने के बाद हिन्दी और भी अधिक समृद्ध हुई है।

क्रियोलीकरण एक वैज्ञानिक और सर्वमान्य प्रक्रिया है, इस पद्धति में रूकावट आने से भाषा मुरझा जाती है। साहित्य–सृजन में यदि भाषा को

* सहायक व्याख्याता गो. से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर (महा.) भारत

करूणा के जल से सिंचित करना है और संवेदना के पुष्प खिलाने है, तो क्रियोलीकरण का प्रयोग उसी तरह करना होगा, जैसा कि एक नदी जलप्रपात के गिरते जल को अपने हृदय से लगााकर महासमुद्र से मिलाने के लिए यात्रापथ पर बडी सावधानी से सृजन का सपना लिए अमर्त्यवीर पुत्री की तरह आगे बढती है; ताकि मानव की जय हो। यही जय यात्रा हिन्दी भाषा की अक्षुण्णता है, जिसकी गूँज चारों तरफ सुनाई पडती है, जो क्रियोलीकरण की प्रतिध्वनि है। इस प्रतिध्वनि में यही गूँज सुनाई देती है कि 'क्या कोई है जो आज की 21 वी सदी में भाषा और साहित्य की चुनौतियों का सामना करते हुए सम्भावनाओं की तलाश कर उन्हें यथार्थ का जामा पहनाये, ताकि सामाजिक यन्त्रणाओं का सही आकलन सार्थक भाषा के जरिये हो सके।'

इक्कीसवी शती में इस वैश्वीकरण के युग में भारत दुनिया भर के उत्पाद निमाताओं के लिए एक बडा खरीददार और उपभोक्ता बाजार है। परिणामत: हिन्दी वैश्विक विस्तार के नये आयाम छू रही है। जहां एक तरफ साहित्य लेखन की भाषा आज भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी है वहीं दूसरी ओर संचार माध्यम की भाषा ने जनभाषा का रूप धारण कर व्यापक जनस्वीकृति प्राप्त कर ली है। समाज और व्यक्ति के विकास में भाषा, तकनीक और प्रौद्योगिकी का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह सच है कि साइबर संसार में हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। क्योंकि तकनीकी के इस युग में हिन्दी ने अपने परम्परागत स्वरूप को समय के अनुरूप ढाल लिया है। नित नये ब्लॉग और वेबसाइट हिन्दी में निर्मित हो रहे है। ओसीआर अर्थात ऑप्टीकल कैरेक्टर रिकग्नीशन अर्थात प्रकाशपुंज द्वारा वर्णो की पहचान कर पुराने देवनागरी हिन्दी शब्दों को यूनिकोड फॉन्ट में परिवर्तित करने की सुविधा से प्राचीन साहित्य को डिजीटलाइजेशन से ज्ञान के नए डिजीटल स्रोत खुल रहे हैं। वास्तव में संचार माध्यम के कारण हिन्दी भाषा बडी तेजी से तत्समता से सरलीकण की ओर जा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि संचर माध्यमों ने हिन्दी के जिस विविधतापूर्ण सर्वसमर्थ नये रूप का विकास किया है, उसने भाषा समृद्ध समाज के साथ- साथ भाषा वंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भो से जोडने का कार्य किया है।

उपसंहार – वास्तव में भाशा के दो प्रमुख आयाम है। एक, उसका शुद्ध भाषिक आयाम जिसमें उसके शब्दों, वाक्य रचना, व्याकरण, शब्दकोश आदि पर ध्यान रहता है। दूसरा, भाषा का सामाजिक –आर्थिक– राजनैतिक– सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें उसके इन सदंर्भो में प्रयोग, परिवर्तनों,अर्थो, प्रभावों आदि पर ध्यान होता है। सोशल मीडिया ने हर भाषा के प्रयोग के तौर – तरीकों ,व्याकरण, शब्दकोश, शैली, शुद्धता और वाक्य रचना को प्रभावित कर अपनी एक नई भाषा सृजित कर ली है। अध्येता और साहित्य जिज्ञासु चिन्तित है कि इस खिचडी, विकृत, अटपटी और अपूर्ण भाषा की खुराक पर पोषित हो रही युवा पीढी वयस्क होने पर किसी भी एक भाषा में सशक्त और प्रभावी संप्रेषण के योग्य बचेगी या नहीं । यह खतरा इसलिए भी अधिक है कि वर्तमान पीढी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साहित्य, वैचारिक पठन से परे है। अनेक खतरों के बावजूद इस प्रकार के मंचो की शब्दसीमा ने अपनी बात को सारगर्भित शब्दों में कहना सिखाया है। सोशल मीडिया की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने अपनी बात को निडरता, बिना रोक- टोक के अपनी बात करोडों लोगों तक पहुंचाकर पाटकों को एक नया स्वाद और हिम्मत दी है। साथ ही इस प्रकार की अभिव्यक्ति ने सरकार और प्रशासन को पारदर्शी, संवादमुखी और जबाबदेह बनाया है।

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में ऑनलाइन पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी सामने आ रही है। अमेजन, गूगल और किंडल बुक्स एवं ई पत्रिकाओं की सहायता से हिन्दी पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिन्दी भाषा मात्र राष्ट्रीय संस्कृति की संवाहिका मात्र नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाली अमोघ शक्ति के रूप में उभर रही है। आज संचार भाषा हिन्दी साइबर स्पेस में अपनी धाक जमा रहीं है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढाई जा रही है। वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक उदारीकरण ने हिन्दी की बढती लोकप्रियता का परिचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कादम्बिनी पत्रिका
2. इंटरनेट और ई-कॉमर्स – प्रज्ञा कम्प्यूटर विज्ञान मथूरा
3. प्रयोजन मूलक हिन्दी के विविध आयाम– डॉ. महेन्द्र सिंह राणा
4. जन- पत्रकारिता, जनसंचार एवं जन सम्पर्क – डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित
5. हिन्दी भाषा के मानक प्रयोग– डॉ. नाथूराम राठौर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Green Marketing Initiatives: Ingenuity Towards Sustainable Development

Barkha Agrawal* Neha Sahu**

Abstract - Present age is facing the problems of global warming, climatic changes and pollution that have international concerns. These problems resulting into environmental deterioration has made corporate shift their way of execution, giving rise to a new methodology known as "green marketing". This study aims at looking into consumer perception towards green values created by the green markers and its impact on their purchasing behavior of eco-friendly sustainable products. This study is an attempt for drawing attention on the efforts put by the green initiators for sustainable development. It further highlights the consumer perception and the impact of green marketing communication to see how consumers are influenced to opt for green products. The study includes the result of a consumer product and green marketing survey using a questionnaire devised by the authors on the basis of several types of research carried in the field. Even the socially responsible retailers were supported as patron of green marketing by a large number of respondents. This study holds that despite there is a lot of scope in Indian market for green products to be utilized more within consumer groups that have pro-environmental preferences, green product marketing communication isn't revealing enough to consumers. The study urges that the greater use of marketing and brands to promote and sell products that are environmentally favorable and function effectively.
Keywords- Green Marketing, Consumer Purchase Intention, Consumer Behavior, Green Products.

Introduction - One of the main goals of marketing is to reach the consumer at the moment that most influences their purchase decision. Now environmental awareness has not merely become a global interest, as well as a demanding issue in academic research. Marketing involves more than just promoting and selling a good or service, it aims to educate, communicate and influence society. In recent years, global warming, climate change and pollution are some of the concerns that have been raised internationally and have resulted in more consumers becoming aware of environmental challenges confronting them. These environmental challenges have gained prominence in the business environment, as well as in the public domain. The green issue has fostered a positive change in the behavior of consumers since 1970s (Linda F. Alwitt, 1996). This change has induced a significant upset in the perceptual experience of consumers with a rising concern for the preservation and prevention of any further damage to the environment. Undeniably green marketing is an effort to reduce these distressing impacts on our environment through installing a new course of green concept through designing, producing, packaging, labeling and consuming products that are eco-friendly and promoting the preservation of the environment in a sustainable way. Green marketing, more especially, in recent years, has begun to influence consumer and business activity. Corporations often applies different strategical approaches toward different parts of the industry to gain competitive advantages via repositioning consumer perception through innovative green products (ElhamRahbar,2011).Marketing aims at reaching customers to have an impact on their purchase decision.

The goal of marketing is not only the promotion or sale of goods and services but it also tries to influence the society by communicating and educating the people. In past few years, the concept of green marketing a sonly been highlighted over the packaging and labeling of product and incentive strategies. An assessment should be carried out to know about how different organizations are putting their effort in green activities. Both the public and business fields are focusing their attention towards these environmental challenges. "Green Marketing", is the result of these crucial environmental challenges associated with the green products demand of consumers. Green Marketing links to the business activities providing long term development

Purchase decision making process of a consumer usually consists of five stages: the felt need of a benefit, information search, evaluation of alternatives, purchase decision and post-purchase evaluation. In this process of consumer purchase decision, several factors like social, cultural, psychological, behavioral, marketing mix and situations, all effect at some point. In the present scenario, especially, consumer and business environment are more influenced by green marketing.

*Assistant Professor, IPS Academy, IBMR, Rajendra Nagar, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, IPS Academy, IBMR, Rajendra Nagar, Indore (M.P.) INDIA

Both, the organizations and consumers as well have a influence toward environmental issues and they participate in the process by delivering and purchasing of green products. Here, the fact should be noted that environmental commitment and participation in green activities are two separate issues, both the organizations and consumer has a vital role to play here, but consumer decision is the most crucial because they motivate producers to deliver green products (Suplico,2009). It is a common sense that consumers won't buy such product that is harmful to human health, environment, plants, animals and any natural resources. The advent of green marketing took place during the 1980's with the rise of environmental dreadful conditions. The recent environmental challenges being faced by the world have call attention to the necessity of green marketing to the peak. Mainly developed countries have undergone previous researches in green marketing and consumer purchase decision. In developing country like India no remarkable study has been done in this aspect. Thus, the objective of this study is to investigate the impact of green marketing on purchase decision of consumers in India with the help of an exploratory research.

Marketers are interested in green marketing, as it offers a scope for competitive gain. The change in the consumer's perception, where people are caring about the environment will demonstrate their concerns through different behaviors, such as a voidance of buying a product because it is potentially not safe to consume. Lack of research on the perception, attitude and behavior of Indian consumers towards green marketing provides an opportunity to the researchers who make an attempt towards it. Learning these facts might play an influential role in the change of consumer purchasing behavior and create a positive perception toward environmentally products. The study is significant for marketers as it focuses on the factors that affect the purchase decision of consumer for green products which can help corporate in designing an effective green marketing strategy.

The green marketing and product survey presented four main factors that influence the buying or usage of green products of the respondents.

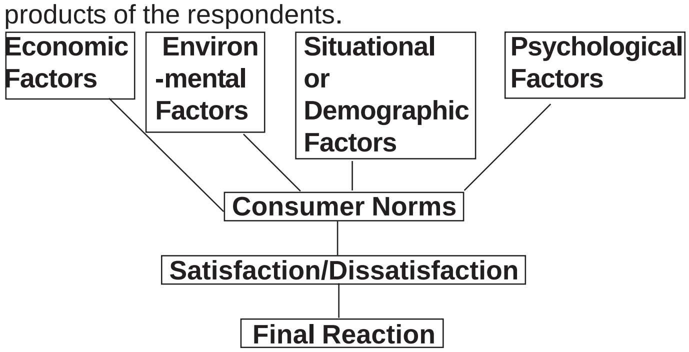

Figure 1: Factors Influencing Consumers for Green Product Purchase

Economic Factors: In this respondent are anxious about the affordability of green products as they are mostly expensive than other ordinary products. This is the reason why they are concerned in switching to green products from their normal habits. Most of the respondents calculate the benefits against the extra cost.

Environmental Factors: The respondents are concerned about the attributes of eco-system of the green products before switching from their regular products which directs them to consider the sustainability. When it comes to price, the first choice of consumer is durability as majority of consumers are not financially sound which restrict them from buying green products. The acceptability of the green product increases if the durability is high and they are willing to pay high.

Situational/Demographic factors: It is well known that these factors greatly affect the buying decision of consumers regardless that it is green product or regular ones. The buying decision of respondents of the survey also depends on the availability of green products or even the substitute. The time required to collect the green products with desirable communication is also a matter of concern against the value that product provides them at the cost of all the hassles. The value proposition of the product is the main concern of respondents in this segment.

Psychological Factors: This factor affects a lot to the consumers. The psychology towards green product is classified on the basis of the effectiveness of the green product. They can trust or rely on the product for a longer time period or not. Another important fact is the learning and knowledge about the merits of the product which varies even after educating them about it. Moreover, they judge the product based on their self-image being promoted positively or negatively by the green product and for this, they frequently not even consider solely the quality of the product.

Literature review

Green Marketing has developed into a field of importance for both businesses and societies. It includes marketing activities like production, differentiation, pricing and promotion of products and services that are environmentally friendly and fulfill the environmental requirement of customers (Ansar, 2013). According to Digel and Yazdanifard (2014) green marketing can be defined as a series of actions incorporating change of operation method, alignment of product line, improvement in packaging and alteration of advertisement pattern. "Ecological or Environmental Marketing", "Sustainable Marketing" are the terms used analogous to green marketing. Today the companies are required to make changes in their operating pattern, so that they could offer products or services which are advantageous to both consumers and environment. Thus, the critical aim is to produce and sell environmentally friendly products to the customers and at the same time motivate consumers to cooperate and safeguard the environment (Stern and Ander,2008).

As per Sawant (2015), consumers are becoming more aware towards the environment and also socially responsible. Boztepe (2012), defined green consumer as

one who is conscious for the good of environment. Hence, they behave in an eco-friendly manner and purchase only eco-friendly products. Supporting this (Ansar 2013) state that concern towards the environment is displayed in the buying behavior of consumers, for example their affinity towards CFC-free products and recycling of products. The consumers are much aware of the impact that their entity consumption manner has on environment Dagher & Itani (2014).

The above acknowledgement thus makes consumers more interested in purchase of eco-friendly products and be in favor of companies that adopt green marketing. The word green marketing is not all about fulfilling consumer needs or enhancing the living standard, it's about conserving the ecosystem, it's about protecting against ecological reparation which is caused by industrial progression (Polonsky,2011).

Green marketing has achieved outstanding coverage worldwide in recent years. It appears that both the personal and industrial buyers are growing awareness about sustainability and fostering interest to preserve it (Elham Rahbar, 2011). At a workshop, green marketing was defined as "the study of the positive and negative aspects of marketing activities on pollution, energy depletion, and non-energy resource depletion"(Delafrooz, Taleghani & Nouri, 2014).

Aims & Objectives: This study focuses on the perception of consumer for the green values generated by promoter's labors of green marketing and the purchase of ecofriendly goods affected by it. The growth of green marketing is widespread in the market of India and had influenced a lot the awareness of consumers towards environment and their perception for green products and practices. Hence the study put forth the following objectives to be fulfilled-

1. To understand the awareness level of Indian consumers for green practices and products.
2. To identify the factors influencing customers inclination to buy green products.
3. To determine which factor has the highest impact on consumer buying behavior.

Methodology: The study focused on identifying the perception of consumers for green marketing and determines the association between purchase behavior of consumer and green marketing tools, attitude of consumer and the concept of green marketing, and purchase intention of consumer and green marketing. Analytical investigation is applied with a survey questionnaire and regression analysis. The compilation and analysis of both secondary and primary data have been done to observe the objectives of the research.

The questionnaire includes four sections correspondingly as demographic factors, knowledge base information, behavioral information, and questions as a sub-section on Consumer Attitude, Purchase Intention, and Purchase Behavior. The first segment comprises of demographic data like name, age, income etc. The second segment comprises the knowledge base information to comprehend the knowledge of the respondent concerning the green concept. The third segment comprises the respondent perception toward the green concept (the green marketing tools, green products and general conduct of the respondent). Five points Likert scale is used to measure the variables. Means, Coefficient of the Variables, Standard Deviations and Regression methods are used for the analysis. The average level of respondent's perception is measured through Means and Standard Deviation. The difference in the dependent and independent variables is explained using multiple methods

The Independent variable determined on the basis of reviewed literature, mentioned below, helped in determining the hypotheses of the study for the dependent variable; perception of the Consumer towards green marketing is stated below:

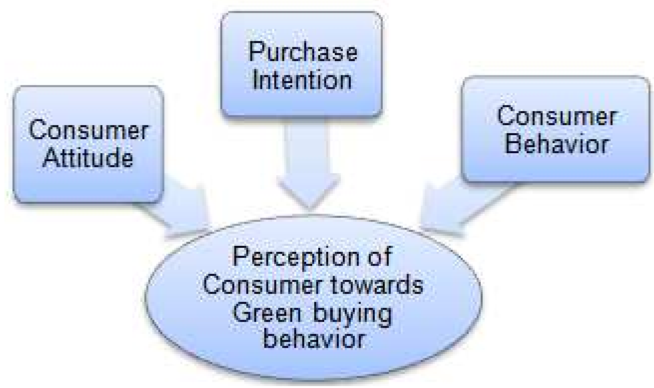

S.	H0/ Null Hypothesis	H1/Alternative Hypothesis
1	There is no impact of consumer attitude on the Green Buying Behavior	There is impact of consumer attitude on the Green Buying Behavior
2	There is no impact of Purchase intention on the Green Buying Behavior	There is impact of Purchase intention on the Green Buying Behavior
3	There is no impact of consumer behavior on the Green Buying Behavior	There is impact of consumer behavior on the Green Buying Behavior

Table 1: Hypotheses of the Study

Findings & Analysis of Study:

The hypotheses are tested through questionnaire survey collected from 384 respondents from various districts, who shared their perception towards the study. The results of the study are as below:

Table 2: Reliability Test

Variables	Cronbach Alpha	No of Items	Revised Alpha	Revised No of Items
Consumer Attitude	.891	4	-	-
Purchase Intention	.783	10	-	-
Purchase Behavior	.819	6	-	-

The alpha value of reliability is acceptable as it is above .60, which means the scale is reliable and numbers of

questions considered are appropriate.

Table 3: Data of Descriptive Statistics

Variables	Mean	SD	Skewness	Kurtosis
Consumer Attitude	5.1752	1.09721	-.713	.260
Purchase Intention	4.9863	1.23456	-.513	.011
Purchase Behavior	5.2196	1.17381	-.573	.094

Variability analysis helps us to know the distance between the mean scores of the items. Standard deviation is the commonly used measure for variability which gives the difference of scores of the items.

Table 4: Pearson Correlation

Variables	Green Behavior Base	Consumer Attitude	Purchase Intention
Green Behavior Base			
Consumer Attitude	-.393**		
Purchase Intention	-.305**	.729**	
Purchase Behavior	-.257**	.737**	.692**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 5: Regression Analysis

Variables	B	t - level	Significance
Consumer Attitude	.508	1.186	.001
Purchase Intention	.340	0.292	.000
Purchase Behavior	.140	7.135	.000

Here, R^2 = .600, F= 187.326, df= 377, No of IV =3.

To check the impact of one variable on another and also independent variables on the dependent variables, regression analysis is used. The value of R is taken from the table of model summary, and value of df and F is taken from ANOVA test table while data is analyzed.

Discussion of Findings: The correlation analysis demonstrates a weak negative correlation of the green behavioral base and variables consumer attitude, purchase intention and purchase behavior. This proposes that consumers' behavior is not influenced by green marketing activities. However, consumer attitude has a strong positive correlation between the purchase behavior and purchase intention of consumers. This shows that the attitude consumers carry about the product exceedingly influence them and consumers are also greatly influenced by what is their purchase intention and need during purchase decision. Over again, the strong positive correlation between the purchase intention and purchase behavior of consumer, signifying that intention greatly influence consumers which clarify that purchase behavior is in fact dependable on the situational factors.

The regression test explains that the purchase decision making of consumers is mainly influenced by the attitude of consumer for the product (beta value = .508). next is the purchase intention of the consumer (beta value = .340), and purchasing behavior is least influenced by the green behavioral base.

The entire hypothesis discovered that there is impact of the variables on green buying behavior. The concept is new to Indian consumers as a new aspect of environmental insistence. Although consumers are conscious of environmental deprivation but they don't have sufficient knowledge about green products and prominently some of the factors significantly impacting the green concept like situational and demographic factors, economic factors, environmental factors and physiological factors.

As green marketing is somewhat a new concept, knowledge, training, new technologies and cultural integration is required to launch this concept in the minds of consumer against the environmentally harmful products. Additionally, diverse range of green products at low price with inventive advertising should be launched.

It is observed during the survey that respondents are mostly similar. Their response is positive comparatively as the study found but owing to situational needs, they focus on the available products. They are conscious about the green product along with their awareness of ecological needs; however, they buy products which are available as per their need.

The development of attitude depends on the values which have an impact on the behavior in real situations. Attitude shown by people impacts the thoughts and feelings which impact the perception of purchase related behavior.

Consumers are aware about the green product but they are not aware about the green initiatives taken by the government and non-government agencies which indicate more efforts in this regard. Consumers are alarmed about the current and future environmental status symptomatic of the need for green products and practices.

Conclusion: The study recommends that marketers must change the consumer's perception about green marketing with the adoption of novel and innovative ways. For example, regarding price of the green products, they should be made available at a cheaper rate to attract the consumers. Customers should be motivated for green product usage through various awareness initiatives and information about the ecological benefits of the green products. The green marketing philosophy should be made popular among mass consumer base.

Three things should be preserved by the marketers for the effectiveness of green marketing: genuinely, educate the customers and provide them the chance to contribute in the social responsibility and save the planet. Eco-labeling and packaging should be focused above the eco-friendly information in green marketing. In addition, to eliminate doubts from the mind of the consumers, some international

standards should be enforced.

References:-

1. Ansar, N. (2013). Impact of Green Marketing on Consumer Purchase Intention, Mediterranean Journal of Social Sciences (online), 4(11), pp. 650-655. Available at: http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/1352/1380 [Accessed: 05 November 2015].
2. Boztepe, A. (2012). Green marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior, European journal of Economic and Political Studies (online), 5(1), pp. 5-19. Available at: http://ejeps.fatih.edu.tr/docs/articles/146.pdf [Accessed: 17 November 2015].
3. Chamorro, A., Sergio Rubio, S., & Miranda, Francisco J. (2009). Characteristics of Research on Green Marketing. Business Strategy and the Environment, 18, 223-239. http://dx.doi.org/10.1002/bse.571
4. Chan Hing Kai, He Hongwei, & Wang William Y. C. (2012). Green marketing and its impact on supply chain management in industrial markets. Industrial Marketing Management, 41(4), 557-562. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.04.002
5. Dagher, G.K. and Itani, O. (2014). Factors Influencing Green Purchasing Behavior: Empirical evidence from the Lebanese consumers. Journal of Consumer Behavior (online), 13(3), pp. 188-195. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cb.1482/full [Accessed: 01 September 2015].
6. Delafrooz, N., Taleghani, M., & Nouri, B. (2014).Effect of green marketing on consumer purchasebehavior. QScienceConnect,1(5).doi:10.5339/connect.2014.5.
7. Diglel, A. and Yazdanifard, R. (2014). Green marketing and its Influence on Buying Behavior and the Attitudes of Purchasers towards Eco-friendly products, Global journal of Management and Business Research (online), 7(11), pp. 11-18. Available at: http://www.academia.edu/9999132/Green_ Marketing_ It_s_Influence_on_Buying_ Behavior_and_ Attitudes_ of_the_Purchasers_towards_Eco-Friendly_Products [Accessed: 07 November 2015].
8. Elham Rahbar, N. A. (2011). Investigation of green marketing tools 'effect on consumers' purchase behavior. Business strategy series, 12(2), 73-83.doi: http://dx.doi.org/10.1108/17515631111114877.
9. Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2013). Principles Of Marketing. pearsoneducation.
10. Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573 - 586. doi: http://dx.doi.org/10.1108/02634500810902839.
11. Linda F. Alwitt, R. E. (1996). Predicting Purchase Intentions for an Environmentally Sensitive Product. Journal of Consumer Psychology, 5(1),49-64. doi:10.1207/s15327663jcp0501_03.
12. Polonsky, M. J. (2011, December). Transformative green marketing: Impediments and opportunities. Journal of Business Research, 64(12), 1311–1319.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.01.016
13. Sawant, R., (2015). A Study on Awareness and Demand Pattens Amongst Consumers W.R.T Green products. Journal of Marketing and Technology (online), 5(1), pp. 136-148, Available at: http://search.proquest.com. dutlib.dut.ac.za/docview/1643410886?pq-origsite=summon [Accessed: 16 August 2015].
14. Stern, N.Z. and Ander, W.N. (2008). Green tailing and other revolutions in retail: hot ideas that are grabbing customers' attention and raising profits. New Jersey: John Wiley & Sons.
15. Suchard, H.T., & Polonsky, M.J.(1991).A theory of environmental buyer behavior and its validity: the environmental action-behavior model. American Marketing Association, AMA Summer Educators' Conference Proceedings (pp. 187–201). Chicago: American Marketing Association. Retrieved November 2016.
16. Suplico,L.T.(2009,September). Impact of green marketing on the students' purchase decision. Journal of International Business Research, 8(2). Retrieved November 2016,from http://www.freepatentsonline.com/article/Journal International-Business Research/229220657.html.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Public Distribution System in India

Lt. Dharmendra Kumar* Dr. Lokendra Singh**

Abstract - The Public Distribution System (PDS) is one of the instruments for improving food security at the household level in India. The PDS ensures availability of essential commodities like rice, wheat, edible oils, and kerosene to the consumers through a network of outlets of fair price shops. These commodities are supplied at below market prices to consumers. With a network of more than 462,000 fair price shops (FPS) distributing commodities worth more than Rs. 300 billion annually to about 160 million families, the PDS in India is perhaps the largest distribution network of its kind in the world. The PDS evolved as an important instrument of government policy for management of scarcity and for distribution of food grains at affordable prices. Supplemental in nature, the scheme is not intended to make available the entire requirements of food grains of the households.

Introduction - The Targeted PDS (TPDS) was introduced in 1997 and under this scheme special cards were issued to families below poverty line (BPL) and food grains were distributed at a lower price for these families compared to those above the poverty line (known as APL families). The entire population was divided into three categories- BPL (Below Poverty Line), APL (Above Poverty Line) and AAY – Antyodaya Anna Yojana (destitute). The BPL population are provided 35 kg of food grains per month at subsidized price. AAY, the destitute households (part of BPL households) are provided a monthly provision of 35 kg of food grains at specially subsidized rates (Rs. 2 per kg for wheat and Rs. 3 for rice). About 25 million (38 per cent of BPL) people have been covered under AAY. The central government allocates food grains to different states of India based on poverty ratios. According to the central government there are around 65 million poor households in the country. States in turn distribute food grains based on the BPL list. Targeting is done by states based on 13 non-income indicators to select BPL population. If we add together the households on the states BPL lists, there are 100 million poor households. There is competitive populism to include more households in the BPL list. Offtake of food grains (rice+wheat) under TPDS and the Welfare Scheme in 2007-08 are as follows: BPL – 15.1 million tonnes; APL -9.0 million tonnes; AAY (Destitute) – 9.4 million tones; Total TPDS – 33.5 million tonnes: Welfare Scheme – 3.9 million tonnes; All (TPDS + Welfare Schemes) – 37.4 million tonnes. TPDS is subsidized by the central government, and to some extent by state governments. The total subsidy for TPDS is distributed as follows: 18 per cent for APL, 46 per cent for BPL and 36 per cent for AAY households.

Major Concerns about PDS: The main problem with regard to PDS is its inability to reach to the target groups in most parts of the country. PDS food grain purchase constituted only 11 per cent of the total per capita monthly food grains consumption in 2004-05. There was marked regional disparity and althoughthe impact of PDS on southern and north-eastern states is much better, it has hardly any impact on some of the poorest states (Bihar, Assam, UP.)The main problems in TPDS are set out in two recent documents: (1) Report of the High Level Committee on Long – Term Grain Policy (Gol: 2002) and (ii) Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS) (Programme Evaluation Organisation, Planning Commission, 2005) [56]. According to these documents, there are basically four problems in the present TPDS : (i) high exclusion errors; (ii) non-viability of fair price shops; (iii) not fulfilling the price stabilization objective; and (iv) leakages. The leakages very enormously between states. In Bihar and Punjab, the total leakage exceeds 75 per cent while in Haryana and Uttar Pradesh it is between 50 and 75 per cent.Some other problems are: low quality of food grains, infrequent supply of food grains, inefficiency of Food Corporation of India (FCI), political interference and corruption, no system of inspection of entitlements, and viability of Fair Price Shops (low margins, etc.).There seem to be some improvements in the functioning of PDS. These are higher procurement, higher off-take, larger coverage, improved distribution, and lower diversion. This is evident from some large-scale evaluation by National Council for Applied Economic Research (NCAER) surveys which are based on a large sample in several states. It shows better distribution among the poorest (90 per cent) and the poor (80 per cent) except Bihar and Assam. Although allocation efficiency of the TPDS has improved, the huge problem of identification is still very high. The issue of large scale errors of exclusion and inclusion is still

*Asst. Professor (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA
** Associate Professor (Economics) J.V. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

prevalent. Therefore, successful implementation of PDS is a big challenge.

Reforming the Procurement and Distribution: There is need for certain reforms in procurement and distribution for better functioning of TPDS. These are: (i) decentralization of procurement and distribution; (ii) involving panchayats (elected village representatives) in PDS; (iii) streaming FCI and involvement of private sector farmers cooperatives, SHGs, etc, in procurement and distribution, (iv) viability of FPSs, giving them higher margin, making monitoring compulsory; (v) computerization of records for cross-checking, opening of grievance cells, and strengthening the role of Panchayats and NGOs; (vi) devising and appropriate criterion for selection and strict enforcement of the criterion; and (vii) punishment system for the defaulters. There are suggestions afoot for introducing food coupons in the system. States like Andhra, Rajasthan, and recently Bihar, introduced food coupons and considerable improvements have been reported as a result. this measure has helped in reducing the number of bogus ration cards and has been effective in checking PDS grains being diverted into the open market. The basic problem in PDS is lack of public accountability. The Sixth Commissioner's report on PDS provides several recommendations to address the problems in TPDS. On large exclusion errors, the report says that those are excluded groups because of misidentification, and should get universal coverage under AAY/BPL. In other words it should be the responsibility of the state governments to proactively identify all of these categories and cover them all under AAY/BPL cards. The Report also gives recommendations on accountability and transparency.

References:-

1. Mukherjee, the deliberate policy of Churchill is located as an important cause for the great Bengal famine of the early 1940s.
2. MacFarlane, 2002
3. Bautista et al. 1997; Piggot et al. 1993
4. Barichello, 2018
5. Huang and Rozelle, 2018

****

The Impact of Domestic Violence on Children and Families and its Interventions

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Domestic violence is a major problem in societies across the world. It is characterized by the use of physical, psychological, and emotional abuse by one member of a household against another. The effects of domestic violence on children and families can be devastating, impacting their health, wellbeing, and future prospects. Domestic violence has devastating effects on individuals, families, and communities. This paper explores the physical, psychological, and economic impacts of domestic violence on victims, children, and their families. It also examines the various interventions that can be used to reduce the impact of domestic violence, such as hotlines, counseling, and shelters. Additionally, it discusses the importance of policy and systemic change, economic empowerment, and cultural and social change in addressing domestic violence. Finally, it emphasizes the need for interventions to be tailored to the individual, accessible, and culturally appropriate. Ultimately, this paper highlights the importance of addressing domestic violence and implementing effective interventions to prevent and reduce its damaging effects.
Keywords- Domestic violence, children, families, interventions, abuse, psychological support, emotional support, therapy, legal action, education, community resources, protection, healing, resilience, prevention, trauma, family therapy, safe havens, crisis support, advocacy, awareness, parenting skills, rehabilitation.

Introduction - Domestic violence is a serious issue that can have long-term negative effects on both the victims and their families. Domestic violence is defined as the physical, sexual, psychological, or emotional abuse of one partner by another in an intimate relationship. It is a pattern of coercive control and intimidation that can involve physical, mental, and emotional abuse.

Children who witness or experience domestic violence can suffer from both short-term and long-term consequences. Short-term effects may include fear, depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Long-term effects may include lower self-esteem, difficulty forming relationships, and the development of violent tendencies. Children who witness or experience domestic violence may also have difficulty in school, experience difficulty forming relationships, and have difficulty regulating their emotions.

Families affected by domestic violence often struggle with financial hardship, fear, guilt, and shame. The stress of living in an abusive relationship can cause family members to become isolated, and may make it difficult for them to trust others. Domestic violence can also lead to substance abuse, poor parenting, and further violence in the home.

Domestic violence is a serious issue that can have devastating impacts on both victims and their families. It is important for families to recognize the signs of domestic violence and to seek help if needed. There are many resources available for those who are affected by domestic violence, such as hotlines, counseling, support groups, and shelters. It is also important for families to create safe and healthy environments for everyone involved.

Impact of Domestic Violence:

Impact on Physical Health: Children who are exposed to domestic violence can suffer from physical health problems as a result of their trauma. This can include injuries sustained during an attack, chronic physical symptoms related to stress, and long-term health problems as a result of their exposure to violence. For example, children who witness domestic violence may develop headaches, stomachaches, and difficulty sleeping, which can impact their overall physical health and wellbeing.

Impact on Psychological Health: The psychological impact of domestic violence on children can be devastating and long-lasting. Children who witness or experience violence may develop symptoms of anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD). This can lead to a range of problems in their daily lives, including difficulty concentrating, memory problems, and a decreased ability to form relationships. Additionally, children who witness domestic violence may have difficulty regulating their emotions and may display aggressive behavior, which can affect their relationships with others and their ability to succeed in school and other areas of life.

Impact on Mental Health Disorders: Children who witness or experience domestic violence may have an increased

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

risk of developing mental health disorders. This can include depression, anxiety, and PTSD, which can have long-lasting impacts on their ability to function in daily life. Children who experience domestic violence may also struggle with attachment issues and have difficulty forming healthy relationships, which can impact their overall mental health and wellbeing.

Impact on Substance Abuse: Children who witness domestic violence may turn to substance abuse as a means of coping with their trauma. This can lead to further health problems and put them at risk of developing addiction, which can have long-term impacts on their physical and mental health.

Impact on Self-Esteem: Children who witness or experience domestic violence can have their self-esteem and sense of worth negatively impacted. They may feel ashamed, powerless, and helpless, which can impact their ability to form healthy relationships and succeed in life.

Impact on School Attendance and Performance: Children who witness or experience domestic violence often struggle in school, as they may experience difficulty concentrating, memory problems, and a decreased ability to form relationships with teachers and peers. This can result in increased absenteeism, decreased academic performance, and lower grades, which can impact their future success in education and employment.

Impact on Behavior in School: Children who witness or experience domestic violence may display aggressive behavior in school, which can lead to disciplinary problems and difficulty forming positive relationships with teachers and peers. They may also struggle with social skills and may have difficulty relating to others, which can affect their ability to succeed in school and make friends.

Impact on Learning: Children who witness or experience domestic violence may have difficulty learning and retaining information. This can impact their ability to perform well in school and reach their full potential, which can have long-term consequences for their future success.

Impact on Special Needs: Children who witness or experience domestic violence may have additional educational needs, such as support for learning and behavioral problems, which can impact their ability to succeed in school. These needs may not be recognized or addressed, which can further compound the impact of domestic violence on the child's education.

Impact on Access to Education: Children who experience domestic violence may struggle to access education, as they may be required to move frequently to escape abuse, or they may not have a safe and stable home environment in which to study. Additionally, children who witness or experience domestic violence may not receive the support and resources they need to succeed in school, such as counseling and mental health services, which can impact their ability to succeed in their education.

Impact on Families and Communities: Domestic violence can destroy families and tear communities apart. It can lead to financial problems, homelessness, and separation of children from their parents. The effects of domestic violence can also have a ripple effect, affecting the mental and physical health of other family members and community members.

Impact on Interpersonal Relationships: Children who grow up in homes where domestic violence occurs are more likely to experience difficulties in forming healthy relationships in their adult life. This can lead to a cycle of abuse in their own relationships, perpetuating the cycle of domestic violence.

Impact on Economic Wellbeing: Domestic violence can cause significant financial difficulties for families, including loss of income, medical expenses, and legal fees. This can lead to poverty and homelessness, which can have long-term consequences for children and families.

Impact on Family Dynamics: Domestic violence can have a profound impact on family dynamics, as it can cause a breakdown in communication, trust, and relationships between family members. Children who witness or experience domestic violence may struggle to form healthy relationships with their parents or other family members, which can affect their ability to form positive relationships in other areas of their lives. Additionally, families who experience domestic violence may struggle with financial instability, which can lead to increased stress and further strain on family relationships.

Impact on Community Safety: Domestic violence can have a negative impact on community safety, as it can create a cycle of violence that affects not only the victim and the perpetrator but also the community as a whole. Children who witness domestic violence may be more likely to engage in violent behavior themselves, which can further impact community safety.

Impact on Community Resources: Domestic violence can place a significant burden on community resources, such as law enforcement, health care providers, and social service agencies. These agencies may be required to provide support to victims, families, and children, which can strain their resources and impact their ability to provide support to other members of the community.

Impact on Neighborhoods: Domestic violence can have a negative impact on neighborhoods, as it can create a perception of danger and insecurity, which can affect property values and reduce community cohesion. Additionally, domestic violence can lead to increased poverty and homelessness, which can further impact the stability of the neighborhood.

Impact on Children's Relationships with Peers: Children who witness or experience domestic violence may struggle to form positive relationships with their peers, which can impact their ability to succeed in school and other areas of their lives. They may also be more likely to engage in bullying or other aggressive behavior, which can impact their relationships with others.

Impact on Cognitive and Behavioral Development:

Domestic violence can impede the normal cognitive and behavioral development of children, affecting their ability to learn, reason, and form relationships. Children who witness domestic violence may also display aggressive behavior, have trouble sleeping and eating, and experience developmental delays.

Impact on Child Protective Services: Domestic violence often leads to intervention by child protective services, which can result in children being separated from their parents and placed in foster care. This can cause further trauma and instability for the child and have long-term impacts on their wellbeing.

Impact on Future Relationships: Children who grow up in homes where domestic violence occurs are more likely to experience problems in their own intimate relationships as adults, including perpetuating the cycle of abuse. This can lead to negative consequences for their own health and wellbeing, as well as the health and wellbeing of their partners and children.

Impact on Criminal Justice System: Domestic violence can strain the criminal justice system, requiring increased resources for police and courts to address the issue. This can result in increased costs for taxpayers, as well as decreased public safety, as other crimes are left unaddressed.

Impact on Employment: Domestic violence can result in lost work time for victims, which can impact their ability to earn a living and support their families. It can also lead to job loss for the perpetrator, which can result in financial difficulties for the family.

Interventions to Reduce the Impact of Domestic Violence

There are several interventions that can help reduce the impact of domestic violence on children and families. These include crisis hotlines, shelters, and counseling services for victims. Laws and policies can also be implemented to help protect victims and hold perpetrators accountable for their actions. Education and public awareness campaigns can also help prevent domestic violence from happening in the first place.

Interventions for Victims: Interventions for victims of domestic violence typically focus on providing support, safety, and resources to help them escape the violence and rebuild their lives. This can include crisis hotlines, emergency shelters, legal advocacy, and financial assistance. Counseling and support groups can also help victims cope with the trauma of the abuse and build a support network to help them move forward.

Interventions for Perpetrators: Interventions for perpetrators of domestic violence aim to address the underlying causes of their abusive behavior and prevent them from committing further acts of violence. This can include anger management courses, domestic violence education programs, and therapy or counseling to address any mental health or substance abuse issues. In some cases, perpetrators may also be required to attend court-mandated programs, such as batterer's intervention programs.

Interventions for Children: Interventions for children who witness or experience domestic violence aim to provide support, safety, and resources to help them overcome the impact of the abuse. This can include counseling, support groups, and educational resources, as well as programs that aim to increase resilience and coping skills. Schools can also play a critical role in providing support to children who have been impacted by domestic violence, by offering counseling and other resources, and working with families to address the issue.

Interventions for Communities: Interventions for communities aim to increase awareness about the issue of domestic violence and provide resources and support to help victims and families. This can include public education campaigns, community outreach programs, and training for law enforcement and other first responders. Community-based organizations can also play a critical role in addressing domestic violence, by providing resources, support, and advocacy for victims and families.

Interventions for Policy and Systemic Change: Interventions at the policy and systemic level aim to create systemic change to prevent domestic violence from occurring in the first place and to hold perpetrators accountable for their actions. This can include enacting and enforcing laws and policies to protect victims, such as restraining orders, and improving the criminal justice system response to domestic violence.

Interventions for Economic Empowerment: Economic empowerment interventions aim to address the financial barriers that can prevent victims from leaving abusive relationships and becoming self-sufficient. This can include job training programs, financial literacy training, and support with accessing public benefits.

Interventions for Housing: Housing interventions aim to provide safe and stable housing options for victims and their children who have been impacted by domestic violence. This can include emergency shelters, transitional housing, and long-term affordable housing solutions.

Interventions for Cultural and Social Change: Interventions aimed at cultural and social change aim to shift societal attitudes and beliefs about domestic violence, and to promote gender equality and respect for all individuals. This can include public education campaigns, media advocacy, and community-based programs that promote healthy relationships and non-violent forms of conflict resolution.

There are a variety of interventions that can be used to reduce the impact of domestic violence on victims, families, and communities. These interventions should be tailored to meet the specific needs of the individual, and may involve a combination of individual, community, and systemic approaches. It is essential that these interventions are provided in a safe, supportive, and non-judgmental environment, and that they are accessible and culturally

appropriate for all members of the community.

Conclusion: Domestic violence is a complex and serious issue that affects millions of individuals and families across the world. The impact of domestic violence on children and families can be devastating, affecting their physical and psychological health, education, and future prospects. However, with the right interventions, the impact of domestic violence can be reduced, and victims can receive the support they need to heal and rebuild their lives. A comprehensive approach to reducing the impact of domestic violence requires a variety of interventions that address the root causes of domestic violence, as well as its immediate and long-term impacts. These interventions should be culturally and geographically appropriate, accessible to all members of the community, and implemented in a way that promotes the safety, dignity, and autonomy of victims and their families.

References:-

1. Chemtob, C. (2004). Psychological effects of domestic violence on children and their mothers. Journal of Stress Management, 11(3), 209-226.
2. Graham-Bermann, S., & Hughes, H. (1999). The impact of domestic violence and emotional abuse on children: The intersection of research, theory, and clinical intervention. Emotional Abuse, 1(2), 1-16.
3. Øverlien, C. (2010). Children exposed to domestic violence. Journal of Social Work, 10(1), 80-97.
4. Adams, C. (2006). The consequences of witnessing family violence on children and implication for family counselors. The family journal: Counseling and therapy for couples and families. 14:4,334-341. DOI: 10.1177/1066480706290342.
5. Beller, L. (2015). When in doubt, take them out: Removal of children from victims of domestic violence ten years after Nicholson v. Williams. Duke journal of gender law and policy, vol. 22:205.

****

Arranged Marriages in India

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - Arranged marriages are a common practice in India and are usually conducted by families. In an arranged marriage, two families decide to unite their children in marriage. The bride and groom may or may not have met prior to the wedding and may or may not be related by blood. The practice of arranged marriages in India is a centuries-old tradition that has had a significant impact on the culture, social structures, and economy of the country. This paper examines the history of arranged marriages in India, the cultural and social significance of arranged marriages, the economic impact, and the contemporary trends and alternative forms of arranged marriages. It also discusses the advantages and disadvantages of arranged marriages in India. Arranged marriages in India are rooted in cultural and social traditions and are seen as a way to ensure compatibility between families and preserve cultural and social heritage. They have a significant impact on the economy, both in terms of the cost of weddings and the role that arranged marriages play in the wedding industry. In recent years, the practice of arranged marriages in India has been undergoing significant changes, with alternative forms of arranged marriages such as online arranged marriages and semi-arranged marriages becoming increasingly popular. While arranged marriages come with both advantages and disadvantages, they remain an important part of Indian culture and society.

Keywords- Arranged Marriage, Indian Society, Social Norms, Inter-Caste Marriages, Dowry System, Gender Roles, Marital Happiness, Cultural Aspects, Marriage Practices, Family Pressure, Forced Marriages, Parental Consent, Marriage Law, Love Marriages, Conflicts in Marriages, Religion and Marriages, Pre-Marital Relationships.

Introduction - The practice of arranged marriages is deeply rooted in Indian culture. Parents often view marriage as a way to strengthen the family's social and economic ties. In most cases, the parents of the bride and groom try to identify a suitable partner for their child. This could involve searching for a suitable match within the same caste or religion, or even within the same village or town.

Once a suitable match is found, the families meet and discuss the marriage. In some cases, the bride and groom may also meet before the wedding. This is known as an informal meeting or "tea". During the discussion, the families will assess the compatibility between the bride and groom, including their likes and dislikes, family background, and education.

The marriage ceremony itself is usually a lavish affair and includes a lot of rituals and customs. Depending on the family's beliefs, the bride and groom may be required to exchange garlands or rings, and the bride may be expected to wear a traditional sari. The marriage is usually officiated by a priest and the families exchange gifts.

Arranged marriages in India are still widely practiced, although they are gradually becoming less common. An increasing number of young people are now opting for love marriages, in which the bride and groom choose their own partners. Nevertheless, arranged marriages in India are still an important part of the culture and are likely to remain so for many years to come.

Historical Overview: The practice of arranged marriages in India can be traced back to ancient Hindu scriptures, which laid the foundations for the tradition. In the past, arranged marriages were often between families of the same caste or social status, and the parents of the bride and groom played a central role in the selection of the partner.

In the medieval period, the practice of arranged marriages became more formalized, with families seeking partners for their children from within their own social and cultural circle. This was done to maintain social and cultural traditions and ensure compatibility between families. The concept of dowry, in which the bride's family provides a financial settlement to the groom's family, became an established tradition in India during this period.

In the colonial period, the British introduced new social and economic norms in India, which had an impact on the practice of arranged marriages. For example, British education systems and economic systems began to play a role in the selection of partners, with parents often seeking partners for their children who were educated and financially stable. The concept of love marriages, in which individuals chose their own partner, also emerged in India during this period.

Despite these changes, the tradition of arranged marriages in India has remained strong and continues to play an important role in Indian society. Today, arranged

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

marriages are still widely practiced in India and are seen as a way to ensure compatibility between families and preserve cultural and social traditions. The practice of arranged marriages continues to evolve, with families now using modern technology and communication methods to find suitable partners for their children.

Cultural Significance: Arranged marriages in India hold significant cultural importance, as they are deeply rooted in the cultural and social traditions of the country. The tradition of arranged marriages is based on the belief that marriage is a lifelong commitment between two families and not just between two individuals. This belief has been passed down from generation to generation and is considered to be a cornerstone of Indian culture.

Arranged marriages in India also serve to preserve the cultural and social traditions of the families involved. Families often prefer to arrange marriages between families of the same caste or religion, as this helps to maintain social and cultural traditions. For example, families from a Hindu background may prefer to arrange marriages between Hindu families, while families from a Muslim background may prefer to arrange marriages between Muslim families. This helps to preserve the cultural and religious heritage of the families involved.

The cultural significance of arranged marriages in India is also reflected in the traditional wedding ceremony, which is often a grand affair that involves the entire family and community. The wedding ceremony is considered to be an important event that marks the beginning of a new chapter in the lives of the bride and groom and their families.

The tradition of arranged marriages helps to preserve the cultural and social traditions of the families involved and serves as an important aspect of Indian culture. Whether in its traditional form or in alternative forms, arranged marriages in India are likely to continue to play an important role in the cultural and social fabric of the country.

Social Factor: Arranged marriages in India are influenced by a wide range of social factors, including education, income, religion, and family dynamics. In India, a high premium is placed on education and wealth, and parents are often more likely to arrange marriages between families that have similar levels of education and income. This helps ensure that the couple will be economically compatible and able to provide for their family.

Religion also plays a significant role in arranged marriages in India, with many families preferring to arrange marriages within their own religious community. This helps to ensure that the couple will share similar values and beliefs, which can be important for maintaining a strong and stable marriage.

Family dynamics are also an important factor in arranged marriages in India. For many families, the arrangement of a marriage is an opportunity to strengthen family ties and build relationships with other families. The family's reputation and status within the community is often tied to the success of the marriage, and families are often willing to invest significant time and resources to ensure that the marriage is a good match.

The role of women in arranged marriages in India is also influenced by social factors. Traditionally, women in India were expected to be submissive and obedient in their marriages. However, in recent years, women in India have become more assertive and independent, and are increasingly seeking more autonomy and control in their marriages. This shift in attitudes is reflected in the changing nature of arranged marriages in India, with many families now seeking partners who are more compatible and supportive of their daughters.

Economic Importance: Arranged marriages in India have a significant impact on the economy, particularly in terms of the cost of weddings. Weddings in India are a major event and can be very expensive, with families often spending large sums of money on food, decorations, and entertainment. The cost of a wedding in India can be substantial, and families are often expected to provide substantial financial contributions to the wedding.

In arranged marriages, families are often more likely to arrange marriages between families that have similar levels of income and wealth. This helps to ensure that the families are economically compatible and reduces the risk of financial strain on the marriage. Arranged marriages also help to maintain the wealth and property of the families, as the families of the bride and groom are often more likely to support each other in times of financial difficulty.

The wedding industry in India is a major contributor to the economy, with a significant portion of the population employed in the wedding industry, including caterers, florists, photographers, and wedding planners. The wedding industry in India generates billions of dollars in revenue each year, and the practice of arranged marriages is a major driver of this industry.

Arranged marriages in India have a significant impact on the economy, both in terms of the cost of weddings and the role that arranged marriages play in the wedding industry. The practice of arranged marriages helps to ensure compatibility between families and helps to maintain the wealth and property of families, making it an important economic institution in India.

Contemporary Trends: In recent years, the practice of arranged marriages in India has been undergoing significant changes and trends. Some of the most notable contemporary trends in arranged marriages in India are discussed below.

1. Growing Independence of Young People: With increasing access to education and exposure to different cultures, young people in India are becoming more independent and assertive in their choices. Many young people now prefer to meet potential partners on their own, rather than relying on their families to arrange marriages for them. This trend is especially noticeable among urban, educated, and upwardly mobile individuals.

2. Emergence of Online Platforms: The rise of technology and the internet has had a significant impact on the practice of arranged marriages in India. Online platforms have emerged that connect families and individuals looking to arrange marriages. These platforms provide a more efficient and convenient way for families to find suitable partners for their children, while also providing more freedom and autonomy to the individuals involved.

3. Emphasis on Personal Compatibility: One of the most notable trends in arranged marriages in India is the increasing emphasis on personal compatibility between the couple. While social and economic compatibility between families is still important, young people are now placing a higher value on personal compatibility, including shared interests, values, and lifestyle. This trend is a reflection of changing attitudes and values among young people in India.

4. Increased Focus on Women's Empowerment: Another notable trend in arranged marriages in India is the increased focus on women's empowerment. In the past, arranged marriages in India were often based on patriarchal and unequal power dynamics, with women having limited autonomy and agency. However, in recent years, there has been a growing recognition of the need to empower women and ensure that they have a voice in the decision-making process.

The practice of arranged marriages in India is undergoing significant changes and trends in response to changing attitudes and values among young people, as well as the influence of technology and globalization. While the traditional form of arranged marriages is still prevalent in India, alternative forms of arranged marriages, such as online arranged marriages and semi-arranged marriages, are becoming increasingly popular. These contemporary trends in arranged marriages reflect a changing and evolving society, and are likely to continue to shape the practice of arranged marriages in India for many years to come.

Alternative Forms of Arranged Marriages: In recent years, alternative forms of arranged marriages have emerged in India. One of the most popular alternative forms of arranged marriages is the "love-cum-arranged" marriage, in which the couple has fallen in love with each other and then seeks the approval of their families for the marriage. This type of arranged marriage combines the best of both worlds by providing a love-based foundation for the marriage, while also ensuring compatibility between families.

Another alternative form of arranged marriages in India is the "professional arranged marriage", in which families use professional matchmakers to help find a suitable partner for their children. This form of arranged marriage provides a more modern and efficient approach to finding a suitable partner, while still ensuring compatibility between families. Additionally, many families in India are now using technology to arrange marriages. Online platforms such as matrimonial websites and apps are becoming increasingly popular and are helping to streamline the process of arranged marriages. These platforms allow families to search for potential partners based on a variety of criteria, including religion, caste, education, and income. This type of arranged marriage provides a more efficient and effective way of finding a suitable partner, while still ensuring compatibility between families.

Alternative forms of arranged marriages in India are providing new and innovative ways for families to arrange marriages for their children. These alternative forms of arranged marriages provide more freedom and autonomy to the couple, while still ensuring compatibility between families. As technology continues to evolve and become more accessible, it is likely that alternative forms of arranged marriages will become even more prevalent in India.

Advantages and Disadvantages:

Advantages:

1. Family Support: One of the biggest advantages of arranged marriages is the strong support system that comes from both families. This can provide a sense of security and stability for the couple, and can also provide a source of comfort and assistance in times of need.

2. Families Compatibility: Arranged marriages ensure compatibility between families, which is important for ensuring the long-term success of the marriage. This compatibility is often based on factors such as social status, education, and income, which are important for maintaining a healthy and harmonious relationship.

3. Cultural Preservation: Arranged marriages help to preserve cultural and social traditions, which can be important for maintaining a family's identity and heritage. This can be particularly important for families who wish to maintain their cultural traditions in the face of globalization and cultural assimilation.

4. Reduced Pressure on the Couple: Arranged marriages can reduce the pressure on the couple to find a partner on their own, which can be a difficult and stressful process. By relying on the support of their families, the couple can focus on building a strong and lasting relationship.

Disadvantages:

1. Lack of Personal Compatibility: One of the main disadvantages of arranged marriages is that the couple may have limited freedom to choose their own partner, which can lead to a lack of personal compatibility and intimacy. This can result in a lack of emotional connection and a sense of disconnection between the couple.

2. Reduced Personal Freedom: Arranged marriages may limit the personal growth and independence of the individuals involved, as they are expected to conform to the expectations and traditions of their families. This can result in a lack of personal freedom and a sense of being trapped in the relationship.

3. Increased Pressure on the Marriage: Arranged marriages often come with high expectations and pressure from both families, which can be a significant burden on

the couple. This pressure can result in a sense of stress and tension, which can negatively impact the health and stability of the marriage.

4. Lack of Emotional Connection: Arranged marriages can sometimes lack an emotional connection between the couple, which can result in a lack of intimacy and closeness. This can be particularly problematic for couples who are not compatible or who have different personal and cultural values.

Arranged marriages in India come with both advantages and disadvantages. It is important for couples to carefully consider these factors before making a decision about whether or not to enter into an arranged marriage. Ultimately, the success of an arranged marriage will depend on the individual personalities and compatibility of the couple, as well as the support and understanding of their families.

Conclusion: In conclusion, arranged marriages are a traditional and common practice in India that hold significant cultural, social, and economic importance. The practice of arranged marriages helps maintain cultural and social traditions, ensures compatibility between families, and helps ensure the long-term success of the marriage. Arranged marriages in India are rooted in cultural and social traditions and help to preserve cultural and social heritage, while also providing families with a sense of security and stability. The practice of arranged marriages has a significant economic impact, both in terms of the cost of weddings and the role that arranged marriages play in the wedding industry. The practice of arranged marriages is also undergoing significant changes, with alternative forms of arranged marriages such as online arranged marriages and semi-arranged marriages becoming increasingly popular. While arranged marriages come with both advantages and disadvantages, they remain an important part of Indian culture and society and are likely to continue to be so for many years to come.

References:-

1. “Indian arranged marriages: A social psychological perspective” By: Tulika Jaiswal, ISBN: 9781317694090, April 2014.
2. Adams, Bert N. 2010. “Themes and Threads of Family Theories/ : A Brief History.” Journal of Comparative Family Studies 41(4):499–505.
3. Bhandari, Parul. 2017. “Towards a Sociology of Indian Elites: Marriage Alliances, Vulnerabilities, and Resistance in Bollywood.” Society and Culture in South Asia 3(1).
4. “The Decline of Arranged Marriage? Marital Change and Continuity in India” By: Keera Allendorf and Roshan K. Pandian, Popul Dev Rev. 2016 Sep; 42(3): 435–464.
5. “Love, Arranged Marriage, and the Indian Social Structure” By: Giri Raj Gupta, Journal of Comparative Family Studies Vol. 7, No. 1 (SPRING, 1976), pp. 75-85 (11 pages).

****

Ngo's and State in Neo Liberal Era

Dr. Archana Singh*

Abstract - In the era of neo-liberalism the role of the non-governmental organizations in the development process emerging. In this paper a Analytical discussion about the non-government organization, their role in development programmes and challenges they faces in India.

Introduction - The neo-liberalism advocating free markets, the efficient use of public resources. A reduced role for the state and the need for good governance is a mainstream approach to development based on a linear view of problems and solutions.

Development however, is far from linear. It is an on going process that occurs both within and in response to the international contexts which exists during each period of its evolution. During the 1980s the bilateral and multilateral institutions that promoted the NLP and which provided the bulk of development assistant were being increasingly criticized for the lack of a 'social safety net' and the negative impacts of their programs on the poor. As such a mechanism for addressing these concerns was needed preferably one which supported the move towards the private sector. Non-government organization with their celebrate capacity for innovation, dedicated and visionary leaders, focus on the poorest of the poor strength in mobilizing and including popular group adaptability and cost-effectiveness in implementing projects seemingly fitted perfectly into the gaps. The result was a new recognition of their role in development and increasing concern about their account ability, legitimacy and effectiveness.

In recent years increasing emphasis has been placed on the role that NGOs will play in development and democratization process. The NGOs have been known for their virtues for human touch dedications, flexibility, self-reliance and nearness to the community.

There is a considerable apprehension amongst intellectualism India about the relationship between the state and voluntary associations which has always been a tenuous one.

India has had a great tradition is philanthropic activates social services and voluntarily work. Apart from the instinct of philanthropy inherent in the Indian philosophy and culture dating back to the ancient times, a large number of charitable and voluntary institutions have emerged in India in the last two centuries to help the poor the destitute, the down trodden, the handicapped and the weaker sections of the society, Mahatma Gandhi's movement for national independence in the early part of this century was rooted in the ideal of social reconstruction self help and the upliftment of the poorest of the poor the untouchables through voluntary actions. Indeed, soon after independence Gandhi's followers and other who could not on did not wish to join the government on the ruling party established a number of voluntary organizations to work closely with governmental programmes meant for diverse social strata from Harijans and tribals to stun dwellers for setting up important sections of a mixed economy the development strategy adopted by the government.

NGO's became prominent especially after the 1970s, partly because of the limited success of the earlier development, policies of the government. The need for micro level institutions to involve the people in formulation, implementation and monitoring of the programmes is therefore, stressed in several quarters. Development practitioners, government officials and foreign donors consider the NGOs by virtue of being small scale, flexible, innovative and participatory are more successful in reaching the poor and in poverty alleviation.

NGOs can be classified under four broad categories, operational or assort NGOs, support NGOs, network NGOs and funding NGO's. Grassroots NGOs directly work with the oppressed section of society. Support NGOs provide services that would strengthen the capacities of grassroots NGOs. Umbrella or network NGOs (such as Fevord-K) Federation of Voluntary organization in Karnataka) are formal associations or informal groups of grassroots and or support NGOs which meet periodically on particular concerns. The primary activity of finding NGOs is provide funds for grassroots NGOs. The NGOs have been known for their virtues for human touch, dedication, flexibility, meliance self reference and nearness to the community. The seventh five year plan documents envisaged a greater role of the NGOs in the implementation of development.

In India, the important of various NGOs in certain specific areas are indeed discernible. Since the logining of 1970s a number of NGOs have emerged in India which have raised very crucial issues of environmental policies.

*Associate Professor (Political Science) MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

NGOsoperations starting from the Chipko Andolen. Save the silent valley compaign, the anti-tehri Dam study committee save Narmada movement, Anti Barisal project movement and Bhopal gas disaster relief committees have made a considerable impact on the policy of the government in respect of environmental security. Another area in which the NGOs have been quite successful in influencing the policy outcome of he government has been in the field of the welfare and development of women. The women's NGO have been involved in organizing women securing their association and implementing development programme implementing, development programs devising, strategies for empowering them, changing the existing social structures and raising the statues of women and equal partners with men in the Indian society. Organization like all India women conference, Bhartiya Gramin National memorial trust, self-employed women's association have been quite active in raising women's issues and working for the upliftment of women. NGOs have been quite effective in rural development arras Amul cooperatives which is India largest agri-business and runs India's biggest dairy project have functioned as a registered a society. Similarly, many of the cooperatives and federations in the areas of the cooperatives of handloom, handicrafts and cottage, industries like the Khodi village, industries commission have been very active in influencing governmental policies for promotion of handlooms.

Despite all, there are number of problems confronting the NGOs. An important problem of the NGOs of all types is spatial limitation that is NGO development projects remains little more than dots on a map hack of good guilt phenomenon, inability to reach the poorest, Antagonistic attitude towards the state, palliative nature of service provision, limited ability to influence in aero -policies lack of accountability, problem realted to funding for NGO due to these problems NGOs in India go out of existence prematurely.

In short, India is a pluralist society and because of big size of the country and the multitudes of pluralist groups as the target of voluntary actions, a healthy competition between the NOGs is a natural condition for their success. However, because of various souo-economic and political factors, there is considerable unhealthy competition and division among them which needs to be minimized.

References:-

1. Bedi Narinder (1999), "Development of powere" in D. Raja Sekhar (ed.) Decentralized government and NGOs issues strategies and ways forward Delhi. Concept
2. Bhat MK (1999), sustainability and local governance in D. Rajasekhar (ed.) decentralized government and NGO' issues strategies and ways forward. Delhi concept.
3. Jain RB (2004), Public administration in India 21st century challenges for good governance, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi-110027
4. Kothari, Rajni 'NGOs the state and world capitalism economic and political weekly, vol. 21 No. 50, 13 December, 1988, P-2177

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Indian English Women Short Story Writers : An Overview

Dr. Shiraz Ahmed*

Abstract - In the history of Indian English Literature among the most distinguished Indian Writers in English are women. They are not the invisible Writers in a literary tradition but those whose works have been critically acclaimed and extensively used in class rooms and lecture halls. They owe their high visibility to delineate social complexities and ambiguities especially those effective the selfhood of Indian Women. Although few of the Indian Women Writers in English are conscious experimentalists, those like Anita Desai have attained a new level of psychological complexity in story-telling and technical innovation. It is undeniable that the emergence of the Indian Women novelists, especially Kamala Markandaya, Nayantara Sahagal and Anita Desai on the Indian fictional scene has added a new dimension to Indian fiction.

Introduction - The Indian Women short story Writers in English show incipient or pronounced feminism in portraying women characters which is, perhaps traceable to their individual stance on man-woman relationship or reading of the psychology of human relations. In most of short stories by Indian Women Writers, they have portrayed self-sacrificing spirit of Indian Women in general.

The present paper is an attempt to highlight the achievements and limitations of Indian English Women short story Writers with particular emphasis on some of the more important ones in the field.

A Brief Analysis of Shashi Deshpande's short stories : It would do well to begin with Shashi Deshpande whose creative talent and accomplishment are striking enough to have elicited more critical notice than they have done till now. She has four volumes of short stories and an equal number of novels to her credit. This is perhaps because she is by nature shy of publicity but also because of her rather conventional attitude to her themes Shashi's heroines are conscious of their predicament : they are victims of inequality they are the ones who are unfairly abused, misused and ill-used. But they believe in conformity and compromise for the sake of the retention of domestic harmony rather than revolt which might result in the disruption of familial concord. Shashi as laeeq Futehally puts it, "Writes about the middle class Indian Women and their feelings not as their champion but as their articulator." *"The Inner Rooms"* narrates the tragic tale of the historical character Amba who is forced to Commit Suicide out of sheer frustration resulting from male chauvinism and hostile social code of conduct. She cannot marry Salvo whom she loves and Vichitraveerya rejects her because she loves Salvo and Bhimshma is a confirmed bachelor and so won't marry her. Amba's predicament is paradigmatic : Women is the suppressed and oppressed; rebellion would mean ostracism; so the only way out is suicide.

In "*The Awakening"* we have the picture of a young girl, Alka, who keeps resenting her father's poverty till she comes to know of the long hard life he has all along been leading for the family's sake. She repents her insensibility sets aside her dreams of freeing herself from her situation and grows into maturity. "Tears rolled down. But they were not the tears of childhood. They were the first tears of adulthood bitter salty and painful." Acquiescence and not revolt is the keynote struck here.

A similar note is struck in "I want" The protagonist resents the insensitivity of all around her to her feelings about her wedding. No one seeks her opinion – neither the father nor the fiance. They has no doubt a job to support her and so she could have rebelled but she yields if only in the interest of security. She gives up her job as her fiance wants (as the title of the story indicates he is out and out selfish and aggressive) and becomes a wife by compromise rather than choice.

Likewise in the stories "A Day like Another" Antidote to Boredom and Intrusion" and the wives do not revolt for the sake of domestic comfort and security. It has taken years to build up their relationship and they do not want to break it in minutes, even if it means pain for them. The wives do not revolt for fear of disturbing the clam tenor of their lives, because the Indian domestic set-up is so built that women cannot protest.

Shashi's stories are primarily woman-centred. Her thematic concerns are guilt, failure loneliness – in brief, woman in her different roles as wife, mother, daughter and as a human being in a society whose mores and conventions are rigidly conditioned by man. Shashi's Women consciously suffer. Her fictional world are no doubt

*Lecturer, Govt. Degree College,Surankote, Distt. Poonch (J&K) INDIA

aware that they are victims of inequality but they prefer suffering to rebellion and sacrifice to revolt in the interest of familial harmony. Shashi's stories reflect social reality as it is. She does not suggest how it ought to be she gives no facile solutions.

A Brief Analysis of Dina Mehta's Stories : Dina Mehta is not as prolific writer as Shashi Deshpande but she is no less significant as a Woman Writer. The chief thematic concern of her stories is Woman's sense of anguish and alienation that result from her acute consciousness of man's perfidy and her struggle to achieve emacipation from traditional constraints and orthodox morality and achieve a conscious identity for herself. In fact, Dina's vision of woman predicament is shaper and deeper than Shashi's. Whereas Shashi's Woman characters invariably believe in compromise and relapse into tame domesticity for the sake of security and comfort Dina's counterparts register their protest in varying degrees of intensity. Why should woman alone be expected to be tied down to time-honoured values of docility and chastity? She may as well shed her passivity and rebel against these musty values. That is how some of Dina's characters agitate and revolt and refuse to be suppressed by subordination and exploitation. Dina's Women characters in her lone collection of stories. "The other women" are modern and they protest against social conformity.

Shanti the amateur housewife-writer in – "The Fastidious Wife" is so deeply steeped in traditional womanly virtues that she refuses to accept the American Writer's suggestion to incorporate an extramarital affair into her new novel to make it appear more realistic. But when she sees that her own husband's lunchean-meetings to discuss high finance are, his acts of flirtation, she is shocked and disillusioned she cries out "I don't want to suffer; I don't want to feel pain," and decides on refashioning the book of her life.

"Absolution" is an utter feminist creation. Not satisfied with his continued acts of infidelity towards his docile, chaste and devoted wife Sita, Ram celebrates his lapses with triumphant glee by presenting her with varities of flowers to mark them. When she is shocked into a recognition of her husband's perfidy, Sita retorts. She yields to the temptations posed by Ram's friend Dilip and burst out of womanly faithfulness and days of long suffering patience, and presents her husband with a glowing bouquet of red carnations in glad and chaotic abundance. The story emphatically questions the validity of conventional womanly virtues such as duty chastity and submission in the context of man's violation of these values.

The rest of Dina Mehta's stories offer variations on the same theme of man-woman relationships. She is more pronounced in her feministic stance than Shashi Deshpande. Her style in normally simple and spontaneous. She can vary her narrative strategy according to the thematic need of the story.

A Brief Analysis of Kamala Das's Short Stories : Kamala Das's reputation rests on her poetry and autobiography. she has one volume in English- "A Doll for the child prostitute." What is most striking about Kamala Das's stories is that they capture life in the raw with no touch of sentimentality or obscenity. In all these stories she is preoccupied with the theme of pain in one form or another. As T.N. Geetha puts it :

"Pain resulting from loveless Living – aches dulled by routine,
Sobs stilled by unfeeling society, Life blighted by disease and death,
doodness soured into harshness by callous necessity – such are the themes of her stories which have the effect of disturbing the readers complacency and heightening his awareness of the misery around him."

The best part of "A Doll for the child prostitute" is the tithe story which deal with juvenile prostitution in all its horror and ghastliness. It offers a series of snapshots highlighting the pitiful life of a bunch of child prostitutes in a world stinking with pain and poverty disease and darkness, and misery and helplessness.

The inmates of the brothel – all of them iromically named after goddesses, Radha, Rukmani, Sita, Saraswati and Mira shut up in their murky hell, have poignant tales to tell. Mira for instance fails to realise that she being a prostitute can not indulge in the luxury of love and marriage. Irresistibly drawn to Krishna a young college student who loves her equally intensely she dreams : "Yes he is my husband. He is called Krishna..... Is it not strange that I cam Mira and he is Krishna ?" Ignorant of the ways of the world as they are they elope but it proves to be just a short idyll. Mira is forced to return to the brother. For girls like Mira conjugal felicity could only be a phantom and never a reality.

The story of Rukmani a mere slip of a girl, still ignorant of the horrors involved in the profession, makes painful reading. The following snatch of conversation between her and Sita a little older brother-mate, reveals the horror of her situation poignantly :

"I cannot sleep in the day" said Rukmani, Sita laughed loudly and held on to her stomach as though it was out to burst. "You are so innocent. Do you think we can sleep at night in this house ? We shall all be so busy entertaining the visitors"

"Visitors at night?" asked Rukmani. "Who will come at night ?"

Mira said, "Men come to do things here"

"What things" asked Rukmani. She was thinking of her step father and the pain she had experienced..."

The enormity of the sexual cruelty and brutality that these little innocent girls are subjected to is evident from what Sita says cryptically :

"Men are real dogs"

Thus we find that the dominating theme of Kamala Das' stories in man-woman relationship and the various discordant notes that are stuck in familial relations. Even if

we take only the little story into consideration, it is evident that Kamala Das's contribution to the quality of Indian English short story is quite considerable.

A Brief Analysis of Anita Desai's Short Stories : Anita Desai stands out from the ordinary run of Indian English fictionists insofar as she has pioneered the psychological novel in which writer's overriding concern is with "the psychological convulsions and travails of conciousness" of characters rather than "The dialectic of manners and morals" Her penchant for psychological exploration seems to find more satisfying expression in her stories than in her novels.

The little story is an interesting study in child psychology. It traces the "Contours and corners of a little boys ego." The graphic picture of Raghu's initial dream of the dark and spooky hiding place giving room for his injured ego's pain resulting from the neglect he suffers at the hands of his playmates is a convincing proof of Anita Desai's ability to probe into the working of a child's mind subjected to strains and stresses.

In "Studies in the parks" Anita Desai accomplishes the difficult feat of concretising the movement of adolescence into adulthood. The boy feels hurt because he feels that his elders repeatedly pester him to study well and pass examinations not because they are really interested in him but because they want him to secure a job. This has a deadening effect on the boy and makes him feel he is alienated from his family. But this love starved boy grows into adulthood when he has a glimpse of a couple lovingly exchanging caresses in a park. This vision symbolises for him internal love and the result is that he comes to treat life as a "Search" and not a "race"

In "Pineapple Cake" we have the picture of a crude and crazily greedy woman as contrasted with that of her sensitive son. Though the child has been pestering her mother for a cake he cannot eat one when it is offered because someone had died in the house. The cake assumes the form of a corpse to his sensitive eyes whereas the matter-of-fact mother grabs it with this little incident Anita Desai shows the growth of a little child into an adult nd the decadence of an adult into a child.

Anita Desai establishes herself as distinctly different from other Indian English Writers primarily because she unlike most of them is interested in picturing what her characters think and feel rather than what they do or fail to do. In other words her concern with her characters is vertical rather than horizontal. Her style is normally simple and taut and at tunes run rhythmic and lyrical. She is capable of using evocative images and expressive smiles. However her occasional choice of unusual words gives an uneasy feeling to her readers.

Some Other Women Short Story Writers : Thanks primarily to the Writers Workshop we have a host of single volume women short story writers with varying degrees of potentiality and accomplishment. Their literary output in far from substantial but they do merit some critical attention.

Sujatha Balasubramnian's "The House in the Hills" contains eighteen stories with characters drawn from villager as well as high society. Sujatha displays a high degree of central over the form of the short story. The economy she exercises in the use of language makes for the distinctiveness of her stories. "The Zamindar of Pallipuram" probably her best story, maintains that a great mind may remain unchanged inspite of changing material circumstances. The old Zamindar is as colourful and generous in adversity as he was in generous.

Sunita Jain has produced two short collections – "A Woman is Dead and "Eunch of Time" Man's infidelity and the resultant pain of woman in domestic life is the major theme of Sunita stories. Women characters are portrayed as tradition – bound and passive and therefore unable to revolt Sunita thus resembles Shashi Deshpande rather than Dina Mehta. Besides being lucid, her language is often capable of achieving great lyrical effect.

Sadiqa Peerbhoy's lone collections of stories, "Faces in a Crowd" establishes her as a promising writer. Her women characters like those of Shashi suppress their hurt if only in the interest of maintaining stable domestic life. Sadiqa does not clutter her stories with too many characters and that is a virtue. And her ability to proble into the mends and motives of her characters in her forte.

An adopt at structuring her stories neatly and compactly Prema Shashi has produced only one volume of short stories. "The Blue Convertible and Other Stories" distinguished for its wide thematic range. The most memorable story in the collection is "Flowers by Fraser" which in its surprise ending is clearly reminiscent of O. Herny's stories.

Jai Nimbkar is another perceptive writer who has authored two novels – Temporary Answers" and "Joint Venture" – and one volume of stories, "The lotus and other stories" Most of her stories are based on contemporary Maharashtrian life. Her most memorable story is "Mother" where in the focus is on the stark realistic of life which, however thickly stark, cannot arrest the flutters of a maternal heart.

There are a number of other women short stories writers in the field – Raji Narasimhan, Lakhmi Kannan, Malathi Rao, Veera Sharma, Shailja Ganguli, Meera Subramanian and a few others. All of them are single-volume authors and that makes their assessment rather difficult.

Conclusion: The foregoing rapid discussion suggests that Indian English Women short story writers contributions to the short story is substantial enough to deserve a full-length critical work. They have shown varying degrees of competence in handling the form of the short story and realising verbal structures to suit the portrayal of complex human relationships especially of the man-woman variety. Not all of them may have achieved distinctive command on their medium but many of them have achieved striking economy, unity of effect and sometimes even thematic

integrity in their stories. In view of this it is rather surprising that critical evaluation of the Indian English short story has not gone beyond C.V. Venugopal's perceptive survey "The Indian Short Story in English which was published four decades ago. It is high time our critics thought of a fresh one and that should naturally include an evaluation of our women short story writers especially Shashi Deshpande, Dina Mehta, Kamala Das, and Anita Desai.

References :-

1. Laeeq, Futehally, Rev. of the legacy, by Shashi Deshpande, Indian Book Chronicle, Jan. 1982, P. 24
2. Shashi Deshpande, The fegacy and other stories (Calcutta : Writers Workshop, 1978), P. 26
3. Dina Mehta, The Other Women and Other Stories (New Delhi, Vikas, 1981), P.65
4. T.N. Geetha "Women Short Story Writers in Indian Writing in English" Diss., Gulbarga University, 1989, PP.18-19.
5. Kamala Das, A Doll for the Child Prostitute (New Delhi : Orient Paperbooks, 1976), PP.32-33.
6. Ibid, p.13
7. Ibid, p.13
8. T.N. Geetha "Women Short Story Writers in Indian Writing in English" Diss., Gulbarga University, 1989, P.48.
9. Ibid, p.48

****

भारतीय समाज में व्याप्त राष्ट्रीयता का साहित्य

हितेश कुमार*

शोध सारांश –भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना अपने पारंपरिक ज्ञान के कारण अविरल रूप से चलती आयी है। जिसका अप्रतिम उदाहरण रामायण और महाभारत काल के राम और कृष्ण के माध्यम से समूची जनता अपने अन्त:करण में आत्मसात कर चुकी है। जो भारतीय समाज की दृढ़ता व धार्मिक चेतना का अनूठा संगम है। जिसमें गोते लगाने वाली भोली जनता नव निर्माण व राष्ट्रीयता की प्रेरणा तद्युगीन राम-कृष्ण आधारित साहित्य से गृहण करती है। उसी प्रेरणा का जागृत रूप वर्तमान समय में हिन्दी साहित्य के हर एक कवि के कण्ठ का स्वर बना । तथा इसकी परिणिति के रूप में ब्रिटिश काल में भारतीय चेतना अत्यंत बलवती हुई और अत्याचारी विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए भारत के कण-कण में व्याप्त वंदे मातरम का स्वर राष्ट्रचेतना का जयगान करने लगा।

प्रस्तावना– राष्ट्रीय चेतना किसी भी देश का अंगभूत घटक है। एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र के निर्माण के लिए जन-मानस में जागृति, निष्ठा एवं समर्पण भाव का होना आवश्यक है। अधुनातन समय में राष्ट्रीयता एक प्रबल शक्ति एवं प्रभावशाली प्रेरणा है। देश की रक्षा तथा स्वाभिमान के लिए उच्च कोटि का शौर्य तथा अखण्ड वीरवृत व बलिदानी भावना राष्ट्रीय चेतना के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। राष्ट्रीयता, निवास कर रहे मानव को एकता, अखण्डता तथा विश्वबंधुत्व की भावना से जोड़ती है, एक निरंतर विकासशील राष्ट्र के लिए उसके प्रति सम्यक चेतना उसे मजबूती प्रदान करती है। राष्ट्रीय भावना का नूतन स्वरूप आधुनिकता के फलस्वरूप अस्तित्व में आया, जिसके लिए समाज में शिक्षा के प्रसार कार्य अत्यंत लाभकारी साबित हुए। वास्तव में शिक्षा ही सर्वोदय का आधार स्तम्भ है, राष्ट्र निर्माण एवं चेतना के विकास के लिए शिक्षा माध्यम बनकर समाज में बद्ध जड़ता, अंधविश्वास, कुरीतियां एवं जाति पाति की भावना व साम्प्रदायिकता से मुक्ति पाना सम्भव हो सकेगा। सभी विकारों से मुक्त स्वस्थ समाज ही राष्ट्र की समुन्नति एवं जागृति के लिए परमावश्यक है। राष्ट्र की चेतना अपनी अप्रतिरथ शक्ति के कारण युगीन परिस्थितियों के ढ़ाचे में ढलकर आधुनिक तेवर के साथ 'राष्ट्रवाद' के रूप में प्रस्तुत होता है।

'राष्ट्रवाद' के लिए अंग्रेजी शब्द 'नेशन' की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'नेशियो' शब्द से हुई है। जिसका अर्थ जन्म या जाति से होता है। इस आधार पर सामान्यत: कुछ लोगों का आशय यह है कि एक भौगोलिक सीमा में निवास करने वाली बहुसंख्यक एक जाति विशेष की भावना से संबद्ध भावनात्मक संगठन ही राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्र का आशय इतना संकुचित नहीं है, जैसा सामान्यत: समझा जाता है। किसी भी देश की आंतरिक संरचना उसकी राजनीतिक चेतना में अंतर्निहित होती है, जो किसी निश्चित भूखंड की सीमा में निवास करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता को ग्रहण करता हो। राष्ट्र का मुख्य आशय स्वयं पर शासन करने वाली जाति से है, जिसका अपनी निश्चित भौगोलिक संरचना से भावनात्मक संबंध होता है। जिनका जन्म एक ही नस्ल से हुआ है, जहाँ भाषा वेश-भूषा, रीति रिवाज एवं अन्य सांस्कृतिक पहचान उस राष्ट्र से संबद्ध होती है। इस संबंध मे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, कि 'राष्ट्र मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग है, जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से बँधा हुआ एक सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा रखता हो।'[1]

'राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र-प्रेम एवं भक्ति भावना से ओत प्रोत विचारधारा से है। राष्ट्रीय चेतना किसी भी देश की जातीय तथा समाज सम्पृक्त प्रेम समन्वित भक्ति व श्रद्धा से परिपूर्ण धर्म के रागरंग में डूबा समवेत स्वर है। इस संबंध में अनेक राष्ट्रवादियों तथा समाज चिंतकों ने राष्ट्र को सांस्कृतिक एकता व धर्म विशेष में रचे बसे भौगोलिक ढ़ाचे के रूप में माना है जो उस देश की अस्मिता एवं उसकी पहचान को दर्शाता है। राष्ट्रीयता के संदर्भ में बालगंगाधर तिलक ने अपना मत प्रस्तुत किया है, उनका मानना है कि य'ईश्वर और हमारा देश अलग-अलग नहीं है, हमारा देश ईश्वर का ही एक रूप है।'[2]

भारत जैसे राष्ट्र के संदर्भ में यह कहना भी इतना समीचीन प्रतीत नहीं होता कि एक राष्ट्र के लिए भाषा, धर्म, रंग-रूप, वेष-भूषा, साम्प्रदायिक रूप से अनेक होने पर भी राष्ट्रीयता वहाँ के जनमानस की आत्मा में निवास करती है। भारत जैसी मानवता की भूमि संस्कृतियों का पालना, राष्ट्रीय चेतना को विविधता में एकता का समरूप स्पष्ट करती हुई स्वयं को परिभाषित करती है। सार रूप में राष्ट्र कवि दिनकर के निबंध भी इस भावपूर्ण भक्ति का बोध कराती है।

'हिन्द देश के निवासी, सभी जन एक हैं।
रंग-रूप वेश-भाषा, चाहे अनेक हैं।'[3]

साहित्य युगीन परिस्थितियों के बीच समाज का चित्रपट है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व बौद्धिक चेतना प्रतिबिंबित होती हैं। साहित्य समाज का तटस्थ दृष्टा है वह एक दर्पण की भांति उन सभी घटनाओं का दर्शन कराता है, जिनका व्यवहार मनुष्य द्धारा दैंनदिन किया जाता है। साहित्य देश, काल वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप नए कलेवर मे प्रस्तुत होता रहता है। वह समाज का यथार्थ चित्रण करते हुए मनुष्य के स्वस्थ मनोरंजन का निर्माण भी करता है, तथा मानवीय संवेदनाओं को ग्रहण करने व समाज के प्रति सहानुभूति रखने वाला ज्ञान भी है प्रति-पल घटने वाली घटनाओं, लोकव्यवहारों का जीता जागता प्रतिबिंब है। बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंधों में साहित्य एवं लोक की भावनाओं

*आर/ओ कामसर एच.नंबर 169 वार्ड नंबर 3 तहसील हवेली, जिला पुंछ (जम्मू और कश्मीर) भारत

के विकास से जुड़ा हुआ पाया है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।'[4]

साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर हिन्दी पद्य एवं गद्य साहित्य में आधुनिकता के परिणामस्वरूप 18 वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव में अंकुरित हुआ था तथा 19 वीं शताब्दी के अभ्युदय होते ही जोर पकड़ने लगा। इससे पूर्व पश्चिमी साहित्य जगत में फ्रांस की राज्यक्रान्ति एवं अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों में उपनिवेशवाद एवं शीतयुद्धों के समय राष्ट्रीयता की लहर समूचे विश्व में यत्र-तत्र दिखाई देने लगी। हिन्दी साहित्य में भी 18 वीं शताब्दी में पुर्नजागरण अपने स्वरूप को विस्तार देने लगा। तमाम अन्तर्विरोधों के कारण नवजागरण के रूप में साहित्यिक रचनाओं में बुद्धिवाद, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, लोक कल्याणकारी भावनाओं के पुष्पित और पल्लवित होने के लिए स्थान खोजने लगे, इसी के मध्य भारत में भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए छटपटाहट तेज होने लगी, जो अनेक स्तरों पर हिन्दी साहित्य के प्रत्येक काल खण्ड में अपने नये कलेवर के साथ प्रस्तुत हुई। जिसके अनेक कारण सामने आने लगे, देश में फैले अनाचार, जाति-पाति, सामन्तवादी समाज व्यवस्था के द्वारा जर-जर होती मानव जाति का अस्तित्व हासिये पर खड़ा था। वहीं दूसरी ओर औद्योगिकता के फलस्वरूप अंग्रेजों की शोषणवादी नीति के कारण जनता को जाग्रत होने के लिए स्थान मिल गया। उससे चौतरफा हर क्षेत्र में क्रांति को जन्म लेने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

सामाजिक व राजनीतिक क्रांति के बढ़ते स्वरूप ने समाजवादी और राष्ट्रवादी चिंतन में किसानों की उपस्थिति को दर्ज कर दिया। जिससे देश के कोने कोने में किसान आंदोलन व मजदूर आंदोलन प्रस्फुटित होने लगे। इन्हीं अनेक संघर्षो ने जनता की मनोभूमि में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की ज्वाला भड़का दी, इसी क्रम में अंग्रेजों ने भय सशंकित होकर अपनी दमनकारी नीति को जमीन पर उतारा, उन्होनें भारतीयों पर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में खुद को असमर्थ महसूस करने लगा। अंग्रेजों ने कृषि जैसी आधारभूत व्यवस्था को चौपट कर दिया। अनेक कर व लगान थोप दी गई। जिसमें किसान ऋण के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने लगा। पीड़ित होने लगा। देश में सर्वत्र बेकारी लाचारी के सिवा और कुछ भी न था। समाज की इसी दुरावस्था ने कवि वर्ग को उद्‌भुद्ध कर दिया। उसकी वाणी अनायास ही अपने देश की दुर्गति पर रूदन करने लगी। जैसा भारतेन्दु स्वयं समाज की पीड़ा से व्यथित होकर कह उठ सकते हैं।

'रोवहू सब मिलि, आवहु भारत भाई।
हा! हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई।।'[5]

अंग्रेजों की अस्पष्ट व्यापार नीति, देशवासियों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर टैक्स व अन्य प्रतिबन्ध लगाने लगी, यहाँ तक कि नमक जो सहज रूप ये प्राप्त होने वाली प्राकृतिक वस्तु है। उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया, इसके परिणाम स्वरूपमहात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता अंग्रेजों से असहमति व्यक्त करने लगी। लोकशक्ति के आह्वान में स्वदेशी का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग तेज हो गई।

'गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वायसराय को पत्र लिखकर इस सम्बंध में सूचना दे दी। 12 मार्च को गांधी जी दाण्डी यात्रा के लिए चल पड़े। 5 अप्रैल को उन्होंनें दाण्डी पहुँचकर नमक कानून तोड़ा गया। आंदोलन काल में प्रेमचन्द लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के पास ही रहते थे। कांग्रेस का दफ्तर उनके घर के पास था। अमीनुद्दौला पार्क में स्वयं सेवक नमक बनाते थे। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे। प्रेमचन्द गांधी जी के नमक सत्याग्रह के समर्थक थे। वे स्वयं अपने हाथों से स्वयं सेवकों को खद्दर का कुर्ता और टोपी पहनाकर नमक बनाने के लिए भेजते थे।'[6]

प्रेमचन्द युग के समानान्तर द्विवेदी युगीन कविताओं में अनेक रूपों में समाज और राष्ट्र के प्रति चेतना देशभक्ति की अन्यान्य धाराओं में प्रवाहित होने लगी। राष्ट्रीयता की समिधा समाज के राजनीतिक व सांस्कृतिक पुनरूत्थान के लिए मुख्य लक्ष्य बनकर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रूप में क्रांति का बिगुल बजाने लगी। कविवर नाथूराम शर्मा शंकर ने देश की जागृति के लिए अपनी कविता यशंकर सर्वस्व' में लोकहृदय के लहू की गति तीव्र कर दी। जिससे प्रभावित होकर वीर पुत्रों की टोलियां स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति बनने के लिए उत्साहित होने लगी।

'देश भक्त के वीरो मरने से नेक नहीं डरना होगा।
प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।'[7]

ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए समाज और संस्कृति का उत्थान परम आवश्यक था। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसका कल्याण, अतीत का गौरव, वर्तमान का सुख, भविष्य के स्वर्णिम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार है।

वस्तुतः भारत समस्त सभ्यताओं की जन्मस्थली एवं राष्ट्रीयता की भावना का संवाहक है। उसकी संस्कृति और परम्परा का गुह्य ज्ञान अपनी सार्थकता पुरातन काल से सिद्ध करता आया है। इसी युग में अनुशासनबद्ध काव्यधारा भी देश जागरण के लिए संस्कृतिपरक राष्ट्रगायन भारत-भारती के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा था। इसी संबंध में राष्ट्रकवि गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के सुनहले इतिहास की अभिव्यक्ति दी-

'भू लोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है।
उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है।'[8]

द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में साहित्य के स्तर पर छायावादी काव्य भारतीयता के चिंतन में देश-प्रेम का अमरदीप जन-जन के हृदय में जगमगाने लगा। जिसकी प्रस्तुति प्रसाद जी के नाटकों विशेषकर 'चन्द्रगुप्त' में देश-प्रेम का समवेत स्वर जन-कंठ से स्वतंत्रता की मुखर तान प्रकटित करने लगा।

'हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।।
अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो।
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलोबढ़े चलो।।[9]

निष्कर्ष-भारतीय लोक चेतना में साहित्य और समाज के विभिन्न स्तरों में अपनी जातीयता और मातृभूमि के प्रति निष्ठा, प्रेम और बलिदान की भावना प्रबल इच्छाशक्ति के साथ देश के बालक, वृद्ध युवा नारी के हृदय दिखाई देती है। और यह अत्यंत आवश्यक भी है। राष्ट्रीयता के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, डॉ. अमरनाथ, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली।
2. वही, पृ0 301

3. हिन्दी के प्रतिनिधि निबन्ध, संपादक: प्रो0 नीरजा टंडन, अंकित प्रकाशन, चन्द्रावती कालोनी पीलीकोठी हलद्वानी, पृ0 157
4. वही, पृ0 145
5. हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक: डॉ. नगेन्द्र, सह–संपादक डॉ. हरदयाल, मयूर पेपर बैक्स एस. आर. बी., 43 ए शिप्रा रिवेरा, ज्ञान खंड इंदिरा पुरम, पृ0 442
6. अमृतराय प्रेमचंद: कलम का सिपाही, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 458
7. हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक: डॉ. नगेन्द्र, सह–संपादक डॉ. हरदयाल, मयूर पेपर बैक्स एस. आर. बी., 43 ए शिप्रा रिवेरा, ज्ञान खंड इंदिरा पुरम, पृ0 477
8. वही, पृ0 477
9. जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, (सं0–रत्नशंकर प्रसाद) प्रसाद प्रकाशन, प्रसाद मंदिर, गोवर्द्धन सहाय वाराणसी।

****

वासना

डॉ. हजारी लाल मौर्य*

प्रस्तावना – जिस प्रश्न का समाधान नहीं मिलता या सूझता उसे अपने मस्तिष्क के एक कोने में भविष्य के लिए पड़ा रखना कई अन्य लोगों की तरह मेरी भी आदत है। कामायनीकार ने 'काम' के बाद पाँचवा वर्ग 'वासना' लिखा। आखिर क्यों? यह अनसुलझा सवाल पीएच.डी. के दौरान मार्क्सवाद को आत्मसात करते हुए भी अनसुलझा ही रह गया था। हमारे ज्ञानीजनों एवं ऋषि-मुनियों ने यकाम' को ही भयंकर आलोचना करके हेय बना दिया तब वासना की तो बात ही क्या? यकामायनी' में यवासना' को यप्रसाद' ने उचित महत्व दिया? यह औचित्य समझ में अब आया।

'सादा जीवन उच्च विचार' को मैं एक खोखला आदर्श मानते हुए सूक्ष्म की तुलना में स्थूल (भौतिक) को ही महत्व देता रहा हूँ। सोवितय संघ के विभाजन के बाद मेरे पूँजीवादी मित्र जोर-शोर से बजनी तर्क देते रहे हैं कि साभ्यवाद एक मृत विचार हो गया है। मेरे कुछ 'राष्ट्रवादी' मित्रों ने जो तीन दुश्मन मान रखे है उनमें ईसाइयों और इस्लामियों के बाद कम्यूनिष्ट ही हैं। अवसर मिलने पर कम्यूनिज्म को कोसने के बहाने वे मेरी भी मरम्मत करते रहते हैं। मित्र सम्भवत: यह भी मानते रहे होंगें कि जनता के सामने केवल उच्च विचार (आदर्श) परोस कर न केवल सत्ता प्राप्त की जा सकती है बल्कि दीर्घकाल तक भोगी भी जा सकती है। मित्रों की लगन से शुद्ध यगैर कांग्रेसी' 'अटलजी' सत्ता के शीर्ष तक विडम्बनापूर्ण कामयाबी के साथ पहुँचे भी लेकिन सत्ता के सत्य से सामना होते ही सूक्ष्म की तुलना में स्थूल की ओर झुकना ही पड़ा। बहुराष्ट्रीय कम्पनी विरोध, रामराज्य का आदर्श, स्वदेशी पक्ष आदि को न केवल छोड़ना पड़ा बल्कि इनके विरोध में लिये गये निर्णयों का औचित्य धमकी तक देकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा कि जनता को विज्ञान के इस युग में अधिक दिनों तक स्थूल से वंचित कर सूक्ष्म के झुनझुने से बहलाया नहीं जा सकता।

'फायर' के विवाद ने देश के प्रत्येक बुद्धिजीवी को इसके पक्ष या विपक्ष में मत निर्माण हेतु मजबूर किया। इस फिल्म की विषयवस्तु जानने की जिज्ञाषा शान्त करने के लिए अपने कर्मस्थल कोटपूतली के ही एक टाकीज में जाने की हिम्मत बुजुर्ग मित्रों को लेकर जाने पर ही हुई। अधिकांश जनता में 'बदनाम' फिल्म देखने के लिए हॉल की बालकनी तक की यात्रा मेंमेरी कक्षाओं के अध्ययनशील विद्यार्थियों के बीच में से तय करना चोरी के अभियान से कम 'खतरनाक' नहीं थी। दीपा मेहता ने परिवार में नारी उपेक्षा के सवाल को उठाकर 'वासना' के प्रश्न को पुन: ताजा कर दिया।

कुद दिन पूर्व बम्बई और अन्य जगहों की वेश्याओं ने अपने को वेश्या कहे जाने पर अपमानित समझ कर 'यौनकर्मी' सम्बोधित किये जाने की माँग की तो देश के बुद्धिजीवियों और बुद्धिकर्मियों ने यौन कर्म को आदि व्यापार कह कर सहानुभूति दर्शाते हुये इस माँग का समर्थन विभिन्न पत्रों में किया था।

आदर्शवादियों को कम्यूनिष्टों का नारी सौन्दर्य के प्रति प्रेम फूटी आँख भी नहीं सुहाता बल्कि कम्यूनिष्टों की आलोचना के लिए इसे हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। 'विवाह' नामक संस्था के प्रति भी मार्क्सवादी सूक्ष्म दृष्टि का पक्ष नहीं लेते स्थूल का पक्ष लेकर विवाह को एक ऐसा सौदा करार देते हैं जिसमें स्त्री अपनी यौन आजादी बेच कर पुरूष की आर्थिक आजादी खरीद लेती है। पूँजीवादी आदर्शवादियों की यह विडम्बना ही है कि असाम्य का पक्ष पोषण करते हुए जिस घटना को आदि व्यापार कहकर महिमा मण्डित करते हैं वैसी ही दीर्घकालीक घटना को दो आत्माओं का मिलन आदि कह कर उक्त परिभाषा का विरोध करते हैं।

वासना के प्रति मूल प्रश्नों पर आने से पूर्व इतनी बड़ी भूमिका मुझे इसलिए बनानी पड़ी है कि बचपन से लेकर आज तक वासनामय जीवन को हेय एवं त्याज्य ही सुनता आया हूँ। आज फिर से सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है कि क्या महाकवि प्रसाद, दीपा मेहता, मार्क्सवाद और देश के जीवन में स्थूल को प्रतिष्ठापित किये जाने की आवश्यकता आदि के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष श्रेय व प्रेय नहीं है?

मूल प्रश्न है कि (क) वासना क्या है? (ख) व्यक्ति के जीवन में वासना का क्या स्थान है? (ग) सामाजिक जीवन में वासना की क्या भूमिका है? और (घ) वासना ने मनुष्य के जैविक उत्परिवर्तन में क्या भूमिका निभाई है?

वासना की इस परिभाषा से पूँजीवादी आदर्शवादी एवं मार्क्सवादी दोनों ही सहमत दिखाई देते है कि सन्तानोत्पत्ति हेतु साधे गये पुरूषार्थ यकाम' के अतिरिक्त समस्त यौन व्यापार एवं सहवास यवासना' है। विवाद व्यक्ति और समाज के निर्माण में वासना की भूमिका को लेकर है। सभी गैर मार्क्सवादी विचारक वासना को हेय, घृणित और अधोगामी जानकर त्याज्य कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति का ध्येय रखने वाले धार्मिक एवं योग साधना कर कुण्डलिनी जगाने वाले लोग तो वासना को ही अपना एक मात्र शत्रु मानते हैं।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार वानर से नर बनने की प्रक्रिया में एक मात्र कारक श्रम है उसी प्रकार नर से मानव बनने की प्रक्रिया में एक मात्र कारक वासना है। वानर से मनुष्य बनने की यात्रा में मनुष्य जब अपने हाथों को मुक्त कर पाया होगा और इसके अनुकूल जैविक उत्परिवर्तन मनुष्य के अंगों में हो चुके होंगे तो निश्चय ही नारी ने पुरूष की तुलना में अपने को अक्षम पाया होगा। भोजन के लिए 'सर्वाइवल आव द फिटेस्ट' की प्रतियोगिता में अपनी अक्षमता पहचान कर, विशेष रूप से गर्भकाल एवं मातृत्व काल में, नारी ने निश्चय ही पुरूष से सहायता की अपेक्षा की होगी

* सह-आचार्य (हिन्दी) राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.) भारत

जिसके प्रतिदान में पुरूष ने ऋतुचर्या के अतिरिक्त भी यौन संतुष्टि चाही होगी। यही रहा होगा विश्व का आदिव्यापार। तब से आज तक जमाने बदले, समाज बदले, समाज की नियन्त्रक संस्थाएँ, शक्ति, नीति, धर्म और राजनीति क्रमश: बदल कर एक दूसरे का स्थान लेती गयी। राज्य के प्रकार बदले। उत्पादन के साधन बदले। एक पर एक दर्शन आये और गये परन्तु यह समझौता आज भी अपने इसी रूप में कायम है। पुरूष कमाता है बैल की तरह और बदले में स्त्री से, हर हाल में चाहता है यौन संतुष्टि। परिवार बढ़ता है जिम्मेदारी बढ़ती है और हिंसक तथा आक्रामक पुरूष मजबूत एवं पालतू पशु की तरह दमतोड़ देता है। पुरूष का अहम कतई बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पालिता विवाह से पूर्व या विवाह के बाद अन्य पुरूष से सम्बन्ध बनाये। पुरूष अपनी यौन असन्तुष्टि भी बर्दाश्त नहीं करता। फ्रायड ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि यह समस्त जीवन काम व्यवहार की क्रिया प्रतिक्रिया ही है। काम पीड़ित व्यक्ति रुग्ण मानसिकता में जीता है और समाज में हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि के रूप में रोग फैलाता है। हर हाल में यौन संतुष्टि देने के विरुद्ध नारीमन जब विद्रोह करता है तो यप्रसाद' उत्तर देते है–

'क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रुजल से अपने,
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने।
आँसू से भीगे अंचल पर मनका सब कुछ रखना होगा।
तुमको अपनी स्मित रेखा से यह सन्धि पत्र लिखना होगा।'

पशु जीवन वासनामयी नहीं होता अत: उनका समाज भी नहीं होता। मानव समाज की जननी वासना ही है। आदर्शवादी मानव को जब पशु से भी हीन करार दे रहे होते हैं तो भूल जाते है कि पशु जिम्मेदार परिवारी एवं सामाजिक नहीं होते है। जिस भावना का नाम प्रेम है, जिस अनुभव को ईश्वर तुल्य माना गया है, जो अनुभव आत्मा को अथाह आनन्द में डुबो देता है, जिस अनुभव एवं भाव पर विश्व का समस्त साहित्य एवं कलाएँ अवलम्बित हैं वह महाभाव या महारस वासना ही है। वासना की उत्पत्ति की प्रथम और एक मात्र शर्त है अप्राकृतिकता अर्थात् सामाजिकता। इसी अप्राकृतिकता ने मनुष्य को यौनांगगोपन सिखाया, लज्जा और व्रीडा सिखाई और विवाह जैसी संस्था वरदान में दी। स्थूलता में इस अलौकिक अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए प्रसाद कहते है–

पूर्व जकन्म कहूँ कि था स्पृहणीय अतीत
गूँजते जब मदिर घन में वासना के गीत।

लज्जा वासना का उत्पादन है। मानव उत्परिवर्तन के इतिहास में लज्जा ही रजोस्त्राव के रूप में प्रकट हुई। रजोस्त्राव मनुष्य की सामाजिकता में ही सम्भव है। जन्तु विज्ञानी इसे 'वीपिंग आव द ओवरी' (गर्भाशय का रोना) कहते हैं। समाज में इतनी वासना के बावजूद रजोस्त्राव होना आश्चर्य लगता है लेकिन 'लज्जा' को समझने पर यह रहस्य भी अनसुलझा नहीं रह जाता है।

विश्व इतिहास में कुन्ती और मरियम दो ऐसी नारियाँ है जिन्होंने वासनामय जीवन की तुलना में प्राकृतिकता पसन्द की। दोनों के पुत्र अपने दिव्य जीवन के बावजूद अपनी माताओं के इस 'कलंक' से अपमानित जीवन जीने के श्राप को झेलते रहे। महाभारत से पूर्व कुन्ती कर्ण को अपने मातृत्व की दुहाई देकर युद्ध से रोकती है। कर्ण माँ को जो उत्तर देता है वह 'माता कुमाता न भवति' को असत्य सिद्ध करता है। प्राकृतिक माँ सामाजिक माँ के सामने बौनी साबित हुई। आज साढ़े तीन हजार वर्ष बाद भी भारत की कोई कुन्ती मरियम जैसी हिम्मत जुटाने में असमर्थ है। पूर्व और पश्चिम का यही मूल सामाजिक भेद् है। पश्चिम में आज हजारों मरियम है पूर्व में हजारों कुन्तियाँ। यही आने वाले हजारों वर्षो का भविष्य भी है। वासना जिस रूप में अंगीकार की गई वैसा ही परिणाम भी देगी। समाज की स्थूलता ही मन का भी निर्माण करती है। इसलिए उच्च विचार के लिए उच्च जीवन आवश्यक है। हवा में महल न बना सकने की मजबूरी मेरे आदर्शवादी मित्र समझें।

विज्ञान ने हमें भोग की सुविधा दी है। जनता अधिक दिनों तक भोग, सुख या आनन्द से वंचित नहीं की जा सकती। जीवन ठोस भौतिकी पर आधारित है। स्त्री पुरूष की उपेक्षा करके या पुरूष स्त्री की उपेक्षा करके परिवार को तोड़ तो सकते हैं जोड़ नहीं सकते। नारी सौन्दर्य पुरूष की आवश्यकता है बहुत काल तक इससे मुख नहीं मोड़ा जा सकता। स्त्री की कसौटी पर ब्रह्मचारी और जनखे दोनों ही निरर्थक हैं। ब्रह्मचारी का घमण्ड भी व्यर्थ है क्योंकि उसकी साधना का अन्तिम लक्ष्य वही समाज है जो वासना की उपज है। बौद्धों का दो सौ वर्षो का ब्रह्मचर्य जब टूटा तो एक हजार साल तक अधिक वासना ग्रस्त होकर वाममार्गी साधनाओं में बहता पिघलता रहा और अन्त में बौद्ध धर्म को ही इस देश से उखड़ना पड़ा।

वासना नर (पशु) को व्यक्ति (सभ्य मानव) बनाती है। वासना मनुष्य के हृदय में जलने वाली दाहहीन रंगीन ज्वाला है। प्रसाद के शब्दों में–

'चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानन्द
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छन्द,
अग्निकीट समान जलती है भरी उत्साह,
और जीवित है न छाले हैं न उसमें दाह।'

प्रसाद आगे कहते हैं कि इस व्यापार में स्त्री पुरूष अपना ही आनन्द प्राप्त करते हैं–

'आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम
पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम
आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान
विश्व नारी सुन्दर नारी! जगत का मान।'

अन्त में वासना के इस व्यापार में नारी की ओर से प्रसाद के ही शब्द–

'किन्तु बोली क्या आज का समर्पण हे देव।
बनेगा चिर बन्ध नारी का हृदय हेतु सदैव
आह मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूँगी दान
वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्रान?'

(कामायनी के वासना सर्ग से)

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वानर से नर बनने की प्रक्रिया, एंजील्स
2. कामायनी, जयशंकर प्रसाद
3. कामायनी, जयशंकर प्रसाद
4. कामायनी, जयशंकर प्रसाद
5. कामायनी, जयशंकर प्रसाद

****

अनु. जाति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : एक विश्लेषण

डॉ. नीरजा शर्मा *

शोध सारांश – भारतीय लोकतंत्र, सार्वजनिक निर्णय निर्माण का पक्षधर है। जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु सामाजिक- राजनीतिक- आर्थिक क्षेत्रों में समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय इसकी शर्त है। राज्य में स्थित समस्त संगठनों ने जन साधारण की गरिमा को समान अधिकारों की व्यवस्था द्धारा महत्व देना लोकतंत्र की विशेषता है। समान अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान को एक आदर्श लोकतांत्रिक संविधान का दर्जा देती है जो लोकतंत्र के सदस्य को सचेतन राजनीतिक सहभागिता हेतु प्रेरित करती है। राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में सार्वजनिक हित के लक्ष्यों हेतु विकल्पों का विवेक सम्मत चयन करता है तथा मतव्यवहार और राजनीतिक गतिविधियों से सहभागिता दर्शाता है। इस प्रक्रिया में वह सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया व नेतृत्व को प्रभावित करता है।

संविधान में वर्णित आदर्शो की वास्तविकता पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि अशिक्षा, निर्धनता, सामाजिक, राजनीतिक भेदभाव से पीड़ित भारतीय समाज के समक्ष राष्ट्रीय समता के आदर्श की स्थापना अभी दिवा स्वप्न की भांति है। मुख्य धारा से पूर्णत: विलग वर्गो की लोकतंत्र के प्रति आस्था व सहभागिता को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती तथा लोकतंत्र के समग्र विकास में सहायक लक्ष्य है।

प्रस्तावना –भारत में निवास करने वाले प्रत्येक वर्ग के स्त्री-पुरूषों को समान अधिकार तथा सहभागिता के समान अवसर प्रदान करने हेतु संविधान के भाग 3 तथा 4 में वर्णित आदर्शो का निष्पक्ष तथा सार्थक क्रियान्वयन आवश्यक है। प्राचीनकाल से प्रचलित पितृसत्तात्मकता समाज के पटल से अभी विलुप्त नहीं हो पाई है। महिलाओं हेतु किए गए वैधानिक प्रावधानों के उपरान्त भी सामाजिक भेदभाव से इन्हें मुक्त करना चुनौती बना हुआ है। लैंगिक भेदभाव की त्रासदी को झेलने की विवशता के साथ जातीय भेदभाव का समावेश तो इस वर्ग को 'दलितों में दलित' बना देता है।

सामाजिक-राजनीतिक न्याय की राह देखता अनु0 जाति महिलाओं का विशाल वर्ग एक स्पष्ट वास्तविकता है जो सामाजिक पदसोपान द्धारा लागू पारंपरिक प्रतिबंधों व विषमता के कारण मुख्य धारा से दूर है। आधुनिकता तथा सामाजिक परिवर्तन का दावा करने वाले गैर दलित पितृसत्तात्मक समाज ने अनु0 जाति महिलाओं को शहरों में असंगठित मजदूर तथा गांवों में भूमिहीन श्रमिक की स्थिति से उठने ही नहीं दिया। निरन्तर अवहेलना तथा सामाजिक दुर्व्यवहार की शिकार अनु0 जाति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तथा मतव्यवहार एक स्वप्न सदृश्य है।

लोकतांत्रिक विकास व्यक्तियों तथा समुदायों को उनके परिवेश का अतिक्रमण करने का आश्वासन देता है। इस रूप में अनु0 जाति महिलाएं अपने परिवेश का बंधन तोड़ने हेतु व्याकुल हैं किन्तु उनके प्रति व्यक्तिगत भेदभाव तथा पूर्वाग्रह एक सामाजिक वास्तविकता है। जो अभिशाप के रूप में उनके सामाजिक-राजनीतिक विकास पर हावी हैं।

राजनीतिक विकास का विचार लोकतंत्र तथा सहभागिता पर बल देता है। राजनीतिक सहभागिता जो किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया, मतदान, निर्णय, निर्धारण, सूचना प्राप्ति में सक्रिय भूमिका का पर्याय है। यह जाति तथा लिंग आधारित पक्षपात तथा उपेक्षा के शिकार दलित महिला वर्ग में सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण तथा दलीय विचारधारा व कार्यक्रमों के प्रति बोध उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण साधन है। संविधान में वर्णित समान मताधिकार, राजनीतिक सहभागिता की व्यवस्था, कार्यालयों में नियुक्तियाँ तथा रोजगार की समानता के प्रावधानों का महिला सशक्तिकरण के पक्ष में निष्पक्ष क्रियान्वयन आवश्यक है। अनु0 जाति महिलाओं को मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विधि के समक्ष समानता, पुरूषों के समान आजीविका की व्यवस्था, समान कार्य हेतु समान वेतन तथा कार्य करने की न्यायपूर्ण मानवीय परिस्थितियों को व्यवहृत करने की आवश्यकता है।

दलित महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति – लिंग आधारित विषमता, पितृसत्तात्मक शक्ति संबंधों द्धारा उत्पन्न होकर जातिगत पक्षपात द्धारा बनी रहती है। जो संरचनात्मक असमानता उत्पन्न करती है। जाति तथा पितृसत्तात्मकता के बल पर हाशिए की ओर धकेल कर इन महिलाओं को प्रतिदिन अमानवीय व्यवहार तथा भाषाई दुर्व्यवहार द्धारा अपमानित किया जाता है। और इनके आधारभूत मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। इनका राजनीति में प्रवेश उच्च जाति समूहों द्धारा सार्वजनिक सत्ता स्त्रोत छिन जाने के भय के रूप में देखा जाता है। फलस्वरूप दलित महिला उम्मीदवारों को चुनाव में सम्मलित होने से संघर्षपूर्वक रोका जाता है। यदि वे निर्वाचित हो जाएं तो उनके विरूद्ध शीघ्र ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें पद से हटा दिया जाता है।

अनु0 जाति महिलाओं को प्रॉक्सी उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तुत करके प्रभुत्वशाली राजनीतिक चुनावी अभियंत्रण करते हैं। इनकी गरीबी तथा अशिक्षाजनित सुभेद्यता का शोषण किया जाता है। उन्हें नामांकन के समय से चुनावी परिणाम तक कई प्रत्यक्ष अवरोधों जैसे उनकी राजनीतिक क्षमता की उपेक्षा, सामाजिक उत्पीड़न तथा अवैधानिक मित्या मतदान प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। कुछ महिला नेत्रियों द्धारा वर्गहित के संबंध में अपना पक्ष राजनीतिक सम्मेलनों में रखने पर उनकी उपेक्षा की जाती है और कार्यबाधा उत्पन्न करने हेतु उन्हें सूचना तथा सहयोग देने से मना किया जाता है। परिणामस्वरूप वे प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं बन पाती

* एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी श्री जया कॉलेज, भरतपुर (राज.) भारत

तथा जाति और लैंगिक दायित्वपूर्ण विकास हेतु अपनी योग्यता के साथ समझौता कर लेती है। दलित महिलाएं विकास योजनाओं तथा विकास कोषों का दुरूपयोग मूक बनकर देखने को विवश होती हैं, जो समाज में विकास के विस्तृत भेद के रूप में परिणामित होता है।

लोकसभा में दलित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति – लोकतंत्र के लोकप्रिय सदन में दलित महिलाओं की उम्मीदवारी का अवलोकन करने पर स्पष्टगत है कि कुल जनसंख्या के 16.2 प्रतिशत दलित जनसंख्या की तुलना में दलित सहभागिता का प्रतिशत अत्यल्प रहा है। वर्ष 1952 से 2009 तक कुल 15 लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या 59 केवल 2009 के चुनावों में रही जहां 12 दलित महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (12वीं तथा 15 लोकसभा में) रहा। 15वीं लोकसभा में यह संख्या कुल महिला प्रतिनिधियों का लगीाग 20.3 प्रतिशत है तथा कुल अनुसूचित जाति के 84 सदस्यों का 14 प्रतिशत है जो आधे से भी कम है। 12 अनुसूचित जाति की महिलाएं लोकसभा के कुल 545 सदस्यों का मात्र 2.2 प्रतिशत है जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हेतु नकारात्मक स्थिति स्पष्ट करती है। 1952 के प्रथम चुनाव में दलित महिलाओं की संख्या मात्र 4 थी जो 57 वर्षीय चुनावी इतिहास में अभिवृद्धि होकर मात्र 12 तक पहुंच सकी। यह भारत में समानता के नगण्य विकास के स्तर को अभिव्यक्त करता है। लोकसभा में दलित महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति अग्र तालिकाओं द्धारा स्पष्ट हैं :–

लोकसभा में दलित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति – विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय सदन में दलित महिलाओं की उम्मीदवारी का अवलोकन करने पर स्पष्टगत है कि कुल जनसंख्या के 16.2 प्रतिशत दलित जनसंख्या की तुलना में दलित सहभागिता का प्रतिशत अत्यल्प रहा है। वर्ष 1952 से 2009 तक कुल 15 लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या 59 केवल 2009 के चुनावों में रही जहां 12 दलित महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (12वीं तथा 15 लोकसभा में) रहा। 15वीं लोकसभा में यह संख्या कुल महिला प्रतिनिधियों का लगभग 20.3 प्रतिशत है। तथा कुल अनुसूचित जाति के 84 सदस्यों का 14 प्रतिशत है जो आधे से भी कम है। 12 अनुसूचित जाति की महिलाएं लोकसभा के कुल 545 सदस्यों का मात्र 2.2 प्रतिशत है जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हेतु नकारात्मक स्थिति स्पष्ट करती है। 1952 के प्रथम चुनाव में दलित महिलाओं की संख्या मात्र 4 थी जो 57 वर्षीय चुनावी इतिहास में अभिवृद्धि होकर मात्र 12 तक पहुंच सकी। यह भारत में समानता के नगण्य विकास के स्तर को अभिव्यक्त करता है। लोकसभा में दलित महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति तालिकाओं द्धारा स्पष्ट है:

तालिका 1(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि जाति की महिलाओं के साथ इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त नहीं हो सके हैं। राजस्थान में जनसंख्या का 17.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति में से महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत होने के उपरान्त भी विधानसभा में इन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 1980 से वर्ष 2008 तक अनुसूचित जाति की औसत संख्या 32 रही जिसमें से महिलाओं की औसत संख्या मात्र 3 रही जो अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की कमी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि राजस्थान विधानसभा में दलित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति नकारात्मक है जो 0.5 प्रतिशत के साथ विकासोन्मुखी सहभागिता एवं अभिव्यक्ति देने में असमर्थ है। पिछले दो चुनावों की स्थिति राजस्थान में महिलाओं तथा दलित महिलाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता के सकारात्मक संकेत प्रस्तुत करती है।

तेरहवीं विधानसभा वर्ष 2008 में अनु0 जाति महिलाएँ – तेरहवी विधानसभा के चुनावों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात हुता है कि अनु0 जाति महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले वर्षो की तुलना में सर्वाधिक 8 रहा जो वर्ष 1998 तक 1 तथा 2003 में मात्र 3 था। 1980 से 2008 तक के अध्ययन से स्पष्ट है कि सातवी, दसवी, ग्यारहवीं विधानसभा में एक–एक अनुसूचित जाति की महिला प्रतिनिधि रही। वर्ष 2003 में इसमें न्यूनतम वृद्धि होकर यह संख्या 3 तक पहुंची जो कुल अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का मात्र 0.09 प्रतिशत है। 13वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि होकर यह संख्या भी सर्वाधिक 29 रही जिससे राजस्थान विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित होती है। यहां अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल 200 विधायकों का मात्र 4 प्रतिशत तथा कुल महिलाओं का मात्र 27 प्रतिशत तथा कुल अनुसूचित जाति के सदस्यों का मात्र 23.5 प्रतिशत है।

स्पष्ट है राजस्थान में अनु0जाति महिलाओं को 4 प्रतिशत के साथ राजनीति में सहभागिता तथा अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां उनके प्रतिनिधित्व की स्थिति में नगण्य वृद्धि हुई है जो एक लोकतांत्रिक देश में अनु0जाति महिला सहभागिता व सामाजिक राजनीतिक समानता हेतु अपर्याप्त है। 2008 के चुनावों की स्थिति से हम इस क्षेत्र सकारात्मक वृद्धि हेतु आशान्वित हो सकते हैं

राजनीति में अनु0 जाति महिलाओं की न्यून सहभागिता के कारक – अनु0 जाति महिलाओं का पुरूषों से पृथक समाजीकरण उनमें राजनीतिक सक्रियता के प्रति पृथक मापदंड उत्पन्न करता है। वे राजनीतिक सहभागिता को महत्व ही नहीं दे पाती। उनकी सामाजिक तथा पारिवारिक स्थिति तथा आर्थिक साधनों पर उनके अधिकार भी निम्नस्तरीय राजनीतिक भागीदारी के कारण को स्पष्ट करते हैं। परिवार में निर्णयकारी स्थिति व स्वतंत्रता के अभाव में वे मूक बनकर निरन्तर शोषित हो रही हैं।

सामाजिक लोकतंत्रीकरण के अभाव में शिक्षा से वंचित अधिकांश महिलाएं आरक्षण की सुविधा से अनभिज्ञ हैं। इनकी सामाजिक–आर्थिक प्रास्थिति तथा राजनीति में प्रवेश और चुनाव लड़ने हेतु आवश्यक साधनों की अनुपलब्धि उनकी राजनीतिक अभिरूचि की प्रतिरोधक है। अनु0 जाति वर्ग की महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थानीय शक्ति–राजनीति तथा पारिवारिक दवाब, पुरूष प्रधान राजनैतिक सामन्तवाद है। राजनीतिक दलों द्धारा बहुत कम संख्या में अनु0जाति महिलाओं को चुनाव लड़ने हेतु नामांकित किया जाता है। मतदान में बडी संख्या के बावजूद निर्णय निर्माण में उनकी संख्या न्यून है। राजनीतिक दलों द्धारा उन्हें वोट बैंक के रूप में ही देखा जाता है। पुरूष प्रधान योजना आयोग व नीति निर्माण संसथाओं तथा अन्य वैश्वीकृत और राष्ट्रीय संगठनों ने महिलाओं के वास्तविक स्वरूप को भुला दिया तथा उन्हें स्वार्थपूर्ति हेतु रबड़ की मुहर की तरह काम में लिया है।

ग्राम सभाओं तथा स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं विशेषत: अनु0 जाति महिला वर्ग को हिंसा झेलनी पड़ती है। यदि अनु0जाति महिलाएं चुनावी राजनीति या सामाजिक सहभागिता हेतु सक्रिय होती हैं तो परिवार, समाज, पुरूष नेताओं की ओर से व्यापक विरोध का सामना करना पड़ता

है। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व भी परंपरागत रूप से महिलाओं को राजनीतिक परिदृश्य से पृथक रखना चाहता है। भारत में दलित महिलाओं का निम्न शेक्षणिक तथा सामाजिक स्तर और स्वतंत्रता का अभाव उनकी राजनीतिक सहभागिता को क्षीण करता है। अभिवृद्ध अपराधीकरण, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक शक्ति के नियमन हेतु आवश्यक समझौते की स्थिति महिलाओं को मुख्य धारा से हाशिए की ओर धकेलती रही है। राजनीति में उपस्थित अधिकांश अनु0 जाति महिलाएं अपने राजनीतिक पद पुरूष राजनीतिक संबंधियों के कारण प्राप्त करती हैं।

यद्यपि भारत में अनु0 जाति महिलाएं धीरे-धीरे अपने अधिकरों के प्रति अधिक सजग हो रही हैं। किन्तु महिला मतदाताओं हेतु राजनीतिक सूचना प्राप्ति का स्तर न्यून है। राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया में सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों का राजनीतिक समझौताकरण, माफिया राजनीति का बढ़ता महत्व और चुनावी राजनीति द्वारा धन शक्ति को प्रोत्साहन की क्रिया दलित महिला सहभागिता व राजनीतिक अभिमुखीकरण हेतु विशेष अवरोध है।

अनु0 जाति महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने हेतु सुझाव- राष्ट्रीय विकास में दलित महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने तथा नारी शक्ति का देश के विकास में सदुपयोग करने हेतु इस वर्ग के मार्ग की बाधाओं को दूर कर उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्हें पुरूषों व उच्च कुलीन वर्गो के समकक्ष समाज में सम्मान दिया जाए तथा अपनी प्रतिभा का सम्पूर्ण उपयोग कर लोकसभा तथा विधानसभाओं के पटल पर लगभग 50 प्रतिशत दलित महिलाओं की उपस्थिति को संभव बनाया जाए। दलित महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ देश के उत्थान में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु कुछ प्रयास अपरिहार्य हैं -

समाज द्वारा पूव धारणाओं से ग्रसित न होकर सवस्थ सकारात्मक सामाजिक संरचना गठित की जाए।

निष्कर्ष - दलित महिलाओं के आत्मविश्वास हेतु उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए।

1. महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में सहभागी बनाया जाए।
2. महिला शिक्षा को प्रभावी व सुगम बनाकर लोकतांत्रिक तथा समानतामूलक समाज निर्मित किया जाए।
3. दलित संगठनों तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का दायित्व है कि वे इनमें राजनीतिक जागरूकता का संचार करें।
4. राजनीतिक दलों में भी अनुजाति महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान हो ताकि वे अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
5. राजनीतिक उम्मीदवार महिला हिंसा, ग्रामीण तथा महिलाओं के जीवन संघर्ष जेसे मुद्दों पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह बनें।
6. राष्ट्रीय विकास योजनाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु राजकोषीय सहायता प्राप्त शिक्षा, छात्रवृति तथा अन्य विकास कार्यक्रमों का प्रावधान अपरिहार्य है।
7. स्थानीय संस्थाओं में अनुजाति महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए तथा उनकी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और इस कार्य हेतु सहायक विभागों व अधिकारियों की व्यवस्था की जाए।
8. चुनावी खर्च को कम करने के गंभी प्रयासों द्वारा भ्रष्टाचार व चुनावों का अपराधीकरण रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील होना आवश्यक है।
9. गैर सरकारी संगठनों द्वारा सक्रिय दवाब समूहों के रूप में भूमिका निभाने पर सामुदायिक सजगता अभिवृद्धि होगी। ये सरकार तथा समाज का ध्यान अनु0 जाति की महिला समस्याओं की ओर खींच सकते हैं।
10. 14 वर्ष तक की सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करके पाठ्यक्रम में सामाजिक तथा लैंगिक समानता, आत्मसम्मान, स्वायत्ता के मूल्यों का समावेश अनिवार्य है।
11. सरकार द्वारा अनु0 जाति महिलाओं की सक्रिय सहभागिता राष्ट्रीय, राजकीय, स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से सुरक्षित की जाए, जिससे इनकी भर्ती हेतु विशेष मंच उपस्थित हो सके।
12. सरकार द्वारा स्थापित आयोगों, केन्द्र तथा राज्य सेवा आयोगों और स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक अवश्यम्भावी है ताकि महिलाएं सहभागी हो सकें।
13. अनु0जाति महिला राजनीतिक सहभागिता की गंभीरता को देखते हुए जिस प्रकार 1987 में कर्नाटक में जनता सरकार द्वारा 25 प्रतिशत आरक्षण जिला परिषद व मण्डल पंचायतों में घोषित किया गया तथा 1932 के जिला परिषद कानून के तहत 25 प्रतिशत में से 5:1 के अनुपात में दलित महिलाओं हेतु विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जिससे अधिकाधिक संख्या में दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व सामने आया अत: ऐसी व्यवस्था का क्रियान्वयन अन्य राज्यों द्वारा भी अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सम फैक्ट्स अबाउट राजस्थान, 2007 डायरेक्टरेट ऑफ इकानोमिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स, राजस्थान, जयपुर पृष्ठ-2
2. http://164. 100.47.132/LSS New/Membershomepage. aspx
3. http://www.indiaw.com
4. सम फैक्ट्स अबाउट राजस्थान, 2007, डायरेक्टरेट ऑफ इकानोमिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स, राजस्थान, जयपुर पृष्ठ-2
5. त्रैमासिक पत्रिका, विधानबोधनी वर्ष 4, अंक 4, अक्टूबर 1997 (स्वर्ण जयंती विशेषांक), पुस्तकालय, अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर, पृष्ठ 161-216
6. राजस्थान विधानसभा पुस्तकालय, जयपुर।
7. विधान बोधनी, जनवरी-अप्रैल 2009, नवसदस्य अंक राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर, पृष्ठ 13-46
8. वुमन चैलेन्जेज ऑफ द न्यू मिलेनियम-विभूति पटेल, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 2002 पृष्ठ 13-46
9. वुमन एण्ड पोलिटिक्ससीमा शर्मा, कान्ता शर्मा, अनमोल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली 2006, पेज 138-141
10. दलित वूमन फियर एण्ड डिस्क्रिमिनेशन (सं.) मीना आनंद, ईशा बुक्स, दिल्ली 2005, पेज 57-58

तालिका 1 – लोकसभा में अ0जा0 महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति :

क्र.	वर्ष	कुल सदस्य	कुल महिला सदस्य	कुल अ.जा. सदस्य	कुल अ.जा. महिला सदस्य	कुल अ.जा. महिलाएं (प्रतिशत में)
1	1952	499	24	89	4	0.80
2	1957	500	24	79	6	1.20
3	1962	503	36	87	5	0.99
4	1967	523	32	83	3	0.57
5	1971	521	27	83	6	1.15
6	1977	544	21	82	2	0.36
7	1980	544	32	87	4	0.73
8	1984	544	45	83	5	0.91
9	1989	517	28	80	3	0.58
10	1991	544	42	81	5	0.91
11	1996	544	41	82	10	1.83
12	1998	543	44	81	12	2.20
13	1999	543	52	90	9	1.65
14	2004	545	52	89	11	2.01
15	2009	545	59	84	12	2.20

तालिका 2 –राजस्थान विधानसभा में अजा महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

क्र.	वर्ष	कुल सदस्य	कुल महिला सदस्य	कुल अ.जा. सदस्य	कुल अ.जा. महिला सदस्य	कुल अ.जा. महिलाएं (प्रतिशत में)
1	1952	160	2	*	*	*
2	1957	176	9	*	*	*
3	1962	176	8	*	*	*
4	1967	184	7	*	*	*
5	1972	184	13	*	*	*
6	1977	200	8	31	–	–
7	1980	200	10	34	1	0.5
8	1985	200	16	31	–	–
9	1990	200	11	31	–	–
10	1993	200	10	32	1	0.5
11	1998	200	14	33	1	0.5
12	2003	200	13	33	3	1.5
13	2008	200	29	34	8	4

****

शुक्रनीतिसार में प्रशासनिक व्यवस्था

डॉ. कुलकिरण गढ़वाल*

प्रस्तावना - शासन का कार्यक्षेत्र व स्वरूप - शुक्रनीति में प्रजा कल्याण एवं दुष्टों के दमन को शासन का मूल प्रयोजन मानते हुए शासक के दायित्व एवं कार्य क्षेत्र की व्यापक विवेचना की गई है। ग्रंथ में प्रतिपादित विषय जन कल्याण के समस्त आयामों यथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक आदि तक विस्तृत है। राज्य के समस्त प्रयोजनों का दायित्वों की सिद्धि को व्यवहार में सम्भाव्य बनाने के लिए ग्रंथ में शासक को स्थान स्थान पर व्यापक निर्देश दिए गए है।

शुक्रनीति में विवेचित विषयों के विस्तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथ में प्रतिपादित राज्या का उत्तरदायित्व प्रजहा के भौतिक सुख से लेकर पराभौतिक उन्नति तक हैं।

शुक्रनीति में शासक के कर्त्तव्यों के विषय में हुआ व्यापक विवेचन राज्य के जन कल्याणकारी आदर्श को मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है।

शुक्र के मत में राजा का महत्व राज्य के सभी अंगों में सबसे बढ़कर है। राजा उन सब में प्रधान है, वह राज्य रूपी शरीर का सिर और राज्य रूपी वृक्ष की जड़ होता है। राजा इस जगत की वृद्धि का हेतु और वृद्धों को मान्य है, वह नेत्रों का इस प्रकार आनन्द देता है जैसे चन्द्रमा समुद्र को। यदि उत्तम व नीतिमान राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नांव।

प्रजा की प्रसन्नता एवं शत्रु मर्दन करने के उद्देश्य से राजा के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वह ज्ञान के लिए नीति शास्त्र का सदा-सर्वदा नियमित अभ्यास करता रहे।

पुन: एक स्थान पर व्यक्त हुआ है कि प्रजा की सुरक्षा एवं प्रजा सुख का निर्वहन शासकीय कर्त्तव्य है।

शासक के राजदण्ड युक्त होकर जनता को स्वधर्मपालन में तत्पर रखते हुए स्वंय के भी धर्म से प्रतिबद्ध रहने की अपेक्षा की गई है।

चहे राजा अभिशक्त हो या अनाभिशक्त, यदि वह राजपद को सम्भाले तो उससे यह अपेक्षा की गई है कि वह स्वंय दोषमुक्त एवं दण्डयुक्त रहते हुए अपनी बुद्धि, बल, शूरता एवं नीतिज्ञता के दि प्रतिदिन समस्त प्रजाजनों का पालन करें।

ग्रंथ में राजा को सद, असद् कृत्यों का कर्त्ता एवं काल का भी कारण बताते हुए यह व्यक्त किया गया है कि वह अपनी क्रूरता से दण्ड पारण करने में उद्यत रहकर प्रजाजनों को उसके धर्मो में संलग्न रखे।

उक्त बातों की पुष्टि के लिए दृष्टान्त स्वरूप यह भी कहा गया है कि यदि राजा सद्रीति से प्रजाओं को उनके धर्म पालन में नेतृत्व देने में सक्षम हो तो प्रजा की वही दशा हो जायेगी जैस समुद्र में बिना मल्लाह के एक नौका की दुर्गति होती है। क्योंकि बिना राजा के प्रजा अपने-अपने धर्म में स्थित नहीं रहती है और पृथ्वी पर बिना प्रजा के राजा भी शोभित नहीं होता है।

इस प्रकार जनता को अपने कर्त्तव्य पालन में रत रखकर शासक पुजा में नैतिक उत्थान को निर्धारित करता है, वहीं इस शासकीय दायित्व का एक व्यवहारिक मूल्य भी है, क्योंकि वस्तुत: प्रजा के विभिन्न वर्गो के द्धारा अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने से ही सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह सम्भव है। जनता द्धारा उसके कर्तव्य पालन के लक्ष्यों को पूरा करने में ही राज्य के अस्तित्व के औचित्य को मान्यता दी गई है।

ग्रंथ में शासकीय आचरण के आठ सन्दर्भो का उल्लेख किया गया है :-

1. दुष्टों का निग्रह करना
2. प्रजा का परिपालन करना
3. दान देना
4. राजसूयादि यज्ञ करना
5. न्यायपूर्वक कोष बढ़ाना
6. राजाओं से कर वसूल करना
7. शत्रुओं का मान-मर्दन करना
8. बार-बार राज्य को बढ़ाना

शासकीय व्यवहार की उपरोक्त सूची शासकीय दायित्वों व उन दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक शासकीय साधनों दोनों को शामिल करती है। ये शासन के अष्टागिंक कृत्य कहे जा सकते है। जिसमें प्रशासन के विभिन्न पक्षों का समावेश है।

शासक द्धारा अपने दायित्वों के क्रियान्वयन में उपेक्षा बरतने का स्वभावित परिणाम राजा का प्रजा उद्धिग्नता का कोप भाजन बन जाना होता है। ग्रंथ में ऐसे शासक को अधम प्रकृति का चित्रित किया गया है जिसे गुणवानों व धनिकों के लिए सर्वधा त्याज्य एवं निन्दनीय चरितार्थ किया गया है।

शुक्रनीति में चार विधाओं को सनातन माना गया है। आन्वीक्षकी गौतमादि रचित तर्क शास्त्रादि त्रयी अंग के सहित ऋक, यजु, साम ये 3 वेद वार्ता व्यवहार शास्त्र दण्डनीति अर्थशास्त्र राजा को इनका सदा अभ्यास करना चाहिये।

कौटिल्य की भांति शुक्र ने भी त्रयी, वार्ता और दण्डनीति को विद्य का तत्व माना है। इन तीनों को एक साथ चिन्तन का तत्व मानना इन तीनों के अनिवार्य संयोग और इनकी पारस्परिकता को व्यक्त करता है। इस पारस्परिकता से राज्य के अस्तित्व के आधार का भी सैद्धान्तिक निरूपण स्वत: हो जाता है।

शासक को क्रूरता न करने तथा अक्रूरता से दीन-नि:सहाय जनता

* सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी परामर्श दिया गया है कि वह स्वहितार्थ, स्वसुखाय दीनजन को कष्ट न पहुँचाए क्योंकि मनुष्यों के पीड़ित होने से राजा नाश को प्राप्त हो सकता है।

धर्म और सुख प्राप्ति हेतु राजा को सज्जनों से संगति करने का निर्देश दिया गया है।

शासन से अनेक प्रकार के कृत्यों और गतिविधियों को व्यापक स्तर पर सम्पन्न करते हुए शासक को अनेक निर्देश दिए गए है। ये निर्देश उसके कृत्यों एवं कृत्यों के व्यवहार में प्रतिपादन के परिचायक है।

शासन से राधानी में कुएँ, बावड़ी, तड़ाग, कुन्ज, उद्यान, गलियां, मन्दिर, मठ और धर्मशाला आदि का निर्माण व व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। शासक को उपयुक्त दुर्ग बनाने का निर्देश दिया है।

शासक को राजधानी में राजोचित विधिशालाएं बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राजसभा बनाने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार से मंत्री आदि के लिए भवन बनाने का निर्देश भी दिया गया है।

शुक्रनीति में शासक से यह भी अपेक्षा की गई है कि यह यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण करावें, जो सुरक्षित हो तथा सुन्दर जलाश्य कूप आदि से युक्त हों और जिसमें समान आकार वाले ग्रहों का समुदाय कतारे से हों। ऐस गृह पुर अथवा ग्राम में पूर्व अथवा उत्तर मुखका बनवाया जाना चाहिए और बाजार में एक जाति के पण्यों के समूहों से युक्त दुकानें बनवानी चाहिए। इस प्रकार से राजा नगर या ग्राम का निर्माण करावें।

शासक के लिए यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वह राजभवन के चारों दिशाओं में राजमार्ग का निर्माण करायें।

शासन से प्रजा के उपयोग तथा नगरों व ग्रामों के सौन्दर्यीकरण के लिए जलाशयों के निर्माण और व्यवस्था की अपेक्षा की गई है। साथ ही नदियों पर सुन्दर, मनोहर और सुविधाजनक पुल आदि की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। शासक को यह भी परामर्श दिया गया है कि वह नदियों और जलपानों की व्यवस्था करें।

पर्यावरण प्रदुषण का निवारण आधुनिक सरकारों का मुख्य कार्य है आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों से सभी आक्रान्त है। शुक्रनीति में पर्यावरण की सुरक्षा को शासकीय दायित्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शासन से अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामों और वनों में उपयुक्त वृक्षों का आरोपण करवायें एवं पोषण के लिए खाद व जल की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही राजा से आवासीय स्थानों के आस पास उद्यान लगाने को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए राजा को प्रत्येक दो गांवों के बीच एक धर्मशाला बनवाले तथा उसकी सफाई एवं सुरक्षा के लिए ग्राम के जमींदार या मुखिया को उत्तरदायी बनाने का निर्देश दिया है।

धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों के आवागमन तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को नियमबद्ध रीति से अभिलिखित करने की अपेक्षा की गई है। धर्मशाला में ठहरे हुए यात्रियों तथा उनकी सम्पत्ति आदि की सुरक्षा का दायित्व भी उन पर डाला गया है।

शासक को निर्देश दिया है कि वह धूत, मद्यपान, शिकार शास्त्र-धारण, गौध, गज, अश्व, ऊँट, भैंसे ग्रह आदि स्थावर सम्पत्ति, चांदी, स्वर्ण, रत्न, मादक द्रव्य, विष आदि के क्रय-विक्रय मद्य के उत्पादन, चिकित्सा आदि व्यवसायों को बिना अनुज्ञापत्र के न अपनाने दें। यह घोषणा की गई है कि उपरोक्त गतिविधियों के लिए राज्य की अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रजा द्वारा मद्यपान व अन्य मादक द्रव्यों के सेवन को सीमित और नियमित करने की शासक से अपेक्षा की गई है। जहां एक ओर शासक को यह परामर्श दिया गया है कि वह मदिरालयों को ग्रामों या आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करवायें, वहीं राज्य में दिन के समय मद्यपान का प्रतिबंधित करने की अपेक्षा की गई है।

शुक्रनीति में ज्ञान-विज्ञान, कला-साहित्य को प्रोत्साहन देना, विभिन्न विद्याओं एवं कलाओं के अध्ययन उपरान्त उनकी योग्यतानुसार योग्य कार्यो में नियुक्ति तथा कला-साहित्य के क्षेत्र में विख्यात लोगों को आदर-सत्कार देना सांस्कृति राज्य का दिग्दर्शन कराते हैं।

राजा से अपेक्षा की गई है कि वह तपस्वी, दानी, वेदज्ञों और स्मृतिज्ञों, पुराणज्ञों, शास्त्रज्ञों, मन्त्र-तन्त्र वेताओं, चिकित्सकों व अन्य विषयों के विद्धानों तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के भरण-पोषण का सम्मान करने तथा उनके लिए मासिक या वार्षिक वृति नियत करने की व्यवस्था करें।

ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विजित हुए राजाओं के देश में सदा अपना न्यायालय स्थापित करे अर्थात् अपना शासन स्थापित करें। विजित राजा के रहन-सहन के अनुरूप भरण-पोषण के लिए वेतन का प्रबंध करें।

शासक को निर्देशित किया गया है कि वह अधर्म-परायण मित्र पुत्र, गुरू, चोर एवं आततायी की सुरक्षा न करें एवं उन्हें राज्य से निष्कासित करदें।

राजा के लिए ग्रंथ में यह सुनिश्चित किया गया है कि वह ऋण, रोग एवं शत्रु का समूल नाश ही कर दें।

शत्रु एवं मित्र के प्रति नीति का प्रतिपादन करते हुए राजा से अपेक्षा की गई कि वह हीन बल और अधिक बलवाले मित्र राजाओं की भी क्रम से वृद्धि और क्षीणता करें और जो शत्रु राजा लोग हैं, उनमें सामादि उपायों से भेद डालन तथा उन्हें क्षीण पीड़ित एवं नष्ट करें।

राजा के लिए यह प्रतिपादित किया गया है कि वह नित्य धर्म रक्षार्थ दण्ड देने वाला हो। क्योंकि दण्ड के भय से प्रजा अपने-अपने धर्म में लगी रहती है। क्रूर कोमलता को अपनाते है। दुष्ट दुष्टता का परित्याग कर देते हैं, कर न देने वाला कर देने लगता है और न डरने वाले डरले लगते हैं। साथ ही उचित अनुचित दण्ड चारण करने से राजा के इष्ट निष्टफल का निर्देश दिया गया है तथा दुष्ट पुरूषों को दण्ड देकर सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देने की बात कही गई हैं।

राजा से येन-केन प्रकारेण धन-संग्रह करने की अपेक्षा की गई है ताकि उस धन से राष्ट्र, सेना तथा यज्ञादि कर्मो की रक्षा की जा सकें। 35 इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सेना व प्रजा रक्षा हेतु जो कोष संग्रह किया जाता है वह राजा के लिए लौकिक और पार लौकिक दोनों के लिए लाभकारी होता है।

राजा से अपेक्षा की गई है कि आपत्ति में शत्रु नाश व सेना रक्षा हेतु प्रजा से अधिक जुर्माना या चुंगी कर लगाकर प्रजा से धन का हरण कर सकता है किन्तु बिना विशेष आपत्ति के पड़े प्रजा पर अधिक जुर्माना, मालगुजारी या चुंगी बढ़ाकर एवं तीर्थ स्थान तथा देवोत्तर सम्पत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिए।

इसके साथ ही संग्रहित धान्यादि की प्रयत्नपूर्वक रक्षा का निर्देश दिया गया है। किसान, व्यापारी, दुकानदार आदि सभी से कर लेकर उनकी सेवक की भांति रक्षा करने का दायित्व राजा पर ठहराया गया है।

बहुत दिनों से प्रचलित देश धर्म, जातिधर्म, कुलधर्म एवं मुनियों द्धारा कहे हुए धर्म तथा प्रचीन और नवीन धर्म, इन सबका ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयत्नपूर्वक अच्छे राजाओं की भांति इनकी रक्षा करनी चाहिए

क्योंकि धर्म की संस्थापना करने से राजा श्री को प्राप्त करता है।

उपरोक्त कथन में शासकीय दायित्व में धर्म निरपेक्षता के लक्षण प्रकटित होने से स्पष्ट संकेत है, जो आज हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है।

राजा से यह भी अपेक्षा की गई कि वह प्रजाओं द्वारा जो उत्सव किये जाते हों, उनकी रक्षा करे और प्रजा के आनन्द से आनन्दित और दु:ख से स्वंय दु:खित हो।

राजा से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह प्राडाविवाक, अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित के साथ सावधान होकर न्यायार्थ उपस्थित व्यवहारों को क्रमानुसार देखें।

राजा से अपेक्षा की गई है कि वह सबसे श्रेष्ठ ज्यूरियों के साथ मिलकर पृथक-पृथक मुकदमें की गुरूता-लघुता जैसी हो, उसके अनुसार एक या दो, तीन या चार बार विचार कर निर्णय करें।

शुक्रनीति में शासन के दायित्वों एवं कार्यक्षेत्र के विषद विवेचन एवं मीमांसा के उपरान्त यह सुनिश्चितता के साथ प्रतिपादित किया जा सकता है, कि शासक से प्रजा के सर्वांगीण विकास की अपेक्षा की गई है। शासकी गतिविधियाँ अपने मूल में जन कल्याण को आधारभूत मूल्य मानती हुई शासन के स्वरूप को लोक कल्याणकारी स्तर प्रदान करती हैं।

2. शासन के स्वरूप का प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव-शुक्रनीति में प्रशासन को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया है। ग्रन्थ में कहा गया है कि यदि 100 प्रजा मिलकर किसी अधिकारी के विरुद्ध आवेदन-पत्र भेजे तो उस अधिकारी को राजा निकाल दे और यदि मंत्री एक बार अन्याय करने वाला दिखाई दे तो उसे एकान्त में दण्ड दे और निकाल दें। अन्यायी अधिकारी के राज्य तथा सर्वस्व को हर लें।

उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शासन के द्वारा प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। शासक स्वयं जनता के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि उसके लिये प्रजा पालन एवं दुष्ट दमन करना ही परमदायित्व माने गये हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि शुक्रनीति में शासन और प्रशासन का स्वरूपज न कल्याणकारी है। शासन का स्वरूप अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु स्वयं प्रशासन को भी मूल प्रयोजन अभीष्ट से प्रतिबद्ध करता है।

शासन का स्वरूप प्रशासन पर तब ही प्रभावी होगा जब शासक स्वकार्य में सजग रहेगा। जो शासक अपने ही कार्य में स्वयं शिथिल पूर्ण रूप से तत्पर नहीं रहता है तो उसके सहायक अन्य लोग उस कार्य में अवष्य ही शिथिल होंगे क्योंकि अपने कार्य में दृढ़ता से तत्पर रहता है तो उसके सहायक भी उसी समान कार्य में जागरूक रहते हैं।

शासन के मूल प्रयोजन एवं शासकीय आचरण, इन दोनों में से शुक्रनीति प्रशासकों को प्रथम से प्रतिबद्ध करती है। ग्रन्थ में कहा गया है कि अगर शासक अधर्म में प्रवृत्ता हो जाए तो सभासद को बिल्कुल भी उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से व्यवहार करते हुए शासक को जो न्यायाधिकारी पुरुष अधर्म करने से नहीं रोकते हैं तो वे राजा के सहित नरक को जाते हैं। अर्थात् शासन-प्रशासन दोनों का पतन हो जाता है। शासन की विकृति प्रशासन को ले डूबती है।

शुक्रनीति में प्रजारंजन को मुख्य शासकीय दायित्व मानकर प्रशासन को इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्रिय व सनद्ध रहने की अपेक्षा की गई है। इस दायित्व की पूर्ति में विफलता को प्रशासन के लिए अप्रतिष्ठापूर्ण माना गया है। ग्रन्थ में कहा गया है, कोष का मूल सेना है अर्थात् सेना के द्वारा कोष का संग्रह होता है और सेना का मूल कोष है अर्थात् कोष के द्वारा सेना का संग्रह होता है और सेना तथा कोष की रक्षा करने से कोष तथा राष्ट्र राज्य की वृद्धि एवं शत्रुओं का नाश ये तीनों होते हैं, और अंत में स्वर्ग मिलता है।

राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुए शुक्रनीति में एक स्थल पर शासन-प्रशासन व प्रजा के संबंधों की पारस्परिकता को स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित किया गया है कि राज्य रूपी वृक्ष का मूल जड़ राजा होता है, स्कन्ध मोटी डालें मंत्री लोग, शाखाएँ सेनापति लोग, पल्लव सेनाएँ, फल प्रजाएँ भूमि से प्राप्त होने वाले कर एवं बीज - राज्य की भूमि ये सब मानी गई हैं।

इस प्रकार दोनों आचार्यों के ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ है कि प्रशासन का चरित्र शासन के स्वरूप से निर्धारित होता है। शासन से प्रशासन को जनकल्याणोन्मुखी बनाया है तथा इसके लिए इसे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया है।

शासन का विकृत रूप निश्चित रूप से प्रशासकीय अभिकरणों को भी दूषित कर देता है।

3. प्रशासनिक संगठन : सिद्धान्त व विवरण-शुक्रनीति में प्रतिपादित प्राधिकारियों का पदसौपानिक क्रम भी उत्कृष्ट स्तर का है। इस ग्रन्थ में वर्णित प्रशासनिक संगठन बहुस्तरीय है।

शुक्र ने शासन के दस प्रमुख प्राधिकारियों को प्रकृति की संज्ञा दी है एवं इनके अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारियों व कई स्तर के राज्य कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख ग्रन्थ में मिलता है।

शुक्रनीति में प्रशासनिक संगठन के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारी महत्तवपूर्ण अभिहित किये गये हैं-

1. पुरोहित
2. प्रतिनिधि
3. प्रधान
4. सचिव
5. मन्त्री
6. प्राड़विवाक
7. पण्डित
8. सुमन्त्र
9. अमात्य
10. दूत

ग्रन्थ में वर्णित उपरोक्त प्राधिकारियों का प्रशासनिक संगठन में वरीयताक्रम एवं पद-सौपानिक क्रम का भी निर्धारण किया गया है।

प्रशासनिक संगठन में सर्वाधिक महत्तवपूर्ण स्थान पुरोहित को दिया गया है तथा इस प्रकृतियों में समाविष्ट अन्य सभी पदाधिकारी, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड़विवाक, पण्डित, सुमंत्र, अमात्य व दूत क्रमशः शासन के पद-सौपान में निम्नतर व्यवहृत किये गए हैं।

न केवल पद-क्रम के उच्च-निम्न निर्धारण में वरन् ये पदाधिकारी प्रतिष्ठा एवं वेतन निर्धारण की दृष्टि से भी एक दूसरे से उच्च एवं अधीनस्थ स्थिति पर स्थापित हैं। ग्रन्थ में उल्लेख हुआ है कि पुरोहित से लेकर दूत तक इन दसों प्राधिकारियों के वेतन पूर्व-पूर्व एक दूसरे की अपेक्षा दसमांश अधिक होते हैं। अर्थात् दूत से दसमांश अधिक अमात्य का, उससे दसमांश अधिक सुमन्त्र का, उससे दसमांश पण्डित का, उससे दसमांश अधिक प्राड़विवाक का, उससे दसमांश अधिक मंत्री का, उससे दसमांश अधिक सचिव का उससे दसमांश अधिक प्रतिनिधि का, उससे दसमांश अधिक पुरोहित का वेतन होता है, जो सबसे अधिक होता है।

शुक्रनीति में अधिकारियों के वेतन क्रम के अन्तर से ज्ञात होता है कि पद-सोपान में स्थापित उच्चतम पद पर आसीन अधिकारी का वेतन सबसे अधिक था। उससे अधीनस्थ या उच्चतर का वेतन उसकी अपेक्षा कम था। उच्चतर से उच्चपदाधिकारी का वेतन सबसे कम था। ये सब बातें इस तथ्य की स्पष्ट परिचायक हैं कि शुक्रनीति में आधुनिक प्रशासनिक संगठनों की भांति पद-सोपान का सिद्धान्त अंकिचन रूप से विवेचित हुआ था।

किन्तु ग्रन्थ में वेतन मान के संदर्भ में एक अपवाद भी प्राप्त होता है। ग्रन्थ में अन्य किसी के मत से प्रकृतियों की संख्या 8 बताई गई है - सुमन्त्र, पण्डित, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राड़विवाक, प्रतिनिधि। ये आठ राजा की प्रकृतियाँ सदा वेतन में परस्पर समान हैं। अर्थात् इनके पूर्वमत की भाँति भिन्न-भिन्न वेतन नहीं हैं।

इस मत के अनुसार दूत को प्रकृतियों में सम्मिलित न करते हुए उसे साधारण कार्मिक मात्र चित्रित किया गया है।

शुक्रनीति में पैदन सेना के अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है जो पद-सोपान की स्पष्ट परिचायक हैं-

5 या 6 पैदल सिपाहियों का जो स्वामी होता है वह पत्तिपाल, 30 सिपाहियों का स्वामी गोल्मिक, 100 सिपाहियों का स्वामी शतानीक कहलाता है और श्रेष्ठ अनुशतिक, सेनानी तथा लेखक ये सब सौ-सौ के ऊपर विशेष-विशेष कार्यों के लिए अध्यक्ष, बनाने चाहिएं और 1000 सिपाहियों का स्वामी साहस्त्रिक एवं 10,000 सिपाहियों का स्वामी महान आयुतिक बनाना चाहिए।

अर्थशास्त्र में उच्च पदाधिकारियों को युक्ति और अधीनस्थों को उपयुक्त नाम से संबोधित किया गया है।

कौटिल्य की भाँति शुक्र ने भी 10 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों का पद-सोपान में बहु-स्तरीय पद-क्रम निर्धारित किया है एवं उसी क्रम से वेतन निर्धारण हुआ है। इन्हें वह प्रकृति संज्ञा से अभिहित करता है। पद-सौपान में दूत सबसे निम्न स्तर पर है और पुरोहित पदो ंके शीर्षस्थ पर स्थापित है। इनके वेतन में वरीयता क्रम दूत से पुरोहित पर्यन्त एक दूसरे से दसमांश अधिक रखा गया है।

दोनों ही ग्रन्थों में पदों की उच्च एवं अधीनस्थ स्थिति वेतन निर्धारण में भी कायम रखी गई है। इस सन्दर्भ में दोनों ग्रन्थों के दृष्टिकोण में न्यूनाधिक समानता पाई जाती है।

4. विभिन्न अधिकारियों की योग्यताएँ-शुक्रनीति में भी अर्थशास्त्र की भांति विभिन्न प्रशासकीय अधिकारियों की योग्यताओं का स्पष्ट विवेचन किया गया है।

पुरोहित की योग्यता के सन्दर्भ में यह प्रतिपादित हुआ है कि वह यथाविधि मन्त्रों के अनुष्ठान के द्वारा कार्य को सिद्ध करने वालला, तीनों वेदों का ज्ञाता, कार्य में तत्परता दिखाने वाला, क्रोध पर विजय करने वाला, लोभ तथा मोह से रहित, वेदांगों षड़ांग का ज्ञाता, सांगोपांग धनुर्वेद का ज्ञाता, अर्थ तथा णर्म का जानकार, नीति-ज्ञान में निपुण, शस्त्रास्त्र संचालन में पारंगत तथा व्यूह रचना में कुशल आदि गुणों से युक्त होता है।

पुरोहित में ऐसे नैतिक गुणों के होने की अपेक्षा की गई है जिससे कि वह शासन को उसके गुण-अवगुणों का बोध करा सकें एवं इसके साथ ही नीति का पालन करवाने हेतु शासक पर नैतिक प्रभाव स्थापित कर सकें। पुरोहित को शाप तथा अनुग्रह वर दोनों के देने में समर्थ बताया गया है।

ग्रन्थ में पुरोहित एवं मन्त्री की भूमि-का को प्रधानतः परामर्शदात्री चित्रित किया गया है।

मन्त्री योग्यता के बारे में शुक्रनीति में कहा गया है कि नीति शास्त्र के जानने एवं तदनुसार कार्य करने में जो कुशवल है वह मन्त्री कहलाता है। वह कुल, गुण और शील से बड़ा हो और शूर राजभक्त, प्रिय भाषी, हितोपदेश देने वाला, क्लेश सहने वाला, सदाधर्माचरण करने वाला, कुमार्ग से राजा को अपनी बुद्धि से सन्मार्ग पर लाने में समर्थ, पवित्र आचरण तथा विचार वाले, काम, क्रोण, लोभ और आलस्य से हीन हो। ग्रन्थ में प्रतिपादित हुआ है कि मंत्रियों के तत्परामर्श से ही राज्य, प्रजा, सेना, कोष और राजा के सुन्दर भावों की वृद्धि अर्थात् सेना का समुचित प्रयोग और प्रजा का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है।

प्रतिनिधि की योग्यता के बारे में यह अपेक्षा की गई है कि वह क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? इसको भली भाँति जानने वाला होना चाहिए।

प्रधान से समस्त प्रकार के प्रशासकीय कार्यों के निरीक्षण करने की अपेक्षा की गई है।

सैन्य-संचालन का भली भांति ज्ञान रखने की योग्यता की अपेक्षा सचिव से की गई है।

धर्म के तत्व को जानने की योग्यता रखने वाले को पण्डित नाम से अभिहित किया गया है।

सदा लोक-व्यवहार तथा शास्त्रानुसार व्यवहार को जानने वाला प्राड़विवाक कहलाता है।

देश और लेख के विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले को अमात्य कहा गया है। आय और व्यय के कार्यों को सुचारु रूप से जो जानने वाला है वह सुमन्त्र कहलाता है।

दूत की योग्यता सम्बन्धी गुणों का उल्लेख करते हुए ग्रन्थ में कहा गया है कि हृदयगत भावों तथा चेष्टा को समझने वाला, उत्ताम स्मरण शक्ति वाला देशकाल - अनुरूप कर्त्तव्य-कर्म को जानने वाला, संधि, विग्रह, आसन द्वेधीभाव, समाश्रय इन सबके विषय में उचित जानकारी रखने वाला, वाक-पट्टू और निर्भिक दूत कहलाता है।

शुक्रनीति में भृत्यों मन्त्री आदि के दो भेद स्पष्टतः किए गए हैं - (1) श्रेष्ठ भृत्य और (2) निन्द्य भृत्य।

ग्रन्थ में श्रेष्ठ भृत्य के गुणों के सन्दर्भ में यह प्रतिपादित किया गया है कि वह सत्यभाषी, गुणों से युक्त, उच्च वंश में उत्पन्न, निर्दोष कुल वाला, सुशील, उत्ताम कर्म वाला, आलस्य रहित, मन वचन, कर्म से स्वामी का अधिक कार्य करने वाला, पवित्र चित्त वाला, मधुर भाषी, कार्य में चतुर, कार्य में स्थिर विचार वाला, परोपकारी, अपकार से विमुख, कुमार्गी स्वामी को सन्मार्ग पर लाने में तत्पर, अच्छे कार्यों को शीघ्र करने में तत्पर, स्वामी के दोषों को अन्य के सामने प्रदर्शित न करने वाला, दूसरों के अधिकार अपहरण की लालसा न करने वाला, निस्पृह, वेतनानुसार व्यय करने वाला, इन्द्रियों पर विजय करने वाला, दयालु, शूर और स्वामी के विपरीत गुणों वाला भृत्य निकृष्ट एवं निन्द्य भृत्य कहलाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्र नीति अध्याय 4 श्लोक 1240
2. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 6
3. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 20
4. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 23

5. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 26 – 27
6. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 60
7. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 65
8. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 66
9. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 123, 124
10. शुक्र नीति अध्याय 1 श्लोक 126

****

Global Biodiversity Conservation: The Critical Role of Hotspots

Dr. Anjul Singh*

Abstract - Global changes, from habitat loss and invasive species to anthropogenic climate change, have initiated the sixth great mass extinction event in Earth's history. As species become threatened and vanish, so too do the broader ecosystems and myriad benefits to human well-being that depend upon biodiversity. Bringing an end to global biodiversity loss requires that limited available resources be guided to those regions that need it most. The biodiversity hotspots do this based on the conservation planning principles of irreplaceability and vulnerability. Here, we review the development of the hotspots over the past two decades and present an analysis of their biodiversity, updated to the current set of 35 regions. We then discuss past and future efforts needed to conserve them, sustaining their fundamental role both as the home of a substantial fraction of global biodiversity and as the ultimate source of many ecosystem services upon which humanity depends.

Introduction - Earth's biodiversity is in trouble. The combination of unsustainable consumption in developed countries and patient poverty in developing nations is destroying the natural world. Wildlands continue to suffer wide irruptions from agrarian expansion, urbanization, and artificial development, overexploitation threatens the viability of wild populations, invasive species inflict annihilation on ecosystems, chemical pollution alters biochemical processes in the soil, air, and water, and fleetly spreading conditions peril entire branches of the tree of life. As these pitfalls continue unabated, the impacts of climate change multiply. Changing rush and temperature, rising and acidifying abysses, and climatedriven niche loss will disrupt ecological processes, test species ' physiological forbearance, turn timbers to comeuppance and drive hopeless mortal populations toward farther environmental declination extermination is the gravest consequence of the biodiversity extremity since it's unrecoverable. mortal conditioning have elevated the rate of species demolitions to a thousand or further times the natural background rate What are the consequences of this loss? utmost egregious among them may be the misplaced occasion for unborn resource use. Scientists have discovered a bare bit of Earth's species (maybe smaller than 10, or indeed 1) and understood the biology of indeed smaller as species evaporate, so too does the health security of every human. Earth's species are a vast inheritable storage that may harbor a cure for cancer, malaria, or the coming new pathogen – cures staying to be discovered. composites originally deduced from wild species regard for further than half of all marketable drugs – indeed more in developing nations Natural forms, processes, and ecosystems give arrangements and alleviation for a growing array of new accoutrements , energy sources, hi-tech bias, and other inventions The current loss of species has been compared to burning down the world's libraries without knowing the content of 90 or further of the books. With the loss of species, we lose the ultimate source of our crops and the genes we use to ameliorate agrarian adaptability, the alleviation for cultivated products, and the base of the structure and function of the ecosystems that support humans and all life on Earth Above and beyond material weal and livelihoods, biodiversity contributes to security, resiliency, and freedom of choices and conduct Less palpable, but no less important, are the artistic, spiritual, and moral costs foisted by species demolitions. All societies value species for their own sake, and wild shops and creatures are integral to the fabric of all the world's societies The road to extermination is made indeed more dangerous to people by the loss of the broader ecosystems that bolster our livelihoods, communities, and husbandry The loss of littoral washes and mangrove timbers, for illustration, greatly exacerbates both mortal mortality and profitable damage from tropical cyclones while complaint outbreaks similar as the 2003 emergence of Severe Acute Respiratory Syndrome in East Asia have been directly connected to trade in wildlife for mortal consumption Other consequences of biodiversity loss, more subtle but inversely dangerous, including the deterioration of Earth's natural capital. Loss of biodiversity on land in the once decade alone is estimated to be going the global frugality$ 500 billion annually Reduced diversity may also reduce the adaptability of ecosystems and the mortal communities that depend on them.

*Associate Professor (Chemistry) Govt. PG College, Dholpur (Raj.) INDIA

Objective is to highlight the crucial significance of biodiversity hotspots in global conservation efforts.

History of Hotspots: Myers' seminal paper was the first operation of the principles of irreplaceability and vulnerability to guide conservation planning on a global scale. Myers described ten tropical timber " hotspots " on the base of extraordinary factory endemism and high situations of niche loss, albeit without quantitative criteria for the designation of " hotspot " status. A posterior analysis added eight fresh hotspots, including four from Mediterranean-type ecosystems. After espousing hotspots as an institutional design in 1989, Conservation International worked with Myers in a first methodical update of the hotspots. It introduced two strict quantitative criteria to qualify as a hotspot, a region had to contain at least 1,500 vascular shops as endemics(>0.5 of the world's aggregate), and it had to have 30 or lower of its original foliage(extent of literal niche cover) remaining. These sweats crowned in an expansive global review and scientific publication that introduced seven new hotspots on the base of both the more- defined criteria and new data. A alternate methodical update didn't change the criteria, but redefined the set of hotspots grounded on new data on the distribution of species and pitfalls, as well as genuine changes in the trouble status of these regions. That update readdressed several hotspots, similar as the Eastern Afromontane region, and added several others that were suspected hotspots but for which sufficient data either didn't live or weren't accessible to conservation scientists outside of those regions. sorely, it uncovered another region – the East Melanesian islets – which rapid-fire niche destruction had in a short period of time converted from a biodiverse region that failed to meet the " lower than 30 of original foliage remaining " criterion to a genuine hotspot. Analyses up to now have revealed a set of 34 biodiversity hotspots. These regions inclusively hold no smaller than 50 of vascular shops and 42 of terrestrial invertebrates(amphibians, mammals, catcalls, and reptiles) as endemics). Because of the extreme niche loss in these regions, this irreplaceable wealth of biodiversity is concentrated in remaining niche totaling just2.3 of the world's land areaIn discrepancy with the terrestrial realm, data on the distribution and status of submarine species are just beginning to be synthesized at a global scale. The publication of a first comprehensive global assessment of conservation precedences for an submarine system. Our data on marine regions remain meager compared with information on terrestrial systems, and our lack of knowledge about freshwater systems is indeed more pronounced. still, significant strides are being made on submarine biodiversity, for illustration, with sweats similar as the Global Freshwater Biodiversity Assessment and the Global Marine Species Assessment, which includes comprehensive status assessments completed for reef-forming corals, and analogous work under way for numerous thousands of other species.

Hotspots And Biodiversity: As new data enable us to periodically modernize the hotspots, they also grant us an decreasingly complete picture of the natural wealth and mortal environment of these important areas. Then, we examine the current state of our knowledge, erecting from earlier analyses with streamlined biodiversity data. The Global Mammal Assessment for illustration, provides mainly revised data on the status and distribution of Earth's mammals, while lately collected population and poverty(CIESIN 2005) data sets give important socioeconomic environment. A aggregate of 35 regions now meet the hotspot criteria, each holding at least 1,500 aboriginal factory species and each having lost 70 or further of its original niche extent. Combined, the 35 hotspots formerly covered a land area of23.7 million km2, or15.9 of Earth's land face, just lower than the land area of Russia and Australia combined. still, as a result of the extreme niche destruction in these regions over the once century, what remains of the natural foliage in these areas is down to just2.3 of the world's land area(3.4 million km2), just lesser than the land area of India. further than 85 of the niche firstly present in the hotspots has been destroyed. This means that an irreplaceable wealth of biodiversity is concentrated in what's in fact a veritably small portion of our earth. streamlined data and the addition of the timbers of East Australia Hotspot reconfirm the extraordinary attention of biodiversity within the hotspots(Table1.2). The hotspots hold further than 152,000 factory species, or over 50 of the world's aggregate, as single- hotspot endemics, and numerous fresh species are surely aboriginal to combinations of hotspots. While factory figures are grounded on specialist estimates, major advances in the trustability of species distribution data allow much more accurate statistics to be collected for terrestrial invertebrates(catcalls, amphibians, mammals, and reptiles). Overall, 22,939 terrestrial invertebrates, or 77 of the world's aggregate, are set up in the hotspots. A aggregate of 12,717 invertebrate species(43) are set up only within the biodiversity hotspots, including 10,600 that are aboriginal to single hotspots and the remainder confined to multiple hotspots. Among individual invertebrate classes, the hotspots harbor as endemics 1,845 mammals(35 of all mammal species), 3,551 catcalls(35), 3,608 amphibians(59), and 3,723 reptiles(46). still, Exposed, or Vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species(IUCN 2008) – we find that 60 of hovered mammals, If one considers only hovered species – those that are assessed as Critically Exposed. Although reptiles and amphibians show a lesser tendency toward hotspot endemism than the generally more wide- ranging catcalls and mammals, the overall similarity among factory and colorful invertebrate taxa confirms a general consonance of higherpriority regions across multiple taxa. Although the attention of species- position uproariousness and endemism in the hotspots is striking, it isn't sufficient to assess the overall natural diversity of the hotspots. It may be that other measures that assess phylogenetic diversity or evolutionary

history more represent some aspects of biodiversity – for illustration, ecological diversity, evolutionary eventuality, and the range of options for unborn mortal use – than does endemism at the species position alone. still, our knowledge of phylogenetic information for entire clades isn't yet sufficient for detailed analysis of the evolutionary history set up within hotspots or other regions Although the delineation of advanced taxa(i.e., Linnean orders) is kindly private, taxonomic distinctness should be a useful deputy for evolutionary, physiological, and ecological distinctness. Overall, the biodiversity hotspots harbor a disproportionate share of advanced taxonomic diversity, holding as endemics 1,523 invertebrate rubrics(23 of all mammal, raspberry, fish, reptile, and amphibian rubrics) and 61 families(9). This is nowhere more striking than in Madagascar and the Indian Ocean islets Hotspot, which by itself harbors 175 aboriginal invertebrate rubrics and 22 aboriginal invertebrate families, the significance of which can not be exaggerated. Other islet systems similar as the Caribbean, New Zealand, and New Caledonia harbor tremendous aboriginal diversity at advanced taxonomic situations, as do landmass systems similar as the Tropical Andes and the Eastern Afromontane region(Table1.3). Although by description we know little about what unborn options biodiversity may give, time and again humanity finds results in biodiversity – drugs,foods, engineering prototypes, and other products – that enhance mortal lives and address our most burning problems. It's therefore delicate to overrate the significance of maintaining the option value swung by the vast storage of evolutionary diversity that the biodiversity hotspots represent. This is maybe nowhere illustrated more easily than in the case of the gastric-miscarrying frogs of the rubric Rheobatrachus. Discovered in the early 1970s amid the aqueducts and timbers of Australia, the two Rheobatrachus species were the only amphibians known to incubate their youthful internally, in the mama 's stomach.

Table 1 (see in last page)

Experimenters noted that the composites buried to avoid detriment to the youthful might prop the development of treatments for digestive conditions similar as ulcers that affect millions of humans worldwide. still, before these possibilities could be explored, the territories of these unique brutes had come so poorly devastated that both species were defunct by themid-1980s(Hines etal. 1999). As they were aboriginal to what's now known as the timbers of East Australia Hotspot, failure to conserve them there redounded in their extermination. Redoubled trouble is demanded in the biodiversity hotspots to insure that we don't permanently foreclose the occasion to learn from the evolutionary inventions of other aboriginal taxa. Concurrent to the development of the hotspots conception was the recognition of the significance of conserving the least- hovered largely different regions of the globe. These high-biodiversity nature areas(Mittermeieretal. 2003) are defined on the base of retaining at least 70 of their original niche cover, harboring at least 1,500 factory species as endemics, and having a mortal population viscosity of provided by the hotspots' remaining habitats is $1.59 trillion annually– onaper-area basis more than seven times that provided by the average square kilometer of land worldwide.

Table 2 (see in last page)

This calculation is almost certainly an underestimate, as it does not account for the increase in value that may result from the Adding failure of these services in hotspots in the face of adding need for them. Meanwhile, it isn't just the poor communities in hotspots that profit from these services. For illustration, grounded on recent data the hotspots store further than 99 Gt of carbon in living factory apkins, and still more in peat and other soils. The hothouse gas emigration reductions that affect from decelerating high rates of niche loss in these regions are a critical donation to decelerating global warming. Hotspots are veritably important for the survival of mortal artistic diversity. A study of the distribution of mortal languages used mortal verbal diversity as a surrogate for mortal artistic diversity and set up that about 46 of the 6,900 languages still spoken are set up within the borders of the hotspots and at least 32 of languages are spoken nowhere differently. This attention veritably much parallels what we see in terms of aboriginal species. What's further, it also includes a veritably high proportion of the languages, and the unique societies speaking them, utmost at threat of fading over the coming many decades. Hotspots are also notable as centers of violent conflict. Another recent studyfound that 80 of the world's violent conflicts since 1950(i.e., those involving further than 1,000 deaths) took place within the biodiversity hotspots and utmost hotspots endured repeated occurrences of violence over the 60- time span. This result suggests that, if conservation in hotspots is to succeed, conservation sweats must maintain focus during ages of war and that biodiversity conservation considerations should be regard into service, philanthropic , and reconstruction programs in the world's war zones. Securing Hotspots for the unborn pitfalls to hotspots are analogous to, although generally more violent than, pitfalls to biodiversity worldwide. Habitat destruction, projected to remain the dominant trouble to terrestrial biodiversity indeed in an period of climate change, is pervasive in hotspots and driving demolitions in numerous. The growing impacts of climate change will be felt worldwide, as altered rush and temperature, rising abysses, and climate- driven niche loss hang a large bit of species with extermination and drive hopeless mortal populations to further environmental declination.

Conclusion: Grounded originally on factory endemism, the hotspots have in the once two decades been verified as precedence regions for the effective conservation of biodiversity more astronomically. inclusively, they harbor further than half of all factory species and 43 of all terrestrial invertebrates as endemics, an indeed lesser proportion of

hovered species, and a substantial bit of advanced-taxonomic diversity. More recent information has revealed that this phenomenal attention of biodiversity into territories covering a combined2.3 of the world's land area coincides with disproportionate attention of ecosystem services in numerous of the regions where original communities directly depend on the natural terrain on a diurnal base. While conservation in these areas is made delicate by ongoing pitfalls, scarce information, and limited original fiscal capacity, conservation then's not voluntary. Indeed, if we fail in the hotspots, we will lose nearly half of all terrestrial species anyhow of how successful we're far and wide differently, not to mention an nearly conceivably large donation to hothouse gas emigrations and expansive mortal suffering performing from loss of ecosystem services upon which the mortal populations of the hotspots eventually depend. Ongoing exploration reviewed then and in the rest of this volume serves as a rallying cry for greatly stoked backing, exploration, and political action on behalf of hotspot conservation. The future of life on Earth depends on it.

References:-

1. Ahmed SA, Diffenbaugh NS, Hertel TW (2009) Climate volatility deepens poverty vulnerability in developing countries. Environ Res Lett 4:034004–034008
2. Bakarr MI, da Fonseca GAB, Mittermeier RA, Rylands AB, Painemilla KW (2001) Hunting and bushmeat utilization in the African rain forest. Adv ApplBiodivers Sci 2:1–170
3. Benyus J (2009) Borrowing nature's blueprints: Biomimicry. In: McNeely JA, Mittermeier RA, Brooks TM, Boltz F, Ash N (eds) The wealth of nature: ecosystem services, biodiversity, and human wellbeing. CEMEX, Mexico
4. Brooks TM, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB, Rylands AB, Konstant WR, Flick P, Pilgrim JD, Oldfield S, Magin G, Hilton-Taylor C (2002) Habitat loss and extinction in the hotspots of biodiversity. ConservBiol 16:909–923
5. Brooks TM, Mittermeier RA, da Fonseca GAB, Gerlach J, Hoffmann M, Lamoreux JF, Mittermeier CG, Pilgrim JD, Rodrigues ASL (2006) Global biodiversity conservation priorities. Science 313:58–61
6. Bruner AG, Gullison RE, Rice RE, da Fonseca GAB (2001) Effectiveness of parks in protecting biological diversity. Science 291:125–128
7. Carpenter KE, Abrar M, Aeby G, Aronson RB, Banks S, Bruckner A, Chiriboga A, Cortes J, Delbeek JC, DeVantier L, Edgar GJ, Edwards AJ, Fenner D, Guzman HM, Hoeksema BW, Hodgson G, Johan O, Licuanan WY, Livingstone SR, Lovell ER, Moore JA, Obura DO, Ochavillo D, Polidoro BA, Precht
8. WF, Quibilan MC, Reboton C, Richards ZT, Rogers AD, Sanciangco J, Sheppard A, Sheppard C, Smith J, Stuart S, Turak E, Veron JEN, Wallace C, Weil E, Wood E (2008) One-third of reef-building corals face elevated extinction risk from climate change and local impacts. Science 321:560–563
9. Chivian E, Bernstein A (eds) (2008) Sustaining life: how human health depends on biodiversity. Oxford University Press, New York

Table 1 Hotspots with the greatest total number of endemic higher vertebrate taxa (all mammals, amphibians, birds, freshwater fishes, and reptiles)

Hotspot (# endemics)

Rank	Genera	Families
	Madagascar and the Indian	
1	Ocean Islands (175)	Madagascar and the Indian Ocean Islands (22)
2	Eastern Afromontane (119)	Philippines (16)
3	Tropical Andes (103)	Japan (8)
4	Sunderland (97)	Sunderland (7)
5	Mesoamerica (78)	Caribbean Islands (6)
6	Indo-Burma (68)	Chilean Winter Rainfall and Valdivian Forests, Wallacea, New Zealand, New Caledonia (4)
7	Caribbean Islands (65)	
8	Atlantic Forest (63)	
9	Wallacea (62)	
10	Philippines (45)	Mesoamerica, Indo-Burma, and Polynesia–Micronesia (3)

Table 2

	Population 2006	Population density (1 km^2)	Malnourished children	Child malnutrition rate (%)
Tropical Andes	57,775,500	38	712,240	8
Tumbes-Choco-Magdalena	14,137,600	52	191,216	11
Atlantic Forest	111,817,000	91	464,519	5
Cerrado	28,011,300	14	160,894	5
Chilean Winter Rainfall and Valdivian Forests	15,285,100	38	11,044	1
Mesoamerica	84,590,400	75	1,493,320	13
Madrean Pine–Oak Woodlands	15,206,500	33	326,133	7
Caribbean Islands	37,516,000	164	214,842	6
California Floristic Province	36,663,100	125	10,744	0
Guinean Forests of West Africa	89,016,200	144	3,466,330	21
Cape Floristic Region	4,269,870	54	27,044	7
Succulent Karoo	372,404	4	3,327	10
Maputaland-Pondoland–Albany	19,598,000	72	179,398	7
Coastal Forests of Eastern Africa	17,024,900	59	822,586	29
Eastern Afromontane	115,799,000	114	8,463,810	38
Horn of Africa	40,017,300	24	2,410,290	31
Madagascar and the Indian Ocean Islands	21,731,700	36	1,345,790	39
Mediterranean Basin	239,517,000	115	899,708	5
Caucasus	37,073,900	69	226,073	9
Irano-Anatolian	51,799,500	58	708,419	11
Mountains of Central Asia	38,005,700	44	444,026	10
Western Ghats and Sri Lanka	51,856,400	275	2,827,980	36
Himalaya	102,492,000	138	5,839,790	40
Mountains of Southwest China	8,739,140	33	40,518	4
Indo-Burma	349,827,000	148	8,855,140	24
Sundaland	229,383,000	153	5,916,330	25
Wallacea	27,861,900	83	638,814	26
Philippines	87,757,400	296	2,846,180	28
Japan	125,347,000	335	0	0
Southwest Australia	1,816,030	5	0	0
East Melanesian Islands	1,284,660	13	0	0
New Zealand	3,935,730	15	0	0
New Caledonia	197,518	10	0	0
Polynesia–Micronesia	2,898,760	62	7,018	5
Forests of East Australia	9,147,190	36	0	0
All 35 hotspots	2,077,771,702	88	49,553,523	21

****

हरनाथ : रीतिकालीन परम्परा के अंतिम आचार्य कवि

डॉ.अनुपमा सक्सेना*

प्रस्तावना – आधुनिक हिन्दी काव्य में रीतिकालीन काव्य-परम्परा लुप्त प्राय: सी प्रतीत होती है। ऐसे में रीतिबद्ध आचार्य कवियों की परम्परा का पालन करते हुए साहित्य साधनारत कवीन्द्र पण्डित हरनाथ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विशेष उल्लेखनीय सिद्ध होता है। कविवर हरनाथ स्वयं को रस-परम्परा के ब्रजभाषा एवं उसकी काव्य-रीति के साधक कवि-कर्मी घोषित करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। एक ओर जहाँ वे एक साथ झालावाड़ एवं पन्ना नरेश का राज्याश्रय प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने स्वाभिमान को अक्षुण्णं रखते हुए आवश्यकतानुसार निर्भीक, सहज, समाजोपयोगी एवं साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आचार्य-कर्म से प्रेरित काव्य-सृजन भी करते हैं। उनकी काव्याभिरुचि उनके लिए माँ भगवती की कृपा और गुरु महाराज कालीचरण का प्रसाद था। निजी जीवन में एक बहुत अनुशासन प्रिय, ओजस्वी, प्रखर मेधावी, स्वाभिमानी, भक्त, विनोदी, साहित्यानुरागी व्यक्तित्व के धनी, हरनाथ अनेक सम्मान, पुरस्कारों एवं पदवियों से नवाजे गए। यही कारण रहा कि जब राजस्थान साहित्य अकादमी की ग्रन्थावलि प्रकाशन योजना में राजस्थान के प्रतिनिधि लेखकों के समर्थ किन्तु अप्रकाशित साहित्य को समुचित प्रतिष्ठा देने तथा परम्परा की कड़ियों के रूप में वयोवृद्ध साहित्यकारों के जीवन-व्यापी सृजन का सर्वाङ्ग परिचय मनरंजन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने काउद्देश्य निर्धारित किया गया तो सर्वप्रथम कवीन्द्र पण्डित हरनाथ के कृतित्व को चुना गया।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के तत्कालीन सचिव मंगल सक्सेना के शब्दों में-

'कवीन्द्र पण्डित हरनाथ हिन्दी के उन वयोवृद्ध कवियों की पंक्ति में हैं, जिनके काव्य का परिचय प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन की अधुनातन कसौटियों का मोह छोड़ना पड़ेगा। एक अर्थ में उन्हें उस युग का नक्षत्र कहना चाहिए जो बीत चुका है, लेकिन जिसका सामीप्य और संसर्ग सबसे ताजी सृजन-धारा को भी प्रतिक्रिया देता हो, चाहे प्रोत्साहन विकास पथ का एक आधार ही देता है।'

भारतीय काव्य शास्त्र की अक्षुण्ण परम्परा एवं कवि-कौशल की रीति एवं अलंकरण से काव्य-सृजन करने वाले कविवर हरनाथ के काव्य में रीतिकालीन आचार्य परम्परा भी सहज ही उभर कर आती है। संस्कृत साहित्य से निकलने वाली यह निर्झरणी हिन्दी को विरासत में मिली जिसे केशव, मतिराम जैसे आचार्यों ने न केवल सहेजा एवं संवारा अपितु अपनी प्रतिभा से समृद्ध भी किया। इसी सूची में हम आचार्य हरनाथ को भी सम्मिलित कर सकते हैं। हरनाथ ग्रन्थावली में उन्होंने प्राचीन सिद्ध आचार्य परम्परा के अनुसार एवं अनुरूप ही काव्य सृजन किया है। वे कवि कर्म के लिए शास्त्रीय ज्ञान एवं शास्त्रोक्त अनुभव को अनिवार्य मानते हैं। आधुनिक काव्य में यह शास्त्रीय परम्परा अपना वर्चस्व कविवर हरनाथ जैसे हस्ताक्षर के माध्यम से ही स्थापित रख पाने में सक्षम हो सकी है। कविवर का यह काव्य हिन्दी साहित्य के आधुनिक विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभदायक एवं प्रेरक है। रस, अलंकार, छन्द जैसे तत्त्वों के अतिरिक्त कवि समय, चित्र-काव्य जैसे लुप्तप्राय: तत्त्वों से भी वे परिचित करवाना नहीं भूलते। चाहे उनका लक्ष्य आचार्यत्व प्राप्त करना न रहा हो, चाहे उनका लक्ष्य सिद्ध काव्य रीति के गहन अनुभव एवं उनकी सुघड़ अभिव्यक्ति ही रहा हो, पर उनका काव्य और उनकी परम्परागत आस्था उन्हें हिन्दी के सम्मानित आचार्यों की पंक्ति में ही स्थान दिलाती है।

कवि हरनाथ स्वयं को रस-परम्परा का कवि कहते हैं। रस और कवि कदाचित् एक-दूसरे के पर्याय रहे हैं, रीतिकालीन परम्परा में तो रस अपनी सम्पूर्ण विविधता के साथ बिखरा हुआ है। रीतिकाल में श्रृंगार को विशेष महत्त्व मिला है, फिर भी हम बिहारी की त्रिवेणी (श्रृंगार, भक्ति, नीति) तथा भूषण के वीर रस को उपेक्षित नहीं कर सकते। हरनाथ को बिहारी के अधिक निकट रखा जा सकता है, जब हम उन्हें माँ भगवती के अनन्य भक्त के रूप में देखते हैं; जब हम कृष्ण एवं गोपियों के सहज, सरस प्रेम का काव्यांकन करते देखते हैं तथा फुटकर छन्दों में उन्हें उपदेशपरक काव्याभिव्यक्ति देते देखते हैं। प्रताप पताका, छत्रसाल बावनी में वीर रस से ओत-प्रोत काव्य उन्हें भूषण के निकट ले जाता है। प्रेम, वात्सल्य, हर्ष, विशाद, कोप आदि भावों का सुन्दर समायोजन उनके काव्य में दृष्टगित होता है। भाव शान्ति, भावोदय, भाव सन्धि, भाव शबलता का प्रभावपूर्ण प्रयोग उनके काव्य में सहज उपलब्ध होता है। यों तो हरनाथ के काव्य में सभी रसों की इन्द्र धनुषी छटा बिखरी हुई है, किन्तु श्रृंगार उन्हें विशेष प्रिय है, उसमें भी संयोग श्रृंगार में उनका मन अधिक रमता प्रतीत होता है।

मानव से जुड़ा शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा रहा हो, जिसे हरनाथ की कलम ने न छुआ हो। भक्ति, श्रृंगार, नीति, देशभक्ति आदि के अतिरिक्त नायक-नायिका भेद का सर्वांगीण एवं विशद् विवेचन, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन आदि उनके काव्य का कथ्य तो बनते ही हैं, साथ ही दृष्टकूट पद, कवि-समय एवं चित्र-काव्य की मृत होती परम्परा को भी जीवनदान मिलता है।

हरनाथ के काव्य में छन्द, अलंकार विधान में, विशेष रूप से छन्द में उनका आचार्यत्व अपनी दक्षता सिद्ध करता है। अलंकार सहज ही अपना स्थान ले लेते हैं, जबकि छन्दों का वैविध्य उन्हें भाता है। दोहा जैसा छोटा और छप्पय एवं कुण्डलिया जैसा बड़ा छन्द उनकी भावाभिव्यंजना में कहीं बाधा नहीं डालता। लक्षणों एवं उदाहरणों से यद्यपि वे अलंकारों को समृद्ध करते हैं तथापि कुछ नवीन अवधारणाएँ विशेष रूप से नहीं उभर कर आतीं। छन्दों में उनका मन अलंकारों की तुलना में अधिक रमता है। छन्दों का विशद् विवेचन, उनके लक्षण एवं उदाहरण तक ही सीमित नहीं रह जाता, अपितु

* सह-आचार्य (हिन्दी) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

उनकी राग तक निर्धारित करता है।

हरनाथ के भाषा के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार हैं–'अपने सम्पूर्ण दैन्य और विनय के साथ मैं बृज भाषा और उसकी काव्य रीति का साधक कवि–कर्मी हूँ और मुझे इसका बड़ा गर्व है। अपने जीवन–भर की काव्य–साधाना के निष्कर्ष रूप में मैं यह अनुभव करता हूँ कि भारतीय भाषाओं में बृजभाषा ही काव्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त और शिरोमणि रही है।' तत्सम, तद्‌भव, देशज, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों से सजी उनकी ब्रजभाषा के काव्य में भावानुकूलता, चित्रात्मकता, नाद–सौन्दर्य, मुहावरे आदि विशेषताएँ भी मिलती हैं। निःसन्देह कविवर हरनाथ भाषा–प्रवीण हैं। शब्द शक्तियों का मेधावी प्रयोग, माधुर्य, ओज व प्रसाद गुण की आभा तथा तीनों प्रकार की रीतियों का सहज उपयोग उनके काव्य में चार चाँद लगाता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक हिन्दी काव्य में रीतिकालीन काव्य परम्परा के कवियों में कवि श्री हरनाथ का अन्यतम स्थान है। उन्होंने रीतिबद्ध आचार्य कवियों की परम्परा का पालन करते हुए साहित्य साधना की। वे कवि–कर्म जिस दक्षता से निभाते हैं, आचार्यत्व भी उतनी ही दक्षता से निभाते हैं। हिन्दी साहित्य को उनका यह अवदान निःसन्देह स्तुत्य, प्रेरक एवं चिरस्थायी रहेगा। उन्होंने परम्पराओं के विघटन के दौर में साहित्य की एक स्वर्णिम परम्परा को तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद उस समय जीवन्त रखा, जब सर्वत्र आमूल–चूल परिवर्तन की आँधी आयी हुई थी। उनका यह काव्यात्मक प्रयास कालजयी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत सहज, सुलभ एवं रुचिकर माध्यम है, जिसके प्रयोग से वे संस्कृत से चली आने वाली, हिन्दी में फलने–फूलने वाली चिरानन्दमयी भावात्मक एवं कलात्मक परम्परा से परिचित हो सकेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Significance of the Indian Chemical Industry

Dr. Mamta Tiwari* Dr. Anjul Singh**

Abstract - The Chemical industry is a vital indispensable sector to any economy or nation. In this context I would like to make clear that I am not only talking about Oil & gas sector but also the entire downstream sector that is dependent on petroleum as a feedstock for materials that will be manufactured. Every advanced developed nation has a strong presence of chemical industry and it has significantly contribute to their growth - US, Germany, Japan, South Korea, China, France, Netherlands, Brazil, Switzerland, Singapore and even India (Sorry for the countries that I may have missed out). On a side note, Nordic countries while having oil reserves especially Norway, they have concentrated more on paper industry.

The study is an interpretative study and it serves as a mini encyclopedia of the chemical industry in India.
Keywords- Chemicals, Gases, Downstream, Reserves, Agrochemicals, Pesticides.

Introduction - The Indian chemical industry includes oil & gas, bulk chemicals, agrochemicals & pesticides, dyes & pigments, speciality chemicals and advanced materials, This doesn't include Pharmaceuticals which is ~$36 billion industry on its own. It must be noted however that a significant share of raw materials for drugs are sourced from chemical companies.

Specialty chemicals on its own (which are basically high performance niche chemicals manufactured by limited suppliers thereby having higher prices) form $60 billion of sales in India (this number may vary from report to report based on survey and the "definition" of specialty chemicals. The chemical industry forms about 15% of Manufacturing GDP of India. Since manufacturing is about 15% of total GDP, Chemical industry is about 2.2% of total GDP of India. It also represents 1.2% of GVA (Gross value addition) of India. As estimated in 2015, it provides employment to about 5 million people in India.

The chemical sector is mainly concentrated in Maharashtra and Gujarat. Gujarat is the petrochemical and energy hub of India. Ankleshwar in Gujarat was one of the first exclusive industrial areas in 1975 dedicated to chemicals sector (as a predecessor to SEZ concept). Similarly, Vapi and Valsad are amongst the earliest chemical manufacturing zones of India. Atul Limited, which is located to Valsad, is so famous that the township where it is located in just called Atul. Most people will know Reliance, Essar, Tata Chemicals, Aditya Birla Chem and Adani in the private sector and IOCL, HPCL, BPCL, ONGC, GAIL, GSPC, in public sector. Haldia Petrochemicals is another important name from West Bengal. But how many people know of Pidilite who produces one of India's most well known brands - Fevicol and Fevikwik?

How many people know of UPL (united phosphorus limited) which is a leader in phosphorus and agrochemicals who is now moving into Life sciences?

Some other unknown Names include Aarti Industries, Vinati Organics, Himadri Special Chem, Deepak Nitrite, Indian Glycols, Philips Carbon, Thirumalai Chemicals and many More.

Gujarat Fluorochem, Navin Fluorine and SRF concentrate on FLuroine chemistry which is one of the toughest in the world and make fluorinated products.

Guj Alkali and Guj Heavy Chem are major producers of bulk chemicals. The number of MNCs coming to India is also huge. Big names like BASF, Linde, Solvay, Dupont are already present in INdia. The future of Chemical industry is very vital to the technological progress of India.

The chemical industry of India is a major industry in the Indian economy which contributes about 6% of the country's Gross Domestic Product (GDP). India is the world's sixth largest producer of chemicals and the third largest in Asia. The estimated value of the Indian chemical industry is around $100 billion dollars. The chemical industry of India generates employment for five million people. It produces more than 50,000 different chemical products. The alkali chemical industry produces 60% of all chemicals produced in India. India's chemical industry accounts about 14% of production in Indian industries.

India's chemical story is one of outperformance and promise. A consistent value creator, the chemical industry remains an attractive hub of opportunities, even in an environment of global uncertainty. Worldwide trends affecting the global chemical industry could lead to near-

*Associate Professor, RR College, Alwar (Raj.) INDIA
** Associate Professor (Chemistry) Govt. College, Dholpur (Raj.) INDIA

term opportunities for chemical companies in India. How chemical players prioritize and tap this value-creating potential could shape the future of the industry in India as well as the country's trade performance.

India's chemical industry: A consistent value creator with a positive outlook

India is an attractive hub for chemical companies. The chemical industry is a global outperformer regarding total returns to shareholders (TRS), and this has resulted in high expectations for sustained, continual growth. The macro perspective on India indicates that while the short-term outlook is challenging, the country's long-term-growth story remains positive.

Until 2014, TRS growth was primarily underpinned by an increase in top line. Over the last five years, the triple effect of margin expansion, an increase in multiples, and continued revenue growth has raised TRS (exhibit).

Between 2006 and 2017, the compound annual growth rate (CAGR) in TRS for India's chemical companies was 15 percent—a figure much higher than the global chemical-industry return, with a CAGR of 8 percent, and the overall global equity market, with a CAGR of 6 percent. Even between 2016 and 2017, when India's economy faced headwinds, the chemical industry maintained a CAGR of 15 percent.

Major Trends of the Chemical Industry in India: Six trends are shaping the global chemical industry. While they spell uncertainty in the global context, they could open near-term opportunities in India.

1. Several global oil and gas majors are turning their sights on downstream chemical opportunities. This may increase the focus on petrochemicals in India, and higher investment in the sector could ease feedstock challenges and boost self-sufficiency.
2. The structure of China's chemical industry is changing due to stricter environmental norms, tighter financing, and consolidation. While these shifts may benefit select large players in the long run, they could cause uncertainty for international players that source chemicals from China. That could create opportunities for India's chemical companies in certain value chains and segments, especially in the short term.
3. Trade conflicts have erupted around the world, especially among China, the United States, and Western Europe. These have led to shifts in global supply chains, affecting bilateral trade between China and the United States,[9] with possible repercussions for other economies. Large chemical markets that remain accessible in this scenario could present opportunities for chemical companies in India.
4. Industry-wide, there seems to be a move toward prioritization of core businesses and consolidation on a greater scale, often through big-ticket mergers and acquisitions. For players in India, scale will matter even more, as it could help to fortify their competitive advantage.
5. Digital technology has established itself as a lever to enhance efficiency and productivity. Many companies worldwide are embracing digital's potential; India's companies could also tap into this opportunity to expand their profit margins.
6. Sustainability is becoming an imperative, not a buzzword, with various stakeholders placing a premium on it. Chemical companies could prioritize environmental sustainability to protect long-term shareholder value, while continuing to comply with local regulations.

Investment Opportunities in Chemical Industry in India: We analyzed India's trade flow in the chemical sector to identify and better understand themes for investment. Chemicals are a significant part of India's overall trade flow, consistently ranking third in imports and fourth in exports for the past five years.

Today, India has a chemical trade deficit of $ 15 billion. Analysis of India's chemical exports and imports, coupled with a review of opportunities emerging from global trends, suggests two themes for investment:

1. Building self-sufficiency in petrochemicals to plug the shortfall of domestic supply of 52 percent (by volume) in petrochemical intermediates: six value chains make up about 77 percent of this shortfall, creating an opportunity worth approximately $ 11 billion.
2. Ramping up exports in select areas, such as specialty chemicals, to obtain a larger share of global value.

The chemical industry already contributes significantly to India's trade volume. Capturing emerging opportunities in the near term could make a positive difference to India's chemical companies and to the industry overall.

A charter for industry players: As India's chemical companies seek to capture opportunities, keep up their above-average TRS, and buoy investor sentiment, they could focus on three priorities:

1. Accelerate to build an at-scale business and take advantage of economies of scale. This could benefit companies in India by opening geographic areas and customer segments; providing exposure to cutting-edge technological capabilities and to economies of scale in capital expenditures and fixed costs; and giving access to alternative and cheaper feedstock.
2. Use digital and analytics to improve margins. Chemical companies could see an increase of three to five percentage points in earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization from Industry 4.0 technologies.
3. Protect value in the long term through a pursuit of sustainability-beyond-compliance requirements. Companies could seek out more effective approaches to engage with regulatory bodies, focus on decarbonization, and embed sustainability across their organizations—from governance models and corporate culture to capital allocation, feedstock, and products.

In addition, industry players and associations could

actively work with the government to address sector-level challenges. Supportive government measures could include an integrated petrochemical and specialty-chemical master plan and fast-tracking the implementation of Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs). The government could continue to work toward the ease of doing business in India by streamlining regulations and processes and by issuing clear directives on future regulatory requirements. Finally, introducing sector-specific skill-development programs and a technology-upgrade fund could boost skill levels and innovation across the industry.

Objectives of the Study:

1. To explore the significance of the chemical industry in India.
2. To correlate the chemical industry and the industrial growth.
3. To enumerate the major trends of the chemical industry in India.
4. To predict the future of the chemical industry in India.

Hypothesis:

1. Chemical industry is one of the major industries in the world.
2. Its contribution in India is so immense.
3. It contributes to the industrial growth in India.
4. Its future is bright in terms of the industrial growth in India.

Method: Based on the secondary data available in the various forms of literature, lab-observation of the various chemicals, and discussions casually made on the growing significance of the chemical industry in India, the present study is an interpretative work. For the purpose, all the steps prescribed for the research were adopted which eventually helped in arriving at the conclusion.

Findings:

1. The chemical industry in India is growing and expanding rapidly, contributing around 3% of GDP. It is one of the third largest industries in Asia and twelfth in the world.
2. The chemical industry consists of large and small production units and has grown rapidly in both the organic and inorganic sectors.
3. Inorganic chemicals, including sulfuric acid, nitric acid, alkalis, etc., are used to make fertilizers, adhesives, plastics, detergents, soaps, lye, etc. This industry is widespread throughout the subcontinent.
4. Organic chemicals include petrochemicals, which are used to make synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyes, pharmaceuticals, and pharmaceuticals. These organic chemical plants are located near various oil refineries or petrochemical plants.
5. The chemical industry in India is the largest consumer. Basic chemicals are processed into chemicals that are very important for industrial, agricultural or direct use for the consumer market.
6. With the current size of around 108 billion dollars, the Indian chemical Industry accounts for approximately 7 percent of Indian GDP.
7. The chemicals sector accounts for about 14 % in overall index of Industrial production.
8. The share of the Industry in the national exports is around 11 percent.
9. In terms of volume, India is the third largest producer of chemicals in Asia after China and Japan.
10. The government aims to create 100 million additional jobs in the manufacturing sector by 2025. Hence, investments in manufacturing in the chemical sector are absolutely essential to ensure growth of the Indian Chemical Industry.
11. The Indian Chemical industry accounts for approximately 3% in the global share and hence a lot need to be done in this regard. with respect to policy changes and greater tax relaxations. The Industry has a huge potential to drive the Indian economy at a fast pace and create huge employment to harness India's demographic dividend.

Conclusion: India is a global manufacturing hub for chemicals and petrochemicals. The chemical industry includes companies that produce industrial chemicals. Indispensable for the modern world economy, raw materials (oil, natural gas, air, water, metals and minerals) are converted into more than 70,000 different products. The plastics industry has some overlap as several chemical companies produce plastics and chemicals.

Its contribution to economic growth cannot be denied. The future of the chemical industry is bright as it is the backbone of the industrial growth without which the industrial sector in India cannot be developed. India is embarking on a high growth path, and the country is establishing itself as an attractive destination for investment in chemical industry. Organic chemicals are witnessing high growth due to growing demand from consumer goods & pharmaceutical industry.

The Chemical industry dominates the Indian economy accounting for 6% of the total industrial output in 2009. India's chemical industry is currently regulating towards modernization of the chemical plants and adopting western technologies while simultaneously increasing their productivity. The main factors for its growth could be listed as follows:

Fundamental Edge- the Indian paint industry is the fourth largest in terms of volume and the third largest in terms of value marketed at Rs. 16,500 Crore in FY 2013-14. The paint industry has exhibited a positive growth on account of the growing construction activity, rising disposable income levels, rural demand and adoption of modern building material like polymer modified cement sheet, plastics and ceramic tiles. With a growing market and purchasing power and with India's growing population, the domestic industry is likely to grow at over 10-13 percent in the coming years. Growing disposable incomes and increasing urbanization are fuelling the end consumption demand for paints, textiles,

adhesives and construction, which, in turn, leads to substantial growth opportunity for chemicals companies.

Government Policies- India's chemical industry has always been protected by high tariffs, strict foreign direct investment (FDI) policies and other regulatory controls. The government of India has maintained a mixed, uncertain and cautious view on FDI in the chemical industry. Increasing growth in end -user demand is expected to boost the domestic market for chemical products in India in the coming years.

Indian chemical industry often complains about what is termed as lack of level playing ground, which Is not borne by the facts. There is need to be competitive in the global market, and no chemical industry should think that it should get preferred treatment in India to operate in India and global market, which is no more possible considering the WTO regulations.While the investment constraints are pointed out as a stumbling block for setting up large capacity plants of global size, the fact is that there are many specialty chemicals which are now imported in increasing quantity in India, for which large investments are not required.

The issue is that often for setting up several chemical projects even of small size, Indian chemical industry is looking for technology from abroad. In several cases, it is seen that the investment in the chemical industry is limited by the extent to which international organizations are willing to provide technology and global market support. Another matter of concern is that corporate planning strategies are not given due importance that they deserve in Indian chemical industry. Corporate planning strategies imply the continuous tracking of developments about demand-supply trends and technologies on a global scale and efforts to identify appropriate opportunities based on the strength of the individual units. This does not seem to be happening inadequate measures. There appears to be lack of knowledge accumulation efforts.

References:-

1. Balasubramanian A. -Chemical Industries in India (Book), 2017
2. Majumdar, Subrata-Productivity Performance of Indian Chemical Sector: Post Reform Perspective, The Journal of Industrial Statistics, 1 (2), 2007
3. Tanuja KA- A Study on the Comparative Financial Performance of Indian Chemical Companies, GJra- Global Journal for Research Analysis, Volume e : 3, ssue : 11, N -4, April - 2017
4. Viswanathan Swaminathan-Occupational health and safety in chemical industries in transitional economies, Sep-Dec; 2011 15(3): 85–86.

****

प्राचीन भारत में न्यायिक सक्रियता का विश्लेषण

डॉ. आराधना सक्सेना*

शोध सारांश – भारत में पिछले दो दशकों से न्याय व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इन दशकों में न्यायपालिका का आकार, व्यवहार, क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, और विशेष रूप से उसका लक्ष्य ही बदल गया है। वर्तमान में न्यायपालिका का लक्ष्य व्यक्तिगत न्याय के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना हो गया है। आज न्यायपालिका केवल न्याय प्रदान करने का ही कार्य नहीं कर रही है वरन् एक प्रशासक, सुधारक, अनुसंधानकर्ता और नीति-निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। दूसरें शब्दों में न्यायपालिका न्याय-सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी कर रही है जो कार्य मूलरूप से कार्यपालिका द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों को प्रयोग करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है।

प्रस्तावना – न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका की निष्क्रयता का स्वाभाविक परिणाम है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वेच्छाचारिता तथा निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। जेलों में वर्षो से सुनवाई की प्रतीक्षा में बंद कैदी, अवैध बंदीकरण, स्त्रियों, बच्चों और श्रमिकों का शोषण, जेल और महिला संरक्षण-गृहों की अमानवीय दशा, पुलिस-अत्याचार, बेगार, न्याय मिलने में अत्यधिक विलम्ब ऐसी असंख्य समस्याओं का निराकरण करने में कार्यपालिका अप्रभावी सिद्ध हुई है। कार्यपालिका की इस निष्क्रियता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति को न्यायपालिका ने विधि के शासन की विफलता माना है। न्यायपालिका, जो पारम्परिक मूल्यों और मानकों का अनुपालन करते हुए अभी तक मूकदर्शक थी, विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए 'सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए।' इस तरह न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायिक सक्रियता को सांविधानिक आधार प्रदान किया। संविधान लागू होने के बाद 25-30 वर्षो तक भारत की न्यायपालिका ने भी अमेरिकी न्यायपाकिा द्वारा प्रतिपादित प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए नकारात्मक भूमिका अदा की। लेकिन जब कार्यपालिका की उदासीनता और स्वेच्छाचारिता अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गई तो न्यायपालिका ने अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया। वास्तविकता यह है कि डीरीॅलसि के नियम को शिथिल करने का परिणाम ही न्यायपालिका की सक्रियता के रूप में सामने आया है।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ– ब्लैक्स लॉ शब्दकोश के अनुसार – न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है एक ऐसा दर्शन जो न्यायपालिका को प्रगतिशील व्याख्या के सिद्धांत से जोड़ता है और पूर्व के न्यायिक उद्धहरणों के अनुगमन बगैर प्रगतिशील तथा नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में मत देने को प्रेरित करता है। सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा को साकार करने के मकसद से न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के दर्शन को विशेष तौर पर अपनाने का प्रयास किया है। साधारण अर्थ में सामान्य व्यक्ति की न्याय के पास पहुँच और उसके मूल अधिकारों का प्रवर्तन न्यायिक सक्रियता हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यो को ग्रहण करना है। इसी को न्यायपालिका द्वारा शासन की संज्ञा दी गई है।

न्यायिक सक्रियता का विकास– न्यायिक सक्रियता सामाजिक-आर्थिक विधान के प्रभाव में न्याय की धारणा को केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखता है बल्कि इसको सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र तक विस्तृत करता है। वस्तुतः न्याय सामाजिक-आर्थिक प्रतिभास हो गया है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में भ्रष्टाचार, विधिहीनता, मानव अधिकारों का उल्लंघन आदि ने कुशासन से मिलकर न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया है। यह गरीबों और लोगों के बहुतायत समूह के लिए सामाजिक उपाय है। जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिनको कठोर एवं निर्दय समाज ने कई पीढ़ियों से न्याय से वंचित कर रखा है। इस प्रकार भारतीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानवीय पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया है। भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है–

1. न्यायपालिका की सक्रियतावादी भूमिका को प्रोत्साहन मानव अधिकारों के अतिक्रमण ने दिया है। यदि न्यायिक सक्रियता न होता तो बन्धुआ मुक्ति मोर्चा के मामले में मानव अधिकारों का नंगा अतिक्रमण, भागलपुर जेल में अन्धा करने का मामला, जेलों में, पुलिस अभिरक्षा में, पागलों के मानसिक अस्पताल में, महिलाओं के रक्षा भवनों के मानव अधिकारों का अतिक्रमण प्रकाश में न आता। न्यायिक सक्रियता ऐसे मामलों को उजागर करके जनता में चेतना लाता है।
2. देश में व्याप्त भ्रष्टाचार ने न्यायिक सक्रियता को बहुत बढ़ावा दिया है। आजकल भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रों में शिखर बिन्दु पर हैं। नौकरशाही में भ्रष्टाचार आक्सीजन हो गया है। राजनेता, नौकरशाह और व्यापारी का त्रिकोण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कारण है। हवाला काण्ड, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला जैसे सरकारी घोटालों के मामले न्यायिक सक्रियता के द्वारा ही उजागर हुए हैं। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता सरकारी भ्रष्टाचार के निवारण में अपनी सशक्त भूमिका अदा करता है।
3. त्रिशंकु संसद होने के मामले में, जब सरकार सेवा में कमजोर होती है, अपनी उत्तरजीविता से अधिक सरोकार रखती है और कोई ठोस तथा प्रभावी

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

निर्णय लेने में असमर्थ होती है, तो न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अतएव इसने विधायिका और कार्यपालिका दोनों को समय-समय पर निर्देश दिया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करें ताकि राष्ट्रीय हित का संरक्षण किया जा सके।

4. जब शक्तिशाली और निरंकुश संसदीय सरकार ने विधि के उपबन्धों का दूरस्थ अभिप्राय से दुरूपयोग किया तो न्यायपालिका ने शक्ति के कुप्रयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।

5. गठबंधन राजनीति, कुछ सीमा तक, न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने में जिम्मेदार है। गठबंधन सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों का सम्मिलन है। जो सरकार बनाने केलिए आपस में मेल कर लेते हैं। गठबंधन सरकार में जो व्यक्ति शक्ति धारण करते हैं सख्त निर्णय लेने में भयभीत रहते है, यदि वह निर्णय गठबंधन साझीदार के खिलाफ है। गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह राष्ट्रीयता हीत को प्राथमिकता देने के बजाय सरकार की उत्तरजीविता को प्राथमिकता देती है। यह जनता को कठिनाई में डाल देती है और इसलिए लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायपालिका के पास जाते हैं।

न्यायिक सक्रियता पर कतिपय लोगों के विचार– न्यायाधीश वी. आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार – 'न्यायिक सक्रियता सामाजिक न्याय के अतिमहत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का एक यंत्र है।' न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के अनुसार– विधिक व्यवस्था को बनाये रखने न्यायपालिका का कर्तव्य है। विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने न्यायिक सक्रियता को सांविधानिक आधार प्रदान किया।

न्यायाधीश कुलदीप सिंह के अनुसार – 'न्यायिक सक्रियता जिसको कहा जाता है, वह कुछ नहीं है। यह जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय को निर्वचन अथवा वर्णन करने का एक दूसरा तरीका है।'

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने कार्यालय छोड़ने के बाद 24 घण्टे के भीतर एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा– 'न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा तब होती है जब दूसरों में सुस्ती होती है। उचित न्यायिक सक्रियता वह है जो अन्य अंगों में उचित कार्यकरण सुनिश्चित करता है और सबसे उत्ताम प्रकार का न्यायिक सक्रियता वह है जो परिणाम में कम से कम हस्तक्षेप लाता है, यदि प्रत्येक अंग कार्य कर रहा हैं तो हमें प्रवेश करना नहीं पड़ता है।' वे आगे कहते हैं– 'न्यायिक सक्रियता उनको सक्रिय होने की प्रेरणा देता है जो अकर्मण्य हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इसमें कमी हो जाती है क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि दूसरे कार्य कर रहे हैं।' इस प्रकार किसी को सक्रिय करना जो अंगीकृत विधिक मानवों के प्रति अकर्मण्य है, उसे अन्य की अधिकारिता में अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। वस्तुत: राजनेताओं द्वारा न्यायपालिका की 'न्यायिक सक्रियता' के नाम में आलोचना करना गलत है। सामान्य मनुष्य न्यायपालिका की कार्य-प्रणाली से बहुत प्रसन्न है।

न्यायमूर्ति ए.एस. अहमदी के अनुसार – 'न्यायिक सक्रियता अपनी अग्रणी भूमिका में है जिसको कभी-कभी होना चाहिए।'

न्यायमूर्ति ए.एस. आनन्द ने अक्टूबर 1999 में केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के 'शताब्दी विधि व्याख्यान' में न्यायिक सक्रियता का समर्थन किया था लेकिन यह चेतावनी भी दी थी कि न्यायपालिका को इसे अत्यन्त संचेतना के साथ लागू करना होगा अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। न्यायमूर्ति ए.एस. आनन्द ने यह स्पष्ट किया था कि न्यायपालिका को न्यायिक विचार व्यक्त करना चाहिए परन्तु उद्देश्य की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए। न्यायमूर्ति आनन्द के ये विचार जहां एक तरफ न्यायिक सक्रियता के विचारों को समर्थन प्रदान करते हैं वही दूसरी तरफ न्यायाधीशों के मर्यादित व्यवहार की ओर भी इशारा करते हैं।

न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन ने भी न्यायिक सक्रियता को प्रासंगिक बताया है तथा उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया है कि न्यायिक संवेदनशील स्थापित करते हुए प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए न्यायपालिका द्वारा सकारात्मक प्रयत्न किया जाना न्यायोचित है।

सत्य बात यह है कि न्यायिक सक्रियतावाद व्यक्तियों का सक्रियतावाद है जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, वे व्यक्ति ही हैं जो अपने मूल अधिकारों के अतिक्रमण को न्यायालय की निगाह में लाते हैं। न्यायालय मुकदमों की खोज में नहीं जाता है। परिणाम यह है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक प्रशासन का सबसे अधिक आवश्यक भाग है जिसके द्वारा सम्पूर्ण प्रशासन में सच्चाई के उच्च मानकों का अनुरक्षण किया जाता है। न्यायिक सक्रियता के अभाव में कार्यपालिका और विधायिका उद्दण्ड हो जायेंगे।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता का पृष्ठभूमि नयी नहीं है। इसका जन्म संविधान में खुद हुआ, जब संविधान निर्माताओं ने उचित कारणों सहित न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान के मूल ढांचे के रूप में अवधारित किया तथा न्यायपूर्ण शासन के साधन के रूप में इसे न्यायालयों ने अपने न्यायिक दर्शन द्वारा स्थापित किया।

संविधान में राष्ट्र की जनता के हितों की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किये गये हैं लेकिन हमारी विधायिका एवं कार्यपाकि अनेक कारणों से अपने सार्वजनिक दायित्वों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश हो गये तथा न्यायालय ने जनता की इस आकांक्षा को स्वीकार कर उन्हें न्याय प्रदान किया है। वस्तुत: भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार के प्रशासनिक विफलता की पूर्णता न्यायिक सक्रियता से ही की जा सकती है, अत: बहुतायत जनता के हितों के लिए न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता का बने रहना अत्यंत आवश्यक है।

जनहित विवाद– न्यायिक सक्रियता की अभिव्यक्ति का प्रमुख उपकरण जनहित विवाद है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को प्रमुख माना जाता है। 1976 में मुम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के मुकदमें में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने अप्रत्यक्ष रूप से जनहित विवाद को मान्यता प्रदान की। 1981 में एस.पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारिता के नियमों को शिथिलता प्रदान करते हुए जनहित विवादों के औचित्य को स्पष्ट किया।

संविधान ने न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों को संरक्षक बनाया था लेकिन लगभग 30 वर्षो तक न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों का सीमित रूप में प्रयोग किया और स्वयं अपने ऊपर कुछ सीमाएँ आरोपित की जिसके कारण आम जनता के लिए न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल था। न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल व्यक्तिगत हितों तक सीमित समझा जाता था अर्थात् न्यायालयों में सिर्फ ऐसे मुकदमों की ही सुनवाई की

जाती थी जिसमें किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। प्रतिबंध यह भी था कि इस प्रकार का मुकदमा केवल वही व्यक्ति कर सकता था जिसको क्षति पहुंची है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, वर्ग तथा समूह के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्यायालय नहीं जासकता था। दूसरे शब्दों में न्याय का स्वरूप वैयक्तिक था, सामाजिक नहीं। दूसरी शर्त यह थी कि अपने दावे के पक्ष में प्रमाण जुटाना और न्यायालय नहीं। दूसरी शर्त यह थी कि अपने दावो के पक्ष में प्रमाण जुटाना और न्यायालय में यह सिद्ध करना कि उसके किसी अधिकार का वास्तव में हनन हुआ है स्वयं वादी की जिम्मेदारी थी, न्यायालय का उससे कोई मतलब नहीं था। तीसरी शर्त यह थी कि न्यायालय में कोई याचिका देने के लिए उसका निर्धारित प्रारूप और निश्चित औपचारिकताएँ थीं। किसी भी व्यक्तिगत हित संबंधी विवाद के लिए वादी और प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। इन प्रतिबंधों का परिणाम यह था कि न्यायालय सामाजिक या सार्वजनिक न्याय के लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर सकता था। न्यायपालिका की भूमिका बहुत कुछ निषेधात्मक थी और उसका कार्यक्षेत्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायता देने तक सीमित था। परिणाम यह था कि कार्यकारिणी अपने सांविधानिक दायित्वों को पूरा करने में उदासीनता बरतती थी और नागरिक कार्यकारिणी की स्वेच्छाचारिता का शिकार थे। इन परिस्थितियों में न्यायपालिका ने सक्रिय होकर कार्यकारिणी के दायित्वों को ग्रहण कर लिया। जनहित के लिए जो नीतियाँ सरकार को बनानी चाहिए थीं वह जनहित विवादों के माध्यम से न्यायपालिका जनता की यातनाओं और दुखों को दूर करने का सतत प्रयास कर रही है। न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर के शब्दों में, 'जनहित विवाद सर्वसाधारण के कष्टों के निराकरण का एक न्यायिक उपकरण है।'

जनहित विवादों में सामान्यतया किसी व्यक्तिगत मामले को नहीं उठाया जाता। इसके माध्यम से जो मामला उठाया जाता है वह किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह के सामान्य हित से संबंधित होता है। जनहित विवादों में मामला किसी व्यक्ति, संस्था, प्रेस, पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सकता है। जनहित विवादों में, विवादों को न्यायालय में लाने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता को पूरा नहीं कर करना पड़ता है। मात्र एक पोस्ट कार्ड याचिका का रूप धारण कर लेता है और न्यायालय उसी के आधार पर अपेक्षित राहत प्रदान करता है। जनहित विवादों का निराकरण हार-जीत के आधार पर नहीं होता। इसका उद्देश्य तो उन बाधाओं को दूर करना है जिनके कारण कोई समूह विशेष अपने विधिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या जिससे उसको क्षति पहुँच रही है। जनहित विवादों में न्यायालय का दृष्टिकोण उन परिस्थितियों का सृजन करना होता है जो जन कल्याण के लिए आवश्यक है। अत: न्यायालय कार्यकारिणी को सकारात्मक कार्य करने के लिए निर्देशन करता है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका नीति-निर्धारक और प्रशासन-सुधारक की भूमिका अदा करती है।

वास्तव में यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने का एक प्रभावी उपकरण है। इन विवादों के माध्यम से न्यायपालिका ने कार्यपालिका को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आकृष्ट किया है। उसे प्रोत्साहित, निर्देशित, प्रतिबंधित और नियंत्रित किया है। न्यायमूर्ति भगवती ने व्यक्तिगत हित विवाद और जनहित विवादों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'जनहित विवाद' कानूनी सहायता आन्दोलन का एक हिस्सा है, उसका रणनीति शास्त्र है। जनहित विवाद यह चाहते है कि गरीब, निरक्षर, दबे और कुचले हुए लोगों को भी उनके सांविधानिक अधिकारों का उपभोग करने का मौका मिल सके। न्याय गरीबों तक पहुंचाना जनहित विवादों का अंतिम लक्ष्य है। विधि के शासन को संरक्षित जनहित विवादों का उद्देश्य हैं। न्यायिक सक्रियता का प्राचीन स्वरूप- न्यायिक सक्रियता के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात् यह बात स्पष्ट हो गई है कि न्यायपालिका द्वारा स्वारोपित प्रतिबंधों को शिथिल करने के पश्चात् ही न्यायिक सक्रियता का स्वरूप सामने आता है।

इन प्रतिबंधों में सबसे मौलिक प्रतिबंध यह था कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता है जिसके वैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। इसे अधिकारिता (Standing) का नियम कहा जाता है।

इस नियम को शिथिल करके न्यायपालिका ने यह सिद्धांत विकसित किया कि किसी व्यक्ति या समूह के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी कोई अन्य व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा पत्र या समाचार के द्वारा भी न्यायालय को दी जा सकती है और इस प्रकार प्राप्त सूचना को न्यायालय एक याचिका की तरह स्वीकार करते हुए उस पर कार्रवाई करेगा।

अगर हम प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था का गहनता से अध्ययन करें तो हमें प्राचीन भारत में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। राजा कभी भी अकेले न्याय कार्य नहीं करता था। राजा सभाभवन में प्राड्विवाक, अमात्य, ब्राह्मण, पुरोहित और सभ्यों के साथ प्रवेश करता था। ब्राह्मण अनियुक्त ओर सभासद् नियुक्त होते थे। ब्राह्मण यद्यपि अनियुक्त थे तथापि वे सभा के अंग माने गये है। न्यायाधीश निर्णय में उनकी सम्मति अवश्य लेते थे। अनियुक्त ब्राह्मण जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और जनहित में सम्बन्धित समस्याओं को राजा के समक्ष रखते थे। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-संस्था के प्रति हो रहे

अन्याय की जानकारी राजा को, सभाभवन में उपस्थित अनियुक्त ब्राह्मणों के द्वारा दी जा सकती थी। सभाभवन में इन समस्याओं पर विचार-विमर्श होने के पश्चात् राजा द्वारा इस पर कारवाई की जाती थी।

अत: स्पष्ट है कि वर्तमान में जिस अधिकारिता (Standing) के नियम को शिथिल करने के पश्चात् न्यायिक सक्रियता का रूप सामने आया, वह स्थिति प्राचीन भारत में पहले से विद्यमान थी।

वर्तमान न्यायपालिका द्वारा स्वारोपित दूसरा प्रतिबंध यह था कि न्यायालय किसी अवैधानिकता के खिलाफ उस समय तक कोई संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह मामला औपचारिक रूप से न्यायालय के सामने न लाया जाए। न्यायालय स्वयं से किसी मामले को नहीं उठा सकता था। किन्तु न्यायापालिका अब स्वारोपित प्रतिबंध को शिथिल करते हुए जनहित के मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर कार्य करने लगा है। जिसका प्रतिफल न्यायिक सक्रियता के रूप में सामने आया है।

प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में राजा को विधि निर्माण का अधिकार न देकर विधि क्रियान्वयन के शीर्ष पर रखा गया था। व्यवहारपद का अर्थ है झगड़े, विवाद या मुकदमें का विषय। याज्ञवल्क्य ने इसका अर्थ यों बताया है- यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों द्वारा स्मृति-नियमों एवं रूढ़ियों के विरोध में तंग किया जाता है, वह राजा या न्यायाधिकारी को सूचित करता है तो इसे व्यवहारपद कहते हैं। व्यवहारपद के अन्तर्गत वे झगड़े आते हैं जो वादियों या प्रतिवादियों की ओर से कचहरी में आरम्भ किये जाते या लाये जाते हैं। मनु व कौटिल्य ने 18 व्यवहारपदों की गणना की है। इसका तात्पर्य यह है

कि मनुष्यों के बहुत से झगड़े व विवादों को 18 शीर्षकों में बाँटा गया था। विवाद के कुछ विषय ऐसे भी थे, जो इन 18 व्यवहारपदों के अन्तर्गत नहीं आते थे। ऐसे विषय 'प्रकीर्णक' कहे गये हैं। यद्यपि राजा को स्वयं विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया गया था तथापि कुछ विषय ऐसे थे जिनका निर्णय राजा स्वमत से कर सकता था। ऐसे विषय ही 'प्रकीर्णक' कहे गए हैं। 'प्रकीर्णक' में जिन विषयों का परिगणन किया गया है उनका सम्बन्ध समाज की मूलभूत धारणा से न होकर व्यक्ति के व्यावहारिक तथा दैनिक जीवन से रहा है।

वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता की अभिव्यक्ति जनहित के याचिका के रूप में हुई है। जनहित विवाद का उद्देश्य है कि गरीब, निरक्षर, दबे और कुचले हुए लोगों को भी उनके सांविधानिक अधिकारों का उपभोग करने का मौका मिल सके। न्याय गरीबों तक पहुँचाना, जनहित विवादों का अंतिम लक्ष्य है। विधि के शासन को संरक्षित रखना जनहित विवादों का अंतिम लक्ष्य है। विधि के शासन को संरक्षित रखना जनहित विवादों का उद्देश्य हैं।

जनहित विवादों के माध्यम से महिलाओं बच्चों, मजदूरों, गरीबों, शोषित तथा कमजोर वर्ग के लोगों, जेलों में सुनवायी की प्रतीक्षा में रखे गए बंदियों, पुलिस के अत्याचार के शिकार व्यक्तियों की समस्याओं को न्यायालय के समक्ष लाया गया है और न्यायपालिका ने उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश और आदेश दिए है। इस प्रकार जनहित याचिका का कार्य 'न्याय आपके द्वार' की धारणा को साकार करना है।

प्राचीन भारत में ग्राम अदालतें न्याय व्यवस्था का आधार थीं। बड़े-बड़े मुकदमों का निपटारा गांव की पंचायतों द्वारा ही कर दिया जाता था। ग्राम स्तर पर न्यायिक इकाईयाँ पंचायतों एवं महापंचायतों के रूप में सक्रिय थी। प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशिष्टता यह थी कि इसके साथ यह अवधारणा चुड़ी थी कि 'न्याय को गरीब तक पहुँचना ही चाहिए' (Justice must reach the poor) तब न्याय पाने के लिए आर्थिक पक्ष मजबूतहोना जरूरी नहीं था। बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय दिया जाता था। हमारी पंचायतें ऐसा करते हुए 'न्याय आपके द्वार' की धारणा को साकार करती थीं। प्राचीन भारत में जगह-जगह पर जाकर न्याय निर्णय करने वाले भी न्यायालय होते थे, जिनको नारद ने 'चल न्यायालय' कहा है। इस तरह के न्यायालयों का उद्देश्य न्याय को समाज के सभी वर्गो तक पहुंचाना था।

अगर हम जनहित याचिका के लक्ष्य व उद्देश्यों को ध्यान में रखकर न्यायिक सक्रियता पर विचार करे और प्राचीन भारतीय न्यायपालिका के लक्ष्य व उद्देश्यों के साथ उसकी तुलना करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्राचीन भारत में न्यायिक सक्रियता अपने प्रखर रूप में थी।

सरकार के तीन अंग होते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वर्तमान में न्यायिक सक्रियता का यह अर्थ दिया जाता है कि, न्यायिक सक्रियता कार्यकारिणी की निष्क्रियता का स्वाभाविक परिणाम है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासनीता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है।

किन्तु प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था में राजा ही सरकार के तीनों अंगों का प्रधान होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था क्यों कि वह इन शक्तियों का प्रयोग अकेले नहीं कर सकता था। राजा पर नियंत्रण था, उसकी भी सीमायें थीं। राजा धर्म, शास्त्रों, रीति-रिवाज, परम्पराओं के विरूद्ध जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था।

कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते समाज में विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने का कार्य राजा का था। राजा न्यायालयों की स्थापना कर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सामाजिक स्थानों की सुरक्षा हेतु पुलिस एवं गुप्तचरों का समुचित प्रबंधन भी राजा द्वारा किया जाता था। मनु ने राजा की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्त दो मुख्य पहलू माने हैं- राज्य की सुरक्षा और सुरक्षा के क्रम में दण्ड की व्यवस्था राजा अपने कार्यपालिका सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाता था।

विधायिका के क्षेत्र में राजा की शक्ति सीमित थी। राजा विधि का निर्माण नहीं करता था। विधि के स्रोत शास्त्र, श्रुति, स्मृति, लौकिक निर्णय, प्रथायें एवं रीतिरिवाज थे। न्यायिक क्षेत्र में राजा न्याय का स्रोत माना जाता था। राजा अंतिम न्यायालय था। वह स्वयं प्रतिदिन न्यायदान करता था। अपराधियों को दण्ड देना उसका कर्तव्य था। राजा मंत्री, पुरोहितो, सभासदों के साथ मिलकर न्यायकार्य करता था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में सरकार के तीनों अंग सक्रिय अवस्था में थे। अत: न्यायिक सक्रियता की यह परिभाषा कि, कार्यपालिका की निष्क्रियता न्यायिक सक्रियता को जन्म देती है, प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था के सन्दर्भ में सही नहीं है।

न्यायिक सक्रियता आलोचना- भारत में न्यायपालिका ने कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार के जिस तरह प्रवेश किया हैउसकी आलोचना स्वयं न्यायाधीशों के एक वर्ग द्वारा की गई है। न्यायाधीश तुलजापूरकर ने 1982 में एक व्याख्यान देते हुए कहा था कि 'यदि एक स्वतंत्र न्यायपालिका को गणतंत्रीय शासन का हृदय कहा जाता है तो वर्तमान में भारतीय गणतंत्र गम्भीर हृदय रोग से ग्रस्त है।' न्यायाधीश तुलजारपूरकर ने न्यायिक सक्रियता की हृदय रोग से तुलना करते हुए उसे गणतंत्रीय व्यवस्था के लिए घातक बताया है। न्यायिक सक्रियता की आलोचना इस रूप में भी की जाती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों को हड़प रही है। कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका का इस प्रकार हस्तक्षेप शासन के तीननों अंगों के बीच के संतुलन को समाप्त कर देगा। जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग के स्थान पर निरन्तर टकराव और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधिकारिता के नियम को अत्यधिक शिथिलता प्रदान करने के फलस्वरूप न्यायपालिका पर मुकदमों का भार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा और वह अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से न कर सकेगी। एक पत्र को याचिका का दर्जा देने की प्रणाली आकर्षक अवश्य है किन्तु इसका दुरूपयोग किया जाना भी स्वाभाविक है। न्यायिक सक्रियता की आलोचना करते हुए यह भी कहा गया है कि, यदिजनहित के माध्यम से न्यायपालिका छोटे-छोटे प्रशासकीय मामलों में हस्तक्षेप करती रही और कार्यपालिका को आदेश, निर्देश देती रही तो शीघ्र ही इन न्यायिक निर्देशों का महत्व समाप्त हो जाएगा और कार्यपालिका उनकी परवाह भी नहीं करेगी। इससे न्यायपालिका का महत्व भी घटेगा।

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। विजातीयता, औपचारिकता तथा अतिव्यापकता इसकी प्रशासनिक विशेषताएँ हैं। न्यायपालिका न्याय के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकती है परन्तु प्रशासनिक तकनीकी सम्बन्धी जटिलताओं के प्रति उसकी विशेषज्ञता पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायपालिका प्रशासनिक तकनीकी मुद्दों पर मत व्यक्त करती है या हस्तक्षेप करती है तो यह किसी भी तरीके से स्वागत योग्य कदम नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में यदि न्यायिक सक्रियता को अनावश्यक महत्व दिया जाता हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते है।

इसमें संदेह नहीं कि न्यायिक सक्रियता के विरूद्ध उठाई गई आपत्तियों में एक हद तक सत्यता है किन्तु इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जनहित विवाद प्रणाली ने सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज के वे लोग जो निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण अन्याय का शिकार थे उन्हें जनहित विवादों के माध्यम से न्याय प्राप्त हो सका है। जनहित विवादों ने न्यायालय तक आम आदमी की पहुँच को आसान बना दिया है। न्यायपालिका ने जनहित विवादों के माध्यम से संविधान की विस्तृत व्याख्या करके नागरिक अधिकरीं के क्षेत्र को निरन्तर विस्तृत किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनहित विवादों के माध्यम से न्यायपालिका ने नीति-निर्देशक सिद्धांतों को जो न्या ेग्य नहीं है, उन्हें लागू करने का प्रयास किया है। जनहित विवादों के माध्यम से भारत की न्यायपालिका ने बिग माँगे न्याय देने का संकल्प लिया है। न्यायालय को मात्र एक पोस्ट कार्ड भेजकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। बगैर किसी खर्च के न्याय देना यह जनहित विवाद प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य है। जनहित विवादों के माध्यम से न्यायपालिका निरन्तर कार्यपालिका की गतिविधियों पर दृष्टि रखती है और उसे आवश्यक निर्देश देकर उसे अपने सांविधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करती है।

निष्कर्ष- इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदाक की है और इस दृष्टि से हमें न्यायिक सक्रियता का स्वागत करना चाहिए किन्तु अतिसक्रियता के भी खतरनाक परिणाम हो सकते है। अतः न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के शब्दों में न्यायपालिका को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायिक सक्रियता ने साधनहीन, भाग्यवादी तथा आम नागरिक की लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने सामाजिक न्याय को पुनर्भाषित करते हुए भारतीय लोकतंत्र को न्याय सम्मत बनाने का प्रयास किया है। कार्यपालिका की अकर्मण्यता, संवेदनहीनता तथा निरंकुशता को नियंत्रित करने एवं भारत जैसे विशाल देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता ने प्रभावी योगदान दिया है। इसने भारतीय न्याय प्रणाली को जटिल तथा तकनीकी विधिक प्रक्रिया एवं पुरातन विधिक नियमों से मुक्त करने का भी प्रयास किया है। इसने लोक जीवन में पारदर्शिता तथा दायित्व बोध पर बल दिया है। न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान करते हुए कार्यपालिका को कर्तव्यपरायण बनाने में महती भूमिका निभाई है। न्यायपालिका की इस परिवर्तित भूमिका से भारतीय लोकंतत्र में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसा कि वाइस ने कहा है कि जहाँ न्याय नहीं, वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है। विधायिका की अक्षमता एवं कार्यपालिका की भ्रष्टता के कारण आज लोकंतत्र के दो स्तंभ जर्जर स्थिति में पहुंच गए है। ऐसी स्थिति में अगर तीसरे स्तम्भ अर्थात् न्यायपालिका अपने बल बूते पर लोकंतत्र को खड़ा रखने का सदकार्य कर रही है तो यह निश्चय ही प्रशंसनीय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. परांजये, प्रो. एन.बी : अपराधशास्त्र एवं आपराधिक न्याय प्रशासन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1971।
2. टण्डन, डॉ. किरन : प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1988।
3. अर्चना गुप्ता एवं प्रो. कौशल किशोर मिश्र : राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञानसंकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2017।
4. शरण, परमात्मा : प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1997।
5. तिवारी, रामनिवास : हिन्दू विधि विवेक, पिलग्रिम्स पब्लिशिंग, वाराणसी, 2007।
6. अग्रवाल कमलेश : कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीति की राज्य-व्यवस्थाएँ, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2001।
7. काणे, पी.वी : धर्मशास्त्र का इतिहास, अनुवाद अर्जुन चौबे कश्यप, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, 1973।
8. अल्टेकर, ए.स. : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2009।
9. राय, कौशल कुमार : अपराध और दण्डशास्त्र, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1965।
10. ठाकुर, लक्ष्मीदत्त : प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन, हिन्दी समिति, लखनऊ 1971।
11. पाण्डेय, डॉ. विमलचन्द्र : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1975।
12. शर्मा, डॉ. वाचस्पति : प्राचीन भारत की दण्ड व्यवस्था, नाग प्रकाशन, दिल्ली, 1989।
13. त्रिपाठी, हरिहरनाथ : प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1964।
14. त्रिपाठी, हरिहरनाथ : प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1965।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

स्वाधीनता संग्राम में मुरादाबाद मंडल का योगदान (1905ई0 -1919ई0): एक अध्ययन

डॉ. अपर्णा* हरि ओम**

शोध सारांश – भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति का एक प्रमुख स्थान है। इस क्रांति के बाद भारतीय इतिहास की दिशा अलग तरह से तय होती है। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा कई बदलाव किये गए। इसमें भारतीय प्रशासन से लेकर भारतीय समाजिक सुधारों की अंग्रजी नीतियां भी तय की गई। इसके साथ ही साथ राजनीतिक नीतियों में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया।
शब्द कुंजी – स्वदेशी होमरूल आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं सत्याग्रह।

प्रस्तावना – कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक का काल भारतीय कांग्रेस के उदारवार का काल है जिसमें कांग्रेस प्रार्थनापत्रों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा तो रही थी लेकिन सरकार ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नही दिया। धीरे धीरे उदावादियों की इस रणनीति का विरोध होने लगा और अब उदावादी भी सरकार की निष्क्रियता से तंग आ गए थे। दूसरी तरफ सरकार इन उदावादियों की अनसुना करते हुए मनमाने फैसले ले रही थी और ऐसा ही एक फैसला लिया गया वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और कर्जन का उद्देश्य इस विभाजन के पीछे ये था कि बंगाल क्रांतिकारियों का एक गढ बनता जा रहा था। हिंदू और मुसलमानों की एकता यहां अंग्रेज सरकार को अखर रही थी और इसी ऐकता को तोडना इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवादियों के प्रबल विरोध के बाद भी किया गया। इस विभाजन ने विरोध प्रबल भावना के जगा दिया तथा राजनैतिक आंदोलन को एक नया मोड दिया।[1]

बंगाल में इस विभाजन के खिलाफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिनचंद्र पाल, ए0 रसूल, अश्विनीकुमार दत्त और अरंविद घोष जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में यह आंदोलन बंगााल और बंगाल के बाहर भी फैलने लगा। गोपालकृष्ण गोखले ने 1905 ई में वनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए कहा, बंटबारे के फलस्वरूप बंगाल की जनभावना में में जो भयानक परिवर्तन हुआ है, वह हमारी राष्ट्रीय प्रगति के इतिहास में सीमाचिन्ह होगा।[2] बंगाल में विभाजन का जबरदस्त विरोध हुआ । वहां पर ब्रिटिश मालों के बायकाट, तथा स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार जैसे राजनीतिक अस्त्रों का प्रयोग किया गया। यह आंदोलन धीरे बंगाल से बाहर भी फैलने लगा । बंगाल से बाहर इस आंदोलिन का प्रचार प्रसार कई जाने माने नेताओं द्वारा किया गया । इसमें महाराष्ट्र में इस आंदोलन को तिलक और उनकी पुत्री केतकी द्वारा चलाया गया। दिल्ली में यह आंदोलन सैयद हैदर रजा द्वारा चलाया गया।

सैयद हैदर रजा द्वारा दिल्ली में चलाए गए इस आंदोलन का असर मुरादावाद मंडल में भी पडा। विशेष तौर पर बिजनौर, शम्भल और नगीना में इस आंदोलन ने जोर पकडा। बिजनौर में आंदोलन को हैदर रजा से प्रभावित होकर इलियास मोहम्मद और चौधरी मनीराम ने स्वदेशी को अपनाने पर जोर देने के लिए एक सम्मेलन में जनता के भारी जुलूस को सम्बोधित किया। मुरादाबाद में दरीबा पान में एक जुलूस निकाला गया जिसमें स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया तथा नशीले पदार्थो के सेवन करने वालों का आगाह किया गया।[3] रामपुर में भी इसी प्रकार का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया गया लेकिन रामपुर का नबाब जो अंग्रेजों का विश्वासपात्र था उसने इस प्रकार के किसी भी सम्मेलन होने नही दिया और उल्टे उसने अपनी पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करा कर भीड को तितर-बितर कर दिया। रामपुर के नबाब को इस काम के लिए बाद सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। स्वदेशी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर के जी यू महा विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।[4]

स्वदेशी आंदोलन की अपनी कुछ सीमाएं भी रही। स्वदेशी आंदोलन देश के मुसलमानों के एक बडे वर्ग को अधिक प्रभावित नही कर सका। बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसका साथ नही दिया। और यही कारण है कि मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर तथा बिजनौर आदि जिलों में इस आंदोलन ने इतना असर नही दिखाया जितना असर 1857 की क्रांति ने इस क्षेत्र में दिखाया था जिसमें कुछ छुटपुट घटनाओं को छोडकर हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधें से कंधा मिलाकर सरकार से लडे थे और सरकार को हिला कर रख दिया था। इसके कारणों को अगर देखें तो प्रमुख कारण जो सामने आता है वो है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना जैसे बंगाल में अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। इसका फायदा उठा कर अंग्रेजों ने मुसलमानों को भडकाया और यही वो समय था जब इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के इसारे पर मुस्लिम लीग का गठन किया गया। यही नही ढाका के नवाब सलीमुल्ला से तो अंग्रेजी हूकूमत ने स्वदेशी का विराध भी कराया। स्वदेशी आंदोलन का विराध करने के लिए मुल्लाओं और मौलवियों का इस्तेमाल भी किया। स्वदेशी आंदोलन अपने चरम बिन्दु पर था तभी बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भडक उठे और आंदोलन को कमजोर किया।[5]

कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस आंदोलन केा कमजोर करने में आंदोलन में अपनाये गये प्रतीकों की भी भूमिका थी जिनका चरित्र

* असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

धार्मिक था और ये प्रतीक चिन्ह विशेष जौर पर मुसलामानों का अपनी ओर आकर्षित करने बजाय उनको दूर करने में ज्यादा सहायक हुए।[6]

1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की उर्जा खत्म हो गई। इधर कांग्रेस में विभाजन से कांग्रेस भी अब अप्रासंगिक हो गई। कांग्रेस ककी फूट का फायदा उठाकर सरकार ने कांग्रेस के नेताओं पर दमनचक्र शुरू किया औरर कांग्रेस के ककई बडे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया इनमें बंगाल के अश्विनीकुमार दत्त, कृष्णकुमार मित्र आदि को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया।[7] महाराष्ट्र में तिलक को ए क केस में 6 वर्ष की सजा सुनाई गयी। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र प्रदेश में हरिसर्वोत्म राव को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से अजीत सिह और लाला लाजपतराय को निर्वासित किया गया।[8]

बंगाल विभाजन की खबर जैसे जैसे देश में फैली लोंगों में आक्रोश बढ़ने लगा। मुरादाबाद मंडल में भी यह खबर आते ही विरोध प्रारम्भ हो गया। इसके साथ ही कई जगहों पर लोगों ने विरोध में मार्च निकाला और पुलिस पर हमला किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और लाठी चार्ज किया इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई जिनमें मुरादाबाद के बनबारी लाल शाहू, जिनका बाद में गंभीर चोटों के कारण निधन हो गया, विक्रांत, चंदूलाल, बाबूलाल सर्राफ आदि शामिल थे।[9]

रामपुर में तो पुलिस ने विरोध करने वालों को रस्सियों से बांघ कर घसीटा और उनके घरों में घुस कर तोड फोड की तथा उनके मुचलके तक भरवा लिए थे क्यों यहां पर पुलिस साथा नबाव की पुलिस भी दे रही थी। सैकडों लोगों को किला चौकी में बंद कर पीटा गया। छात्रों को शख्त हिदायत दी गई कि अगर वो किसी भी विराध प्रदर्शन मे। शामिल होगें तो उनकेा कालेजों से निष्कासित कर दिया जायेगा।[10]

शम्भल में हाजी शरीयतुल्ला ने हिंदू मुस्लिम ऐकता केे लिए एक सभा बुलाई जिसमें आस पास की भारी भीड इकठठी हुई यह देख कर सरकार घवरा गई और उपजिलाधिकारी ने शरीयतुल्ला को तुरंत यह सभा खत्म कर जाने का निर्देश दे दिया। हाजी ने लोगों को समझाया कि अब वो चले जांय बरना सरकार रामपुरी जैसे जुल्म करेगी लेकिन लोग जमे रहे और सरकार ने लाठी चार्ज कर लोगों को तितर वितर कर दिया और हाजी को उनके साथी रामदयाल, लाखन सिह और इकबाल मोहम्मद, दारा सिंह, रक्षू लाल सहित गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने में उनको यातनाए दी गयी।[11]

अमरोहा में भी ऐसी ही सभाओं का आयोजन किया गया और पुलिस ने वहां भी उन सब घटनाओं को बहहुत ही बेरहममी से दबा दिया और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेकजा गया। पुलिस थानों में उनको बेरहमी से पीटा गया। अमरोहा में पुलिस की गोली से गुरू दयाल नामक एक क्रांतिकारी शहीद हो गए तथा बिकरू पाल, अल्हाज अब्दुल करीम, लक्ष्मन प्रसाद आदि को जेल भेजा गया।[12]

स्वदेशी आंदोलन में शुरूआत में तो मंडल में हिंदू-मुस्लिम ऐकता देखने को मिली और ऐसा लगा कि 1857 की क्रांति की भांति ही यहां ऐकता बनी रहेगी लेकिन ऐसा संभव न हुआ जैसे समय व्यतीत हुआ मुस्लिम इस आंदोलन से अलग होते गए और एक समय तो यहां सिथिति इतनी बदल गयी कि ये दोनों धर्मो के लोग आपस में ही दंगे करने लगे और एक दूसरे के पूजा-प्रार्थना स्थलों पर ही हमला करने लगे। यहां के मुसलमानों को भी लगने लगा था कि बंगाल का विभाजन ठीक है और अब अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। इस बैमनस्यता में मुस्लिम लीग की स्थापना ओर उनके द्वारा की गयी अपील शामिल थी।[13] (दादू खन्ना के संस्मरण 1992 पृ 71-72)

1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन के बाद बने दो गुटों में से गरमदल तथा नरमदल दोनों में ही अब आंदोलन में निष्क्रय हो गये थे दोनों ही अब अप्रासंगिक हो गये थे। सरकार की मनमानी जारी थी। सरकार ने कांग्रेस की बराबरी में 1906 में ममुस्लिम लीग के गठन को प्रेरित किया और बडी आसानी से 1909 में लीग साम्प्रदायिक मांग को मान कर हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया था। होमरूल लीग आंदोलन से पहले कुछ प्रमुख बदलाव विश्व पटल पर हो रहे थे। 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया था और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सफल आंदोलन चला कर भारत आ पहुंचे थे लेकिन वे अभी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नही थे।

जब जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए तो उन्होने पाया कि कांग्रेस विखर चुकी थी। लाला लाजपत राय अमेरिका में थे। अरविंद घोष ने सन्यास धारण कर पांडिचेरी में अपना आश्रम बना कर राजनीति से सन्यास ले लिया था। 1909 के अधिनियम ने नरमपंथियों की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया था। तिलक एक ऐसा आंदोलन खडा करना चाहते थे जो देश की जनता को आपस मे जोडे लेकिन उनके सामने समस्याएं बहुत थी कि वो इस काम को कैसे अंजाम दें। इसी लिए तिलक ने सबसे पहले कांग्रेसियों को आपस में मिलाने का प्रयास शुरू किया। ऐनी बेसेंट के साथ मिल कर उन्होने कांग्रेसियों को 1916 के लखनउ सम्मेलन में आापस में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली।

तिलक जब कांग्रेस में वापस आ गए तब अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीस सम्मेलन में यहोमरूल लीग के गठन की घोषणा कर दी। सिमबंर 1916 में ऐनी बेसेंट ने भी अपने होमरूल लीग की घोषणा कर दी। इस प्रकार भारत में होमरूल नामक आंदोलन शुरू हुआ। तिलक और ऐनी बेसेंट दोनों ने साथ साथ होम रूल आंदोलन शुरू किया इस लिए यह जरूरी था कि दोनों के क्षेत्रों का बंटबारा ठीक से हो और इस लिए तिलक की लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र (बम्बई के अलावा), मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र आया। वही देश के बाकी हिस्से ऐनी बेसेंट के हिस्से आए। ये दोनों लीग में विलय नही हुआ और ये अलग अलग ही काम करती रही इसका कारण स्वयं ऐनी बेसेंट के शब्दों में इस प्राकार है कि, 'उनके अर्थात तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नही करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हे पसंद नही करते। लेकिन हमारे बीच किसी तरह का कोई झगडा नही है'।[14] तिलक ने महाराष्ट्र का दौरा करते हुए होमरूल आंदोलन का प्रचार ही नही किया बल्कि इसके उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया। वे मानते थे कि अब भारत अपना प्रशासन चलाने के लिए तैयार हो चुका है और अंग्रेजों को चाहिए कि वे भारत का शसन अब भारतियों को सोंप दें। इसका उदाहरण देते हुए कहा कि यभारत उस बेटे की तरह है, जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका बाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा और उन्हे इसका पूरा अधिकार भी है।15 तिलक ने इस आंदोलन के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार किया तथा क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया। यहां तक कि वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए संकीर्ण नही थे वे सिर्फ मराठी ही नही कन्नड, तमिल, तेलगू और अन्य भाषाओं को भी बरावरी दिलाने चाहते थे।

तिलक इस आंदोलन के जरिए जातिवाद पर भी लगातार प्रहार कर रहे थे वे ब्राहम्णों और गैर-ब्राहम्णों की बराबरी की भी बात कर रहे थे। उनका मानना था कि यदि भारत को अपना प्रशासन अपने हाथों में लेना है तो ब्राहम्ण वर्चश्व नही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अंग्रेजों को इसका

बहाना मिल जायेगा और फिर वे हमें रूढिवादी सावित कर देंगे। उन्होने ब्राहम्णों और गैर ब्राहम्णों दोनों को समझाया कि झगड़ा ब्राहम्णों और गैर-ब्राहम्णों का नही है, भेद शिक्षित और अशिक्षित के बीच है। इसके साथ ही वे छुआ छुत के उन्मूलन के प्रतिबद्ध थे और एक सम्मेलन में उन्होने कहा कि 'यदि भगवान भी छुआ-छूत को बर्दाश्त करें, तो मै भगवान को नही मानूंगा।'[16]

तिलक और बेसेंट के होमरूल ने जैसे जैसे लोगों को जागरूक किया इसका जनाधार बढ़ने लगा और सरकार इससे डरने लगी और सरकार ने इसके खिलाफ दमन कार्य तेज कर दिया। सरकार ने तिलक के जन्मदिन पर 23 जुलाई 1916 को कारण बताओ नोटिस भेज दिया जिसमें लिखा था कि आपकी गतिविधियों के चलते आप पर प्रतिबंध क्यों न लगाया जाय। साथ ही तिलक को 60 हजार का मुचलका भरने को कहा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तिलक ने कहा कि, 'अब होमरूल आंदोलन जंगल में आग की तरह फैलेगा। सरकारी दमन विद्रोह की आग को और भड़कायेगा।'[17]

मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने उनका केस लड़ा हांलांकि वे मजिस्ट्रेट की अदालत में केस हार गए लेकिन उच्च न्यायालय से केस जीतने में सफल रहे। इस जीत को गांधीजी ने अभिव्यक्ति की आजादी की जीत करार दिया। 1917 में तिलक पर पंजाब और दिल्ली जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में इसका विरोध हुआ विरोध में बैठकें आयोजित की गई।[18]

ऐनी बेसेंट की लीग की शाखाएं पूरे भारत में स्थापित की गई। उनका संगठन बहुत ढ़ीला ढ़ाला था और बहुत थोडे से लाग मिल कर शाखा खोल सकते थे। इनकी एक शाखा के तहत कुछ गांव आते थे। इनकी लीग में सदस्यों को स्पष्ट निर्देश देने का कोई तरीका नही था। मद्रास में इनकी लीग की शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश के नगरों में और गुजरात के गांवों मे इनकी शाखाएं काफी सक्रिय थीं।

इसी क्रम में मुरादाबाद में भी एक शाखा का गठन किया गया जिसमें लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, शिक्षा के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाता था। चंदा इकठा करने के लिए होमरूल के कार्यकर्ता गांव और शहरों में भ्रमण करते थे। इसकी एक शाखा रामपुर के मिलक तहशील में भी स्थापित की गई जिसको पहले रामपुर में ही स्थापित किया जाना था लेकिन वह रामपुर के तत्कालीन नवाब के दबाव के कारण रामपुर में स्थापित नही हो पायी तो इसको मिलक में स्थापित किया गया।[19]

एनी बेसेंट की लीग की शाखाओं की संख्या लगातार बढती गयी और धीरे धीरे सरकार भी अब इस आंदोलन को लेकर असहज होने लगी। यहां तक कि सरकार ने ऐनी बेसेंट पर बेरार व मध्य प्रांत में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जार्ज अरूंडेल की अपील पर तमात शाखाओं में विरोध बैठकें आयोजित की गई। अब सरकार ने इस पर प्रतिबंद लगाने की शुरूआत की और पहले छात्रों के राजनैतिक बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। इसका सारे देश में विरोध हुआ तिलक ने कहा कि 'सरकार को मालूम है कि देश प्रेम भी भावना छात्रों को ज्यादा उत्तेजित करती है।'[20] आखिर में सरकार ने बेसेंट, अरूंडेल और वी पी वाडिया को मद्रास में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके साथ इसके विरोध में कई नरमपंथी नेता भी अब लीग में शामिल हो गए जिनमें मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग शामिल थे। सर सुब्रहमन्यम अयर ने सरकारी उपाधि ही अस्वीकार कर दी। इस गिरफ्दारी ने लीग की प्रसिद्धि में बहुत इजाफा कर दिया। इसको देखकर मांटग्यू ने अपनी डायरी में तो यहां तक लिख दियाकि शिव ने अपनी पत्नी को 52 टुकडों में काटा, भारत करकार जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ।[21]

धीरे धीरे यह आंदोलन भी अपनी ढलान की ओर अग्रसरित हुआ क्योंकि एक तो आंदोलन में कुछ ज्यादा उम्मीद दिखाई नही दे रही थी। साथ ही एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के कारण जो नमरमपंथी कांग्रसी इस आंदोलन में शामिल हुए अब निष्क्रिय हो गए। 1917 की मांटेग्यू की घोषणा से ऐनी बेसेटं ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसी प्रकार तिलक का आंदोलन भी ज्यादा दिन तक नही चल साका। तिलक भी एक मानहानि के मुकदमे की पैरवी के लिए इंग्लैंड चले गए और इस प्रकार आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। इस आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियों में से एक यह थी कि इसने भावी आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किये तथा जनता को भी किसी भावी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आश्वासन मिला और आगे ये ही योद्धा गांधी जी के साथ आंदोलन की ध्वजा पताका लेकर साथ चले।[22]

होमरूल आंदोलन को लेकर हांलांकि मुराबाद मंडल में स्थानीय स्रोतों का थोड़ी सी कमी है लेकिन फिर भी स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि से पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। इसी क्रम में मुरादाबाद तथा सम्भल में होमरूल आंदोलन के लिए कुछ समितियों की स्थापना को देखा जा सकता है जिसके तहत ऐनी बेसेंट के होमरूल की एक शाखा मुरादाबाद में हरदयाल स्वामी के नेतृत्व में गठित की गयी जो बरेली में स्थापित होमरूल की ही एक शाखा थी।

गांधी जी ने मार्च 1919 में बम्बई में सत्याग्रह प्रारम्भ करने की घोषण की और स्वामी श्रद्धानंद ने इस सत्याग्रह का स्वागत किया और आर्य समाज की ओर से इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही। स्वामी श्रद्धारंद हरिद्धार गुरूकुल कांगडी के संस्थापक थे और और मुरादाबाद मंडल में उनका खूब प्रचार था इस कारण मंडल में इस आंदोलन को लेकर काफी उत्साह था और जोर शोर से युवा और आंदोलनकारी इसका प्रचार कर रहे थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समापन के बाद तुर्की के प्रश्न पर मुसलमान भी अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए जो अब तक सैयद अहमद के प्रभाव से अंग्रेजों के खिलाफ नही थे। 20 मार्च 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। खिलाफत के आंदोलन ने भारत के मुसलमानों कको एक मंच पर ला दिया। खिलाफत के आंदोलन का संचालन जामायत उल उल्मा ए हिंद के हाथों में था। मंडल में 6 अप्रैल 1919 से पूर्व ही खिलाफत की गतिविधियां प्रारंभ हो गयी। अब्दुला अहमद ने मुसलमानों से रालट एक्ट की विरोध की अपील जामा मस्जिद से की गयी। ऐसी ही अपीलें रामपुर, सम्भल और नगीना गजरौला और गढमुक्तेश्वर आदि से की गयी।[23]

इसी समय जब मुंडल एक बडे आंदोलन के तैयार था तब पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांबाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलिंयाबाला बांग हत्याकांड को अंग्रेजो द्धारा अंजाम दिया गया। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन था पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन किसान रबी की फसल कटाई के बाद खुसियों के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के इसी स्थान पर एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेताआहें को भाषण देना था यह सभा आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा किए जाने के लिए थी जिनाके गिरफतार कर काली पानी की सजा दी गयी थी। मेले में आयी भीड भी इस सभा में पहुच गयी हालाकि उनमें से बहुतों को पता भी नही था कि यहां क्या होने वाला है।

भीड शांत थी और किसी प्रकार का उपद्रव नही था लेकिन जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां गोलियां चलवा दी। यह स्थान एक तंग जगह पर था और निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और उसी को पुलिस द्वारा रोक लिया गया। पुलिस की गोलियां खत्म होने तक गोलीबारी जारी रखी गई और इस में 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। सरकारी रिपार्ट में इस घटना में 379 लोगों के शहीद होने और 200 लोगों के घायल होने के बात स्वीकार की गयी है जिसमें 337 पुरूस, 23 नाबालिग लडके और एक 6 सप्ताह का बच्चा भी शामिल था। अनाधिकारक आंकडों के अनुसार तो 1500 से अधिक लोग इसमें शहीद हुए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए।[24]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मजूमदार रायचौधरी, दत्त, वृहद भारत का इतिहास भाग-3, मैकमिलन पब्लिकेशन, दिल्ली, 1954, पृ0 347
2. वही पृ0 347
3. अमर सिह यादव, पूर्व उद्दत पृ0 26
4. वही पृ0 31-32
5. Bipin Chandra and others, India's Struggle for Independence, Penguin books , 1988 p. 132
6. वही पृ0 133
7. सुमित सकरार, आधुनिक भारत 1885-1947,(हिंदी अनु0 सुशीला डोभाल), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992,
8. बिपिन चंद्र एण्ड अदर्स पृ 133
9. अमर सिह यादव, पूर्व उद्दत पृ0 69
10. मुरादाबाद के स्वतंत्रता सेनानी पृ0 112
11. सम्भल अमरोहा के क्रांतिकारी, गरिमा चौधरी का लेख, दैनिक जागरण 2008
12. वही
13. दादू खन्ना के संस्मरण 1992 पृ 71-72
14. जी0 पी0 प्रधान एण्ड ऐ0 के0 भागवत, लोकमान्य तिलक : अ बायोग्राफी, बाम्बे, 1959, पृ 265 और 266
15. वही पृ0 268
16. वही पृ0 273
17. वही पृ0 274
18. बिपिन चंद्र व अन्य पृ0 165
19. हिंदुस्तान अखबार, 2016 होमरूल आंदोलन के शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित अंक, साभार : रजा लाइब्रेरी रामपुर
20. जी0 पी0 प्रधान एण्ड ऐ0 के0 भागवत, लोकमान्य तिलक : अ बायोग्राफी, बाम्बे, 1959, पृ 284
21. एडविन एस मांटेग्यू, इंडियन डायरी, लंदन ,1930, पृ0 157
22. बिपिन चंद्र व अन्य पृ 169
23. सैयद मुहम्मद मिंया : जमायत ए उल्मा क्या है, भाग 1 पृ0 9
24. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर : उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता की झलक, पृ0 48

****

A Study of Cause Related Marketing Initiatives by Indian Banks

Devendra Prasad Pandey*

Introduction - Cause-related marketing is a promotional activity of an organization in which a societal or charitable cause is endorsed, commonly together with its products and services as a bundle or tie-in. Cause-related marketing is a vehicle of communication of CSR which demonstrates to a large audience how the social responsibility of an organization translates into specific benefits for society. Cause-related marketing is often organized in the form of a promotional campaign and in cooperation with a charity or nonprofit organization that pursues a specific societal cause.

Cause marketing is defined as a type of marketing that involves the cooperative efforts of a for-profit business and a non-profit organization or large social cause, for mutual benefit. Cause-related marketing links the brand of a company to a good cause in order to increase sales, build brand awareness, and create a positive association in the minds of consumers. Conversely, it can also help raise money, increase donations, and increase volunteerism for the non-profit partner or cause.

Corporations have been using cause related strategy since long for improvement in image, increasing customer base, informing community on social responsibility practices and compliance of various regulations.

Objective of the study:

1. To study the concept of cause related marketing.
2. To study the directives and guidelines of Reserve Bank of India on socially responsible banking.
3. To analyse the advertisements issued by banks on cause related marketing.

Methodology: The design of this study is descriptive research design. Random Sampling technique is used for selecting the banks for this The Data is collected from secondary sources particularly from concerned Bank's Annual Report, home page, newsletters, social advertisements and reports from different newspapers, magazines and journals.

The sampling frame of the study consisted of the selected annual report for the year ended 31 March 2023 of commercial banks operating in India and had issued various advertisements exhibiting their involvement in corporate social responsibility.Banks promoted cause related marketing in print media through social reporting and advertisements. Cause related marketing helped them in increasing their consumer base on the on hand and increased societal role on the other hand.

CSR in banking sector: In India, banking companies have a great role to play in sustainable development because it is the most trusted avenue of investment of fund by investors. Indian banks show their interest in integrating sustainability into their business models but because of absence of mandatory provisions regarding CSR practices they are far behind from the international level. Indian banks are the catalysts of the inclusive growth of the economy and it is advisable to adopt the new concept of reporting because of its consequential benefits for its own and nation's interest. In regard to the significant role of banks in sustainable development, K C Chakrabarty, RBI deputy governor stated that a bank can be a burden on society when it makes too much of a profit or when it makes very little money. "When they make too much money, it is the customers who are paying. When they make losses, it is the taxpayers' money which is being used for a bailout". In addition, he stressed the need for banks to integrate sustainability into their core business operations: "Charity is not sustainability, this is what we have to understand. Inclusive growth is not possible without sustainability".

To highlight the role of banks in corporate social responsibility the RBI circulated a notice on December 20, 2007 for all the scheduled commercial banks, with title "Corporate Social Responsibility, Sustainable Development and Non-Financial Reporting – Role of Banks". Major issues discussed in the notice were regarding Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, and Non-Financial Reporting. Briefing about the corporate social responsibility program to other member commercial banks RBI followed many international initiatives to highlight the importance of this notice like United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEPFI), Global Reporting Initiative (GRI), International Finance Corporation, The Equator Principles, and Declaration on Financial Institutions. Apart from these international initiatives, RBI report also talked about other important and urgent issues regarding global warming & extent of problem, the economics of climate change, the Happy Planet Index, the Kyoto Protocol etc and requested to implement the same earnestly and

*HOD (Rural Management) Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya,Chitrakoot,Satna (M.P.) INDIA

sincerely. (Choudhary and Tandon, 2013)

Harnessing the power of business to improve social and environmental conditions across the world has thus become a priority for policymakers and other stakeholders, and it represents a central aim of the corporate social responsibility (CSR) movement. In theory, corporate disclosure pushes the CSR movement forward by providing stakeholders with "actionable" information that can be factored into future decisions. Investors deciding where to direct their money, employees deciding where to work, public policymakers deciding what to regulate, consumers deciding what goods to purchase — all these groups benefit from corporate disclosure of CSR-related information. CSR reporting can also be an effective backdoor into bolstering companies' CSR programs and initiatives.

Banking plays a fundamental role in economic progress of a country. It inculcates the habit of savings among people, hence helps in boosting the investment base and speeding up the capital formation. At the same time it also helps out the needy, by providing them timely credit at an affordable cost. But majority of poor rural and semi urban population in India are unable to avail the basic banking facilities. As a result they are made to rely on private money lenders, charging exorbitant interest rates and are trapped in vicious circle of debt. Since independence, the efforts of the Government have revolved around expanding financial institutions to rural and unbanked areas, so as to increase access to formal credit in rural underdeveloped regions. Banks were supposed to concentrate on rendering service to underprivileged people, living below poverty line, and cover more and more unbanked areas rather than just concentrating on their own profitability. Social banking policies were made to shift the focus of commercial banks from „selective banking to "mass banking". Social banking is rightly defined by Dr Roland Benediktar (2011) as "banking with a conscience". Here the bank focuses on investing in community, providing opportunities for the disadvantaged, and supporting social, environmental and ethical agenda. Rather than just concentrating on traditional bottom line i.e. profits, bank emphasizes on achieving triple bottom line of profit, people and planet.

The commercial banks were nationalized with the main objectives of allocating funds to the deprived so as to enhance social welfare, eliminating the monopoly control of private business houses and corporate families on banks, extend banking across the country, reducing regional imbalances etc.

Initiative by Reserve Bank of India: There is a growing trend in the financial sector of promoting environment friendly and socially responsible lending and investment practices. The United Nations Environment Programme (1972) advocates that the financial sector has a role to play in protecting environment while maintaining profitability of their business. The concept of 'triple bottom –line' espoused by John Elkington, encompasses social, environmental and financial accounting. Keeping these perspectives in view, the Reserve Bank of India (RBI) has issued 'moral suasion' policy for banks on CSR.

The Reserve Bank of India (2011) suggested the banks to pay special attention towards integration of social and environmental concerns in their business operations to achieve sustainable development. RBI also pointed out to start non-financial reporting (NFR) by the banks which will cover the work done by the banks towards the social, economic and environmental betterment of society. The CSR in Indian Banking Sector is aimed towards addressing the financial inclusion, providing financial services to the unbanked or untapped areas of the country, the socio-economic development of the country by focusing on the activities like, poverty eradication, health and medical care, rural area development, self employment training and financial literacy trainings, infrastructure development, education, and environmental protection etc.

Recognising the contribution of financial institutions including banks to sustainable development and considering the crucial role they play in financing the economic and developmental activities, the RBI had drawn the attention of banks to their role in Corporate Social Responsibility, Sustainable Development and Non-Financial Reporting in its circular dated December 20, 2007. Since the loan management in banks is in their operational domain, banks were exhorted to keep abreast of the developments in this regard and dovetail / modify their business strategies in the light of developments. Apart from this, even internal efforts to make their day-to-day operations cleaner, greener and more efficient can help. However, as remarked earlier, the position continues to be in early stages of development and lot of work is needed in this direction. Recognising the need of social reporting by banks, Chakrabarty (2011) said, "One of the key initiatives of RBI and where we are different from any other regulator is in the area of sustainability reporting and financial inclusion. Sustainability has been an integral part of our inclusive growth agenda. We have tried to convey to banks that they must have an objective of financial inclusion. All the banks have been advised to prepare a board approved financial inclusion plan. As we are following a bank-led inclusive growth agenda, they must demonstrate their commitment to do so. That will give sustainability a greater depth and penetration. Now, whether we make NFR mandatory- makes it a part of disclosure-has been engaging our attention. But, in so far as directing banks that sustainable growth can be an important agenda for banks, guidelines have been issued."

Reserve Bank of India issued an advice to all banks on social reporting wide its circular number RBI/2007-08/ 216 DBOD. No.Dir. BC. 58/13.27.00/2007- 08 dated December 20, 2007 advising banks to take note of the issues raised and consider using the same to put in place a suitable and appropriate plan of action towards helping the cause of sustainable development, with the approval of their Boards. The circular noted, "In order to be able to make an impact, banks need to integrate the concepts of

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability with their business strategy. This can be done through:

1. **Commitment to Sustainability:** Banks must expand their missions from ones that prioritize profit maximization to a vision of social and environmental sustainability.
2. **Commitment to 'Do No Harm':** Banks should commit to do no harm by preventing and minimizing the environmentally and/or socially detrimental impacts of their portfolios and their operations.
3. **Commitment to Responsibility:** Banks should bear full responsibility for the environmental and social impacts of their transactions.
4. **Commitment to Accountability:** Banks must be accountable to their stakeholders, particularly those that are affected by the activities and side effects of companies they finance.
5. **Commitment to Transparency:** Banks must be transparent to stakeholders, not only through robust, regular and standardized disclosure, but also through being responsive to stakeholder needs for specialized information on banks' policies, procedures and transactions.

Transparency in disclosures can be implemented by banks through Sustainability Reporting, a process for publicly disclosing an organisation's economic, environmental, and social performance. Through sustainability reporting, banks can report on progress against performance goals not only for economic achievements, but for environmental protection and social well-being. The GRI guidelines provide a generally accepted framework that can simplify report preparation and assessment, helping both reporters and report users gain greater value from sustainability. The Global Reporting Initiative (GRI) is a long-term, multistakeholder, international process whose mission is to develop and disseminate globally applicable Sustainability Reporting Guidelines".

A view on cause related marketing initiatives of Banks

Figure 1

The above advertisement issued by State Bank of India titled, "SBI Hope Loans" states that for every home loan disbursed SBI pledges a sum to a social cause. A home loan from SBI comes with more than the usual benefits of the lowest interest and no processing fee. It also comes with a power to make a real difference to those in need. This festive season, an SBI Home Loan will not only help fulfill your dreams, but also brings hope to many. This cause related initiative is undertaken to sensitise customers on the social responsibility of banks to serve needy and to improve the brand image of the bank.

The above advertisement captioned, "Compassion never retires!" states that "Corpcompassion is back again. Every new savings bank account you open with us from 1 July 2008 onwards will help the underprivileged. Corporation bank will donate Rs. 5 to the underprivileged for every new savings bank account opened" So, by opening a new saving bank account, the bank voluntarily donates Rs. 5 to serve underprivileged.

Conclusion: In an open economy like India, the role of banks both the public and private sector is more important. Banks have readily cooperated in government's mandate by opening no frill accounts and Jan Dhan accounts under inclusive financing. With the enactment like Companies Act 2013, the larger banks will have more reserves and allocations of fund on corporate social responsibility. The banks have been undertaking various socially responsible initiatives in the service of needy community. They have showed these initiatives in the form of advertisements both in print and electronic media. these advertisements help in brand building, image improvement, stakeholder management and support to government's mandate of social banking. These banks have partnered with charitable and voluntary organization in the service of common man of the country.

References:-

1. Brammer, S. and Pavelin, S., 2006. Voluntary environmental disclosures by large UK companies. Journal of Business Finance and Accounting, 33(7), pp.1168-1188.
2. Silva Monteiro, S.M., and Aibar-Guzman, B., 2009. Determinants of environmental disclosure in the an-

nual reports of large companies operating in Portugal. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. [online] Available at: http://www3.interscience.wiley.com/c gi-bin/fulltext/122437579/PDFSTART

3. Bowman, E.H. and Haire, M., 1976. Social Impact Disclosure and Corporate Annual Reports. Accounting, Organizations and Society, 1(1), pp.11-21.
4. Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S. (1996) ―Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
5. Beretta, S. and Bozzolan, S., 2004. A framework for the analysis of firm risk communication. The International Journal of Accounting, 39(3), pp.289-295.
6. Mammatt, J., Marx, B. and van Dyk, V., 2010. Sustainability reporting and assurance: the way of the future. ASA Accountancy Journal , December 2009/ January 2010 Issue, pp.22-25.
7. Waddock, S.A. and Graves, S.B., 1997. The corporate social performance – financial performance link. Strategic Management Journal, 18(4), pp.303–319.
8. Hackston, D. and Milne, M., 1996. Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9(1), pp.77–108.
9. Belkaoui, A. and Karpik, P., 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2(1), pp.36-51
10. Ruben Zandvliet (2011): Corporate Social Responsibility Reporting in the European Union: Towards a More Univocal Framework, Columbia Journal of European Law, 18 Colum. J. Eur. L. F. 38 (2011)
11. Moneva, J.M., Archel, P. and Correa, C., 2006. GRI and the camouflaging of corporate unsustainability. Accounting Forum, 30(2), pp.121-137.
12. Chakrabarty, K. C. (2011): “Non-financial Reporting – What, Why and How - Indian Perspective” (Address at National Conference on “ Non-Financial Reporting and Risk Management for Financial Institutions in India” on June 6, 2011 at Mumbai)
13. Friedman Milton, (1970), “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, the New York Times Company, September 13.
14. NGO Book: CSR spending in banking sector in India, 2014-15
15. Golob, U. and Bartlett, J.L., 2007. Communicating about corporate social responsibility: A comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia. Public Relations Review, 33(1), pp. 1–9.
16. Vikas Choudhary; Suman Tandon (2013): “Corporate social responsibilities of public sector banks in india” Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, Vol.1 (1),
17. World Bank, 2013, Development dialogue, South Asia.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. I

Indian Villages on the Path of Progress Through E-Governance

Dr. Govind Prakash Acharya*

Abstract - E-governance means the coordinated use of communication and information technology to provide government information and services to the citizens of a country. E-governance in India began in the 1970s with a focus on applications of ICT for managing data intensive tasks related to elections, census, tax administration, etc. The first step towards e-governance was the National Informatics Center (NIC), established in 1977, which initiated the "District Informatics Programme" to computerize all the district offices in the country. Various government offices have launched their programs, events and schemes to be implemented for the beneficiaries in the area in a very short time through electronic platforms like e-Sewa, e-Court, e-District, G2G, G2C and e-Mitra services. Rajasthan Government has also launched e-governance services like Single Sign On, Single Window Programme, e-Mitra@Home, Rajgrih, e-Sanchar, GIS platform Raj Dhara, WebMyWay, Rajsan, R-CAT and IHMS for the benefit of common citizen. The Central Government has launched many welfare schemes for socio-economic development (such as Jan Dhan Yojana, Make India, Swachh Bharat Abhiyan, Digital India, National Skill Development Mission, Start-up India, Stand-up India, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Steps have been taken in this area by announcing Insurance Scheme, Security Insurance Scheme, Atal Pension Scheme, Pradhan Mantri Krishi Bima Yojana, Pradhan Mantri Irrigation Scheme, Soil Health Card Scheme, etc. But it is very important to have awareness in the context of these schemes and programs and e-governance can play an important role in it. In fact, with the aim of providing the facility of e-governance to every citizen, Digital India Program was launched by the Central Government on 1 July 2015 was started. 2 decisions were taken to implement it in central, state and local level governments. NeGP was started by the Department of Electronics and Information Technology, Administrative Reforms and Public Grievances. Under this, Income Tax, Customs, Excise and Passport at the central level, state Land records, agriculture and e-district level and e-panchayat mission mode were started at the local level. The results obtained from the research revealed that the use of information and communication system in the governance system can definitely reduce the service cost. Has come and an increase in quality has been seen. There has been an increase in the efficiency and capacity building of employees and empowerment of institutions by increasing transparency, quality, efficiency and accountability, and strengthening of local self-governance.
Keywords: E-governance, ICT, R-CAT, e-Mitra, Single Sign On.

Introduction - Digitization of villages will create a balance between rural India and urban India. A large number of people in India live in villages, hence making rural India digitally capable is the need of the hour. Internet knowledge will prove to be highly beneficial for the rural population to access various services online. Rural connectivity can create new employment opportunities. Can improve the standard of living of villagers. Can make the work easier. The digital revolution holds immense potential for improving social and economic outcomes, increasing productivity and public welfare around the world.

Digital services have played an important role in increasing the reach of basic services in villages. Digital services are now reducing the gap between village and city. About 1,17,440 Ayushman Bharat health and wellness centers have been operated in the country. To expand the scope of telemedicine services, 3.74 lakh Common Service Centers (CSCs) have been linked to the e-Sanjeevani application. With the development of digital infrastructure in villages, the scope of health, education, local governance and banking services has expanded. Digital payments, cash on delivery and delivery boys knocking at village choupals are ways to increase digital footprints in rural India.

The implications of using e-technology to assist farmers : E-technology is generally understood to include the combined use of the Internet and related information technologies. The focus has been on ICT since 2007 to use e-technology to help farmers. For this, a National Policy for Farmers was launched in the same year. Additionally, a National Telecom Policy was launched in the year 2012, focusing on broadband connectivity and mobile access.

E-technology and its implications for helping farmers :

***Lecturer (Agricultural-Extension) Govt. College, Uniara, Distt. Tonk (Raj.) INDIA**

1. **AGMARKNET -** Agricultural Marketing Information Network was launched by the Union Ministry of Agriculture in the year 2000.

2. **e-Choupal -** An initiative of ITC provides information on alternative marketing channels, weather, farming practices, input sales etc.

3. **National Agricultural Market (e-NAM) –** National Agricultural Market Scheme (e-NAM) aims to support the launch of e-marketing platforms at the national level and creation of infrastructure to enable e-marketing in regulated markets across the country. envisages

4. **Village Resource Centers :** Village Resource Centers provide location-based services in rural areas. They are one of the unique initiatives using Satellite Communication (SATCOM) networks and Earth Observation (EO).

5. **Digital Agriculture Mission-** Digital Agriculture-The Mission (2021-2025) aims to support and accelerate projects based on new technologies such as AI, block chain, remote sensing and GIS techniques and use of drones and robots.

6. **AgriStack** - The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has planned to create 'AgriStack' which is a collection of technology-based interventions in agriculture. It will create an integrated platform to provide end-to-end services across the agri-food value chain for farmers. Therefore, it can be said that in the agricultural sector

E-technology not only reduces time and cost, but it also make agriculture productivity and weather forecasting easier.

E-Commerce : E-Commerce means Electronic Commerce. Buying or selling goods through the Internet is called E-Commerce. Amazon, Flipkart, Mantra, Zomato etc. are e-commerce websites. Payment can be made virtually i.e. money can be given through Credit Card, Debit Card, Net Banking. E-commerce uses the following methods to transfer business information.

Electronic Data Exchange (EDI), Electronic Transfer (EFT), Electronic mail (E-mail), Electronic bulletin board.

Types of E-Commerce

1. **B2B (Business to Business) :** One company sells its products online to another company, which sells the product to its end customer. Like Alibaba, Oracle.

2. **B2C (Business to Consumer) :** In this, a company sells products directly to the consumer through its online website or application. The consumer can view the company's products on the website and choose from them and buy the product. Like—-Amazon, Flipkart)

3. **C2C (Consumer to Consumer) :** In this, the consumer sells any of his products or goods directly to another consumer through the internet. For example, a user puts his old mobile or laptop on OLX and sells it.

E-Banking:

A. Services like transferring money through Internet, checking balance, making digital payments etc. are called internet banking, e-banking, net banking, online banking.

B. In this, EFT (Electronic Fund transfer) technology is used for digital fund transfer.

Some rules for fund transfer through e-banking and the methods are as follows -

1. **NEFT**-The full name of NEFT is National Electronic Fund Transfer. NEFT is used at the national level to transfer funds from one account to another.

2. **RTGS**-The full name of RTGS is Real Time Gross Settlement. It is used for instant or fast fund transfer.

3. **UPI** is the full name of UPI (Unified Payment Interface). To use UPI, our mobile number should be linked to the bank account and its use is possible only through Smart Phone. Currently UPI is used for bill payment, mobile recharge, hotels, malls, restaurants etc.

4. **OTP-**The full form of OTP is One Time Password. While doing online banking or fund transfer, OTP comes through SMS on our mobile, which is a secret password.

5. **MDM-** Money Deposit Machine: Through this, the facility to deposit money in banks is provided to the customers. Through this, customers can deposit money up to the prescribed limit.

6. **ATM-** The full name of ATM is Automated Teller Machine. With the help of ATM, money is credited/debited. ATM in India was introduced in 1987 by Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) in Mumbai.

Digital Payment:

1. Digital payment means making the price or payment of a service or product through digital means.
2. Payment through Internet Banking or Online Banking is done after login with a unique ID and password and verification through OTP (one Time Password).
3. A credit card is a small plastic card issued by a bank or institution that allows the holder to purchase goods or services on credit.
4. Debit cards are similar to credit cards, but while doing any transaction, money is directly debited from your account.
5. Debit card is also called bank card or check card.
6. Rupay card is an Indian version of debit card made by National Payment Corporation of India.

E-Governance :

1. E-Governance means Electronic Governance, which promotes digitization of services. E-governance means making government works/schemes and facilities easily accessible to the public through online services.
2. Making the government facilities available to the common citizens through the internet using the internet is called e-governance.
3. The tasks covered under e-governance include paying electricity, water, telephone, mobile, utility bills etc.
4. Verification of Chhattisgarh Card, Aadhaar Card, Caste Certificate, filing of Income Tax Return etc. are also included in e-governance.
5. Online booking of bus, plane, train etc. tickets.
6. You can avail the benefits of all banking services through online banking.
7. Adoption of E-governance leads to faster availability

of services with transparency i.e. in less time.

8. Due to E-governance even the common citizen can easily use the government services.

There are 4 types of e-governance or e-Shasan.

1. **G2G (Government to Government) :** The full form of G2G used in E-governance is Government to Government. In this, information is exchanged between governments in digital form. Such as combining information between the central and state governments and the governments of two states in a compressed form, Exchange of data in digital form.

2. **G2C:Government to Citizen :** Through this, government schemes are delivered to the common citizen in the form of cash. In this an online platform is developed. Such as, applying for online examination through RTI in Rajasthan, food security, applying for the benefit of government insurance scheme etc. are examples of LL2B.

3. **G2B : Government to Business :** This includes making the services provided by the government for any business available to any businessman in digital form. Such as, application for government loan assistance for any industry, online tender etc. are its examples.

4. **G2E (Government to Employee) :** This includes quick access by an employee to the government services available to the employees through digital format. For example, applying for insurance, pension etc. online by an employee is an example of a second service.

The Central Government has launched many welfare schemes for socio-economic development (such as Jan-Dhan Yojana, Make in India, Swachh Bharat Abhiyan, Digital India, National Skill Development Mission, Start-up India, Stand-up India, Jeevan Jyoti Insurance Scheme, Prime Minister Steps have been taken in this area by announcing Crop Insurance Scheme, Security Insurance Scheme, Atal Pension Scheme, Pradhan Mantri Krishi Bima Yojana, Pradhan Mantri Krishi Irrigation Yojana, Soil Health Card Scheme etc. But it is very important to have public awareness regarding these schemes and programs and e-governance can play an important role in this. In fact, with the aim of providing the facility of e-governance to every citizen, the 'E-governance Scheme' was launched by the Central Government on July 1, 2015. 'Digital India Programme' was launched.

"National e-Governance Plan (NEGP)" was launched in May 2006 to increase citizen participation in government policies and to increase accessibility of government services to the common man. NEGP currently has 27 "Mission Mode Projects (MMP) and 8 complementary components. NeGP was launched by the Department of Electronics and Information Technology, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, which included Income Tax, Customs at the Central level.Excise and Passport, Land Records, Agriculture and e-District at the state level and e-Panchayat Mission Mode and e-Panchayat Mission Mode were started at the local level. Certainly, Information and Communication System (ICT) has been introduced in the governance system. Use of) has reduced service costs and increased quality.

Major steps taken by the government towards e-governance

1. **The first DBTL scheme** was implemented by the UPA government on June 1, 2013 with the objective of providing cash subsidy on LPG and taking its benefits directly to the actual consumers. Initially, it covered 291 districts. The new NDA government at the Center re-launched this scheme from November 15, 2014 with some necessary reforms. The next phase of this modified project started from January 1, 2015, in which the subsidy received by the consumer reaches his account directly. If someone wants to give up the automatic subsidy, then the 'Give it Up' campaign was launched by the government from March 2015, due to which by August 2016, more than one crore people gave up the LPG subsidy. Under the second phase of this scheme, 676 gas stations of the country have given up the LPG subsidy. A target has been set to cover 15.5 crore consumers of the districts.

2. **'Digital India Programme'** was launched on July 1, 2015 with the aim of connecting every citizen with IT. It focuses on three key areas – (1) Digital infrastructure as a utility for every citizen, (2) Governance and services on demand and (3) Digital empowerment of citizens. Apart from this, Digital India program also aims to achieve various goals like broadband highways, universal mobile connectivity, internet connectivity, improvement in e-governance technology, electronic delivery of services, information and services for all and promotion of manufacturing of electronic and hardware information technology devices etc. Is comprehensive, that is, various goals are included under this single program

3. **'Digital Locker System'** has been launched by the government with the aim of reducing the use of physical documents and developing an efficient system for the ease of e-documents. Through this, free digital storage of birth certificates, property documents and other necessary documents will be done. This locker has two major components – (1) Depository and (2) Access Gateway. Repositories contain a compilation of e-documents which are uploaded by the issuer in a standardized form, while 'Access Gateways' provide access to requests or users through 'URIs' (Uniform Resource Indicators) from different repositories in a timely or phased manner. Provides an online system to obtain e-documents effectively.

4. **To enhance the strong role of Panchayats** in the democratic system and strengthen local self-governance, 'e-Panchayat Mission Mode Project' (NMP) of 'National e-Governance Plan' (NEGP) has been launched. The main goal of this project is to ensure automation of internal activities of all 2-47 lakh Panchayats of the country. The main objectives of this project are-

a. (1)Automation of internal working processes of Panchayats, (2) Handing over of citizen service delivery of

planning, budgeting, accounting, monitoring implementation, social audit, issuance of certificates and licenses to Panchayats (3) Empowerment of Panchayat public representatives and employees (4) Empowerment of Panchayats by increasing transparency, quality, efficiency and accountability and (5) Strengthening of local self-governance. It is clear that decentralization of governance will be ensured under the e-Panchayat Mission Mode. Under the project, 11 main applications(software) have come together to form a 'Panchayat Enterprise Suite' (PES).

5. MyGov.in has been launched as a platform to ensure maximum participation of citizens in governance, for this 'Discuss', 'Do' and 'Disseminate' i.e. '3D' The path has been chosen. These facilities have been made available to the users on mobile through MyGov mobile app. Similarly, SBM mobile app has also been released for the promotion of Swachh Bharat Mission.

6. 'Pradhanmantri Jan-Dhan Yojana' launched on August 28, 2014, whose objective is to connect every family and citizen of the country with banking services.

7. The government has computerized almost all its ministries, departments and offices and connected them to the Internet system. Now e-commerce, e-procurement, e-ticketing, e-billing, e-hospital, e-education, telemedicine, teleconferencing etc. are moving towards rapid expansion of information and communication technology by adjusting it with e-governance.

8. 'Department of Electronics and Information Technology' (DEITY) has launched 'Digitize India Platform (DIP) for large scale digitization of records of various ministries, departments and state governments in the country. Efficient delivery of citizen services will be ensured, but administrative and financial literacy and awareness of common citizens will also increase.

Conclusion: Decisions were taken to implement it in central, state and local level governments. NeGP was started by the Department of Electronics and Information Technology, Administrative Reforms and Public Grievances. Under this, Income Tax, Customs, Excise and Passport at the central level, state Land records, agriculture and e-district level and e-panchayat mission mode were started at the local level. The results obtained from the research revealed that the use of information and communication system in the governance system can definitely reduce the service cost. Has come and an increase in quality has been seen. There has been an increase in the efficiency and capacity building of employees and empowerment of institutions by increasing transparency, quality, efficiency and accountability, and strengthening of local self-governance. The benefits of the schemes and programs of the state government are reaching the last mile with ease and transparency. Today, from Gram Panchayat to the capital, government work is being carried out in a limited manner by organizing meetings through virtual medium only.

References :-

1. PT Joseph, S.J., PHI.: E-commerce in Indian perspective.
2. S. Jaiswal- Doing Business on the Internet E-commerce (Electronic Commerce for Business) Galgotia Publication.
3. Tanenbaum, A.S., Computer Network, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.
4. P.K. Sinha "Computer Fundamentals", BPB Publication
5. Alexis Leaon, Mathews Leaon : Fundamentals of Information Technology, Vikas Publication.

****

Smart Cities and Villages in India: A Critical Analysis of Urban and Rural Development

Dr. Syed Saleem Aquil*

Abstract - In this scholarly work, an examination is conducted on the concepts of smart cities and smart villages in the context of India, focusing on their potential implications for urban and rural development. Employing a critical analysis approach, the paper evaluates the merits and demerits of both endeavours. It asserts that while substantial attention and investment have been directed towards smart cities, the significance of smart villages in India's overall progress should be considered. The findings emphasise the necessity of adopting a balanced approach that caters to the requirements of both urban and rural areas to achieve sustainable and comprehensive growth.

Introduction - The Indian government has implemented various initiatives to foster urban and rural development, notably the Smart Cities Mission and the Smart Villages Program. Despite the considerable attention and investment toward the Smart Cities Mission, the Smart Villages Program has received comparatively limited focus. This paper seeks to address this disparity by scrutinising the concepts of smart cities and smart villages in the context of India, along with their prospective implications for urban and rural development.

Smart cities aim to provide technology-enabled services to improve the quality of life and the efficiency of services offered by governing entities and businesses. This approach requires a comprehensive view of the city and its infrastructure. Smart cities are characterised by six key aspects: economy, people, governance, mobility, environment, and living.

Objectives of the Study: This scholarly paper aims to elucidate the evolving development landscape in contemporary India in light of the burgeoning impact of digital and information technology on global progress. Concurrently, it investigates the nation's rapid strides towards development. Specific emphasis is placed on delineating the intricacies oftransforming rural and traditional Indian settlements into intelligent urban and peri-urban entities.

Smart Cities in India: The Smart Cities Mission, initiated in 2015, aims to facilitate sustainable and inclusive urban development. The project entails transforming 100 cities in India by enhancing infrastructure, transportation, and public services. Despite substantial advancements, the mission has encountered financial limitations and a need for more institutional capability.

Smart Villages in India: The Smart Villages Program, initiated in 2016, aims to facilitate rural development and alleviate poverty. This program encompasses establishing smart villages throughout India and prioritising infrastructure, healthcare, and education enhancements. Despite notable advancements, the program has encountered significant obstacles, notably the lack of more financial resources and institutional capabilities.

The Current Situation: The current utilisation of computers and various information and communication technologies (ICTs) is anticipated to profoundly impact the environment and individuals' lives. This research paper delves into the potential of digital tools to enhance the economic and social well-being of Indian citizens. It examines the facilitation of electronic governance, advancement in healthcare services, implementation of intelligent transportation systems, promotion of energy efficiency, enhancement of education through technology, and improvement of the environment, as well as the potential for increased employment opportunities. Undoubtedly, the implementation of ICT applications and modern technology poses numerous challenges. Additionally, there is a pertinent question regarding India's capability to achieve rapid development, considering its large population.

Challenges

Primary Road Map: Governmental and administrative bodies are formulating a strategic plan to introduce advanced technologies to India's rural and urban areas. They are also considering potential challenges that may arise from this initiative.

India's infrastructure, social dynamics, and economic disparities present significant obstacles to this endeavour. Other developed nations have successfully implemented various technologies that have positively impacted infrastructure development.

Concept of digital business: The growth of digital businesses relies heavily on foundational technologies like

* Asst. Professor (Commerce) Kalyan Post Graduate College, Bhilai, Dist. Durg (CG) INDIA

robust authentication and privacy measures. Additionally, establishing and advancing e-government services is crucial in developing smart cities and villages.

Personal privacy and data security: Protecting personal privacy and the secure and confidential use of individuals' data is essential in the current era. Establishing stringent regulations to safeguard personal privacy and economic data and ensuring swift and equitable access to justice holds the potential for meaningful progress. Furthermore, the development of international standardisation and certification frameworks for businesses, along with the establishment of a universally accepted and secure data privacy infrastructure, is imperative. Balancing the commercial utilisation of individuals' data with preserving their privacy presents a formidable challenge.

Commercial use of private and economic information of the public: The demographic makeup of India's population encompasses individuals with varying levels of education, including highly educated, moderately educated, and uneducated individuals. It is imperative to establish a transparent and legally sound administrative approach to prevent businesses from exploiting the private data of the populace for their gain.

Safe digital transactions: Efforts have been undertaken to digitise banking systems and streamline monetary transactions in everyday life; however, the safety of digital transactions remains encumbered by legal and technical vulnerabilities. The Indian populace exhibits a bias towards conventional methods of business transactions, thereby contributing to a gradual but hesitant embracement of digital transaction systems owing to prevailing trust deficits.

Increase in electronic crimes: The rapid increase in electronic crimes necessitates adopting a robust technical system to expedite the judicial process against such offences. This approach is vital for fostering public trust in the security and privacy of financial and economic transactions.

Need for robust political and policy framework: The democratic administrative framework of India is characterised by the governance of different states by diverse political parties, each employing distinct administrative approaches. However, to facilitate the comprehensive development of rural and urban areas in India, it is imperative to establish uniform infrastructure development and coherent policies across all regions. This standardised approach ensures consistent and efficient progress in rural and urban areas. The rapid increase in electronic crimes necessitates adopting a robust technical system to expedite the judicial process against such offences. This approach is vital for fostering public trust in the security and privacy of financial and economic transactions.

Public API (Application Programming Interface): The Indian government is developing Application Programming Interfaces (APIs) through various agencies to streamline public applications. However, the administrative system's employees and the general public are unfamiliar with these electronic programs.

The concept of electronic government at the urban level: Using electronic systems for administration has several benefits. It helps work faster with fewer mistakes and allows for secure documentation. Implementing electronic government services in urban areas requires standardising different technologies and services, which is currently challenging due to integrating existing services and technology from urban and rural areas with new industrial technology.

The concept of electronic government at the urban level: Using electronic tools for administration has several advantages. It helps to work faster, minimises errors, and ensures secure documentation and protection of files.

Internet and wireless network of cities: Private sector entities predominantly manage the current provision of data and network services in urban areas. While the cost of these services is relatively low compared to global standards, the challenge lies in safeguarding the confidentiality of personal data, which is rapidly disseminated across commercial enterprises. Furthermore, the existing networking infrastructure remains inadequate, leaving many regions underserved by modern connectivity solutions.

Comparison of Smart Cities and Smart Villages: Smart cities and intelligent villages each have their distinct features and objectives. Smart cities prioritise advanced technology and innovation to enhance urban living, while smart villages emphasise rural development and poverty reduction. Intelligent cities often require substantial investment for growth and maintenance, while smart villages may offer more cost-effective solutions due to their focus on rural-specific needs and resources.

Conclusion: The paper analysed India's smart cities and intelligent villages initiatives and their potential influence on urban and rural development. Although both endeavours have merits and drawbacks, they hold equal significance for India's comprehensive advancement. A harmonised approach catering to the requirements of urban and rural sectors is imperative for enduring and all-encompassing progress. The paper advocates for an augmentation in government funding for the Smart Villages Program and heightened assistance for rural development.

References:-

1. Smart Villages New Thinking for Off-grid Communities Worldwide.
2. UN-Habitat, "State of the World's Cities 2008-09", 2008.
3. Smart-village-model proposed by the government of India.
4. Presentation to High Powered Expert Committee on "Sustainable Urban Development in India".
5. How to make a city great by McKinsey Cities Special Initiative.

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार

डॉ. उर्मिला चौकसे*

प्रस्तावना – भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवाँ स्थान है। देश का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है; जो विश्व क्षेत्रफल का 2.4प्रतिशत है। इसकी भू सीमा 15,200 किलोमीटर व तट सीमा 7.516.6 किलोमीटर है।[1]

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि के अन्तर्गत–

कृषिगत भूमि	181.850मिलियन हेक्टेयर
जोती गई भूमि	155.581मिलियन हेक्टेयर
सिंचित क्षेत्र	68.100 मिलियन हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्र	95.772 मिलियन हेक्टेयर
वर्षाधीन क्षेत्रफल	52.3 प्रतिशत

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तरप्रदेश है; जो आठ राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है।[2] जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध भारत की कुल आबादी का 70प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, शेष 30प्रतिशत शहरी निवासी है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा–सिन्धु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल तथा समुद्री तटीय मैदान। प्रत्येक भौगोलिक खण्ड की अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कृषि, व्यापार आदि से संबंधित विशिष्ट विशेषताएं हैं।

समस्त विभिन्नताओं के बीच एकता लिए हुये भारत देश की विकास गति परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में वित्तीय समावेशन विकास की बात कही गई है। इसका तात्पर्य सर्वांगीण विकास हेतु सम्पूर्ण समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने से है। आर्थिक विकास, समय के साथ आर्थिक निष्पादनों में वृद्धि का संकेतक है। ज्ञातव्य है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का लक्ष्य भारत में त्वरित, टिकाऊ तथा ज्यादा से ज्यादा समावेशी विकास को करना है।

हमारे लोकातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का साकार स्वरूप स्वतंत्रता के बाद दिखाई दिया। लेकिन सतत विकास प्रक्रिया आज की वर्तमान स्थिति को दर्शा रही आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार का आधारभूत उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन की क्वालिटी में तेजी से एवं स्थिरता से सुधार लाना है।[3]

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था–'एक विचार लें, उस विचार को अपना जीवन बनाएं। उसी के बारे में सोचें, उसका सपना देखें और उसी विचार को जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशी, स्नायु तंत्र; अपने शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से ओत–प्रोत कर दें और दूसरे विचरों को अलग रख दें; यही सफलता की राह है।'

महात्मा गांधी ने कहा था–'सतत विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति हमेशा हठधर्मिता को बनाए रखने की कोशिश करता है वह स्वयं को भटकाव की ओर जाता है।'[4]

इस भावना को प्रदर्शित करते हुए नए भारत के बदलते माहौल में शासन और नीति के संस्थानों को चुनौतियों को अपनाने की जरूरत है। अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को हमारी सभ्यता के इतिहास से ज्ञान के भंडार और वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। भारत के नागरिकों का शासन को और गतिशील बनाने में संस्थागत सुधारों की जरूरत है; जिससे अभूतपूर्व बदलाव की रूपरेखा तैयार हो सके और इस का पोषण हो सके।[5]

प्रस्तुत शोध पत्र में कतिपय योजनाओं की समीक्षा की गई; है जो सन् 2014 से 2017 के बीच लागू की गईं। इसका उद्देश्य क्या है ? समावेशीय विकास के लिए दिए जाने वाले जोर में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास भी निहित है। भारत जैसा देश जो कि पूरी दुनिया में सबसे युवा देश कहा जाता है; वह आज बेरोजगारी, गरीबी के दौर से गुजर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक योजनाएं संचालित की हैं।

सरकार द्वारा घोषित योजनाएं– देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका उद्देश्य देश का समग्र विकास है। कतिपय योजनाएं इस प्रकार हैं–

प्रधान मंत्री जनधन योजना– भारत के वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन और इसका उद्देश्य देशभर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खुलवा सकता है। इसके लिए 'रुपये डेबिट कॉर्ड' प्रारंभ किया गया।

स्किल इंडिया मिशन– भारत के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरु किए गए जैसे– डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि। इन कार्यक्रमों के बाद भारत सरकार ने कौशल विकास अभियान, स्किल इंडिया कार्यक्रम को शुरु किया। यह बहुआयामी विकास योजना है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। स्किल इंडिया मिशन योजना के अन्तर्गत 4 अन्य योजनाओं–राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना को शामिल करके शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में –कौशल विकास योजना केवल जेब में रुपए भरना नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है।'[6]

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सेवासदन महाविद्यालय, बुरहानपुर (म.प्र.) भारत

मेक इन इंडिया– 25 सितम्बर, 2014 को यह योजना लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। देश में विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही विदेशी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना है।

स्वच्छ भारत मिशन– 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत के रूप में देखना है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जून 2014 को संसद को संबोधित करते हुए कहा कि एक स्वच्छ भारत मिशन शुरु किया जाएगा, जो देश में स्वच्छता, वैस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए होगा। यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमारी तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी।[7]

आदर्श गांव योजना– भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सांसद को 2016 तक 1–1 तथा बाद में 2019 तक 2–2 गांव को गोद लेकर उनका विकास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है।

एपीजी सब्सिडी योजना/ उज्ज्वला गैस योजना– इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को गांव–गांव के घर–घर में गैस की सुविधा मुहैया कराना है ताकि पर्यावरण प्रदूषण तथा मानव दोनों की सुरक्षा हो सके। इसके अन्तर्गत रियायती दर लाखों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए गये हैं।

हृदय (HRIDAY-Heritiage City development and Augmentation Yojana)– यह 21 जुलाई , 2015 से लागू की गई; जिसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी तथा इन शहरों की आर्थिक गतिविधियों का विकास करना।[8] पुरानी इमारतों का जिर्णोद्धार करना भी इसका उद्देश्य है।

अटल पेंशन योजना– 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लागू की गई; जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना– 9 मई, 2015 को ये दोनों योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गईं। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी तरह से लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। 18 से 50 वर्ष तथा 18 से 70 वर्ष के लोगों को 2,00,000 रु. तक साधारण बीमा/दुर्घटना बीमा प्रदान करना इसमें सम्मिलित है।

सुकन्या समृद्धि योजना– भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरु की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कार्य है।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना– इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देना है। इसमें 50,000 से 10,00000 रु. तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वे स्वयं का रोजगार खोल सकें।

स्मार्ट सिटी परियोजना– 25 जून 2015 को यह योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 100 चुनिंदा शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकास किया जाना है।

अमृत **(AMRUT- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)–** यह योजना 20 जून,2015 को लागू की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना है।

डिजिटल इंडिया मिशन– 2 जुलाई, 2015 को भारत सराकर ने डिजिटल इंडिया मिशन योजना तैयार की। इसका मुख्य उद्देश्य समस्त सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करना है, ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सकें और गाँव–गाँव को इंटरनेट से जोड़ा जा सके।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना एवं स्वर्ण बॉन्ड योजना– दि. 5 नवंबर 2015 को यह योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य घरों में, संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना है। स्वर्ण जमा करने वाले को जमा स्वर्ण पर ब्याज मिलता रहेगा; यह एक प्रकार का निवेश है ताकि लोगों को आय प्राप्त होती रहे।

स्टार्टअप इंडिया– 16 जनवरी, 2016 को यह योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम में अनेक छूट दी गयी आयकर, कैपिटल गेन टैक्स आदि में छूट देकर उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की योजना है।

स्टैंड अप इंडिया– 5 अप्रेल, 2016 को यह योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को व्यावसायिक इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख से एक करोड़ तक की ऋण योजना बनाई गई।

ग्रामोदय से भारत उदय– इस योजना के अंतर्गत 14–24 अप्रेल, 2016 को देश के विकास हेतु गांव–गांव के विकास पर बल दिया गया।

नमामि गंगे– 7 जुलाई, 2016 से गंगा नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य गंगा नदी की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जल प्रदूषण को रोकना है।

प्रधानमंत्री वृद्ध वंदना योजना– 14 जुलाई, 2017 को वृद्ध वंद योजना को क्रियान्वित किया गया; जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरु की गई।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना– इसके तहत बेहतर रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रेनिंग पाठ्यक्रम चलाया गया; ताकि लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें एवं स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना– 1 जुलाई, 2017 को मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर मातृत्व वंदना योजना नाम दिया। इसमें गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों की फसल सुरक्षा में सहयोग प्रदान करने का सरकार का संकल्प है। 2022 तक देश में किसानों की आय में 2 गुना वृद्धि होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री युवा योजना– 9 नवंबर 2016 को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई; इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं के व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

विजन 20–20 फॉर इंडिया– देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा में सुधार लाने की दृष्टि से 'विजन 20–20 फॉर इंडिया' नाम से एक महत्वकांक्षी नीतिगत दस्तावेज केन्द्र सरकार द्वारा तैयार कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार करना है तकि अगले 20 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे का कलंक समाज से पूरी तरह मिटाया जा सके। इसके लिए योजना के सदस्य डॉ. एस.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है; जिसके अंतर्गत अनेक नवीन योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे;

जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहायक होंगे।[9]

वर्ष 2013-14 मई में 5 लाख ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से 20,08843 युवाओं को मार्च 2014 तक प्रशिक्षित किया गया और 1,39076 को रोजगार दिलाया गया है।[10] **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तक 248000919 किलोमीटर की नई सड़कें को संपर्को से जोड़ा गया। नई सड़कों का निर्माण किया गया।

उपरोक्त जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं; यह कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा रोजगार व्यवस्था, मानव पूंजी विकास, गरीबी महिला सुरक्षा, शिक्षा, विकास को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही हैं। सरकार के द्वारा उपरोक्त योजनाओं के अलावा और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें ना केवल देश की बल्कि देश के नागरिकों की जिंदगी बदल दी बल्कि भारत की ओर देखने का विश्व समुदाय का नजरिया भी बदल दिया। यह तमाम योजनाएं देश के सामाजिक, आर्थिक ढांचे को ना सिर्फ शक्ति दे रही हैं बल्कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए मातृभूमि की नींव को मजबूती प्रदान कर रही हैं।[11] योजनाओं से गरीबों को सहायता नहीं बल्कि सशक्त बनाने की जरूरत है।[12] बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध करवाना ताकि लोग अपना उद्यम विकसित कर सकें। जितनी भी योजनायें चलायी जा रही हैं, उनमें कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा, रोजगार व्यवस्था, मानवपूंजी विकास, गरीबी, लाचारी, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इन योजनाएं से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एवं मूल विशेषतायें, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1981, ISBN 81-7288-259-9,पृ. 33
2. प्रतियोगिता दर्पण, अप्रेल, 2017, 67/5
3. भारतीय अर्थव्यवस्था : साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, भारत की आर्थिक नीति, Text of Economic Reforms : A Discussion paper issued by Govt. of India, P. 445.
4. www.pmIndia.gov.in
5. www.pmIndia.gov.in
6. Hindiduniya.com
7. पवार दुर्गा : आर्थिक विकास में स्वच्छ भारत अभियान का योगदान : खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में, विद्यावार्ता शोध पत्रिका, पृ. 152, प्रकाशन वर्ष-2016
8. प्रतियोगिता दर्पण, अप्रेल, 2017, पृ. 70
9. डॉ. जे.पी. पंत /डॉ. जे.पी.मिश्रा : भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016, बेरोजगारी, पृ. 257
10. hi.vikaspedia.in
11. performIndia.com
12. Zee News : शनिवार 9 मई, 2015

****

बिलासपुर जिले में भारत छोडो आंदोलन

डॉ. रीता बाजपेयी*

प्रस्तावना –8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के तत्काल बाद 1 अगस्त को जनता सीधे आंदोलन में कूद पड़ना जनता की एक नयी मन:स्थिति को अभिव्यक्त करता है। जनता लंबे समय से उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा में थी, महात्मा गांधी की ओर और कांग्रेस की ओर हजारों लाखों निगाहें टिकी थी कि आंदोलन का इशारा कब होता है या निर्देश कब मिलता है वस्तुत: 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त को जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कांग्रेस को अपनी पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य से आंदोलन को अहिंसक बनाने के लिनए जुट जाना पड़ रहा था, लेकिन सरकार की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति यह थी, कि वह प्रत्येक चौकाने वाली आवाज का उत्तार बंदूक की भाषा या जेल भरो नीति के द्वारा किया जाना उचित समझती थी, इससे जनता को नियंत्रित करना सरकार के लिए और कठिन हो गया छत्तीसगढ़ में 1942 का यह आंदोलन प्रत्येक शहर, तहसील, कसबे, गाँव एवं सुदूरवर्ती वनों तक समान या कमोवेश रूप में विस्तारित हो चुका था, लोगों ने अपने आपको स्वाभाविक रूप से सरकार के खिलाफ संगठित किया, पूरा देश एक दल के रूप में संगठित हो गया जिनका सर्वथा उचित दृष्टिकोण उस समय यह अभिव्यक्त हो रहा था कि सरकार ने बिना भारतीयों की अनुमति या सहमति के अपने साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के तहत ही भारत की जनता को युद्ध भार ढोने के लिए मजबूर किया है। भारत पर युद्ध थोपा गया, वस्तुत: ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की बार-बार मांग के बावजूद युद्ध प्रयासों के संबंध में ब्रिटिश उद्देश्यों की घोषणा का अभाव सरकार के लिये अब भारी पड़ने लगा। इस संबंध में सरकार यदि समय रहते ही कम से कम 2-3 वर्ष पूर्व ही कोई समुचित निर्णय ले लेती तो भारतीय असंतोष संभवत: कुछ दिनों तक और टल सकता था, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गिरफ्तारियाँ एवं सरकार की ओर से युद्ध के संचंच में उद्देश्यों को स्पष्ट न करने की हठधर्मिता आंदोलन का क्षेत्र में विस्तार के प्रमुखताकालिक में से था।

10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ कालेज से शासकीय दमन में के विरोध में श्री रणवीर शास्त्री के नेतृत्व में एक जुलूस निकला। यह जुलूस भी गांधी चौक में जाकर सभा के रूप में परिणित हुआ। श्री रणवीर सिंह शास्त्री के साथ रथीराम वर्मा, काकेश्वर चन्द थपेल एवं यद्री प्रसाद शुक्ला भी गिरफ्तार कर लिये गये। विलासपुर के नेता ठाकुर छेदीलाल वैरस्टिर बंबई में ही बंदी बना लिये गये थे, 9 अगस्त 1942 को उन प्रमुख कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिनके द्वारा आंदोलन की गति को विस्तार देने की आशंका थी। पं. मुरलीधर मित्र, वासुदेव देवरस, चित्रकांत जायसवाल, डॉ. रामाचरन राय, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, सरदार अमर सिंह सहगल, पं. रामगोपाल तिवारी, मुकुंद चित्तले (वकील) को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय 12 वकीलों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, ताकि ये मुख्य पैरवीकार अदालत में उपलब्ध न रहे। लेकिन इन लोगों के गिरफ्तारी ने जेल के भीतर सभा समारोह एवं बाहर जन आक्रोश की गति देकर नेतृत्व विहीन जनता को देने जोश खरोश के साथ प्रेरित किया। नेतृत्व विहीन जनता में आंदोलन की गति को बनाये रखने के लिए सादिक अली अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री ने राजकिशोर वर्मा को बिलासपुर जिले का नया डिक्टेटर नियुक्त किया।

इस समय काशीचरण तिवारी के नेतृत्व में डिक्टेटर के साथ मिलकर जो व्यूह रचना अपनाई गई उसने जनता में भी जेल भरो आंदोलन की लोकप्रियता का विस्तार किया। 10 अगस्त की रात रामेश्वर प्रसाद साहू, राजाराम साहू एवं पीताम्बर साय आमसभा की मुनादी करते गिरफ्तार किये गये। इन्हें 12 बजे रात्रि को छोड़ दिया गया।

15 अगस्त 1942 के दिन बिलासपुर के आसपास के गावों-कस्बो से आए जनता कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाल, वर्तमान नेहरू पुतला से प्रारंभ होकर जुलूस शहर की और बढ़ा स्कूल बंद किये जाने लगे, छात्र स्कूलों की खिड़कियों से कूद कर जुलूस में सम्मिलित हो गये थे।

स्थानीय देवकीनंदन स्कूल की छात्राएँ भी जुलूस में सम्मिलित हुई थी। सदर बाजार होता हुआ जुलूस म्युनिस्पल स्कूल के छात्रों को समेटता हुआ आगे बढ़ा। जुलूस के साथ चाल रही पुलिस के अतिरिक्त आगे भारी मात्रा में सशस्त्र पुलिस नैतात की गई थी। श्याम टाकीज में पुलिस तैनात की गई थी। श्याम टॉकीज तक जुलूस अनियंत्रित हो चुका था। पुलिस द्वारा की गई उत्तोजक कार्यवाही या बल प्रयोग के फलस्वरूप देशानुराग में लोगों ने टेलीफोन तारों को क्षति पहुंचाया, कुछ सरकारी वाहन पथराव में भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। जूना बिलासपुर होते हुए दयालबंद पहुंचते तक जुलूस में शामिल अनगिनत लोगों की अनियंत्रित भीड़ के हिंसक हो जाने पर पुलिस ने लाठी चार्ज का आदेश पाकर निर्ममता से आम लोगों की पिटाई की कुछ समय तक जुलूस में भगदड़ मची अवश्य, परन्तु यह गतिमान रहा, आगे जाकर गांधी चौक में यह एक विशाल आमसभा के रूप में परिणित हो गया। (6)

इसके बाद ही इस आम सभा को गैरकानूनी घोषित कर सिटी मजिस्ट्रेट ने भीड़ को हटाने की चेतावनी दी, किन्तु सभा की कार्यवाही चलती रही और अंतत: पुसिल को लाठी चालन करना पड़ा। 16 अगस्त को काशीचरण तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया।

शिवरीनारायण में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉ. कपिलनाथ शर्मा को उनके ग्रामीण साथी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस का नेतृत्व करते हुए प्रसाद श्रीवास्तव पहले ही गिरफ्तार होकर यातना भुगत रहे थे। 16 अगस्त

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

को शिवरीनारायण के एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री झण्डूराम यादव धारा 38 (भारतीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किये गये, उन्हें । वर्ष की सजा हुई। (7)

भूमिगत रहकर आंदोलन डॉ. भानु प्रताप सिंह एवं रामेश्वर प्रसाद साहू कांग्रेस कार्यक्रम एवं परचों द्वारा आंदोलन एवं उत्तोजक कार्यवाहियों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिये गये । (8)

रेल्वे शिक्षक भ्रमर जी गुप्त के अतिरिक्त डॉ. देवरस एवं तखतपुर नवयुवक समाज के सत्याग्रही व्यापक पैमाने पर गिरफ्तार हुए।

बिलासपुर जिले में यूनियन फ्लेग के स्थान पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया। कटघोरा, बिलासपुर, मुंगेली एवं शिवरीनारायण में भी आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय झण्डे सार्वजनिक स्थल पर फहराया गया।

बिलासपुर जिले की अव्यवस्था एवं यातना तो वैसे भी प्रसिद्ध थी ही तत्कालीन जेलर जो चौबे जी के नाम से मुख्यात या सरकार की निगाहों में विश्वास थे, कैदियों पर प्रतिदिन स्थे- नये अमानवीय प्रयोग हेतु तैयार रहते थे। इस बीच पुलिस के महानिरीक्षक जठार के बिलासपुर प्रवास का कार्यक्रम बना। बिलासपुर जेल में कैदियों को अनुशासित रहने एवं किसी भी प्रकार की अशिष्टता न करने की सलाह दी गई अन्यथा गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई थी ।

लेकिन जब जठार जेल निरीक्षण हेतु कैदियों के बैरक में गये तो उन्होंन गणेश प्रसाद एवं भूरे प्रसाद को आराम से सोता हुआ पाया। चादर को कफन की तरह ओढ़कर सोये इन क्रांतिकारियों ने अपनी टोपियों में महात्मा गांधी की जय नारे लिख रखे थे और गलों में वन्दे मातरम् की तख्ती लटका ली थी। जब पुलिस महानिरीक्षक ने यह देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गये, उन्होंने वार्डन को इन कैदियों को मारते हुए उठाने का आदेश दिया और अपने फौजी बूटों से उन्हें ठोकर मारी थी। (9)

क्रांति काल में सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई थी कि मुकदमों की सुनवाई जेल के भीतर ही हुआ करती थी, खुली अदालत में नही। सुनवाई कार्यवाही के दौरान एक सत्याग्रही भ्रमर जी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये गये तो उन्होंने दंडाधिकारी का अपमान करते हुए चिल्लाकर कहा था – मैं तुम्हें न्यायाधीश नहीं मानता और इसके बाद ही खड़े हुए कैदियों के नारे सारी जेल की दीवारों में टकरा-टकराकर गूंजने लगे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जय । (10)

बिलासपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का संचालन करने हेतु राजकिशोर वर्मा कांग्रेस की ओर से डिक्टेटर चुने गये थे। 15 अगस्त 1942 को उनके नेतृत्व में एक विराट जन सम्मेलन का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ। इसे कालीचरण तिवारी संबोधित करने वाले थे। जिला प्रशासन को यह नागवार गुजरा। इस सम्मेलन को अवैधानिक घोषित कर दिया गया । शासन की सक्रियता एवं बार बार चेतावनी के बावजूद आमसभा हुई। प्रशासन ने बौखलाकर लाठी चार्ज कर दिया। आर. आर. बघेल की अदालत से उन्हें 26 सितम्बर 1942 को । वर्ष की सख्त सजा सुनाई गई।

अक्टूबर 1942 को प्रारंभ में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से धारा 144 की घोषणा कर दी गई थी। गांधी जी जंयती के दिन (2 अक्टूबर को) धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। साथ ही 144 घारा तोड़ने की भी अधिकृत घोषणा की गई। इस जुलूस में नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रमुख नेता छोटेलाल जोगी, रामचरण श्रीवास, मोहन सिंह और कालका प्रसाद, विश्वनाथ गिरफ्तार कर लिये गये उनमें से प्रत्येक को अदालत द्वारा 6 माह की कैद व 30 रूपये जुर्माना की सजा दी गई।

डॉ. रामचरण राय, डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र, चित्तले वकील, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामन राव, ओतलवार पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। 1942 के आन्दोलन में क्रान्तिकारी भारतीय एवं निर्भीक क्रांतिकारी के रूप में प्राय: गाया करते या जेल की दीवारों में लिख दिया करते थे। उन्हें एवं सहयोगियों को महाराष्ट्र के संत तुकन्द्रों जी का वह गीत बहुत पंसद था, जो रात को अकस्मात जेल की दीवारों से सर फोडते हुए गूंजा करती थी।

'पत्थर तो ये शस्त्र बनेगे, वृक्ष बनेगे सेना ।'

इसी तरह क्रान्ति कुमार भारतीय का यह गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था –

हे वीर बसन्त मनाले, उठ आग में बाग लगा ले
तेरे होते माँ की छाती पर, हाथ दु: शासन डाले।
मांगकर बिदा आज जान दे, मां क्यों मलिन सुरेश तुम्हारा,
कंपित अंग-अंग है सारा, वीरों की जननी जब तक हम है,
जीवित, आंच न आने दे,
माँ कर विदा, आज जान दे।

(3) ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र : बिलासपुर भी आन्दोलन की आग में झुलसने लगा। शासन का दपत्र चक्र थलता हा। अनेक लोग आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किये गए। गिरफ्तार होने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों में छेदीलाल सिंह, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और श्री चिन्तामणि ओतलवार आदि सम्मिलित थे। 15 अगस्त सन् 1942 ई. को श्री कालीचरण की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई थी जिसे, सरकार द्वारा नाकाम करने की कोशिश की गई इसीलिए सभा में एकत्रित भीड़ पर लाठी-चालन किया गया । श्री कालीचरण गिरफ्तार कर लिये गये। विलासपुर जिले में आन्दोलन के संचालन हेतु श्री राजकिशोर वर्मा को डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। सरकारी अत्याचार से पीडित होने पर अनेक लोगों ने भूमिगत होकर कार्य करना आरम्भ कर दिया। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयन्ती समारोह मनाने का निश्चय किया गया शहर में 144 धारा लागू होने के बावजूद युवकों ने उस दिन एक जुलूस निकाला, पर सरकार ने कठोरतापूर्वक उन सबको गिरफ्तार कर लिया राजनीतिक कैदियों को जेलों में कठोर यातनाएं दी थी।

तत्कालीन आई. जी. श्री जठार साहब ने बिलासपुर जेल का निरीक्षण किया उस दौरान गिरफ्तार कर लिया राजनीतिक कैदियों ने उनकी उपेक्षा की इस अपराध के लिये श्री भूरेलाल और श्री गणेश प्रसाद को यातनाएं दी गई। इस समय सारा बिलासपुर जिला आन्दोलन के माहौल से प्रभावित था युवकों द्वारा प्रतिदिन जुलूस निकाला जाता था और झंडा चढ़ाया जाता था। इस प्रकार सभाएं और गिरफ्तारी होना रोज की घटनाएं थी लोग पुलिस को पीटते रहे और लोगों को जेल में बंद किया जाता रहा। गांव गांव तक यह आन्दोलन फैल गया था और हिंसक घटनाएं होती जा रही थी। पुलिस की प्रवृत्ति पाशविक होती जा रही थी।

क्रिप्स मिशन की असफलता का भारत ब्रिटिश संबंधों पर विपरित प्रभाव पड़ा इसके बाद कांग्रेस ने बम्बई के अधिवेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव – 'भारत छोड़ो' पारित किया। गांधी जी ने इसी दिन लोगों को 'करो या मरो' का प्रसिद्ध नारा दिया। इस आन्दोलन के शुरू होते ही सरकार का दयन – चक्र चालू हो गया। गांधी जी और अन्य अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए नेताओं की अनुपस्थिति में इस आन्दोलन ने जन – विद्रोह का रूप ले लिया। शासन का विरोध करते हुए लोगों ने जुलूस निकाला, सभाएं की और हडतालों का आयोजन किया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति में जनता हिंसात्मक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गई

भारतियों के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किया गया। यह महानतम प्रयास था यद्यपि वह तात्कालिक रूप से सफलता प्राप्त न कर सका तथापि इसने लोगों में अपूर्व साहस का संचार किया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी के लिए भारत वर्ष में अधिक महत्वपूर्ण आन्दोलन से छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुए बिना न रह सका।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता,प्यारे लाल : हो, ई, साधवेन्द्र राव, सरकारी (मध्यप्रदेश) वैमासिक सहकारी उपभोक्ता विशेषांक, बिलासपुर, 1962.
2. लिस्ट आफ राव, ई. राघवेन्द्र पेपर्स 15-1-1971 : डॉ. ई. राघवेन्द्र राव के पौत्र श्री राव, अशोक (प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, म.प्र. कांग्रेस कमेटी 1980-81 के सौजन्य से) दिनांक 12-7-1981.
3. इम्पारटेन्ट मेसेज - 45, रेड फाइल श्रीराव अशोक (प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, म.प्र. कांग्रेस कमेटी 1980-81 के सौजन्य से) दिनांक 12-7-1981.
4. मिश्र, द्वारिका प्रसाद : 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन एम. पी.', रीजनल प्रेस, नागपुर, 1956 पृष्ठ 462.
5. तिवारी, देवचरण : बिलासपुर नगर कांग्रेस का इतिहास, बिलासपुर, 1968, पृष्ठ 9.
6. शर्मा, कपिलनाथ: (शिवरीनारायण जिला बिलासपुर) से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिनांक 18 अगस्त 1981.
7. सिंह, आदर्श ब्रजभूषण, 'बिलासपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम 1920-1947', पृष्ठ 438.
8. सिंह, आदर्श ब्रजभूषण: 'बयालीस की क्रांति', पृष्ठ 8 (अप्रकाशित).

****

रतनपुर में प्रचलित लोक नाट्य गम्मत

डॉ. रामरतन साहू*

प्रस्तावना –छत्तीसगढ़ी लोक जीवन की ऐतिहासिक और कालजयी संस्कृति, संस्कार परंपरा, रीति-रिवाज का दूसरा नाम है – 'गम्मत'। गम्मत लोक जीवन के विविध रंगों का सतरंगी मोहक वातावरण का सृजन करने वाली अनूठी विधा है, इसके द्वारा ग्राम्य जीवन के यथार्थ को हास्य-व्यंग्य के माध्यम से प्रकट किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की माटी की सोंधी महक है। संस्कृति मानव की श्रेष्ठतम धरोहरों में सर्वोपरि है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी सतत गतिमान अवस्था में अपने उत्कर्ष की ओर प्रवृत्त रही है। संस्कृति से हीन अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में मनुष्य मात्र एक पशु सदृश प्राणी रह जायेगा। संस्कृति ही मानव एवं पशु के मध्य एक प्रभावशाली विभाजन रेखा का कार्य करती है। संस्कृति का इतिहास के अध्ययन में विशिष्ट स्थान होता है।

शब्द कुंजी – पुष्पित, नदियाँ, श्रेणियाँ, चतुर्युगी, श्रृंगी, तुरतुरिया, कीर्तिध्वज, चेदिसगढ़, तीर्थस्थल, तपोभूमि।

भारत के हृदय स्थल में विद्यमान 'छत्तीसगढ़' अपनी बाहों में सत्ताईस जिलों को समेटे दण्डकारण्य, कोसल, महाकोसल, चेदिगढ़ तथा धान का कटोरा जैसे नामों से अभिहित होने वाला प्रकृति के सुरम्य गोद में पला-बढ़ा और पुष्पित हुआ है। छत्तीसगढ़ की सुन्दर पर्वत श्रेणियाँ, पवित्र नदियाँ, तीर्थस्थल, तपोभूमि के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। छत्तीसगढ़ अंचल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का देश के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

छत्तीसगढ़ को चतुर्युगी राज्य कहा गया है, अर्थात् चारों युगों में इसका अस्तित्व रहा है। सतयुग में देवताओं का निवास स्थान होने के कारण अंबिकापुर का नाम सुरगुजा था। वैदिक काल में अगस्त्य मुनि का आश्रम सरगजा ग्राम में, जमदग्नि ऋषि का आश्रम देवगढ़ में, वाल्मिकी ऋषि का आश्रम तुरतुरिया ग्राम में, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम सरगुजा में, श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा पर्वत पर होने का उल्लेख प्राप्त होता है।

रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। विद्वानों का मत है कि दक्षिण कोसल भगवान श्री राम की माता कौशल्या का मायका था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को दण्डकारण्य के नाम से अभिहित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीराम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ अंचल में ही व्यतीत किया था।

महाभारत काल में भी छत्तीसगढ़ की अत्यधिक महत्ता थी। इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदि देश कहा जाता था। महाभारत का एक प्रमुख पात्र राजा मोरध्वज रतनपुर का राजा था। यह कथा प्रसिद्ध है कि उसने साधुवेश धारी श्री कृष्ण के अतिथि सत्कार हेतु अपने एकमात्र पुत्र की बलि देकर श्रीकृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था।

छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से एक प्रमुख जिला बिलासपुर है जो कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन तथा जिले का मुख्यालय भी है, बिलासपुर शहर से उत्तार की ओर 25 कि.मी. की दूरी में स्थित है चारों युगों में प्रसिद्ध रही पुरातन नगरी 'रतनपुर'। रतनपुर पुरातात्विक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का वह अनमोल रत्न है जहाँ बिखरे प्रस्तर शिल्पों में पूरा इतिहास खेल रहा है। दक्षिण कोसल की राजधानी, मयूरध्वज के दान कीर्तिध्वज को चारों दिशाओं में फैलाने वाली, रत्नदेव की विजय वाहिनी को आल्हादित करने वाली, हैहयवंशी कल्चुरियों की पुण्यभूमि एवं माँ महामाया की नगरी होने के कारण छत्तीसगढ़ के इतिहास में रतनपुर का स्थान गौरवशाली रहा है। श्री प्यारे लाल गुप्त के अनुसार-

'सतयुग में इसका नाम मणिपुर था, त्रेतायुग में यह माणिकपुर कहलाया, द्वापर में इसका नाम हीरापुर और कलियुग में यह रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध है।'

छ.ग. की पुण्यभूमि रतनपुर अपनी कला और संस्कृति से समृद्ध रही है। इसी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में 'गम्मत' का विशेष योगदान है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक लोकनाट्य-'गम्मत' प्राचीन लोकनाट्य है। छत्तीसगढ़ के इतिहासकर श्री प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार-

'गम्मत छत्तीसगढ़ की माटी से ओतप्रोत उसकी संस्कृति का प्रतीक है।'

रतनपुरिहा गम्मत का संबंध छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर से है। इसी के आसपास इस गम्मत को किया जाता है। यह गम्मत छत्तीसगढ़ के परंपरगत गम्मत से भिन्न है, इस गम्मत को विशिष्ट गम्मत की संज्ञा दी गई जिसे 'रतनपुरिहा गम्मत' के नाम से जाने लगा। रतनपुरिहा गम्मत के संदर्भ में भाषाविद् डॉ. विनय कुमार पाठक जी ने लिखा है-

'रतनपुरिहा गम्मत, गम्मत की लोकप्रियता को बनाये रखने तथा रासकला से युक्त लोकरंजन को लोक मंगल स्वरूप देने तथा श्रृंगार के बाह्य रूप को उदान्नता पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से बाबू रेवाराम द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला के गुटके पर आधारित अध्यात्म को अधिष्टित करने का महान आयोजन है।'

छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य एक ओर जन सामान्य का मनोरंजन करते है वहीं दूसरी ओर समाज का नवनिर्माण भी करते है। प्राचीन समय लोकनाट्यों का स्वरूप धार्मिक आख्यानों पर आधारित होता था। लोकनाट्यों के माध्यम से व्यवहारिक शिष्टाचार आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है साथ ही सामाजिक कुरीतियों, असमानता, अत्याचार तथा अन्याय के खिलाफ प्रहार किया जाता था। यह सब चुटीले तथा व्यंग्यात्मक संवादों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्यों में से सामाजिक समारोहों के अवसर पर प्रदर्शित किये जाने वाले नाट्यों को पृथक कर लिया जाये तो दो प्रकार के

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

गम्मत प्रमुख रूप से यहां पाये जाते है जो कि निम्नलिखित है –

1. परंपरागत गम्मत या नाचा गम्मत 2. रतनपुरिहा गम्मत

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नाच तथा गम्मत दो शब्दों के मेल से 'नाचा गम्मत' बना है। परंपरागत गम्मत में नृतय संगीत एवं अभिनय की प्रमुखता होती है। नृत्य गीत के बीच–बीच में नर्तकों एवं गायकों को थकान मिटाने हेतु भाव परिवर्तन हेतु तथा जन सामान्य के मनोरंजन हेतु जोकर तथा गम्मत के अन्य पात्र समसामायिक, सामाजिक संदर्भो से ओत–प्रोत कथानक पर प्रहसन शैली में अभिनय प्रस्तुत करते है, जिसे गम्मत कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर में रतनपुरिहा गम्मत की उत्पत्ति हुई तथा रतनपुर में ही यह गम्मत फल–फूल कर विकसित गति को प्राप्त हुआ है। गणेशोत्सव के अवसर पर भादों मास में इसका प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए इसे भादो गम्मत के नाम से भी पुकारा जाता है। रतनपुरिहा गम्मत वास्तविक रूप में छत्तीसगढ़ में प्रचलित यरहस का ही लघु रूप है।

मराठा शासन के अंतिम चरणों में 'रहस' तथा 'गम्मत' में अनेक विकार तथा विकृतियाँ आ चुकी थीं। अत: रतनपुर के प्रसिद्ध हिन्दी एवं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान साहित्यकार बाबू रेवाराम जी ने मध्यकालीन भक्त कवियों के कृष्ण लीला के पदों का संग्रह कर तथा स्वरचित पदों को मिलाकर एक पद संग्रह की रचना की जो कृष्ण लीला पर आधारित था। यह पद भक्ति प्रधान होने के साथ–साथ शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि से प्रेरित थे तथा रहस के नृत्य भी इन पदों के अनुकूल संयोजित किये गये। इस प्रकार बाबू रेवाराम ने पूर्व प्रचलित रहस का परिष्कार कर एक बार पुन: उसे जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। बाबू रेवाराम ने रहस की घटती लोकप्रियता तथा गम्मत के फूहड़ प्रदर्शन पर संज्ञान ले रहस के गुटका के पदों के साथ सुंदर शास्त्रीय नृत्यों के समावेश तथा गम्मत प्रहसनो का समावेश कर एक नयी लोकनाट्य विद्या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जिसे 'रतनपुरिहा गम्मत' नाम दिया गया।

छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में प्रतिबिम्बित है। मौखिक परंपरा में विद्यमान यह लोकसाहित्य लोक की निधि है जिसे लोकगीत लोककथा, लोककथा, लोकनाट्य और लोकसुभाषित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की लोक साहित्य अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्न है। लोकसाहित्य की अन्य विधाओं की भांति लोकनाट्य पर बहुत ही कम शोध हुये है। लोकनाट्य अब भी शोध का विशय बना हुआ है। लोकनाट्य पर कार्य अवश्य हुये है लेकिन उसमें ज्यादातर कार्य रहस और नाचा गम्मत पर केन्द्रित रहे है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी और माँ महामाया की नगरी रतनपुर में प्रचलित रतनपुरिहा गम्मत पर बहुत कम कार्य हुये है।

वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर खड़ा लोकनाट्य रतनपुरिहा गम्मत श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ–साथ लोक का भी दर्शन होता है। यह लोकनाट्य रहस का लधु रूप है जो रतनपुर में गणेशोत्सव के दौरान मादो एकादशी से पूर्णिमा तक पाँच दिवस तक आयोजित होता हो इसे मादो गम्मत भी कहा जाता है इसमें श्री कृश्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की घटनाओं का मंचन किया जाता है रतनपुरिहा गम्मत का कार्यक्रम रात भर चलता है जिसे देखने दूर–दूर से लोग आते है। कथा के बीच–बीच में कलाकार अपने विशेष नाट्कीय एवं भाव भंगिमा प्रदर्शन से लोगों का मानोरंजन करते है। जिसे स्वांग कहा जाता है प्रहसन की भाषा छत्तीसगढ़ी होती है। जिसे छत्तीसगढ़ी जन–जीवन का दर्पण कहा जाता है। प्रहसन के अलावा लोकगीत और लोकनृत्य आदि की प्रस्तुति भी कथा की एकरसता को तोड़ने के लिये की जाती हैं। रतनपुरिहा गम्मत के सभी कलाकार बाबू रेवाराम के गुटके का ही अनुसरण करते है।

छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य पर विभिन्न शोध कार्य हुये है। लेकिन रतनपुरिहा गम्मत पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विवेचना मेरे शोध का गंतव्य है आज रतनपुरिता गम्मत की परंपरा समाप्त होती दिखाई दे रही है क्योंकि नई पीढ़ी इस परंपरा को सहेजने के लिये उत्सुक नहीं दिखाई दे रही है। संक्रमण की इस बेला में रतनपुरिहा गम्मत का अध्ययन आज के युग की मांग है।

छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विवेचना की गयी है, वहीं दूसरी ओर रतनपुरिहा गम्मत के अद्भव एवं विकास उसके विभिन्न पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस विद्या से जुड़े कलाकारों का परिचय एवं बाबू रेवाराम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा रतनपुरिहा गम्मत में उनके गुटके का महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विलुप्त होती इस लोक परंपरा एवं लोक संस्कृति को जीवित रखना इस शोध का प्रमुख लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का द्योतक गम्मत वर्तमान में लुप्तप्राय है, इसे पुनर्जीवित करने के लिये इसके प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शन की आवश्यकता है। प्रचार–प्रसार का सबसे अच्छा माध्यम हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी अत: इतिहास एवं हिन्दी जैसे विषयों के पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक शाला स्तर तक के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाना चाहिये ताकि बाल्यकाल में ही युवा वर्ग छत्तीसगढ़ की इस कला के बारे जान सकें एवं इसव कला में उनकी रूचि जागृत हो।

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को लोकनाट्य गम्मत का मंचन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

शासन द्वारा समय–समय पर लोककला महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिये एवं उनमें प्रांत की गम्मत जैसी लोककलाओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिये ताकि छत्तीसगढ़ की इस लोक पंरपरा और सांस्कृतिक विरासत को चिरजीवी रखा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाबू रेवाराम, रतनपुर का इतिहास, अप्रकाशित मूल स्त्रोत, रतनपुर।
2. बाबू रेवाराम, विक्रम विलास, 1896 ई.अप्रकाशित मूल स्त्रोत।
3. बेहार, आर. के., छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी रायपुर।
4. ब्रेट,डी, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, गजेटियर 1909
5. भागवत, महेन्द्र, लोकनाट्य के प्रकार तथा प्रवृत्तियां, पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी।
6. चिशोम, जे. डब्ल्यू., रिपोर्ट ऑन द सेटेलमेंट ऑफ द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन द सी. पी.,1868ई.
7. छत्तीसगढ़ संदर्भ, प्रकाशक जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
8. दक्षिण कोसल के साँस्कृतिक कला केन्द्र रतनपुर एवं पाली, विवरणिका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मण्डल।

****

अकबरयुगीन स्थापत्य कला : समन्वय की सुदृढ़ परम्परा

प्रताप कुमार पाण्डेय*

शोध सारांश –अकबर अपने युग का कलाप्रिय शासक था। उसने ईरानी, फारसी, अरबी व मुस्लिम शैलियों को भारतीय स्थापत्य शैलियों में मिश्रित कर नवीन शैली के भवन, किले व स्थापत्य का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाये गये मकबरों व महलों को देखकर सहजता ही उनमें मुगल गौरव व राजपूती प्रतिष्ठा को देखा जा सकता है। अकबर के बनाये स्थापत्य आज भारत की पहचान है।

शब्द कुंजी – कलानुराग, शैली, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक समन्वय मेहराब, कलाप्रिय, केन्द्रीय शासन, ईरानी शैली, राजपूत शैली, वास्तुकला, सुलह-ए-कुल।

प्रस्तावना –'बादशाह शानदार महलों तथा वस्त्रों के चित्र बनाता है, जो बातें उसके मस्तिष्क के अंदर होती हैं। उनको पत्थर तथा मिट्टी से प्रत्यक्ष रूप दे दिया जाता है।' [1] – अबुल फजल

अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारते निम्नलिखित हैं–

1. **हुमायूं का मकबरा–** यह अकबर के शासनकाल की प्रथम इमारत है. इसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1565 ई. में दिल्ली में कराया था। इस मकबरे में ईरानी शैली का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि हाजी बेगम ईरानी स्थापत्य कला से प्रभावित थी। [2]

दूसरा तथ्य यह था कि इस मकबरे के निर्माणकर्ताओं में प्रमुख मिर्जा गयास वेग भी ईरान का निवासी था। अत्यधिक ईरानी प्रभाव के कारण यह मकबरा सौन्दर्यहीन सा हो गया है तथापि भावना और निर्माण में यह मकबरा एशिया के दो प्रमुख सुसंस्कृत देश-भारत और ईरान की मास्तुकला शैलियों के समन्वय का योतक है। (0) पर्सी ब्राउन के अनुसार पस्तुत: यह मुक्त पात्तुकता के विकास का परिचय देता है।

2. **आगरे का किला–** इसका निर्माण 1565 ई. में प्रधान कलाकार कासिम खाँ के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह किला लाल पत्थरों से निर्मित है। इस किले का प्रमुख द्वार दिल्ली का दरवाजा 1566 ई. में बनकर तैयार कराया गया। सम्राट अकबर ने 500 इमारतों का निर्माण आगरे के किले के अंदर लाल पत्थरों से करया था। इसे कालांतर में शाहजहां ने तुड़वाकर इसके स्थान पर सफेद संगमरमर के मंडप स्थापित करा दिये।

मेहराबों को संगमरमर की सफेद और काली पट्टियों से तथा पशु-पक्षी की आकृतियों व फूल-पत्तियों से सुसज्जित किया गया है जो कि हिन्दू कता की प्रतीक है क्योंकि किसी जीवधारी का चित्र बनाना कुरान के नियमों के विरूद्ध है। किले में गड़े हुये पाषाण खण्डों को लोहे के कड़ों से इतनी कुशलता और सुगड़ता से जोड़ा गया है कि उसमें बाल का प्रवेश भी असंभव है. दुर्ग की इन विशेषताओं से भवन निर्माण कला में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ।[3]

3. **जहांगीरी महल–** आगरा के किले में अवस्थित यह महल सम्राट अकबर की अद्वितीय देन मानी जाती है। इसे अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिये निर्मित कराया था। जहांगीर महल के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि हिन्दु मुस्तिम शैलियों में जो प्रयत्न जहांगीरी महल के निर्माण में किया गया इतना अभी तक कदाचित् अफगानों और मुगलों के किसी भवन-निर्माण में नहीं हुआ। जहांगीरी महल का फाटक नुकीला, दरवाजा है। इस गरल में हिन्दु शैली के वर्गाकार स्तंभ, मोटी महराबें और पाषाण पर विविध प्रकार के उकेरण है। [4]

4. **लाहौर का किला–** यद्यपि आकार में यह दुर्ग आगारा के दुर्ग से छोटा है तथापि इसके भीतर के भवनों की योजना और स्वरूप अधिक सोच-विचार कर बनाये गये। भवनों की दीवारों को पशु-पक्षी, पौली खेल आदि दृश्यों से सुसज्जित किया गया है। वे आकृतियां और उकेरण हिन्दू-मुस्लिम कलात्मक समन्वय की अनूठी साक्षी हैं।

5. **इलाहाबाद का किला–** इलाहाबाद के किले का बाद में निर्माण हुआ (सन् 1563) इस दुर्ग में बकवर ने चालीस स्तम्भों बाला राजभवन बनवाया था जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद दुर्ग और उसके भवनों के निर्माण में विभिन्न श्रेणियों के पांच सहस्व किपी लगे थे तथा इसमें चालीस वर्ष लगे।

6. **अजमेर का किला–** अपनी राजस्थान विजय को प्रभावशाली बनाने के लिये अकबर ने 1570 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। इस किले के चारों ओर दोहरी दीवार है। इसमें दो मंजिलों चाले भवन बनाये गये। अपनी राजस्थान यात्रा के समय अकबर इसी दुर्ग में ठहरता था।

7. **फतेहपुर सीकरी की इमारतें–** फतेहपुर अर्थात जीता हुआ नगर इसका निर्माण सन् 1570 में प्रारंभ करवाया गया। मुगल सम्राटों की वास्तुकला की समस्त उपलब्धियों में ताजमहल को छोड़कर फतेहपुर सीकरी सर्वोत्ताम कृति है। सीकरी के शेख सलीम बिश्ती के आर्शीवाद से अकबर को पुत्र रत्ल की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम भी उसने सलीम (जहांगीर) रखा। सीकरी के छोटे से गांव को नगर के रूप में परिषित कर दिया गया बादशाह ने इसे 'फतेहपुर' नाम दिया। गुजरात फतेह कर लेने के बाद सन् 1572 में अकबर ने मात्र 15 वर्षो में इसका निर्माण इतनी तीव्रता से करवाया कि ब्राउन के शब्दों में 'ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी जादूगर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था।'

आशीर्वादी लाल के शब्दों में 'सौकरी की स्थापत्य कला की मुख्य

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डी.एल.एस. स्नात. महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

विशषता उसमें तीरों, ब्रेकेट एवं पटी हुई छतों की हिन्दू शैली और मेहराबों गुम्बदों की मुसलमान शैली का एक रूपी सामन्य है, वैसे इसमें हिन्दु शैली की प्रधानता है।' [5]

फतेहपुर सीकरी की इमारतें हिन्दू–मुस्लिम स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। अधिकांश इमारतें लाल पत्थर की बनी हुई हैं. यहां की अधिकांश इमारतें आज भी विद्यमान हैं और 'सुलह–ए–कुल' की नीति का साक्षात प्रमाण है। फर्ग्युसन के अनुसार 'फतेहपुर सीकरी' के पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। अन्यत्र उन्होंने लिखा है 'फतेहपुर सीकरी' जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई थी और न भविष्य में होगी।

फतेहपुर सीकरी की इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, चिकित्सालय, ज्योतिषी की बैठक, पंच महल, शाहजादों का मखतब, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा बाई का महल, मरियम का महल, बीरक्त का महल, अबुलफजल गृह, हाथी पोल, शाही अस्तबल, जामा मस्जिद, बुलन्द दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती कर मकबरा आदि प्रमुख है। [6]

अ. पंचमहल– यह पांच मंजिला इमारत है। इसमें एक मंजिल से दूसरे में जाने के लिये सीढ़ियां बनाई गई हैं। ऊपर की प्रत्येक मंजित उत्तारोत्तार छोटी होती है. स्तम्भों पर उभरी घष्टियों, फूल–पत्तियों, कलश एवं रुद्राक्ष–मालाओं से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस महल में हिन्दू कला का अत्यधिक प्रभाव है।

ब. जोधाबाई का महल–इसे अकबर ने अपनी बेगम जोधाबाई के लिये बनवाया था। इसकी शिल्प कला जहांगीरी मधल से मिलती–जुलती है। यह एक आयताकार इमारत है चारों ओर से 32 फीट ऊंची दीवार से घिरी इस इमारत का केवल एक ही प्रवेश द्वारा है। कक्षों में सुन्दर कतापूर्ण ताक है जो मूर्तियों तथा अन्य पवित्र सामग्री आदि के रखने के लिये बने हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जोधाबाई के महल निर्माण में पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात की स्थापत्य कला शैली के विशिष्ट तत्य और लक्षण लिये गये हैं।

स. जामा मस्जिद–यह सन् 1571–72 में 5 लाख रूपयों की लागत से बनकर सम्पूर्ण हुई थी। यह मस्जिद 166 मीटर लंबे और 135 मीटर चौड़े अहाते में बनी हुई है। इसमें तीन बुम्बद है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है इस सुन्दर इमारत की सजावट की विभिन्नता का इसके अनुरूप वर्णन संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कलाकारों ने किसी अत्यंत सुन्दर हस्तलिखित ग्रंथ के पृष्ठों को अपना नमूना मान लिया हो और उन्हें अपनी रेखाओं तथा रेगी में बुनकर दीवार के खाली स्थानों पर सजावट के लिये भर दिया हो।

द. बुलन्द दरवाजा – यह फतेहपुर सीकरी में स्थित एक अत्यन्तदर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 ई. में अपनी गुजरात विजय की स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए करवाया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। लाल बलुआ पत्थर से बने हुए इस स्मारक को सफेद संगमरमर से सजाया गया है। जिसमें यत्र–तत्र कुरान की आयतें उत्कीर्ण है। यह हिन्दू और फारसी स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है।

आलोचना – अकबर के द्वारा निर्मित महल, मकबरे, स्मारक आदि के अवलोकन से ऐसे कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर सिद्ध होता है कि इन स्थानों पर पहले से ही हिन्दू महल, मन्दिर या किले थे। इन्हीं का अकबर ने सर्वथा नवीन ढंग से पुनर्निमाण करवाया था यही कारण है कि इन्हें 'जादू से निर्मित' कहा गया क्योंकि इस पुर्ननिर्माण में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगा।

निष्कर्षतः देखा जा सकता है कि अकबर युगीन समस्त स्थापत्य काल के भाल पर एक अमिट हस्ताक्षर है, एक कालजयी शौर्य है। इन पर कोई भी भारतीय गर्व कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अकबर की विजयों जैसे ही से महत्वपूर्ण उसके द्वारा किये गये महानतम निर्माण हैं जिनके माध्यम से अकबर ने उस युग में दो परस्पर विरोधी संस्कृतियों को साथ लाने का पुरूषार्थ किया था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अबुल फजल, **'आइन–ए–अकबरी'** भाग–I पृष्ठ 222, 1956
2. ब्राउन पर्सी **'इंडियन आर्किटेक्चर'** भाग–II, पृष्ठ 90, 1930
3. लुणिया, बी. एन., **'मुगलकालीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास'** भाग–I, पृष्ठ 676, 1994
4. लुणिया, बी. एन.,**'मुगलकालीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास'** भाग–I, पृष्ठ 679, 1994
5. खुराना, डॉ. के.एल., **'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति'** पृष्ठ 107, 1994
6. फर्ग्यूसन, जे., **'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड वेस्टर्न आर्किट्रेक्चर'**, भाग–II, पृष्ठ 297, 1910

****

छत्तीसगढ़ में प्रचलित विवाह पद्धितियाँ

डॉ. रश्मि सोनी*

शोध सारांश – विवाह की पद्धति एवं परम्परा के अंतर्गत वर और वधू की एक आध्यात्मिक इकाई को सूत्रबद्ध किया जाता है। इस पवित्र वैवाहिक यज्ञ को अग्नि तथा देवों के साक्ष्य में पूरा किया जाता है। विवाहोत्सव एक मांगलिक पर्व की भांति जीवन को नवीन शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। जीवन को मर्यादा और संस्कार से अनुशासित रखने के लिए विवाह एक बहुमूल्य पद्धति है। विवाह एक धनिष्ठ, आत्मीय और अन्तरंग साथी के लिए किया जाता है। इस लोक यात्रा का लक्ष्य लोकमंगल के लिए वंशवृद्धि में योग देना है। इस पवित्र योग द्वारा वंशवृद्धि की प्रेरणा का एकमात्र यही आधार है। इस प्रकार विवाह कर पति-पत्नी आपस में प्रेम और आत्मीयता के अभिन्न तारों से एक दूसरे के प्रति जन्म-जन्मांतरों के लिए घनिष्ठ सम्पर्क सूत्रों से बंध जाते हैं जो एक सुंदर योग होता है।

शब्द कुंजी– झाँपी, जन्मैश्वर्याकृतिर्भिव:, अंजुली, चाँवल, हल्दी, सुपाड़ी, ब्रह्मचर्याश्रम, तथोर्विवाहों।

प्रस्तावना – विवाह संस्कार वैदिक काल से ही अनिवार्य हो चुका था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वैवाहिक विधि को काव्यमयी अभिव्यक्ति प्राप्त थी। स्मृतियों में भी ब्रह्मचर्याश्रम के पूर्णता के पश्चात् प्रत्येक मनुष्य को विवाह करने का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक काल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक तथा नितांत श्रेयस्कर विधान माना जाता था। सुरों, असुरों, मानवों सभी योनियों में विवाह की अनिवार्यता थी, लिहाज़ा यह विवाह धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आयु की समानता का ध्यान रखकर ही किया जाना उचित माना जाता था। अपने से श्रेष्ठ अथवा अधम के साथ उचित नहीं माना जाता था। भले ही इसके कुछ अपवाद भी मिलते थे।

'यथोरात्मंसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भव: ।
तथोर्विवाहों मैत्री च नोत्तमाथमयों: क्वचित्।।'

एकादश स्कन्ध में तो बताया गया है कि ब्रम्हचारी को चाहिए कि वह अपने अनुरूप तथा शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त कुलीन कन्या से विवाह करें।

हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों यथा ब्रम्हचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है। इन चारों आश्रमों की पूर्णता के लिए पाणिग्रहण संस्कार अर्थात् विवाह की आवश्यकता तथा महत्व सर्वमान्य है।

छत्तीसगढ में शाखोच्चार विवाह पद्धति छोटी विवाह पद्धति, मँझली विवाह पद्धति, जयमाला आदि प्रचलित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

छत्तीसगढ़ की छोटी विवाह पद्धति – छोटी विवाह पद्धति में विवाह भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न विधियों से होता है जिसमें की उन्हे ब्राम्हण (आचार्य) की आवश्यकता नहीं होती है, समाज के लोगों द्वारा ही इसे सम्पन्न करा लेते है। वर्तमान में इस विवाह पद्धति का समाज में धीरे-धीरे चलन खत्म होता जा रहा है।

मँझली (छोटी) विवाह पद्धति – इस पद्धति में जब बाराती कन्या के यहॉ आते हैं तो उनकी उचित आवभगत की जाती है। उन्हें विवाह मंडप (जवनासा) में उचित स्थान पर बैठाने के पश्चात् आचार्य को बुलवाकर मण्डप में उचित आसन प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम वर व समधी सहित झाँपी (पेटी) बुलाव किया जाता है। जब वर कन्या के द्वार पर आता है तो उन को विवाह मण्डप के बीच खड़े कर सर्वप्रथम कन्या की माँ द्वारा वर का पूजन (मौर सोपना) किया जाता है और बारातियों से सभी चढ़ाव सामान (कपड़ा, गहना, मौर आदि) मांगकर सुवासिन के हाथ माई साड़ी व सभी साड़ियाँ प्रचलन व मांग के अनुसार कुड़ा देकर घर भिजवाया जाता है। अब सबसे पहले आचार्य द्वारा मंडप के बीचोंबीच लीपवा कर सुंदर चौक बनवाया जाता है, चौंक के ऊपर एक पीढ़ा रखा जाता है। कन्या पक्ष से पीला चॉवल, फूल, दूबी, कलशा मँगवाने के पश्चात् वर को मंडप मे बैठाया जाता है। पहले वर के ऊपर जल छिड़का जाता है, फिर गौरी-गणेश पूजा नवग्रह पूजा, कलश-पूजन, षोडषोपचार विधि से सम्पन्न किया जाता है। फिर कन्या को वर के दाहिने बैठा कर वर-कन्या द्वारा पुन: गौरी-गणेश, नवग्रह, कलश आदि पूजन षोडषोपचार विधि से सम्पन्न कराए जाते हैं।

लगन की सामाजिक विधियाँ :-

1) साहू (तेली) समाज में एक खाट में वर और कन्या को एक-दूसरे के सम्मुख बैठाया जाता है। वर के कनिष्का अंगुली को कन्या पकड़ती है। अब ऊपर से दोनों को एक चादर से ढँक दिया जाता है तथा सुवासिनों द्वारा करसा यानि कलश का हल्दी मिला जल छिड़कते हुए आचार्य द्वारा पाणिग्रहण का संकल्प मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र पूरा होने पर चादर को निकाला जाता है। अब कन्या द्वारा वर का हाथ पकड़वा कर आगे कन्या रहती है और इस प्रकार मण्डप के चारों तरफ तीन फेरे कराये जाते हैं। तीन फेरों के उपरांत वर पक्ष से एक धोती लेकर उसमें पीला चाँवल, हल्दी, सुपाड़ी व सिक्का डालकर बाँध दिया जाता है, इस प्रकार गठबंधन कराया जाता है। अब वर कन्या का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए तीन फेरे पूरा करता है। अब वर-कन्या को बैठाकर अंजुली भरवाई जाती है सात आचार्य और पाँच या सात सुवासिन के लिए। शाखोच्चार विधि मंत्र पद्धति के अनुसार सब विधियों के पश्चात् देव-विसर्जन ब्राम्हण-दक्षिणा की विधि सम्पन्न की जाती है। कहीं-कहीं वर-वधू को खाट के स्थान पर पर्रा में बैठाया जाता है।

* शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक बालक शाला, बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

2) यादव (अहीर या पाहटिया) समाज में वर-कन्या के बीच में चादर इस प्रकार रखा जाता है जिससे की दोनों एक-दूसरे को न देख पाएं। अब वर की ऊंगली कन्या द्वारा पकड़ी जाती है और शेष विधि साहू (तेली) समाज अनुसार करें।

3) निषाद (केंवट) समाज में यही विधि जुड़ा यानि हल जुताई के वक्त दो बैलों के ऊपर रखा जाने वाला मोटा लकड़ी पर वन-कन्या को बैठा कर बीच में यादव समाज अनुसार चादर रखते हैं।

4) बाँकी समाज में मँझली (छोटी) विवाह पद्धति का प्रचलन है, जहाँ वर-कन्या को दो अलग-अलग पर्रा में बैठा कर ऊपर से चादर ढंका जाता है।

इस प्रकार छः फेरों उपरांत टिकावन प्रारंभ करवाने के पश्चात् सिंदूर दान, सिर ढंकवाना, ज्येष्ठ या मामा श्वसुर द्वारा सिर ढंकवाना, गोद बैठाना आदि कार्य सामाजिक स्तर पर संपन्न किए जाते हैं।

कहीं-कहीं आचार्य वर-कन्या से गौरी-गणेश आदि देवों का पूजन कर दक्षिणा आदि कर सभी देवताओं का विसर्जन करा देते हैं। तत्पश्चात् फेरे आदि की प्रथा सम्पन्न की जाती है।

जयमाला विवाह पद्धति - इस पद्धति में विवाह प्रायः मंदिरों में ही सम्पन्न होता है, परन्तु कई लोग घर में भी करवाते हैं। इसमें जब बाराती कन्या के यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करने के पश्चात् उन्हें लग्न मंडप में उचित स्थान पर बैठाया जाता है और आचार्य को भी उचित आसन दिया जाता है। सर्वप्रथम आचार्य मंडप के बीचों बीच लिपवा कर सुंदर चौक बनवा कर उस पर पीढ़ा रखवाते हैं और कन्या पक्ष से पीला चाँवल, पुष्प, दूबी, कलशा रखवाते हैं। सबसे पहले झाँपी (पेटी) बुलाव करने के बाद पूजा की सामग्री रखने के पश्चात् कन्या को बुलाया जाता है। कन्या द्वारा अपने ऊपर जल छिड़का जाता है, फिर गौरी-गणेश, नवग्रह, कलश पूजा होती है। बारातियों से सभी चढ़ाव सामग्री, जैसे कपड़ा, गहना, मौर आदि मांगकर कन्या को देकर घर भेजा जाता है। अब वर और समधी का बुलाव कर के, मौर (वर का) सौंपा कर वर को मंडप में बैठाया जाता है। पहले वर के ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का जाता है, फिर गौरी-गणेश, नवग्रह, कलश पूजन षोडषोपचार विधि से सम्पन्न कराया जाता है। पुनः कन्या को मण्डप में बुलाया जाता है। अब वर पक्ष से हवन-सामग्री प्राप्त कर कन्या से हवन करवाया जाता है। यदि कन्या का पहली बार विवाह हो रहा हो तो वर-कन्या को हवन अग्नि का सात फेरा कराया जाता है और यदि कन्या का पहले विवाह हो चुका है और किन्ही कारणों से कन्या का विवाह दुबारा और वर का पहली बार हो रहा हो तो केवल वर कटार लेकर अकेले ही सात फेरे अग्नि के करता है। हवन के पश्चात् वर से बलिदान करवाने के बाद एक प्रदक्षिणा कराई जाती है। फिर वर कन्या की माँग भरता है और कन्या को अपने हाथों से चूड़ी पहनाता है। फिर वह कन्या के माता-पिता को बुलाकर उनके द्वारा वर-कन्या के पाँख पखरवा कर दान-दहेज की रीति पूरी करते हैं। पुनः आचार्य द्वारा दोनों पक्षों के समधीयों को बुलाकर गौर-गणेश पूजन, दक्षिणा संकल्प और समापन पर देवों का विसर्जन कराया जाता है।

घट (कुंभ) विवाह पद्धति - किसी कन्या की कुण्डली में विषदोष, मंगलीदोष, वैधव्य दोष होने पर इन दोषों के परिहार के लिए शास्त्रघट विवाह यानि कुम्भ विवाह सम्पन्न कराया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कन्या के माता-पिता किसी मंदिर, नदी या एकांत में जाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठते है और पवित्रीकरण कर हाथों में अक्षत और जल लेकर संकल्प करते है -

।। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरूषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राम्हणोंऽहि द्वितीय प्रहरार्द्धे

श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टांवशति तमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीप भारतवर्षे भारतखण्डे

आर्यावर्तान्तर्गति (अमुक) पक्षे (अमुक) ऋतौ (अमुक) तिथौ (अमुक) वासरे (अमुक) नामिनः (अमुक) गोत्रोत्तापन्ने मम अस्याः कन्याया नक्षत्रादि योगेन ग्रह योगेन च विषारव्य योग जननसूचित वैधव्यारिष्ट परिहार्थ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ घट विवाह कर्मांह करिष्ये।।

ऐसा संकल्प लेकर हाथ का चाँवल, जल भूमि पर छोड़ दिया जाता है।

अब गौरी-गणेश, नवग्रह, कलश, मातृका, नान्दीश्राद्ध, आचार्य वरण विधिपूर्वक किया जाता है। इसके बाद प्रधान वेदी पर एक कलश रख कर इस में विष्णुजी की सोने की मूर्ति या बड़ के वृक्ष की लकड़ी की मूर्ति बनाकर अथवा घट के भीतर मूर्ति को रखकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उस घड़े के मुख को कपड़े से ढँक कर पुनः मंगल धागा बाँधा जाता है और वस्त्र, उपवस्त्र समर्पित कर अलंकृत कर मधुपर्क दिया जाता है। फिर कन्या एवं घट के मध्य गठबंधन करा कर मंगलाष्टक पढ़ कर यजमान द्वारा कन्यादान कराया जाता है। इस हेतु मंत्र है -

।। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो ....शुभ पुण्य तिथौ अस्याः कन्या मंगलीदोष, विषारव्यदोष, वैधव्यदोष निवृत्ये श्रीविष्णुरूपिणे कुम्भ श्री रूपिणी मिमां कन्या तुभ्य महं सम्प्रददे।।

इतना मंत्र बोलकर कन्या के दाहिने हाथ में विष्णु रूपेण घट दिया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है -

गौरी कन्या मिमां श्रलक्ष्णां यथाशक्ति विभूषिताम्।
ददामि विष्णवे तुभ्यं सौभाग्यं देहि सर्वदा।
विष्णुं रूपिणे कुम्भाये इमां कन्यां सम्प्रददे।।

कन्या के द्वारा घट से प्रार्थना की जाती है कि वह उसके सौभाग्य की सदा सर्वदा रक्षा करे। वह कहती है कि -वरूणांग स्वरूपाय जीवनानां समाश्रयः।

पतिं जीवय कन्यायाश्चिरं पुत्रसुखं कुरू।।
देहि विष्णो वरं देहि कन्यां पालय दुःखतः।।

ऐसा होने के बाद गठबंधन खोल दिया जाता है और घट में जल को छोड़ दिया जाता है। कन्या का चूड़ियां व बिन्दी मिटाने के बाद वह अपना रंगीन वस्त्राभूषण वहीं छोड़ देती है, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर आचार्य को दक्षिणा देकर उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद लेती है और समापन स्वरूप समस्त देवों का विसर्जन कर दिया जाता है।

आक विवाह पद्धति - जिस प्रकार कन्या की मांगलिक दशा में घट या कुंभ विवाह किया जाता है ठीक इस प्रकार के वर की कुण्डली में मांगलिक दोष होने और उसके शमन के लिए आक पद्धति से विवाह सम्पन्न कराया जाता है। इस विवाह पद्धति में लड़के का विवाह आक जिसे फुड़हर भी कहा जाता है के छोटे पौधे से कराया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम घर अथवा मंदिर के पास किसी छोटे आक के पौधे को निमंत्रण दे आया जाता है जिसके लिए पौधे के पास जाकर उसका पूजन कर पीला चांवल आदि रखा जाता है। फिर क्रमानुसार वर का चुलमाटी, हल्दी आदि की रस्म पूरी करने के बाद वर को बारात के लिए तैयार कर उस आक के पौधे के समीप बारात लाई जाती है। फिर विवाह की समस्त विधिपूर्वक वर से आक विवाह के लिए संकल्प कराया जाता है। गौरी-गणेश, नवग्रह पूजन, कलश पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजा षोडसोपचार विधि से सम्पन्न किया जाता है। वर से हवन कराने के बाद पीले रंग के वस्त्र से वर और आक के पौधे का गठबंधन कराया जाता है। फिर वर हवन की प्रज्वलित अग्नि का फेरा कर बैठता है और भावना करता

है कि इस आक के पौधे को कन्या मानकर मैं इसके मांग में सिंदूर भर रहा हूँ, सिंदूर भरता है। फिर आक के पौधे को वर साड़ी से ढंक देता है। समापन स्वरूप आचार्य को दक्षिणा देकर सभी देवों का विसर्जन किया जाता है। फिर उस आक के पौधे को इस भावना के साथ कटवा दिया जाता है कि इस वर का इस कन्या के संग विवाह हुआ था, अब इस कन्या का स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद वर सहित सभी बाराती घर लौटकर स्नान आदि से निवृत्त होते हैं।

छत्तीसगढ़ में विवाह का कार्यक्रम तीन से पांच दिवस का होता है। इसकी प्रमुख वैवाहिक रस्मों के नाम हैं मंगरोहन, चुलमाटी, तेलमाटी, देवतेला, मायन एवं चिकट, नहडोरी, मऊर परछन, परघउनी, रातिभाजी, पाणिग्रहण, भांवर, टिकावन, डोला परछन, धरमटीका आदि।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय विवाहों में कुछ प्रचलित नाम हैं पेडुल विवाह, चढ़ विवाह, हठ विवाह, पुनर्विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, अपहरण विवाह पायसोतुर, विनिमय विवाह, प्रेम विवाह भगेली, उढ़रिया, गंधर्व विवाह, दूध लौटावा विवाह, पठोनी विवाह, तीर विवाह, छुट्टा विवाह आदि।

इस प्रकार यह आदिकाल से चली आ रही हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरागत मूल्य हैं जो हमारी अनमोल थाती है। विवाह मात्र एक संयोग, आवश्यकता, परिपाटी होने की सीमा से भी आगे की विस्तृत एवं व्यापक व्यवस्था है जिससे जुड़े वैदिक इतिहास पर अभी अनुसंधान शेष है। विवाह वह संस्था है जिसके आधार पर अन्य समस्त सत्ताएँ अपने अस्तित्व को कायम रखे हैं। विवाह जब धर्मसंगत होता है तो वह पशु को मानव और मानव को ईश्वर बनाने की शक्ति रखता है क्योंकि वह स्वंय में एक आचार संहिता, एक संविधान बन जाता है और ऐसी न्याय व्यवस्था को जन्म देता है जो प्राकृतिक ममता व समता की रीति-नीति पर आधारित होती है।

इस प्रकार प्राचीनकाल से ही छत्तीसगढ़ में परम्पराओं पर आधारित विवाह का आयोजन सम्पन्न होता है जिसमें अनेक क्रियाएं सम्पन्न की जाती है। भारत के आर्षग्रंथों के अन्तर्गत विवाह सम्बन्धित सृष्टि की विवेचना की गई है, जिन के अध्ययन तथा अनुशीलन द्वारा व्यक्तित्व के विकास में विवाह की प्रधानता और महत्व का प्रतिपादन किया गया है। धर्म से प्रेरित विवाह संस्था हर युग में अनुशासन, मर्यादा और श्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करती आ रही है जो यविवाह के समसामयिक महत्ता का परिचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीमद् भागवत् 10/60/15
2. अनुभवानंदजी स्वामी एवम् श्रीनिवास ए.वी., 'हिन्दू वेडिंग: द गाइड' (6 नवंबर 2010),पेपरबैक, व्हाइट रिवर प्रेस, प्रथम संस्करण।
3. मीणा सुनीता, धर्मशास्त्रां के सन्दर्भ में गृहस्थाश्रम-विवेचन- गृहस्थाश्रम- धर्मशास्त्र के सन्दर्भ में चर्चा, सं.2014, साहित्यिक मंडल, जयपुर।
4. सिंह पाठक कुमकुम, ऋग्वेद में युगल देवता, 2012, नाग पब्लिसर्स।
5. सरस्वती जगदीश्वरानंद, वैदिक विवाह पद्धति, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशन।

****

The Economics of the Harappan Civilization: A Study of Trade, Agriculture, and Urban Planning in the Indus Valley

Dr. Dilip Pipara*

Abstract: A very well-organized and sophisticated economic structure underpinned the development and viability of the Harappan Civilization, one of the first urban cultures in history. Agriculture, trade, craft specialization, standardization, and urban planning are some of the important facets of its economy that are examined in this article. The Harappans made things in specialized workshops, traded locally and across vast distances, and grew a wide range of crops. A well-organized economic and administrative system is shown in their usage of standardized weights, measurements, and city layouts. The Harappans' economic methods continue to make a substantial contribution to early human history, despite the fact that environmental changes ultimately caused the civilization to crumble.

Introduction - The northwest parts of the Indian subcontinent saw the height of the Harappan Civilization, sometimes called the Indus Valley Civilization, between 2600 and 1900 BCE. One of the first urban civilizations in history, it was distinguished by sophisticated social structure, sophisticated city design, and a sophisticated economy. Its economy was based on trade, craft manufacturing, agriculture, and efficient resource management. The Harappans created an economic model that supported sizable urban populations and long-term cultural development through their well-planned towns, standardized institutions, and extensive trade connections. An understanding of the early evolution of human society and commerce can be gained by researching the economics of the Harappan Civilization.

Agricultural Economy: The economy of the Harappan Civilization was based on agriculture, which was also essential to the upkeep of its urban centres. The Harappans were able to cultivate a wide range of crops, including wheat, barley, peas, lentils, sesame, and cotton, thanks to the rich plains of the Indus and its tributaries. Particularly in the final stages of the civilization, rice and millets were also grown in some areas. Farming became more effective with the introduction of wooden ploughs, which were frequently pulled by oxen, and basic implements like sickles and hoes. The Harappans used wells, reservoirs, and perhaps seasonal flood control to manage water, despite the scant evidence of extensive irrigation.

Major Crops: As the main dietary staples, wheat and barley were the main crops of the Harappan Civilization. The Harappans also grew dates, lentils, peas, and sesame in addition to these. They were among the first people in the world to cultivate and use cotton for textile production, which was one of their most important agricultural accomplishments. Evidence of the cultivation of rice and millet has also been discovered in certain later Harappan sites, especially in the eastern and southern areas. These varied crops imply that the Harappans were proficient in seasonal farming and multi-cropping, which helped to ensure their steady food supply and financial success.

Irrigation and Tools: The diverse range of agricultural implements used by the Harappan Civilization was indicative of their sophisticated farming methods. Stone and copper implements including sickles, hoes, and blades that were used for soil tilling and harvesting were among the most frequently discovered tools. Evidence of the Plow, one of the most important tools, has been found in places like Kalibangan, suggesting that the Harappans prepared the ground for planting by using wooden ploughs that were probably pushed by oxen. This notion is further supported by terracotta plough models. Some fields' furrow markings indicate that a plough with a set width was used, demonstrating a methodical and effective farming technique. The Harappans were able to sustain a thriving agricultural system thanks to their tools and advantageous geographic circumstances.

Trade and Commerce: The Harappan Civilization relied heavily on trade and commerce, which were essential to its economic success. The Harappans traded items like grains, textiles, metals, beads, and pottery both within and externally. A well-planned system of highways, river routes, and regulated weights and measurements allowed for easy trade within the civilization. Cities such as Lothal functioned as significant ports and commercial hubs, suggesting a

* **Lecturer (Economics) S.M.B. Government College, Nathdwara Dist. Rajsamand (Raj.) INDIA**

thriving maritime economy with far-off areas. The finding of Harappan seals, beads, and other artifacts provides evidence of trade connections with Mesopotamia, Persia, and Central Asia, demonstrating the Harappans' involvement in a larger global trading network. Their use of standardized seals and possibly barter systems reflects an advanced understanding of commercial practices, contributing to the cultural and economic richness of the civilization.

Internal Trade

Craft Specialization: A notable aspect of the Harappan Civilization was craft specialization, which demonstrated a high level of organization, skill, and labour division. Pottery, beads, bangles, seals, tools, and textiles were among the many products made by artisans in Harappan cities. As seen by places like Chanhudaro, a significant hub for beadwork, each craft was frequently concentrated in certain neighbourhoods or workshops within the city. For their crafts, the Harappans employed terracotta, faience, metals like copper and bronze, semi-precious stones like carnelian, and even imported raw materials. These products' excellent quality and consistency point to the use of skilled craftspeople and standardized manufacturing processes. These crafts were not only used locally but also traded widely, both within the Indus region and with distant civilizations, highlighting their importance in the Harappan economy and culture.

Standardization: One of the most notable aspects of the Harappan Civilization was standardization, which was essential to its effective economic and urban structures. In order to facilitate trade, construction, and everyday transactions, the Harappans created standardized weights and measurements, usually composed of chert and formed in regular geometric shapes. These weights were consistent across many sites and adhered to a binary system, suggesting a standardized or widely used system of measuring. The majority of Harappan cities employed bricks in a 1:2:4 ratio, demonstrating sophisticated architectural and construction planning. Standardized brick sizes were another noteworthy example. Even the designs of tools, ceramics, and seals were same throughout the various regions. This level of standardization suggests strong administrative control and communication across the vast area of the civilization, contributing to its cohesion, economic stability, and long-lasting urban culture.

External Trade

Mesopotamian Connections: One of the other major ancient civilizations of the era, Mesopotamia, had established commercial and cultural ties with the Harappan Civilization. Historians generally agree that the "Meluhha," a far-off place mentioned in Mesopotamian texts, alludes to the Indus Valley region. This link is supported by archaeological evidence, which includes the discovery of Harappan seals, carnelian beads, ivory items, and cotton fabrics in Mesopotamian cities such as Ur and Susa. Likewise, Mesopotamian artifacts like cylindrical seals and lapis lazuli have been found at Harappan sites. Both land and sea routes, via ports like Lothal and Stagedoor, were probably used for these trades. The Harappans' contribution to early globalization and their position in long-distance trading networks are highlighted by the Mesopotamian connection, which also demonstrates their economic might and cultural sway outside of the Indian subcontinent.

Trade Routes: Both internal and external trade were made easier by the Harappan Civilization's vast and well-organized trading channels. Major urban canters like Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, and Lothal were connected internally by a system of roadways and river channels that made it possible to transport commodities like metals, cereals, beads, and pottery. The Harappans developed commercial ties with areas such as the Arabian Peninsula, Central Asia, Mesopotamia, and Persia. With coastal cities like Lothal acting as vital ports, maritime trade was particularly significant. Goods were probably transported to the Persian Gulf and farther from there via the Arabian Sea. The Bolan and Khyber Passes were also traversed by overland trade routes that linked the Indus Valley with. These well-established trade routes not only supported economic growth but also encouraged cultural exchange and the spread of ideas and technologies across regions.

Urban Planning and Economic Organization: The sophisticated urban planning of the Harappan Civilization is well known and demonstrates a high degree of administrative and economic structure. There were distinct residential, commercial, and industrial zones in each of the grid-patterned cities. Wide streets, covered drainage systems, public wells, and sizable storage facilities like granaries are examples of features that demonstrate effective resource management. Centralized planning is suggested by the existence of consistent city plans and brick sizes across several locations. This systematic urban design supported specialized economic activities, including trade, craft production, and food distribution, making the Harappan cities some of the most well-organized urban centres of the ancient world.

City Layout: A carefully thought-out grid pattern served as the foundation for the Harappan Civilization's extremely ordered city layout. The Citadel and the Lower Town were the two primary sections of most cities. Important public structures like granaries, warehouses, and even administrative centres were housed in the Citadel, which was often constructed on an elevated platform. Residential neighbourhoods made up the Lower Town, which was grid-patterned with straight streets that intersected at right angles. Baked bricks of uniform size were used to build houses, which frequently had private bathrooms and wells. Harappan towns are among the first instances of organized urban communities because they have sophisticated drainage systems and public infrastructure, which demonstrate careful planning and effective urban management.

Granaries and Storage: The Harappa Civilization's sophisticated economic planning and agricultural surplus were reflected in its granaries and storage structures. At important locations like Harappa and Mohenjo-Daro, large brick granaries have been found. These structures were frequently constructed on raised platforms to withstand flooding. Grain and other food supplies were probably kept in these ventilated granaries for distribution and commerce. Additionally, some cities had bins and storage rooms, indicating that resources were gathered and managed in a structured manner, maybe by a central authority. These facilities' existence shows how crucial food management is to maintaining economic stability and assisting urban residents.

Craft Workshops: The Harappan Civilization's craft workshops were specialized spaces where talented craftspeople created a wide range of items, demonstrating a high degree of economic structure and craftsmanship. These workshops were frequently found in specific areas of the city, particularly in bead-making hotspots like Chanhudaro. Pottery, jewellery, tools, and ornamental items were made by artisans using materials such terracotta, stone, shell, faience, and metals. The existence of kilns, furnaces, and raw materials at these locations suggests that production was carried out extensively for both domestic and international markets. The division of labour and the significance of artisan production in the Harappan economy are highlighted in these workshops.

Currency and Economic Exchange: The barter system was probably the foundation of economic transaction in the Harappan Civilization, as minted money was not used. For everyday necessities, people traded textiles, tools, cereals, and beads. Fair trade was ensured by the use of standardized weights and measures, frequently composed of chert, demonstrating a well-regulated commercial system. Seals may have been used as a means of identification or authentication in commercial transactions because they frequently included animal motifs and calligraphy. Supported by administrative procedures and trade networks, this structured system of exchange was essential to preserving the Harappan society's economic stability.

Decline and Economic Disruption: The decline of the Harappan Civilization around 1900 BCE led to significant economic disruption. Several factors likely contributed to this decline, including climate change, drying up of rivers like the Ghaggar-Hakra, and repeated floods or droughts, which affected agricultural production. As farming became difficult, trade networks collapsed, and urban canters were gradually abandoned. The well-planned cities gave way to smaller, rural settlements, and specialized crafts and long-distance trade declined sharply. The disappearance of standardized weights, seals, and writing further indicates a breakdown in economic and administrative systems. This shift marked the end of one of the most advanced urban economies of the ancient world.

Conclusion: In conclusion, the Harappan Civilization was a remarkable example of early urban development, characterized by advanced agriculture, well-organized trade, skilled craft production, and meticulous city planning. Its standardized systems, such as weights, measures, and construction techniques, reflect a high level of administrative control and economic organization. The civilization maintained strong internal and external trade networks, including connections with Mesopotamia. However, environmental changes and natural disasters eventually led to its decline, disrupting its economy and urban life. Despite its disappearance, the achievements of the Harappan Civilization laid important foundations for future cultures in the Indian subcontinent.

References:-

1. Kenoyer, J. M. (1998). *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. Oxford University Press
2. Possehl, G. L. (2002). *The Indus Civilization: A Contemporary Perspective*. Rowman Altamira.
3. Singh, U. (2008). *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*. Pearson Education.
4. McIntosh, J. (2008). *The Ancient Indus Valley: New Perspectives*. ABC-CLIO.

****